ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

www.ugc.ac.in

okf"kd fj i kV

2015 - 2016

okf"kd fj i kV

2015-16















ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 (भारत)

okf"kd fj ikV

2015-16

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 (भारत)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संरचना

(1) आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे:&

(i) एक अध्यक्ष (ii) एक सचिव[और (iii) पन्द्रह अन्य सदस्य[जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) अध्यक्ष की ऐसे व्यक्तियों में से चुना जाएगा जो केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधिकारी न हों।

(3) खण्ड&धारा (1) की उपधारा (iii) में संदर्भित अन्य सदस्यों में से &

(क) दो सदस्यों को केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार के अधिकारियों में से चुना जाएगा; (ख) छह से कम चार सदस्यों को सत्र विश्वविद्यालय में से चुना जाएगा जो चुने जाने के समय किसी विश्वविद्यालय के शिक्षक हों; और (ग) शेष सदस्यों को निम्नलिखित व्यक्तियों में से चुना जाएगा:& (i) जिन्हें कृषि[वाणिज्य[वाणिज्य अथवा सहकार में ज्ञान अथवा अनुभव हो; (ii) जो अभियांत्रिकी[विधि[चिकित्सा या किसी अन्य प्रतिष्ठित पेशे से संबद्ध हों[अथवा (iii) जो विश्वविद्यालय के कुलपति हों[अथवा जो विश्वविद्यालय के शिक्षक न हों परंतु केन्द्र सरकार के समानुसार प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हों अथवा जिनकी सिद्ध अकादमिक योग्यता हो।

बशर्ते कि इस उपधारा के तहत चुने गए कम से कम आधे सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधिकारी न हों।

(4) सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो अध्यक्ष के लिए विहित की गई हों।

(5) इस धारा के तहत की गई प्रत्येक नियुक्ति सभी तिथि से प्रभावी होगी जब सभी केन्द्र सरकार द्वारा अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा।

वर्ष 2015–2016 के दौरान आयोग के सदस्यों की सूची

1:	***अध्यक्ष*** प्रो0 वेद प्रकाश	अध्यक्ष[विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
2:	***उपाध्यक्ष*** प्रो0 एच0 देवराज	सचिव[विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
3:	श्री संजय एस0 धोत्रे#	मंत्रि[(सचिवगण शिक्षा विभाग)[मानव संसाधन विकास मंत्रालय
4:	श्री विनय शील ओबेरॉय*	मंत्रि[सचिवगण शिक्षा विभाग[मानव संसाधन विकास मंत्रालय
5:	श्री ए0एच0 ज्ञा	विशेष मंत्रि[व्यय विभाग[वित्त मंत्रालय
6:	डॉ0 वी0एस0 चौहान	पूर्व निदेशक[इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एण्ड बायोटेक्नोलॉजी (आईसीजीईबी)
7:	प्रो0 एस0एस0 अंसारी+	अर्थशास्त्री[पूर्व सीआईसी और एफ्यू और जेएनयू[भारत सरकार की ओर से सदस्य
8:	प्रो0 संजय रोविन्द डाजे	पूर्व निदेशक[आईआईटी खड़गपुर
9:	प्रो0 सोहन्दिर सिंह	पूर्व कुलपति[सौराष्ट्र आर्यभट्ट रेसेचन्ल सर्वे विश्वविद्यालय
10:	डॉ0 के0एस0 शांति	आचार्य[जैव प्रौद्योगिकी विभाग[पीईएस इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी
11:	श्री पलंजलि (बाबू) जी0 केशवलाल	पुरस्कृत प्रबंध निदेशक[ज्योति ट्री इंडस्ट्रीज
12:	प्रो: इन्द्र सोहन खंगारी	आचार्य[अनुप्रयुक्त विज्ञान विद्यालय[सहारनपुर अलगढ़ विश्वविद्यालय

सचिव

प्रो0 (डॉ0) जसपाल सिंह संधु

\# चून[2015 तक

* 15 चून[2015 से

\+ 5 अगस्त[2015 तक

ifrfyI;kfÙkdkj% fo"ofo|ky; vunku vk;kx
fnI Ecj] 2016

end ,o idk"kd % lfpo] fo'ofo|ky; vunku vk;kx] cgknj 'kkg tQj ekx] ub fnYyh&110002
fMtkbu ,o en.k % [illegible]
% Mh&41@,] eVk fiyj 33 d lkeu] fodkl ekx]
% y{eh uxj] fnYyh&110092
% Qku% 91 9312550335] 91 9211656230 | b&ey % infodma07@gmail.com

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

प्रस्तावना ix

कार्यकारी सारांश 2015&16 1

1. परिचय 27

1.1 पृष्ठभूमि 27

1.1(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका एवं संरचना 28

1.1(ख) क्षेत्रीय कार्यालय 31

1.2 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में 31

1.2(क) 21 जून] 2015 की अंतर्राष्ट्रीय योग&दिवस की आयोजना 32

1.2(ख) भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के समारोह की आयोजना (14 अप्रैल] 1891 से 6 दिसम्बर] 1956) 33

1.2(ग) स्वच्छ भारत अभियान 34

1.2(घ) महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्म दिवस की 140वीं वर्षगांठ 36

1.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ 36

1.3(क) महिला की अधिकार अभिविन्यास (मानवाई) प्रकोष्ठ 36

1.3(ख) वेतनमान प्रकोष्ठ 37

1.3(ग) अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग अनुभाग 38

1.3(घ) मानवता प्रकोष्ठ 38

1.3(ङ) विविध प्रकोष्ठ 39

1.3(च) संसदीय प्रश्नों संबंधी सेल 41

1.3(छ) लोकपाल शिकायत प्रकोष्ठ 42

1.3(ज) "कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न" शिकायत संबंधी प्रकोष्ठ 43

1.3(झ) प्रेस&सेवा प्रकोष्ठ 43

1.3(ञ) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ 45

1.4 प्रकाशन 46

1.5 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त 47

1.6 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित मद विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त सलाह समिति (जेसीआरसी) 78

1.7 वर्ष 2015&16 के दौरान आयोग द्वारा लिए गए कुछ निर्णय 79

1.8 जन शिकायतों का निपटान 86

1.9 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बेहतर अभिशासन के लिए की गई पहल@सीए गए कदम 86

2. उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विहंगम 87

2.1 विश्वविद्यालय@समान 88

2.2 छात्रों का नामांकन 123

2.3 संकाय संख्या 128

2.4 शोध उपाधियाँ 130

2.5 उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि 132

2.6 उच्चतर शिक्षा में वृद्धि के संबंध में संक्षिप्त आंकड़े 134

3: विश्वविद्यालयों की विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (गैर&योजनागत) सहायता 135

3.1 विश्वविद्यालयों को सहायता 135

3.1(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय 135

3.1(ख) राज्य विश्वविद्यालय 150

3.1(ग) मान विश्वविद्यालय 153

3.1(घ) राज्य निजी विश्वविद्यालय 158

4: महाविद्यालयों की विकास (योजनागत) और अनुरक्षण (गैर&योजनागत) सहायता 160

4.1 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों के विकास पर विशेष बल 160

4.2 द्वितीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचना प्राप्त महाविद्यालय 160

4.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की अनुदान 161

4.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा योजनावार अनुदानों की जारी किया जाना 162

4.5 दिल्ली के महाविद्यालयों तथा सहायक जिम्मू विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों की अनुदान 174

5: गुणवत्ता और सम्पोषता 179

5.1 सम्पोषता की संकल्पना वाले विश्वविद्यालय (यू.जी.ई.) 180

5.2 विशिष्ट क्षेत्र में सम्पोषता की संकल्पना वाले केन्द्र (सीपीईएस) 182

5.3 सम्पोषता की संकल्पना वाले महाविद्यालय (सीपीई) 184

5.4 पद केन्द्रों@संस्थानों की स्थापना 186

5.5 विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) 186

5.6 स्वायत्त महाविद्यालय 189

5.7 मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) और क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीडी) 195

5.8 ज्ञानधारा का संवर्धन 197

5.9 द्विभाषीय साहित्यिक और शैक्षिक विषय कार्यक्रम 198

5.10 शोध तथा शिक्षण हेतु मानव संसाधन के विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 203

5.11 यात्रा अनुदान 211

5.12 अंतर्विश्वमहाविद्यालय केन्द्र (आईयूसी) 212

5.13 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र 218

5.14 विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रणाली (सीडीसीएस) 220

6: शोध संवर्धन 221

6.1 शिक्षकों हेतु शोध परियोजनाएँ: वृहत् तथा लघु 221

6.2 शोध अवार्ड@शोध फेलोशिप 222

6.3 पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ 224

6.4 शोध अध्येतावृत्तियाँ (एमफिल@पीएचडी हेतु) 229

6.5 स्नातकीय अध्येतावृत्तियाँ 242

6.6 स्नातकपूर्व अध्येतावृत्तियाँ 247

6.7 प्रदर्श तथा अंशदान (सीडीपी) 251

6.8 विशेष आवश्यकताओं@राष्ट्रीय@अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए विशेषज्ञ शिक्षा योजना 255

6.9 शिक्षकों की प्रेरित करना, विशिष्ट शैक्षिक तथा शोध क्रियाकलापों हेतु शिक्षकों, विषय@विषय आधारित संघों की प्रोत्साहन योजना 255

6.10 विश्वविद्यालयों में भूमिगत वैकल्पिक पाठ्यक्रम 256
6.10(i) ऐच्छिक पाठ्यक्रम प्रस्ताव (एचपीसी) 256
6.10(ii) अंतर्विषय पाठ्यक्रम एवं सहकार्य संबंधी मार्गदर्शन 256
6.10(iii) चयन किये हुए संकायों के लिए "सेवा&अंश अनुबंध" 257
6.10(iv) डीएसआर मार्गदर्शन के तहत शिक्षकों की एकमुश्त अनुबंध 257
6.11 महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के विभाग विषयों में अध्यापकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विशेष अनुबंध 258

7: क्षेत्र तथा व्यावसायिक संभावना 260
7.1 अभियांत्रिकी संबंधी अध्ययन 260
7.2 अनुमोदित जाति@अनुमोदित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग (अराजपत्रित वर्ग)] अल्पसंख्यकों और विशेष शिक्षार्थियों के लिए कार्यक्रम 261
7.3 व्यावसायिक अधिवेशन और संगठन की सीमा का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों में केंद्रों की स्थापना 275

8: अंतर्विषय तथा मूल्य आधारित शिक्षा 276
8.1 विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केंद्र 276
8.2 युग्म प्रवर्तक भारतीय संस्कृति विषयों पर विशेष अध्ययन 278
8.3 सामाजिकोपयोगी शिक्षा (एसयूसी) 282

9: संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का संवर्धन 284
9.1 ई&सामग्री 284
9.2 स्थानीय/क्षेत्रीय विषयों हेतु ई&विषयवस्तु संबंधी सामग्री तैयार करना 286
9.3 विजीयन इंडिया संसद&संसदीय प्रभाव करने वाले विश्वविद्यालयों@संस्थानों की सेमिनार 288
9.4 ओपन विड्स प्रमाणन प्रणाली (ओएपीएसएम) 289

10: कौशल विकास हेतु संसद 290
10.1 विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वृत्ति सम्बद्ध पाठ्यक्रमों की शुरुआत 290
10.2 सामुदायिक महाविद्यालय 290
10.3 डीएसडी0 संबंधी कार्यक्रम 297
10.4 सीसीयू कौशल केंद्र 303

11: मुक्त और दूरस्थ शिक्षा 308
11.1 दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम 308

प्राक्कथन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) की वर्ष 1953 में स्थापना के साथ ही की वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन अवरुद्ध रूप से किया जा रहा है।

वर्ष 2015&2016 की वार्षिक रिपोर्ट न केवल देश में सम्पन्न शिक्षा प्रणाली की बजाए रूपरेखा तथा मार्गदर्शन स्थापित करने के लिए शीर्ष संस्था के रूप में वि0अ0आ0 द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहल को दर्शाती है बल्कि यह रिपोर्ट विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के माननीय विकास का मार्गदर्शन करने] में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई की पहल पर भी प्रकाश डालती है जिनसे शिक्षा तक पहुंच] समता] संगतता और सम्पूर्णता में वृद्धि हुई।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सम्पन्न शिक्षा में सम्पूर्णता और समता आधारित विस्तार सुनिश्चित करने के लिए अनेक नई पहल की हैं। मुझे आशा है कि इस वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए महत्व आंकड़े@जानकारियां शिक्षकों] छात्रों शोधकर्ताओं] प्रशासकों तथा सम्पन्न शिक्षा के क्षेत्र में अन्य हितधारकों के लिए सहायक सिद्ध होंगे।

मैं इस अवसर पर आयोग के सभी सदस्यों का वि0अ0आ0 के एजेंडे की आगे ले जाने में सबके सहयोग हेतु अत्यंत आभारी हूँ और हार्दिकता व्यक्त करता हूँ।

मैं इस अवसर पर रिपोर्ट की इसके वर्तमान स्वरूप में तैयार करने के लिए मेरे सहयोगियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान के लिए सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं डॉ0 (श्रीमती) पंकज मित्तल] सचिव] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] श्री सुनील कुमार] पूर्व सलाहकार] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] डॉ0 नीता खरे] प्रकाशन अधिकारी] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में सबके अमूल्य योगदान तथा अथक प्रयासों हेतु विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ।

वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु में सुधार करने के लिए सुझावों का स्वागत है।

नई दिल्ली

प्रो0 वेद प्रकाश

अध्यक्ष

कार्यकारी सारांश 2015–16

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2015&16 की कार्यकारी सारांश व लेखन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकार सम्बन्धी कार्यों की विभिन्न योजनाओं@कार्यक्रमों तथा इस अवधि के दौरान किए गए व्यय के साथ&साथ आँकड़ों के संदर्भ में हुए विकास और इसके तहत प्राप्त वास्तविक प्रगति को दर्शाते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्रियाकलापों की भी संक्षिप्त चर्चा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्रियाकलाप इसके मुख्यालय] क्षेत्रीय कार्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से चलाए जाते हैं।

1. प्राक्कथन–पृष्ठभूमि–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन

- आयोग में अध्यक्ष] सचिव तथा 10 सदस्य (मानव&शिक्षा मंत्रालय] भारत सरकार द्वारा नियुक्त@मनोनीत 8 अन्य सदस्य) हैं। मंत्रालय आयोग के मंत्रालयय का पुनर्विचार होता है जिसमें 503 कार्यरत स्टाफ है जिसमें 82 अधिकारी संवर्ग 'क' 249 अधिकारी संवर्ग 'ख' 163 कर्मचारी संवर्ग 'ग' के हैं तथा 09 सदस्य कैजुअल स्टाफ के हैं। कार्यरत स्टाफ में 29.42 प्रतिशत महिलाएं] 22.66 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 5.37 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1994 से देश में 7 क्षेत्रीय कार्यालय [बंगलौर अपने कार्यक्षेत्र का विकेन्द्रीकरण किया है। 28 दिसम्बर] 1953 में अस्तित्व में आने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में सम्बन्ध तथा मानकों के निर्धारण के अपने अधिदेश के साथ अपने अस्तित्व के 62 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस अवधि इसने देश में उच्चतर शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिये अपनी यात्रा के 62 वीं के पड़ाव पार किए हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सक्षम विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों को निर्देश दिया है कि 21 जून] 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाये और योग के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया जाये।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों में भारत के संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये भारत रत्न डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के 125वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान विभिन्न गतिविधियां की हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वच्छ भारत अभियान की मदद करने हेतु विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों@उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विभिन्न सुधार कार्य किये।
- भारतीय संसद की संसद के 140वीं वर्षगांठ मनाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सम्बन्धित प्रावधान करने वाले सक्षम विश्वविद्यालयों@संस्थानों को सूचित किया कि वाद&विवाद सभाओं] संगोष्ठियों] वाद&विवाद और भाषण] प्रश्नोत्तरियों] क्विज़ों इत्यादि के रूप में कोई प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के निर्देश दिये जायें।
- वर्ष 2015&2016 के दौरान मूलतः अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल सिफारिश 13296 आवेदन तथा 1713 अपीलें प्राप्त हुई जिनका सी0पी0आई0ओ0 तथा ए0ए0ए0 द्वारा निपटान किया गया तथा आरटीआई शुल्क संग्रहण 81529@& #0 रहा तथा अतिरिक्त शुल्क 33822@& #0 रहा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताओं के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विनियमों के तीसरे संशोधन तथा उच्चतर शिक्षा] 2016 संबंधी सलाहों को लागू करने हेतु उपायों के बारे में सक्षम विश्वविद्यालयों को जानकारी दी।
- विश्वविद्यालयी प्रणाली में अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा के लिए प्रवेश तथा शिक्षण तथा शिक्षणेतर पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण नीतियों की प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ द्वारा निगरानी की जाती है।
- वर्ष 2008 में स्थापित अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों पर कार्यवाही करता है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शिकायत प्रकोष्ठ की रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 472 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से केन्द्रीय सतर्कता आयोग (45) सचिव मंत्रालय विकास मंत्रालय (54) और सांसदों द्वारा मीडिया की भेजी गई शिकायतें (21) केन्द्रीय लोक शिकायत ब्यूरो (18) अन्य (334) (विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों तथा अन्य एजेन्सियों से प्राप्त हुई) । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लंबितशील स्वरूप की कुल शिकायतों की जाँच समिति के समक्ष रखा गया है और समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही आरंभ कर दी गई । शिकायतों पर वास्तविक रिपोर्टों की केन्द्रीय सतर्कता आयोग @ सचिव मंत्रालय विकास मंत्रालय को भेजा गया है] 472 शिकायतों में से 258 शिकायतों की जाँच समाप्त कर दिया गया है तथा 214 शिकायतों पर जाँच चल रही है।

- वर्ष 2015&2016 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा के विभिन्न प्रावधानों में वर्ष 1182 संस्थों में अनियमितता पाया गया और अधिकांशों के लिए जो पिछले वर्ष के 208.05 प्रति #पये की तुलना में 162.33 प्रति #पये का ब्याज हुआ A
- संसद सेवक की वर्ष 2015&2016 के दौरान पिछले वर्ष के 756 संसदीय प्रश्नों की तुलना में 643 प्रश्न प्राप्त हुएA 37 तारांकित प्रश्नों में से 21 प्रश्नों पर आश्वासन दिया गया शेष का विलंबित कर दिया गया A
- जाली विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं की बढ़ती संख्या के बारे में विलंबने के लिए सर्वोच्च अदालत द्वारा प्रदीप से कुल 22 जाली संस्थानों की सूचना आयोग सभी के विरूद्ध कार्यवाही की हुA 22 जाली संस्थानों के अतिरिक्त दो और विश्वविद्यालय यथा (1) भारतीय शिक्षा परिषद] अलीगढ़ & (2) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ कॉमर्स एण्ड सेलसर्विस (आईआईसीएस) जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम] 1956 की धारा 2(f) के तहत मान्यता प्रदान नहीं की गई है] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आईआईसीएस के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई हुA विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की टीम कार्यवाही के आधार पर अनियमित संस्थानों के नामों के मुताबले@पदबे में संस्थानों की संख्या में अंतर होता रहता हुA वि0अ0आ0 ने समाचार पत्रों में छात्रसमाचार@पत्रों की छात्ररूचता हेतु आवश्यक सत्र के आरंभ में पत्रों की जाली संस्थानों में प्रवेश प्राप्त न करने हेतु आगाह करते हुए एक नोटिस@प्रेस विज्ञप्ति जारी की A
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के महिला सेलीड प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली पर किसी भी महिला कर्मचारी से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुईA
- वर्ष 2008 में स्थापित ट्रैफिंग&ग्रीवेंस प्रकोष्ठ सभी शिक्षा संस्थानों में सीधा ट्रैफिंग की समस्या पर नियंत्रण रखने के लिए सतर्कतारी हुA ट्रैफिंग के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तो ही निर्देश हैं] सभी अनुमोदन करने के लिये समस्त सभी शिक्षण संस्थानों को कहा गया हुA कॉल सेंटर मुलियों के लिए 12 भाषाओं में 24x7 एक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क ट्रैफिंग ग्रीवेंस हेल्पलाइन 1800&180&5522 शुरू की गई हुA एक ट्रैफिंग&ग्रीवेंस वेब&पोर्टल भी कार्य कर रहा हुA रिपोर्टाधीन वर्ष (2015&2016) के दौरान विभिन्न स्वायत्तशासी@विश्वविद्यालयों और संबद्ध संस्थानों से 424 शिकायतें प्राप्त हुईA शिकायतों पर की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजने को कहा गया हुA 403 शिकायतों के मामले में संस्थान द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई] तथापि शेष 21 मामलों में की गयी कार्यवाही रिपोर्ट प्रतीक्षित हुA
- माननीय मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने शिक्षा सत्र 2015&16 के दौरान देश में सम्बद्ध शैक्षणिक संस्थानों के ट्रैफिंग के विरूद्ध प्रचार अभियान आरंभ करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सीधिया प्रचार हेतु 5.00 करोड़ #पए की राशि आवंटित की हुA विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ट्रैफिंग के विरूद्ध सीधिया प्रचार के रूप में मिल&मिल प्रतिविधियों हेतु 4]78]92]617@& (चार करोड़ अठहत्तर लाख बानवे हजार छह सौ सत्रह केवल) #पए की राशि ब्याज की हुA
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ट्रैफिंग&विरोधी सभाओं (पोस्टर बिलबोर्डिंग@होर्डिंग@सीओएस@स्लोगन बिलबोर्डिंग@प्रिंटिंग प्रतिस्पर्धा इत्यादि) के ब्यापक प्रचार एवं संवर्धन हेतु विद्यार्थियों] अध्यापकों तथा आम जनता हेतु एक प्रतियोगिता की भी घोषणा की थीA प्रतियोगिता हेतु स्वीकृत मानदंडों के संवर्धन हेतु अब से इस्तेमाल किये जाने वाले 3 पोस्टरों 2 स्लोगनों का चयन किया गयाA
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों के क्षमता निर्माण तथा मार्गदर्शिका हेतु वि0अ0आ0 में एक मानक प्रकोष्ठ कार्य कर रहा हुA
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रकाशन ब्यूरो ने प्रकाशन@सुधन पर 18.75 प्रति #पये ब्याज दिए A

वित्त ब्यूरोः

वित्त वर्ष 2015&2016 के लिए बजट और अनुदान&सहायता की प्राप्ति का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष 2015&2016 के लिए बजट

(रू0 करोड़ में)

क्र. सं.	बजट शीर्ष	योजनागत आवंटन		गैर&योजनागत आवंटन	
		ब0 अनु0	सं0 अनु0	ब0 अनु0	सं0 अनु0
1.	सामान्य	3905.00	3605.00	6095.45	6095.45
	कुल	3905.00	3605.00	6095.45	6095.45

वर्ष 2015&2016 के दौरान प्राप्त योजनागत और गैर&योजनागत (सामान्य) अनुदान

(करोड़ रू0 में)

क्र. सं0	मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुदान	योजनागत	गैर&योजनागत
1.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य)	3784.81	6095.45
2.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली	200.55	
	(i) अ0जा0 के अभ्यर्थियों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	200.55	
	(ii) अ0पि0जा0 के अभ्यर्थियों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	18.30	
3.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, नई दिल्ली	30.00	
4	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, नई दिल्ली	55.43	
	कुल	4089.09	6095.45

- वर्ष 2015&2016 के दौरान जारी किये गये योजनागत अनुदान (4003.31 करोड़ रू0 में) में से 50.50 प्रतिशत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 1.09 प्रतिशत मान विश्वविद्यालयों, 17.13 प्रतिशत राज्यों के विश्वविद्यालयों तथा 7.92 प्रतिशत राज्य विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों आदि को जारी किया गया।
- वर्ष 2015&2016 के दौरान जारी कुल गैर&योजनागत अनुदान (6066.74 करोड़ रू0 में) में से 63.54 प्रतिशत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 25.81 प्रतिशत दिल्ली और इसारूम हिमू विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों, 3.14 प्रतिशत राज्य विश्वविद्यालयों, 1.34 प्रतिशत अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों, 4.44 प्रतिशत मान विश्वविद्यालयों और 1.27 प्रतिशत प्रशासनिक प्रभारों के लिए जारी किया गया।
- संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.) को मान शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों (केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित मानविश्वविद्यालयों के लिये) के लिए एक मान संवर्ग संरचना तैयार करने और वेतनमानों, योग्यताओं, अर्हताओं का पुनर्निर्धारण करने के लिये किया गया है जो शिक्षण कर्मचारियों हेतु वेतन समीक्षा समिति के समान होगा नहीं होते हैं। समिति ने वर्ष 2011&12 के दौरान ही 24 संवर्गों के लिए रिपोर्ट की अंतिम रूप दे दिया गया। आयोग द्वारा अनुमोदित रिपोर्ट की सी0एच0ए0ई0 की अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भेजा गया गया। सी0एच0ए0ई0 ने विभाग 07.05.2014 के पत्र के माध्यम से जेसीआरसी की रिपोर्ट की कुछ सिफारिशों की अनुमोदित कर दिया जिन्हें सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों@ वि0अ0आ0 द्वारा अनुरक्षित मानविश्वविद्यालयों को कार्यान्वयन के लिए प्रेषित किया गया है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित संस्थानों में एसीपी योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अनुमोदित विशेषनिर्देश भी परिचालित किए जा चुके हैं।
- वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कुल बैठकें हुईं (507 से 512) तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से संबंधित मामलों, विशेष प्रयोजन कार्यदलों तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने संबंधी कुल्य निर्णय लिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगः वर्ष के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- आयोग ने निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पूर्ववर्ती डीईसी की ही तरह सभी राज्य पुरस्कृत विश्वविद्यालयों की अनुदान संबंधित करने जारी रहे सकता है। तथापि, राज्य पुरस्कृत विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अंतर्गत स्वयं के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए कहा जा सकता है।

- आयोग ने एआईसीटीई@एआईसीटीई.एसी.इन से प्राप्त प्रतिनिधियों और प्रस्तावों की विधियों के बारे में जाने के लिए "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संस्थानों शैक्षणिक संस्थानों में मानकता की प्रोन्नति) विधियम] 2012" की धारा "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संस्थानों शैक्षणिक संस्थानों में मानकता की प्रोन्नति) विधियम] 2015" के प्रारूप पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने डी0लीट0 सम्मानित डॉक्टरेट हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधित) विनियमों पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सम्बद्धता के प्रस्ताव] विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यताओं संबंधी विधियों और सक्षम शिक्षा में सामंजस्य लाए जाने हेतु संशोधन] 2010 में संलग्नित अनुसूची के क्रम 8.2.1 की क्रम 6.8.0 हेतु संशोधित करने पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने दिनांक 10.01.2014 की आयोजित अपनी 497वीं बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम] 1956 की धारा 2(एफ)] 12(बी) के अंतर्गत संस्थानों को प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करने और धारा 13 के अंतर्गत अनुपालन के संबंध में प्राप्त की गई विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के संबंध में प्रतिवेदन की जांच किया] स्वीकृति प्रदान की और इसकी पुष्टि की।
- आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यताओं और सक्षम शिक्षा में सामंजस्य लाए जाने हेतु संशोधन] 2010 संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधियमों के क्रम 8.3 (तीन) (विशेष प्रावधान से संबंधित) की जांच किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने पूर्ववर्ती कार्यरत योजना (सीएएस)] 1998 के अंतर्गत शिक्षक@मित्र आचार्य से आचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु प्रदान अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रेषण की नियुक्ति के प्रावधान की समीक्षा करने की जांच किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों तथा विशेषज्ञों की आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों में भाग लेने हेतु यात्रा भत्ता@दैनिक भत्ता@मानदेय की संशोधित दरों की जांच किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने पूंजी शीर्ष के अंतर्गत झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय की अनुदान जारी करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय में हुई प्रगति की जांच करने हेतु गठित तथ्य अन्वेषण समिति के प्रतिवेदन की जांच किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय स्तरीय संबंध कोषों की स्थापना करने संबंधी दिशानिर्देशों सहित प्रतिवेदन की जांच किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की योजना अनुदान (संस्थान विकास सहायता) के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबंधी विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की जांच किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने कर्मचारियों ऑफ एजुकेशन कॉन्ट्रिब्यूशन (सीईसी) में प्रेषित अधिकारी और अनुदान अधिकारी (प्रशा.) के पदों और वेतनमानों को अन्य सीईसी के समान प्रशासनिक अधिकारी (प्रेषित) और प्रशासनिक अधिकारी (प्रशा.) के रूप में पुनर्गठित करने के प्रस्ताव की व्यय वित्त समिति] वित्त मंत्रालय के पास इसकी विशेषज्ञ राय हेतु भेजा है।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मेस विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम] 2010 के अनुबंध-1 के क्रम 4.5 (एक) (प्रबंधन बोर्ड की बैठक हेतु गणपूर्ति) में संशोधन की जांच किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने विदेशक आईयूसीएए] पुणे] विदेशक] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग & सीएई&सीएनआरई] इंदौर और विदेशक] एनएएसी] बंगलुरू की नियुक्ति हेतु अन्वेषण समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में सामान्यताओं की स्थापना और तत्संबंधी अनुरक्षण) विधियम] 2015 की स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मेस विश्वविद्यालय संस्थान) विधियम] 2010 के क्रम 12.03 के (सुधार&दोहराव) में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की।

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मानकों का शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक मानकों की बढ़ावा देना और मानहानि की रोकथाम) विनियम, 2015 की स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने "विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्टता हेतु सहायता वाले केन्द्र" (सीएसईएए) संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों की पुष्टि की।
- आयोग ने मानकों शिक्षा में भारत&नर्सरी साझेदारियों (आईएसपी) के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.), भारत और नर्सरी शिक्षा आदान&प्रदान मेला (एनईएमई), नर्सरी के तीव्र हुए सहजौता ज्ञापन की पुष्टि की।
- आयोग ने केवल मंत्रालयी और मंत्रालयी सहायता प्राप्त सहविद्यालयों (12वीं पंचवर्षीय योजना) में, सहविद्यालयों में संकाय विकास कार्यक्रम की योजना की जारी रखने पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने किसी छात्र द्वारा कोई उपाधि प्राप्त करने हेतु एक सतत अवधि निर्धारित करने के मुद्दे पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने एचएएमी में पदों की 6 श्रेणियों के संबंध में नीति नियमों पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु अभियांत्रिकी संस्थान, डायरेक्ट विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षण पदों पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने, आयोग के सदस्यों की सामर्थ्य के अनुसार में वृद्धि पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने वेलिंगर इंस्टीट्यूट ऑफ़ सैनेसमेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च, मुंबई की वर्ष 2015&16 हेतु जीपीएस कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान करने पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने देवगढ़ संघ बहुअनुशासनिक विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने पर उसके शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन और भत्तों तथा वेतनमानों को पुनर्गठित किए जाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति के प्रतिवेदन की स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने सावन मंत्रालय विकास मंत्रालय समिति द्वारा श्रेणी 'ब' के अंतर्गत नई दिए गए 41 नए विश्वविद्यालय संस्थानों में नये मुद्दों पर विचार किया, एचएएमी द्वारा किए गए प्रोत्साहन और सावन मंत्रालय विकास मंत्रालय से पत्र प्राप्त होने के बाद तथा सावन मंत्रालय विकास मंत्रालय से प्राप्त पत्र तथा इस संबंध में विचार करने के पश्चात् कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम विचाराधीन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मत था कि इस मुद्दे को उचित ढंग किया जाए तथापि, नए विश्वविद्यालय संस्थानों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आवश्यक निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
- आयोग ने वर्ष 2014 और 2015 में यथा संशोधित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (नए विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 के अनुबंध&2 (क्रमागति) के फॉर्म 6.2 के प्रपं&फॉर्म (एक) में संशोधन पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने भारतीय शास्त्रीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओड़िया में पीठ स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट (एचबीएनआई) (नए विश्वविद्यालय), मुंबई के अंतर्गत मुद्दा&कैंपस की स्थापना करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ साईंस एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईएसईआर) भुवनेश्वर, ओडिशा को पीठ करने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की, बशर्ते कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (नए विश्वविद्यालय संस्थान) अधिनियम, 2010, वर्ष 2014 और 2015 में यथा संशोधित, में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों हेतु सावन मंत्रालय विकास मंत्रालय से इस आशय की मंजूरी प्राप्त होती है कि मुद्दा कैंपस को प्रतिबंध नए नए विश्वविद्यालय संस्थानों के लिए लागू नहीं होगा जिसकी स्थापना और प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है।

- आयोग ने कुछ नए विश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग@सातवां संशोधन विधान संत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना स्थापित@आरंभ किए गए मुद्दों&कैम्पस से संबंधित मुद्दे पर विचार किया और नए विश्वविद्यालय संस्थानों के मुद्दों&कैम्पस के मुद्दे के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया।
- आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यताओं और समतुल्य शिक्षा में सामंजस्य लाने हेतु विनियम] 2010 संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन@स्पष्टीकरण पर विचार किया और यह स्पष्टीकरण जारी करने का निर्णय लिया कि शोध डिग्री अर्थात् पीएचडी डिग्री प्राप्त करने में प्रोन्नति की नई संशिप्त सेवा की अवधि] जिसे किसी प्रकार की अवधारणा न लिया गया हो] की सेवा आवश्यक और इसमें अंक के मामलों के लिए सीधी भर्ती@प्रोन्नति के उद्देश्य हेतु शिक्षण अनुभव के तौर पर माना जाएगा।
- आयोग ने मुक्त शिक्षा समिति डैबेक के कार्यवृत्त पर विचार किया और इसकी पुष्टि की तथा सभी मामलों को स्वीकृत माना गया एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के 3 पाठ्यक्रमों अर्थात् बी:एम:सी: (ऑनर्स डिग्रीसहित)] बी:एम:सी: (प्रतिष्ठा सहित) और एसएमसी (प्रतिष्ठा सहित) हेतु अध्ययन सामग्रियों की छपाई के लिए समिति का गठन किया गया। साथ ही] आयोग ने समिति की सहित पाठ्यक्रमों] यानि कहीं पाए जाते हैं तो] के लिए अपनी सहमति प्रदान करने हेतु भी प्राधिकृत किया। आयोग ने यह भी अधिकार दिया कि समिति का निर्णय विश्वविद्यालय को सूचित किया जाए और इसकी जानकारी आयोग की अगली डैबेक में दी जाए।

सरकार और अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त निर्देशों के संबंध में प्रमुख निर्णय

- एचआईएमऑडब्ल्यूएएमएम] गुवाहाटी में अवस्थित ईएसएसआरसी से संबंधित विषयों के संबंध में संसद (एमपी)] मानव संसाधन विकास संत्रालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि ईएसएसआरसी के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक छोटी समिति का गठन किया जाए। इस संशोधन के साथ] कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
- समिति ने संयुक्त समिति (ब्रिक्स)] वित्त संत्रालय के इस सुझाव की नोट किया और स्वीकृति प्रदान की कि मानव संसाधन विकास संत्रालय की अध्येतावृत्तियों@छात्रवृत्तियों प्रदान और इसे अन्य संत्रालयों के साथ एक स्थायी समिति बनाने के लिए मानक करना चाहिए ताकि भविष्य में] यदि आवश्यक हो तो] अध्येतावृत्तियों@छात्रवृत्तियों में ब्रिक्सक और तर्कसंगत वृद्धि की जा सके।
- आयोग ने निजक महाराष्ट्र विधेयक (मेक विश्वविद्यालय)] पुणे महाराष्ट्र के माननीय मंत्री डॉ: पीजक निजक के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामने प्रस्तुत के आरोपों की छान के लिए गठित छान समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और इस रिपोर्ट को मानव संसाधन विकास संत्रालय को अग्रेषित किया गया तथा यह निर्णय भी लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निजक महाराष्ट्र विधेयक की समीक्षा करेगा।
- आयोग ने केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित और प्रबंधन किए जा रहे मेक विश्वविद्यालय संस्थानों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मेक विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम] 2010 के [खंड 12.03क (मुद्दा कैम्पस) में संशोधन पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।

विशेष कार्यक्रमों, गुणवत्ता कार्यक्रमों आदि के संबंध में प्रमुख निर्णय

- आयोग ने आधारभूत वैज्ञानिक शोध (डीएसआर) की अधिकार प्राप्त समिति के निर्णयों की नोट किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न अध्येतावृत्तियों@छात्रवृत्तियों@ शोध पुरस्कारों में एकरूपता लाने के लिए 8 और 9 अप्रैल] 2015 की आयोजित डैबेक के कार्यवृत्त में अनुशंसित पुनरीक्षा@सुधारों पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने विनिर्दिष्ट की नोट किया और स्वीकृति प्रदान की (एक) सीपीईपी संबंधी समिति की सिफारिशों और "विशिष्ट क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठता लाने केन्द्र" (सीपीईपी) हेतु बारहवीं योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन और (दो) मेक विश्वविद्यालयों

और ग्रामीण जिसी विश्वविद्यालयों हेतु नई योजना के दिशानिर्देश तैयार करने समय ग्रामों के जिसी विश्वविद्यालयों को सब विश्वविद्यालयों के साथ समावेश।

- आयोग ने शारीरिक शिक्षा में नई सम्भावियों यथा बीपीईएस और एमपीईएस सम्भावियों की विशिष्टताओं पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने तमिलनाडु एमईपी की अत्यधिक प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति की सिफारिशों की स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने "विशेष क्षेत्रों में सक्षमता वाले केंद्र" (सीपीईपीए) संबंधी योजना के अंतर्गत मानितावास विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में स्थायी समिति की सिफारिशों की स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने पंजाब सेक्टोरियल कॉलेज] राजपुरा (पंजाब) की कानूनी सूची में डालने और डबलवेव पीजी कॉलेज] वाराणसी की 'विशेष जरूरत परीक्षा तथा सत्यापन' के लिए जांच समिति के सुझावों पर विचार किया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग से अनुरोध किया गया कि राजपुरा कॉलेज की अधिसूचित रूप से अनुदान जारी करने के मामले में आरोपी श्री शरद त्रिवेदी की कॉल के ब्यौरे के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एसपीएफएस पर दबाव डाला जाए और यह निर्णय लिए गया कि कॉल रिकार्ड प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एसपीएफएस के सक्षम अधिकारियों के समक्ष यह मामला उठाया जाए क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कभी प्रयास किए जाने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। शेष विषयों की स्वीकृति प्रदान की गई।
- आयोग ने "विशेष क्षेत्रों में सक्षमता वाले केंद्र" (सीपीईपीए) योजना के अंतर्गत सीपीईपीए केंद्रों की अंतिम स्वीकृति हेतु स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की तथा सम्बन्धित सूत्रांकन समितियों के प्रतिवेदनों को भी स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने सामरिक क्षेत्र हेतु ईशान सबर विशेष प्रशिक्षित योजना के संशोधित दिशानिर्देशों पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने सक्षमता शैक्षणिक संस्थानों में ट्रेनिंग की सत्ता पर प्रभाव डालने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम] तीसरा संशोधन] 2015 के प्रस्तावित संशोधन पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान देने संबंधी प्रमुख निर्णय

- आयोग ने महाविद्यालयों की स्वायत्तशासी चर्चा प्रदान करने के 42 नए और 29 विस्तार वाले मामलों हेतु स्वायत्तशासी महाविद्यालयों संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की] तथा दो महाविद्यालयों की अनुपालना रिपोर्ट पर विचार किया।
- आयोग ने] आयोग द्वारा पहले ही स्वीकृत मानव उत्तरीय आवेदन में से बारहवीं योजना हेतु मानव विकास महायता आवेदन (क्षेत्रीय कार्यालयवार) के पुनर्विनियोग को तोड़ किया और स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग ने महाविद्यालयों की मानव विकास महायता (सीपीए) के दिशानिर्देशों में संशोधन के साथ] महाविद्यालयों की मानव विकास महायता की योजना के अंतर्गत नये महाविद्यालयों सहित सब पात्र महाविद्यालयों हेतु ओरियों@मीना की तोड़ किया और स्वीकृति प्रदान की जिसे ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महायता प्रदान नहीं की जा सकी थी।
- आयोग ने] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथ्य अन्वेषक समिति की रिपोर्ट को तोड़ किया और स्वीकृति प्रदान की जिसमें इंदिरा इंदौर यूपी और इंदौरदेव ज्योतिष इस सेक्टरसेट (ईआईआईएसए) {जिसे विश्वविद्यालय] तोड़ा गया} निम्नलिखित के विरुद्ध प्राप्त विभिन्न आरोपों जैसे अमानवीकृत अभ्यास केंद्र (केंद्रों) के संचालन में गड़बड़ियों की संभावना] सक्षमता शिक्षा की फ्रेंचाइजी देना] बिना परीक्षा आयोजित किए सम्भावियां देना] छात्रों की प्रवेश करना] बिना अनुमति के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करना आदि की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय का दौरा किया था और साथ ही इस संबंध में एक जनसूचना जारी करने तथा ईआईआईएसए की वेबसाइट पर रोक लगाने के लिए सीईआईटीवाई के मंत्रालय से भी संपर्क करने का निर्णय लिया।

- आयोग ने भारत सरकार द्वारा स्थापित और पूर्णतः वित्तपोषित/आयोजित के अतिरिक्त नए विश्वविद्यालयों सहित सहविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों के लिए धनराशि (योजना और गैर-योजनागत) प्रदान करने हेतु सरकारों/सरकारी को विकसित करने के लिए रचित विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की जांच किया और स्वीकृति प्रदान की।

- आयोग ने] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम] 1956 की धारा 3 के अंतर्गत नए विश्वविद्यालय के दर्जे हेतु ('ए' जिसे 'एफ' श्रेणी के अंतर्गत) मैसर्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज] इलाहाबाद] उत्तर प्रदेश] के प्रस्ताव की जांचपरख करने के लिए रचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की जांच किया और स्वीकृति प्रदान की।

- आयोग ने जीआईईएएस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड रिसर्च के नाम से दोबारा] विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम की शुरुआत करने के लिए रचित इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (जीआईईएएस) (नए विश्वविद्यालय) विश्वविद्यालय] मध्य प्रदेश के प्रस्ताव की जांचपरख करने के लिए रचित विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की जांच किया और स्वीकृति प्रदान की।

- आयोग ने सहविद्यालयों की धारा/विस्तारण स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान करने हेतु स्वायत्तशासी सहविद्यालयों संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों और स्वायत्तशासी सहविद्यालयों से संबंधित अन्य मामलों की जांच किया और स्वीकृति प्रदान की।

- आयोग ने सलाहकार एजेंसी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन (एसएएफईई)] (नए विश्वविद्यालय) द्वारा वर्ष 2004-05] 2005-06 और 2006-07 के दौरान अपनी दो सहयोगी इकाईयों & केन्द्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज] सलेमपुर और केन्द्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज] बैरकपोर में एआईसीटीई द्वारा 15 प्रतिशत से अधिक छात्रों के प्रवेश देने से संबंधित मुद्दे के संबंध में प्राप्त जानकारी पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि एआईसीटीई को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि प्रवेश सलाहकार *समिति उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 अनीश (मिनिन) 5041 ऑफ 2005 में पी.ए. इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार और अन्य मामले में पारित आदेशों के अनुरूप ही किए जाएं।*

- आयोग ने सावन संशोधन विधेयक को (एसआईसी) से संबंधित निर्णय में सुधार किया और यह निर्णय लिया कि वार्षिक विशेष सहायता की अधिकतम सीमा को 1 करोड़ रुपये अथवा वास्तविक व्यय] जो भी कम हो] तक बढ़ाया जाए।

- आयोग ने यह स्वीकृति दी कि राजस्थान के केन्द्रीय विश्वविद्यालय की जारी किस्त वारों की पूरा करने और पूर्ण हो चुके भवनों की वारंटी करने रोकर बनाये रखने के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता के रूप में 45 करोड़ रुपये जारी किए जाएं।

- आयोग ने 24 चुने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रायरुबी योजना और विभिन्न अन्य योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत पदों के विषय की जांच किया और स्वीकृति प्रदान की।

- आयोग ने भारत सरकार के नियमों के अनुरूप नए स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति हेतु एक चार और विश्वविद्यालय के कुलपति हेतु एक एंबुलेंस खरीदने की स्वीकृति प्रदान की।

- आयोग ने 8 विभिन्न नए विश्वविद्यालय संस्थानों (पूर्णतः वित्तपोषित) में रायरुबी योजना और विभिन्न अन्य योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत योजना पदों के विषय संबंधी मामले को सावन संशोधन विधेयक मंत्रालय को संदर्भित करने का निर्णय लिया ताकि सावन संशोधन विधेयक मंत्रालय इस मामले पर सक्षम निर्णय हेतु इसे व्यय विभाग] वित्त मंत्रालय] भारत सरकार के समक्ष रख सके।

- आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों के मामले पर विचार की अनुशंसा किया जिनका वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान प्रवेश नहीं किया जा सका था चूंकि सबका शीर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 2(एफ) और 12(बी) के तहत अथवा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के तहत कवर नहीं था।

- आयोग ने पुडुचेरी विश्वविद्यालय में छात्र और छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय को 27.69 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने तथा 06 नए विशिष्ट भवनों के लिए ऐच्छिक प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा इसे अनुशंसित किया।

2. उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विकास : कुछ आँकड़े

- यूजीसी की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ब) के तहत देश तथा अन्य देशों के विश्वविद्यालयों की शिक्षा से संबंधित मामलों में इस संस्था की भूमिका एकत्रित करने का अधिकार है, जैसा वह समुचित समझता है ।

- शिक्षा के क्षेत्र में समय से तथा सुनियोजित आंकड़े, जिनका सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, प्राप्त करने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में सम्पूर्ण शिक्षा के सभी सूचकों को जानने के लिये डाटाबेस तैयार करने हेतु सम्पूर्ण शिक्षा का अखिल भारतीय सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया है।

- आंकड़ों के संग्रहण तथा संकलन के लिये ऑनलाईन मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम (एमआईएस) की सहायता से एक इंटरैक्टिव पोर्टल (http://aishe.gov.in) विकसित किया गया है। पोर्टल तक पहुंच बनाने तथा डाटा अपलोड करने के लिए सभी संस्थानों को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होता। वि0म0वा0 के मुख्य और सांख्यिकीय ब्यूरो ने वर्ष 2014&15 से नीचे विश्वविद्यालय से आंकड़े संग्रहित करना बंद कर दिया है तथा अखिल भारतीय आधार पर पोर्टल http://aishe.gov.in के माध्यम से आंकड़ों का संकलन तथा प्रोसेसिंग का कार्य किया जा रहा है इसमें यह प्रक्रिया कारगर हो गई है।

- स्वतंत्रता के समय सम्पूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में 2:1 पुरुष छात्रों के साथ देश में केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 महाविद्यालय थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो संख्या विज्ञान थी उसकी तुलना में अब बिल्कुल प्रकाश करने वाले विश्वविद्यालयों के मामले में यह संख्या 42 गुना हो चुकी है। महाविद्यालयों में संबंधित यह संख्या 83 गुना हो चुकी है और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की तुलना में सम्पूर्ण शिक्षा की औपचारिक प्रणाली के अंतर्गत छात्रों का नामांकन 136 गुना हो चुका है।

- दिसंबर 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों की संख्या 753 हो गई है (47 केन्द्रीय, 345 राज्य, 235 राज्य निजी, 123 मान विश्वविद्यालय, राज्य विधान के तहत तीन संस्थान) तथा सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र में 41435 महाविद्यालय स्थापित हुए। (जहां तक राज्यों में स्थापित विश्वविद्यालय का संबंध है, 71 विश्वविद्यालयों के साथ राजस्थान सूची में सबसे ऊपर है, जिसके बाद महाराष्ट्र प्रदेश (64), तमिलनाडु गुजरात (52) तथा कर्नाटक (52), आदि है।

- रिपोर्टाधीन वर्ष 2015&2016 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालयों की सूची में 18 राज्य शासकीय तथा 30 राज्य निजी विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किया गया है और 4 राज्य विश्वविद्यालयों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ब) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया है।

- वर्ष 2015&2016 के दौरान विभिन्न राज्यों में कुल मिलाकर 675 नए महाविद्यालय स्थापित किए गए जिन्हें मिलाकर महाविद्यालयों की संख्या वर्ष 2014&15 के 40,760 से बढ़कर वर्ष 2015&2016 के दौरान 41,435 हो गयी ।

- जिस वर्ष 2015&2016 के अंत तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अंतर्गत सूचना प्राप्त महाविद्यालयों की कुल संख्या 10451 थी। इनमें अब तक धारा 2(च) के तहत सूचना प्राप्त महाविद्यालयों की सर्वाधिक संख्या राजस्थान (2208) जिसके बाद महाराष्ट्र (1316), कर्नाटक (910), तमिलनाडु (546) और गुजरात (534) आदि में हैं।

- शिक्षा सत्र 2015&2016 के दौरान नामांकन पाठ्यक्रमों और विभिन्न विषय के स्तरों पर कुल नामांकन 284.85 लाख था जिनमें 134.66 लाख छात्राएँ थीं, जो कि नामांकन नामांकन का 47.27 प्रतिशत था। राजस्थान प्रदेश में छात्रों का सर्वाधिक नामांकन (57.49 लाख) रहा जिसके बाद महाराष्ट्र (30.55 लाख), तमिलनाडु (23.75 लाख) तथा पश्चिम बंगाल (15.76 लाख) आदि रहा ।

- विभिन्न स्तरों पर छात्र नामांकन प्रतिशत के संदर्भ में स्नातकपूर्व (86.33 प्रतिशत), स्नातकीय (09.71 प्रतिशत), शेष (0.77 प्रतिशत), डिप्लोमा@प्रमाणपत्र (2.63 प्रतिशत) तथा समेकित रूप से (0.56 प्रतिशत) रहा।

- सभी स्नातकपूर्व छात्रों के लगभग 94.53 प्रतिशत तथा समस्त स्नातकीय छात्रों के 75.43 प्रतिशत छात्र संबद्ध महाविद्यालयों में थे, जबकि शेष विश्वविद्यालयों के विभागों और सम्बद्ध महाविद्यालयों में थे।

- छात्रों के कुल नामांकन (284.85 लाख) में से 36.06 प्रतिशत छात्र कला संकाय में थे, जिसके बाद 19.02 प्रतिशत विज्ञान में, 16.28 प्रतिशत वाणिज्य@प्रबंधन में थे। इन संकायों केवल तीन संकायों में 71 प्रतिशत नामांकन था जबकि शेष 29.00 प्रतिशत नामांकन पेशेवर संकायों में रहा।

- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षण संकायों की संख्या पिछले वर्ष की 12.61 लाख की तुलना में से बढ़कर 14.38 लाख हो गई। 14.38 लाख शिक्षकों में से 89.46 प्रतिशत शिक्षक महाविद्यालयों में थे और शेष 10.54 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में थे।
- वर्ष 2014-2015 के दौरान 27327 पी.एच.डी. डिग्री प्रदान की गई। इनमें से सबसे अधिक विज्ञान संकाय में 7617 पी.एच.डी. उपाधियां, तत्पश्चात् कला संकाय में 6890 पी.एच.डी. उपाधियां प्रदान की गई। इन दोनों संकायों में प्रदान उपाधियां कुल उपाधियों का 53.09 प्रतिशत रहीं।
- रिपोर्टाधीन वर्ष 2015-2016 के दौरान सहायक प्रोफेसरों पर वास्तविक प्रति माह व्यय प्रोफेसरों पर प्रोफेसरों का वास्तविक 90 रहा।
- प्रतिशतता के संदर्भ में, महिला वास्तविक प्रवेशों में सर्वाधिक रहा (70.06 प्रतिशत) उसके पश्चात् कला (60.31 प्रतिशत) रहा। परिशुद्ध संख्या में, कला प्रवेश 27.59 लाख के आंकड़ों के साथ महिला वास्तविक के संबंध में सबसे शीर्ष पर रहा जिसके बाद महाविद्यालय (13.87 लाख) तथा व्यावसायिक (12.40 लाख) आदि रहे।
- महिला वास्तविक संकाय में सर्वाधिक (41.13 प्रतिशत) में था। उसके पश्चात् विज्ञान (19.94 प्रतिशत) तत्पश्चात् वाणिज्य (15.91 प्रतिशत) था। तो तीनों संकायों में कुल 76.98 प्रतिशत रहा। जबकि शेष 23.02 प्रतिशत सभी पेशेवर संकायों में था। प्रतिशत के संदर्भ में पेशेवर संकायों में सबसे न्यूनतम महिला वास्तविक अभियांत्रिकी (10.10 प्रतिशत) में रहा।
- वर्ष 1950-51 से भारत तक सम्पूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में सम्बद्धित प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों में संख्या में वर्ष 2015-16 तक यह वृद्धि 26.5 गुना रही। महाविद्यालयों की संख्या में 59 गुना वृद्धि तथा छात्र वास्तविक में 72 प्रतिशत वृद्धि तथा शिक्षकों की संख्या में 61 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।

विश्वविद्यालयों को विकास (योजनागत) और अनुरक्षण (गैर-योजनागत) अनुदान

- केंद्रीय, राज्यों और मान विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता को बढ़ाने, सक्षमता की सुनिश्चित करने में, समग्र शिक्षा प्रदान करने, पारदर्शिता में सुधार करने, प्रशासन को प्रभावी बनाने, छात्रों हेतु सुविधाओं में वृद्धि करने, शोध सुविधाओं को संवर्धित करने और विश्वविद्यालयों की किन्हीं अन्य योजनाओं को सम्मिलित करते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए सामान्य विकास अनुदान सम्प्रेषित किया जा रहा है। नीचित संख्या में विश्वविद्यालयों को उनके शिक्षण तथा शिक्षणेतर मदों दोनों में कर्मचारियों के वेतन के लिए आंशिक व्यय का भुगतान करने, प्रोफेसरशिपों पुनर्गठनों, पदों आदि के पुनर्सृजन, और कुछ अतिरिक्त भुगतानों जैसे करों, पेंशनों, बिजली के बिल, छात्र वृद्धि आदि के लिये अनुरक्षण अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कुछ मानविश्वविद्यालयों को योजनागत और गैर-योजनागत अनुदान दिये जा रहे हैं, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों को केवल योजनागत अनुदान का ही भुगतान किया जा रहा है।
- वर्ष 2015-2016 के दौरान वर्तमान एशियाई विश्वविद्यालय सहित केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 47 थी। इनमें से सात विश्वविद्यालयों नामतः (i) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल, मणिपुर (ii) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (iii) इंडियन सेरीकल्चर यूनिवर्सिटी, रांची (iv) नॉर्थ एशियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली (v) नालन्दा विश्वविद्यालय, बिहार, (vi) राजीव गाँधी राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश और (vii) राधा कृष्णन नई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, मध्य प्रदेश की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनियोजित नहीं किया जाता है। वर्ष 2015-2016 के दौरान केवल 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की योजनागत एवं गैर-योजनागत अनुदानों द्वारा सहायता प्रदान की गई।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 1522.34 करोड़ रुपए का सामान्य विकास अनुदान सम्प्रेषित किया गया। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 24 केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा एक विश्वविद्यालय को 3959.48 करोड़ रुपए का अनुरक्षण अनुदान सम्प्रेषित किया गया।
- वर्ष 2015-2016 के दौरान अल्पसंख्यकों/अल्पसंख्यक संस्थानों/महिलाओं के लिए आवासीय अनुशिक्षण सुविधाओं की स्थापना हेतु अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 654.89 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।
- ऐसे शिक्षकों को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पांच विभिन्न सुविधाओं में से कम से कम दो के अभ्येता रहे हों, उनके लिए विशेष सामान्य योजना के तहत इलाहाबाद तथा पुडुचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय को क्रमशः 0.59 करोड़ रुपए तथा 3.90 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

- इलाहाबाद विश्वविद्यालय को राजीव गांधी पीजी की स्थापना हेतु 20.00 करोड़ रुपए तथा तेजपुर केन्द्रीय विश्वविद्यालय में विवेकानन्द पीजी की स्थापना हेतु 25.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

- वर्ष 2015&16 के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिये सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय को 1000.00 करोड़ रुपए की अनुदान जारी किया गया साथ ही प्रवेश से अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षण सम्बन्धी कोटे के लिए सीटों में विस्तार किया जा सके।

- सात केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की अवसंरचनात्मक विकास हेतु 8389.63 करोड़ रुपए की एकमुश्त अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता प्रत्याभूति (आईक्यूएसी) की स्थापना करने और उसे सुदृढ़ करने के लिए विधियां उपलब्ध कराता रहा है। वर्ष 2015&16 के दौरान अमीरुद्दीन तैयबजी विश्वविद्यालय तथा हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मेवात की 4.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सेवा विश्वविद्यालय की संकल्पना की आरंभ किया ताकि चयनित प्रौद्योगिकियों का आयोग और विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा क्षेत्रवर्धन के संसाधनों की मांग किया जा सके ताकि मात्र विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध क्षेत्रवर्धन के संसाधनों से पूर्णतापित हो सकें।

- वि0श्व0अ0 ने 19 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा विभाग के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न शिक्षण तथा शिक्षणेतर पदों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था, को विस्तार करने की संस्तुति किया है वर्तमान में, 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय@विभाग हैं जो विभिन्न पूर्व&सेवाओं (प्री&सर्विस) तथा अन्य अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षा की पेशकश कर रहे हैं।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यमान दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों यानी तेजपुर विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, हिमाचल विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राईबल यूनिवर्सिटी, झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा विश्व भारती की सुदृढ़ीकरण सहायता योजना की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है। वर्ष 2015&16 के दौरान योजना के तहत इन सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 1325.00 करोड़ रुपए की अनुदान जारी किया गया था।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों यानी अमीरुद्दीन तैयबजी विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और नालिया सिन्धिया इन्दौलिया की सभी साध्य के शिक्षकों के पेशेवर विकास हेतु केन्द्रों की स्थापना करने के लिए विधियां उपलब्ध कराता रहा है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी निर्णय लिया की कोई भी सार्वजनिक शिक्षण संस्थान अथवा इसके संकाय, विभाग, केन्द्र अथवा समके अंतर्गत कोई इकाई, जिसे इस विधी की तारीख से जारी जारी हो, यदि वह 31 दिसम्बर, 2015 तक एपएएसी द्वारा मूल्यांकन अथवा प्रत्यायन नहीं कराते हैं तो वह 1 जनवरी, 2016 से आयोग की किसी भी योजना के तहत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने अथवा प्राप्त करने का पात्र नहीं होगे।

- 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 24 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने एपएएसी प्रत्यायन प्राप्त किया है। 03 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने पूर्व में प्रत्यायन प्राप्त किया था परंतु प्रत्यायन की अवधि पूर्ण हो गई है तथा सभी ने पुनर्प्रत्यायन हेतु आवेदन किया है। 11 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने पहली बार प्रत्यायन हेतु आवेदन किया है, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यायन हेतु आवेदन किया जाना शेष है। एक चयनित स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रत्यायन हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों में सामाजिक सामंजस्यपूर्ण तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावे के लिए केन्द्रों की स्थापना हेतु दिशानिर्देश तैयार किये हैं।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने अस्तित्व में आने के सौ वर्ष पूर्ण करने वाले विश्वविद्यालयों की विशेष विरासत वाले विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिये ऐसे विश्वविद्यालयों की बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 10.00 करोड़ रुपए की एकमुश्त अनुदान जारी करने की एक योजना तैयार की है।

दिसंबर 4 से 6 दिसम्बर, 2015 को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का तीन दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न दिशानिर्देशों की गई:

- शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना।
- वर्ष 2020 तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 30 प्रतिशत तक बढ़ाना।
- गाइडलाइंस को विधिवत रूप से सरल तथा संशोधन।
- सभी भारत अभियान & एक से एक जुड़ें जैसी योजनाओं की शुरुआत तथा सभी शैक्षिक और तकनीकी संस्थानों को एक साथ लाना ताकि ऐसे समाधान की पेशकश करना जिससे छात्रों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके।
- एसएएमी की स्थापना।
- समीक्षा करना जैसे।
- एसआईआरएफ & वेरी रैंकिंग ताकि क्षेत्र वेहतर संस्थानों एवं गुणवत्तापूर्ण के आधार पर प्रदान की विशेष प्राप्त हो सके।
- अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग& सम्बन्धित शिक्षा की वैश्विक गुणवत्ता& रैंकिंग करने वाली एजेंसियों के साथ शिक्षकों का संपर्क स्थापित करना जो अंतर्राष्ट्रीय सेमेस्टर प्रदान करते हैं और इन्हें अन्य संबंधित कारकों में जोड़ते हैं।
- विदेशी संस्थानों, समकक्षों, पूर्व छात्रों से संबंध स्थापित करना।
- वैश्विक मानक तथा ढांचे से जुड़ने जैसी चुनौतियों के लिए समाधान ढूंढना।
- व्यवसायी पारिस्थितिकीय प्रणाली का सृजन करना ।
- सभी विश्वविद्यालयों के बीच संबंध स्थापित करना जिसका मुख्यतारी प्रभाव पड़ेगा।
- तकनीकी में ऐसेस प्रौद्योगिकी में संयुक्त डिग्री स्तरीय पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए डीएचयू&विदेश के बीच समझौता।
- नई पहलें की शुरुआत: शिक्षण के क्षेत्र में सुधार करना, ऐसी शिक्षा प्रदान करना जिसमें छात्र का चरित्र विकास हो और वैश्विक मूल्य का समावेश हो तथा सीखना अनुभवपूर्ण आदि को वेहतर अनुसंधान तथा समर्थन हो सके।
- वेहतर गुणवत्तायुक्त शोध&प्रायोजित शोध, एमओयू/एमओए, पीठों की स्थापना, छात्र और संकायों की भर्ती की प्रति वेहतर अंतःसंबंधों के क्षेत्रों का विस्तार करना।
- उच्च नीति विश्लेषण में संबंधित विषयों पर मासिक विमर्श और सार्वजनिक के क्षेत्र में शोध को सुदृढ़ करना।
- संशोधित ब्यौरा ऑनलाइन सुदृढ़ पाठ्यक्रम (एसओसी)& ई&सामग्री को तैयार करना जो अंतर्विषयवार्ती, ब्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने संबंधी आवश्यकताओं इत्यादि को अवगत की अवगतों की पेशकश करेगा।
- सुलभ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ एजुकेशन वेवर्ल्ड (सीआईएएल) वास्ते कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशी अकादमिक मामलों को देश में आने और यहां मंत्रालयों में पढ़ाने का अवसर देना।
- समकक्षों के साथ अंतर्संबंध&विश्वविद्यालयों को समकक्षों के साथ अंतर्संबंधों का प्रबंधन करने तथा समन्वय करने के लिए मंत्रालय&अध्यक्ष के कार्यालय स्थापित किया जाए।
- स्नातकपूर्व छात्रों के लिए प्रायोजित इंटरनशिप की बढ़ावा दिया जाए। साथ ही सहयोग और कौशल विकास हेतु पाठ्यक्रम की भी बढ़ावा दिया जाए।
- सीधा सम्बन्ध केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षण विंग की सुदृढ़ किया जाए और शिक्षा के भविष्य विद्यालय में समन्वय किया जाए तथा शिक्षण के पेशे में नए पेशेवरों के आकर्षित की सुदृढ़ किया जाए। पूरे देश के कुछ शैक्षणिक संस्थानों, जिनमें मंत्रालय की भर्ती करते हों, ऐसे भी शिक्षकों, समकक्ष@इंटरनेशनल इंटर्नशिप योजना आदि चलाते हों सभी मंत्रालय विकास अवसरों की स्थापना की जाए।
- मानवाधिकार विकास&मंच सुलझाने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों के विकास करने के लिए मानवाधिकार विकास करना। अवसरों डाले में छात्र&समुदाय का औपचारिक संलग्न करना तथा समकक्षों की व्यवसायीकरण में शामिल करना ।
- सीधा प्रवेश।
- ब्रिज मंत्रालयीकरण।
- छात्रों में सभी गुणवत्तायुक्त विकास सुनिश्चित करने के लिए सामान मंत्रालय विकास मंत्रालय के सहयोग से 'शीर्ष यात्री' की तर्ज पर विश्वविद्यालयों द्वारा अध्येतावृत्ति कार्यक्रम शुरुआत।

- प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता और समानता की बढ़ावा देना।
- सार्वजनिक संस्थानों की स्थापना करना एवं विशेषज्ञता की आवश्यकता करने के लिए विकास कार्यक्रमों की स्थापना करना।
- छात्रों की विकास के शासकीय विद्यालयों में प्रतिधारण एवं पहले और दसवें से 12 वीं बढ़ाने का कार्य सौंपना।
- आस-पास के क्षेत्रों में विकास करने वाले लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए समुचित आधारित परियोजनाओं की आरंभ करना।

दिनांक 18 फरवरी, 2016 को मुरलीकुण्ड में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन में निम्नलिखित टिप्पणियों की सर्वसम्मति से पारित किया गया:

& छात्र समुदाय की सकारात्मक सम्पर्कियों को इष्टतम बनाने के लिए विश्वविद्यालयों की वरिष्ठ छात्रों और संकायों की शामिल करते हुए मजबूत संस्थागत प्रणाली के साथ से समुदायों&सम्बन्धित अभ्यास की संस्थागत बनाना।

& छात्रों, कर्मचारियों तथा संकाय सहित विश्वविद्यालय समुदाय की शिकायत निवारण प्रणाली हेतु एक पारदर्शी और मजबूत तंत्र सुनिश्चित करने के लिए एक समाधान&तेजी अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए कदम उठाना।

& प्रारंभिक शिक्षा में ठहराव और पारदर्शिता की बढ़ावा देना एवं ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करना।

& प्रारंभिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात की 30 प्रतिशत तक बढ़ाना, अवसंरचनात्मक तथा मानव संसाधन संबंधी अवरोध से निपटने के लिए दो पालियों में कक्षाएं आरंभ करना जिनसे गुणवत्ता हो जाए।

& वैश्विक ज्ञान में तेजी से सामंजस्य स्थापित के साथ के साथ के साथ विकास करने के लिए राष्ट्र की मानव आवश्यकताओं हेतु सक्षम और व्यवहारी पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं:

(क) सामाजिक विज्ञान और मानविकी
- (i) विदेशी भाषाओं अनुप्रयुक्त पाठ्यक्रम
- (ii) बच्चा शैक्षिक और युवा
- (iii) संगठन&तत्र अभ्यास
- (iv) संस्कृतियों और समाजों पर विमर्श
- (v) सक्रियाएं और सक्षमशीलता
- (vi) सहयोगी विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य
- (vii) वृद्धावस्था के ग्रेड संबंधी अभ्यास
- (viii) साक्षरिकता और सूचनापरक शिक्षा
- (ix) डाटाबेस संबंधी अभ्यास

(ख) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कृषि
- (i) जैव प्रौद्योगिकी
- (ii) कार्यवर्धित प्रौद्योगिकी
- (iii) अनुप्रयुक्त विज्ञान और गणित
- (iv) कृषि व्यवसाय प्रबंधन और सक्षमशीलता
- (v) कृषि प्रौद्योगिकी
- (vi) खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
- (vii) नवीकरणीय ऊर्जा विकास

& यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियों के कारण कोई भी छात्र प्रारंभिक शिक्षा से वंचित न हो, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करे कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और राज्य में प्रचलित मातृभाषा हो।

& छात्रों की सक्षम नियुक्ति और पेशेवर निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाने हेतु विशेषज्ञों द्वारा व्यापक विश्लेषण और पारदर्शी पेशेवर पद्धति से हितधारक किया जाए।

& सुविधाओं के उपयोग की दृष्टि से सुरक्षित और अनुकूल परिवेश तैयार करने के लिए छात्र, कर्मचारियों और संकाय समुचित निवारण तंत्र स्थापित करें और सीसीटीवी प्रणाली को मजबूत करें।

& प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुछ चयन पर व्यावसायिक रूप से तथा अर्थ के साथ राष्ट्रीय स्तर पेशकिया जाएA

& छात्रों की सामाजिक रूप से जागरूक तथा जिम्मेदार नागरिक बनाना तथा युवाओं में देश के प्रति लगाव की भावना पैदा करना तथा सामाजिक सामंजस्य हेतु प्रतिबद्धता] सक्षम भारत अभियान के तहत गांवों में ही कम से कम एक गोद लेने की योजना के कार्यान्वित की सुदृढ़ करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिएA

& सेवाओं की गुणवत्ता तथा त्वरित सुपुर्दगी हेतु प्रशासनिक सुधार के साथ ई&गवर्नेंस की प्राथमिकता से आगे बढ़ाया जाना चाहिएA

& यह सुनिश्चित आईआईएम में कुलपतियों] सह कुलपतियों तथा कुल सचिवों हेतु चेतृत्व तथा प्रबंधन विषय पर एक मंत्रालय की पाठ्यक्रम हैA

- 31 मार्च] 2016 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत 345 राज्यों के सार्वजनिक तथा 235 राज्य निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थीA वित्त वर्ष 2015&16 के दौरान सामान्य विकास सहायता के तहत राज्य विश्वविद्यालयों को 14587.11 लाख रुपये की विकास अनुदान प्रदान किया गयाA
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एनएयू अनुसार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग@(अल्पसंख्यक वर्ग)@अल्पसंख्यकों हेतु अनुशिक्षण योजना के तहत 137 राज्य विश्वविद्यालयों को 2195.67 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गईA
- वर्ष 2015&16 के दौरान सामान्य विकास सहायता योजना के तहत एघईआर राज्य विश्वविद्यालयों को 551.44 लाख रुपए की राशि मंत्रीकृत की गईA
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2015&16 के दौरान "स्वच्छ भारत&स्वच्छ भारत" नामक नई योजना आरंभ की हैA इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय सामान्य विकास अनुदान का आयोग करने जिसे सबसे ही राज्य विश्वविद्यालयों को आवंटित किया जा चुका हैA
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मूलभूत और सहार प्रौद्योगिकी के जरिये राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की केंद्र प्रायोजित योजना स्कीम के तहत वर्ष&दृष्टि केवेविवि प्रदान कर रहा हैA वित्त वर्ष 2015&16 के दौरान 58 राज्य विश्वविद्यालयों को 5.56 करोड़ रुपए की राशि मंत्रीकृत की गईA
- सेज&योजनागत अनुदान हेतु पंजाब विश्वविद्यालय] चंडीगढ़ को 176.00 करोड़ रुपए की राशि मंत्रीकृत की गईA
- दिनांक 31.3.2016 की स्थिति के अनुसार 123 सह विश्वविद्यालय थेA 123 सह विश्वविद्यालयों में से 18 सह विश्वविद्यालयों को योजनागत अनुदान तथा 10 सह विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण एवं विकास] दोनों अनुदान प्रदान कर रहा हैA
- वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामान्य विकास योजना के तहत सह विश्वविद्यालयों को 5505.43 लाख रुपये की राशि जारी कीA
- वर्ष 2015&16 के दौरान 10 सह विश्वविद्यालयों को सेज&योजनागत अनुदान (अनुरक्षण अनुदान) के तहत 27050.08 लाख रुपये की राशि जारी की गई हैA
- दिनांक 31.03.02016 की स्थिति के अनुसार देश में 235 निजी राज्य विश्वविद्यालय हैंA इन 235 निजी राज्य विश्वविद्यालयों में से 168 निजी राज्य विश्वविद्यालय वर्ष 2010 के बाद स्थापित हुएA

4. महाविद्यालयों को विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (गैर-योजनागत) सहायता

- विकास हेतु सहायता का बल] गुणवत्ता अवसंरचना का सृजन और शिक्षण&सीख अनुभव की प्रक्रिया की सशक्त करने पर रहा हैA सौजूदा संस्थानों में सुविधाओं के विस्तार तथा नई सशक्त करने] आधुनिकीकरण के साधन से स्तरों में सुधार करने] विशेषरूप से स्नातक&पूर्व पाठ्यक्रमों की जरियें के अवसरों में जोड़ने के लिए] नई औद्योगिकपूर्ण तथा विविध बनाने पर जोर दिया गया हैA शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पर्याप्त सुविधाएँ सौजूद नहीं हैं] वहां पर भी नये महाविद्यालयों की स्थापना करना आयोग की एक प्राथमिकता है A
- दिनांक 31 मार्च] 2016 तक देश में 41435 महाविद्यालय थेA इसमें से 31 मार्च] 2016 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(f) के अंतर्गत केवल 10451 महाविद्यालयों अर्थात् 25.22 प्रतिशत की संख्या प्राप्त हैA कुल 10451 महाविद्यालयों में से मात्र 8615 महाविद्यालय ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(बी) के अंतर्गत अनुदान

प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। सहविद्यालय क्षेत्रों से संबद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सभी योजनाओं@कार्यक्रमों का क्रियान्वयन] हैदराबाद] पुणे] गौहाटी] कोलकाता] गुवाहाटी] दिल्ली और बंगलुरू# में स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से होता है।

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहविद्यालय विकास योजना के अंतर्गत 5611 पात्र सहविद्यालयों को 663.01 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।
- वर्ष 2015&16 के दौरान सहिष्णु भारतवर्ष के निर्माण की योजना के तहत 232 प्राथमिकी (सहविद्यालयों) को क्षेत्रीय कार्यालयों से 27.69 करोड़ रुपए की अनुदान जारी किया गया।
- वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों से 548 प्राथमिकी (सहविद्यालयों) को सहविद्यालयों की विकास सहायता के लिए 63.73 करोड़ रुपए की अनुदान जारी किया।
- वर्ष 2015&16 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों से 135 प्राथमिकी (सहविद्यालयों) को स्वायत्त सहविद्यालय की योजना के तहत 23.34 करोड़ रुपए की अनुदान जारी किया।
- वित्त वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालयों से शिक्षकों हेतु लघु शोध परियोजना स्कीम के तहत बिहार में 14.29 करोड़ रुपए तथा छत्तीसगढ़ में 7.87 करोड़ रुपए की अनुदान प्रेषण बिहार के 1487 तथा छत्तीसगढ़ के 1979 शिक्षकों को जारी किया।
- वित्त वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालयों से मंत्रोष्ठियों@परिसंवाद@कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के 1398 प्रस्तावों को अनुमोदित किया तथा पात्र सहविद्यालयों को 11.48 करोड़ रुपए की राशि जारी की।
- वर्ष 2015&16 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों से मेजर विकास कार्यक्रम योजना के तहत 1263 प्राथमिकी (शिक्षकों) को 29.78 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सभी विश्वविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना करने का एक नीतिगत निर्णय लिया है जिसके लिए इसने प्रत्येक सहविद्यालय को आईक्यूएसी की स्थापना करने तथा उसे सुदृढ़ करने हेतु वित्त वर्ष के लिए आवर्तक राशि (मीड वाली) के रूप में 3.00 लाख रुपए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। वर्ष 2015&16 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों से इस योजना के तहत 39 प्राथमिकी (सहविद्यालयों) को 0.09 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया।
- वर्ष 2015&16 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों से सहविद्यालयों में विज्ञ अवसंरचना तथा सशक्तिकरण योजना के तहत 259 प्राथमिकी (सहविद्यालयों) को 55.46 करोड़ रुपए की अनुदान जारी किया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सह सहविद्यालयों की विशेष विरासत योजना को पूर्ण प्रदान कर रहा है जिन्होंने वर्ष 2015&16 के दौरान अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लिये हैं तथा अन्य शिक्षा के क्षेत्र में और देश के लिये इतिहास के सांस्कृतिक] सामाजिक और वैज्ञानिक ताने&बाने की बनाये रखने में अतिरिक्त योगदान दिया है] वर्ष 2015&16 के दौरान 09 सहविद्यालयों को 6.85 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता दी गई है।
- वर्ष 2015&16 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के 53 सहविद्यालयों को कुल 1439.28 करोड़ रूपये की राशि अनुरक्षण अनुदान के रूप में दी प्रदान की गई और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 4 घटक सहविद्यालयों को 35.75 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया।
- दिल्ली विश्वविद्यालय के 64 सहविद्यालयों को सामान्य विकास] सहिष्णु भारतवर्ष तथा विज्ञ&कूल अवसंरचना] खेल विकास तथा मंत्रोष्ठि@महोत्सव@कार्यशाला के लिए 372.54 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

5. गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता

- शिक्षण और शोध में सर्वोत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] 15 चिह्नित विश्वविद्यालयों को सर्वोत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों (यूपीई) का दर्जा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष 2015&16 के दौरान दिनांक 31.03.2016 तक विश्वविद्यालयों को 67.10 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोग ने चुने हुए विषयों को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष क्षेत्र में विश्वविद्यालयों में सर्वोत्कृष्टता की संभाव्यता वाले 12 केन्द्रों की अनुमोदित किया ताकि वे एक साथ कार्य कर सकें और संयुक्त रूप से वहीन उपयोगी शैक्षिक शोध कार्यक्रम आरंभ करने में सक्षम हों। इन केन्द्रों ने केवल सभी

पंचवर्षीय योजना के दौरान ही कार्य करना आरंभ किया A ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीपीईपीए योजना के तहत 12 केन्द्रों का भी प्रस्ताव किया गयाA वर्ष 2015&16 के दौरान योजना के तहत 24 केन्द्रों में से वर्ष 21 केन्द्र कार्य कर रहे थेA सभी केन्द्रों की समीक्षा की गई और सबसे जारी रखने की सिफारिश की गई A वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सीपीईपीए योजना के तहत 9 नए केन्द्रों का प्रस्ताव किया है& पांच वर्षों के लिए (2016&21) के लिए 4 केन्द्र सामाजिक तथा मानविकी विज्ञान और 5 केन्द्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में हैंA

- महाविद्यालयों में गुणवत्ता में सुधार करने और महाविद्यालयों में शोध की संस्कृति को मजबूत करने के लिए] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय" (सीपीई) योजना एक योजना आरंभ की हैA वर्तमान में] 296 महाविद्यालयों को सीपीई दर्जा प्राप्त है तथा 14 महाविद्यालयों को उत्कृष्टता के महाविद्यालय (सीई) दर्जा प्राप्त है इस प्रकार] वर्ष 2015&16 के दौरान इस योजना के तहत कुल 310 महाविद्यालय हो गए हैंA वर्ष 2015&16 के दौरान इन महाविद्यालयों को 72.66 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थीA

- आयोग ने वर्ष 2001 में विभिन्न अंतर&विषय क्षेत्रों में अध्यापकों तथा शोध पर "चुने केन्द्रों को श्रेष्ठता@उत्कृष्टता के संस्थान" की नई योजना की आरंभ किया A वर्तमान में] 28 चयनित देव विश्वविद्यालय] अनुसंधान में भी 28 अंतर संबंधित में राष्ट्रीय महत्व का एक केन्द्र चल रहा हैA वर्ष 2013&14 के दौरान 4.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थीA बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान योजना को बंद कर दिया गया हैA

- प्रत्यक्षीकृत शिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने तथा शोध में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) के तहत जीव विज्ञान] अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी] मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान महित विज्ञान के विश्वविद्यालय विभागों की सहायता प्रदान की जा रही हैA वर्ष 2015&16 के दौरान एसएपी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या पिछले वर्ष की 863 की तुलना में 879 रही हैA वर्ष 2015&16 के दौरान सीएएस स्तर पर 154 विभागों तथा डीएएस स्तर पर 82 विभाग तथा डीआरएस के स्तर पर 643 विभागों की वित्तीय सहायता प्रदान की गईA

- आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ब) के अंतर्गत संस्थान्वित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों को शैक्षिक स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सबसे स्वायत्तता की दर्जा प्रदान कर रहा हैA 31.03.2016 तक 23 राज्यों के 99 विश्वविद्यालयों के 556 महाविद्यालयों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किया जा चुका हैA रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 135 स्वायत्त महाविद्यालयों को 23.34 करोड़ रू0 का अनुदान जारी किया गया था A

- 66 स्नातक संकाय विकास केन्द्र (एपएआरसी) तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसी)] (अकादमिक स्टाफ कॉलेज&एएसी) विभिन्न विषयों में शिक्षकों के पेशेवर विकास हेतु एक वृहत कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैंA वर्ष 2015&16 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों में चल रहे इन केन्द्रों के कार्यकरण हेतु 51.86 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गयाA

- हिन्दी भाषा की बढ़ावा देने की दिशा में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राजभाषा अनुभाग ने कर्मचारियों के लिए विशेष प्रेरणा] टिप्पण और समीक्षा प्रेरणा और हिन्दी टंकण प्रतियोगिताओं का आयोजित किया कार्यशालाओं का संचालन किया और हिन्दी पत्रिकाओं एवं हिन्दी विषय सामग्री प्रकाशित की गईA वर्ष 2015&16 के दौरान आयोग ने क0ख0ग0 के 04 केन्द्रीय@राज्य@मान विश्वविद्यालयों को कए हिन्दी विभागों की स्थापना करने और 14 हिन्दी विभागों का सशक्त करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया तथा पुस्तकों और पत्रिकाओं] मॉडियों@सीडियों के आयोजन पर 66.25 लाख रुपए की व्यय किया गयाA मान शीर्ष के तहत 50 लाख रुपए की राशि जारी की गईA 06 क0ख0ग0 कर्मचारियों को हिन्दी टंकण तथा आशुलिपि का प्रशिक्षण प्रदान किया गयाA

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अमेरिका] ब्रिटेन] इजराइल] चाइना तथा न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ संयुक्त शोध कार्यक्रम चल रहा है तथा साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय] शोध कार्यक्रमों आदि के संचालन से भारतीय विद्वानों की सबके शोध क्षमता को बढ़ावा देने का प्रयास किया हैA वर्ष 2015&16 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 18.05 करोड़ रुपए का व्यय हुआA

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] युवा भारतीय शोधकर्ताओं तथा शिक्षकों की सहयोगी अवसंरचना बनाने के उद्देश्य से अमेरिका में पोस्ट&डॉक्टोरल शोध हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों की घोषणा की गई है। वर्ष 2015&16 के दौरान 183 आवेदनों की यह अभ्यर्थियां प्राप्त की गईं।

- इन्फोसिस विश्वविद्यालय और यूनाईटेड किंगडम] भारत में विश्वविद्यालय तथा विभिन्न महाविद्यालय में सहयोगी संकाय सदस्यों की शोध क्षमता बढ़ाने में सहयोग बनाने के लिए 10 इन्फोसिस विभिन्न अभ्यर्थियों की घोषणा की गई है। इन्फोसिस आयोग द्वारा इन अभ्यर्थियों के लिए दो भारतीय विभिन्नों का चयन किया गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय छात्रों में इंजरी में स्नातक] स्नातकोत्तर तथा डॉक्टोरल अध्ययन के लिये आवेदन आमंत्रित किये। वर्ष 2015 के दौरान इंजरी छात्रवृत्ति बोर्ड द्वारा 133 भारतीय छात्रों का चयन किया गया।

- वर्ष 2015 के दौरान जर्मनी के साथ वैज्ञानिकों के आदान&प्रदान हेतु कार्यक्रम के लिये एक अभ्यर्थी का चयन किया गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा जर्मन अकादमिक एक्सचेंज सर्विस (डीएएडी) द्वारा तैयार किये गये परियोजना आधारित कार्मिक आदान&प्रदान कार्यक्रम (पीपीपी) के तहत वर्ष 2015 के दौरान एक अभ्यर्थी का चयन किया गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग&यूकेआईईआरआई थिंकटैंक भारतीयारियां यूके और भारत में संस्थान & आधारित सिक्के शोध क्षमता वाले शोध दलों टीमों के बीच प्रस्तावित है। थिंकटैंक भारतीयारी के तहत वर्ष 2014&15 के दौरान 10 संयुक्त शोध परियोजनाएं प्राप्त की गईं।

- शिक्षा में भारत&अमरीका कार्यनीतिक भागीदारी बनाने एवं उसे बढ़ाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि के रूप में वर्ष 2009 में भारत&अमरीका 21वीं शताब्दी ज्ञान पहल की घोषणा की गई। वर्ष 2015 के दौरान 4 भारतीय पीआई&संचालित वाले और 4 अमरीकी पीआई&संचालित वाली परियोजनाएं वित्तपोषण हेतु अनुमोदित की गईं।

- कोलंबिया यूनिवर्सिटी इंडिया इनिशिएटिव के तहत वर्ष 2015&16 के दौरान भारत लोक शिक्षा सेवा कार्यक्रम के तहत के रूप में 30 लोकसेवी विद्यार्थियों के आदान की व्यवस्था हेतु कोलंबिया विश्वविद्यालय] न्यूयॉर्क की 12.52 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि वितरित की गई है।

- भारत&यूनीसेफ संयुक्त शोध परियोजना के तहत वर्ष 2014 के दौरान 7 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था।

- भारत&इजराइल संयुक्त शोध कार्यक्रम के तहत] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा इजराइल साइंस फाउंडेशन (आईएसएफ) ने संयुक्त&शोध परियोजना हेतु वर्ष 2015 के दौरान 11 प्रस्तावों की आमंत्रित किया।

- व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में इंडो&कैरीबियाई सहयोग कार्यक्रम (आईएसीपी) एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य भारत तथा कैरेबियाई के द्वीप व्यावसायिक शिक्षा संपर्क को बढ़ाना है। व्यावसायिक शिक्षा पर एक सलाहकार समिति तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विoअoआ०) भारत और 'कैरीबियाई मैन्यूफैक्चरिंग फेडरेशन की&कैरीकॉम इंक एसोसिएशन' (एमआईयू) के बीच शिक्षा सहयोग समझौते पर दिनांक 14 फ़रवरी] 2014 को हस्ताक्षर किये गये थे। वर्ष 2014 के दौरान आईएसीपी के तहत] विoअoआ०] भारत तथा एमआईयू] कैरेबियाई से तीन वर्ष की अवधि के लिए 13 परियोजनाओं का चयन किया गया।

- आस्ट्रेलिया&भारत शैक्षणिक परिषद् (एआईएसी) ने कोलिया सिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय] नई दिल्ली की छात्र स्थानांतरण विषय पर एक परियोजना आवंटित की।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] अध्यापन और शोध के पेशे में प्रवेश करने वालों के लिए न्यूनतम मानदंड सुनिश्चित करने हेतु सहायक प्राध्यापक तथा समकक्ष अनुमोदन अभ्यर्थियों के लिए एक वर्ष में दो बार एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा (सेट) (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर&सेoमोo) किया गया) आयोजित करता है। सेट परीक्षा 79 विषयों में से कुछ 89 केन्द्रों पर आयोजित की जाती है। दिनांक 28 जून] 2015 तथा 27 दिसम्बर] 2015 की सहायक प्राध्यापक हेतु आयोजित विoअoआ०&सेट परीक्षा में बैठने के लिए क्रमशः 5.17 और 5.67 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी तथा इनमें से क्रमशः 25012

(4.83 प्रतिशत) तथा 23501 (4.14 प्रतिशत) अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। कम्प्यूटर अनुप्रयोग अभ्यास हेतु क्रमशः 3.25 तथा 3.69 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी तथा इनमें से क्रमशः 4357 (1.34 प्रतिशत) तथा 3710 (1.01 प्रतिशत) अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से "सी0एच0आई0आर0" विधान के 5 विषयों में सेट परीक्षा संचालित करता है। जून 2015 तथा दिसम्बर 2015 में संयुक्त सीआईएचआर&सी0डब्ल्यू0सी0 सेट परीक्षा आयोजित की गई तथा प्रत्येक परीक्षा में 1200 सी0डब्ल्यू0सी0&सी0आर0एच0 सम्मिलित क्रमशः 3348 तथा 3622 अभ्यर्थियों की सहायक आचार्य हेतु अर्हता पाया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ग्रामीणों@ग्रामीणों के समूहों की ग्रामीण पात्रता परीक्षा (सेट) के संचालन के लिए भी प्रावधान किया है। जिन अभ्यर्थियों ने 1 जून 2002 से पूर्व स्नातकोत्तर के लिए ग्रामीण पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण की है, वे अभ्यर्थी "सेट" परीक्षा में बैठने के लिए छूट के पात्र हैं। जून 2002 अथवा उसके बाद होने वाली सेट परीक्षाओं में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी, ग्रामीण के केवल उन विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों में व्याख्याता@सहायक आचार्य के पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, जहाँ उसके सेट परीक्षा उत्तीर्ण की है।

- वर्ष 2015&2016 के दौरान हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर, मेघालय और आंध्रप्रदेश (संयुक्त रूप से) में स्थित छत्रीस ग्रामीणों ने सफलतापूर्वक सेट परीक्षा आयोजित की। सेट परीक्षा संचालित कर होने वाले व्यय की संबंधित ग्रामीणों द्वारा वहन किया जाता है।

- यात्रा अनुदान योजना के अंतर्गत 634 महाविद्यालय के शिक्षकों, 02 कुलपतियों ने अपने शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए इस सुविधा का लाभ लिया। सम्मानी विदेश यात्रा, पंजीकरण शुल्क, ठहरने के लिए आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रावधान की जाती है। स्थायी पद पर नियुक्त शिक्षक@ग्रंथपाल अपने तीन वर्ष में एक बार और कुलपति तथा आयोग के सचिव तथा वि0अ0आ0 के अधिकारी दो वर्ष में एक बार इस सुविधा का लाभ लेते हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लाभार्थियों को 11.50 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (xxx) के तहत स्थापित केन्द्रों के रूप में स्थापित सात अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आई0यू0सी0), भारतीय विश्वविद्यालयी प्रणाली में कार्य कर रहे हैं ताकि अपेक्षित क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान कर और अत्याधुनिक सम्पर्कन और सहयोग सुविधा तक व्यापक प्रदान कर विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों की सामान्य सुविधाएँ, सेवाएँ एवं कार्यक्रम आदि सम्पन्न कराने का लक्ष्य। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सात अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों@21 सीडिया केन्द्रों की योजनागत अनुदान के रूप में 135.93 करोड़ रुपये तथा गैर&योजनागत अनुदान के रूप में 108.26 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चयनित विश्वविद्यालयों में 4 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों की स्थापना की है तथा सभी नियमित रूप से सहायता प्रदान की। वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन केन्द्रों को 3.84 करोड़ रुपये की राशि का अनुदान जारी किया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय तथा व्यापारिक, शिक्षण&प्रशिक्षण प्रक्रिया, परीक्षा तथा मूल्यांकन में सुधार और शैक्षणिक सामग्री तथा गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए किए गए प्रयास सभी से सीबीसीएस भी एक क्षेत्र है। सीबीसीएस के तहत वर्तमान में विश्वविद्यालयों में अपनाई जा रही अंक सांख्यिक प्रणाली से ग्रेड और मूल्यांकन की ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाने का अनुरोध किया गया है।

6. शोध संवर्धन

- "शिक्षकों के लिए शोध परियोजनाएँ योजनाओं का मुख्य उद्देश्य, विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय@महाविद्यालय के शिक्षकों के शोध कार्यक्रमों की सहायता प्रदान कर माध्यमिक शिक्षा में शोध में गुणवत्ता की बढ़ावा देना है। इसमें, वृद्धिशील क्षेत्र, पर्यावरण, जैसे प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान, डब्ल्यू.टी.ओ. और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव आदि कुछ ऐसे क्षेत्र तथा विषय विशेषज्ञ द्वारा चयनित अन्य क्षेत्रों पर कम किया जायेगा जिसमें भी विधाएं तथा विषय सम्मिलित हों। भाषा@कला@विधि आदि सहित विज्ञान और सामाजिक विषयों में अभियांत्रिकी@प्रौद्योगिकी@चिकित्सा@फार्मेसी@कृषि तथा

भारत विज्ञान में वृहत शोध परियोजनाओं के लिए अनुदान राशि रु0सी0 अधिकतम 20:00 लाख रु0 तथा 15:00 लाख रु0 होगी। यह तक कि सेवानिवृत्त शिक्षक भी 70 वर्ष की आयु तक शोध परियोजना आरंभ कर सकते हैं। वर्ष 2015&16 के दौरान वि0अ0आ0 ने 2900 युवा शोध परियोजना अन्वेषियों की 107:00 करोड़ रुपये की कुल अनुदान जारी किया गया।

- शोध अवार्ड योजना] पात्र विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के स्थायी शिक्षकों द्वारा किया शोध कार्यनिष्पादन प्राप्त किए अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में पांच वर्ष की पूर्णकालिक स्वतंत्र अनुसंधान करने वाले शिक्षकों के लिए तैयार की गई है। 45 वर्ष से कम आयु वाले डॉक्टोरेट उपाधि धारक शिक्षकों को यह अवार्ड प्रदान करने हेतु विचार किया जाता है। प्रत्येक चुनाव वर्ष] सभी विषयों में 100 फैलोशिप के लिए चयन किया जाता है। वर्ष 2015&16 के दौरान 143 अवार्ड धारकों को 11:49 करोड़ रूपये का अनुदान किया गया।

- "शोध वैज्ञानिक योजना" के अन्तर्गत विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए और शोध में सक्रिय सुलझाना विकसित करने के लिए वर्ष 1983 में यह योजना आरंभ की गई और पुनः की गई थी। वर्तमान में] 67 शोध वैज्ञानिक विभिन्न भारतीय संस्थानों में कार्यरत हैं। वर्ष 2015&16 के दौरान इस 31 शोध वैज्ञानिकों के वेतन एवं आकस्मिक व्यय पर कुल 6:50 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

- 'अ0जा0@अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट डॉक्टोरेट अध्येतावृत्ति' की एक नई योजना' का उद्देश्य अ0जा0@ अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों को उनके चयनित क्षेत्र में सक्रिय शोध करने का अवसर प्रदान करना है जिन्होंने डॉक्टोरेट उपाधि प्राप्त कर ली है और जिनके शोध कार्य प्रकाशित हो गए हैं तथा जिन्होंने पहले ही स्वतंत्र रूप से शोध कार्य का मार्ग प्रस्तुत कर दिया है। प्रथम दो वर्ष के दौरान अध्येतावृत्ति की संशोधित राशि की दर 38]800@& रुपये प्रतिमाह तथा तीसरे वर्ष के दौरान यह राशि 46]500@&रुपये प्रतिमाह है तथा आकस्मिक राशि 50]000@& रुपये प्रतिवर्ष है। वर्ष 2015&16 के दौरान योजना के तहत] 97 अभ्यर्थियों का चयन किया गया तथा 766 पोस्ट डॉक्टोरेट अध्येताओं को प्रदान करने पर 22:61 करोड़ रुपए की राशि व्यय हुई।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पी:एच:डी: उपाधि धारक तथा पोस्ट&डॉक्टोरेट शोध करने की इच्छुक महिलाओं के लिए पूर्णकालिक आधार पर हेतु प्रतिवर्ष 100 फैलोशिप उपलब्ध कराये जा रहे हैं जिनके तहत चुने अभ्यर्थियों के लिए 38]800@& रूपये प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति और दो वर्ष पश्चात् 46]500@& रूपये प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति और पांच वर्षों तक 50]000 रुपए प्रतिवर्ष की आकस्मिक राशि प्रदान की जाएगी। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 648 महिला अध्येताओं को प्रदान के लिए 31:14 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई ।

- सामाजिक तथा आर्थिक महत्व सामाजिक विज्ञान में महिलाओं हेतु डॉ: एस: राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरेट अध्येतावृत्ति नामक एक नई योजना भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में सक्रिय अध्ययन तथा शोध करने का अवसर उपलब्ध कराती है। योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 100 फैलोशिप उपलब्ध हैं। प्रथम वर्ष के लिए अध्येतावृत्ति की राशि 38]800 रुपये प्रतिमाह तथा द्वितीय वर्ष के लिए 40]300@& रुपए प्रतिमाह तथा तीसरे वर्ष के लिए 41]900@& रुपए प्रतिमाह तथा 50]000@& रुपए प्रति वर्ष की आकस्मिक राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2015&16 के दौरान 351 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है और 13:57 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है।

- विज्ञान विषयों में पोस्ट डॉक्टोरेट अध्येतावृत्ति योजना डॉ0 डी0एस0 कोठारी के नाम से एक नई योजना प्रारंभ की गई है। अब तक] 1807 अभ्यर्थियों को योजना अवार्ड की गई है तथा 963 पी0डी0ए0 कार्यरत हैं। वर्ष 2015&16 के दौरान विभिन्न संस्थानों में कार्यरत 695 अध्येताओं को 40:20 करोड़ रूपये जारी किये गये हैं।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत अधिशासिता की आयु के संबंध प्रतिधारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षकों की सुदृढ़ विज्ञान के क्षेत्र में शोध जारी रखने का अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग&डी0एस0आर0 संकाय अध्येतावृत्ति' नाम से नई योजना आरंभ की है। विश्वविद्यालयों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में आचार्य@रीडर&आचार्य के पद पर कार्यरत शिक्षक इसके लिए पात्र हैं। अध्येतावृत्ति में

46]500@& #पये प्रतिमाह की राशि प्रदान की जाती है जो कि पेंशन अथवा@और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के अतिरिक्त हैA वर्ष 2015&2016 के दौरान 61 डीएचआर संस्थान अध्येताओं को 4.35 करोड़ #पये की राशि जारी की गई A

- इसेरिट्च अध्येतावृत्ति योजना के तहत भारी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में 70 वर्ष तक की आयु तक के सेवानिवृत्त अध्यापकों को सतत विशेषज्ञता के क्षेत्र में महिला रूप से शोध करने का अवसर प्रदान किया जाता हैA प्रत्येक चुनिंदा वर्ष विज्ञान विषय तथा सामाजिक विज्ञान के लिए सम्पूर्ण इसॉरों की संख्या 100 हैA अध्येता के लिए 50]000 #0 प्रतिवर्ष की आकस्मिक धनराशि के साथ दो वर्षों के लिए 20]000 #पये प्रतिमाह का मानदेय प्रदान किया जाता हैA वर्ष 2015&16 के दौरान 355 अध्येताओं की नियुक्ति करने पर 10-24 करोड़ #पये व्यय किया गयाA

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अविधि शोध अध्येतावृत्ति योजना (यूजीआरएफ) के तहत सम मानवीय अभ्यर्थियों को अविधि शोध अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सीएसआईआर द्वारा संचालित विश्वविद्यालय स्तर परीक्षा उत्तीर्ण की हैA अविधि शोध अध्येतावृत्ति के अन्तर्गत वार्षिक आकस्मिक राशि के साथ प्रारम्भिक दो वर्षों तक 25000@& #पये प्रतिमाह तथा शेष अवधि के लिए 28]000@& #पये प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति राशि प्रदान की जाती हैA

- त्रिपोर्टफोलियो वर्ष के दौरान विज्ञान] सामाजिक विज्ञान के लिए यूजीआरएफ@आरएफ योजना के तहत 543-58 करोड़ #पए का व्यय किया गयाA वर्तमान में] लगभग 21]588 विद्वान यूजीआरएफ के तहत एस:एिज@पीएचडी कर रहे हैंA

- विदेशी छात्रों हेतु शोध एमोनिएटशिप योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 7 (विभिन्न अध्येतावृत्तियां) विदेशी अभ्यर्थियों का चयन किया ताकि वे भारतीय विश्वविद्यालयों में पोस्ट&डॉक्टोरल शोध कर पाएंA वर्तमान में] इस योजना के तहत लगभग 60 विदेशी नागरिक पीएचडी पोस्ट डॉक्टोरल शोध कर रहे हैंA वर्ष 2015&16 के दौरान योजना के तहत 34 यूजीआरएफ और एमए की 0-62 करोड़ #पए की राशि वितरित की गईA

- सक्षमता शिक्षा में सामाजिक अभिसातताओं को कम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसूचित जाति के लिए 2000 राजीव गाँधी अनुसूचित जाति राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ सम्पूर्ण करता है ताकि वे सक्षमता अध्ययन एवं शोध कर एस:एिज@पीएचडी: सम्मिलित ज्ञान कर सकेंA अध्येतावृत्ति का स्वरूप अविधि शोध अध्येतावृत्ति के समान हैA वर्ष 2015&2016 के दौरान योजना के तहत अनुसूचित जाति के 19623 अध्येताओं के लिए 178-1 करोड़ #पये का व्यय हुआ थाA

- अनुसूचित जनजातियों के लिए राजीव गाँधी अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति का वर्ष 2015&17 से साथ सम्पूर्ण अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए सक्षमता शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति कर दिया गया हैA वर्ष 2015&16 के दौरान 750 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था तथा योजना के तहत 4929 लाभार्थियों पर 52-13 करोड़ #पए का व्यय हुआ थाA

- सोशल मंत्रालय द्वारा यानि अधिसूचित सौपाना भारतीय राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों का सर्वेश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों की वित्तीय सहायता के रूप में प्रत्येक 5 वर्ष की अध्येतावृत्ति सम्पूर्ण करता है ताकि वे एमफिल और पीएचडी जैसे अध्ययन कर सकें A प्रत्येक वर्ष छात्रों के लिए 756 इसॉर सम्पूर्ण हैंA इस योजना हेतु अध्येतावृत्ति की दर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य अध्येतावृत्तियों की दर के समकक्ष होतीA वर्ष 2015&2016 के दौरान विभिन्न राज्यों से 756 अभ्यर्थियों का चयन किया गया तथा योजना के तहत 3609 लाभार्थियों पर 74-26 करोड़ #0 का व्यय किया गयाA

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वर्ष 2014 से अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना को कार्यान्वित करने का कार्य सौंपा गया हैA प्रत्येक वर्ष सभी विषयों के लिए अध्येतावृत्ति के 300 इसॉर सम्पूर्ण हैंA इस योजना हेतु अध्येतावृत्ति की दर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य अध्येतावृत्तियों की दर के समकक्ष हैA योजना का वित्तपोषण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय] भारत सरकार] द्वारा किया जाता हैA वर्ष 2015&2016 के दौरान योजना के तहत 409 लाभार्थियों पर 15-12 करोड़ #0 का व्यय किया गयाA

- विशेषित छात्रों को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु अवसरों में वृद्धि करने के लिये जिसमें वे एस.एस.ए तथा पी.एम.श्री सम्बद्ध प्राप्त कर सकें] मानवाधिकार न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वर्ष 2012 में विशेषित छात्रों हेतु राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना की शुरू करने का कार्य सौंपा है। अध्येतावृत्ति राशि अन्य लक्षित शीर्ष अध्येतावृत्ति योजनाओं के समतुल्य है। वर्ष 2015&16 के दौरान 200 इच्छुक आवेदित किये गये थे। अध्येता की मानवाधिकार न्याय और अधिकारिता मंत्रालय] विशेषज्ञता कार्य विभाग] भारत सरकार] नई दिल्ली द्वारा चुनाव किया जाता है।

- वंचितजनों के बारे में स्वस्थ विवेकभाव के विचारों की ध्यान में रखते हुए तथा वांछितजनों की शिक्षा के मूल्य को प्राप्त करने तथा सभी बढ़ावा देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2015&16 के दौरान मानवाधिकार विभाग में शीर्ष हेतु स्वामी विवेकानंद एकल बालिका अध्येतावृत्ति आरंभ की। प्रथम दो वर्षों के लिये अध्येतावृत्ति राशि 25]000 #पए प्रतिमाह तथा शेष अवधि के लिए राशि 28]000 #पये प्रतिमाह है। वर्ष 2014&15 और 2015&16 के दौरान 65 और 72 आवेदिकों का चयन किया गया। वर्ष 2015&16 के दौरान 44 आवेदिकों को 74 मूल्य #पए की राशि संवितरित की गई।

- **विशेष विषय में स्नातकी छात्रों हेतु शीर्ष अध्येतावृत्ति** योजना (आरएफएसएस) की स्नातकी छात्रों हेतु सक्षम अध्ययन एवं शोध करने के लिए आरंभ किया गया है ताकि वे विशेष विषय में पी0एच0डी0 सम्बद्ध प्राप्त कर सकें। जो आवेदी सक्षमता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय@सक्षमता की संभाव्यता वाले कॉलेजों@सक्षम अध्ययन केन्द्रों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विविध विशेष सहायता विभागों में विशेष के विषयों में पी0एच0डी0 के लिए पंजीकृत हैं] वे इस योजना हेतु पात्र हैं। आरंभ में इस अध्येतावृत्ति की अवधि दो वर्ष है] जिसे अध्येता द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन के आधार पर और तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रथम दो वर्षों के लिए अध्येतावृत्ति राशि के रूप में 24]800@& #पये प्रतिमाह और आकस्मिक धनराशि के रूप में 12]000@& #पये प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते हैं। तत्पश्चात् विस्तार किए जाने पर अगले तीन वर्षों के लिए यह राशि 24]800@& #पए प्रतिमाह तथा आकस्मिक धनराशि के रूप में 25]000@& #पये प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2015&2016 के अंत तक मैपं@ग्रेजुएट&मैपं विभागों की 9355 शीर्ष अध्येतावृत्तियां आवंटित की गई थी तथा 8185 वांछित शीर्ष अध्येता कार्यरत थे। वर्ष 2015&2016 के दौरान 3918 अध्येताओं को कुल 84.41 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है।

- समाज के वंचित वर्गों के आवेदिकों की सामाजिक पृष्ठभूमि की ध्यान में रखकर साथ ही स्नातकीत्तर स्तर के अध्ययनों की आरंभ करने का अवसर प्रदान करने के सम्प्रेक्ष्य से श0जा0@श0ज0जा0 छात्रों के लिए एक नई योजना यानी 'पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातकीत्तर छात्रवृत्तियों की योजना' की कार्यान्वित किया गया है। कुल इच्छुकों की संख्या] प्रतिवर्ष 1000 है। वर्ष 2015&2016 के दौरान इस योजना के तहत 904 आवेदिकों को कुल 9.14 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है।

- **इंदिरा गाँधी एकल बालिका छात्रवृत्ति योजना** यानी स्नातकीत्तर अध्ययन योजना का सदैश्य परिवार में एकल बालिकाओं की शिक्षा की छात्रवृत्ति के सहारा सहायता प्रदान करना तथा माता&पिता की ओर परिवार सदस्यों को प्रेरित करना है। जिन बालिकाओं ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा स्नातकीत्तर महाविद्यालय में स्नातकीत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है वे इस योजना के तहत पात्र हैं। इस छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्ष है तथा छात्रवृत्ति की राशि 3100@& #पये प्रतिमाह है (एक वर्ष में 10 माह के लिए)। सभी पात्र आवेदिकों को छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। शिक्षा सत्र 2015&17 के लिए कुल 3975 बालिकाओं का चयन किया गया तथा 4617 छात्रवृत्ति धारकों को चुनाव करने पर 11.51 करोड़ #पये की राशि व्यय हुई।

- प्रतिभाशाली छात्रों को स्नातकोत्तर शिक्षा में अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2005&2006 में एक स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति की योजना की प्रारंभ किया गया जिसके अंतर्गत सभ मेधावी छात्रों की छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई है जिन्होंने स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र देश में किसी भी मान्यता शिक्षा के संस्थान में किसी विशेषज्ञता के क्षेत्र में स्नातकोत्तर विषयों में (जिसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल नहीं हैं) अध्ययन कर सकते हैं। इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत मानविकी पाठ्यक्रमों में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र तथा कॉमर्स पाठ्यक्रमों में केवल प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र ही छात्रवृत्ति हेतु पात्र होंगे। छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्ष है तथा छात्रवृत्ति की राशि 3100@&#रुपये प्रतिमाह है (एक वर्ष में 10 माह के लिए)। योजना के तहत शिक्षा सत्र 2015&2017 के दौरान 1026 आवेदकों का चयन किया गया तथा वर्ष 2015&16 के दौरान योजना के तहत 1597 लाभार्थियों को 3.82 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्नातक छात्रों की व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययन करने में सहायता करने के लिए एस.ई.@एस.टी.@एस.एच.@एस.एच. विषयों के क्रमशः मेरिट सम्पन्न छात्रों के लिए 5]000 #रुपये प्रतिवर्ष की आकस्मिक राशि के साथ 12]000 #रुपये प्रतिमाह (सभी श्रेणियों में 60 प्रतिशत और उनसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों) की छात्रवृत्ति तथा प्रदान की जाती है। प्रतिवर्ष लाभार्थियों की संख्या 1200 होती है। वर्ष 2015&16 के दौरान 1545 लाभार्थियों को 6.63 करोड़ #रुपये की राशि व्यय की गई।

- सार्क&पूर्व क्षेत्र (एसईआर) में व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा सत्र 2014&15 से सार्क&पूर्वी क्षेत्र के लिये "ईशान सवर" नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। मानविकी पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति की दर 5]400@& #रुपए प्रतिमाह तथा तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की दर 7]800@& #रुपए प्रतिमाह है। सार्क&पूर्व क्षेत्र हेतु योजना के तहत 10]000 आवेदकों का चयन किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केनरा बैंक के बीच किये गए करार (मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट) के अनुसार आवेदकों की केनरा बैंक द्वारा सीधे ही भुगतान किया जाता है। वर्ष 2015&16 के दौरान 9027 छात्रवृत्ति धारकों को 74.74 करोड़ #रुपये की राशि व्यय की गई। दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार 10]000 छात्रों की छात्रवृत्तियां प्राप्त हो रही हैं।

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय हितों में चयनित विषयताओं] सामयामान अंतर्राष्ट्रीय विषयक्षेत्र उपलब्धियों में मात्र होने वाले विद्यार्थियों की विशुल्क शिक्षा प्रदान करने की योजना आरंभ की है। योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय@महाविद्यालय में पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विशिष्ट विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के तहत वर्ष 2015&16 के दौरान 40 लाभार्थियों को 0.3 करोड़ #रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

- अध्यापकों और शोधकर्ताओं की सेवाओं@संगोष्ठियों@कार्यशालाओं में भागीदारी और प्रकाशनों हेतु मंच प्रस्तुत करने के लिए सभी प्रेरित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न शैक्षणिक एवं शोध डिसिप्लिनों के आयोजन हेतु स्कीम ऑफ इन्सेंटिवाईजेशन ऑफ टीचर्स मूवमेंट@डिसीमिनेशन&एक्सचेंज एक्सीलेंशन् योजना के तहत 9 प्रस्ताव अनुमोदित किए और 2015&16 के दौरान 31.40 लाख की अनुदान राशि संस्वीकृत की।

- भारतीय विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक शोध संबंधी शक्तिमान संविधि की सिफारिशों के आधार पर वि0अ0आ0 द्वारा निम्नवत योजना लागू की गई है:

  & विज्ञान संबंधी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अनुसंधानयुक्त शोध को सुदृढ़ करने और अकादमी संकाय सदस्यों में नई प्रतिभाओं के सान्निध्य में विश्वविद्यालयों में वरीयतेषी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 'फैकल्टी रिचार्ज' कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसके तहत] आरंभ में 80 : 80 : 40 अनुपात (आधारी: मध्य&आधारी: महायक आधारी) में 200 पदों पर नई भर्ती की जायेगी। ए ग्रुप एवं सेवारत शिक्षक पदों के लिए है। ए आरंभ में] इसकी अवधि पांच वर्ष के लिए है और ग्रुप ए पद पर सेवानिवृत्ति के अध्यधीन अधिवर्षिता की आयु तक चलता है।

इस प्रोफेसरशिप] जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय] दिल्ली में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है और साथ ही शिक्षकों के प्रयास की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार की भी नियुक्ति की गई है A वर्तमान में 265 सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति की गई है जिनमें से 95 कार्यरत हैंA रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्रयास प्रक्रिया आरंभ की गईA वर्ष 2015&2016 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों के 83 प्रायोजित अन्वेषियों को वेतन तथा 'स्टार्ट&अप अनुदान' के रूप में 8.58 करोड़ #पये की राशि जारी की गई हैA

& डीएचआर कार्यक्रम के तहत सेवानिवृत्त शीर्ष वैज्ञानिकों की सेवाओं हेतु अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 10 विषयों को अनुमोदन प्रदान किया गया थाA वर्ष 2015&16 के दौरान इन विषयों की 12.30 करोड़ #पए की राशि जारी की गई A

& "चुने गये हुए ऐसे सभी संस्थानों हेतु स्टार्ट&अप अनुदान योजना" के तहत] पी0एच0डी0 स्तरीय संस्थान महाविद्यालय के स्तर के ऐसे सभी शिक्षक इस योजना हेतु पात्र हैं जिन्होंने अनुमोदित@मान्यता प्राप्त पत्रिकाओं में न्यूनतम दो शोध प्रकाशन किये हों A 78 चुने गये नियुक्त किए संस्थान लाभान्वित हुए A योजना के तहत वर्ष 2015&16 के दौरान 4.69 करोड़ #पये की राशि जारी की गई A

& इस डीएचआर कार्यक्रम के तहत 'शिक्षकों की एकमुश्त अनुदान' प्रदान करने की योजना का उद्देश्य सभी विषयक्षेत्रों के क्षेत्र में शोध की जारी रखने हेतु सहायता प्रदान करना हैA जिस शिक्षक की अधिवर्षिता की आयु की तिथि से कम से कम दो वर्ष की सेवा शेष है और जिसके सभी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम 15 पीएचडी और जिसने पांच वर्षों के दौरान कम से कम पांच पीएचडी सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सहायता की हो और जिसके राष्ट्रीय@अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित कम से कम पांच प्रायोजित शोध पूर्ण किए हों] वे इस योजना के तहत पात्र हैं A शिक्षक की सभी शोध कार्य के लिए 7.00 लाख #0 सम्मानित करने जाते हैंA वर्ष 2015&16 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों@संस्थानों में अपने शोध कार्य की जारी रखने वाले 22 शिक्षकों को 1.29 करोड़ #पये की राशि जारी की गई थीA

& वर्ष 2015&16 के दौरान विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर शोध के लिये अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिये पात्र महाविद्यालय@विश्वविद्यालय विभागों की कुल 5.26 करोड़ #पए की अनुदान सुविधा करायी गया A

7. लिंग और सामाजिक समानता

- भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास और क्षमता निर्माण तथा सक्षमतर शिक्षा के क्षेत्र में महिला प्रबंधन योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय प्रणाली में संविधिक विभागों के रूप में स्थापित कर विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्रों की सुदृढ़ करना एवं सभी भारतीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री तैयार करने की सभी स्तरों की क्षमता की सुदृढ़ करना है ताकि वे परस्पर एवं दूसरे की बेहतर समझ प्रदान करें तथा एक दूसरे की सहयोग करें सभी इनके साथ की बेहतर जिंदगी यापन करने के लिए सक्षमतर शिक्षा प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी हेतु की बढ़ावा हैA विशेष बल इस बात पर दिया जाता है कि जाति श्रेणी@वर्ग समुदाय एवं क्षेत्रकारों से इतर कार्यवाही] शोधकार्य] पाठ्यक्रम एवं शिक्षण की क्षेत्रगत परियोजनाओं का विकास किया जा सके तथा सेवकवर्ग में अधिकाधिक लोगों व संस्थानों की भी जोड़ा जा सकेA साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि इस वंचित रूप से समाप्त होने वाले क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित किया जाये तथा इसकी सुलभता बनाई रखी जाएA दिसंबर 31.03.2016 तक विश्वविद्यालयी प्रणाली में 151 महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित हो चुके थे तथा कार्य कर रहे थेA विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रों द्वारा 205 सेवानिवृत्त शिक्षक@प्राध्यापक@संकाय (एमएएस)] 22 प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण (टीओटी)] 13 प्रबंधन कौशल संवृद्धि कार्यशाला] (एसएमईए)] तथा 05 पुनश्चर्या कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैंA योजना के तहत वर्ष 2015&16 के दौरान 5.73 करोड़ #पये की राशि जारी की गईA

- भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शिक्षणेतर स्टाफ पदों और सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अ0जा:] अ0ज0जा0] अ0पि0व0] विशेषत व्यक्तियों हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की सतत् रूप से निगरानी कर रहा हैA सम्पर्कित सस्थानों के बारे में जानकारी अ0ज0 @ अ0ज0जा0 @ अ0पि0व0 अनुसार द्वारा त्रिवार्षिक रूप से एकत्रित की जाती है और सभी आरक्षण निगरानी आदि हेतु सभी संबद्ध मंत्रालय विभाग द्वारा सुविधा कराया जाता हैA

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग@(अल्पसंख्यक वर्ग)@अल्पसंख्यक महिलाओं के जरूरतमंद छात्रों की व्यापारी अनुशिक्षण@वोट&मोट शिक्षा@मेलाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण प्रवाह की एक अपेक्षित दर तक लाने के लिये वित्तीय सहय&मांगों में इतर विशेष कक्षाएं आयोजित करने के लिये वित्तीय सहायता मुहैया करवाता है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के इस दौरान के तहत एमयू अनुमोदन द्वारा वर्ष 2015&16 के दौरान अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग@(अल्पसंख्यक वर्ग)@अल्पसंख्यकों हेतु अनुशिक्षण योजना के तहत 137 इच्छुक विश्वविद्यालयों की 2195.67 लाख रुपए की अनुदान जारी किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसी अनुशिक्षण योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। विशेषज्ञ समिति की दो बैठकें दिनांक 12 दिसंबर] 2014 तथा 21 जनवरी] 2015 को आयोजित की गई।
- 2014&15 के दौरान विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों हेतु केंद्रीय स्कीमों की अपेक्षित&स्कीमों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्वतंत्र अनुमोदन अर्थात् अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग अनुमोदन की अंतरित की गई है। महाविद्यालयों (व्यापारी अनुशिक्षण हेतु 144 महाविद्यालय] मेला प्रवेश हेतु 105 महाविद्यालय(वोट अनुशिक्षण हेतु 46 महाविद्यालय) की 19.39 करोड़ रुपए की अनुदान तथा अनुशिक्षण योजनाओं हेतु 33 केंद्रीय@मल विश्वविद्यालयों की 11.60 करोड़ रुपए की राशि मंत्रीकृत की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अल्पसंख्यकों@अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@वंचित शिक्षार्थियों हेतु भारतीय अनुशिक्षण अकादमी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दिनांक 31.03.2016 तक अधिसूचित सुस्थिर विश्वविद्यालय] सौराष्ट्र भारत राष्ट्रीय कार्यू विश्वविद्यालय] जादिया गुजरात विश्वविद्यालय] डाबर सिंह पीर राव अहिल्याबाई विश्वविद्यालय और जादिया इन्द्रादिया विश्वविद्यालय और जादिया सिन्धिया इन्द्रादिया विश्वविद्यालय की 58.84 करोड़ रुपए की अनुदान राशि वितरित की गई।
- सक्षमतर शिक्षा प्रणाली में विशेषज्ञ व्यक्तियों की अपेक्षा की जाए तथा विशेष शिक्षकों तथा पाठ्यचर्यातालाओं हेतु एक पाठ्यक्रम की विकसित करने के साथ ही साथ विशेषज्ञ व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार से विभिन्न सुविधाएं सम्पन्न करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'विशेष शिक्षा से शिक्षकों की प्रशिक्षित करने' (टीईपीएसई) तथा 'विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों हेतु सक्षमतर शिक्षा' (एपीईपीएसए) योजनाओं की कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा निगरानी की जा रही है तथा प्रकोष्ठ द्वारा अनुदान जारी किया जा रहा है। वि0अ0आ0 ने विशेष शिक्षा में अध्यापकों की प्रशिक्षण देने संबंधी योजना के तहत दो केंद्रों यथा बाबासाहेब भिमराव विश्वविद्यालय और जादिया सिन्धिया इन्द्रादिया विश्वविद्यालय को अनुमोदित किया है।
- विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की सेवा के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं तथा अध्यापकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में सेवा अवसंरचना प्रकोष्ठ (ईओआरसी) की स्थापना करने की योजना तैयार की थी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (एमयू अनुमोदन 2014&15) के दौरान 116 विश्वविद्यालयों को 60.75 लाख रुपये की अनुदान जारी किया गया था। वर्ष 2015&16 के दौरान 22 विश्वविद्यालयों तथा 69 महाविद्यालयों को अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग अनुदान द्वारा 87.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
- मानसिक संलग्नता तथा बहिर्वेशन के मुद्दों पर शोध हेतु सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में मानसिक संलग्नता तथा बहिर्वेशन नीति का अध्ययन करने के लिए शिक्षण&सह&शोध केंद्रों की स्थापना की थी। दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार 35 विश्वविद्यालयों में 35 केंद्र कार्यरत थे। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2015&16 के दौरान 778.00 करोड़ रुपये जारी किये गये।
- बारहवीं योजना (2012&16) के दौरान कॉलेज स्कीमों] सेवा अवसंरचना प्रकोष्ठ तथा मानसिक संलग्नता एवं असंलग्नता के अध्ययन हेतु केंद्र हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों] एमयू] तथा अनुमोदित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग अनुदान द्वारा 204.93 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।

8. प्रासंगिता एवं मूल्य आधारित शिक्षा

- भारत के बाहर अन्य क्षेत्रों की भौगोलिक] सामाजिक] आर्थिक तथा राजनीतिक विषमताओं के सम्बन्ध बोध को बढ़ावा देने] विषयरूप में भारत के आर्थिक] राजनीतिक तथा राजनीतिक हित में नीति विकल्पों की सहसंबंधी जानकारी सम्पन्न करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] क्षेत्र अध्ययन केंद्रों की स्थापना हेतु सहय&सहय पर विश्वविद्यालयों को अनुदान

कराना रहा है। वित्तवर्ष 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र अभ्यास कार्यक्रम के तहत 48 केन्द्र कार्य कर रहे थे और वर्ष 2015&16 के दौरान क्षेत्र अभ्यास कार्यक्रम के तहत केन्द्रों को 72.00 लाख #पए की राशि जारी की गई थी।

- मानवर्ष के दौरान मलाल विद्यार्थियों के विद्यार्थी एवं दृष्टिकोण में शिक्षकों एवं छात्रों की परिचित कराने के उद्देश्य से विभिन्न विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों में 394 अभ्यास केन्द्र स्थापित किये गए हैं। वर्ष 2015&16 के दौरान 3.98 करोड़ #पए की कुल अनुदान जारी किया गया था।
- स्वतन्त्रता एवं स्वतन्त्रोत्तर अवधि] विश्लेषण और प्रलेखन पाठ्यक्रम शुरू करने और सम्बन्धित तथा सम्बन्धित शिक्षा पर सेमिनार] संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए और शिक्षकों] छात्रों तथा जनसामान्य में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की सम्बन्धित शिक्षा योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है। योजना के अंतर्गत] वर्ष 2015&16 के दौरान 171 विश्वविद्यालय @महाविद्यालय प्रोत्साहित हुए हैं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2012&2017 (2015&16) के दौरान 2.28 करोड़ #पये की राशि जारी की गई थी।

9. सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकीयों का समेकन

- ई&जवर्नेन्स योजना के भाग के रूप में ई&कार्यालय योजना की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्यान्वित किया गया है ताकि विभिन्नों की प्राप्ति और सम्बन्धों प्रापण के संबंध में कागज रहित परिवेश तैयार किया जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं हेतु एम0आई0सी0 एवं ऑनलाइन वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित कर रहा है। अब 31 योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सम्मिलित किया जा सकता है।
- स्वतन्त्रोत्तर विषयों के लिए ई&विषयवस्तु तैयार करने की परियोजना की नोडल एजेन्सी के रूप में वि0अ0आ0 की एसएसई&आईसीटी&एसएसआरसी द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार विकसित ई&विषयवस्तु इन्फ्लिबनेट केन्द्र और साथ ही महाविद्यालय पोर्टल पर स्थापित एवं खुले अभिगम प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) के माध्यम से मुक्त रूप से सुलभ हेतु उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2015&16 के दौरान परियोजना पर कुल 14.26 करोड़ #पये की राशि जारी की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं हेतु वि0अ0आ0 की 14]00]00]000 (चौदह करोड़ #पए) की राशि संशोधित की थी ताकि ई&पीजी पाठशाला कार्यक्रम के तहत विकसित ई&विषयवस्तु की एसओसीसी (वृहत खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम) में समावेशित किया जा सके जिसका उद्देश्य स्वयं प्रभा (स्वयं वेब ऑडियो विजुअल सिंपल बाय नोड एण्ड एसिंक्रोनिस सोशियस) के माध्यम से पारंपरिक शिक्षा को वृहत खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम के साथ विलय करना था।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने (क) डिजीटल प्रोफाइल के साथ जुड़े विश्वविद्यालय (ख) प्रेस की सुविधा वाले विश्वविद्यालय (ग) वाई&फाई की सुविधा वाले विश्वविद्यालय के संबंध में विश्वविद्यालय की रैंकिंग का कार्य किया] जिसमें 654 विश्वविद्यालयों ने अपनी प्रतिक्रिया दी तथा यह पाया कि (i) 89 प्रतिशत विश्वविद्यालय डिजिटल प्रोफाइल से जुड़े हैं (ii) 92 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में प्रेस सौजूद हैं तथा (iii) 85 प्रतिशत विश्वविद्यालय में वाई&फाई सुविधा सौजूद है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना और सांख्यिकी ब्यूरो] एचआईसी द्वारा विकसित पोर्टल (http:èèaishe.gov.in) का सम्पोषण कर छात्र नामांकन] शिक्षण कर्मचारियों आदि के सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रहण तथा संकलन कर रहा है।

10. कौशल विकास पहल

- शिक्षा के लिये वृत्ति अभिविन्यास कार्यक्रम का उद्देश्य वृत्ति एवं व्यावसायिक] कौशल संवर्धनकारी एवं&ऑन पाठ्यक्रमों की आरंभ करना है जो छात्रों के लिये नौकरी] स्वरोजगार और सम्बन्धों को संपोषी होगा। इस कार्यक्रम के तहत] किताबों और पत्रिकाओं] प्रयोगशाला संकेतन एवं अन्य संकेतनों की [वर्णित] अवधि अभ्यासों के पारितोषिक के मुकाबला हेतु पांच वर्षों हेतु एकमुश्त सीड&सही के रूप में सम्बन्धों और वाणिज्य हेतु प्रति पाठ्यक्रम 7.00 लाख #पए तथा विकास संकाय हेतु प्रति पाठ्यक्रम 10.00 लाख #पए से पात्र संस्थानों को सहायता की जा रही है। महाविद्यालयों@विश्वविद्यालयों के लिये आवश्यकता आधारित छात्र सीख पाठ्यक्रमों को विकसित करने की आवश्यकता है। फरवरी] 2013 तक] अनुमोदित पाठ्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता हेतु 522 महाविद्यालयों@विश्वविद्यालयों को अनुमोदित किया गया है। 2015&16 के दौरान 72 महाविद्यालयों@विश्वविद्यालयों को सहायता राशि जारी की गई। वर्ष 2015&16 के दौरान 7.69 करोड़ #पए के कुल अनुदान को मुक्त किया गया।
- 2013&14 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रायोगिक आधार पर सामुदायिक महाविद्यालय योजना शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय रूप से तय प्रासंगिक और रचनात्मक रूप से लचीले पाठ्यक्रम प्रदान करना है जिसमें व्यावसायिक कौशल विकास और

मंत्रालय मार्गदर्शिका का संशोधन हो जिसमें कि नीचे वाले की प्रत्यक्षतः विद्यालय क्षेत्र अथवा सक्षमतर शिक्षा क्षेत्र में जाने के अवसर मिलेA 2015&16 के दौरान योजना के तहत 202 महाविद्यालय अनुमोदित किये गए (विश्वविद्यालयों में 21 और महाविद्यालयों में 181) 2015&16 के दौरान 33.36 करोड़ रुपए की राशि विमुक्त की गईA

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वह प्रवेश एवं विकास विदेश वाली डेवलपर ऑफ़ कोर्सेज (डीओसी) सम्बन्धित की और अक्षमतर महाविद्यालय@विश्वविद्यालय शिक्षा के मॉल के रूप में कौशल विकास सक्षमतर शिक्षा आधारित योजना आरंभ की है जैसे कि राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के तहत डिप्लोमा@सर्टिफिकेट डिप्लोमाA इस योजना के तहत 162 विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय अनुमोदित किए गए हैं तथा 2015&16 के दौरान 110.88 करोड़ की अनुदान राशि विमुक्त की गईA
- डीडीयू कौशल केंद्र की मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर आयोग की आवश्यकताओं हेतु कुशल जनशक्ति का सृजन करना हैA 2015&16 के दौरान 48 महाविद्यालय@महाविद्यालय समायता प्राप्त विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों@संस्थानों की डीडीयू कौशल केन्द्रों हेतु संस्तुति की जाती हैA सम&विभागीय श्रेणी के तहत डीडीयू कौशल केन्द्रों हेतु 16 विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों@संस्थानों की संस्तुति की जाती हैA 2015&16 के दौरान 98.70 करोड़ रुपए की अनुदान राशि विमुक्त की गईA

11. मुक्त और दूरस्थ शिक्षा

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 29 दिसम्बर] 2012 के आदेश के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम] 1956 की धारा 20(1) के तहत सक्षमतर शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदायी जा रहे मुक्त शिक्षा कार्यक्रमों के संबंध में समायता प्रदान करने हेतु विनियम] सावधानी के अनुरक्षण के संबंध में निर्देश जारी किएA विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन निर्देशों के संबंधों में अपेक्षित कार्य सम्पादित किएA वर्ष 2015&16 के दौरान 130 विश्वविद्यालयों@संस्थानों की मुक्त शिक्षा के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए समायता प्रदान की गई तथा विकास अनुदान के रूप में 07 राज्य पुरित विश्वविद्यालयों को 2125 लाख रुपये की राशि जारी की गईA
- एआईएचईएस के अनुसार] नामांकन के आंकड़े (2015&16) यह दर्शाते हैं कि अध्ययनों के प्रत्येक स्तर पर पुरित मुक्त शिक्षण कार्यक्रम (ओडीएल) के तहत भारतीय विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों में 36.20 लाख (अनंतिम) छात्र नामांकित हैंA

अध्याय 1

प्रस्तावना

- पृष्ठभूमि–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के सहायता मानदंड
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
- भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर के जन्म की 125वीं वर्षगांठ का आयोजन
- स्वच्छ भारत अभियान
- सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म की 140वीं वर्षगांठ का आयोजन
- वि0अ0आ0 मे कार्य कर रहे विशेष प्रकोष्ठ/अनुभाग
- बजट और वित्त
- संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति
- आयोग द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय

1.1 पृष्ठभूमि

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) 28 दिसंबर, 1953 की अधिसूचना के द्वारा तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा में समन्वय करने तथा मानकों के निर्धारण तथा अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय बना थाA

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 18 के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का संक्षिप्त एवं संपूर्ण ब्यौरा देते हुए प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा उसकी प्रतियों को केन्द्र सरकार को भेजना तथा सरकार उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखती हैA

- आयोग में एक अध्यक्ष, सचिव्यक्ष तथा दस सदस्य (सचिव&शिक्षा, सचिव&व्यय, भारत सरकार द्वारा पदेन आठ अन्य सदस्य) होते हैंA सचिव, सचिवालय का अध्यक्ष होता है जिसमें समूह 'क' के 82, समूह 'ख' के 249 तथा समूह 'ग' के 163 अधिकारियों के साथ कुल 503 कर्मचारिवृंद हैंA कुल कर्मचारियों में 29.42 प्रतिशत महिलाएं, 22.66 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 5.37 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कर्मचारिवृंद हैंA

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1994 में अपने कार्यकरण की प्रभावी तरीके से विकेन्द्रीकृत करते हुए सात क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं ताकि सुदूर क्षेत्रों में स्थित की जा सके और विश्वविद्यालय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं@कार्यक्रमों हेतु शीघ्रता से अनुदान जारी किया जा सकेA

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012&17) का मुख्य उद्देश्य सकलनामांकन शिक्षा में गुणवत्ता, समावेश तथा सर्वसमानता सुनिश्चित करते हुए सकलनामांकन में वृद्धि करना हैA बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) हेतु 30 प्रतिशत का लक्ष्य है तथा इसी शैक्षिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि करना तथा मौजूदा संस्थानों के नामांकन की क्षमता में वृद्धि करने की दोहरी रणनीति को अपनाकर प्राप्त किया जा सकता हैA

1.1(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के अधीन भारत सरकार द्वारा 28 दिसम्बर, 1953 को स्थापित किया गया था। इसे 1956 में संसद के अधिनियम से एक सांविधिक निकाय बनाया गया। वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 12 (क) के अनुसार आयोग का कर्तव्य है कि वह केन्द्र सरकार और विश्वविद्यालयों के परामर्श से विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय और मानकों का निर्धारण तथा शिक्षण, परीक्षा तथा शोध में उच्चतम मानकों के विकास तथा उनके अनुरक्षण हेतु ऐसे सभी कदम उठाए जो वह समुचित समझता हो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्र, राज्य सरकारों तथा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थानों के बीच एक सेतु का काम करता है। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने की भूमिका के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार करने के लिए आवश्यक उपायों पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों को भी परामर्श देता है। यह शिक्षकों के लिये शिक्षण के न्यूनतम मानदण्ड तथा योग्यता हेतु विनियम भी तैयार करता है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बहु-आयामी उद्देश्यों की प्राप्ति तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के स्तर को बनाए रखने तथा उसके समन्वय के सुझाव आयोग के विचारार्थ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गुणवत्ता शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विविध कार्यक्रम तैयार किये है तथा कार्यान्वित किये हैं।

संगठनात्मक ढांचा

आयोग में एक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, सचिव तथा कम अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष पद के प्रयोजन के लिए स्थायित्व केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार का अधिकारी नहीं होना चाहिए। केन्द्र सरकार को प्रतिनियुक्ति करने के लिए सभी सदस्यों में से दो सदस्यों को प्रायः केन्द्र सरकार के अधिकारियों में से लिया जाता है। शेष में से कम से कम चार सदस्यों को प्रायः विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से लिया जाता है।

शेष सदस्यों को प्रायः निम्नलिखित व्यक्तियों में से लिया जाना चाहिए:

1): जिन्हें कृषि, वाणिज्य, व्यापार की अथवा सहयोग में ख्याति अथवा अनुभव हो;

2): जो अभियांत्रिकी, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी या किसी अन्य प्रतिष्ठित पेशे से संबंधित हों; अथवा

3): जो विश्वविद्यालय के कुलपति हों, अथवा जो विश्वविद्यालय के शिक्षक न हों परंतु केन्द्र सरकार के रूप में प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हों अथवा जिनकी सेवा अत्यधिक योग्यता हो।

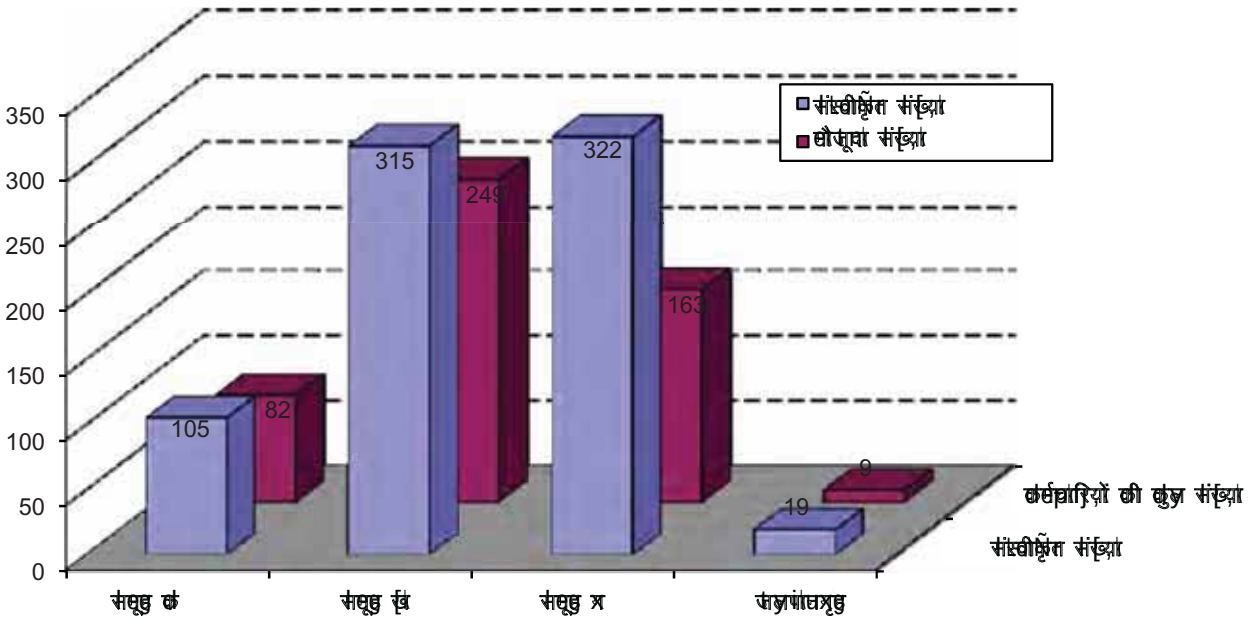
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकारी शीर्ष सचिव सहोदय हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित कर्मचारिवृंद के साथ सम्बोधे आयोग के सचिवालय की अध्यक्षता की:-

तालिका 1.1(क)

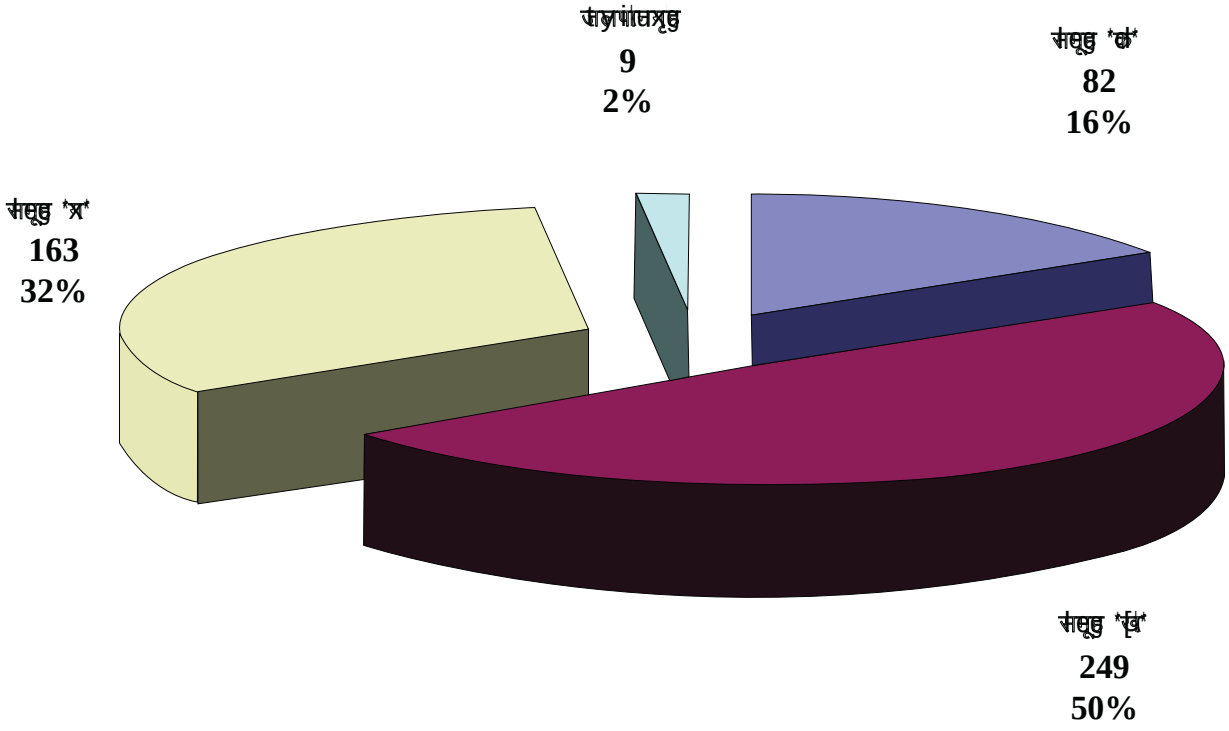
समूह	संस्वीकृत संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या में		
			महिला (प्रतिशत)	अनुसूचित जाति (प्रतिशत)	अनुसूचित जनजाति (प्रतिशत)
समूह 'क'	105	82 (78.09%)	38 (46.34)	9 (10.98%)	3 (3.66%)
समूह 'ख'	315	249 (79.04%)	90 (36.14%)	55 (22.09%)	11 (4.42%)
समूह 'ग'	322	163 (50.62%)	19 (11.66%)	47 (28.83%)	13 (7.98%
अनुषांगिक कर्मचारिवृंद	19	9 (47.37%)	1 (11.11%)	3 (33.33%)	शून्य
कुल	761	503 (66.10%)	148 (29.42%)	114 (22.66%)	27 (5.37%)

- कार्यशालाओं की तैयारी करने, पूर्वावलोकन करने तथा सामग्री विश्लेषण करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य संस्थानों की सहायता लेना है।

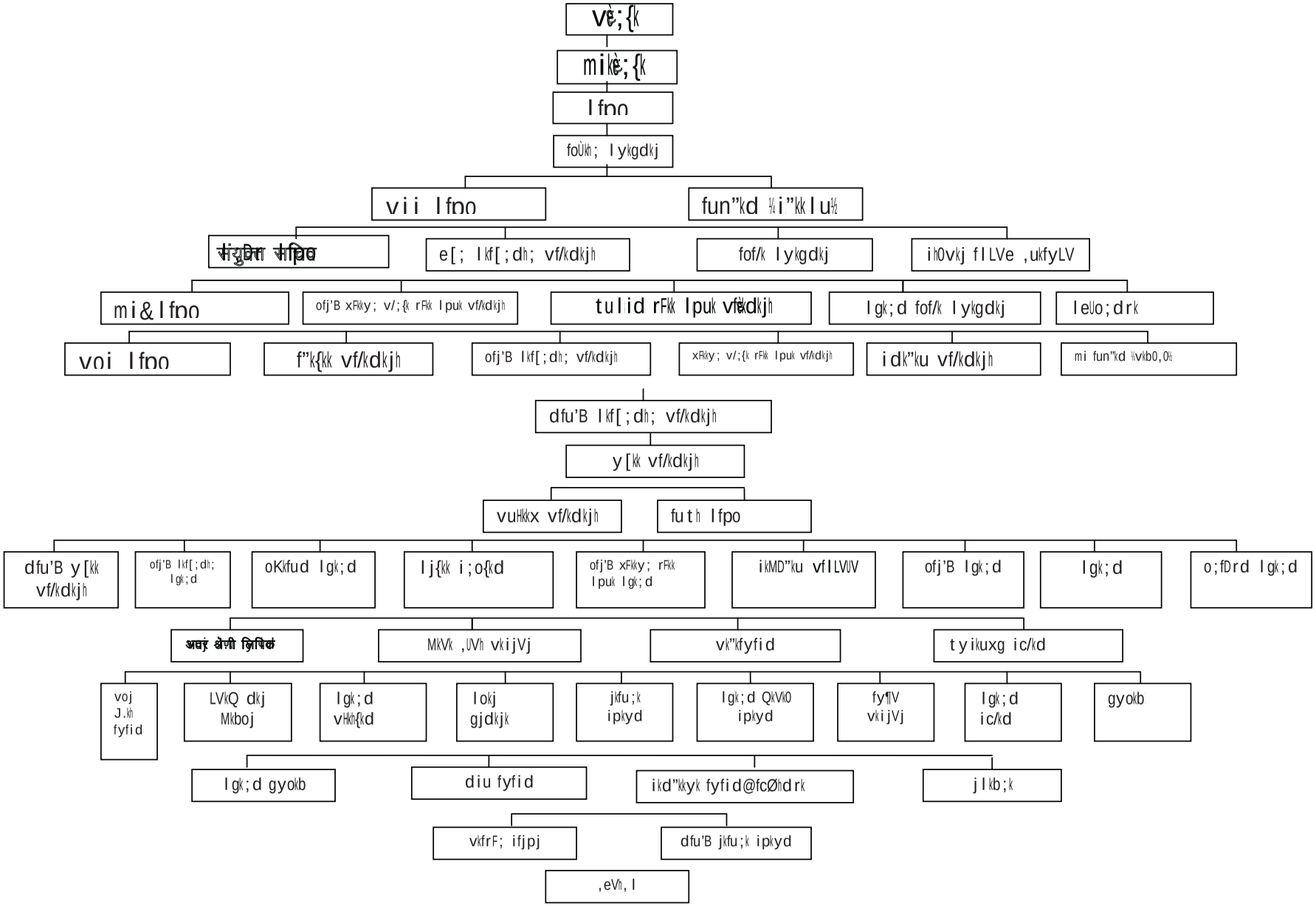
चित्र 1.1(क): वर्ष 2015&16 के दौरान आयोग के मंडलवार कर्मचारियों की संस्वीकृत तथा सौजूदा संख्या



चित्र 1.1(ख): वर्ष 2015&16 के दौरान आयोग के कर्मचारियों की प्रत्येक सौजूदा संख्या



1.1 [k foHkkxh; lajpuk vuqHkkx dh vkxBuRed lajpuk



1.1(ग) क्षेत्रीय कार्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहायता प्रदान करने के संबंधित विभिन्न स्कीमों/योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हैदराबाद, पुणे, गौहाटी, कोलकाता, बंगलूरु तथा दिल्ली में सात क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये हैं। सातवां क्षेत्रीय कार्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से प्रशासनाधीन है। क्षेत्रीय कार्यालय तथा इनके तहत शामिल राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची निम्नवत है:

क्र0 सं0	क्षेत्रीय कार्यालय	कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	दक्षिणी पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एसईआरओ), हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ), पुणे	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव
3.	केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ), भोपाल	मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़
4.	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (एवाईआरओ), गुवाहाटी	असम, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड
5.	पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ), कोलकाता	पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडीशा, झारखण्ड
6.	दक्षिण&पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (एसडब्ल्यूआरओ), बंगलूरु	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय सहायता ब्यूरो (एआरसीओ), दिल्ली	जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश

1.1 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में

बारहवीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य उद्देश्य समावेश, गुणवत्ता तथा संरक्षण शिक्षा के माध्यम&माध्यम विश्वविद्यालय और सहायता प्रणाली में आवश्यक शैक्षिक सुधारों के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करना है। इस प्रकार, मुख्य रूप से संस्थागत क्षमता तथा पार्श्विक की क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा का विस्तार तथा पहुंच में वृद्धि] करना तथा उच्चतर शिक्षा तक विभिन्न समूहों की पहुंच के मध्य अन्तर्निहित करना और समावेशी शिक्षा की बढ़ावा देना, शैक्षिक तथा शासी सुधारों की आरंभ करना आदि है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 2012 के 15 प्रतिशत के मध्य नामांकन अनुपात (जीईआर) में वृद्धि करके सन् 2017 तक 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 15 प्रतिशत की विशेष वृद्धि को लक्ष्य दोहरी रणनीति से प्राप्त किया जाना है जिसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा खुला तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम&माध्यम शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि तथा सीधा संस्थानों की पार्श्विक की क्षमता बढ़ाना शामिल है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012&17) के मुख्य उद्देश्य निम्नवत है :

क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नामांकन अनुपात को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत के स्तर तक लाने में सक्षम करना;

ख) विश्वविद्यालयों, सहायता प्राप्त तथा अन्य इस प्रकार के संस्थानों के संबंध में शैक्षणिक क्षमता का विस्तार कर 30 प्रतिशत सकल नामांकन दर (जीईआर) के लक्ष्यों को प्राप्त करना ;

ग) सब जिलों की सकल नामांकन दर में वृद्धि करना जिसकी उच्चतर शिक्षा एक पहुंच सीमित है ;

घ) शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों के नामांकन में वृद्धि करना तथा समावेशी बनाना ;

ङ) गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना ;

च) संरक्षण शिक्षा को बढ़ावा देना ;

छ) पहुंच और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना तथा अन्य संबद्ध मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करना ;

ज) विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त में प्रवेश, परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणाली में सुधार प्रक्रिया आरंभ करना ;

झ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आंतरिक कार्यकरण का कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से सुधार करना तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सतत संगठन में सुधार सहित शैक्षणिक संस्थानों की आपस में जोड़ना ;

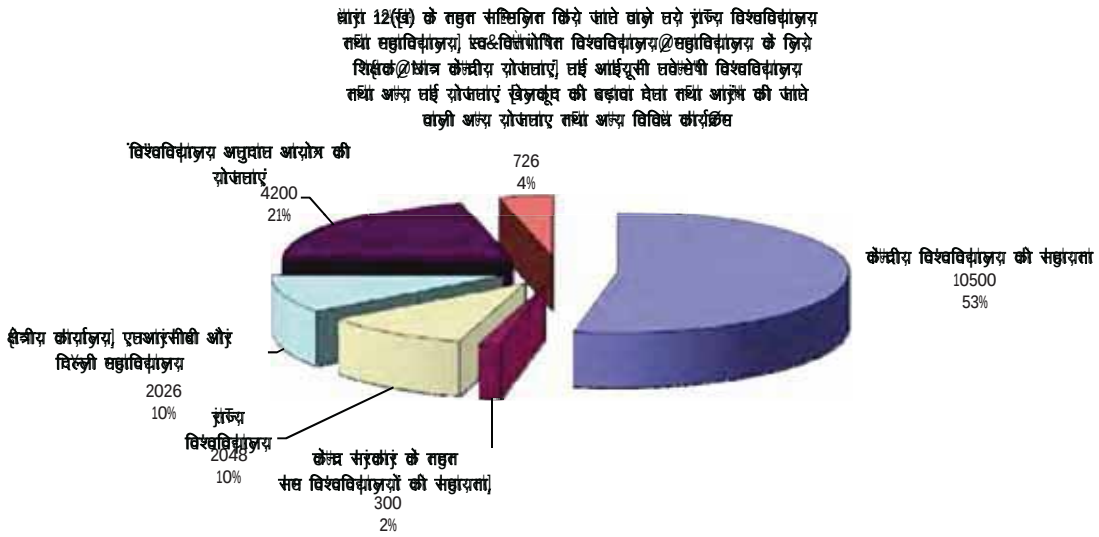
ए) विश्वविद्यालय और शीर्ष संस्थानों में सुधार लाना ताकि शैक्षणिक नीतियों और कार्यक्रमों को समग्र रूप से सुदृढ़ किया जा सके तथा एक सहित मंत्रालयवार डाटा तैयार किया जा सके A

आयोग ने दिनांक 10.05.2013 की आयोजित बैठक में 19800 करोड़ रुपए के आवंटन की अनुशंसा किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये योजनागत आवंटन की ब्यौरे&तौर पर विभिन्न तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है&

(करोड़ रुपये में)

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सहायता]	10500.00
केन्द्र सरकार के तहत अन्य विश्वविद्यालयों की सहायता]	300.00
राज्य विश्वविद्यालय]	2048.00
क्षेत्रीय कार्यालय] एनआरसीडी तथा दिल्ली सहविद्यालय	2026.00
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाएं	4200.00
धारा 12(बी) के तहत सम्मिलित किये जाने वाले नये राज्य विश्वविद्यालय तथा सहविद्यालय] स्व&वित्तपोषित विश्वविद्यालय@सहविद्यालय के लिये शिक्षक@छात्र केन्द्रीय योजनाएं] नई आईयूसी स्वरूपेषी विश्वविद्यालय तथा अन्य नई योजनाएं क्षेत्रकूप की बढ़ावा देना तथा आगे की जाने वाली अन्य योजनाएं तथा अन्य विविध कार्यक्रम	726.00
कुल	19800.00

चित्र 1.2: बारहवीं पंचवर्षीय योजना का क्षेत्रवार आवंटन (करोड़ रुपये में)



1.2 (क) 21 जून, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग-दिवस का आयोजन

संयुक्त राष्ट्र आम सभा के 69वें सत्र में प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के विचार का प्रस्ताव भारतीय रूप से सराहनीय] भारत के प्रधानमंत्री ने 27 सितम्बर] 2015 के 69वीं संयुक्त राष्ट्र आम सभा की संबोधित अपने पहले भाषण में दिया था।

सभा के सदस्यों] भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने हुए कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून] 2015 को सार्थक रूप से मनाया जाने के संकल्प को व्यवहारिक रूप देने का निर्णय लिया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों@सहविद्यालयों को 21 जून] 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने तथा विभिन्न की सुनिश्चित करने का निवेश दिया। (क) अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रातः किसी योग&वृत्तिक द्वारा योगाभ्यास आयोजित करना (ख) योग में भाग लेने वाले सर्वोत्तम प्रतिभागियों की पुरस्कृत करना और प्रमाण पत्र देना। योग&सुत्रों संबंधी प्रदर्शनी का आयोजन। परिणामों में इस



मंडल में जागरूकता के लिए चलाए जाएं (घ) अंतर्महाविद्यालय विद्यार्थी प्रतियोगिता का आयोजन और सर्वोत्तम छात्र को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस हेतु किए गए सहित निर्णय से भारतीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में 21 जून, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में आशातीत सफलता मिली। इसमें छात्रों शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मियों के बीच "अपने भारतीय धरोहर की अवलोकन में, स्वास्थ्य और शरीर की एकाग्रता, विचार और मन, संयम और सिद्धि, साधन और प्रकृति के बीच सौहार्द, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी सकल दृष्टिकोण" के संदेश संचारित किए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों से अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हुए कार्यक्रमों के बारे में प्रतिक्रिया मेल संबंधित ई&मेल (yoga@gmail.com) और पत्र प्राप्त हुए। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में चलाए गये विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नवत है:&

(1) & योग पर छात्रों/शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मियों के लिए कार्यशाला

- & योग प्रदर्शन और सामान्य योग क्रियाओं का प्रदर्शन
- & योग शिविरों का आयोजन किया गया
- & "योग के लाभ" पर पत्र/व्याख्यान/चित्र पत्र
- & "स्वास्थ्य और कल्याण हेतु योग"; "सामाजिक कुरीतियों हेतु योग" पर भाषण प्रतियोगिता/निबंध प्रतियोगिता
- & प्रदर्शनी और चित्र प्रतियोगिता (योग आधारित)
- & ग्रुप फिटनेस का प्रदर्शन किया गया

(2) & योग संबंधी शोध कार्यक्रमों और प्रयासों को बढ़ावे के लिए विश्वविद्यालयों ने सभागों का आयोजन किया/सभागों पर पत्र भी।

(3) &चिकित्सा से जुड़े विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों ने योग चिकित्सा संबंधी शिक्षा और शोध का आयोजन किया।

- & निःशुल्क योग चिकित्सा, परामर्श, व्याख्यानों और प्रदर्शन के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया गया।
- & चिकित्सा, वन और पंचायत के छात्रों के लिए योग जागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(4) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों ने "योग से चिकित्सा संभावनाएं" विषय पर संगोष्ठियां और मी:एस:ई: आयोजित किए।

- & अष्टांग योग और साधन सूत्र
- & स्वास्थ्य, मानव कार्यकुशलता और कार्यक्षमता हेतु योग

1.2 (ख) भारत रत्न डॉ० बी.आर. अम्बेडकर के जन्म की 125वीं वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन

(14 अप्रैल, 1891 – 6 दिसम्बर, 1956)

भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता, डा0साहेब, डॉ: बी:आर: अम्बेडकर एक सर्वकृष्ट&कीर्ति के विद्वान, दार्शनिक, मूलभूत, समाजसेवक और सच्चे राष्ट्रभक्त विभूति थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के अपने पत्र सं: 1&1@2025(मिस:) के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से इस अवसर की समुचित ढंग से मनाए जाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन करने का अनुरोध किया था:

- संगोष्ठियां आयोजित की जाएं
- सभी विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के प्रवेश प्रोत्साहित किया जाए।
- सामाजिक विशेषकर दलितों के बीच संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 नवम्बर, को "संविधान दिवस" के रूप में मनाया जाए और संविधान की प्रस्तावना को विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ा जाए।

इस समारोह का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के प्रति डॉ: बी:आर: अम्बेडकर के योगदान के बारे में लोगों में जागरूकता, इस बारे में अच्छी शिक्षित करना तथा जागरूकता पैदा करना है। प्रतियोगिता/ई&मेल : ambedkar.ugc@gmail.com के

सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतर विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में इस वर्षगांठ समारोह की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गयी।

- & भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई। संविधान विषय पर छात्रों की प्रोन्नतिा करने के लिए संविधान के प्रस्तावना के महत्व पर छात्रों और अध्यापकों की वार्ता आयोजित की गई।
- & मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों, भारतीय संविधान में महिला और बाल विकास अधिकार, संविधान के अंतर्गत सामाजिक न्याय और इसकी प्रासंगिकता, संविधान, अम्बेडकर और लोकतंत्र, माध्यमिक शिक्षा के मुख्य तथा सहायक अवयव संबंधी अम्बेडकर के विचार के बारे में संगोष्ठियों, भाषणों, वाद&विवाद प्रतियोगिताओं के आयोजन के सम्बन्ध में 26 नवम्बर, 2015 को "संविधान दिवस" मनाया गया।
- & भारत रत्न डा: बी:आर: अम्बेडकर के जीवन और कार्यों संबंधी संगोष्ठि आयोजित की गई।
- & भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।
- & "मेरी पीढ़ी और अम्बेडकर", "अम्बेडकर और समता एवं", "डॉ: बी:आर: अम्बेडकर", "आधुनिक भारत के निर्माता" विषयों पर पोस्टर/चित्रांकन प्रतियोगिता।
- & जागरूकता पैदा करने के लिए बैनर भी प्रदर्शित किए गए।

किसी विश्वविद्यालयों ने भी जानकारी दी कि मंत्रालय की सम्बन्धसंबंधी छात्रवृत्ति योजना के अनुरूप, बिना कोई शुल्क लगाए, विभिन्न पाठ्यक्रमों में अ0जा0/अ0ज0जा0 श्रेणी के छात्रों की महिलाओं को प्रवेश दे रहे हैं (महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय)।

दिनांक 26.11.2015 को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों संबंधी रिपोर्टों के अनुसार संकाय तथा छात्रों के बीच भारतीय संविधान के संबंध में जागरूकता पैदा करना संभव हुआ।

1.2 (ग) स्वच्छ भारत अभियान



राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्तूबर, 2014 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में निम्नलिखित कार्यक्रम किए गए:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए भारत में मध्यम शिक्षा के विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/महाविद्यालयों में कई कदम उठाए हैं:

(i) अभियान को शुरू करने से पूर्व जागरूकता सृजन अर्थात सभी विश्वविद्यालयों को छात्रों में स्वच्छ भारत अभियान के विचार को आगे बढ़ाने के लिए 4सी अर्थात् टेक्नीक माईंड, टेक्नीक कॉमी, टेक्नीक इनवायरमेंट एण्ड टेक्नीक सोसाइटी के सम्बन्ध में चुना गया था तथा छात्रों में इन मूल्यों को पैदा करने और उन्हें स्वेच्छा मान जागरित बनाने में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय सर्वोत्तम एवं है, पर बल दिया गया। विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में गतिविधियों कार्य और गतिशीलता के सम्बन्ध में इस अभियान को आगे जारी रखेंगे।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय भी इस कार्य में शामिल थे।

(iii) विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के लिए जागरूकता योजना के तौरान "स्वच्छ भारत&स्वस्थ भारत" योजना की तैयारी किया गया था। इस संस्थाओं ने विश्वविद्यालयों की मुख्य से ही आवश्यक सामान्य विकास सहायता अनुदान को आयोग और इस योजना को कार्यान्वित किया।

(iv) "स्वच्छ भारत&स्वस्थ भारत" & एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत की मुख्य" सामग्री पुस्तिका प्रकाशित की गई और सभी भी विश्वविद्यालयों को परिचालित किया गया। सभी विश्वविद्यालय के परिसरों में ही नहीं बल्कि संबद्ध महाविद्यालय परिसरों तथा एनसीसी कैडेटों तथा एनएसएस कार्यकर्ताओं के साथ इस जागरूक अभियान चलाने

तथा वृक्षारोपण] ठोस/तरल अपशिष्ट प्रबंधन] पुनर्चक्रित पानी] वर्षा जल संचयन] धूम्रपान और तंबाकू मुक्त परिसर आदि की सीमाएं बनाने के लिए कहा गया।

विश्वविद्यालयों ने ई&एस के संदर्भ में प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्टों के अनुसार सभी सम्बद्ध शिक्षण संस्थाओं में ग्रीन कैम्पस की संकल्पना को लागू किया है।

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ग्रीन कैम्पस की वैधानिक अपेक्षा और दायित्व के रूप में लागू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए:

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि छात्रावासों] कैंटीन क्षेत्रों] अध्ययन क्षेत्रों] प्रशासनिक क्षेत्रों में धूम्रपान क्षेत्र चिह्नित करने तथा इन क्षेत्रों से सुरक्षा कैमरे एकत्रित करने के संदर्भ तक फुटेज साझा करने के लिए व्यवस्था करने के लिए एक प्रणाली की व्यवस्था की गई। समझे संस्थागत प्राधिकारियों की इस सुरक्षा कैमरे क्षेत्रों की जवाबदारी देने] इसके प्राधिकारियों से संपर्क करने हेतु एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति करने तथा सभी परिसरों को चिह्नित रूप से मॉनिटर किया जाने की सलाह दी गई।

(ii) सभी विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों को 22 से 26 जून] 2015 तक आयोजित नामांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कार्यक्रमों सुनिश्चित करने के विशेष लिए गए (क) सामान्य क्षेत्र@परिसर] शौचालयों] सीढ़ियों] लिफ्टों आदि सहित सभी कार्यालयों का निरीक्षण और मॉनिटर (ख) पार्किंग स्थलों] पथ आदि सहित कार्यालय के बाहरी क्षेत्रों का निरीक्षण और मॉनिटर (ग) अपशिष्ट बाहरी@पेरीफेरी@डम्पिंग साइट्स तथा बिजली के खंभों का विस्तारण (घ) पुरानी पेड़ों] रिक्तियों आदि की सुरक्षा किए जाए।

की गई कार्रवाई रिपोर्टों की विश्वविद्यालयों@ महाविद्यालयों की वेब पर पूर्व निर्धारित प्रोफार्म में ई&एस से भेजने के लिए कहा गया।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों ने परिसर के आसपास] विशेष के गांवों में "ग्रीन कैम्पस अभियान" के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भाषण] वाद&विवाद और रैलियां की गई।

कार्यशैली अधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में विश्वविद्यालयों@ महाविद्यालयों में स्वच्छता कार्यशैली आयोजित किए गए।

परिसरों] सभाओं] सड़कों] स्थलों] शौचालयों आदि की सफाई में छात्र] शिक्षक] गैर&शिक्षण कर्मी शामिल थे तथा इन शौचालयों के निर्माण के लिए कदम उठाए गए।

महाविद्यालयों ने यह सुनिश्चित किया कि छात्रों की इन कार्यक्रमों में भागीदारी जाए और उन्हें कचरा प्रबंधन तथा अपशिष्ट प्रबंधन में ग्रीन और सतत पर्यावरणीय पद्धति की प्राप्ति करने के लिए प्रेरित किया जाए। महाविद्यालय में तीन आर अर्थात् "रिड्यूस" "रि&यूज" और "रिसाइकिल" के मूल&मंत्र की ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कार्य की पर्यावरण अनुकूल पद्धति से किया जाए।

विश्वविद्यालयों ने अपशिष्ट के पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इसका प्रभावी ढंग से निपटान करने के लिए विस्तृत पद्धति तैयार की है।

विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों ने अपने शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों और छात्र कल्याण संकाय सदस्यों के साथ विचार-विमर्श आयोजित किए:

- ग्रीन जीवनशैली में नियमित शारीरिक कार्यक्रमों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना;
- शारीरिक और मानसिक ग्रीन संबंधी बिमारियों को बढ़ावा देना;
- ग्रीन जीवनशैली के लिए पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना;
- संतुलित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन के लिए सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक सुधार संबंधी कार्यक्रम करना;
- सामान्य पर्यावरण तथा तनाव के प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा तनावों और सामान्य पर्यावरण सुरक्षा जरूरतों हेतु ग्रीनर्यावरण जीवनशैली को के प्रति जागरूकता पैदा करना।

महात्मा गांधी ने कहा था

"ग्रीनर्यावरण आत्मा से अधिक महत्वपूर्ण है"
"मानव&सुविधा और संतोषपूर्वक जीने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती है।
"ग्रीनर्यावरण ही वास्तविक धन है न कि मौलिक वस्तुएं"

1.2(घ) सरदार बल्लभभाई पटेल के जन्म दिवस की 140वीं वर्षगांठ

स्वतंत्र भारत के प्रथम सह प्रधान मंत्री 'भारत' के रूप में विख्यात सरदार वल्लभभाई पटेल भारतीय भाषाओं के पोषक 1920 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ (मान विश्वविद्यालय संस्थान) के दूसरे कुलपति (1948&50) थे।

31 अक्तूबर] 2015 को सरदार के 140वें जन्मदिवस को मनाने के लिए] भारत के लोकप्रिय नेता के सम्मानित संस्थान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी सम्बद्ध प्रावध करने वाले विश्वविद्यालयों@संस्थानों की संस्थाओं] छात्र&विद्यार्थी और अन्य प्रतियोगिताओं] प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं] विचार&कूट प्रतियोगिताओं आदि के रूप में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर सरदार के जन्म दिवस की मनाने की जानकारी दी।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों ने सरदार पटेल की विभिन्न देशी रियासतों का भारत संघ में विलय करने की क्षमता और सबकी सिद्धार्थ देश सेवा की प्रशंसा करते हुए सबका गुण&ज्ञान किया। यद्यपि वे पेशे से एक बैरिस्टर थे तथापि] सादगी भरा और शुचितापूर्ण जीवन व्यतीत किया।

इस प्रकार] राष्ट्र के इस प्रिय नेता की स्मृति मनाते हुए सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों (छात्रों] शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों) ने दिनांक 31 अक्तूबर] 2015 को विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से सरदार पटेल के जन्म की एक सौ पचासीवीं वर्षगांठ मनाई:

- राष्ट्रीय एकता की शपथ ली गई
- व्याख्यान आयोजित किए गए
- सरदार पटेल पर संगोष्ठियां आयोजित की गई तथा वृत्तचित्र प्रदर्शित किए गए
- प्रश्नोत्तरी] चित्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया
- विचार&कूट का आयोजन किया गया
- एकता के लिए दौड़& दौड़ का आयोजन किया गया
- सरदार पटेल पर वेब&आधारित कार्यशैली का आयोजन किया गया (कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों द्वारा)
- पुस्तक लेखन
- (क) राष्ट्रीय एकता तथा सीमावर्ती युवाओं की भूमिका (ख) भारत के लौह पुरूष: जीवन और योगदान (ग) भारत के परिप्रेक्ष्य में सरदार पटेल के विचारधारा की सततता (घ) सरदार पटेल&प्रेरणा स्रोत] विषयों पर वाद&विवाद आयोजित किए गए।

विशेषतः सरदार पटेल के जीवन पर सम्पर्कित कार्यशैली ने भारत के युवाओं में प्रेरणा का संचार करते हैं।

1.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ

1.3 (क) सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.आई.ए.) प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] सावध संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त विकाय है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम] 2005 के तहत आवेदकर्ताओं की जानकारी प्रावध करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक प्रकीष्ठ अर्थात् सूचना का अधिकार प्रकीष्ठ (आरआईए) सूचना का अधिकार अधिनियम (आर0आईए0 के तहत आवेदनों@अपीलों की प्राप्त करता है तथा अपेक्षित संख्या में सबकी प्रतियां तैयार कर सबंधित केन्द्रीय सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के माध्यम से सबंधित विभिन्न सीपीआईओ@अपीलीय प्राधिकारियों को भेजता है] जिसके पास संगत जानकारी होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यालय] शास्त्री कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की मिलाकर 25 अपीलीय प्राधिकारी तथा 45 सीपीआईओ हैं। आवेदक द्वारा भेजे गए आरटीआई आवेदन तथा केन्द्रीय सूचना आयोग आदि से प्राप्त दोषियों@विनिर्णयों की मुख्य कार्यालय में सीपीआईओ के पास पर प्राप्त किया जाता है तथा संबंधित सीपीआईओ को भेजा जाता है जिसके पास संगत जानकारी होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सभी ब्यूरो प्रमुख को आरटीआई के तहत अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है तथा सबके तहत ब्यूरो में तैनात सभी सचिव@अवर सचिव@शिक्षा अधिकारियों को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्राप्त आरटीआई आवेदनों@अपीलों@शुरुक आदि की त्रैमासिक@वार्षिक रिपोर्ट की आरटीआई प्रकीष्ठ द्वारा तैयार किया जाता है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट तथा सीआईसी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त आरटीआई आवेदनों@अपीलों पर संबंधित

केन्द्रीय लोकसूचना अधिकारी@अपीलीय अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है। आवेदकों से संग्रहित शुल्क की प्रतिपूर्ति&लोक शुल्क आदेश द्वारा की जाती है। केन्द्रीय लोकसूचना अधिकारी@अपीलीय अधिकारियों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर डाली गई है।

वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल लिखित 13]296 आवेदन तथा 1]713 अपीलें प्राप्त हुई तथा आरटीआई एक्ट द्वारा आरटीआई शुल्क संग्रहण 81]529@& रुपए रहा तथा सूचना के अधिकार के विषय के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त शुल्क 33]822@& रुपए रहा।

1.3(ख) वेतनमान अनुभाग

वेतनमान अनुभाग की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी तथा इसे केन्द्र सरकार द्वारा समय&समय पर गठित की गई वेतन समीक्षा समितियों के कार्य का समन्वय करने हेतु ही मात्र शिक्षकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में अन्य सरकारी संवर्गों अर्थात् पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक शिक्षा के निदेशकों के वेतनमान तथा नियत शर्तों से संबंधित मामलों का समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है। यह अनुभाग शिक्षकीय के राष्ट्रीय स्तर के संगठन तथा अन्य सरकारी संवर्गों के साथ भी वार्तालाप करता है। रिपोर्टाधीन अवधि] वर्ष 2015&16 के दौरान विभिन्नलिखित निर्णय लिए गए तथा उसके बारे में विश्वविद्यालयों को जानकारी दी गई&

विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों में शिक्षकीय तथा समतुल्य कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम अर्हता तथा सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों में सामग्री के स्तर&निर्धारण हेतु मापदंडों संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम] 2016 में संशोधन।

केन्द्र सरकार] मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अपने निर्णय 24 जुलाई 2015 के पत्रांक संख्या एफ0सं04&9@2015&यूआईए के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो0 अरूण निरावेकर की अध्यक्षता में शिक्षण के पेशे में प्रतिभाशाली तथा गुणवत्तायुक्त जनशक्ति को आकर्षित करने तथा बनाए रखने संबंधी मुद्दे पर एक समिति का गठन किया। प्रो0 अरूण निरावेकर की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों तथा सी0सं0वि0आ0 के अनुमति लिए जाने पर मूल विनियम 2010 में किए गए संशोधनों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों में शिक्षकीय तथा समतुल्य कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम अर्हता तथा सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों में सामग्री के स्तर&निर्धारण हेतु मापदंड) संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम] 2016 के रूप में अंतिम रूप दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0@पी0एच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतक मानक तथा प्रक्रिया) संबंधी विनियम] 2016& तथा विनियम

वेतनमान अनुभाग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(एम0फिल0@पी0एच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतक मानक तथा प्रक्रिया) संबंधी विनियम] 2016 को भी अंतिम रूप दिया है।

कॅरियर प्रोन्नति योजना के तहत वर्ष 2015&16 की अवधि के लिए सभापार्य से आपार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु पत्र@सूत्रांकन@ आँकलन रिपोर्ट।

आयोग ने पत्रांक 27 जुलाई 2015 की आयोजित अपनी बैठक में पुराने सीएएस के तहत सभापार्य से आपार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवर समिति के बैठक में वि0स0सं0 प्रेक्षक की तरह करने के संबंध की पुराने को निर्णय लिया। वि0स0सं0 के पत्रांक 18.8.2015 के पत्रांक सं. 18&4@2013 (सीएस&विविध) की वि0स0सं0 की वेबसाईट पर डाल दिया गया है।

तथापि] समर्पित पत्र की जारी किये जाने से पूर्व की अवधि से संबंधित अनेक मामले] अर्थात् ऐसे आपार्यों जिनका सीएएस 1988 के तहत सभापार्य से आपार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु प्रवर समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया था उसके संबंध में रिपोर्ट@पत्र@ प्रमाणपत्र@सूत्रांकन&विवरण रिपोर्ट तथा ही विश्वविद्यालयों द्वारा वि0स0सं0 की तरफ से किए गए पत्रांक 1.02.2002 के स0सं0 पत्र सं0एफ.3&3@2000(सी0एस0) का ब्यूरो द्वारा संशोधन की सीमा ही सूत्रांकन किया गया।

इसके अलावा] वि0स0सं0 की विश्वविद्यालयों] महाविद्यालयों तथा विभिन्न मामलों में विभागीयों से अनेक प्रश्न प्राप्त हुए हैं जिनके संबंध में वेतनमान प्रकोष्ठ ने वि0स0सं0 विनियम] 2010 में स्पष्टीकरण दिया] जो निम्नानुसार हैं:

(1): वि0स0सं0 विनियम] 2010 की धारा 6.8.0 के स्थान पर अनुसूची की धारा 3.2 जो कि एनसीआई आधारित पीजीएनआरएसी पर आधारित है] दिनांक 07.08.2015 के स0सं0 पत्र संख्या एफ3&2@2009(पीएम) के साथ पठित में एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है जिसे वि0स0सं0 की वेबसाइट पर डाला गया है।

(2): पीएचडी@एमफिल धारकों आदि की प्रवेश एक से दो के लिए अर्हता की तिथि के संबंध में वि0स0सं0 विनियम] 2010 की धारा 6.8.0 के स्थान पर अनुसूची की धारा 1.1 को प्रतिस्थापित किया गया है] इस संबंध में दिनांक 18.08.2015 के स0सं0 पत्र संख्या एफ12&1@2010(पीएम) के साथ पठित में एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है जिसे वि0स0सं0 की वेबसाइट पर डाला गया है।

(3): पीएचडी@एमफिल उपाधि प्रदान करने के लिए ऐसे पाठ्यक्रमों की संख्या जो विधिवत शिक्षक नहीं हैं] के संबंध में वि0स0सं0 के दिनांक 16.07.2015 के स0सं0 पत्र संख्या एफ10&6@2011(पीएम) विविध के साथ पठित में एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

(4): कुलपति के वेतन के संबंध में वि0स0सं0 विनियम] 2010 की अनुसूची की धारा 6.8.0 के स्थान पर धारा 8.2.1 को प्रतिस्थापित किया। इस संबंध में दिनांक 13.05.2015 के स0सं0 पत्र संख्या एफ 12&2@2010(पीएम) के साथ पठित में एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

(5): पीएचडी की अर्हता करने पर बिताई गई सर्विस सेवा की सहिष्णुता किए जाने के संबंध में दिनांक 01 सितं] 2016 के स0सं0 पत्र सं0 एफ:17&8@2013(पीएम) के साथ पठित में एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

1.3(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षण] शिक्षणेतर पदों पर आरक्षण नीति की प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अनुभाग इस प्रयोजनार्थ वि0स0सं0 द्वारा गठित समिति के साथ मिलकर निगरानी करता है। इस समिति का प्रतिनिधित्व] शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े विशेषज्ञों] भूतपूर्व कुलपतियों एवं सम्बन्धित शिक्षा क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आरक्षण के स्तर की और रिक्तियों के पिछले बकाया पदों की निगरानी करने के लिए स्थायी समिति और स्थायी सम&समिति समय&समय पर बैठक करती रहती है।

भारत सरकार के विभिन्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] शिक्षण] शिक्षणेतर तथा सम्बन्धित में अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) हेतु आरक्षण की नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी अनुदान&सहायता प्राप्तकर्ता संस्थानों में अपिव हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश जारी किये गये हैं। अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की सूचनाएँ और रिक्तियों करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों संबंधी स्थायी समिति का भी गठन किया गया है।

यह आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 ख के तहत विश्वविद्यालयों से केन्द्रसूचीत रिक्तियों तथा सम्बन्धित करने के लिए की गई कार्यवाही के संबंध में केन्द्रीय] राज्य तथा मान विश्वविद्यालयों से जानकारी संग्रहित करता है। इस विश्वविद्यालयों से संग्रहित जानकारी को संसद संसदीय विकास मंत्रालय को भेजा जाता है।

1.3(घ) सतर्कता प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भ्रष्टाचार की प्रभावी ढंग से रोकथाम करने के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार एक सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित किया है ताकि कार्यालय के कार्यों पर सतत् दृष्टि रखी जा सके जिससे यहाँ कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त न हो पाये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव महोदय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) मुख्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों में भ्रष्टाचार की रोकथाम करने तथा भ्रष्टाचार के मामलों की जांच प्रारंभ करने के लिए जिम्मेदारी हैं और जहां कहीं भी आवश्यक होता है वहाँ पर उचित कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त] केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी निम्नलिखित कार्य भी सुनिश्चित करता है :

- संदिग्ध विषय वाले अधिकारियों पर सतत निगरानी रखना।
- विभाग में संबंधित ऐसे विषय विशेषज्ञों का गुणात्मक परामर्श करना &
  - (i) परिसंपत्तियों और देनदारों का विवरण] (ii) सामग्री] (iii) किसी एजेंसी से नौकरी कर रहे या किसी व्यवसाय कर रहे संबंधी प्रोफाइल (iv) वेतनादि ब्रेक&वेतन।
- संवेदनशील मामलों की जांच प्रारंभ] ऐसे मामलों का विश्लेषण एवं औचक निरीक्षण करना और संवेदनशील पदों पर नियुक्ति किए गए ऐसे कार्मिकों की सतत समीक्षा करना।

- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की अनुमोदन अवधि तथा संबद्धता की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता लाने के लिए सम्पर्कविहीन प्रणाली अपनाना।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 26 अक्तूबर, 2015 से 31 अक्तूबर, 2015 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया। इसके दौरान सभी कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता संबंधी शपथ दिलाई गई।

वर्ष 2015&16 के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ की सीवीसी से 45, राज्य सतर्कता विभाग से 21, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से 18 और विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों और अन्य एजेंसियों से 334 शिकायतें प्राप्त हुईं। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित ब्यूरो के पास भेजा दिया गया था। संवेदनशील स्वरूप की शिकायतों की जांच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित सतर्कता संबंधी स्थायी समिति के समक्ष रखी गई। कुछ मामलों में एनसीवी की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विधियों के प्रावधानों के संबंध में शिकायतों के मामलों में जांच समिति का गठन किया गया था। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान जांच समिति के निष्कर्षों तथा एनसीवी की सिफारिशों के आधार पर आयोग आदेशों तक इन दो विश्वविद्यालयों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान रोक दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सतर्कता प्रकोष्ठ/सतर्कता जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई करना है। शिकायतों के संबंध में वास्तविक रिपोर्टों की सीवीसी/सम्बंधित की भी मांग की गई थी। प्राप्त की गई 472 शिकायतों में से जांच लम्बित 258 शिकायतों को बंद कर दिया गया तथा 214 शिकायतों पर जांच हुई है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ ने सभी विश्वविद्यालयों की आपूर्ति, सतर्कता, अधिकारी रोटेशन नीति तथा सीवीसी और सीबीआई जैसे संगठनों के ब्यौरे की वेबसाईट में सम्मिलित करने संबंधी पहलें की है ताकि महाविद्यालय के छात्रों के सभ्य आपूर्ति और सेवा पर इसके प्रभाव तथा ऐसी अपेक्षित गतिविधियों के बारे में किसी और कैसे शिकायत करें, इस संबंध में जागरूकता के स्तर को बढ़ाया जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पहलों के संबंध में विश्वविद्यालयों से अच्छी तथा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

1.3 (ङ) विधिक प्रकोष्ठ

विधिक प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1989 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में की गई थी। विधिक प्रकोष्ठ, मुख्यालय में सम्पर्क न्यायालय, विभिन्न सम्पर्क/संबंधित न्यायालयों, संघों तथा आयोग आदि में विधिक प्रकरणों पर कार्रवाई करता है।

विधिक प्रकोष्ठ न्यायालय में लंबे चल रहे प्रकरणों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, मुख्यालय में अन्य न्यायिक विभागों तथा वि0स्व0वि0 के क्षेत्रीय&क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत एडिशनल कॉउंसिल/ पेनल के अधिवक्ताओं के बीच की समन्वय करता है। यह वि0स्व0वि0 के सभी ब्यूरो की विभिन्न सेवाओं में विधिक सलाह भी देता है।

न्यायालय में एक औपचारिक नोटिस प्राप्त होने पर संबंध अधिकारी से विधिवत् रूप से अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित पेनल अधिवक्ता की वकालतनामा जारी किया जाता है। तत्पश्चात् संबंधित अनुभाग से पैरा&वार टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। सभी प्रति&शपथपत्र तैयार करने के लिए पेनल के अधिवक्ता की टिप्पणियां सुझाव करवाई जाती हैं। पेनल के अधिवक्ता से प्राप्त सभी प्रति&शपथपत्र को संबंध अधिकारी के हस्ताक्षर तथा हस्ताक्षर हेतु संबंधित अधिकारी को भेजा जाता है। हस्ताक्षरित सभी प्रति&शपथपत्र को वापस पेनल के अधिवक्ता को भेजे गये तथा प्रकरण के निपटान होने तक प्रकरण में वि0स्व0वि0 का बचाव करने के लिए भेजा जाता है। यदि प्रकरण का निपटान हो जाता है तो न्यायालय से प्राप्त निर्णय की एक प्रति को संबंधित ब्यूरो को न्यायालय के निर्देशानुसार जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई की जानी हो तो, की करने के लिए भेजा जाता है।

वर्तमान में, अधिकांश मामले मुख्यतः विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतनमानों, अनुमन्यता, सेवानिवृत्ति की आयु, प्रवेश, व्यावसायिक एवं पाठ्यक्रमों में मानदंड, मानक प्रवेश परीक्षा, विभिन्न संस्थानों की स्थापना, मानों संस्थानों की स्थापना आदि से संबंधित होते हैं। कुछ मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारियों से संबंद्ध प्रशासनिक मामले भी होते हैं।

महाधिवक्ता के अनुमोदन से भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ताओं का एक पेनल तैयार किया गया है।

वि0स0वा0 की ओर से ग्रामीण को लाभ पहुंचाने के लिए ट्यूबिक्स सॉफ्टवेयर@ पेयजल के अभियंताओं के शुल्क के ढांचे की समीक्षा प्राधिकारी द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किया गया।

विश्वविद्यालय अनुभाग आयोग के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालय अनुभाग आयोग से कोई सहायता प्राप्त नहीं की गई।

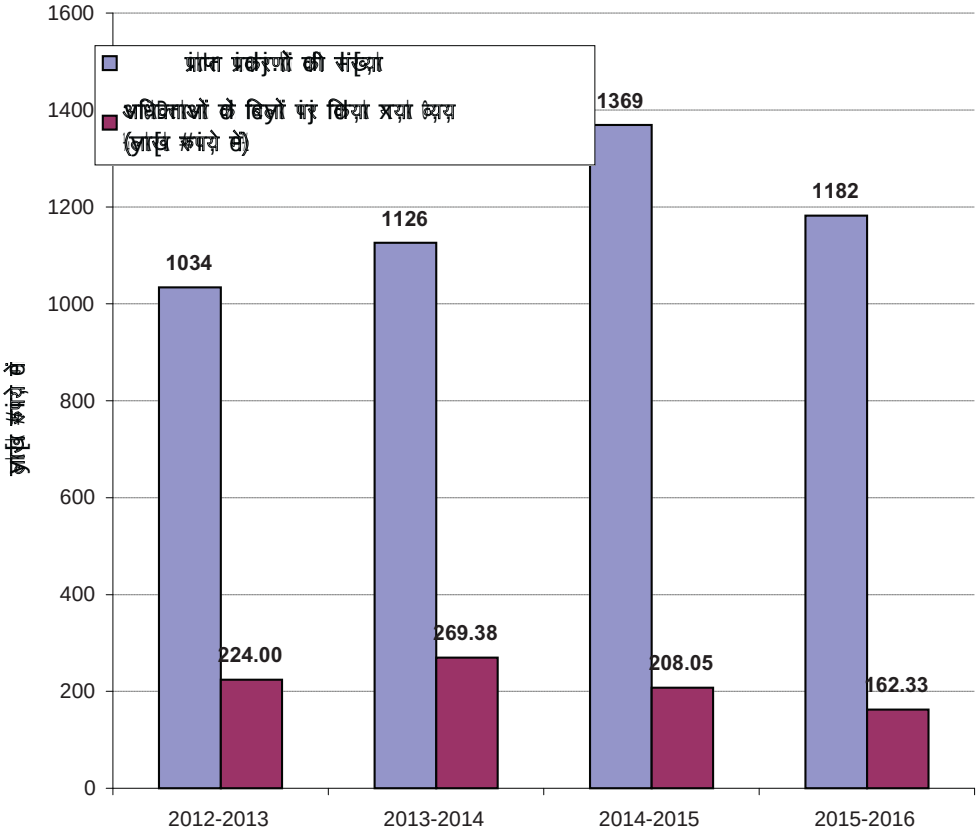
तालिका 1.3(3)(i): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अभियंताओं आदि के बिलों पर वर्षवार किया गया व्यय

वर्ष	ग्राम सभाओं की संख्या	अभियंताओं के बिलों पर किया गया व्यय (लाख रुपये में)
2007-2008	414	55.00
2008-2009	368	49.50
2009-2010	410	62.15
2010-2011	744	90.99
2011-2012	741	75.85
कुल	2677	333.49

तालिका 1.3(3)(ii): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अभियंताओं आदि के बिलों पर वर्षवार किया गया व्यय

वर्ष	ग्राम सभाओं की संख्या	अभियंताओं के बिलों पर किया गया व्यय (लाख रुपये में)
2012-2013	1034	224.00
2013-2014	1126	269.38
2014-2015	1369	208.05
2015-2016	1182	162.33
कुल	4711	863.76

चित्रांक 1.3(3): वर्षवार ग्राम प्रकरणों की संख्या तथा किया गया व्यय (बारहवीं पंचवर्षीय योजना)



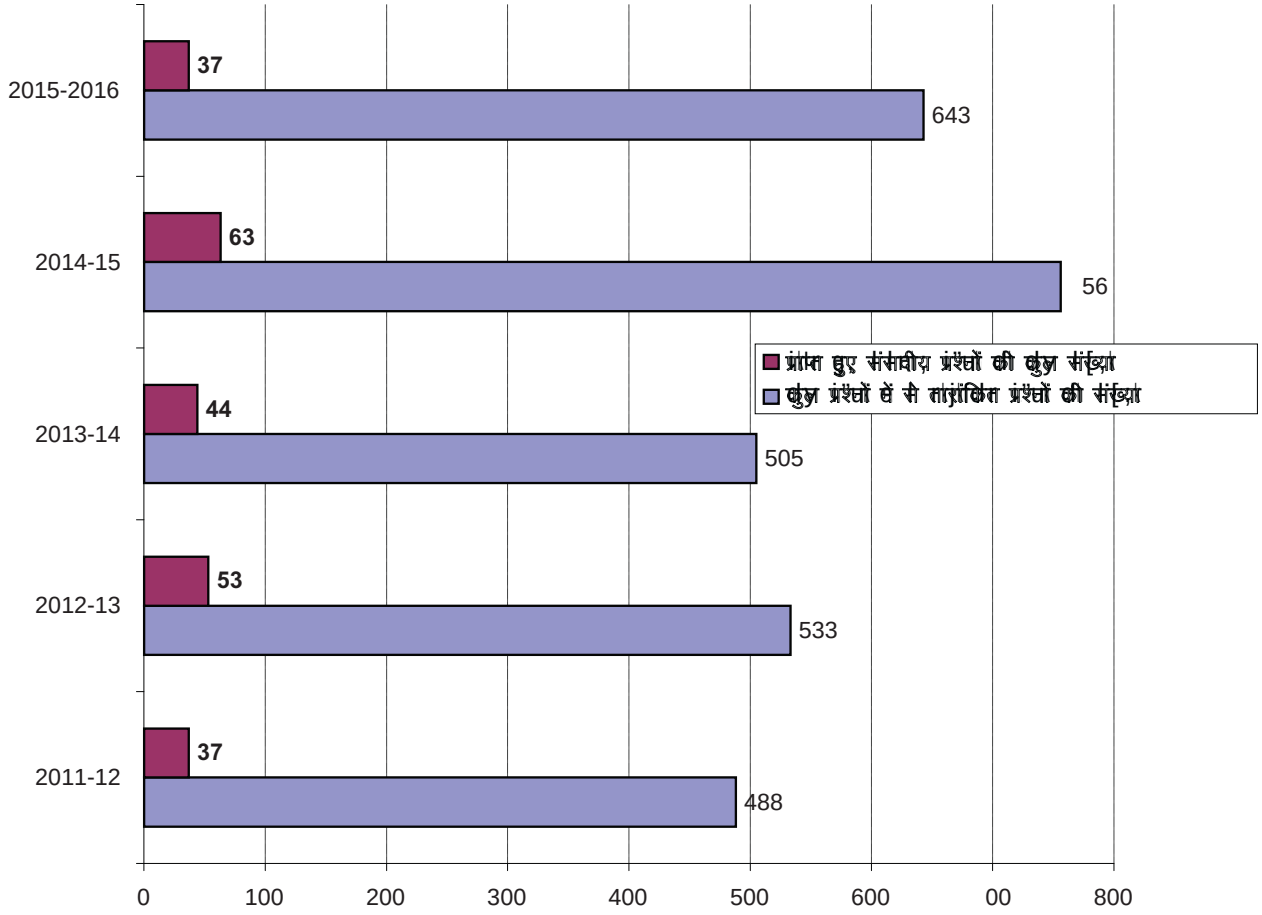
1.3(च) संसदीय मामलों संबंधी डेस्क

संसदीय सत्रों में संबंधित डेस्क विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संसदीय डेस्क] सचिवालय शिक्षा के संबंध में माननीय मंत्रालय के विभिन्न मंत्रालयों] विशेष रूप से सामाजिक विकास मंत्रालय से प्राप्त हुए संसदीय प्रश्नों को सारांश तैयार करके और सभी संबंधित करके का कार्य करता है।

वर्ष 2011&2012 से 2015&16 के दौरान डाटा@सामग्री@शैक्षणिक क्षेत्र के दौरान विभिन्नलिखित संसदीय प्रश्न प्राप्त हुए@ सारांश दिया गया :

वर्ष	प्राप्त हुए संसदीय प्रश्नों की कुल संख्या	कुल प्रश्नों से से तारांकित प्रश्नों की संख्या
2011-12	488	37
2012-13	533	53
2013-14	505	44
2014-15	756	63
2015-2016	643	37

चित्र 1.3(च): वर्ष 2011&2012 से 2015&16 के दौरान प्राप्त हुए और सारांश दिये गए संसदीय प्रश्नों की वर्षवार संख्या
(1अप्रैल] 2015 से 31 मार्च] 2016 तक)



वर्ष 2015&16 (1 अप्रैल] 2015 से 31 मार्च] 2016)

सत्र की तिथि	लोक सभा से प्राप्त हुए प्रश्न		राज्य सभा से प्राप्त हुए प्रश्न		कुल ग्राह्य@ अतारांकित प्रश्न	कुल तारांकित	कुल योग
	ग्राह्य@ अतारांकित	तारांकित	ग्राह्य@ अतारांकित	तारांकित			
21 जुलाई 2015 से 13 अगस्त] 2015	139	14	90	शून्य	229	14	243
30 नवम्बर] 2015 से 23 दिसम्बर] 2015	170	9	75	8	245	17	262
23 फरवरी] 2016 से 10 मार्च] 2016	48	2	84	4	132	6	138
कुल					606	37	643

आश्वासनों की कुल संख्या¼21

1.3(च) कदाचार रोधी प्रकोष्ठ

कदाचार रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना देश भर में फर्जी अथवा अमान्य विश्वविद्यालयों@संस्थानों की सूचना@कार्यकलाप के संबंध में मामलों पर कार्रवाई करने के लिए 30 मई] 1996 को की गई थी] जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम] 1956 के प्रावधान में सम्मिलित किए गए हैं] यह उन्हें अधिनियम] डीम्ड अधिनियम] अथवा प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित किए गए संस्थान नहीं हैं] जिन्हें विशेष रूप में सम्मिलित करने के अधिकार दिए गए हैं अतः फर्जी विश्वविद्यालय@संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम] 1956 की धारा 2(च) के तहत मान्यता प्राप्त नहीं हैं

1: प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य प्रिंट मीडिया एवं अन्य स्रोतों के माध्यम से फर्जी विश्वविद्यालयों@संस्थानों के बारे में सूचना एकत्रित करना और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ध्यान में लाना तथा छात्रों@अभिभावकों@छात्रों@माता&पिताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान करना तथा इन फर्जी विश्वविद्यालयों को समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अद्यतित सूची में सम्मिलित करना है।

2: छात्रों@अभिभावकों को जागरूक बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची यथा ही आईआईपीए के माध्यम से प्राप्त सभी भाषाओं के समाचार पत्रों के संबंध में हिन्दी और अंग्रेजी के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में जनसाधारण हेतु जानकारी का प्रकाशन करता है तथा साथ ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त नहीं करने की चेतावनी देता है। इसकी सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट www.ugc.ac.in पर भी उपलब्ध है।

3: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] सभी राज्यों@संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों@शिक्षा सचिवों@प्रधान सचिवों से ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध करता है।

वर्तमान में] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अद्यतित फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में 22 फर्जी विश्वविद्यालय हैं। इन 22 फर्जी विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई कार्रवाई

इन 22 फर्जी विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त दो और संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम] 1956 की धारा 2(च) के तहत मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इसलिए] इन दो संस्थानों को समाप्ति प्रदान करने हेतु शक्ति प्राप्त नहीं है। इन दो संस्थानों के नाम निम्नवत हैं:

क: भारतीय शिक्षा परिषद] मुजफ्फरनगर] उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय शिक्षा परिषद] को नाम फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची की पाद&टिप्पणी में दर्ज किया था।

ख: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसिट एण्ड डेवलपमेंट (आईआईपीए)।

दिनांक 26.09.2014 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू(सी) संख्या 5937@2010 के डी0 महेश बाबू गुप्त सरकार और अन्य के प्रकरण में आईआईपीए के विरूद्ध अंतिम निर्णय पारित किया। न्यायालय ने गुरुग्राम स्थित आईआईपीए तथा इसके प्रबंधन की आईआईपीए द्वारा पेशकश किये जा रहे पाठ्यक्रमों के लिए एमबीए] बीबीए] प्रबंधन पाठ्यक्रम] डेवलपमेंट स्टडीज] विकास स्टडीज] अथवा डी&स्टडीज शब्दों का प्रयोग करने से रोक लगाई। न्यायालय ने दिनांक 31.10.2014 को आईआईपीए के विरूद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के आधार पर प्रकरण का निपटान कर दिया] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आईआईपीए के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की।

1.3(ज) "कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न" को रोकने संबंधी प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न" संबंधी आंतरिक शिकायत समिति गठित की है। रिपोर्टीधीन अवधि के दौरान समिति की दो बैठकें हुई। समिति का व्यापक प्रचार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्यालय के सुरक्षा स्टाफ को तथा क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात किए गए हैं। जनशिकायत की जानकारी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर समिति की संरचना सहित संपर्क ब्यौरा उपलब्ध किए गए हैं।

वर्ष 2015&16 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

1.3(झ) रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ

सिविल अपील संख्या 887@2009 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 08.05.2009 के निर्णय के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "सर्वत्र शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर रोक लगाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम] 2009 तैयार किए हैं] और सभी संबंधित दिनांक 04 जुलाई] 2009 की अधिसूचित किया गया तथा पुनः इसे दिनांक 08.10.2012] 29.03.2014 और 29.06.2016 संशोधित किया गया जोकि वर्तमान में प्रभावी हैं। यह विनियम सभी सर्वत्र शिक्षा संस्थानों के लिए अनिवार्य स्वरूप के हैं।

एक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क रैगिंग रोधी हेल्पलाइन 1800&180&5522 आरंभ की गई है] जिस पर रैगिंग संबंधी घटनाओं से पीड़ित छात्र कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन की सीमा में सुविधाओं सहित 12 भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी] हिन्दी] और क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल] तेलुगु] कन्नड़] मलयालम] पंजाबी] मराठी] बंगाली] गुजराती और उर्दू) में रैगिंग के पीड़ित छात्रों की सहायता करने के साथ&साथ ऐसी घटनाओं के संबंध में आगे कार्यवाही करने के लिए प्रारंभ किया गया है। यह हेल्पलाइन शिकायतकर्ताओं@रैगिंग के पीड़ितों से सीधे शिकायतें प्राप्त करती हैं। इस शिकायत की हेल्पलाइन द्वारा संबंधित संस्थानों तथा स्थानीय प्रशासन (जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक) की आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है। रैगिंग के संबंध से शिकायत प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबंधित संस्थान से की गई कार्रवाई रिपोर्ट सुनिश्चित करता है। विभिन्न रैगिंग रोधी उपायों का महत्व करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक रैगिंग&रोधी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में प्राप्त कथित रैगिंग संबंधी घटनाओं की सभी शिकायतों पर शीघ्र ध्यान दिया जा रहा है तथा संबंधित संस्थानों से की गई कार्यवाही रिपोर्ट मांगी जाती है। संस्थानों द्वारा रैगिंग की कथित घटनाओं पर कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में ऐसे संस्थानों के विरूद्ध विनियमों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। विपक्ष से प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर पुनः अनुस्मारक भेजा जाता है और जब कोई की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो दण्डात्मक कार्रवाई आरंभ की जाती है।

आयोग ने सभी संस्थानों की अपनी वेबसाईट में रैगिंग की वर्जित करने तथा इनके परिणामों के संबंध में निदेशों की शामिल करने की अनिवार्य बनाया है। सामान्य अथवा किसी विशेष योजना के तहत किसी संस्थान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता अथवा अनुदान सहायता के संबंध में सम्भोगित प्रमाणपत्र में संस्थान द्वारा रैगिंग रोधी उपायों का अनुपालन किये जाने वाली विशिष्ट शर्त को शामिल किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी विश्वविद्यालय की अधिनस्थ मंत्र के आरंभ होने से पूर्व मार्गदर्शिका सूचनाओं] वेबसाईट तथा विश्वविद्यालय की पत्रों के माध्यम से रैगिंग रोधी उपायों की कड़ाई का अनुपालन किये जाने के संबंध में अनुस्मरण करता है। वि0अ0आ0 ने पहले ही एन्टी&रैगिंग उपाय के अनुपालन हेतु एक परिपत्र जारी किया है। सर्वत्र शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या की रोकथाम के संबंध में दिनांक 19.02.2016 को एक मार्गदर्शिका सूचना प्रकाशित की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्टीधीन अवधि के दौरान कथित रूप से 424 रैगिंग की शिकायतें प्राप्त हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] संबंधित संस्थानों के ध्यान में इन शिकायतों को लाया है तथा इस संबंध में तत्काल और तुरंत कार्यवाही करने के लिये सभी अनुस्मारकों तथा कारण बताओ नोटिसों के माध्यम से तत्काल कड़ाई के साथ मार्गदर्शन किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्तर पर 2015&16 के दौरान 403 शिकायतों की निपटारा गया। शेष 21 मामलों में की गई कार्यवाही रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और यदि कोई संतोष प्राप्त नहीं होता है तो यथा संशोधित रैगिंग की समस्या पर समय समय संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम] 2009 के अनुसार संगत दण्डात्मक कार्यवाही आरंभ की जाएगी।

प्रो0 सोहनराज] मैनेजिंग ट्रस्टी और सोशल सेक्रीमस एण्ड ह्यूमिनिटी हेल्थ] स्कूल ऑफ सोशल साइंस] जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय] नई दिल्ली] ने दिनांक 22.12.2015 "भारत के चुनिंदा सर्वत्र शिक्षा संस्थानों में रैगिंग के संबंध में सर्वेक्षणात्मक अध्ययन" पर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है।

आयोग ने देश में सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए एक समग्र नीति का गठन किया। आयोग की बैठक दिनांक 04.12.2015 को हुई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रो. यशपाल समिति की अनुशंसा में 01.07.2015 से एक वर्ष के लिए अखिल भारतीय स्तर की विश्वविद्यालय एजेंसी (एयूसीओ) नियुक्त किया तथा विश्वविद्यालय एजेंसी के मंत्रीमण्डलीय विभाग के आधार पर आगे समय विस्तार दिया जाएगा।

अंतर्&पाठ्यक्रम समिति तथा समग्र समूह की पांचवीं बैठक दिनांक 30.09.2016 को आयोजित हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालयों@संस्थानों से अनुरोध किया जाए कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विशेषज्ञों विचारों द्वारा तैयार किए गए ग्रेडिंग विवरणों को अंतिम रूप दें। बैठक में इस बात पर बल दिया गया कि अन्य विशेषज्ञों विचारों में आधार जाने वाली सामान्य प्रशासन प्रक्रिया (एमओपी) की शिकायतों के त्वरित निपटान होने के लिए आधारा जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न समितियों का गठन होने तथा सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों में ग्रेडिंग की समस्या का निराकरण होने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम] 2009 का अनुपालन होने के लिए भारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की दिनांक 24.07.2015 और 23.02.2016 को परिपत्र जारी किया तथा ग्रेडिंग प्रणाली लागू होने की अनुशंसा किया। समर्पित भारी परिपत्र तथा मार्गदर्शिका सूचना की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट अर्थात् www.ugc.ac.in पर दर्शाया गया है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012&14 के दौरान भुगतान किया गया अनुदान ₹ 1]97]84]283@&

आयोग ने दिनांक 04.02.2016 को आयोजित अपनी बैठक में सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों में भूतपूर्वीय तथा प्रादेशीय स्तरों के संसाधनों को संश्लिष्ट होने के संबंध में सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों में ग्रेडिंग की समस्या के निराकरण होने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तृतीय संशोधन को अनुमोदित किया और तत्पश्चात् इसे दिनांक 29.06.2016 को अधिसूचित किया गया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्तमान शिक्षा सत्र 2015&16 के दौरान देश में सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों में ग्रेडिंग को बढ़ावा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सीधिया अभियान चलाने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए। इस अभियान को ग्रेडिंग की विश्वसनीयता होने के लिए और ग्रेडिंग की समस्या को रोकने के लिए स्थित स्थानीय सार्वजनिक पुस्तकालय की समिति के निवेशों के अनुसार आगे किया गया है।

इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों में ग्रेडिंग की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कार्यशिविर के सीधिया प्रचार हेतु एक पुस्तिका समिति का गठन किया।

इस प्रयोजनार्थ समिति ने ग्रेडिंग की रोकथाम हेतु सीधिया प्रचार के विभिन्न हिस्सेदारों हेतु विस्तृत विधियां आवंटित होने का निर्णय लिया है।

हिस्सेदारों	आवंटित विधियां
एफएम रेडियो	1.5 करोड़ रुपए
दूरदर्शन (एक वर्ष के लिए)	1.5 करोड़ रुपए
पोस्टर	50.00 लाख रुपए
प्रिंट विज्ञापन	50.00 लाख रुपए
होर्डिंग, ऑटोरिक्शा तथा विज्ञापन	50.00 लाख रुपए
विविध हिस्सेदारों	50.00 लाख रुपए

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विस्तृत प्रयोजनार्थ सीधिया प्रचार हेतु प्रारंभ 5.00 करोड़ रुपए की राशि में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विस्तृत हिस्सेदारों के लिए 4]78]92]617@& रुपए की राशि (चार करोड़ अठहत्तर लाख बानवे हजार छह सौ सत्रह रुपए मात्र) व्यय की।

ब्रीफ सं:	राशि	ब्रीफ्यावरण
1:	रैन्रिक के विरुद्ध टीवीसी तैयार करने तथा प्रसारित करने के लिए मूल्यवर्धन की 15114000@& रुपए की राशि जारी की गई है।	देशव्यापी तथा डीडी न्यूज पर 180 दिनों की अवधि के साथ&साथ 150 दिनों की डोमस अवधि के लिए 30 सैकिण्ड की टीवीसी की डीडी न्यूज पर प्रसारित किया जाना। 15 तथा 25 सितंबर के मध्य वृत्तचित्रों की प्रसारित किया जाना (प्रति साप्ताह के लिए सात में एक बार) 10 (दस) क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदिस के साथ हिन्दी&अंग्रेजी में 3 टीवीसी (एडाडी फोर्मेट) (30 सैकिण्ड) तैयार करना।
2:	एसडीएफसी की फिल्म विमोचन हेतु 48]03]000@& रुपए की राशि जारी की गई है।	सभी क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल] तेलगू] मलयालम] कन्नड़] मराठी] बांग्ला] असमिया] गुजराती तथा ओडिया) में हिंदिस के साथ मूल्यवर्धन पर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारित की जाने वाली (30 सैकिण्ड की विज्ञापन फिल्म) तीन टीवीसी (एडाडी फोर्मेट) कैम्पस से विद्यार्थी तथा ब्लैक@ओरोडिया@ पेरिसंवादों@सेमिनारों में सहयोग करने के लिए सभी क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल] तेलगू] मलयालम] कन्नड़] मराठी] बांग्ला] असमिया] गुजराती तथा ओडिया) में पांच और एक सितंबर की समयावधि वाली 15 सितंबर की फिल्म। विश्वविद्यालय परिसर के भीतर तथा बाहर शिक्षकों] छात्रों आदि को सम्मिलित कर विश्वविद्यालय के कैम्पस में 25 सितंबर की एक फिल्म का प्रसारण किया जाएगा।
3:	एफएम रेडियो पर देशभर में प्रसारित करने के लिए डीएवीपी हेतु 14976828@& रुपए की राशि जारी की गई है।	एफएम चैनलों पर प्रत्येक 30 सैकिण्ड के स्पॉट्स का प्रसारण करने हेतु
4:	डीएवीपी की रैन्रिक के विरुद्ध 1]35]000 पोस्टरों के मुद्रण तथा उसे भेजने के लिए 50]00]000@& रुपए की राशि जारी की गई है।	रैन्रिक के विरुद्ध 1]35]000 पोस्टरों के मुद्रण तथा उन्हें प्रेषित करने हेतु
5:	राष्ट्रीयकृत बैंक इंडिया रेडियो पर प्रसारण हेतु प्रसार भारती को 79]98]789@& रुपए की राशि जारी की गई है।	राष्ट्रीयकृत बैंक इंडिया रेडियो अर्थात् एफएम रेनबो] एफएम गोल्ड तथा विविध भारती पर प्रसारण करने हेतु

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैन्रिक रोधी सप्ताहों का व्यापक प्रसार करने तथा संवर्धन हेतु छात्रों] शिक्षकों तथा जन सामान्य के लिए एक प्रतियोगिता की घोषणा भी की।

(i) रैन्रिक तथा इसके परिणामों पर पोस्टर्स डिजाईनिंग

(ii) रैन्रिक के विरुद्ध स्लोगो@आईकोन@स्लोगन लेखन

(iii) रैन्रिक तथा छात्रों और व्यापक रूप से समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभावों पर विशेष लेखन प्रतियोगिता]

इसकी प्रतिक्रिया में] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न प्रविष्टियां प्राप्त हुई।

(iv) पोस्टर्स &107

(v) स्लोगो & 75

(vi) स्लोगन & 84

(vii) विशेष & 130

समिति ने रैन्रिक रोधी सप्ताहों के संवर्धन हेतु 3 पोस्टरों] 2 स्लोगो तथा 3 स्लोगनों का चयन किया।

1.3 (ट)आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ

सहायिसेशक लेखापरीक्षा और हसाब की संस्तुति पर सई] 1995 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में आंतरिक वित्त की समिक्षा] लेखापरीक्षा तथा पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से आंतरिक लेखा प्रकोष्ठ गठित किया गया। तब से] यह कार्यालय सहायिसेशक की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है जिसकी सहायता के लिए भारत सरकार के कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति आधार पर लेखापरीक्षा@ कनिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों तथा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयी प्रणाली के अंतर्गत वि0व0वि0 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अंतर्विश्वविद्यालयी केंद्रों की पर्यवेक्षण की करता है। इनके अलावा, आंतरिक पर्यवेक्षण प्रकोष्ठ] वि0व0वि0 की विभिन्न वित्तीय सहायता पर भी नजर रखता है। इस प्रकोष्ठ की मुख्यतः दो सहायता के साधनों] यानी यू@यानी यू ऑफ सहायता के साधनों] जैसा कि विस्तार] संविदा कर्मचारियों तथा सफर&सफर पर भेजे गए अन्य साधनों तथा पर्यवेक्षकों की डाक की पर्यवेक्षण] अनुदान लेखापरीक्षा रजिस्टर की परीक्षा जांच तथा सत्यापित] आंतरिक पर्यवेक्षण में सामने आई आपत्तियों का निपटान में अनुपालन कराना@निपटान तथा पर्यवेक्षण रिपोर्ट में तैयार के संबंध में विभिन्न विकासों के साथ सहयोग करता। विश्वविद्यालयों तथा अन्य प्राधिकारी संस्थानों की जारी की गई विधियों तथा साथ संयोजन की जांच करना तथा पर्यवेक्षकों का विश्लेषण करना।

पर्यवेक्षण महानिदेशक (लेखापरीक्षा) ने प्राप्त सूचना के आधार पर वित्त वर्ष 2013&14 के लिए वि0व0वि0 के 129 पर्यवेक्षण तैयार संतोषजनक पाए गए हैं। संबंधी सारांश पहले ही यू0जी0सी0(सीई) की सहित के विनांक 17.08.2016 के पत्रांक सं01&1@2013(सीई) के साथ में भेज दिए गए हैं जिनकी जानकारी साथ संलग्न संलग्नक] मानवतर शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव (एचई) की दे दी गई है।

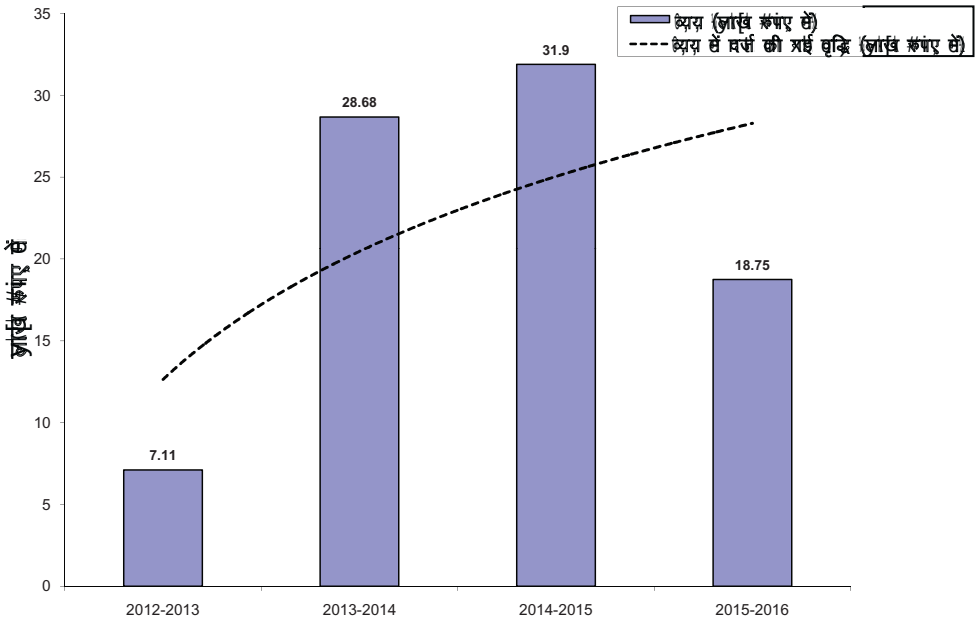
वि0व0वि0 के अध्यक्ष महोदय से पर्यवेक्षण पैराओं के त्वरित निपटान हेतु यू0जी0सी(सीई) के कार्यालय के प्रतिनिधियों के साथ विचारित बैठकें करने के लिए समिति का गठन किया है। यू0जी0सी(सीई) ने इन प्रयोजनार्थ अपने प्रतिनिधियों की नामित करने का भी अनुरोध किया गया है। यू0जी0सी(सीई) के कार्यालय से प्रतिक्रिया प्राप्त होनी शेष है।

1.4 प्रकाशन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रकाशन ब्यूरो विभिन्न प्रकार के प्रकाशन] यथा वि0व0वि0 की वार्षिक रिपोर्ट] सक्षमता शिक्षा के क्षेत्र में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं@कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश] वि0व0वि0 अधिनियम] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग&सेवाएं] सांख्यिकी की रिपोर्ट] सांख्यिकीय रिपोर्टों@प्ररूपों का प्रकाशन करता है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों के आयोग के लिए विभिन्न पर्यवेक्षण सामग्री का भी प्रकाशन करता है यथा विजिटिंग बोर्ड] ज्ञापन] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग टी0ए0@डी0ए0 नियम] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त प्रदान योजनाओं तथा वार्षिक विभागीय सूचनाओं रिपोर्ट (ए0सी0ए0आर0) के प्ररूपों का भी प्रकाशन करता है।

वर्ष	ब्यूरो (लाख रुपए में)
2012-2013	7.11
2013-2014	28.68
2014-2015	31.90
2015-2016	18.75

पर्यवेक्षण 1.4: मुद्रण तथा प्रकाशन पर वर्षवार किया गया ब्यूरो



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुभाग, मंडलीय ब्यूरो से विस्तृत प्रकाशित विवरण हैं:

क्र0 सं0	सुमित दस्तावेज
1:	बी0एच0यू0 वाराणसी में शिक्षकों हेतु अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र पर ब्रोशर
2:	वार्षिक विभागीय मूल्यांकन रिपोर्ट (ए0पी0ए0आर0) प्रारूप
3:	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में व्यवसाय स्नातक (बी0वोक0) कार्यक्रम हेतु दिशानिर्देश
4:	कौशल आधारित पेशेवर पाठ्यक्रमों में पाठ्यचर्या संबंधी मुद्दे, मूल्यांकन सामग्री तथा क्रेडिट प्रणाली के संबंध में दिशानिर्देश
5:	विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के संबंध में दिशानिर्देश
	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों हेतु मानकीकृत महाविद्यालयों संबंधी दिशानिर्देश
7:	ज्ञानार्जन तथा कौशल सहित संवेदना तथा आजीविका का सम्प्रदाय करने हेतु पीठ प्रदान करने योग्य केन्द्र के संबंध में दिशानिर्देश (कौशल)
8:	यूजी&इंडिया ईयर बॉक एजूकेशन रिमींड एण्ड इनोवेशन& 2016 पर पुस्तक
9:	वि0अ0आ0 वार्षिक रिपोर्ट 2014&15 (अंग्रेजी और हिन्दी)
10:	भारत में सक्षमता शिक्षा&एक दृष्टि में (ब्रोशर)&2016

1.5 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त

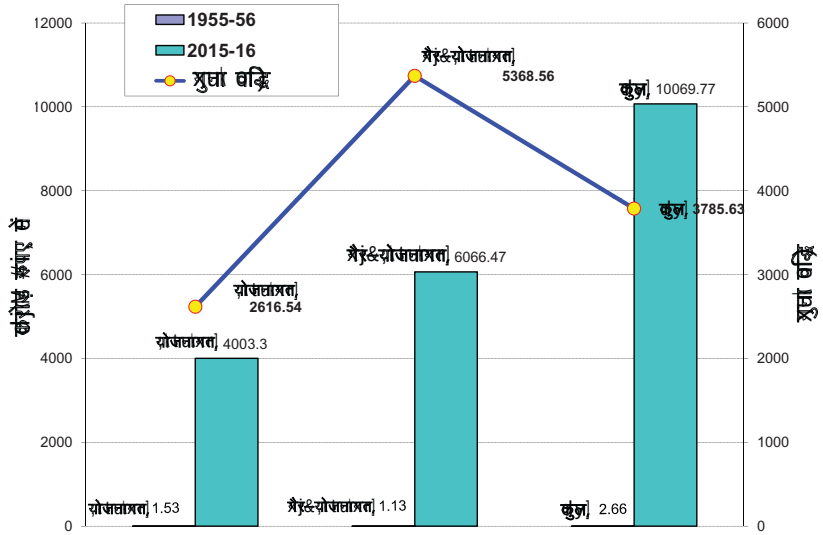
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यों में अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियाँ तथा व्यय दर्शाते हुए, बजट तैयार करना और सभी संबंध मंत्रालय विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करना है। आयोग की "आयोग अनुदान की विधि" संबंधी एक विधि है। केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग को प्रदान की जाने वाली संकल्प राशि आयोग की संकल्प प्राप्तियाँ, इस विधि में अंतर्गत की जाएँगी और आयोग द्वारा की जाने वाली सभी अदायगियाँ इसी विधि में की जाएँगी।

विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम के अनुसार, आयोग की यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपनी विधि में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य संबंधित शिक्षा संस्थाओं की अनुदान आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से अनुरक्षण (गैर-योजनागत) तथा विकास (योजनागत) अनुदानों के रूप में विधियाँ आवंटित एवं संवितरित करे सकता है, ताकि संबंधित शिक्षा के क्षेत्र में स्तरों को बनाए रखा जा सके और सबसे सुधार किया जा सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-योजनागत और गैर-योजनागत व्यय में वर्ष 1955-56 से 2015-16 के दौरान हुई कुल वृद्धि (करोड़ रुपए में)

	योजनागत	गैर-योजनागत	कुल
1955-56	1.53	1.13	2.66
2015-16	4003.30	6066.47	10069.77
कुल वृद्धि	2616.54	5368.56	3785.63

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-योजनागत और गैर-योजनागत व्यय में वर्ष 1955-56 से 2015-16 के दौरान हुई कुल वृद्धि (करोड़ रुपए में)

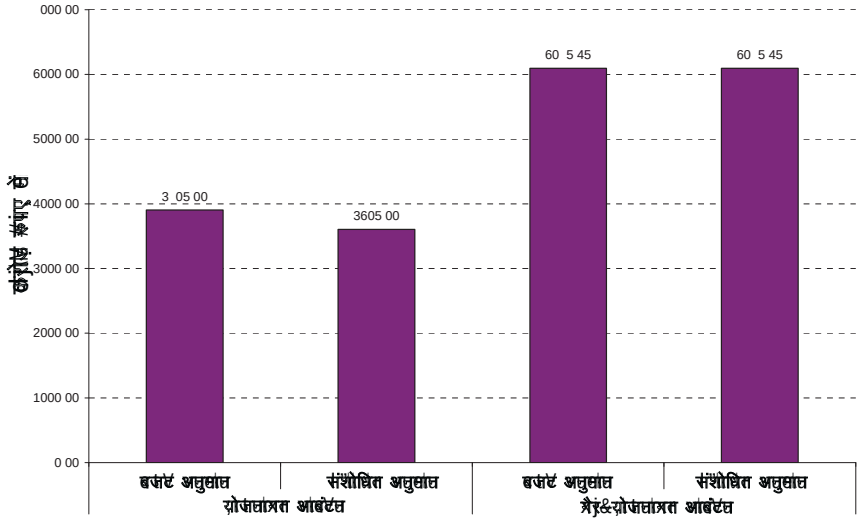


वर्ष 2015&16 के लिए बजट की तालिका 1.5(क) में दिया गया है। वर्ष 2015&16 के दौरान योजना मद्वार से प्राप्त तथा विश्वविद्यालयों@संस्थानों की जारी योजनागत और गैर&योजनागत अनुदान का ब्यौरा क्रमशः निम्नवत तालिका 1.5(ख), 1.5(ग), 1.5(घ) और 1.5(ङ) में दिया गया है।

तालिका 1.5(क): वर्ष 2015&16 के लिए बजट

क्र0 सं0	बजट शीर्ष	योजनागत		गैर&योजनागत	
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1	सामान्य	3905.00	3605.00	6095.45	6095.45
	कुल:	3905.00	3605.00	6095.45	6095.45

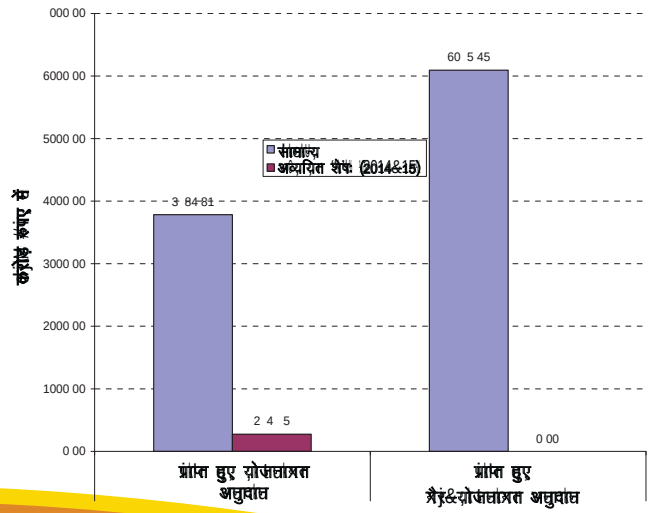
चित्र 1.5(क): वर्ष 2015&16 के लिए सामान्य बजट



तालिका 1.5(ख): वर्ष 2015&16 के दौरान प्राप्त अनुदान

क्र0 सं0	बजट शीर्ष	योजनागत	गैर&योजनागत
		प्राप्त हुए अनुदान	प्राप्त हुए अनुदान
1	सामान्य	3784.81	6095.45
2	अव्ययित शेष (2014&15)	274.75	0.00
	कुल	4059.56	6095.45

चित्र 1.5(ख): वर्ष 2015&16 के दौरान प्राप्त हुए अनुदान (वर्ष 2014&15 के लिए सामान्य और अव्ययित शेष राशि)

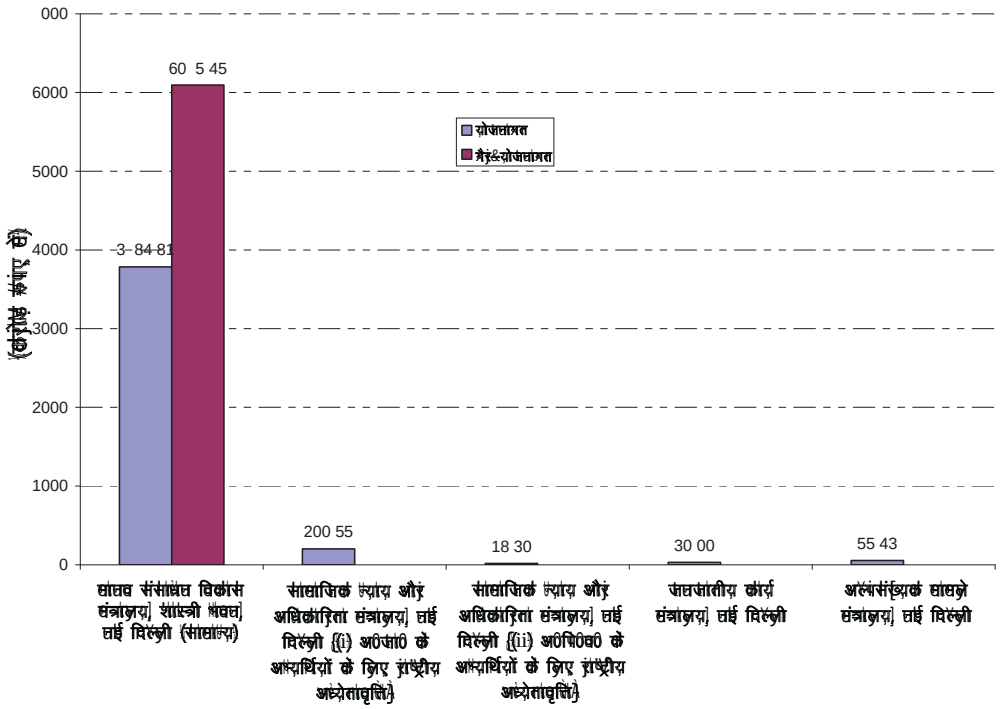


तालिका 1.5 (अ) : वर्ष 2015&2016 के दौरान योजनागत और गैर&योजनागत (सामान्य) बजट शीर्ष के तहत प्राप्त अनुदान

(करोड़ रु0 में)

क्र. सं0	मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	योजनागत अनुदान	गैर&योजनागत अनुदान
1.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य)	3784.81	6095.45
2.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली		
	(i) अ0जा0 के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	200.55	
	(ii) अ0पि0व0 के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	18.30	
3.	जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	30.00	
4.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, नई दिल्ली	55.43	
	कुल:	4089.09	6095.45

चित्र 1.5(अ): वर्ष 2015&16 के दौरान योजनागत और गैर&योजनागत (सामान्य) बजट शीर्ष के तहत प्राप्त हुए अनुदान



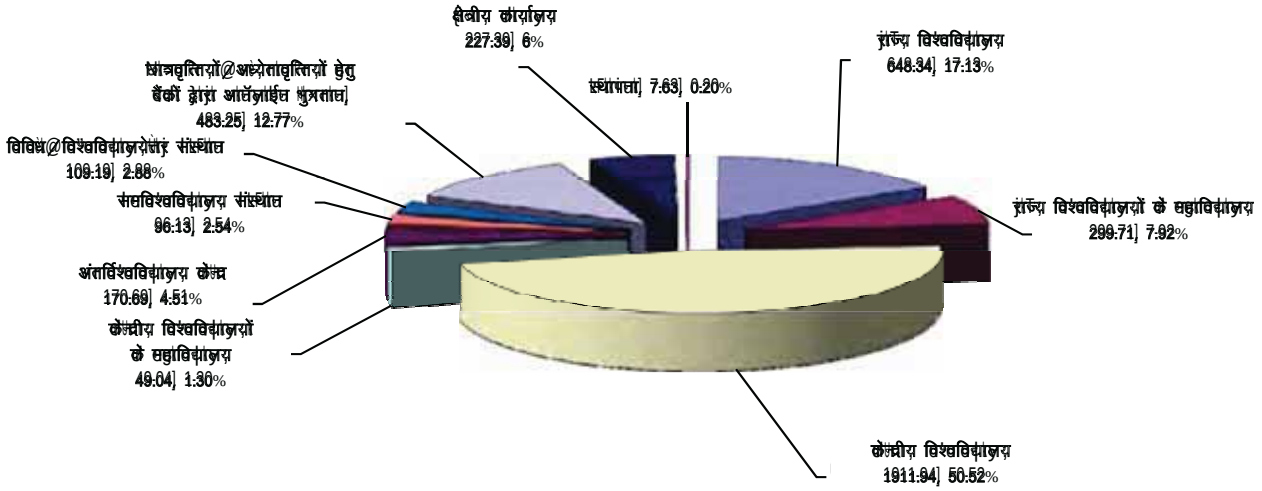
तालिका 1.5 (ब) : वर्ष 2015&2016 के दौरान संस्थानों को जारी किया गया योजनागत अनुदान

(करोड़ रु0 में)

क्र. सं.	संस्थानों का स्वरूप	योजनागत अनुदान	कुल योजनागत अनुदानों का प्रतिशत
1.	राज्य विश्वविद्यालय	648.34	17.13
2.	राज्य विश्वविद्यालयों के समविद्यालय	299.71	7.92
3.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1911.93	50.50
4.	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के समविद्यालय	49.04	1.30
5.	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र	170.56	4.51
6.	समविश्वविद्यालय संस्थान	93.29	2.46
7.	विविध@विश्वविद्यालयेतर संस्थान	112.16	2.96
8.	छात्रवृत्तियों@अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों द्वारा आहरणाईत मुआवजा	483.25	12.77
9.	क्षेत्रीय कार्यालय	227.39	6.01
10.	स्थापना	7.63	0.20
	कुल:	4003.30	105.77*

*अव्ययित शेष राशि, प्रतिभूति तथा बैंकों से प्राप्त ब्याज से इतर किया गया व्यय

रेखाचित्र 1.5(घ): वर्ष 2015&16 के दौरान संस्थानों की जारी किया गया योजनागत अनुदान (करोड़ रुपए में)

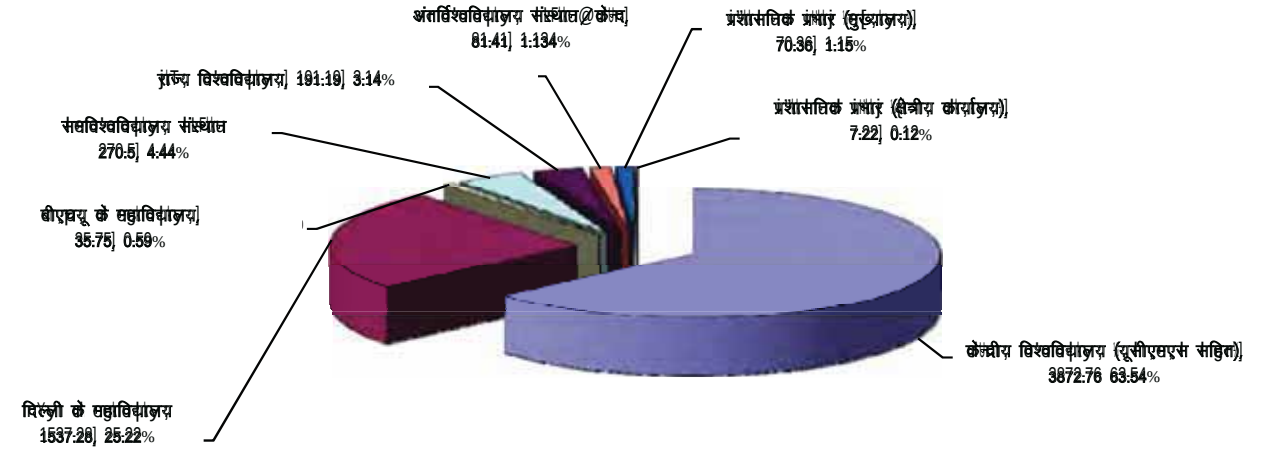


तालिका 1.5 (ङ): वर्ष 2015&2016 के दौरान जारी किए गए प्रोजं&योजनागत अनुदान

(करोड़ रुपए में)

क्र0 सं0	संस्थान का स्वरूप	प्रोजं&योजनागत अनुदान	कुल प्रोजं&योजनागत अनुदानों का प्रतिशत
1	अनुदानित:		
	(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की (यूसीएएसएम सहित)	3872.76	63.54
	(ख) (i) दिल्ली के सहायिकालय	1537.28	25.22
	(ii) डीएवी के सहायिकालय	35.75	0.59
	(ग) संसविश्वविद्यालय संस्थान	270.50	4.44
2	राज्य विश्वविद्यालय	191.19	3.14
3	अंतर्विश्वविद्यालय संस्थान@केन्द्र	81.41	1.34
4	प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	70.36	1.15
5	प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)	7.22	0.12
	कुल	6066.47	99.52

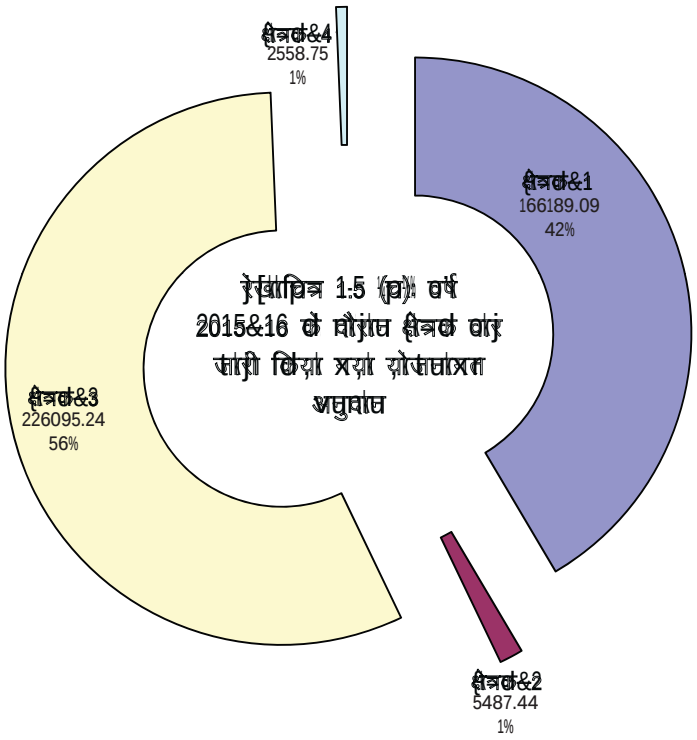
रेखाचित्र 1.5(ङ): वर्ष 2015&2016 के दौरान संस्थानों को जारी किया गया प्रोजं&योजनागत अनुदान (करोड़ रुपए में)



तालिका 1.5 (ब): वर्ष 2015&16 के दौरान जारी किए गए योजनागत अनुदान का ब्यौरा

	क्षेत्रक&1	क्षेत्रक&2	क्षेत्रक&3	क्षेत्रक&4	कुल (क्षेत्रक&1 से 4)
विश्वविद्यालय					
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	164909.09		26180.74	104.19	191194.02
मंस विश्वविद्यालय		5203.44	3949.26	105.03	9257.73
राज्य विश्वविद्यालय			62484.80	2349.53	64834.33
अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र			17055.61		17055.61
विश्वविद्यालयेतर केन्द्र		284.00	10918.92		11202.92
छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों के साध्यस में ऑनलाइन हस्तांतरण			48325.14		48325.14
विश्वविद्यालयों का योग	164909.09	5487.44	168914.46	2558.75	341869.74
महाविद्यालय					
केन्द्रीय विश्वविद्यालय (यूसीएसएमी)	1280.00		3623.77		4903.77
मंस विश्वविद्यालय			70.96		70.96
राज्यों के विश्वविद्यालयेतर			29971.13		29971.13
विश्वविद्यालयेतर केन्द्र			12.80		12.80
महाविद्यालयों का योग	1280.00	0.00	33678.66	0.00	34958.66
विश्वविद्यालय&महाविद्यालयों का योग	166189.09	5487.44	202593.12	2558.75	376828.40
क्षेत्रीय केन्द्र			22738.76		22738.76
Eliminate			763.36		763.36
कुल योग	166189.09	5487.44	226095.24	2558.75	400330.52

क्षेत्रक&1: केन्द्रीय विश्वविद्यालय] क्षेत्रक&2: मंस विश्वविद्यालय] क्षेत्रक&3: (केन्द्रीय/राज्य/मंस)] क्षेत्रक&4: विविध

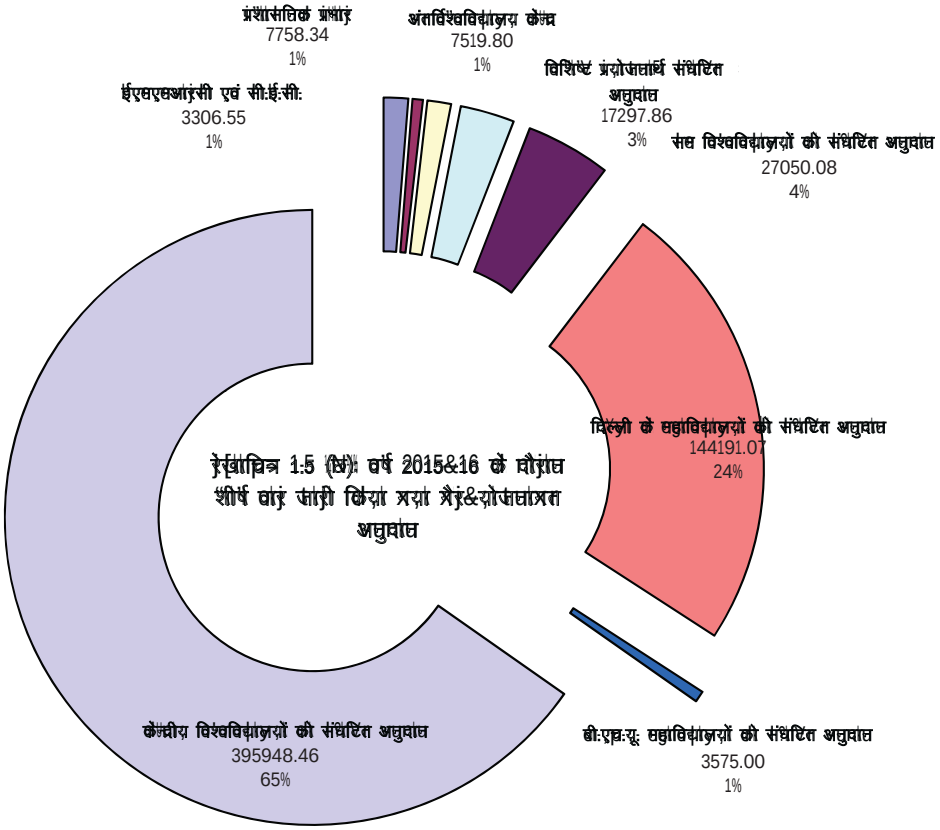


चित्र 1.5 (ब): वर्ष 2015&16 के दौरान क्षेत्रक वार जारी किया गया योजनागत अनुदान

तालिका 1.5(ब): वर्ष 2015&16 के दौरान जारी किए गए गैर&योजनागत अनुदान का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

ब्यौरे	प्रशासनिक प्रभार	ईएचएसआरसी एवं सीएलईसी	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र	विशिष्ट प्रयोजनार्थ संबंधित अनुदान	सब विश्वविद्यालयों की संबंधित अनुदान	दिल्ली के सहविद्यालयों की संबंधित अनुदान	डीएचईयू सहविद्यालयों की संबंधित अनुदान	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संबंधित अनुदान	कुल (कॉल 1 से 9)
	1	4	5	6	7	8 (i)	8 (ii)	9	10
विश्वविद्यालय									
केन्द्रीय विश्वविद्यालय		594.80						386681.58	387276.38
सब विश्वविद्यालय					27050.08				27050.08
अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र		620.83	7519.80						8140.63
राज्य विश्वविद्यालय		1820.91		17297.86					19118.77
योग (विश्वविद्यालय)		3036.55	7519.80	17297.86	27050.08			386681.58	441585.86
सहविद्यालय									
दिल्ली के सहविद्यालय		270.00				144191.07		9266.88	153727.95
डीएचईयू के सहविद्यालय							3575.00		3575.00
केन्द्रीय विश्वविद्यालय									
राज्य सहविद्यालय									
योग (सहविद्यालय)		270.00				144191.07	3575.00	9266.88	157302.95
कुल योग (विश्वविद्यालय और सहविद्यालय)		3306.55	7519.80	17297.86	27050.08	144191.07	3575.00	395948.46	598888.82
प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	7036.10								7036.10
प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय केन्द्र)	722.24								722.24
कुल&योग:	7758.34	3306.55	7519.80	17297.86	27050.08	144191.07	3575.00	395948.46	606647.16



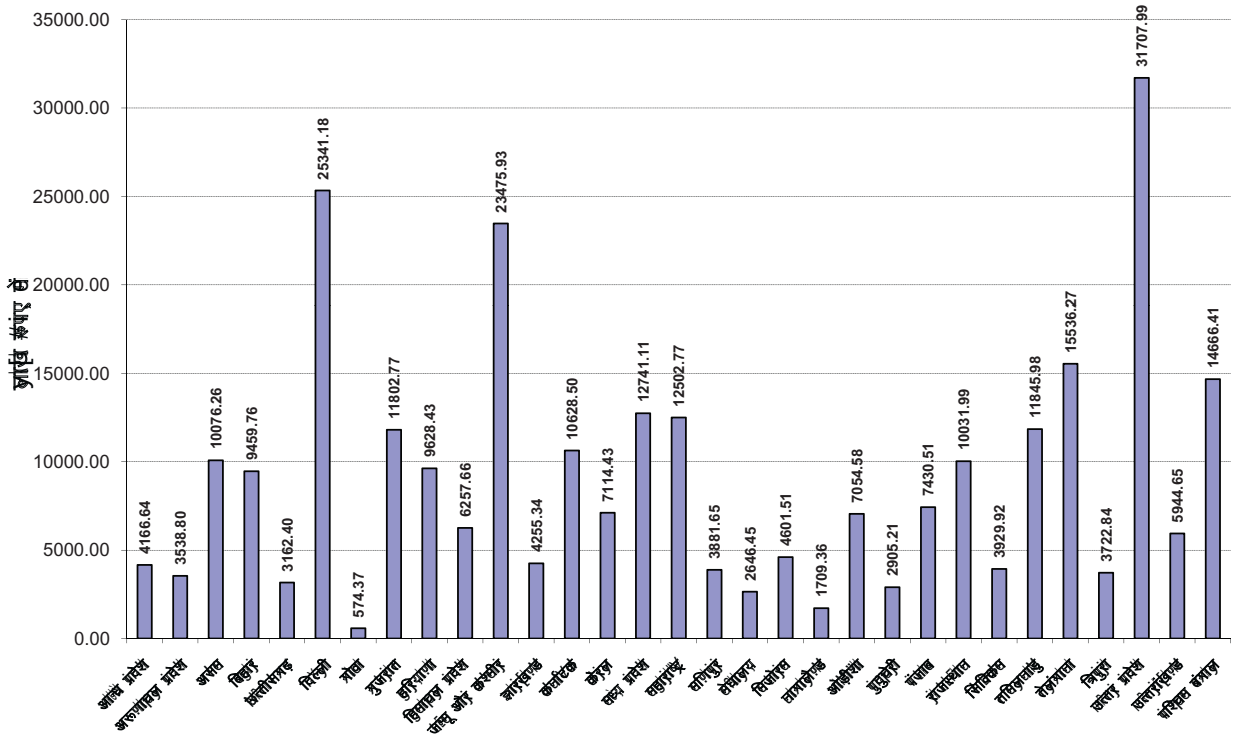
चित्र 1.5 (ब): वर्ष 2015&16 के दौरान शीर्ष वार जारी किया गया गैर&योजनागत अनुदान

तालिका 1.5(सी): वर्ष 2015&16 के दौरान सामाजिक योजना के तहत विश्वविद्यालयों को ऋण जारी किया गया अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र0 सं0	ऋण@संघ ऋण क्षेत्र	शीर्ष			कुल(31$35$36)
		31	35	36	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह				
2	आंध्र प्रदेश	2590.26	1576.38	0.00	4166.64
3	अरुणाचल प्रदेश	208.46	2753.34	577.00	3538.80
4	असम	2271.88	6904.28	900.10	10076.26
5	बिहार	637.29	7222.47	1600.00	9459.76
6	चंडीगढ़				
7	छत्तीसगढ़	714.17	1948.23	500.00	3162.40
8	दादरा और नगर हवेली				
9	दमन और द्वीव				
10	दिल्ली	12381.07	12460.11	500.00	25341.18
11	गोवा	276.10	298.27	0.00	574.37
12	गुजरात	10008.77	735.65	1058.35	11802.77
13	हरियाणा	1464.95	7163.47	1000.00	9628.43
14	हिमाचल प्रदेश	1954.33	2103.33	2200.00	6257.66
15	जम्मू और कश्मीर	1888.86	18087.07	3500.00	23475.93
16	झारखंड	905.88	1149.46	2200.00	4255.34
17	कर्नाटक	3619.45	5509.05	1500.00	10628.50
18	केरल	3402.27	3712.16	0.00	7114.43
19	लक्षद्वीप				
20	मध्य प्रदेश	2026.14	9395.97	1319.00	12741.11
21	महाराष्ट्र	5538.33	6464.44	500.00	12502.77
22	मणिपुर	716.85	3089.80	75.00	3881.65
23	मेघालय	555.93	1990.70	99.82	2646.45
24	मिजोरम	521.56	1665.38	2414.57	4601.51
25	नागालैण्ड	183.11	1526.25	0.00	1709.36
26	ओड़ीशा	1045.58	5296.49	712.50	7054.58
27	पुदुचेरी	1110.56	1294.65	500.00	2905.21
28	पंजाब	5134.39	2296.13	0.00	7430.51
29	राजस्थान	4477.33	3984.91	1769.75	10031.99
30	सिक्किम	274.92	455.00	3200.00	3929.92
31	तमिलनाडु	5120.69	6725.30	0.00	11845.98
32	तेलंगाना	6489.75	8346.52	700.00	15536.27
33	त्रिपुरा	373.20	3056.88	292.76	3722.84
34	उत्तर प्रदेश	12754.11	17013.48	1940.40	31707.99
35	उत्तराखंड	1119.56	4325.09	500.00	5944.65
36	पश्चिम बंगाल	5765.44	8900.97	0.00	14666.41
	कुल	95331.19	157451.24	29559.25	282341.68
	विश्वविद्यालयेतर@संस्थान	11202.92			11202.92
	अंतरशाखा योजनाएं	48325.14			48325.14
	कुल योग	154859.25	157451.24	29559.25	341869.74

रेखाचित्र 1.5(ज) : वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालयों को राज्यवार जारी किया गया योजनागत अनुदान (करोड़ रुपए में)

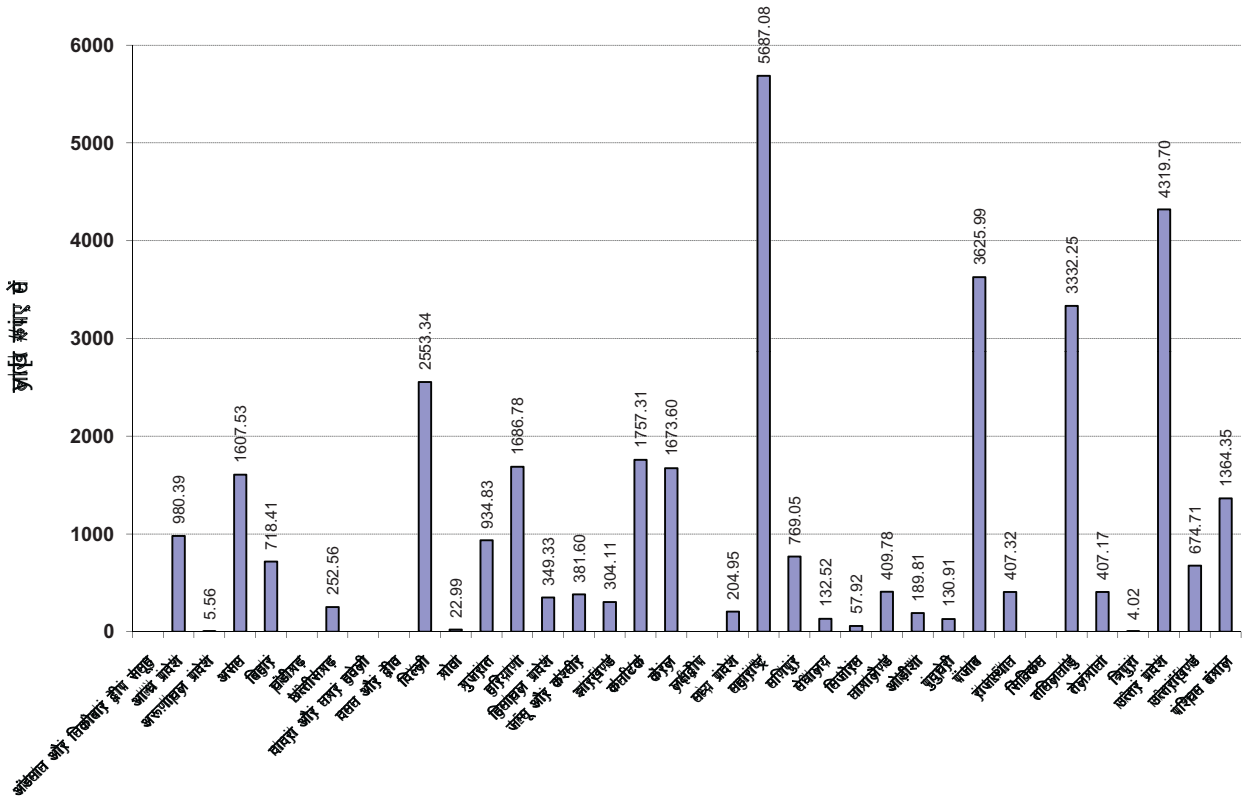


तालिका 1.5(झ) : वर्ष 2015&16 के दौरान सहविद्यालयों (क्षेत्रक 1 से 4) को राज्यवार जारी किया गया संभाव्य योजनागत अनुदान
(करोड़ रुपए में)

क्र0 सं0	राज्य@संघ राज्य क्षेत्र	शीर्ष			कुल (31$35$36)
		31	35	36	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह				
2	आंध्र प्रदेश	496.20	484.19	0.00	980.39
3	अरुणाचल प्रदेश	5.56	0.00	0.00	5.56
4	असम	915.79	691.74	0.00	1607.53
5	बिहार	360.11	358.30	0.00	718.41
6	चण्डीगढ़				
7	छत्तीसगढ़	78.06	174.50	0.00	252.56
8	दादरा और नगर हवेली				
9	दमन और दीव				
10	दिल्ली	685.96	1367.38	500.00	2553.34
11	गोवा	16.34	6.65	0.00	22.99
12	गुजरात	500.43	434.40	0.00	934.83
13	हरियाणा	734.21	952.57	0.00	1686.78
14	हिमाचल प्रदेश	86.33	263.00	0.00	349.33
15	जम्मू और कश्मीर	182.80	198.80	0.00	381.60
16	झारखंड	149.96	154.15	0.00	304.11
17	कर्नाटक	808.81	948.50	0.00	1757.31
18	केरल	1185.75	487.85	0.00	1673.60
19	लक्षद्वीप				

क्र0 सं0	राज्य@संघ राज्य क्षेत्र	शीर्ष			कुल (31$35$36)
		31	35	36	
20	मध्य प्रदेश	99.10	105.85	0.00	204.95
21	महाराष्ट्र	2822.87	2864.22	0.00	5687.08
22	मणिपुर	509.61	259.44	0.00	769.05
23	मेघालय	24.72	107.80	0.00	132.52
24	मिजोरम	43.27	14.65	0.00	57.92
25	नागालैण्ड	194.78	215.00	0.00	409.78
26	ओड़ीशा	117.81	72.00	0.00	189.81
27	पुडुचेरी	25.86	105.05	0.00	130.91
28	पंजाब	1380.35	2245.64	0.00	3625.99
29	राजस्थान	301.82	105.50	0.00	407.32
30	सिक्किम				
31	तमिलनाडु	2206.33	1125.92	0.00	3332.25
32	तेलंगाना	279.23	127.95	0.00	407.17
33	त्रिपुरा	4.02	0.00	0.00	4.02
34	उत्तर प्रदेश	1360.78	2958.91	0.00	4319.70
35	उत्तराखण्ड	306.03	368.68	0.00	674.71
36	पश्चिम बंगाल	529.31	835.04	0.00	1364.35
	कुल	16412.20	18033.66	500.00	34945.86

रेखाचित्र 1.5(ङ) : वर्ष 2015&16 के दौरान सहविभाज्यों की राज्यवार जारी किया गया मासिक योजनागत अनुवाद (करोड़ रुपए में)



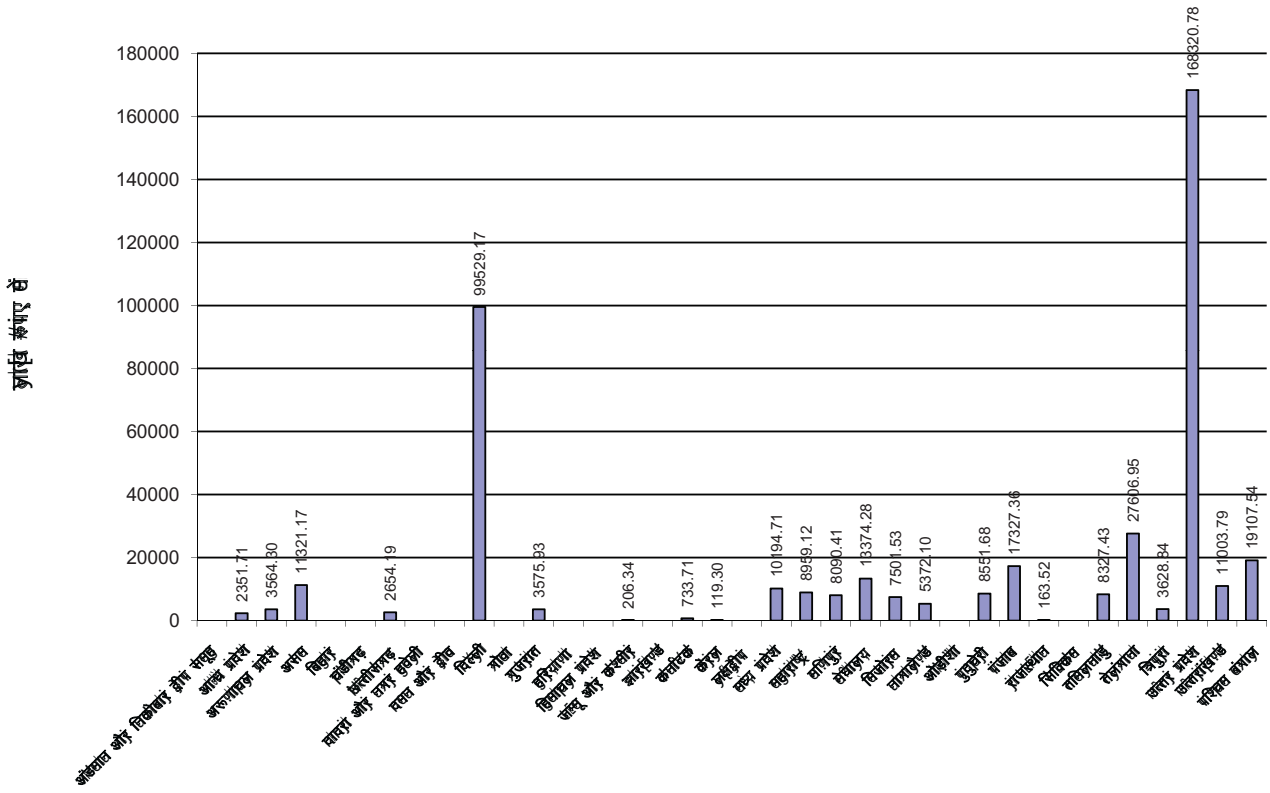
तालिका 1.5(ञ) : वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालयों को ज़ारी किया गया सामान्य क्षेत्र&योजनाबद्ध अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र0 सं0	राज्य@संघ राज्य क्षेत्र	कुल			कुल योग
		पेंशन	वेतनेतर	वेतन	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह				
2	आंध्र प्रदेश	192.50	453.00	1706.21	2351.71
3	अरुणाचल प्रदेश	175.00	900.00	2489.30	3564.30
4	असम	566.00	1750.00	9005.17	11321.17
5	बिहार				
6	चण्डीगढ़				
7	छत्तीसगढ़	195.00	400.00	2059.19	2654.19
8	दादरा और नगर हवेली				
9	दमन और द्वीप				
10	दिल्ली	14218.40	12495.00	72815.77	99529.17
11	गोवा				
12	गुजरात	534.04	485.50	2556.39	3575.93
13	हरियाणा				
14	हिमाचल प्रदेश				
15	जम्मू और कश्मीर	11.00	38.00	157.34	206.34
16	झारखंड				
17	कर्नाटक	42.00	182.71	509.00	733.71
18	केरल	0.00	13.92	105.38	119.30
19	लक्षद्वीप				
20	मध्य प्रदेश	1321.73	1224.38	7648.60	10194.71
21	महाराष्ट्र	562.00	2050.18	6346.94	8959.12
22	मणिपुर	893.85	727.73	6468.83	8090.41
23	मेघालय	1720.87	1600.00	10053.41	13374.28
24	मिजोरम	430.17	1000.00	6071.36	7501.53
25	नागालैण्ड	424.46	950.00	3997.64	5372.10
26	ओड़ीशा				
27	पुदुचेरी	800.00	1400.00	6351.68	8551.68
28	पंजाब	0.00	0.00	17327.36	17327.36
29	राजस्थान	5.25	15.00	143.27	163.52
30	सिक्किम				
31	तमिलनाडु	1251.98	562.00	6513.45	8327.43
32	तेलंगाना	2720.25	3450.75	21435.95	27606.95
33	त्रिपुरा	227.00	650.00	2751.84	3628.84
34	उत्तर प्रदेश	30540.74	11255.00	126525.04	168320.78
35	उत्तराखंड	804.03	1020.00	9179.76	11003.79
36	पश्चिम बंगाल	4246.00	1206.00	13655.54	19107.54
	कुल	61882.27	43829.17	335874.43	441585.86

रेखाचित्र 1.5(ङ) : वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालयों की राज्यवार जारी किया गया सामान्य शैक्षणिक अनुदान

(लाख रुपए में)



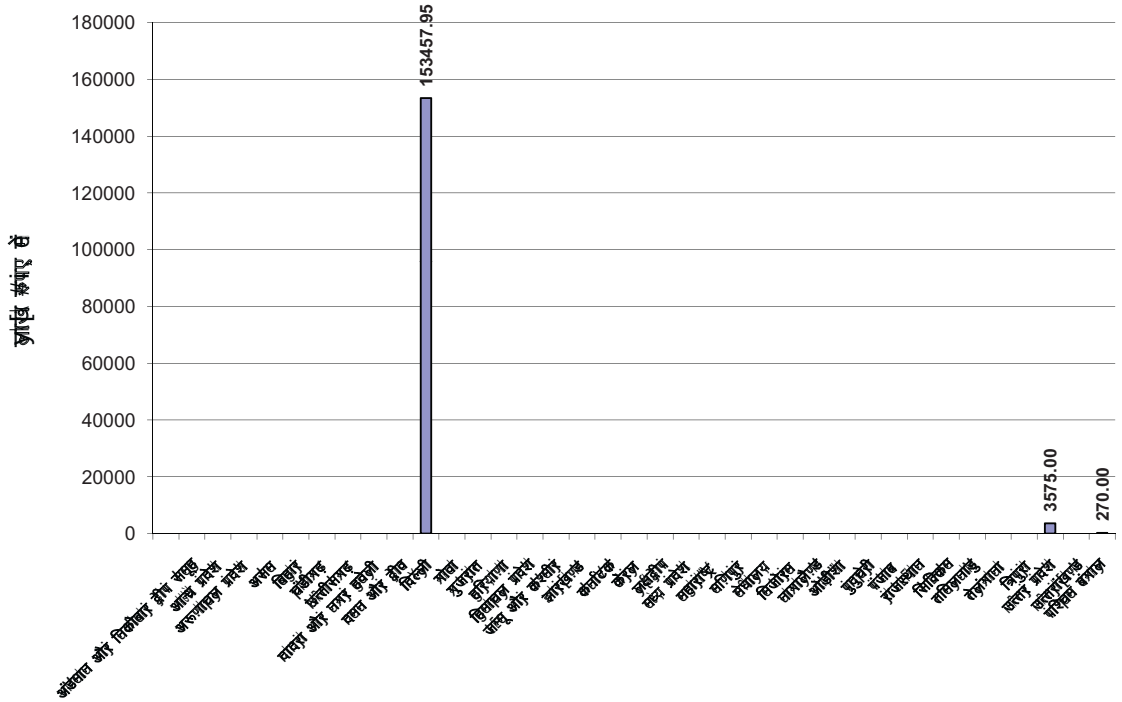
तालिका 1.5(ङ) : वर्ष 2015&16 के दौरान सहायिकाओं की राज्यवार जारी किया गया सामान्य शैक्षणिक अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र0 सं0	राज्य@संघ राज्य क्षेत्र	कुल			कुल योग
		योजना	योजनेतर	योग	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह				
2	आंध्र प्रदेश				
3	अरुणाचल प्रदेश				
4	असम				
5	बिहार				
6	चण्डीगढ़				
7	छत्तीसगढ़				
8	दादरा और नगर हवेली				
9	दमन और द्वीप				
10	दिल्ली	19466.68	2325.74	131665.54	153457.95
11	गोवा				
12	गुजरात				
13	हरियाणा				
14	हिमाचल प्रदेश				
15	जम्मू और कश्मीर				
16	झारखंड				
17	कर्नाटक				

क्र0 सं0	राज्य@संघ राज्य क्षेत्र	कुल			कुल योग
		योगदान	वेतनभोगी	वेतन	
18	केरल				
19	लक्षद्वीप				
20	मध्य प्रदेश				
21	महाराष्ट्र				
22	मणिपुर				
23	मेघालय				
24	मिजोरम				
25	नागालैण्ड				
26	ओडीशा				
27	पुडुचेरी				
28	पंजाब				
29	राजस्थान				
30	सिक्किम				
31	तमिलनाडु				
32	तेलंगाना				
33	त्रिपुरा				
34	उत्तर प्रदेश	225.00	100.00	3250.00	3575.00
35	उत्तराखंड				
36	पश्चिम बंगाल	10.00	55.00	205.00	270.00
	कुल	19701.68	2480.74	135120.54	157302.95

चित्र 1.5(ए) : वर्ष 2015&16 के दौरान सहविद्याओं को राज्यवार जारी किया गया सामाजिक क्षेत्र&योजनागत अनुदान (लाख रुपए में)



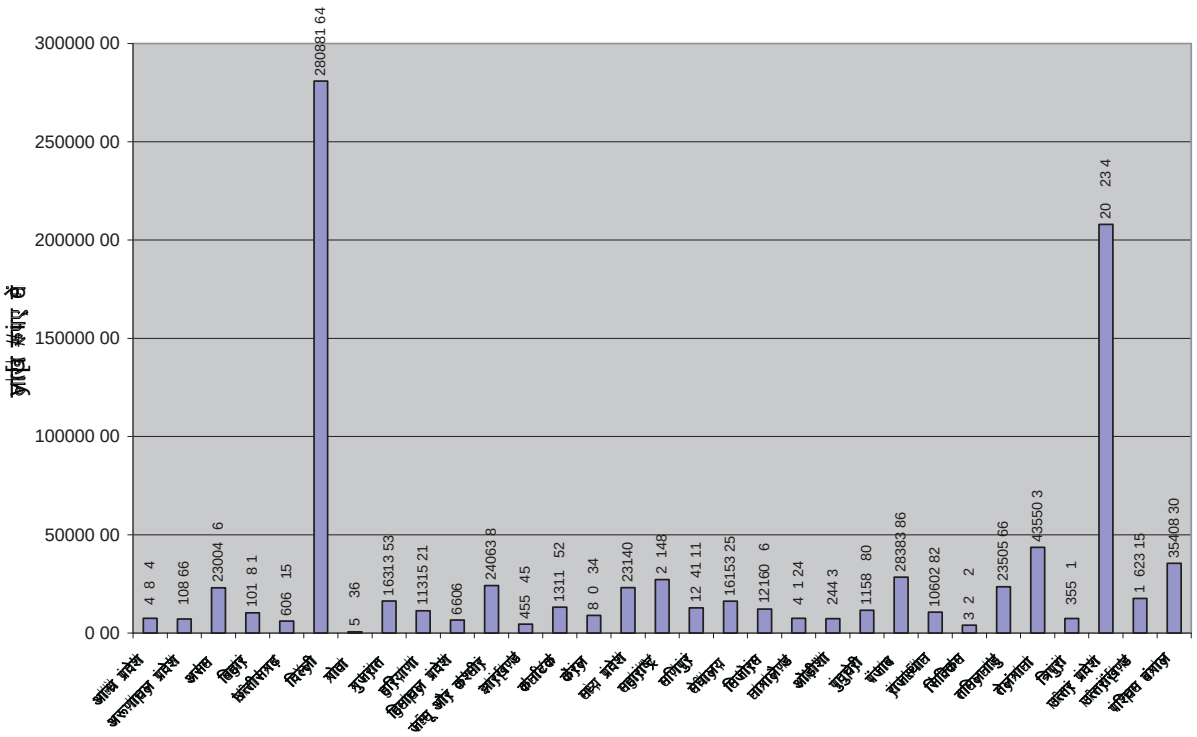
तालिका 1.5(B) : वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की राज्यवार जारी किया गया गैर-योजनागत और गैर&योजनागत अनुदान

(लाख रुपये में)

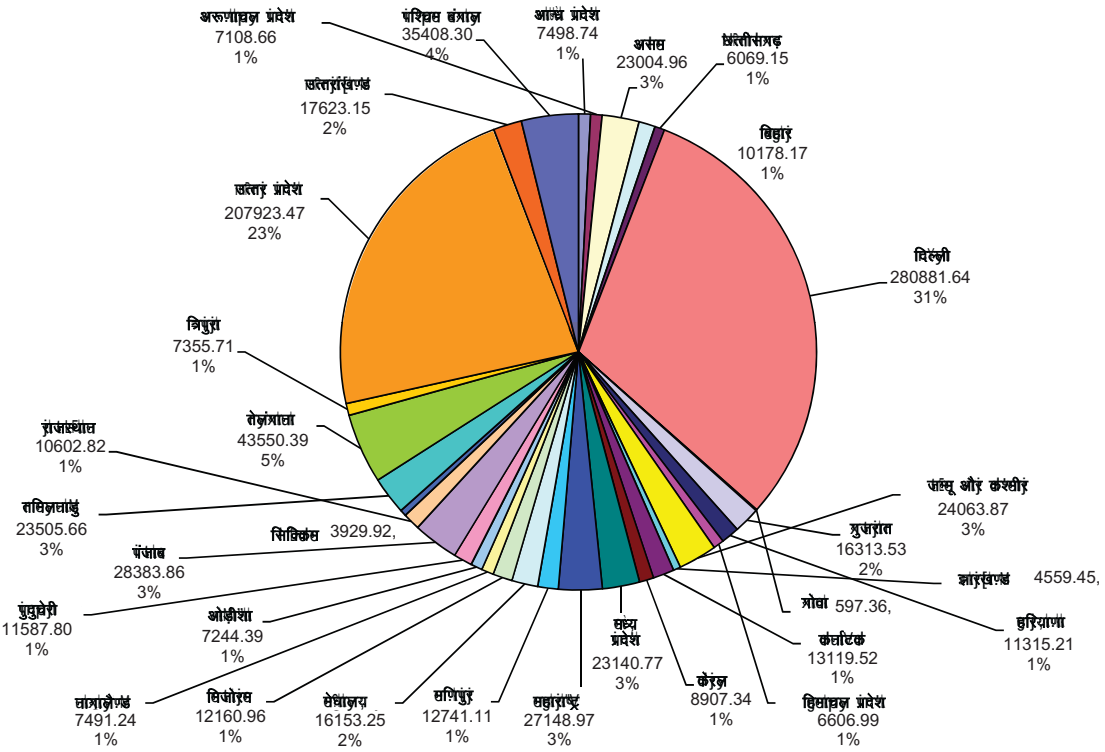
क्र0 सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजनागत अनुदान #			गैर&योजनागत अनुदान			योजनागत $गैर&योजनागत अनुदान		
		विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	कुल	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	कुल	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह									
2	आंध्र प्रदेश	4166.64	980.39	5147.03	2351.71		2351.71	6518.35	980.39	7498.74
3	अरुणाचल प्रदेश	3538.80	5.56	3544.36	3564.30		3564.30	7103.10	5.56	7108.66
4	असम	10076.26	1607.53	11683.79	11321.17		11321.17	21397.43	1607.53	23004.96
5	बिहार	9459.76	718.41	10178.17			0.00	9459.76	718.41	10178.17
6	चण्डीगढ़			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	3162.40	252.56	3414.96	2654.19		2654.19	5816.59	252.56	6069.15
8	दादरा और नगर हवेली						0.00		0.00	0.00
9	दमन और द्वीप			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	25341.18	2553.34	27894.52	99529.17	153457.95	252987.13	124870.35	156011.29	280881.64
11	गोवा	574.37	22.99	597.36			0.00	574.37	22.99	597.36
12	गुजरात	11802.77	934.83	12737.60	3575.93		3575.93	15378.70	934.83	16313.53
13	हरियाणा	9628.43	1686.78	11315.21			0.00	9628.43	1686.78	11315.21
14	हिमाचल प्रदेश	6257.66	349.33	6606.99			0.00	6257.66	349.33	6606.99
15	जम्मू और कश्मीर	23475.93	381.60	23857.53	206.34		206.34	23682.27	381.60	24063.87
16	झारखंड	4255.34	304.11	4559.45			0.00	4255.34	304.11	4559.45
17	कर्नाटक	10628.50	1757.31	12385.81	733.71		733.71	11362.21	1757.31	13119.52
18	केरल	7114.43	1673.60	8788.03	119.30		119.30	7233.73	1673.60	8907.34
19	लक्षद्वीप			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	12741.11	204.95	12946.06	10194.71		10194.71	22935.82	204.95	23140.77
21	महाराष्ट्र	12502.77	5687.08	18189.85	8959.12		8959.12	21461.89	5687.08	27148.97
22	मणिपुर	3881.65	769.05	4650.70	8090.41		8090.41	11972.06	769.05	12741.11
23	मेघालय	2646.45	132.52	2778.97	13374.28		13374.28	16020.73	132.52	16153.25
24	मिजोरम	4601.51	57.92	4659.43	7501.53		7501.53	12103.04	57.92	12160.96
25	नागालैण्ड	1709.36	409.78	2119.14	5372.10		5372.10	7081.46	409.78	7491.24
26	ओड़ीशा	7054.58	189.81	7244.39			0.00	7054.58	189.81	7244.39
27	पुडुचेरी	2905.21	130.91	3036.12	8551.68		8551.68	11456.89	130.91	11587.80
28	पंजाब	7430.51	3625.99	11056.50	17327.36		17327.36	24757.87	3625.99	28383.86
29	राजस्थान	10031.99	407.32	10439.31	163.52		163.52	10195.51	407.32	10602.82
30	सिक्किम	3929.92		3929.92			0.00	3929.92	0.00	3929.92
31	तमिलनाडु	11845.98	3332.25	15178.23	8327.43		8327.43	20173.41	3332.25	23505.66
32	तेलंगाना	15536.27	407.17	15943.44	27606.95		27606.95	43143.22	407.17	43550.39
33	त्रिपुरा	3722.84	4.02	3726.87	3628.84		3628.84	7351.68	4.02	7355.71
34	उत्तर प्रदेश	31707.99	4319.70	36027.69	168320.78	3575.00	171895.78	200028.77	7894.70	207923.47
35	उत्तराखंड	5944.65	674.71	6619.36	11003.79		11003.79	16948.44	674.71	17623.15
36	पश्चिम बंगाल	14666.41	1364.35	16030.76	19107.54	270.00	19377.54	33773.95	1634.35	35408.30
	कुल	282341.68	34445.86	316787.54	441585.86	157302.95	598888.82	723927.54	191748.82	915676.36

fo"ofo|ky;Ùkj@lLFkku vkj vkuykbu ;ktukvk dk tkjh fd, x, vunku d vykok

1.5(B) : वर्ष 2015&16 के दौरान राज्यवार जारी किया गया कुल योजनागत और गैर&योजनागत अनुदान (लाख रुपए में)



1.5(B)(ii) : वर्ष 2015&16 के दौरान राज्यवार जारी किया गया कुल योजनागत और गैर&योजनागत अनुदान (लाख रुपए में)



वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालय@संस्थानों और महाविद्यालयों (कुल्ल शीर्षवार) को मासिक योजनागत तथा गैर योजनागत अनुदानों की दर्शाने वाला विवरण तालिका 1.5 (ब.)] तालिका 1.5(ड)] तालिका 1.5(ण)] और तालिका 1.5(त) में दिया गया है।

तालिका 1.5(ङ): वर्ष 2015&16 (चुड़ा शीर्षवार) के दौरान विश्वविद्यालयों को मुहैया किए गए अनुदान की दर्शाने वाला विवरण

(लाख ₹ में)

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय	क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4			कुल			संकर रोल (31+35+36)
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
	केंद्रीय विद्यालय																
1	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	1050.00	6000.00	1875.00				1598.48	612.23					2648.48	6612.23	1875.00	11135.71
2	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	535.00	3030.00	0.00				1511.76	25.10					2046.76	3055.10	0.00	5101.86
3	असम विश्वविद्यालय, सिलचर	512.07	2309.59	500.10				216.49	48.91					728.56	2358.50	500.10	3587.16
4	बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय	700.00	3000.00	0.00				232.19	19.20					932.19	3019.20	0.00	3951.39
5	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	1524.60	3100.00	65.40				2577.45	196.75		12.52			4114.57	3296.75	65.40	7476.72
6	बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया							12.52						12.52	0.00	0.00	12.52
7	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया							9.08						9.08	0.00	0.00	9.08
8	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर	0.00	0.00	1058.35				75.07						75.07	0.00	1058.35	1133.42
9	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा	0.00	6372.10	1000.00				229.82	135.00					229.82	6507.10	1000.00	7736.92
10	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, (हिमाचल प्रदेश)	1510.01	1988.75	2200.00				175.92	51.80					1685.93	2040.55	2200.00	5926.48
11	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू	55.00	11811.17	2000.00				29.22	54.50					84.22	11865.67	2000.00	13949.89
12	झीलगर केंद्रीय विश्वविद्यालय, झीलगर	0.00	5000.00	1500.00										0.00	5000.00	1500.00	6500.00
13	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची	500.00	1083.23	2200.00				42.30						542.30	1083.23	2200.00	3825.53
14	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम	435.13	2350.00	0.00				58.95	15.00					494.08	2365.00	0.00	2859.08
15	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा	1408.87	4722.00	1500.00				59.80	5.00					1469.67	4727.00	1500.00	7696.67
16	ओड़िशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट	413.93	5000.00	712.50				0.00						413.93	5000.00	712.50	6126.43
17	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा							23.56						23.56	0.00	0.00	23.56
18	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर	500.00	3000.00	1769.75				284.83	75.00					784.83	3075.00	1769.75	5629.58
19	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर	0.00	3040.00	0.00				58.27	21.00					58.27	3061.00	0.00	3119.27
20	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली							2593.54	137.40					2593.54	137.40	0.00	2730.94
21	डॉ0 एच.एस. सौर विश्वविद्यालय, सागर	30.00	3954.44	0.00				131.82	335.88					161.82	4290.32	0.00	4452.14
22	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	440.00	1500.00	500.00				121.80	89.15					561.80	1589.15	500.00	2650.95
23	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर	273.81	3875.00	500.00				157.38	19.55					431.19	3894.55	500.00	4825.74
24	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	500.00	1300.00	0.00				2428.94	2595.25					2928.94	3895.25	0.00	6824.19
25	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली							30.96						30.96	0.00	0.00	30.96
26	इंदिरा गांधी तेशनल ट्राईबल युनिवर्सिटी, अमरकंटक	806.25	4073.75	1319.00				23.88	56.55					830.13	4130.30	1319.00	6279.43
27	जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली	0.00	3500.00	500.00				1003.55	326.31		41.67			1045.22	3826.31	500.00	5371.53
28	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	3000.00	2620.00	0.00				3184.24	147.00		50.00			6234.24	2767.00	0.00	9001.24
29	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	405.00	3043.00	500.00				19.52	3.25					424.52	3046.25	500.00	3970.77
30	महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार	225.00	6983.00	1600.00										225.00	6983.00	1600.00	8808.00
31	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	538.00	2861.21	75.00				178.86	228.59					716.86	3089.80	75.00	3881.65
32	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	500.00	2500.00	700.00				103.36	30.00					603.36	2530.00	700.00	3833.36
33	मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजॉल	265.00	1645.73	2414.57				256.56	19.65					521.56	1665.38	2414.57	4601.51
34	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा	100.00	1400.00	0.00				83.11	126.25					183.11	1526.25	0.00	1709.36

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय	क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4			कुल			संसक्त योग (31+35+36)
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
35	तार्थ ईश्वरन हिल्ल यूनिवर्सिटी, शिलांग	68.00	1919.05	99.82				487.93	71.65					555.93	1990.70	99.82	2646.45
36	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी	265.00	1040.00	500.00				845.56	254.65					1110.56	1294.65	500.00	2905.21
37	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर	127.91	2725.09	577.00				80.55	28.25					208.46	2753.34	577.00	3538.80
38	सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक	245.92	440.00	3200.00				29.00	15.00					274.92	455.00	3200.00	3929.92
39	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	170.10	3881.90	400.00				259.44	130.42					429.54	4012.32	400.00	4841.86
40	द इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	500.00	0.00	0.00				211.55	283.30					711.55	283.30	0.00	994.85
41	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	315.00	3035.23	292.76				58.20	21.65					373.20	3056.88	292.76	3722.84
42	विश्वभारती, शांति निकेतन	450.00	2875.00	0.00				431.66	84.37					881.66	2959.37	0.00	3841.03
	कुल	18370.60	116979.24	29559.25	0.00	0.00	0.00	19917.14	6263.60	0.00	104.19	0.00	0.00	38391.93	123242.84	29559.25	191194.02
	संसद विश्वविद्यालय																
1	अखिलाशक्रिंग्रस इंस्टीट्यूट फॉर होस साइंसेज एण्ड हायर एजुकेशन				285.75	428.62		53.87	15.00					339.62	443.62	0.00	783.24
2	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)							177.22	0.00					177.22	0.00	0.00	177.22
3	बनस्थेली विद्यापीठ, बनस्थेली				67.27	269.07		80.23	82.50					147.50	351.57	0.00	499.07
4	भारती विद्यापीठ, पुणे							5.60	1.10					5.60	1.10	0.00	6.70
5	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, पिलानी							192.53						192.53	0.00	0.00	192.53
6	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा,							40.79						40.79	0.00	0.00	40.79
7	सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर तिब्बतन स्टडीज़, वाराणसी				0.00	14.40								0.00	14.40	0.00	14.40
8	चित्तोई मेथेमेटिकल इंस्टीट्यूट, सिरूमैरी (तमिलनाडु)				0.00	177.60								0.00	177.60	0.00	177.60
9	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा				110.00	110.00		301.06	430.00		41.06			452.12	540.00	0.00	992.12
10	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे				30.59	30.59		13.11						43.70	30.59	0.00	74.29
11	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, डिंडीगुल				80.00	300.00		172.66	185.00		63.97			316.63	485.00	0.00	801.63
12	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनोमिक्स,पुणे				47.05	188.18		75.13						122.18	188.18	0.00	310.36
13	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद							203.34	67.36					203.34	67.36	0.00	270.70
14	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार							16.93	0.00					16.93	0.00	0.00	16.93
15	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुम्बई				23.00	207.00		624.55	0.00					647.55	207.00	0.00	854.55
16	जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट, लाडनूं (राजस्थान)				55.72	83.59		0.00	3.50					55.72	87.09	0.00	142.81
17	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली				201.60	604.81		320.60	0.00					522.20	604.81	0.00	1127.01
18	जनार्धन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर							2.66	0.00					2.66	0.00	0.00	2.66
19	राजकीय सिंधी विवेकानन्द एजुकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, हावड़ा							0.00	130.00					0.00	130.00	0.00	130.00
20	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति							339.04	180.00					339.04	180.00	0.00	519.04
21	श्री लालबहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली				192.00	235.05		121.00	15.00					313.00	250.05	0.00	563.05
22	श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, अनन्तापुर				73.32	171.07		6.74						80.06	171.07	0.00	251.13
23	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई				477.84	739.32		45.00						522.84	739.32	0.00	1262.16

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय	क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4			कुल			संकल्प रोल (31+35+36)
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
24	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, पटियाला							47.53						47.53	0.00	0.00	47.53
25	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ संवत, पुणे							0.24						0.24	0.00	0.00	0.24
	उप&योग:	0.00	0.00	0.00	1644.14	3559.30	0.00	2839.80	1109.46	0.00	105.03	0.00	0.00	4588.97	4668.76	0.00	9257.73
	अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र																
1	कंसोर्शियम फॉर एजूकेशन कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली							0.00	1910.05	0.00				0.00	1910.05	0.00	1910.05
2	इलिंगुअलतेर सेंटर, अहमदाबाद							7595.58	0.00	0.00				7595.58	0.00	0.00	7595.58
3	इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेरेटर सेंटर, नई दिल्ली							1068.14	2516.87	0.00				1068.14	2516.87	0.00	3585.01
4	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे							733.70	1100.54	0.00				733.70	1100.54	0.00	1834.24
5	एसएपी ग्रांटधारी सत्र, बंगलुरु							0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
6	वि0अ0आ0&सी0ए0ई0 कंसोर्टियम फॉर साईंटिफिक रिसर्च, कोलकाता							853.42	1277.31	0.00				853.42	1277.31	0.00	2130.73
	कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10250.84	6804.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10250.84	6804.77	0.00	17055.61
	राज्य विश्वविद्यालय																
	आंध्र प्रदेश																
1	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर							155.48	145.69	0.00				155.48	145.69	0.00	301.16
2	आंध्रा विश्वविद्यालय, वाल्टेयर							727.60	510.78	0.00				727.60	510.78	0.00	1238.38
3	ए.एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद							17.66	0.00	0.00				17.66	0.00	0.00	17.66
4	डॉ0 वीसराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद							5.83	1.00	0.00	18.03			23.86	1.00	0.00	24.86
5	द्रविड़ियन विश्वविद्यालय							62.76	103.25	0.00				62.76	103.25	0.00	166.01
6	जवाहर लाल टैक्नोलॉजी, हैदराबाद							27.32	4.00	0.00				27.32	4.00	0.00	31.32
7	जवाहरलाल नेहरू टैक्नोलॉजी, अनंतपुर							33.10	0.00	0.00				33.10	0.00	0.00	33.10
8	जवाहरलाल नेहरू टैक्नोलॉजी, कांकीनाडा							15.22	6.00	0.00	44.09			59.31	6.00	0.00	65.31
9	कांकातीय विश्वविद्यालय, वारंगल							294.61	7.00	0.00				294.61	7.00	0.00	301.61
10	महात्मा गांधी विश्वविद्यालयए नालगोण्डा							10.39	2.15	0.00				10.39	2.15	0.00	12.54
11	तेलंगाना अकादमी ऑफ मैथमैटिक्स एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ॉ							10.37	91.75	0.00				10.37	91.75	0.00	102.12
12	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद							1830.57	1251.87	0.00				1830.57	1251.87	0.00	3082.44
13	पोट्टी श्रीरामुलू तेलुगु विश्वविद्यालय, हैदराबाद							16.70	0.00	0.00				16.70	0.00	0.00	16.70
14	राय़लसीमा विश्वविद्यालय, कुर्नूल							33.60	178.40	0.00				33.60	178.40	0.00	212.00
15	श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, अनंतपुर							136.21	40.00	0.00				136.21	40.00	0.00	176.21
16	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति							122.32	129.20	0.00				122.32	129.20	0.00	251.52
17	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति							774.44	99.49	0.00				774.44	99.49	0.00	873.93
18	सातवाहन विश्वविद्यालय, करीमनगर							3.13	232.20	0.00				3.13	232.20	0.00	235.33
19	तेलंगाना विश्वविद्यालय							11.28	48.00	0.00				11.28	48.00	0.00	59.28
20	योगी वेमना विश्वविद्यालय							66.37	12.50	0.00				66.37	12.50	0.00	78.87
														0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4354.94	2863.28	0.00	62.12	0.00	0.00	4417.06	2863.28	0.00	7280.35
	अनंत																

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय	क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4			कुल			संसक्त योग (31+35+36)
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
1	अरुणाचल क्रिश्चियन विश्वविद्यालय, ईटानगर							15.51	0.00	0.00				15.51	0.00	0.00	15.51
2	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़							411.60	422.95	0.00				411.60	422.95	0.00	834.55
3	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी							441.27	110.51	0.00				441.27	110.51	0.00	551.78
4	कृष्णकांत हांडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, गुवाहाटी										245.40			245.40	0.00	0.00	245.40
	कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.38	533.46	0.00	245.40	0.00	0.00	1113.78	533.46	0.00	1647.24
	बिहार																
1	बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा							0.00	36.02	0.00				0.00	36.02	0.00	36.02
2	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय							5.88	2.43	0.00				5.88	2.43	0.00	8.30
3	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा							0.00	103.51	0.00				0.00	103.51	0.00	103.51
4	एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा							18.20	0.00	0.00				18.20	0.00	0.00	18.20
5	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया							12.05	50.00	0.00				12.05	50.00	0.00	62.05
6	पटना विश्वविद्यालय, पटना							190.50	0.00	0.00				190.50	0.00	0.00	190.50
7	टी.एन. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर							15.58	19.94	0.00				15.58	19.94	0.00	35.52
8	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा							8.51	27.58	0.00				8.51	27.58	0.00	36.09
9	नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना										140.00			140.00	0.00	0.00	140.00
	कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.71	239.47	0.00	140.00	0.00	0.00	390.71	239.47	0.00	630.18
	छत्तीसगढ़																
1	हिदायतुल्ला नेशनल ला यूनिवर्सिटी							65.22	169.08	0.00				65.22	169.08	0.00	234.30
2	इन्दिरा गाँधी क्रिषि विश्वविद्यालय, रायपुर							0.00	6.40	0.00				0.00	6.40	0.00	6.40
3	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, रायपुर							17.22	33.60	0.00				17.22	33.60	0.00	50.82
4	पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर							69.94	150.00	0.00				69.94	150.00	0.00	219.94
	कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.37	359.08	0.00	0.00	0.00	0.00	152.37	359.08	0.00	511.45
	दिल्ली																
1	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनीवर्सिटी, दिल्ली							54.48	0.00	0.00				54.48	0.00	0.00	54.48
2	डॉ0 बी0आर0 ए0 विश्वविद्यालय, ढ्वारका							64.66	123.27	0.00				64.66	123.27	0.00	187.92
3	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, ता ई दिल्ली							185.66	133.65	0.00				185.66	133.65	0.00	319.31
4	इंद्रप्रस्थ इंस्टीटयूट ऑफि इंफोरमेशन टेक्नोलॉजी							42.00	98.00	0.00				42.00	98.00	0.00	140.00
5	नेशनल ला यूनिवर्सिटी, ढ्वारका							49.75	92.70	0.00				49.75	92.70	0.00	142.45
	कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.55	447.62	0.00	0.00	0.00	0.00	396.55	447.62	0.00	844.17
	गोवा																
1	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा							276.10	298.27					276.10	298.27	0.00	574.37
	कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.10	298.27	0.00	0.00	0.00	0.00	276.10	298.27	0.00	574.37
	गुजरात																
1	एस0के0 भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर							18.28	0.50	0.00				18.28	0.50	0.00	18.78
2	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर							12.67	10.25	0.00				12.67	10.25	0.00	22.92
3	गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय,							0.38	134.69	0.00				0.38	134.69	0.00	135.07
4	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद							264.25	40.94	0.00				264.25	40.94	0.00	305.19
5	एन0सी0 वर्मा गुजरात युनिवर्सिटी, पाटन							46.66	2.62	0.00				46.66	2.62	0.00	49.28
6	एस.एन. यूनिवर्सिटी ऑफि सोमैया, वलसाड							548.86	124.85	0.00				548.86	124.85	0.00	673.71

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय	क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4			कुल			सकल योग (31+35+36)
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
7	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभविद्यानगर							275.32	123.07	0.00				275.32	123.07	0.00	398.39
8	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट							210.18	229.86	0.00				210.18	229.86	0.00	440.04
9	वी0एस0 साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत							28.28	1.50	0.00				28.28	1.50	0.00	29.78
10	डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय, अहमदाबाद										729.91			729.91	0.00	0.00	729.91
	कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1404.87	668.29	0.00	729.91	0.00	0.00	2134.78	668.29	0.00	2803.07
	हरियाणा																
1	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर							91.56	38.75	0.00				91.56	38.75	0.00	130.31
2	डॉ0 भीमराव सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार							13.92	0.00	0.00				13.92	0.00	0.00	13.92
3	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय,सिरसा							16.55	2.00	0.00				16.55	2.00	0.00	18.55
4	दीन बन्धु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी							24.28	122.50	0.00				24.28	122.50	0.00	146.78
5	गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार							461.40	116.80	0.00				461.40	116.80	0.00	578.20
6	इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, रेवाड़ी							5.84	0.00	0.00				5.84	0.00	0.00	5.84
7	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय,कुरुक्षेत्र							294.58	307.12	0.00				294.58	307.12	0.00	601.70
8	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय,रोहतक							315.30	68.30	0.00				315.30	68.30	0.00	383.60
9	वाई0एस0सी0ए0 यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, फरीदाबाद							11.70	0.90	0.00				11.70	0.90	0.00	12.60
	कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1235.13	656.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1235.13	656.37	0.00	1891.51
	हिमाचल प्रदेश																
1	वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टीकल्चर एण्ड फोरेस्ट्री							20.62	4.85	0.00				20.62	4.85	0.00	25.47
2	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला							237.73	57.93	0.00				237.73	57.93	0.00	295.66
3	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,पालमपुर							10.05	0.00	0.00				10.05	0.00	0.00	10.05
	कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.40	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	268.40	62.78	0.00	331.18
	जम्मू और कश्मीर																
1	बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय, राजौरी							4.98	81.20	0.00				4.98	81.20	0.00	86.18
2	इस्लामिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर							24.12	7.90	0.00				24.12	7.90	0.00	32.02
3	जम्मू विश्वविद्यालय,जम्मू							954.69	140.30	0.00				954.69	140.30	0.00	1094.99
4	कश्मीर विश्वविद्यालय,श्रीनगर							664.82	967.40	0.00				664.82	967.40	0.00	1632.22
5	शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर							84.47	9.80	0.00				84.47	9.80	0.00	94.27
6	श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटरा							71.56	14.80	0.00				71.56	14.80	0.00	86.36
	कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1804.64	1221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1804.64	1221.40	0.00	3026.04
	झारखंड																
1	राँची विश्वविद्यालय, राँची							300.62	66.23	0.00				300.62	66.23	0.00	366.85
2	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग							22.17	0.00	0.00				22.17	0.00	0.00	22.17
	कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.79	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	322.79	66.23	0.00	389.02
	छत्तीसगढ़																

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय	क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4			कुल			संसक्त योग (31+35+36)
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
1	बंगलुरु विश्वविद्यालय, बंगलुरु							511.18	86.10					511.18	86.10	0.00	597.28
2	देवांतरिगी विश्वविद्यालय, देवांतरिगी							2.04	0.00					2.04	0.00	0.00	2.04
3	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा							96.15	32.85					96.15	32.85	0.00	129.00
4	कंतीड़ विश्वविद्यालय, कुरुगी							67.53	3.40					67.53	3.40	0.00	70.93
5	कंतारिकं विश्वविद्यालय, कारवाड़							271.59	5.50					271.59	5.50	0.00	277.09
6	कंतारिकं राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुरं							6.26	0.00					6.26	0.00	0.00	6.26
7	कंतारिकं राज्य मुक्त विश्वविद्यालय							2.05	0.00					2.05	0.00	0.00	2.05
8	कुवेम्पु विश्वविद्यालय, शिवोग्रा							56.70	14.35					56.70	14.35	0.00	71.05
9	संगलौरं विश्वविद्यालय, संगलौरं							164.38	146.70					164.38	146.70	0.00	311.08
10	सैसूरं विश्वविद्यालय, सैसूरं							857.44	417.95					857.44	417.95	0.00	1275.39
11	तेरेसतल ज्ञॉ स्कूल ऑफि इंडिया यूतिवर्सिटी, बंगलौरं							51.01	15.00					51.01	15.00	0.00	66.01
12	रांती तेलंगाना विश्वविद्यालय, तेलंगाना							11.40	2.80					11.40	2.80	0.00	14.20
13	तुमकुरं विश्वविद्यालय, तुमकुरं							20.22	54.90					20.22	54.90	0.00	75.12
14	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलुरु							31.82	2.50					31.82	2.50	0.00	34.32
	कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2149.78	782.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2149.78	782.05	0.00	2931.83
	केरल																
1	कालीकट विश्वविद्यालय,कोझीकोड							794.93	831.83	0.00				794.93	831.83	0.00	1626.76
2	कोच्ची यूतिवर्सिटी ऑफि साइंस एण्ड टेकनोलॉजी, कोच्ची							654.16	112.25	0.00	56.95			711.11	112.25	0.00	823.36
3	कन्नूर विश्वविद्यालय,							65.32	137.00	0.00				65.32	137.00	0.00	202.32
4	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिसूरं							6.07	0.00	0.00				6.07	0.00	0.00	6.07
5	केरल विश्वविद्यालय, तिरुअनंतपुरंस							678.92	141.98	0.00				678.92	141.98	0.00	820.90
6	महात्मा गाँधी यूतिवर्सिटी							532.38	83.94	0.00				532.38	83.94	0.00	616.31
7	तेरेसतल यूतिवर्सिटी ऑफि एडवांस्ड ज़ीलरल स्टडीज, एर्नाकुलम							2.43	0.00	0.00				2.43	0.00	0.00	2.43
8	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी							117.03	40.16	0.00				117.03	40.16	0.00	157.19
	कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2851.24	1347.16	0.00	56.95	0.00	0.00	2908.19	1347.16	0.00	4255.35
	मध्य प्रदेश																
1	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा							9.79	40.00	0.00				9.79	40.00	0.00	49.79
2	अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, भोपाल							8.51	0.00	0.00				8.51	0.00	0.00	8.51
3	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल							68.20	11.13	0.00				68.20	11.13	0.00	79.33
4	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर							508.32	371.98	0.00				508.32	371.98	0.00	880.30
5	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, भोपाल							0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
6	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर							76.62	75.00	0.00				76.62	75.00	0.00	151.62
7	एल.एन. मित्रल इंस्टीट्यूट ऑफ़ोदय विश्वविद्यालय, भोपाल							211.95	376.69	0.00				211.95	376.69	0.00	588.64
8	राष्ट्रीय विधि संस्थान, भोपाल							0.00	8.00	0.00				0.00	8.00	0.00	8.00
9	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,							8.26	0.00	0.00				8.26	0.00	0.00	8.26
10	रांती दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुरं							105.97	74.48	0.00				105.97	74.48	0.00	180.45
11	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन							36.55	18.07	0.00				36.55	18.07	0.00	54.63
	कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1034.19	975.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1034.19	975.35	0.00	2009.54

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय	क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4			कुल			संस्थान रोल (31+35+36)
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
	महाराष्ट्र																
1	डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर तकनीकी विश्वविद्यालय, लोनेरे							0.64	0.00					0.64	0.00	0.00	0.64
2	डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद							285.69	131.37					285.69	131.37	0.00	417.06
3	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई							617.94	41.99					617.94	41.99	0.00	659.93
4	तार्थे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगाँव							236.18	184.28					236.18	184.28	0.00	420.46
5	आर.टी.एम. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर							245.43	0.00					245.43	0.00	0.00	245.43
6	एस0पी0 पुणे विश्वविद्यालय, पुणे							641.65	476.13					641.65	476.13	0.00	1117.78
7	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई							45.23	14.46					45.23	14.46	0.00	59.69
8	एस.जी.बी. अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती							250.10	9.39					250.10	9.39	0.00	259.49
9	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर							326.60	102.30					326.60	102.30	0.00	428.90
10	सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर							23.34	6.15					23.34	6.15	0.00	29.49
11	स्वामी आर.टी.एम. विश्वविद्यालय, नांदेड़							104.02	185.40					104.02	185.40	0.00	289.41
12	यशवंत राव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय										261.18			261.18	0.00	0.00	261.18
	कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2776.82	1151.46	0.00	261.18	0.00	0.00	3038.00	1151.46	0.00	4189.46
	ओड़ीसा																
1	बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर							36.60	0.00					36.60	0.00	0.00	36.60
2	फ़कीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर							15.27	54.25					15.27	54.25	0.00	69.52
3	रावेंशॉ विधि विश्वविद्यालय, कटक							33.98	3.60					33.98	3.60	0.00	37.58
4	तार्थे ओड़ीसा यूनिवर्सिटी, वाणीविहार							37.80	67.80					37.80	67.80	0.00	105.60
5	ओड़िशा कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर							10.50	2.10					10.50	2.10	0.00	12.60
6	रावेनशॉ विश्वविद्यालय, कटक							71.72	104.40					71.72	104.40	0.00	176.12
7	संबलपुर विश्वविद्यालय, संबलपुर							90.55	48.00					90.55	48.00	0.00	138.55
8	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर							334.77	2.24					334.77	2.24	0.00	337.01
9	वीर सुरेन्द्र साई तकनीकी विश्वविद्यालय, बुर्ला							0.47	14.10					0.47	14.10	0.00	14.57
	कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.65	296.49	0.00	0.00	0.00	0.00	631.65	296.49	0.00	928.15
	पंजाब																
1	बाबा फ़रीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय							2.05	0.00					2.05	0.00	0.00	2.05
2	गुरु अंगद देव वेटेनरी एण्ड एनीमल साईंस, यूनीवर्सिटी							56.17	17.55					56.17	17.55	0.00	73.72
3	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर							861.70	673.55					861.70	673.55	0.00	1535.25
4	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना							149.76	15.62					149.76	15.62	0.00	165.38
5	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़							2289.92	376.65					2289.92	376.65	0.00	2666.57
6	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला							1666.08	697.36					1666.08	697.36	0.00	2363.44
7	पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, कपूरथला							33.11	0.00					33.11	0.00	0.00	33.11
8	राजीव गांधी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ़ स्टेट पटियाला							4.50	515.40					4.50	515.40	0.00	519.90
	कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5063.30	2296.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5063.30	2296.13	0.00	7359.42
	राजस्थान																

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय	क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4			कुल			संसक्त योग (31+35+36)
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
1	जवाहरलाल नेहरू व्यायाम विश्वविद्यालय, जोधपुर							400.05	192.05					400.05	192.05	0.00	592.10
2	कीर्ति विश्वविद्यालय, कीर्ति							33.28	88.60					33.28	88.60	0.00	121.88
3	महाराजाजगत्जंग त्रंजा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर							43.50	78.40					43.50	78.40	0.00	121.90
4	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर							22.22	1.30					22.22	1.30	0.00	23.52
5	महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर							6.92	0.00					6.92	0.00	0.00	6.92
6	सोहन लाल भुरड़ाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर							666.91	5.95					666.91	5.95	0.00	672.86
7	एसपी कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर							7.20	0.00					7.20	0.00	0.00	7.20
8	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर							1905.70	104.95					1905.70	104.95	0.00	2010.65
9	राजस्थान पशुचिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर							8.31	0.00					8.31	0.00	0.00	8.31
	कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3094.09	471.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3094.09	471.25	0.00	3565.34
	तमिलनाडु																
1	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर							237.26	58.50					237.26	58.50	0.00	295.76
2	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई							353.56	338.12					353.56	338.12	0.00	691.68
3	अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई नगर							471.80	197.10					471.80	197.10	0.00	668.90
4	भारथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर							280.81	277.43					280.81	277.43	0.00	558.24
5	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली							620.15	329.90					620.15	329.90	0.00	950.05
6	सत्यम विश्वविद्यालय, चेन्नई							923.22	135.00					923.22	135.00	0.00	1058.22
7	मनोन्मनीम सुंदरनार विश्वविद्यालय, मनोन्मनीम							680.48	448.72					680.48	448.72	0.00	1129.20
8	मनोनमनीयम सुंदरनार विश्वविद्यालय, तिरूनेलवेल्ली							240.41	323.58					240.41	323.58	0.00	563.99
9	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाईकनाल							8.62	94.00					8.62	94.00	0.00	102.62
10	पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम							118.48	168.39					118.48	168.39	0.00	286.87
11	तमिलनाडु विश्वविद्यालय, तंजावुर							103.78	161.38					103.78	161.38	0.00	265.16
12	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर							68.03	9.55					68.03	9.55	0.00	77.58
13	तिरूवल्लूर विश्वविद्यालय							12.20	16.40					12.20	16.40	0.00	28.60
14	तमिलनाडु डॉ0 अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय							21.82	0.00					21.82	0.00	0.00	21.82
15	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, चेन्नई										265.56			265.56	0.00	0.00	265.56
	कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4140.61	2558.08	0.00	265.56	0.00	0.00	4406.17	2558.08	0.00	6964.24
	उत्तर प्रदेश																
1	बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी							33.43	0.00					33.43	0.00	0.00	33.43
2	डॉ0 हरिसिंह विश्वविद्यालय, सागर							98.42	0.00					98.42	0.00	0.00	98.42
3	चंद्र शेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर							7.43	0.00					7.43	0.00	0.00	7.43
4	बी.बी.यू. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ							751.79	11.14					751.79	11.14	0.00	762.93
5	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा							58.24	7.25					58.24	7.25	0.00	65.49
6	डॉ0 आर0एस0एम0 अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद							19.85	16.25					19.85	16.25	0.00	36.10
7	डॉ0 आर0एस0एम0 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय							0.74	0.00					0.74	0.00	0.00	0.74
8	डॉ0 शकुंतला एस0एस0 चुर्तवास विश्वविद्यालय							33.60	78.40					33.60	78.40	0.00	112.00
9	गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेएडा							25.89	0.00					25.89	0.00	0.00	25.89

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय	क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4			कुल			संसक्त रोल (31+35+36)
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	
10	उत्तराखंड विश्वविद्यालय|उत्तराखंड							1331.92	258.66					1331.92	258.66	0.00	1590.58
11	एस.पी. कांशी विद्यापीठ| वाराणसी							6.65	2.10					6.65	2.10	0.00	8.75
12	एस.पी.पी. रुहेलखंड विश्वविद्यालय| बरेली							16.32	0.00					16.32	0.00	0.00	16.32
13	संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय| वाराणसी							167.74	50.00					167.74	50.00	0.00	217.74
14	वी.बी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय| जौनपुर							7.98	52.00					7.98	52.00	0.00	59.98
	कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2559.99	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2559.99	475.80	0.00	3035.79
	सतारा|उत्तराखंड																
1	मूल विश्वविद्यालय| मेहरामूल							28.09	103.80					28.09	103.80	0.00	131.89
2	पी.बी. पंत कृषि विश्वविद्यालय| पंतनगर							66.24	3.50					66.24	3.50	0.00	69.74
3	कुमाऊं विश्वविद्यालय| नैनीताल							388.93	323.24					388.93	323.24	0.00	712.17
4	उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय							5.18	0.00					5.18	0.00	0.00	5.18
5	उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय							8.00	0.00					8.00	0.00	0.00	8.00
6	उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय| हल्द्वानी										175.00			175.00	0.00	0.00	175.00
	कुल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.44	430.54	0.00	175.00	0.00	0.00	671.44	430.54	0.00	1101.98
	पश्चिम बंगाल																
1	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय| सोदपुर							5.57	0.00					5.57	0.00	0.00	5.57
2	बुर्द्वान विश्वविद्यालय| बर्द्वान							376.07	197.90					376.07	197.90	0.00	573.97
3	कोलकाता विश्वविद्यालय| कोलकाता							1475.47	3538.85		63.41			1538.89	3538.85	0.00	5077.74
4	जादवपुर विश्वविद्यालय| कोलकाता							1015.34	213.72					1015.34	213.72	0.00	1229.06
5	कल्याणी विश्वविद्यालय| कल्याणी							159.90	106.30					159.90	106.30	0.00	266.20
6	तार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी| दार्जिलिंग							294.22	118.60					294.22	118.60	0.00	412.82
7	प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय|							128.31	132.27					128.31	132.27	0.00	260.58
8	रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी| कोलकाता							9.26	108.97					9.26	108.97	0.00	118.23
9	द बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड साइंस युनिवर्सिटी| कोलकाता							10.62	50.00					10.62	50.00	0.00	60.62
10	विद्यासागर विश्वविद्यालय| मिदनापुर							139.22	67.68					139.22	67.68	0.00	206.90
11	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी| कोलकाता							2.95	0.00					2.95	0.00	0.00	2.95
12	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय| कोलकाता										350.00			350.00	0.00	0.00	350.00
	रोल:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3616.94	4534.29	0.00	413.41	0.00	0.00	4030.36	4534.29	0.00	8564.65
	कुल रोल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39749.94	22734.86	0.00	2349.53	0.00	0.00	42099.47	22734.86	0.00	64834.33
	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का रोल	18370.60	116979.24	29559.25	0.00	0.00	0.00	19817.14	6263.60	0.00	104.19	0.00	0.00	38391.93	123242.84	29559.25	191194.02
	संसविश्वविद्यालयों का रोल	0.00	0.00	0.00	1644.14	3559.30	0.00	2839.80	1109.46	0.00	105.03	0.00	0.00	4588.97	4668.76	0.00	9257.73
	विश्वविद्यालय/संस्थान का रोल	0.00	0.00	0.00	85.20	198.80	0.00	10658.65	260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	10743.85	459.07	0.00	11202.92
	अन्यविश्वविद्यालयों केन्द्रों का रोल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10250.84	6804.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10250.84	6804.77	0.00	17055.61
	राज्य विश्वविद्यालय का रोल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39749.94	22734.86	0.00	2349.53	0.00	0.00	42099.47	22734.86	0.00	64834.33
	औसत्रांश रोलपत्रां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48325.14						48325.14	0.00	0.00	48325.14
	संसक्त रोल:	18370.60	116979.24	29559.25	1729.34	3758.10	0.00	131741.50	37172.96	0.00	2558.75	0.00	0.00	154400.19	157910.30	29559.25	341869.74

"क्षेत्रक&1: केन्द्रीय विश्वविद्यालय] क्षेत्रक&2: संसविश्वविद्यालय] क्षेत्रक&3: (केन्द्रीय @ राज्य@ संसविश्वविद्यालय] विश्वविद्यालय] क्षेत्रक&4: विविध] 31& अनुमोदन संख्या] 35&पूंजीगत परिसंपत्तियां] 36&वेतन

तालिका 1.5(ड): वर्ष 2015&16 (मुख्य शीर्षवार) के दौरान सहविद्यालयों को मुक्तहस्त किए गए मासान्य योजनागत अनुदान की दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय	प्लान&1			प्लान&3			कुल			सकल योग (31+35+36)
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय										
1	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद				70.82	158.14	0.00	70.82	158.14	0.00	228.96
2	असम विश्वविद्यालय, सिलचर				19.78	22.15	0.00	19.78	22.15	0.00	41.93
3	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी				38.38	80.17	0.00	38.38	80.17	0.00	118.55
4	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	0.00	780.00	500.00	685.96	587.38	0.00	685.96	1367.38	500.00	2553.34
5	डॉ0 एच.एस. गौर विश्वविद्यालय, सागर				2.16	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	2.16
6	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर				30.00	45.00	0.00	30.00	45.00	0.00	75.00
7	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर				119.76	219.37	0.00	119.76	219.37	0.00	339.13
8	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद				28.25	6.69	0.00	28.25	6.69	0.00	34.94
9	ef.kij विश्वविद्यालय, इंफाल				509.61	259.44	0.00	509.61	259.44	0.00	769.05
10	जिओरंस विश्वविद्यालय, आइजौल				43.27	14.65	0.00	43.27	14.65	0.00	57.92
11	जामाकोणंड विश्वविद्यालय, कौहिसा				194.78	215.00	0.00	194.78	215.00	0.00	409.78
12	जार्थे इंस्टर्स हिल्ल यूनिवर्सिटी, शिलांग				24.72	107.80	0.00	24.72	107.80	0.00	132.52
13	पुडुचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी				25.86	105.05	0.00	25.86	105.05	0.00	130.91
14	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर				5.56	0.00	0.00	5.56	0.00	0.00	5.56
15	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला				4.02			4.02	0.00	0.00	4.02
	कुल	0.00	780.00	500.00	1802.94	1820.84	0.00	1802.94	2600.84	500.00	4903.77
	डीम्डविश्वविद्यालय										
1	भारती विद्यापीठ, पुणे				63.96	7.00	0.00	63.96	7.00	0.00	70.96
	डीम्ड&ओन्ली		0.00	0.00	63.96	7.00	0.00	63.96	7.00	0.00	70.96
	राज्य विश्वविद्यालय										
	आंध्र प्रदेश										
1	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर				124.03	114.15		124.03	114.15	0.00	238.18
2	आंध्रा विश्वविद्यालय, वाल्टेयर				208.02	170.90		208.02	170.90	0.00	378.92
3	जवाहर लाल टेक्नोलॉजी, हैदराबाद				31.50	19.90		31.50	19.90	0.00	51.40
4	जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी, कांकीनाडा				12.80	10.10		12.80	10.10	0.00	22.90
5	श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, अनंतपुर				15.71	25.80		15.71	25.80	0.00	41.51
6	कृष्णा विश्वविद्यालय, मछलीपत्तनम				58.64	140.94		58.64	140.94	0.00	199.58
7	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति				45.50	2.40		45.50	2.40	0.00	47.90
	कुल		0.00	0.00	496.20	484.19	0.00	496.20	484.19	0.00	980.39
	असम										
1	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़				373.10	111.18		373.10	111.18	0.00	484.28
2	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी				522.91	558.41		522.91	558.41	0.00	1081.32
	कुल		0.00	0.00	896.01	669.59	0.00	896.01	669.59	0.00	1565.60
	बिहार										
1	बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा				47.97	5.00		47.97	5.00	0.00	52.97
2	डाक्टर भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर				40.92	20.00		40.92	20.00	0.00	60.92
3	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा				0.15	0.00		0.15	0.00	0.00	0.15
4	एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा				42.99	6.00		42.99	6.00	0.00	48.99
5	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया				159.10	165.30		159.10	165.30	0.00	324.40
6	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर				67.60	162.00		67.60	162.00	0.00	229.60
7	बी.एस. आबदुलपुर विश्वविद्यालय, आबदुलपुर				1.37	0.00		1.37	0.00	0.00	1.37
	कुल		0.00	0.00	360.11	358.30	0.00	360.11	358.30	0.00	718.41
	छत्तीसगढ़										
1	पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर				48.06	129.50		48.06	129.50	0.00	177.56
	कुल		0.00	0.00	48.06	129.50	0.00	48.06	129.50	0.00	177.56
	गोवा										
1	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा				16.34	6.65		16.34	6.65	0.00	22.99
	कुल		0.00	0.00	16.34	6.65	0.00	16.34	6.65	0.00	22.99
	गुजरात										
1	एस0के0 शास्त्री विश्वविद्यालय, शास्त्री				1.60	0.00		1.60	0.00	0.00	1.60
2	गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी				1.66	0.00		1.66	0.00	0.00	1.66
3	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद				40.08	96.50		40.08	96.50	0.00	136.58

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय	क्षेत्रक&1			क्षेत्रक&3			कुल			संयुक्त रोल (31+35+36)
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	
4	एम0सी0 वार्धे मुक्तांगन युनिवर्सिटी, चांदा				73.31	132.20		73.31	132.20	0.00	205.51
5	संत्रवार चंदेल विश्वविद्यालय, वल्लभाई चत्रर				158.75	116.00		158.75	116.00	0.00	274.75
6	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट				178.32	56.40		178.32	56.40	0.00	234.72
7	वी0एस0 चौखंभे मुक्तांगन यूनिवर्सिटी, सूरत				46.70	33.30		46.70	33.30	0.00	80.00
	कुल		0.00	0.00	500.43	434.40	0.00	500.43	434.40	0.00	934.83
	कुरुक्षेत्र										
1	लौकरी देवी लाल विश्वविद्यालय,सिरसा				32.65	25.59		32.65	25.59	0.00	58.24
2	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय,कुरुक्षेत्र				551.63	710.38		551.63	710.38	0.00	1262.01
3	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय,रोहतक				149.92	216.61		149.92	216.61	0.00	366.53
	कुल		0.00	0.00	734.21	952.57	0.00	734.21	952.57	0.00	1686.78
	हिमाचल प्रदेश										
1	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला				86.33	263.00		86.33	263.00	0.00	349.33
	कुल		0.00	0.00	86.33	263.00	0.00	86.33	263.00	0.00	349.33
	जम्मू और कश्मीर										
1	जम्मू विश्वविद्यालय,जम्मू				42.54	54.10		42.54	54.10	0.00	96.64
2	कश्मीर विश्वविद्यालय,श्रीनगर				140.26	144.70		140.26	144.70	0.00	284.95
	कुल		0.00	0.00	182.80	198.80	0.00	182.80	198.80	0.00	381.60
	झारखंड										
1	राँची विश्वविद्यालय, राँची				80.88	138.35		80.88	138.35	0.00	219.23
2	सिदो कान्हो विश्वविद्यालय, दुमकारीबाग				69.08	15.80		69.08	15.80	0.00	84.88
	कुल		0.00	0.00	149.96	154.15	0.00	149.96	154.15	0.00	304.11
	कर्नाटक										
1	बंगलुरु विश्वविद्यालय, बंगलुरु				262.85	360.45		262.85	360.45	0.00	623.30
2	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा				4.38	0.00		4.38	0.00	0.00	4.38
3	कन्नड़ विश्वविद्यालय, हुम्पी				14.44	49.02		14.44	49.02	0.00	63.46
4	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़				32.55	19.73		32.55	19.73	0.00	52.28
5	कर्नाटक राज्य सहित्रा विश्वविद्यालय, बीजापुर				14.46	0.00		14.46	0.00	0.00	14.46
6	कुवेम्पू विश्वविद्यालय, शिवोगा				26.99	8.50		26.99	8.50	0.00	35.49
7	संत्रगोत्र विश्वविद्यालय, संत्रगोत्र				165.00	83.80		165.00	83.80	0.00	248.80
8	मणिपाल विश्वविद्यालय				4.45	0.00		4.45	0.00	0.00	4.45
9	मैसूरु विश्वविद्यालय, मैसूरु				261.56	427.00		261.56	427.00	0.00	688.56
10	राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय				12.67	0.00		12.67	0.00	0.00	12.67
11	राणी चेन्नम्मा, बेलगावी							0.00	0.00	0.00	0.00
12	तुमकुरु विश्वविद्यालय, तुमकुरु				2.27	0.00		2.27	0.00	0.00	2.27
13	विश्वेश्वरैय्या विश्वविद्यालय				7.19	0.00		7.19	0.00	0.00	7.19
	कुल		0.00	0.00	808.81	948.50	0.00	808.81	948.50	0.00	1757.31
	केरल										
1	कालीकट विश्वविद्यालय,कोझीकोड				488.87	107.15		488.87	107.15	0.00	596.02
2	कन्नूर विश्वविद्यालय,				60.51	4.15		60.51	4.15	0.00	64.66
3	केरल विश्वविद्यालय, तिरुअनंतपुरम				235.87	153.15		235.87	153.15	0.00	389.02
4	महात्मा गाँधी यूनिवर्सिटी, थिरसूर				400.51	223.40		400.51	223.40	0.00	623.91
	कुल		0.00	0.00	1185.75	487.85	0.00	1185.75	487.85	0.00	1673.60
	मध्य प्रदेश										
1	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा				3.67	0.30		3.67	0.30	0.00	3.97
2	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल				37.06	99.75		37.06	99.75	0.00	136.81
3	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर				16.87	0.00		16.87	0.00	0.00	16.87
4	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर				21.00	5.80		21.00	5.80	0.00	26.80
5	राणी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर				12.96	0.00		12.96	0.00	0.00	12.96
6	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन				5.38	0.00		5.38	0.00	0.00	5.38
	कुल		0.00	0.00	96.94	105.85	0.00	96.94	105.85	0.00	202.79
	महाराष्ट्र										
1	डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद				302.01	307.60		302.01	307.60	0.00	609.61
2	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई				452.53	283.92		452.53	283.92	0.00	736.44
3	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगाँव				144.03	212.75		144.03	212.75	0.00	356.78
4	आर.टी.एम. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर				253.84	427.30		253.84	427.30	0.00	681.14
5	एस0पी0 पुणे विश्वविद्यालय, पुणे				535.33	561.60		535.33	561.60	0.00	1096.93

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय	क्षेत्रक&1			क्षेत्रक&3			कुल			संचय योग (31+35+36)
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	
6	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई				21.70	94.50		21.70	94.50	0.00	116.20
7	एस.पी.डी. अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती				468.13	487.30		468.13	487.30	0.00	955.43
8	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर				331.60	282.80		331.60	282.80	0.00	614.40
9	सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर				27.80	0.00		27.80	0.00	0.00	27.80
10	स्वामी आर.टी.एम. विश्वविद्यालय, नांदेड़				221.94	199.45		221.94	199.45	0.00	421.39
	कुल		0.00	0.00	2758.91	2857.22	0.00	2758.91	2857.22	0.00	5616.12
	ओड़ीशा										
1	बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर				0.25	0.00		0.25	0.00	0.00	0.25
2	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर				13.76	0.00		13.76	0.00	0.00	13.76
3	नार्थ ओड़ीशा यूनिवर्सिटी, बारीपाड				0.70			0.70	0.00	0.00	0.70
4	संबलपुर, विश्वविद्यालय, संबलपुर				27.38	27.00		27.38	27.00	0.00	54.38
5	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर				75.72	45.00		75.72	45.00	0.00	120.72
	कुल		0.00	0.00	117.81	72.00	0.00	117.81	72.00	0.00	189.81
	पंजाब										
1	बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय				2.18	0.00		2.18	0.00	0.00	2.18
2	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर				568.29	1134.15		568.29	1134.15	0.00	1702.44
3	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़				659.65	833.33		659.65	833.33	0.00	1492.97
4	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला				99.71	278.17		99.71	278.17	0.00	377.87
5	पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय				50.52	0.00		50.52	0.00	0.00	50.52
	कुल		0.00	0.00	1380.35	2245.64	0.00	1380.35	2245.64	0.00	3625.99
	राजस्थान										
1	बीकानेर विश्वविद्यालय				70.55	2.50		70.55	2.50	0.00	73.05
2	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर				1.89	0.00		1.89	0.00	0.00	1.89
3	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा				75.66	0.00		75.66	0.00	0.00	75.66
4	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर				32.49	0.00		32.49	0.00	0.00	32.49
5	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर				7.27	0.00		7.27	0.00	0.00	7.27
6	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर				113.95	103.00		113.95	103.00	0.00	216.95
	कुल		0.00	0.00	301.82	105.50	0.00	301.82	105.50	0.00	407.32
	तमिलनाडु										
1	अन्नामलाई विश्वविद्यालय,अन्नाई कुंडी				29.24	7.00		29.24	7.00	0.00	36.24
2	अन्ना विश्वविद्यालय,चेन्नई				72.11	38.65		72.11	38.65	0.00	110.76
3	भारथियार विश्वविद्यालय,कोयम्बटूर				399.34	270.35		399.34	270.35	0.00	669.69
4	गांधीग्रामस्त विश्वविद्यालय,तिरुचिरापल्ली				433.62	249.94		433.62	249.94	0.00	683.55
5	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई				423.88	198.69		423.88	198.69	0.00	622.57
6	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, मदुरई				375.87	254.69		375.87	254.69	0.00	630.56
7	मनोनमनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवेल्ली				349.87	90.21		349.87	90.21	0.00	440.08
8	पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम				50.34	11.30		50.34	11.30	0.00	61.64
9	तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय				31.80	5.10		31.80	5.10	0.00	36.90
10	तमिलनाडु डॉ0 एस0पी0आर0 मेडिकिल्स विश्वविद्यालय, चेन्नई				40.27	0.00		40.27	0.00	0.00	40.27
	कुल		0.00	0.00	2206.33	1125.92	0.00	2206.33	1125.92	0.00	3332.25
	तेलंगाना										
1	जवाहर लाल तेहरू प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद				32.10	0.00		32.10	0.00	0.00	32.10
2	कंकातिया विश्वविद्यालय, वारंगल				57.86	2.20		57.86	2.20	0.00	60.06
3	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद				161.01	119.06		161.01	119.06	0.00	280.07
	कुल		0.00	0.00	250.97	121.26	0.00	250.97	121.26	0.00	372.23
	उत्तर प्रदेश										
1	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी				14.94	76.90		14.94	76.90	0.00	91.84
2	चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ				366.67	761.72		366.67	761.72	0.00	1128.39
3	चौ0 शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर				121.71	266.63		121.71	266.63	0.00	388.34
4	डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर				119.14	207.85		119.14	207.85	0.00	326.99
5	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,आगरा				114.04	304.72		114.04	304.72	0.00	418.77
6	डॉ0 आर0एस0एल0 अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद				85.80	241.73		85.80	241.73	0.00	327.53

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय	क्षेत्रक&1			क्षेत्रक&3			कुल			सकल रोज़गार (31+35+36)
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	
7	नर्सिंगढ़ विश्वविद्यालय|नर्सिंगढ़				159.82	186.60		159.82	186.60	0.00	346.42
8	एस.पी. कांसी विद्यापीठ| वाराणसी				27.67	34.04		27.67	34.04	0.00	61.70
9	एस.पी.पी रूलेज़र्विण्ड विश्वविद्यालय| बरेली				68.32	161.20		68.32	161.20	0.00	229.51
10	संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय| वाराणसी				86.58	291.75		86.58	291.75	0.00	378.33
11	बी.बी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय| जौनपुर				86.91	187.46		86.91	187.46	0.00	274.36
	कुल		0.00	0.00	1251.59	2720.60	0.00	1251.59	2720.60	0.00	3972.19
	सरदारर्विण्ड										
1	कुँवर्सिंह विश्वविद्यालय| तैतीसगढ़				186.27	149.30		186.27	149.30	0.00	335.57
	कुल		0.00	0.00	186.27	149.30	0.00	186.27	149.30	0.00	335.57
	संश्लिष्ट बंगाल										
1	बुर्द्वसात विश्वविद्यालय| वर्द्वसात				59.01	31.30		59.01	31.30	0.00	90.31
2	कीलकांता विश्वविद्यालय| कीलकांता				209.97	712.19		209.97	712.19	0.00	922.16
3	कल्याणी विश्वविद्यालय| कल्याणी				9.58	0.00		9.58	0.00	0.00	9.58
4	तार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी| दार्जिलिंग				31.70	30.00		31.70	30.00	0.00	61.70
5	विद्यासागर विश्वविद्यालय| मिदनापुर				195.45	57.00		195.45	57.00	0.00	252.45
6	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी| कीलकांता				9.22	0.50		9.22	0.50	0.00	9.72
7	वेस्ट बंगाल ग्रांज्य विश्वविद्यालय					14.38	4.05		14.38	4.05	0.00	18.43
	कुल	0.00	0.00	0.00	529.31	835.04	0.00	529.31	835.04	0.00	1364.35
	कुल&रोज़	0.00	0.00	0.00	14545.30	15425.83	0.00	14545.30	15425.83	0.00	29971.13
	केंद्रीय विश्वविद्यालयों का रोज़	0.00	780.00	500.00	1802.94	1820.84	0.00	1802.94	2600.84	500.00	4903.77
	संसविश्वविद्यालयों का रोज़	0.00	0.00	0.00	63.96	7.00	0.00	63.96	7.00	0.00	70.96
	विश्वविद्यालयरोज़@संस्थानों का रोज़	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	12.80
	अंतर्विश्वविद्यालयों केंद्रों का रोज़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ग्रांज्य विश्वविद्यालयों का कुल रोज़	0.00	0.00	0.00	14545.30	15425.83	0.00	14545.30	15425.83	0.00	29971.13
	ऑनग्रांइड रोज़गारएं							0.00	0.00	0.00	0.00
	सकल रोज़	0.00	780.00	500.00	16425.00	17253.66	0.00	16425.00	18033.66	500.00	34958.66

क्षेत्रक&1 केंद्रीय विश्वविद्यालय| क्षेत्रक&3 (केंद्रीय @ ग्रांज्य@संसविश्वविद्यालय) विश्वविद्यालय 31&संलग्नता अनुमान (संख्यांए)| 35&पूंजीगत परिसंपत्तियां| 36&वेतन

तालिका 1.5(ण): वर्ष 2015&16 (मुख्य शीर्षवार) के दौरान विश्वविद्यालयों को मुक्त किए गए सांसाध्य त्रैर्ं&योजनेतर अनुदान की दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय	ईसएसजीर्ंी एवं सीईसी			अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र			विविध प्रयोजनार्थ ब्लॉक अनुदान			सभ विश्वविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान			केंद्रीय विश्वविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान			कुल			सकल योग
		क्षेत्रक 04			क्षेत्रक 05			क्षेत्रक 06			क्षेत्रक 07			क्षेत्रक 09						
		वेतन	वेतनेतर	योग	वेतन	वेतनेतर	योग	वेतन	वेतनेतर	योग	वेतन	वेतनेतर	योग	वेतन	वेतनेतर	योग	वेतन	वेतनेतर	योग	
	केंद्रीय विश्वविद्यालय																			
1	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़													12,650.00	4,000.00	56,928.89	12650.00	4000.00	56928.89	73578.89
2	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद													3,986.00	1,550.00	13,192.90	3986.00	1550.00	13192.90	18728.90
3	असम विश्वविद्यालय, सिलचर													310.00	900.00	4,954.21	310.00	900.00	4954.21	6164.21
4	बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय													57.00	900.00	2,182.57	57.00	900.00	2182.57	3139.57
5	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी													13,654.54	4,600.00	51,983.23	13654.54	4600.00	51983.23	70237.77
6	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली													8000.00	5300.00	30094.79	8000.00	5300.00	30094.79	43394.79
7	डॉ0 एच.एस. गौर विश्वविद्यालय, सागर	0.00	7.00	69.80										1278.73	600.00	6144.60	1278.73	607.00	6214.60	8100.33
8	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर													195.00	400.00	2059.19	195.00	400.00	2059.19	2654.19
9	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर													390.00	500.00	6394.40	390.00	500.00	6394.40	7284.40
10	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद													1570.00	2100.00	12489.75	1570.00	2100.00	12489.75	16159.75
11	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली													2105.00	2000.00	21221.28	2105.00	2000.00	21221.28	25326.28
12	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली													3735.90	3500.32	17274.33	3735.90	3500.32	17274.33	24510.55
13	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा													40.00	800.00	1472.16	40.00	800.00	1472.16	2312.16
14	ef.kij fo'ofo|ky;] bZVkuxj	3.17	27.73	148.10										890.68	700.00	6320.73	893.85	727.73	6468.83	8090.41
15	मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद													410.00	800.00	4668.41	410.00	800.00	4668.41	5878.41
16	सिक्कोम विश्वविद्यालय, गांगटोक													430.17	1000.00	6071.36	430.17	1000.00	6071.36	7501.53
17	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा													424.46	950.00	3997.64	424.46	950.00	3997.64	5372.10
18	नार्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी, शिलांग													1720.87	1600.00	10053.41	1720.87	1600.00	10053.41	13374.28
19	पुडुचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी													800.00	1400.00	6351.68	800.00	1400.00	6351.68	8551.68
20	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर													175.00	900.00	2489.30	175.00	900.00	2489.30	3564.30
21	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर													256.00	850.00	4050.96	256.00	850.00	4050.96	5156.96
22	द इंग्लिश एण्ड फॉरेन्न लैंग्वेज युनिवर्सिटी, हैदराबाद	58.00	38.00	243.00										680.00	500.00	3939.54	738.00	538.00	4182.54	5458.54
23	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला													227.00	650.00	2751.84	227.00	650.00	2751.84	3628.84
24	विश्वभारती शांति निकेतन													4246.00	1206.00	13655.54	4246.00	1206.00	13655.54	19107.54
	कुल	61.17	72.73	460.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58232.35	37706.32	290742.91	58293.52	37779.05	291203.81	387276.38

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय	ईएसएसआईसी एवं सीईसी			अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र			विशिष्ट अनुदान आयोग अनुमोदित			सभी विश्वविद्यालयों की आयोग अनुमोदित			केंद्रीय विश्वविद्यालयों की आयोग अनुमोदित			कुल			संसद सदस्य रोजगार
		क्षेत्रवार 04			क्षेत्रवार 05			क्षेत्रवार 06			क्षेत्रवार 07			क्षेत्रवार 08						
		वेंचर	वेंचरलेंचर	वेंचर	वेंचर	वेंचरलेंचर	वेंचर	वेंचर	वेंचरलेंचर	वेंचर	वेंचर	वेंचरलेंचर	वेंचर	वेंचर	वेंचरलेंचर	वेंचर	वेंचर	वेंचरलेंचर	वेंचर	
	संसविश्वविद्यालय																			
1	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन										653.53	250.00	3083.43				653.53	250.00	3083.43	3986.96
2	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा										193.20	205.00	2237.45				193.20	205.00	2237.45	2635.65
3	त्रांसीआस रूरल इंस्टिट्यूट, डिंडीगुल										580.45	250.00	3193.02				580.45	250.00	3193.02	4023.47
4	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद										405.79	345.00	2144.39				405.79	345.00	2144.39	2895.18
5	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार										414.03	520.00	2785.36				414.03	520.00	2785.36	3719.39
6	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली										0.00	0.00	800.00				0.00	0.00	800.00	800.00
7	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति										192.50	453.00	1706.21				192.50	453.00	1706.21	2351.71
8	श्री लालबहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली										267.50	332.00	1718.47				267.50	332.00	1718.47	2317.97
9	श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय कांचीपुरम										0.00	0.00	7.00				0.00	0.00	7.00	7.00
10	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई										343.00	645.00	3314.75				343.00	645.00	3314.75	4302.75
	उपजोड़:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3050.00	3000.00	21000.08	0.00	0.00	0.00	3050.00	3000.00	21000.08	27050.08
	अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र																			
1	कंसोर्शियम फॉर एजूकेशन कम्युनिकेशन, नई दिल्ली	29.00	204.45	387.38													29.00	204.45	387.38	620.83
2	इलिंग्लबतेर सेंटर, अहमदाबाद				35.25	117.50	238.00										35.25	117.50	238.00	390.75
3	इंदर युनिवर्सिटी एक्सीलेंटर सेंटर, नई दिल्ली				81.00	1158.23	1319.52										81.00	1158.23	1319.52	2558.75
4	इंदर युनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे				139.00	565.18	1388.03										139.00	565.18	1388.03	2092.21
5	एस.ए.ए.सी. राजमाजी तमर, बंगलुरु				5.00	176.71	382.00										5.00	176.71	382.00	563.71
6	यूजीसी डी.ए.ई कंसोर्शियम फॉर साइन्टिफिक रिसर्च, इंदौर				28.00	582.38	1304.00										28.00	582.38	1304.00	1914.38
	उपजोड़:	29.00	204.45	387.38	288.25	2600.00	4631.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.25	2804.45	5018.93	8140.63
	इग्नू विश्वविद्यालय																			
	आंध्र प्रदेश																			
1	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	2.25	12.75	95.25													2.25	12.75	95.25	110.25
	कुल:	2.25	12.75	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	12.75	95.25	110.25
	गुजरात																			
1	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	93.00	23.00	174.00													93.00	23.00	174.00	290.00
	कुल:	93.00	23.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	23.00	174.00	290.00

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय	ईएसएसआरसी एवं सीईसी			अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र			विशिष्ट अध्ययनार्थ यूजीसी अनुदान			सभी विश्वविद्यालयों को यूजीसी अनुदान			केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को यूजीसी अनुदान			कुल			संसद शोध
		क्षेत्रक 04			क्षेत्रक 05			क्षेत्रक 06			क्षेत्रक 07			क्षेत्रक 09						
		पेंशेष	पेगापेतें	पेगाव	पेंशेष	पेगापेतें	पेगाव	पेंशेष	पेगापेतें	पेगाव	पेंशेष	पेगापेतें	पेगाव	पेंशेष	पेगापेतें	पेगाव	पेंशेष	पेगापेतें	पेगाव	
	उत्तर और पश्चिम																			
1	**केन्द्रीय विश्वविद्यालय,बीजापुर**	11.00	38.00	157.34													11.00	38.00	157.34	206.34
	कुल	11.00	38.00	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	38.00	157.34	206.34
	उत्तरांचल																			
1	**सैंथुर विश्वविद्यालय, सैंथुर**	37.00	6.00	127.00													37.00	6.00	127.00	170.00
	कुल	37.00	6.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	6.00	127.00	170.00
	कोंकण																			
1	**कांकणीकर्ट विश्वविद्यालय,कोंकणीकोर्ट**	0.00	13.92	105.38													0.00	13.92	105.38	119.30
	कुल	0.00	13.92	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92	105.38	119.30
	मध्य प्रदेश																			
1	**देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, सांत्रर**	15.00	35.00	130.00													15.00	35.00	130.00	180.00
	कुल	15.00	35.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	35.00	130.00	180.00
	महाराष्ट्र																			
1	**एसएनडीटी पुणे विश्वविद्यालय, पुणे**	40.00	40.00	172.00													40.00	40.00	172.00	252.00
	कुल	40.00	40.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	172.00	252.00
	पंजाब																			
1	**पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़**							0.00	0.00	17297.86							0.00	0.00	17297.86	17297.86
2	**पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला**	0.00	0.00	29.50													0.00	0.00	29.50	29.50
	कुल	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17297.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17327.36	17327.36
	राजस्थान																			
1	**जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर**	5.25	15.00	143.27													5.25	15.00	143.27	163.52
	कुल	5.25	15.00	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	15.00	143.27	163.52
	तमिलनाडु																			
1	**अन्ना विश्वविद्यालय,चेन्नई**	0.00	38.00	65.00													0.00	38.00	65.00	103.00
2	**मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, मदुरई**	18.00	24.00	155.00													18.00	24.00	155.00	197.00
	शेष:	18.00	62.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	62.00	220.00	300.00
	कुल शेष	221.50	245.67	1353.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17297.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.50	245.67	18651.60	19118.77
	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का शेष	61.17	72.73	460.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58232.35	37706.32	290742.81	58293.52	37779.05	291203.81	387276.38
	संसविश्वविद्यालयों का शेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3050.00	3000.00	21000.08	0.00	0.00	0.00	3050.00	3000.00	21000.08	27050.08
	कुल विश्वविद्यालयेतर@संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अंतर्विश्वविद्यालयों केन्द्रों का शेष	29.00	204.45	387.38	288.25	2600.00	4631.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.25	2804.45	5018.93	8140.63
	यूजीसी विश्वविद्यालयों का शेष	221.50	245.67	1353.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17297.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.50	245.67	18651.60	19118.77
	संसद शेष	311.67	522.85	2202.03	288.25	2600.00	4631.55	0.00	0.00	17297.86	3050.00	3000.00	21000.08	58232.35	37706.32	290742.81	61882.27	43829.17	335874.43	441585.86

तालिका 1.5(ग): वर्ष 2015&16 (चुनिंदा शीर्षवार) के दौरान सहविद्यालयों की प्रवेश सामान्य शैक्षणिक अनुपात की दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय	ईएसएसआरसी एवं सीईसी			मिरांडा के विश्वविद्यालयों की अनुरूपित अनुपात			बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सहविद्यालयों की अनुरूपित अनुपात			खेलनीय विश्वविद्यालय की ओर अनुपात			कुल			संसद रोल
		क्षेत्रक 04			क्षेत्रक 08			क्षेत्रक 08(ii)			क्षेत्रक 09						
		पेंशन	वेतनेतर	वेतन	पेंशन	वेतनेतर	वेतन	पेंशन	वेतनेतर	वेतन	पेंशन	वेतनेतर	वेतन	पेंशन	वेतनेतर	वेतन	
	खेलनीय विश्वविद्यालय																
1	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी							225.00	100.00	3250.00				225.00	100.00	3250.00	3575.00
2	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली				18740.80	2025.74	123424.54				725.88	300.00	8241.00	19466.68	2325.74	131665.54	153457.95
	कुल :	0.00	0.00	0.00	18740.80	2025.74	123424.54	225.00	100.00	3250.00	725.88	300.00	8241.00	19691.68	2425.74	134915.54	157032.95
	संघीय विश्वविद्यालय																
	संबद्ध संस्थान																
3	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता	10.00	55.00	205.00										10.00	55.00	205.00	270.00
	कुल :	10.00	55.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	55.00	205.00	270.00
	कुल (खेलनीय विश्वविद्यालय)	0.00	0.00	0.00	18740.80	2025.74	123424.54	225.00	100.00	3250.00	725.88	300.00	8241.00	19691.68	2425.74	134915.54	157032.95

1.6 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित समविश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश से] केन्द्रीय विश्वविद्यालयों] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षणेतर कर्मचारिवृंदों के लिए एक समान ट्रेड पैटर्न पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.) का गठन किया किया गया। इस संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति का सम्बेश्य इन संस्थानों के शिक्षणेतर कर्मचारिवृंदों (ग्रुप ए] बी एवं सी) के लिए समान भर्ती शर्तों के समन्वय ढाँचे की सिफारिश करना है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विचार करने तथा आयोग के द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद तीन चरणों में जेसीआरसी की रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत की:&

1. प्रथम भर्ती संवर्ग पर रिपोर्ट की सिफारिश 18 जनवरी] 2008 के पत्रांक संख्या एफ 23&1@2005(जेसीआरसी) के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।
2. 15 विभिन्न भर्तीयों@संवर्ग ढांचों अर्थात् (i) प्रशासन@लिपिकवर्गीय भर्तीएँ (ii) पुस्तकालय से जुड़ी भर्तीएँ (iii) अतिथिशाला@होस्टल@छात्रावास ग्रुप भर्तीएँ (iv) परिवहन भर्तीएँ (v) विद्यालय अध्यापक (vi) सुरक्षा भर्तीएँ (vii) स्वास्थ्य संबंधी भर्तीएँ (viii) इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग (ix) ऑपरेटर@ऑपरेशन संबंधी भर्तीएँ (x) संगीत भर्तीएँ (xi) विज्ञान@विज्ञान भर्तीएँ (xii) सहायक@छात्रवृत्ती भर्तीएं और (xiii) कृषि@पशु चिकित्सा भर्तीएँ (xiv) वार्डन भर्तीएँ] और (xv) शारीरिक@मानसिक्षीय भर्तीएँ संबंधी रिपोर्ट की 12&06&09 की पत्रांक सं0 एफ: 6&7@97 (सीयू@जेसीआरसी) के माध्यम से भेजा गया है।
3. 08 विभिन्न भर्तीयों@संवर्ग ढांचों अर्थात् (i) प्रेस एवं प्रकाशन भर्तीएँ (ii) पुस्तकालय एवं अभिलेखागार भर्तीएँ (iii) तकनीकी@प्रयोगशाला भर्तीएं (iv) अभियांत्रिकी भर्तीएं (v) कार्यशाला भर्तीएँ (vi) विश्वविद्यालय विद्युत एवं यंत्र केन्द्र (vii) स्वास्थ्य और चिकित्सा भर्तीएं (viii) मुद्रण एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई0सी0टी0) भर्ती के संबंध में रिपोर्ट दिनांक 23.09.2010 के पत्र संख्या एफ:6&7@97 (जे.सी.आर.सी.) के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 07.05.2014 के पत्र के माध्यम से जेसीआरसी की कुछ सिफारिशों को अनुमोदित किया है जिन्हें सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों@विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों को दिनांक 01.10.2014 के पत्र के माध्यम से संप्रेषित कर दिया गया। शेष बचे हुए विषयों के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की गई मानव के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

केन्द्र द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं में ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 योजना का कार्यान्वयन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों] सम विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में ए0सी0पी0 योजना के क्रियान्वयन में एकरूपता लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक स्थायी समिति का गठन किया है। यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालयों द्वारा विगत में अपने शिक्षणेतर कर्मचारीवृंदों के विषय लिये गये अलग&अलग मामलों के संबंध में ए0सी0पी0 योजना के संबंध में स्थायी समिति के प्रेक्षणों@सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा तैयार किये गये दिशा&निर्देशों के आधार पर स्वयं एसीपी योजना को लागू कर सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली स्थित महाविद्यालयों को अपने शिक्षणेतर कर्मचारिवृंदों को एसएसीपी प्रदान करने के लिये दिनांक 09.07.2010 के पत्र के माध्यम से अनुमोदन प्रदान किया।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालय तथा से संबंधित शिक्षणेतर कर्मचारिवृंदों के संबंध में ए0सी0पी0 @एम0ए0सी0पी0 के कार्यान्वयन पर स्पष्टीकरण मांगने वाले अनेक प्रश्नों का जेसीआरसी द्वारा वैधिक आधार पर समाधान किया जा रहा है।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

अर्द्ध&सरकारी संस्थाओं] स्वायत्त तथा लोक सेवकों द्वारा वित्तपोषित@नियंत्रित शैक्षिक विकासों में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की लागू करने के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 6 अक्तूबर] 2008 के अ:शा: पत्र संख्या 2&1@2008&यू.आई.(ए) के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम

विश्वविद्यालय तथा विरूपी के सहविद्यालयों के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु 03 दिसम्बर, 2009 की पत्र संख्या एफ0 20&1@2008 (पे0सी0आर0सी0) के माध्यम से एक प्रस्ताव भेजा। यह मामला सक्षम मंत्रालय विचाराधीन है। इस दौरान, पे0सी0आर0सी0 अनुशंसा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों@विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित मद विश्वविद्यालयों में MCP वेतन आयोग में कार्यान्वयन में शिक्षणेतर कर्मचारियों से संबंधित प्रश्नों का समाधान कर रहा है तथा अनुमोदन हेतु सक्षम मंत्रालय विचार संस्तुति के साथ मंत्रिय रूप से भेजी जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित मद विश्वविद्यालयों तथा विरूपी के सहविद्यालयों के अनुमोदन अधिकारियों@विरूपी संस्थाओं की वेतन बैंड&2 में 4800@& का ग्रेड वेतन प्रदान करने के संबंध की अनुमोदन प्रदान करने हेतु सक्षम मंत्रालय विचार संस्तुति के साथ भेजा गया है।

1.7 वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा लिए गए मुख्य निर्णय

- सदस्यों से संबंधित मामले
- मंत्रालय तथा अन्य राष्ट्रीय निकायों से प्राप्त संचार
- विशेष कार्यालय, मुख्यालय कार्यालय आदि
- विश्वविद्यालयों तथा सहविद्यालयों को अनुदान

वर्ष 2015–16 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निम्नवत बैठकें हुईः

1. दिनांक 23 अप्रैल, 2015 की 507वीं बैठक
2. दिनांक 27 जुलाई, 2015 की 508वीं बैठक
3. दिनांक 15 सितम्बर, 2015 की 509वीं बैठक
4. दिनांक 07 अक्तूबर, 2015 की 510वीं बैठक
5. दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 की 511वीं बैठक
6. दिनांक 04 फ़रवरी, 2016 की 512वीं बैठक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगः वर्ष के दौरान लिए गए मुख्य निर्णय

मानदंडों के सम्बन्ध में मुद्दों पर लिए गए मुख्य निर्णय

& आयोग ने निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पूर्ववर्ती यू0जी0सी0 की ही तरह नयी दिल्ली स्थित विश्वविद्यालयों की अनुदान संवितरित करता जारी रखेगा है। तथापि, दिल्ली स्थित विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अंतर्गत दर्जा के लिए सहायता प्राप्त करने की सलाह दी जाएगी है।

& आयोग ने एम0फिल0@पी0एच0 की उपाधि व्यक्तियों और प्रोफेसरों की नियुक्ति के बारे में जाने के लिए "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में मानकता संवर्धन) विनियम, 2012" की समीक्षा "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में मानकता संवर्धन) विनियम, 2015" के प्रस्ताव पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।

& आयोग ने डी0एस0ए0 उपाधि कार्यालय हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधित) विनियमों पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।

& आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में प्रतिनियुक्ति के वेतन, विश्वविद्यालय और सहविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यताओं संबंधी विनियमों और मानकता शिक्षा में सलाह उपाय करने हेतु मापदंड, 2010 में संबंधित अनुसूची के क्रम 8.2.1 को क्रम 6.8.0 से प्रतिस्थापित करने पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।

& आयोग ने दिनांक 10.01.2014 की आयोजित अपनी 497वीं बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च), 12(ख) के अंतर्गत संस्थानों की स्वीकृति प्रदान की और वि0अ0आ0 की धारा 13 के अंतर्गत अनुपालन के संबंध में गठित की गई विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के संबंध में प्रतिवेदन पर विचार किया, स्वीकृति प्रदान की और इसकी पुष्टि की।

- & आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यताओं और समकक्ष शिक्षा में समानता प्रदान करने हेतु विनियम] 2010 संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के खंड 8.3 (तीन) (विशेष प्रावधान से संबंधित) की जोड़ किया और स्वीकृति प्रदान की।
- & आयोग ने पूर्ववर्ती कैरियर अग्रिम योजना (सीएएस)] 1998 के अंतर्गत सम्पादन@मह&आचार्य से आचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु प्रदान अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिक की नियुक्ति के प्रावधान की समीक्षा करने की जोड़ किया और स्वीकृति प्रदान की।
- & आयोग ने सरकारी और गैर&सरकारी संगठनों तथा विशेषज्ञों की आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वेबिनों में भाग लेने हेतु देय यात्रा भत्ता@दैनिक भत्ता@मानदेय की संशोधित दरों की जोड़ किया और स्वीकृति प्रदान की।
- & आयोग ने पूंजी शीर्ष के अंतर्गत झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय की अनुदानराशि जारी करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय में हुई प्रगति की जांच करने हेतु गठित दो सदस्यीय समिति के प्रतिवेदन की जोड़ किया और स्वीकृति प्रदान की।
- & आयोग ने विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय सर्वोत्तम संस्था केन्द्रों की स्थापना करने संबंधी दिशानिर्देशों सहित प्रतिवेदन की जोड़ किया और स्वीकृति प्रदान की।
- & आयोग ने 12वीं योजना के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की योजनाप्रस्ताव अनुदान (माननीय विकास सहायता) के आवंटन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की जोड़ किया और स्वीकृति प्रदान की।
- & आयोग ने कम्पीटेंसी ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी (सीईटी) में क्षेत्रीय अधिकारी और अनुभाग अधिकारी (प्रशा:) के पदों और वेतनमानों की अन्य आईएमसी के समान प्रशासनिक अधिकारी (क्षेत्रीय) और प्रशासनिक अधिकारी (प्रशा:) के रूप में पुनर्गठित करने के संबंध की व्यय वित्त समिति] वित्त मंत्रालय के पास इसकी विशेषज्ञ जांच हेतु भेजा है।
- & आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मेस विश्वविद्यालय स्थापित) विनियम] 2010 के अनुबंध&1 के खंड 4.5 (एक) (प्रबंधक बोर्ड की बैठक हेतु गणपूर्ति) में संशोधन की जोड़ किया और स्वीकृति प्रदान की।
- & आयोग ने विदेशज्ञ आईएमएए] पुणे(विदेशज्ञ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग & बीएई&सीएनआर] इंदौर और विदेशज्ञ एचएएसी] बंगलूरू की नियुक्ति हेतु अन्वेषण समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जोड़ किया और स्वीकृति प्रदान की।
- & आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में सामान्यताओं की स्थापना और तत्संबंधी अनुरक्षण) विनियम] 2015 की स्वीकृति प्रदान की।
- & आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मेस विश्वविद्यालय स्थापित) विनियम] 2010 के खंड 12.03क (मुआर&कैम्पस) में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की।
- & आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समकक्ष शिक्षा संस्थानों में शैक्षिक सहयोगियों की बढ़ावा देना और सांस्थानिक प्रोन्नति की योजनाएं) विनियम] 2015 की स्वीकृति प्रदान की।
- & आयोग ने "विशिष्ट क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठता हेतु क्षमता वाले केन्द्र" (सीपीईएएस) संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों की पुष्टि की।
- & आयोग ने समकक्ष शिक्षा में भारत&तर्वती सहयोगियों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि:व:आ:)] भारत और तर्वत शिक्षा आदान&प्रदान सेवा (बीएपीई)] तर्वती के बीच हुए समझौता ज्ञापन की पुष्टि की।
- & आयोग ने केन्द्र सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों (12वं चरण वाले) में] महाविद्यालयों में संकाय विकास कार्यक्रम की योजना की जारी रखने पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।
- & आयोग ने किसी छात्र द्वारा कोई सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु एक समान अवधि निर्धारित करने के मुद्दे पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।
- & आयोग ने एचएएसी में पदों की 6 श्रेणियों के संबंध में दो नियमों पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।
- & आयोग ने अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु अभियांत्रिकी क्षेत्र] आयुर्विज्ञान संस्थान] बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।

& आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षण पदों पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।

& आयोग ने] आयोग के सदस्यों की सदस्यता के पुनरीक्षण में वृद्धि पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।

& आयोग ने वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कॉर्प सैटेलाइट डेवलपमेंट एंड रिसर्च] मुंबई की 2015&16 हेतु औद्योगिक कार्यशिक्षण के लिए सहायता पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।

& आयोग ने डेक्कन सोसाइटी फॉर एजुकेशन विश्वविद्यालय की केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने पर सभी शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन और भत्तों तथा सेवाशर्तों की पुनर्संरचित किए जाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश के प्रतिवेदन को स्वीकृति प्रदान की।

& आयोग ने सांख्यिकी विकास संस्थान समिति द्वारा श्रेणी 'ए' के अंतर्गत हाल ही में 41 नए विश्वविद्यालय संस्थानों में से चुने हुए पर विचार किया] एचएएसी द्वारा किए गए मूल्यांकन और सांख्यिकी विकास संस्थान से पत्र प्राप्त होने के बाद तथा सांख्यिकी विकास संस्थान से प्राप्त पत्र तथा इस संस्था पर विचार करने के पश्चात् कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम विचारणीय है] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मत यह है कि इस दर्जे की प्रदान हाल ही में जाए। तथापि] नए विश्वविद्यालय संस्थानों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग औपचारिक विनिर्देशन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

& आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (नए विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम] 2010] वर्ष 2014 और 2015 में यथा संशोधित] के अनुबंध&2 (अनुसूची) के खंड 6.2 के उप&खंड (एक) में संशोधन पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।

& आयोग ने भारतीय शास्त्रीय भाषाओं संस्थान] मैसूरु] कर्नाटक] एम्स ऋषिकेश और पटना में एक संस्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की।

& आयोग ने होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट (एचबीएनआई) (नए विश्वविद्यालय)] मुंबई के अंतर्गत मुद्रा&कौशल की स्थापना प्रदान करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईएसईआर)] भुवनेश्वर] ओडिशा को शामिल करने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की] बशर्ते कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (नए विश्वविद्यालय संस्थान) अधिनियम] 2010] वर्ष 2014 और 2015] यथा संशोधित] में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों हेतु सांख्यिकी विकास संस्थान से इस आशय की अनुमति प्राप्त हुई है कि वह मुद्रा कौशल का प्रावधान सभी नए विश्वविद्यालय संस्थानों पर लिए जाए जहाँ होना जिसकी स्थापना और प्रबंधन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

& आयोग ने कुछ नए विश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग@सांख्यिकी विकास संस्थान की पूर्व अनुमति के बिना स्थापित@शुरू किए गए मुद्रा&कौशल से संबंधित मुद्दे पर विचार किया और नए विश्वविद्यालय संस्थानों के मुद्रा&कौशल के मुद्दे को सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति का xदठन करने का मत प्रकट किया।

& आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यताओं और समकक्ष शिक्षा में सांख्यिकी बनाए रखने हेतु सांख्यिकी] 2010 संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के विभिन्न खंडों में संशोधन@स्पष्टीकरण पर विचार किया और यह स्पष्टीकरण जारी करने का निर्णय लिया कि शोध डिग्री अर्थात् पीएचडी डिग्री प्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि] जिसे लिए किसी प्रकार का अवकाश न लिया गया हो] को सेवा आचार्य और इसमें ऊपर के पदों के लिए सीधी भर्ती@प्रोन्नति के उद्देश्य हेतु शिक्षण अनुभव के तौर पर माना जाएगा।

& आयोग ने यूजीसी शिक्षा समिति बैठक के कार्यवृत्त पर विचार किया और इसकी पुष्टि की तथा सभी सदस्यों की स्वीकृत लाया गया तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के 3 पाठ्यक्रमों अर्थात् बी:एस:सी: (ऐच्छिक विज्ञान)] बी:एस:सी: (व्यापार सांख्यिकी) और एमएस:सी (व्यापार सांख्यिकी) हेतु अध्ययन सामग्रियों की छपाई के लिए समिति का xदठन किया गया। साथ ही] आयोग ने समिति की सदस्य पाठ्यक्रमों] यदि सही पाये जाते हैं तो] के लिए अपनी मंजूरी प्रदान करने हेतु भी

प्रभावित किया। आयोग ने यह भी अधिकार दिया कि समिति के निर्णय के बारे में विश्वविद्यालय को सूचित किया जाए और इसकी जानकारी आयोग की अगली बैठक में दी जाए।

सरकार और अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त निर्देशों के संबंध में लिए गए मुख्य प्रमुख निर्णय

& एसआईएमडब्ल्यूएमएम] मुजफ्फरपुर में अवस्थित ईएसएसआरसी से संबंधित विषयों के सम्बन्ध में माननीय {एमएचआरडी} मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि ईएसएसआरसी के हुबे पर विचार करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाए। इस संशोधन के साथ] कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

& समिति ने संयुक्त समिति {ज्वाइंट}] विधि मंत्रालय के इस सुझाव को नोट किया और स्वीकृति प्रदान की कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अध्येतावृत्तियों@छात्रवृत्तियों प्रदान और इसे अन्य मंत्रालयों के साथ एक स्थायी समिति बनाने के लिए समन्वय करना चाहिए ताकि भविष्य में] यदि आवश्यक हो तो] अध्येतावृत्तियों@छात्रवृत्तियों में व्यापक और तर्कसंगत वृद्धि की जा सके।

& आयोग ने निजी स्वायत्त विद्यापीठ {सह विश्वविद्यालय}] पुणे स्वायत्त के कुलपति डॉ. वीपक निजन द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अंतर्गत मानदण्ड के आरोपों की जांच के लिए गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और इस रिपोर्ट को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अग्रेषित किया गया। यह निर्णय भी लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निजी स्वायत्त विद्यापीठ की मेखिनेरीक्षा करेगा।

& आयोग ने केन्द्र मंत्रालय द्वारा स्थापित और संबंधित सह विश्वविद्यालय संस्थानों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग {सह विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम] 2010 के [बंद 12.03क {मुद्दा केपाम} में संशोधन पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।

विशेष कार्यक्रमों, गुणवत्ता कार्यक्रमों आदि के संबंध में लिए गए मुख्य निर्णय

& आयोग ने डीएसआर की अधिकार प्राप्त समिति के निर्णयों की नोट किया और स्वीकृति प्रदान की।

& आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न अध्येतावृत्तियों@छात्रवृत्तियों@ शोध पुरस्कारों में समानता लाने के लिए 8 और 9 अगस्त] 2015 की आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में अनुशंसित पुनरीक्षा@संशोधनों पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।

& आयोग ने निम्नलिखित की नोट किया और स्वीकृति प्रदान की (एक) सीपीईपी संबंधी समिति की सिफारिशों और "विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्टता वाले केन्द्र" {सीपीईपी) हेतु बारहवीं योजना के विशानिर्देशों में संशोधन और (दो) सह विश्वविद्यालयों और नए निजी विश्वविद्यालयों हेतु नई योजना के विशानिर्देश तैयार करने समय नए निजी विश्वविद्यालयों को सह विश्वविद्यालयों के साथ समावेश करना।

& आयोग ने शारीरिक शिक्षा में नई संस्थाओं द्वारा डीपीएम और एसपीईएम संस्थाओं के विनिर्देशों पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।

& आयोग ने तमिलनाडु एमईसी को प्रत्यायन प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति की सिफारिशों की स्वीकृति प्रदान की।

& आयोग ने "विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्टता वाले केन्द्र" {सीपीईपी) संबंधी योजना के अंतर्गत मौलाना आजाद विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में स्थायी समिति की सिफारिशों की स्वीकृति प्रदान की।

& आयोग ने पंजाब वेटेरिनरी कॉलेज] हिसार {पंजाब) की दोहरी सूची में डालने और डालवेट पीजी कॉलेज] वाराणसी की "विशेष जेखिनेरीक्षा तथा मेखिनेरीक्षा" के लिए जांच समिति के सुझावों पर विचार किया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग से अनुरोध किया कि हिसार विश्वविद्यालय को अधिसूचित रूप से अनुदान जारी करने के सम्बन्ध में आरोपी डी श्रीवास्तव की कॉल के ब्यौरे के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एसपीएसएल पर

सहित किया जाए और यह निर्णय लिया गया कि वीसी नियुक्ति प्राप्त करने के लिए सभी मंत्रालय विभाग संस्थान एचईएफए के सभी अधिकारियों के समक्ष यह सारणी रखी जानी चाहिए क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी प्रयास किए जाने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। शेष विषयों की स्वीकृति प्रदान की गई।

- & आयोग ने "विशिष्ट क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठता वाले केंद्र" (सीओईएस) योजना के अंतर्गत सीओईएस केंद्रों की अंतिम स्वीकृति हेतु स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की तथा सर्वोच्च सूरियांकन समितियों के प्रतिवेदनों को भी स्वीकृति प्रदान की।
- & आयोग ने सामरिक क्षेत्र हेतु ईशान क्षय सारक विशेष प्रावधान योजना के संशोधित दिशानिर्देशों पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।
- & आयोग ने सम्मानित शैक्षणिक संस्थानों में रैंकिंग की समस्या को विनियमित करने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम] तीसरा संशोधन] 2015 के प्रस्ताव संशोधन पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान संबंधी मुख्य निर्णय

- & आयोग ने महाविद्यालयों की स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान करने के 42 नए और 29 विस्तार दिये जाने वाले सारणी हेतु स्वायत्तशासी महाविद्यालयों संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की] तथा दो महाविद्यालयों की अनुशंसा रिपोर्ट पर विचार किया।
- & आयोग ने] आयोग द्वारा पहले से स्वीकृत सकल बजटीय आवंटन में से बारहवीं योजना हेतु मालवीय विकास मिशन आवंटन (क्षेत्रीय कार्यालय&बारं) के पुनर्विनियोग की जोर किया और स्वीकृति प्रदान की।
- & आयोग ने महाविद्यालयों की मालवीय विकास मिशन (पीएमए) के दिशानिर्देशों में संशोधन के साथ] महाविद्यालयों की मालवीय विकास मिशन (पीएमए) की योजना के अंतर्गत नये महाविद्यालयों सहित सभी पात्र महाविद्यालयों हेतु अनियमित@सीमा की जोर किया और स्वीकृति प्रदान की जिसे ग्यारहवीं और बारहवीं योजना के दौरान मिशन प्राप्त नहीं हो सकी थी।
- & आयोग ने] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथ्य अन्वेषक समिति की रिपोर्ट की जोर किया और स्वीकृति प्रदान की जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन इन साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज (इंआईआईएसएच) (जिसे विश्वविद्यालय)] जोरंथिरु] जिला तमिलनाडु] सिविल के विरुद्ध प्राप्त विभिन्न आरोपों जैसे अप्राधिकृत अध्ययन केंद्र (केंद्रों) के संचालन से संबंधित मामलों का निपटान] महिला शिक्षा की उपेक्षा की जैसा] बिना परीक्षा आयोजित किए स्नातकीय उपाधियां देना] छात्रों की प्रवेश करना] बिना अनुमति के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चलाना आदि की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय की दौरा किया था और साथ ही इस संबंध में एक मार्गदर्शिका मुहैया जारी करने तथा ईआईआईएसएच की वेबसाइट पर रोक लगाने के लिए डीईआईटीवाई के मंत्रालय से भी संपर्क करने का निर्णय लिया।
- & आयोग ने भारत सरकार द्वारा स्थापित और पूर्णतः वित्तपोषित@प्रायोजित के अतिरिक्त सभी विश्वविद्यालयों सहित महाविद्यालयों@संस्थानों@विश्वविद्यालयों के लिए प्रतिशत (योजना और गैर&योजनागत) प्रदान करने हेतु सामान्यों@सामग्री की विकसित करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की जोर किया और स्वीकृति प्रदान की।
- & आयोग ने] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम] 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सभ विश्वविद्यालय के दर्जे हेतु ("छह सितारे" श्रेणी के अंतर्गत) मैसूर इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी] पेरु (पुदुचेरी)] तमिलनाडु] तथा उत्तराखंड] के प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की जोर किया और स्वीकृति प्रदान की।
- & आयोग ने सीआईटीएएस इंस्टीट्यूट ऑफ एडिटिव मैनुफैक्चरिंग एंड रिसर्च के साथ ही रोबोटिक्स] विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में मुख्य कैंपस की शुरुआत करने के लिए राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (सीआईटीएएस) (सभ विश्वविद्यालय) विशाखापत्तनम] आंध्र प्रदेश के प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की जोर किया और स्वीकृति प्रदान की।
- & आयोग ने महाविद्यालयों की नया स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान करने@दर्जे की बढ़ाने हेतु स्वायत्तशासी महाविद्यालयों संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों और स्वायत्तशासी महाविद्यालयों से संबंधित अन्य सारणी की जोर किया और स्वीकृति प्रदान की।

& आयोग ने सिंगापुर एजेंसी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन (एसएसईई)] (मेसर्स विश्वविद्यालय) द्वारा वर्ष 2004&05] 2005&06 और 2006&07 के दौरान अपनी दो सहयोगी इकाईयों & तंत्रज्ञान सेंटिकेम कॉलेज] सिंगापुर और तंत्रज्ञान सेंटिकेम कॉलेज] बैंगलोर में एसआईई सीरीज के लगभग 15 प्रतिशत से अधिक छात्रों के प्रवेश से संबंधित मुद्दे के संबंध में प्राप्त जानकारी पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि एसीसीआई की यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि प्रवेश सामान्य *न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5041 ऑफ 2005 में पी.ए. इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार और अन्य मामले में पारित आदेशों के अनुरूप ही किए जाएं।*

& आयोग ने सामान्य चिकित्सा विज्ञान बोर्डों (एमआरबीसी) से संबंधित निर्णय में सुधार किया और यह निर्णय लिया कि वार्षिक विदेशी सहायता की अंतरी सीमा को 1 करोड़ रुपये अथवा वास्तविक व्यय] जो भी कम हो] तक बढ़ाया जाए।

& आयोग ने यह स्वीकृति दी कि राजस्थान के केन्द्रीय विश्वविद्यालय की चारदीवारी दीवारों को पूरा करने और पूर्ण हो चुके भवनों की दीवारें करने योग्य बनाने के लिए धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता के रूप में 45 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की।

& आयोग ने 24 चुनिंदा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में ग्यारहवीं योजना और विभिन्न अन्य योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत पदों के विवरण की जांच किया और स्वीकृति प्रदान की।

& आयोग ने भारत सरकार के नियमों के अनुरूप नये स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति हेतु एक वेतन और विश्वविद्यालय के सलाहकार हेतु एक एकमुश्त [रीमाने की स्वीकृति प्रदान की।

& आयोग ने 8 चिह्नित मंत्र विश्वविद्यालय संस्थानों (पूर्णतः वित्तपोषित) में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना और विभिन्न अन्य योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत योजनागत पदों के विवरण संबंधी मामले की सामान्य मंत्रालय विभाग मंत्रालय की समीक्षा करने का निर्णय लिया ताकि सामान्य मंत्रालय विभाग मंत्रालय इस मामले पर सक्षम निर्णय हेतु वित्त ब्यूरो विभाग] वित्त मंत्रालय] भारत सरकार के समक्ष रख सके।

& आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम] 1956 के 2(एफ) और 12(बी) के अंतर्गत शीर्ष दर्जा के आवश्यक न होने के कारण वर्ष 2015&16 तथा वर्ष 2016&17 के लिए पात्रता न हो पाने वाले आवेदकों के मामलों तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।

& आयोग ने पुनर्चेरी विश्वविद्यालय में छात्र और छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण तथा 6 प्रस्तावित भवनों के लिए ऐच्छिकर के लिए 27.69 करोड़ की अतिरिक्त अनुदान दिए जाने पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

1.7(क) आयोग की बैठकों के दौरान रिपोर्टें और सुझाव

(507वीं बैठक) मामलों को स्वीकार करते हुए] अध्यक्ष प्रो: वेद प्रकाश ने आयोग की वर्ष 2014&15 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए गए व्यय के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि रियल&टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के अंतर्गत लगभग 80]000 अध्येतावृत्ति का भुगतान कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा जल्द ही जारी किए जाने वाले ई&छात्रवृत्ति पोर्टल से शीघ्र ही अध्येतावृत्ति@छात्रवृत्तियों को परिवर्तित कर दिया जाएगा। प्रो: वेद प्रकाश ने इस बात का उल्लेख किया कि छात्रवृत्ति में हाल ही की वृद्धि के कारण विश्वविद्यालय आयोग ने लगभग 1083 करोड़ रुपए की व्यय लेखा छात्रवृत्तियों और अध्येतावृत्तियों पर किया है परिणामस्वरूप तब तक सभी अतिरिक्त मंत्रालय सहायता नहीं की जाए तब तक अन्य योजनाएं प्रतिकूलतः प्रभावित होंगी। माननीय (मानवसंसाधन शिक्षा) सामान्य मंत्रालय विभाग मंत्रालय ने अपनी ओर से आयोग को आश्वस्त किया कि छात्रवृत्तियों और अध्येतावृत्तियों के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांग हेतु भारसक प्रयास किया जाएगा ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य योजनाएं प्रतिकूलतः प्रभावित न हों।

आयोग की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकसित ऑनलाइन प्रणाली (सीबीएमएस) तथा ऑनलाइन मैनेजमेंट ऑफ स्कीम मैनेजमेंट (सीएएमसी) के कार्यान्वयन कार्यान्वयन हेतु सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के क्षेत्र वार 8 क्षेत्रीय कार्यशालाएं सफलतापूर्वक आयोजित किए जाने के बारे में भी अवगत कराया गया। सहयोगात्मक कार्यसूची पर विचार&विमर्श करने के लिए कार्यवाही की गई।

(508वीं बैठक) : सदस्यों को बताया कि सांख्यिकी मंत्रालय विकास संत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई शिक्षा नीति तैयार करने से संबंधित दो विषयों अर्थात् (i) विद्यार्थियों की गुणवत्ता में सुधार (ii) व्यवसायिक शिक्षा में कौशल विकास की जोड़ने के बारे में विशेषज्ञों से विस्तृत विचार&विमर्श का कार्य सौंपा है। यह भी इच्छा व्यक्त की गई है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उक्त दो विषयों पर विचार&विमर्श के आधार पर एक परिपाटी दस्तावेज तैयार करे। तदनुसार, सदस्यों को बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 11 अगस्त, 2015 (संत्रवार) को विशेष सभा में एक गोलमेज बैठक का आयोजन करेगा। सभा सदस्यों की सूचनार्थ शिक्षा ब्यूरो के कार्यकलापों और आयोग द्वारा गठित समिति की सिफारिशों से अवगत कराया गया।

(510वीं बैठक) : सदस्यों को बताया कि सितम्बर, 2015 में सांख्यिकी विकास संत्रालय ने सदस्यों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सदस्यों एआईसीटीई, निवेशक एचएएनी, और संयुक्त सचिव (सीयूएनएस) सांख्यिकी विकास संत्रालय की चार सदस्यीय सुविधा समिति का गठन सांख्यिकी विश्वविद्यालयों के आकलन और सूत्रांकन के सांख्यिकीयों की जांच करने के लिए किया गया। इस सुविधा समिति में सदस्य विचार&विमर्श से इसे तैयार किया है और इसे सांख्यिकी विकास संत्रालय को सौंप दिया है।

सदस्यों को बताया कि सांख्यिकी विकास संत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से नई शिक्षा नीति के विचार से संबंधित विभिन्न चार विषयों पर विचार&विमर्श के लिए गोलमेज बैठक का आयोजन करने का अनुरोध किया है:

(क) विद्यार्थियों की गुणवत्ता में सुधार;
(ख) व्यवसायिक शिक्षा में कौशल विकास की जोड़ना;
(ग) वैश्विक मुद्दे;
(घ) किसी विशेषीकृत संस्थाएं सहित संकायगी विशेषीकृत संस्थाएं; और
(ङ) विशेषज्ञ व्यक्तियों से संबंधित मुद्दे।

तदनुसार, 11 अगस्त, 2015 को विशेष सभा में सभी हितधारकों जिसमें कुलपति, सदस्य आयोग के प्रतिनिधि, क्षेत्र कौशल परिषदें और अन्य संबंधित हित धारकों की गोलमेज बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हुए विचार&विमर्श और लिए गए निर्णयों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई और जो 16 सितम्बर, 2015 को सांख्यिकी विकास संत्रालय को भेज दिया गया।

सांख्यिकी के सदस्यों को अवगत कराया कि सांख्यिकी विकास संत्रालय के अनुरोध पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित सत्कृष्ट विभूतियों के शिक्षा संबंधी विचारों का संकलन प्रकाशित किया है:

1. प्रोफेसर डेरेक बोक
2. श्री नारायण मूर्ति
3. श्री सी. रंगराजन
4. डॉ. राजेन्द्र पचौरी
5. डॉ. एम. राधाकृष्णन
6. डॉ. कस्तूरीरंगन एस. सुंशी
7. सौजन्या अमृत कौशल आनंद
8. श्री आशुतोष गुवारीकर
9. डॉ. तारिक हमीद
10. मिस्टर विवेकित

(511वीं बैठक) : सदस्यों को आयोग की बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा (एनआईआरएफ) तैयार किया है। इस ढांचे में रैंकिंग के प्रयोजनार्थ प्रत्येक संस्था के पंजीकरण और परिसीमांकन संबंधी आवेदन आमंत्रित करने का प्रावधान है। इसमें प्रत्येक संस्था की प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा अपनी रैंकिंग सुधारने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, इसमें छात्रों और अभिभावकों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा में प्रवेश लेते समय अपनी इच्छा के बारे में सर्वश्रेष्ठ जानकारी भी मिल सकेगी।

सांख्यिकी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण में बेहतर जवाबदेही लाने के दृष्टि से लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएसएम) की शुरूआत के बारे में भी जानकारी दी। पीएफएसएम की वि0भ0वा0 सेवानिवृत्तियों/सदस्यतावृत्तियों सहित सब विश्वविद्यालय संस्थानों तथा 12 अन्य योजनाओं के लिए भी आगे कार्य किया गया है।

अध्यक्ष महोदय ने यह भी सूचित किया कि वि0अ0आ0 अपनाए गए दृष्टिकोण (सीएसी) के साथ संगत में है तथा यह अगस्त 2016 से राष्ट्रीय ई&शिक्षा नीति (एनईएमपी) को आगे बढ़ाने जा रहा है।

1.8 जन शिकायतों का निपटान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सीपीजीआरएएमएस अर्थात् भारत सरकार के जन शिकायत पोर्टल से वि0अ0आ0 के संबद्ध की आईसी (एसईयूसीसी) पर ऑनलाइन जन शिकायतें प्राप्त होती हैं। शिकायतों की याचिकाकर्ताओं द्वारा pgportal.gov.in पर पंजीकृत किया जाता है तथा जन शिकायत निदेशालय (डीपीजी) प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) पेंशन] प्रधानमंत्री कार्यालय(पीएमओ) से वि0अ0आ0 को भेजी जाती हैं। इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों@छात्रों की शिकायतों का निपटान करने हेतु तंत्र विकसित करना तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

यह अनुभाग ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीकों से प्राप्त जन शिकायतों का विवरण करता है। ऑनलाइन जन शिकायतों का निपटान करने के लिए वि0अ0आ0 ने अधीनस्थ संस्थान@विभिन्न ब्यूरो@अनुभागों हेतु पोर्टल तैयार किया है। इस जन शिकायतों का विवरण करने वाले अनुभागों @ अधीनस्थ संस्थानों की संख्या 24 है। इस अधीनस्थ संस्थानों का स्तर संबद्ध] वि0अ0आ0 के पोर्टल पर किया जाता है जहां से इसी याचिकाकर्ता की पहुंचाने के लिए सक्षम अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

वर्तमान में] जुलाई 2015 से संबद्ध] वि0अ0आ0 के पोर्टल पर लगभग 12500 ऑनलाइन जन शिकायतों का निपटान किया जा चुका है। संबद्ध] वि0अ0आ0 के पोर्टल के चालू होने से पूर्व लगभग 4]000 जन शिकायतों की संयुक्त संबद्ध] वि0अ0आ0 के साथ पत्र पोर्टल के माध्यम से निपटाया गया था। इसी प्रकार] वि0अ0आ0 द्वारा ऑफलाइन पद्धति से प्राप्त शिकायतों को ऑफलाइन पद्धति से निपटाया जाता है ताकि याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत का समाधान किया जा सके।

1.9 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बेहतर अभिशासन के लिए की गई पहल/उठाए गए कदमः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संगठन में बेहतर अभिशासन हेतु अनेक उपाय किए हैं

1. ई&कार्यालयन की पहल
2. ई&अभिशासन
3. मानवसंचित वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)
4. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
5. जन शिकायत पोर्टल
6. छात्र शिकायत पोर्टल

उपर्युक्त पहल के बारे में वार्षिक रिपोर्ट 2015&16 में विस्तार से उल्लेख किया गया है।

अध्याय 2

उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विकास

- विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय
- छात्र नामांकन
- शिक्षण कर्मचारिवृंद

भारोत्र की विश्वविद्यालय अनुदान भारोत्र अधिनियम] 1956 की धारा 12(ब) के अन्तर्गत भारोत्र द्वारा भारत तथा अन्य देशों में विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित ऐसी सभी सामग्रों पर जानकारी एकत्र करने का अधिकार है और धारा 12(ब) के अन्तर्गत सभी विश्वविद्यालय में भारत की सभी विभिन्न शिक्षण शाखाओं अथवा अध्ययन की विशेष स्थिति से संबंधित विषयों एवं विधियों के संबंधित जानकारी को रखने की अनुमति है जिसमें सभी विश्वविद्यालय में ज्ञान&अर्जन की प्रत्येक शाखा के संबंध में शिक्षण और परीक्षा के स्तर सहित सभी विषय और विधियां शामिल हैं।

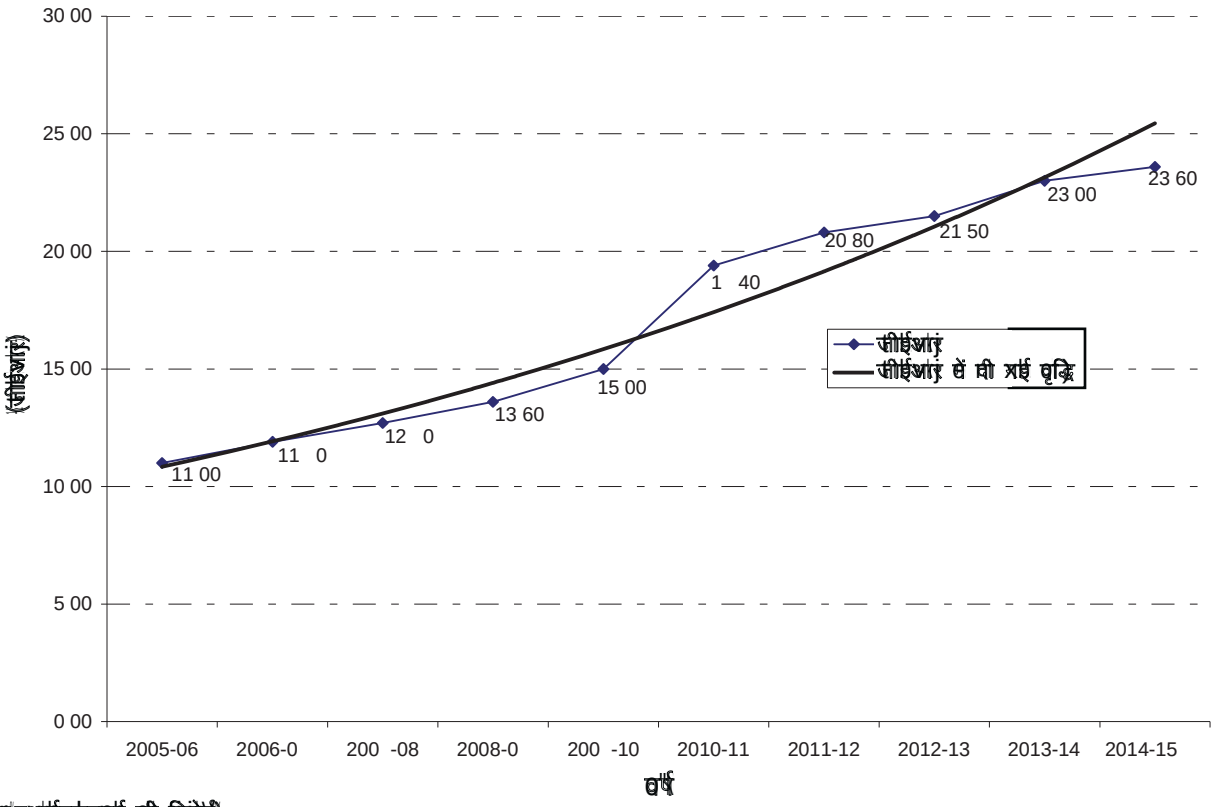
शिक्षा क्षेत्र में समय से सही और गुणवत्तायुक्त आंकड़ें] जिसका सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है] प्राप्त करने के लिए] सामाजिक विकास मंत्रालय ने देश में सम्पूर्ण शिक्षा के सभी स्तरों का जानकारी रखने के लिये डाटाबेस तैयार करने हेतु सम्पूर्ण शिक्षा का अखिल भारतीय सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया है। सर्वेक्षण में प्रत्युत्तर देने वाले संस्थान द्वारा नीचे ऑनलाइन साफ्टवेयर में जमा किए गए आंकड़ों का संकलन तथा प्रबंधन किया जाता है।

सामाजिक संगठन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों का एक कुशल दल] तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने में शामिल थे] जिसमें डॉटा कैप्चर ऑपरेटर (डीसीओ)] कार्यशालाओं में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना] मॉनिटरिंग विकास कराने में सेशनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर की सहायता कराना (एसआईसी) शामिल। सर्वे कार्य का समन्वय कराने के लिए प्रत्येक राज्य में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं।

आंकड़ों के संग्रहण तथा संकलन के लिये सेशनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर (एसआईसी) की सहायता से एक इंटरनेट पोर्टल (http://aishe.gov.in) विकसित किया गया है। संस्थान के डाटा के आधार पर डीएचसी के ई&संस्करण के आधार में विस्तार हो जाता है। आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए किसी अन्वेषक की नहीं भेजा जाता है। एक अनोखी विशेषता यह है कि सारे डीसीएच प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं] जिन्हें संस्थान तथा उच्च स्तर के प्राधिकारियों द्वारा देखा जा सकता है। पोर्टल तक पहुंच बनाने तथा डाटा अपलोड करने के लिए सभी संस्थानों को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होता। वर्ष 2014&15 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय ब्यूरो ने नीचे विश्वविद्यालयों से आंकड़ों का संग्रहण कराना बंद कर दिया है। अखिल भारतीय आधार पर पोर्टल http://aishe.gov.in के माध्यम से आंकड़ों का संकलन तथा प्रसंस्करण का कार्य किया जा रहा है।

स्वतंत्रता के समय देश में केवल 20 विश्वविद्यालय तथा 500 महाविद्यालय थे और सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली में 2.1 लाख छात्र थे। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस संख्या में काफी वृद्धि हुई है। अब यह एक स्थापित तथ्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्ष के आंकड़ों की तुलना में विश्वविद्यालयों@संस्थानों की संख्या में 42.35 गुना वृद्धि हुई है] सम्बंधित प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों की संख्या में 82.87 गुना वृद्धि हुई है और सम्पूर्ण शिक्षा की औपचारिक पद्धति में छात्र नामांकन में 135.64 गुना वृद्धि हुई है। विशेषरूप से विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों जैसे सम्पूर्ण शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि के बिना छात्र नामांकन और फैकल्टीयों में सम्मिलने की क्षमता में इतनी व्यापक वृद्धि कभी संभव नहीं हो पाती। संस्थानों तथा नामांकन में वृद्धि यह दर्शाती है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2017) के अंत तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के विस्तारित 30 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।

सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि (जीईआर)



(स्रोत: एआईएसएचई की रिपोर्ट)

2.1 विश्वविद्यालय/संस्थान

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक (31.03.2012) तक देश में 573 विश्वविद्यालय (43 केन्द्रीय, 129 राज्य, 397 मान विश्वविद्यालय तथा 4 संस्थान विशेष राज्य विधान अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित किए गए थे) और 35,539 महाविद्यालय थे। वर्ष 2015-16 के दौरान 753 विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान (47 केन्द्रीय, 123 मानविश्वविद्यालय एवं 345 राज्य विश्वविद्यालय एवं 235 राज्य निजी तथा 03 संस्थान विशेष राज्य विधान अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित किए गए थे) और महाविद्यालयों की संख्या 41,435 थी और इस प्रकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष में विश्वविद्यालयों की संख्या में 31.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा महाविद्यालयों की संख्या में 16.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

रिपोर्टाधीन वर्ष 2015-2016 के दौरान, 18 राज्य सरकारी विश्वविद्यालय (सूची 2.1(क)), 30 राज्य निजी विश्वविद्यालयों (सूची 2.1(ख)) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया और 04 विश्वविद्यालयों (सूची 2.1(ग) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया।

2.1(क): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सम्मिलित किये गये राज्य विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची
(दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक)

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	वि0अ0आ0 की सूची में सम्मिलित किए जाने की तिथि
	राज्य छत्तीसगढ़		
1.	दुर्ग विश्वविद्यालय, सर्वोदय वासुदेव वासन भारतकर स्मृति पीजी कॉलेज कैम्पस, राजपुर नाका, दुर्ग, छत्तीसगढ़	20.04.2015	17.03.2016
	राज्य गुजरात		
2.	इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉरमेटिक्स टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड सेलेबरेशन, सिरा कोबा मार्ग, पनिजरा (इंडस्ट्री), अहमदाबाद, 380026, गुजरात	20.03.2013	27.11.2015

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	वि0अ0आ0 की सूची में सम्मिलित किए जाने की तिथि
3.	गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसलाइंग्वेस्टिक साइंस] आईसीआरसी&आईएएस परिसर] सिविल अस्पताल कैम्पस] आश्रम] अहमदाबाद] 380016] गुजरात	01.05.2015	02.12.2015
	राज्य कर्नाटक		
4.	यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस] बगलकोट] बदामीतिरी] विद्या सौधौदी क्रॉस] बगलकोट&587104] कर्नाटक	13.05.2010	29.10.2015
	राज्य केरल		
5.	ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी] सीईटी कैम्पस] तिरुअनंतपुरम&695016 केरल	31.08.2015	06.10.2015
	राज्य मध्य प्रदेश		
6.	मौलाना यूनिवर्सिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन&इंजिनियरिंग टेक्नोलॉजी] द्वितीय तल] इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रुथ स्पर्धाम एंड मॉलिक्यूलर अलायनमेंट] मानसरोवर स्कीम] भोपाल&462003] मध्य प्रदेश	03.01.2013	26.08.2015
7.	महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय] छतरपुर] मध्य प्रदेश	09.07.2014	30.09.2015
8.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस] डॉ. अम्बेडकर नगर] सऊ & 453441] जिला इंदौर] मध्य प्रदेश	13.01.2016	26.02.2016
	राज्य महाराष्ट्र		
9.	महाराष्ट्र सेशनल ऑफ यूनिवर्सिटी] पोस्ट बॉक्स नं: 8338] पेवलार] मुम्बई&400088] महाराष्ट्र	27.06.2014	13.02.2016
	राज्य पंजाब		
10.	महाराजा रणजीत सिंह स्टेट टेक्नीकल यूनिवर्सिटी] बेहवालो रोड] भटिंडा&151001] पंजाब	12.02.2015	12.06.2015
	राज्य राजस्थान		
11.	राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी] अरमी होस्टल बिल्डिंग] बाबू शोभाराम सर्वसेवर आर्ट्स कॉलेज कैम्पस] अलवर] राजस्थान	17.10.2012	07.07.2015
	राज्य तेलंगाना		
12.	श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज] राजेन्द्रनगर] हैदराबाद&500030] तेलंगाना	22.12.2014	01.05.2015
	राज्य त्रिपुरा		
13.	महाराजा बीर बिक्रम यूनिवर्सिटी] अगरतला] त्रिपुरा	16.09.2015	16.03.2016
	राज्य पश्चिम बंगाल		
14.	डायमंड हार्बर वूमेन यूनिवर्सिटी] साउथ ऐकीर] ब्लॉक कॉलेज] डायमंड हार्बर] साउथ 24 परगना] पश्चिम बंगाल&743331	28.01.2013	09.06.2015
15.	बांकुरा यूनिवर्सिटी] पूलाडस्ल कैम्प ऑफिस] पीओ मास्कबंध] जिला] बांकुरा&722146] पश्चिम बंगाल	06.01.2014	10.08.2015
16.	दि वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग] एजुकेशन लाविंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन] 25@2 एवं 25@3] बैलीगंज सर्कुलर रोड] कोलकाता & 700019] पश्चिम बंगाल	16.01.2015	12.08.2015
17.	रायगंज यूनिवर्सिटी] पीओ: रायगंज] जिला उत्तर दिनाजपुर&733134] पश्चिम बंगाल	21.01.2015	03.09.2015
	राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली		
18.	दिल्ली ऑर्किटेक्चर साइंस एण्ड रिसर्च यूनीवर्सिटी] डीआईपीएसआर कैम्पस] सेक्टर&] पुष्पा विहार] वाई दिल्ली	21.01.2010	22.09.2015

2.1 (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सम्मिलित निजी विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची (01.04.2015 से 31.03.2016 तक)

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सम्मिलित किए जाने की तिथि
	राज्य गुजरात		
1.	पर्यावरण अध्ययन और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कैम्पस, विश्वविद्यालय रोड, वसंतपुरा अहमदाबाद-380009 (गुजरात) (राज्य शासकीय विश्वविद्यालय से राज्य निजी विश्वविद्यालय 07.03.2016)	12.04.2015	07.03.2016
2.	सकुलिश ग्रोथ विश्वविद्यालय "ग्रोथ्स न्यू" सिंदरा विश्वविद्यालय के पीछे, एस.पी. हाइवे, डाभाडी अहमदाबाद-380009 (गुजरात) & 382481 (निजी विश्वविद्यालय)	16.04.2013	21.05.2015
3.	जी.एल. विश्वविद्यालय, गुजरात ग्रॉ मोराइपी कैम्पस, ग्रॉ सर्कल के पीछे, एनिलाडिया अहमदाबाद-380006 (गुजरात)	15.04.2015	21.04.2015
4.	पारुल विश्वविद्यालय, पीओ लिम्बडा, तहसील-वाघरोडिया, जिला वडोदरा & 391670, गुजरात	21.04.2015	21.05.2015
5.	पीएमएफसी विश्वविद्यालय, विद्यानगर मेहत, पीओ-एटिलाईजंक्शन-391750, जिला वडोदरा, गुजरात	21.04.2015	21.05.2015
6.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इक्स्ट्रा-मुरल, मंजलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक्स एंड सोशल साइंस रिसर्च कैम्पस, हाइवे इस रोड, थालतेज, अहमदाबाद-380054, गुजरात	02.05.2015	09.09.2015
7.	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च, इंस्टीट्यूशनल एरिया, कोबा, गांधीनगर & 382007, गुजरात	12.10.2011	08.09.2015
	राज्य हरियाणा		
8.	सावित्र फुले विश्वविद्यालय, सेक्टर-43, सिरसी-मुरजकुंड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा	06.08.2014	09.09.2015
9.	पीडीएस विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नं. 15, सेक्टर-3ए, मंदोरा औरंगाबाद बहादुरगढ़ & 124507, हरियाणा	14.01.2016	31.03.2015
	राज्य कर्नाटक		
10.	इंस्टीट्यूट ऑफ बिसिनिसिलतरी इक्स्ट्रा साइंस एंड टेक्नोलोजी, 74@2, जारकाबांद कावेरा, रोजगारी वारुर अंजुर पोस्ट, बंगलौर-560064, कर्नाटक	26.06.2013	23.04.2015
11.	श्रीनिवास विश्वविद्यालय, श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कॉलेज कैम्पस, श्रीनिवास नगर, पडुबिदरी, मंगलौर, बंगलौर-574146	20.02.2015	04.06.2015
12.	केएलई तकनीकी विश्वविद्यालय, बी.वी. भूमरड्डी कॉलेज कैम्पस, विद्यानगर, हुबली-580031, कर्नाटक	04.04.2015	16.10.2015
	राज्य मध्य प्रदेश		
13.	एसएसएमपीजी विश्वविद्यालय, जेके टॉवर, सर्वधर्म सी सेक्टर, कोलार रोड, भोपाल & 462042, मध्य प्रदेश	08.01.2015	24.07.2015
14.	मेपी-कौम विश्वविद्यालय, ए.बी. रोड, पिराखेडी, राव, इंदौर-453331, मध्य प्रदेश	22.07.2015	04.02.2016
15.	मंदसौर विश्वविद्यालय, रेवाना मेवता रोड, एन0एच0-31, मंदसौर-458001, मध्य प्रदेश	19.08.2015	11.02.2016
16.	पी.के. विश्वविद्यालय, गांव-नरवाला, तहसील- कोलारस, एन0एच0-27, शिवपुरी, मध्य प्रदेश - 473551	19.08.2015	14.01.2016
	राज्य महाराष्ट्र		
17.	स्पाइसर एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय, औंध रोड, प्रवेशद्वार पोस्ट, पुणे-411004, महाराष्ट्र	25.07.2014	23.04.2015
18.	भारतिया डी.वाई. पाटिल विश्वविद्यालय, प्रायोगी डावर्क, वारजे तोडेगांव, पुणे-412105, महाराष्ट्र	25.02.2015	21.05.2015
19.	सिंहगढ़ विश्वविद्यालय, जीएटी सं. 1270, गांव लोनवले, तालुका मुलशी, पुणे-411042, महाराष्ट्र	13.02.2015	21.05.2015
20.	एसआईटी आर्ट डिजाइन एण्ड टेक्नोलोजी विश्वविद्यालय, राजबाग, सेक्टर 1, लोनावला, मोती डोंगरी, पुणे-412201, महाराष्ट्र	13.10.2015	08.02.2016
	राज्य मणिपुर		
21	सांग्राई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इम्फालपुर, मणिपुर	05.05.2015	04.06.2015

क्रम सं:	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सम्मिलित किए जाने की तिथि
22	अकॉर्ड विश्वविद्यालय, तलवंडी साबो, जिला भटिंडा, पंजाब	04.06.2015	15.07.2015
	राज्य: पंजाब		
22.	अकॉर्ड विश्वविद्यालय, तलवंडी साबो, जिला भटिंडा, पंजाब	04.06.2015	15.07.2015
23.	आरआईएसबी विश्वविद्यालय, फिजोटिक रेस्टोरेंट के सामने, सिरहिंद की ओर, खंडी रोपड़, 147301, पंजाब	04.06.2015	15.07.2015
	राज्य: राजस्थान		
24.	आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, आर.एन.बी. ग्लोबल सिटी, एनएच 65, डीकामेर, 334601, राजस्थान	27.04.2015	09.06.2015
25.	महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय, मुंडीरामसर, विधिवा का औद्योगिक क्षेत्र के समीप, जयपुर, 302012, राजस्थान	05.10.2015	17.12.2015
	राज्य: मध्य प्रदेश		
26.	पी.एन. विश्वविद्यालय, शिवोहाबाद फिरोजाबाद, मध्य प्रदेश	24.06.2015	28.07.2015
	राज्य: मध्यप्रदेश		
27.	मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय, गांव & जारोंदी, पोस्ट&तहसील पुर, कोटकी, जिला कटिहार, मध्यप्रदेश	19.01.2015	28.07.2015
	राज्य: पश्चिम बंगाल		
28.	एसिटी विश्वविद्यालय, राजारहाट, न्यू टाउन, जिला उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल	21.01.2015	23.07.2015
29.	वि विद्योदिया विश्वविद्यालय, झींगा, मरीसा, डी.एच. रोड, 24 परगना (एन), पश्चिम बंगाल & 743368	03.02.2015	07.025.2015
30.	डेबरेपुर विश्वविद्यालय, 398, राशकृष्णपुर रोड, बरुमात, कोलकाता & 700124, उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल	24.02.2016	16.03.2016

2.1(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12ख के तहत सम्मिलित राज्य विश्वविद्यालय & 01.04.2015 से 31.03.2016

क्रम सं:	विश्वविद्यालय का नाम	वि.अ.आ. पत्र सं:@दिनांक
1.	पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय, बरुमात, उत्तरी 24 परगना, कोलकाता	सं: 9&26@2008 (सीपीसी&आई@यू) दिनांक 13.10.2015
2.	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, सेक्टर&18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान	सं: 9&2@2007 (सीपीसी&आई@यू) दिनांक 05.01.2015
3.	तमिलनाडु पुलिस विश्वविद्यालय, 577, अन्ना सलाई साइदापेट, चेन्नई, तमिलनाडु	सं: 9&11@2004 (सीपीसी&आई@यू) दिनांक 05.01.2015
4.	सिंह सार्थ सोसीकेज यूनिवर्सिटी, शाहपीला रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश	सं: 9&2@2007 (सीपीसी&आई@यू) दिनांक 05.01.2015

2.1(घ) दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों* की स्वरूपवार संख्या तथा समविद्यालयों# की कुल संख्या

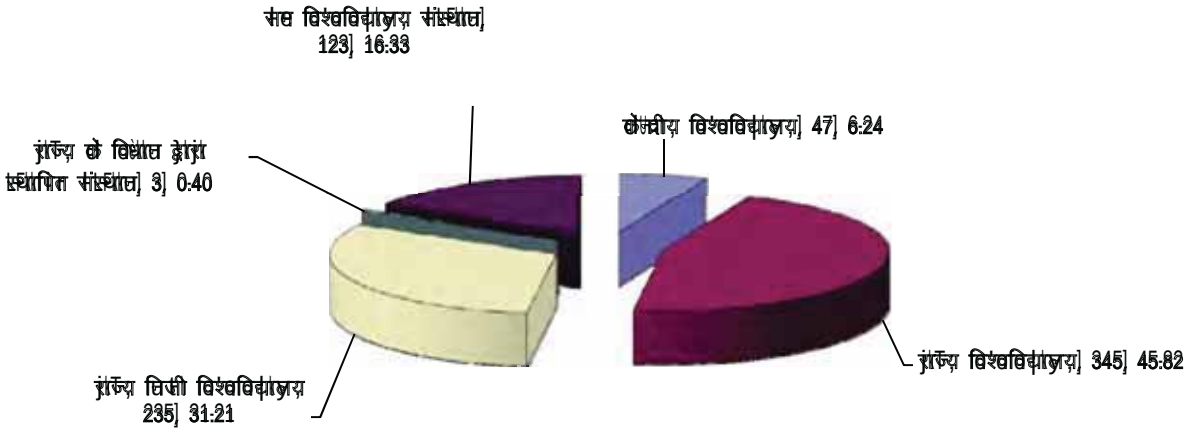
क्रम सं:	विश्वविद्यालय@संस्थान	विश्वविद्यालयों@संस्थानों की संख्या (31.03.2016 की स्थिति के अनुसार)
1.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	47
2.	राज्य विश्वविद्यालय	345
3.	राज्य निजी विश्वविद्यालय	235

क्रम सं.	विश्वविद्यालय/संस्थान	विश्वविद्यालयों/संस्थानों की संख्या (31.03.2016 की स्थिति के अनुसार)
4.	राज्य के विधान द्वारा स्थापित विधान	3
5	मान विश्वविद्यालय संस्थान	123
	कुल	753
6	महाविद्यालय	41435

*वि0अ0आ0 के द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालय/संस्थान (स्रोत: सीपीजी विअआ)

#महाविद्यालयों में संबद्ध महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय/पीजी महाविद्यालय/स्वायत्तशासी क्षेत्र/स्वायत्तशासी क्षेत्र/मुक्त स्थित कैम्पस आदि शामिल हैं। (स्रोत: एआईएसएचई)

चित्र 2.1(ब): दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों* की प्रतिशतवार संख्या



राज्य विधानमंडलों तथा मान विश्वविद्यालय संस्थानों (जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (ख) के तहत विश्वविद्यालय शामिल हैं) के अधिनियमों के तहत स्थापित केन्द्रीय, राज्य सार्वजनिक, राज्य निजी, संस्थानों की राज्य वार सूची नीचे तालिका 2.1(ब)(i), 2.1(ब)(ii), 2.1(ब)(iii), 2.1(ब)(i) और 2.1(ब)( ) में दिया गया है।

तालिका 2.1(ब) (i) दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाईट
	अरुणाचल प्रदेश		
1	राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, डोईमुख, अरुणाचल प्रदेश-791112	1985 (वर्ष 2007 से के0 वि0)	http://www.rgu.ac.in
	असम		
2	असम विश्वविद्यालय, सिलचर, असम विश्वविद्यालय, सिलचर-788011	1994	http://www.aus.ac.in
3	तेजपुर विश्वविद्यालय, जिला सोनितपुर, पी0ओ0 बैग नं. 72, तेजपुर, असम-784001	1994	http://www.tezu.ernet.in
	बिहार		
4	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बीआईटी कैम्पस, पी0ओ0-बीवी कालेज, गया-800014	2009	http://www.cub.ac.in
5	नालन्दा विश्वविद्यालय, राजगीर, जिला नालन्दा-बिहार. (केन्द्रीय अधिनियम के तहत स्थापित)	2010	http://nalandauniv.edu.in
6	महात्मा गाँधी बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी, बिहार	2014	http://www.mguniversity.ac.in
	छत्तीसगढ़		
7	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, कुर्रा परिसर, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495009	1983 (वर्ष 2009 से के0 वि0)	http://www.ggu.ac.in
	गुजरात		
8	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सेक्टर-29 गाँधीनगर-382029, गुजरात	2009	http://www.cug.ac.in

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
	हरियाणा		
9	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, गाँव नंगल चौधरी, जिला महेन्द्रगढ़&123029 हरियाणा	2009	http://www.cuh.ac.in
	हिमाचल प्रदेश		
10	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, पो0बा0 नंबर 21, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश&176215	2009	http://www.cuhimachal.ac.in
	जम्मू और कश्मीर		
11	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रोजेक्ट कैम्पस, सोनवार, पी0बी0 नंबर आरएस पुरा के निकट, श्रीनगर&190005 (जम्मू और कश्मीर)	2009	http://www.cukashmir.ac.in
12	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, बागला (राहुआ&सुचानी)] जिला सांबा, जम्मू&181143 (जम्मू और कश्मीर)	2009	http://www.cujammu.ac.in
	झारखंड		
13	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची ओवरब्रिज रोड, बरडीह, रांची&835205	2009	http://www.cuj.ac.in
	कर्नाटक		
14	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोनाकांडी, अलांद रोड, अलांद तालुक, गुलबर्गा(जिला)&585311, कर्नाटक	2009	http://www.cuk.ac.in
	केरल		
15	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, वीकेएस टॉवर, तारामेरु सुमा, विद्यानगर, पी0ओ0, कासरगोड&671123	2009	http://www.cukerala.ac.in
	मध्य प्रदेश		
16	डॉ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश &470003	1946 (वर्ष 2009 से के0 वि0)	http://www.dhsgsu.ac.in
17	द इंदिरा गाँधी नेशनल ट्राईबल यूनिवर्सिटी, सालोरा, मंगव, अमरकंटक, मध्य प्रदेश	2008	http://www.igntu.nic.in
	महाराष्ट्र		
18	महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, पो0बा0 नंबर 16, पांचटीला, वर्धा मलरी, अर्वी रोड, वर्धा, महाराष्ट्र&442001	1997	http://www.hindivishwa.org
	मणिपुर		
19	मणिपुर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल&795004	1993	http://www.cau.org.in
20	मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर, इंफाल,मणिपुर&795003	1980 (वर्ष 2005 से के0 वि0)	http://www.manipuruniv.ac.in
	मेघालय		
21	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, नेहू कैम्पस, शिलांग, मेघालय&793022	1973	http://www.nehu.ac.in
	मिजोरम		
22	मिजोरम विश्वविद्यालय, पो0बा0नंबर 910, आईजावाल, मिजोरम&796009	2000	http://www.mzu.edu.in
	नागालैण्ड		
23	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कैम्पस लोबिसा, पुलिसलाय पुलबाडी, नागालैण्ड&797001	1994	http://www.nagalanduniversity.ac.in
	ओड़ीशा		
24	ओड़ीशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जानीपुड़ा, ओड़ीशा&764020	2009	http://www.cuo.ac.in
	पंजाब		
25	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय,पो0बा0&55, बठिंडा, पंजाब&151001	2009	http://www.cup.ac.in
	राजस्थान		
26	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, 8: गांधार सिंगरी, जिला अजमेर&305801, राजस्थान	2009	http://www.curaj.ac.in
	सिक्किम		
27	सिक्किम विश्वविद्यालय, 5th माईल, समदुर, पी0ओ0 तादोंग, गंगटोक, सिक्किम&737102	2007	http://www.cus.ac.in
	तमिलनाडु		
28	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, पोन्नागुंडी कैम्पस, कंरुलाचेरी(पोस्ट), तिरुवारुर&610101, तमिलनाडु	2009	http://www.cutn.ac.in
29	इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई&600119.	2008	http://www.imu.edu.in

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
	तेलंगाना		
30	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500046	1974	http://www.uohyd.ac.in
31	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, गचीबोली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500032	1998	http://www.manuu.ac.in
32	इंगलिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, ओ0यू0 कैम्पस, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500007	1973 (वर्ष 2007 से के0 वि0)	http://www.efluniversity.ac.in
	त्रिपुरा		
33	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यामणिनगर, त्रिपुरा-799130,अगरतला	1987	http://www.tripurauniv.in
	उत्तर प्रदेश		
34	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202002	1920	http://www.amu.ac.in
35	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद-211002	1887	http://www.alldunivac.in
36	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ-226025	1996	http://www.bbau.ac.in
37	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005	1916	http://www.bhu.ac.in
38	राजीव गांधी पेट्रोलियम एविएशन यूनिवर्सिटी, फुरसतगंज, उत्तर प्रदेश$		
39	रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी झांसी, उत्तर प्रदेश$		
	उत्तराखण्ड		
40	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल-246174	1973 (वर्ष 2009 से के0 वि0)	http://www.hnbgu.ac.in
	पश्चिम बंगाल		
41	विश्व भारती, शान्तिनिकेतन, पश्चिम बंगाल-731235	1951	http://www.visva-bharati.ac.in
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली		
42	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली -110007	1922	http://www.du.ac.in
43	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110068+	1985	http://www.ignou.ac.in
44	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110025	1988	http://www.jmi.nic.in
45	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110067	1969	http://www.jnu.ac.in
46	साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, अकबर भवन, चाणक्य पुरी नई दिल्ली-110067 . (केन्द्रीय अधिनियम के तहत स्थापित)	2010	http://www. southasianuniversity.org
	पुदुचेरी		
47	पुदुचेरी यूनिवर्सिटी, आर0 वेंकटरत्नम नगर, कालापेट, पुदुचेरी-605014	1985	http://www.pondiuni.edu.in

+नोट: छह विश्वविद्यालय वास्तव: (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर (दो) इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, और (तीन) इंडियन मेरीटाईम यूनिवर्सिटी, चेन्नई-600119, (चार) मॉलय एशियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली (पांच) राजीव गांधी पेट्रोलियम एविएशन यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश (छह) नालन्दा विश्वविद्यालय, बिहार, (सात) रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी झांसी, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं हैं क्योंकि इन्हें सीधे ही भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

तालिका 2.1(बी) (ii) दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (ख) के तहत सम्मिलित किए गए विश्वविद्यालय, जो केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं)

क्र. सं.	राज्य @ विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
	आंध्र प्रदेश		
1	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर, गुंटूर - 522510 *	1976	http://www.anu.ac.in
2	अन्नमाचार्य कला विश्वविद्यालय, कला कृष्णापुरम, राजमुन्द्री - 533105 आंध्र प्रदेश	2006	http://www.nannayauniversity.info
3	आंध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम - 530003*	1926	http://www.andhrauniversity..edu.in
4	नालसार लॉ यूनिवर्सिटी (पूर्व में एन.एल.यू. यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के नाम से विख्यात) पैरामेन्ट हेरिटेज, शेखपेट, हैदराबाद-विशाखापत्तनम - 530017 (आंध्र प्रदेश) (राज्य विश्वविद्यालय)	2008	http://www.dsnlu.ac.in
5	डॉ. एन.टी.आर. यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइन्सेज (पूर्व में एन.टी. यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइन्सेज के नाम से विख्यात) विजयवाड़ा - 520008 (राज्य विश्वविद्यालय)	1986	http://www.ntruhs.ap.nic.in
6	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, एटपुर - 532410, श्रीकाकुलम	2008	http://www.brau.in

क्र. सं.	राज्य @ विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
7	द्रविड़ियन विश्वविद्यालय, कुप्पम & 517425*	1997	http://www.dravidianuniversity.ac.in
8	डॉ. वाई.एस.आर. डाक्यार्टी विश्वविद्यालय, पी.ओ. बॉक्स सं. 7, वेंकटरायुडुपल्लम, जिला पश्चिम गोदावरी& 536101, आंध्र प्रदेश*	2011	www.drysrhu.edu.in
9	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अनंतपुर *	2008	http://www.jntua.ac.in
10	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काकीनाडा *	2008	http://www.jntuk.edu.in
11	कृष्णा विश्वविद्यालय, आंध्र जातीय कॉलेजमार्ग, कैम्पस, राजपेटा, मछलीपट्टनम & 521001	2008	http://www.krishnauniversity.ac.in
12	रायलसीमा विश्वविद्यालय, कुरनूल & 518002*	2008	http://rayalseemauniversity.ac.in
13	श्री कृष्णा देवराय विश्वविद्यालय, अनंतपुर & 515003*	1981	http://www.skuniversity.org
14	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति & 517502 *	1983	http://www.spmvv.ac.in
15	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरुपति & 517507 *	1954	http://www.svuniversity.in
16	श्री वेंकटेश्वरा वैदिक विश्वविद्यालय, पुरुषोत्तमपल्लम कॉम्प्लेक्स, पुरुषोत्तम रोड, तिरुपति	2006	http://www.svvedicuniversity.org
17	श्री वेंकटेश्वरा वेटेरीनरी यूनिवर्सिटी, प्रशासनिक कार्यालय, क्षेत्रीय अनुसंधान भवन, तिरुपति & 517502	2005	http://www.svvu.edu.in
18	श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडीकल साइंसेज, तिरुपति & 517507 *	1993	http://www.svimstpt.ap.nic.in
19	सिंहपुरी सिंहपुरी विश्वविद्यालय, नेल्लोर & 524003	2008	http://www.simhapuriuniv.ac.in
20	योगी वेमना विश्वविद्यालय, वेमनापुरम, कडपा & 516003*	2006	http://www.yogivemanauniversity.ac.in
	असम		
21	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट & 785013 *	1968	http://www.aau.ac.in
22	असम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ़ कृषि&ऑपरेशन मेडिसिन, शिवसागर, गुवाहाटी, असम*	2010	http://www.argucom.org.in
23	असम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कामरूपनगर, गुवाहाटी & 19 असम*	2011	http://www.astu.org.in
24	असम महिला विश्वविद्यालय, जोरहट&785004, असम	2013	http://www.awu.ac.in
25	बोडोलैण्ड विश्वविद्यालय, सिपझार, डाकघर रंगालीबोटा, कोकराझार, 783370, बीटीसी, असम*	2009	http://www.bodolanduniversity.ac.in
26	कॉटन कॉलेज राज्य विश्वविद्यालय, पान बाजार, गुवाहाटी, असम (राज्य विश्वविद्यालय)	2011	http://www.ccsu.ac.in
27	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रुगढ़ & 786004 *	1965	http://www.dibru.ac.in
28	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी & 781014*	1948	http://www.gauhati.ac.in
29	कृष्णकांत हांडीक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, जालुर रोड, विमपुर, गुवाहाटी & 781006	2007	http://www.kkhsou.in
30	कुसुम भटकर वर्मा मेडिसिन एवं पुरातत्व अध्ययन विश्वविद्यालय, तमुलपाड़ी&781335, असम	2011	http://www.kbvsasu.in
31	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एण्ड जूडीशियल अकादमी, एनएलओएमआई बिल्डिंग, बी.के. काकाती रोड, मौलाधार, संपिर, पंथ, सलूबेरी, गुवाहाटी & 781007, असम	2012	http://www.nluassam.ac.in
32	श्रीमंत शंकरदेव संस्कृत विज्ञान विश्वविद्यालय, तारकामुर, हिजरोंग, मोरीगढ़, गुवाहाटी, असम	2007	http://www.ssunhs.in
	बिहार		
33	आर्यभट्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी, 8, ऑफिस गोलो रोड, पटना & 800001	2008	http://www.akubihar.ac.in
34	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर & 842001 *	1952	http://www.brabu.net
35	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, 813210, बिहार	2010	http://www.bausabour.org.in
36	भूपेन्द्र नारायण मण्डल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा & 852113*	1993	http://www.bnmu.bih.nic.in
37	चाणक्य नेशनल लॉ लॉ विश्वविद्यालय, ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल स्टडीज कैम्पस, अशोक राजपथ, पटना & 800001 *	2006	http://www.cnlu.ac.in
38	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा 841301 *	1995	http://www.jpv.bih.nic.in
39	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा & 846008 *	1961	http://www.ksdsu.edu.in
40	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा & 846008*	1972	http://www.lnmu.in

क्र. सं.	राज्य @ विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
41	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया & 824234*	1962	http://www.magadhuniversity.org
42	मौलाना मजहरूल हक अरेबिक एण्ड पर्शियन यूनिवर्सिटी, 3 गोला रोड, पटना & 800001 (बिहार)	2004	http://www.mmhapu.bih.nic.in
43	नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना & 800001	1995	http://www.nalandaopenuniversity.com
44	पटना विश्वविद्यालय, पटना & 800005 *	1917	http://www.patnauniversity.ac.in
45	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर & 848125*	1970	http://www.pusavarsity.org.in
46	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर & 812007*	1960	http://www.tmbu.org
47	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा & 802301*	1994	http://www.vksu-ara.org
	छत्तीसगढ़		
48	छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सी.ई. रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़ (राज्य विश्वविद्यालय)	2008	http://www.cghealthuniv.com
49	बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर, जिला & बस्तर	2008	http://www.bvvjdp.ac.in
50	बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	2011	http://www.bilaspuruniversity.ac.in
51	छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग&491001, छत्तीसगढ़	2011	www.cgkv.ac.in
52	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, दार्भा पार्क एवेन्यू, सेक्टर & 8, भिलाई 490009 (छत्तीसगढ़)	2004	http://www.csvtu.ac.in
53	दुर्ग विश्वविद्यालय, वासुदेव वर्धन पाण्डेकर डाक्टिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर, रायपुर नाका, दुर्ग, छत्तीसगढ़	2015	http://durguniversity.ac.in/
54	हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सिविल लाइन, रायपुर & 492001*	2003	http://www.hnlu.ac.in
55	इन्दिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर & 492006*	1987	http://www.igau.edu.in
56	इन्दिरा गाँधी कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ & 491881 *	1956	http://www.iksvv.com
57	कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)	2004	http://www.ktujm.ac.in
58	पण्डित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर & 492010*	1964	http://www.prsu.ac.in
59	पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (खुला) विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	2004	http://www.pssou.ac.in
60	सरगूजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर	2008	http://www.sargujauniversity.in
	गोवा		
61	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा & 403206*	1985	http://www.unigoa.ac.in
	गुजरात		
62	आणंद कृषि विश्वविद्यालय, आणंद	2004	http://www.aau.in
63	महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर & 364002*	1978	http://www.bhavuni.edu
64	क्रिमिनोलॉजी यूनिवर्सिटी, गुजरात हाई कोर्ट शिक्षण संकुल, सेक्टर & 20, गांधीनगर, गुजरात	2009	www.cugujarat.ac.in
65	चरोतर सेवा मंडल विश्वविद्यालय, कॉलेज रोड, नाडियाड & 387001 (गुजरात) (नाम विश्वविद्यालय से राज्य विश्वविद्यालय में परिवर्तित)*	2000	http://www.ddu.ac.in
66	डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय अहमदाबाद & 380003	1995	http://www.baou.edu.in
67	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय सरदार कृषिनगर, दांतीवाडा & 385506 *	1972	http://www.sdau.edu.in
68	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर & 361008*	1968	http://www.ayurveduniversity.edu.in
69	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अटीरा एवेन्यू, कामेज कॉम्प्लेक्स, कोबा, गांधीनगर & 382007*	2003	http://www.gnlu.ac.in
70	गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद & 380009*	1950	http://www.gujaratuniversity.org.in
71	गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जेएसपीसी सिविल एन.डी. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैम्पस, चन्दखेड़ा, अहमदाबाद, गुजरात*	2007	http://www.gtu.ac.in
72	गुजरात फोरेन्सिक साईंस यूनिवर्सिटी, सेक्टर 18@ए, पुलिस भवन के विपरीत, गांधीनगर & 382007 गुजरात	2008	http://www.gfsu.edu.in
73	गुजरात विश्वविद्यालय, ट्रांसलेशनल साइंस, आईकेडीआरसी&आईटीएम भवन, सिविल अस्पताल परिसर, असारवा, अहमदाबाद&380016, गुजरात	2015	http://guts.education/

क्र. सं.	राज्य @ विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
74	सेवाश्रम आचार्य तार्थि गुजरात यूनिवर्सिटी] पी.बी. नम्बर 21] यूनिवर्सिटी रोड] पाटन & 384265*	1986	http://www.ngu.ac.in
75	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन] शासकीय महाविद्यालय परिसर] सहालिया संचिर के सिवाए] जी&4] सेक्टर & 15] गांधीनगर] 382016] गुजरात	2010	www.iite.ac.in
76	इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेग्रेटिव्ह मेडिसीन्स रिसर्च एण्ड सेलेक्शन] खोखरा सर्किल वासणारा (पूर्व)] अहमदाबाद&380026] गुजरात	2013	http://iitram.ac.in/
77	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय] जूनागढ़&362001] गुजरात	2004	http://www.jau.in
78	कच्छयेनू विश्वविद्यालय] "कृषि भवन"] सेक्टर 10ए] ब्लॉक बी] गांधिधाम सेवन] वासणारा&382010] गुजरात	2009	http://www.ku-guj.org
79	डॉक्टर श्यामजी कृष्णवर्मा कच्छ विश्वविद्यालय] सी/एस&60] जुबली पार्क] भुज&कच्छ & 370001	2004	http://www.kskvku.digitaluniversity.ac.in
80	महाराजा सयाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय] वडोदरा & 390002*	1949	http://www.msubaroda.ac.in
81	रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय] न्यू सेक्टर कोबा] सेक्टीनगर] अहमदाबाद & 380016] गुजरात	2011	http://www.rakshashaktiuniversity.ac.in
82	सरदार पटेल विश्वविद्यालय] वल्लभ विद्यानगर & 388120*	1955	http://www.spuvvn.edu
83	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय] राजकोट & 360005*	1955	http://www.saurashtrauniversity.edu
84	वीर नारमाड दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय] सूरत&395007*	1965	http://www.vnsgu.ac.in
85	श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय] नागेश्वर वेरावल] जिला जूनागढ़ & 362265 (गुजरात)	2005	http://www.shreesomnathsanskrituniversity.info
86	स्वर्णिम गुजरात स्पोर्टस] यूनिवर्सिटी] सेक्टर & 19] गुंतीत पथ रोड] सुविधा केन्द्र] गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट कैम्पस के सिवाए] गांधीनगर] 382019] गुजरात	2011	http://www.sycd.gujarat.gov.in/
	हरियाणा		
87	भारत ऐज़ सिंधु सावित्री विश्वविद्यालय] खानपुर कलां] गोहाना] हरियाणा*	2006	http://www.bpswomenuniversity.ac.in
88	चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय] सिरसा&127021] हरियाणा	2014	http://www.cdlu.ac.in
89	चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय] भिवानी*	2003	http://www.cdlu.in
90	चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय] जींद] हरियाणा	2014	http://www.crsujind.org
91	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय] हिसार & 125004*	1970	http://www.hau.ernet.in
92	दीनबन्धु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय] झज्जर] हरियाणा*	2006	http://www.dcrusm.org
93	महर्षि दयानन्द शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिज] रोहतक] हरियाणा*	2008	http://www.uhsr.ac.in
94	गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय] हिसार & 125001*	1995	http://www.gjust.ac.in
95	इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय] मीरपुर] रेवाड़ी&122502] हरियाणा	2013	http://www.igi.ac.in
96	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय] कुरुक्षेत्र & 136119*	1956	http://www.kuk.ac.in
97	लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेरनरी एण्ड एनीमल साइंस] हिसार & 125004] हरियाणा*	2010	http://lwww.uvas.edu.in
98	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय] रोहतक & 124001*	1976	http://www.mdurohtak.ac.in
99	सुपेर यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्टिंग एण्ड विजुअल आर्ट्स] इंटीग्रेटिड कैम्पस] सेक्टर&6] रोहतक] हरियाणा	2014	http://www.supva.ac.in
100	वाईएमसीए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय] फरीदाबाद & 121006] हरियाणा*	2009	http://www.ymcaust.ac.in
	हिमाचल प्रदेश		
101	डॉ. वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टीकल्चर एण्ड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी] नौणी & 173230*	1986	http://www.yspuniversity.ac.in
102	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय] शिमला & 171005*	1970	http://www.hpuniv.ac.in
103	चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय] पालमपुर & 176062*	1978	http://www.hillagric.ac.in
104	हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय] शासकीय बहुकला संस्थान] बारू] जिला हमीरपुर] हिमाचल प्रदेश	2010	http://www.himtu.ac.in
	जम्मू और कश्मीर		
105	बाबा गुलाब शाह बादशाह विश्वविद्यालय] राजौरी कैम्प ऑफिस] बाईपास रोड] पल्ली हिस्सत के सामने] जम्मू*	2005	http://www.bgsbuniversity.org

क्र. सं.	राज्य @ विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
106	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर & 190006*	1949	http://www.kashmiruniversity.net
107	शेर&ए&कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर & 191121*	1982	http://www.skuastkashmir.ac.in
108	शेर&ए&कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू, जम्मू&180009	1999	http://www.skuast.org
109	श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, कैंप ऑफिस : 27 ए@डी, त्रिकुटानगर, जम्मू & 180004*	2004	http://www.smvdu.net.in
110	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी एवेन्यू, अवन्तिपुरा, पुलवामा & 192122 (जम्मू और कश्मीर)*	2005	http://www.islamicuniversity.edu.in
111	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मूतवी 180006*	1968	http://www.jammuniversity.in
	झारखण्ड		
112	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची & 834006*	1980	http://www.baujharkhand.org
113	कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा, पश्चिम सिंहभूमि (झारखण्ड)	2007	http://www.kolhanuniversity.ac.in
114	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड इन लॉ, बहुद्देशीय संस्थान परिसर, डीआईटी, रांची, रांची&835217, झारखण्ड	2010	http://www.nusrlranchi.ac.in
115	पलामू&गढ़वा विश्वविद्यालय, सतबरवा, पलामू & 822101	2007	http://www.npu.ac.in
116	रांची विश्वविद्यालय, रांची & 834001*	1960	http://www.ranchiuniversity.org
117	सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका & 814101 *	1992	http://www.skmu.edu.in/
118	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग & 825301*	1993	http://www.vbu.co.in
	कर्नाटक		
119	बैंगलूरु विश्वविद्यालय, बैंगलूरु & 560056*	1964	http://www.bub.ernet.in
120	दावणगिरी विश्वविद्यालय, शिवगंगोत्री, दावणगिरी & 577002 कर्नाटक (राज्य विश्वविद्यालय)*	2009	http://www.davangereuniversity.org
121	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा & 585106*	1980	http://www.gulbargauniversity.kar.nic.in
122	कन्नड विश्वविद्यालय, हंपी, विजय नगर जिला, कर्नाटकपुरा & 583276*	1992	http://www.kannadauniversity.org
123	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ & 580003*	1949	http://www.kud.ac.in
124	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर & 586101 (कर्नाटक)*	2004	http://www.kswu.ac.in
125	कुवेम्पु विश्वविद्यालय, शंकरघट्टा & 577451*	1987	http://www.kuvempu.ac.in
126	कर्नाटक वेटरिनेरी एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी, नवीनगर, पीबी नं: 6, बीदर & 585401 (कर्नाटक)	2004	http://www.kvafsu.kar.nic.in
127	कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय, हुबली & 580025*	2009	http://www.kslu.ac.in
128	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर & 570006	1996	http://www.ksoumysore.edu.in
129	कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय, बैंगलूरु & 580018	2011	http://www.ksu.ac.in
130	कर्नाटक जानपदौनी यूनिवर्सिटी, 2@106, केएमएमआईए बिल्डिंग्स, तीसरा तल, 17वां क्रॉस, सांगली कोडाई रोड, विजयनगर, बैंगलूरु & 460040, कर्नाटक	2011	http://www.janapadauni.in
131	केएमसीएह संगीत एवं अभिनय कला विश्वविद्यालय, एजवेली रोड, विद्यार अशोक मंडप, पुरंदरपुरम, मैसूर & 570004, कर्नाटक	2009	http://www.musicuniversity.ac.in
132	मैंगलोर विश्वविद्यालय, मैंगलोर & 574199*	1980	http://www.mangaloreuniversity.ac.in
133	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर & 570005*	1916	http://www.uni-mysore.ac.in
134	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलूरु & 560072*	1992	http://www.nls.ac.in
135	राजीव गाँधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी, बैंगलूरु & 560041	1994	http://www.rguhs.ac.in
136	रायची शेक्षिका विश्वविद्यालय, विद्यामंदिर, एसजी&4, पीबी हाइवे, देवनागरी & 591156, कर्नाटक*	2010	http://www.rcub.ac.in
137	तुमकुरु विश्वविद्यालय, प्रांगण तल, डा: डीआर: अम्बेडकर भवन, एसजी रोड, तुमकुरु & 572101 (कर्नाटक)*	2004	http://www.tumkuruniversity.in
138	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलूरु&560065*	1964	http://www.uasbangalore.edu.in
139	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ & 580005*	1986	http://www.uasd.edu

क्र. सं.	राज्य @ विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
140	यूनीवर्सिटी ऑफ़ हार्टिकल्चर साइंस] बागलकोट सदाशिवगढ़] नीलीकेरी के नजदीक क्रॉस बागलकोट&587104] कर्नाटक	2010	http://www.uhsbagalkot.edu.in/
141	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय] बेलगाम & 590010	1999	http://www.vtu.ac.in
142	विजयानगर श्रीकृष्णदेवराय विश्वविद्यालय] जनता नगर] कैम्पस] विजयनगर नगर] बल्लारी] बेल्लारी & 583104 कर्नाटक	2010	http://www.vskub.org
	केरल		
143	ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय] सीईटी कैम्पस] तिरूअनंतपुरम&695016] केरल	2015	https://ktu.edu.in/
144	कालीकट यूनिवर्सिटी] त्रिपी पालारी] कालापुरम जिला कालीकीट & 673635*	1968	http://www.universityofcalicut.info.
145	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी] कोच्ची & 682022*	1971	http://www.cusat.ac.in
146	कन्नूर विश्वविद्यालय] कन्नूर & 670562*	1997	http://www.kannuruniversity.ac.in
147	केरल कृषि विश्वविद्यालय] त्रिसूर & 680656*	1972	http://www.kau.edu
148	केरल विश्वविद्यालय] तिरूवनंतपुरम & 695034*	1937	http://www.keralauniversity.ac.in
149	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ़ फ़िशरीज एण्ड ओशन स्टडीज] पनांगड] कोच्ची & 682506 केरल (राज्य विश्वविद्यालय)	2011	http://www.kufos.ac.in
150	केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय] त्रिसूर & 680596 केरल *	2011	http://www.kuhs.ac.in
151	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ़ वेटेरनरी एण्ड एनीमल साइंस] पोकोड झाकोची पीओ] वायनाड] केरल (राज्य विश्वविद्यालय)	2011	http://www.kvasu.ac.in
152	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय] कोट्टायम & 686560*	1983	http://www.mgu.ac.in
153	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एडवांस्ड लीगल स्टडीज (एन:यू:ए:एल:एस:) कालूर] कोच्चि & 682017] केरल*	2009	http://www.nuals.ac.in
154	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय] कलाडी & 683574*	1994	http://www.ssus.ac.in
155	मुलायम एजुकेशन सोसायटी विश्वविद्यालय] तोलुर विलामल] पुलामंथोल] डाकघर तिरूर] जिला मल्लापुरम] केरल&676107	2013	http://www.malayamuniversity.edu.in
	मध्य प्रदेश		
156	अलगेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय] रीवा & 486003*	1968	http://www.apsurewa.nic.in
157	अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय] एस:पी: भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय परिसर] कीलार सार्इ] भोपाल & 462016 मध्य प्रदेश	2011	http://www.abvhv.org
158	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय] भोपाल & 462026*	1970	http://www.bubhopal.nic.in
159	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय] इन्दौर & 452001*	1964	http://www.dauniv.ac.in
160	डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय] डॉ0 अम्बेडकर नगर] महाओ&453441] जिला इंदौर] मध्य प्रदेश	2016	
161	जबलपुर कृषि तकनीकी कृषि विश्वविद्यालय] जबलपुर & 482004*	1964	http://www.jnkvv.nic.in
162	जीवाजी विश्वविद्यालय] ग्वालियर & 474011*	1964	http://www.jwaji.edu
163	मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय]एमएमजीबी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय परिसर] बेलबाग रोड] जबलपुर] मध्य प्रदेश*	2011	http://www.mpmsu.edu.in
164	महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय] छतरपुर] मध्य प्रदेश	2014	
165	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय] चित्रकूट & 485331] जिला सतना (राज्य विश्वविद्यालय)*	1993	http://www.mgcgvchitrakoot.com
166	एस:पी:भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय] भोपाल & 462016*	1995	http://www.bhojvirtualuniversity.com
167	माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय] भोपाल & 462039	1993	http://www.mcu.ac.in
168	महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय] उज्जैन] मध्य प्रदेश&456010	2008	http://www.mpsvvuj_jain.org
169	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय] जबलपुर & 482001 मध्य प्रदेश	2009	http://www.mppcvv.org
170	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी] भानपुरा रोड] बरखेड़ी कलाँ] भोपाल*	1999	http://www.nliu.ac.in
171	राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय] महाराजी चौक] अजबेश्वर मार्ग] ग्वालियर] 474009] मध्य प्रदेश	2009	http://www.rmtmusicandartsuniversity.com

क्र. सं.	राज्य @ विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
172	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल & 462036*	2004	http://www.rgtu.net
173	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर & 482001*	1957	http://www.rdunijbpin.org
174	राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, सेक्टर ग्वालियर के सामने, ग्वालियर ग्वालियर, &474002, मध्य प्रदेश	2009	http://www.rvskvv.nic.in
175	सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बौद्धिस्ट&इंडिक स्टडीज, द्वितीय तल, इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रुप सर्वेस एण्ड पालिसी एनालिसिस, शामला हिल्स, भोपाल, &462003, मध्य प्रदेश	2013	
176	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन & 456010*	1957	http://www.vikramuniversity.org
	महाराष्ट्र		
177	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद & 431004*	1958	http://www.bamu.net
178	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लोनेरे & 402103*	1992	http://www.dbatu.ac.in
179	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला & 444104*	1969	http://www.pdkv.mah.nic.in
180	गोंडवाना विश्वविद्यालय, एसआईडीसी रोड, गढ़चिरोली, 422605, महाराष्ट्र	1994	http://www.gondwana.digitaluniversity.ac.in
181	कवि कुलगुरु कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक & 441106*	1997	http://www.sanskrituni.net
182	कोंकण कृषि विद्यापीठ दापोली, जिला रत्नागिरि & 415712*	1972	http://www.dbskkv.org
183	महाराष्ट्र एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी, नागपुर & 440001	2002	http://www.mafsu.in
184	महाराष्ट्र लेजिस्लेचर लॉ यूनिवर्सिटी, पोस्ट बॉक्स 8338, चर्चगेट, मुंबई&400088, महाराष्ट्र	2014	
185	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक & 424004	2000	http://www.muhs.ac.in
186	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी & 413722*	1968	http://www.mpkv.mah.nic.in
187	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी & 431402*	1983	http://www.mkv2.mah.nic.in
188	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई & 400032*	1857	http://www.mu.ac.in
189	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगाँव & 425001 *	1991	http://www.nmu.ac.in
190	सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे&411007*	1949	http://www.unipune.ac.in
191	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती & 444602*	1983	http://www.sgbau.ac.in
192	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर & 416004*	1962	http://www.unishivaji.ac.in
193	श्रीमती नाथीबाई दमोदर ठाकरसे महिला विश्वविद्यालय, मुंबई & 400020*	1951	http://www.sndt.digitaluniversity.ac
194	शोलापुर विश्वविद्यालय, शोलापुर पुणे रोड, केसर, शोलापुर & 413255*	2004	http://www.su.digitaluniversity.ac
195	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नांदेड & 431606*	1995	http://www.srtmun.org
196	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक & 440001*	1990	http://www.ycmou.digitaluniversity.ac
197	दि राष्ट्रसंत तुकाडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर & 422222 (महाराष्ट्र)*	1923	http://www.nagpuruniversity.org
	ओडीशा		
198	बेरहामपुर विश्वविद्यालय, बेरहामपुर & 760007*	1967	http://www.bamu.nic.in
199	बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला & 769004	2003	http://www.bput.ac.in
200	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर & 596019*	1999	http://www.fmuniversity.nic.in
201	नेताजी ओडिशा विश्वविद्यालय, बारीपोडा, जिला मयूरभंज & 757003, भुवनेश्वर *	1999	http://www.nou.nic.in
202	लेजिस्लेचर लॉ यूनिवर्सिटी, पोस्ट बॉक्स&28, कटक & 753001 ओडीशा*	2008	http://www.nluo.ac.in
203	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर & 751003*	1962	http://www.ouat.ac.in
204	रावेनशाव विश्वविद्यालय, कटक & 753003]*	2005	http://www.ravenshawuniversity.ac.in
205	संबलपुर विश्वविद्यालय, संबलपुर & 768019	1967	http://www.suniv.ac.in
206	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी&752003*	1981	http://www.sjsv.nic.in
207	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर 751004*	1943	http://www.utkal-university.org
208	उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर & 751009	1999	http://www.uuc.ac.in
209	वीर सुरेन्द्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पी.ओ: बुरला इंजीनियरिंग कॉलेज, जिला संबलपुर, ओडिशा (राज्य विश्वविद्यालय)&768018*	2009	http://www.vssut.ac.in

क्र. सं.	राज्य @ विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
	पंजाब		
210	बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एण्ड साइंसेज, सादीक रोड, फरीदकोट & 151203*	2002	http://www.bfuhs.ac.in
211	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर & 143005*	1969	http://www.gndu.ac.in
212	गुरू अंगददेव वेटरिनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना & 141004*	2005	http://www.gadvasu.in
213	गुरू रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधवाल, होशियारपुर, पंजाब&146001	2010	http://www.graupunjab.org
214	महाराज रणजीत सिंह राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय, जलवाली रोड, पटियाला& 151001, पंजाब*	2015	
215	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना & 141004*	1962	http://www.pau.edu
216	पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, जालंधर & 141011	1998	http://www.ptu.ac.in
217	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला & 147002*	1962	http://www.punjabiuniversity.org
218	श्री राजीव गाँधी वेटरिनरी यूनिवर्सिटी ऑफ पी, पटियाला & 147001*	2006	http://www.rgnul.ac.in
	राजस्थान		
219	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, 89, गोपाल वाटिका, खेवात्सजीकाबास, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर&302018, राजस्थान	2012	
220	हुकमदेव नारायण योगविज्ञान और जनसंपर्क विश्वविद्यालय, मुहाना केन्द्र संकुल, सवाई राम सिंह मार्ग, जयपुर&302004, राजस्थान	2012	http://www.hjuj.ac.in
221	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर & 342011*	1962	http://www.jnvu.edu.in
222	जगद्गुरु रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, 2&2ए, झालाना डीम्ड्री, जयपुर (राजस्थान)*	1998	http://www.jrrsanskrituniversity.ac.in
223	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा & 324010 *	1987	http://www.vmou.ac.in
224	महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर & 313001	2000	http://www.mpuat.ac.in
225	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर & 305009*	1987	http://www.mdsuajmer.com
226	महाराजा सूरजमलब्रिज विश्वविद्यालय, एस0एस0जे0 महाविद्यालय भवन, भरतपुर&321001 (राजस्थान)	2012	http://www.brijuniversity.ac.in
227	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर & 313001*	1962	http://www.mlsu.ac.in
228	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर & 342004*	2004	http://www.nlujodhpur.ac.in
229	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर & 334006*	1987	http://www.raubikaner.org
230	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	2004	http://www.raujodhpur.org
231	सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान & 342304	2012	http://www.policeunviersity.ac.in
232	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर & 302004*	1947	http://www.uniraj.ernet.in
233	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बी&1, सवाई मानसिंह रोड, (एसएमएस अस्पताल के सामने) जयपुर *	2005	http://www.ruhsraj.org
234	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साइंसेज, बीकानेर, राजस्थान	2010	http://www.rajuvas.org
235	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर, राजस्थान*	2003	http://www.mgsubikaner.ac.in
236	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, अखेराजड़, रावतभाटा रोड, कोटा 324010	2006	http://www.rtu.ac.in
237	राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, सविना मोनावास भवन, डा0 भीमराव शासकीय कन्या महाविद्यालय परिसर, अलवर, राजस्थान	2012	
238	शेखावत विश्वविद्यालय, श्रीकल्याण शासकीय महाविद्यालय की पीछे, सीकर&332001, राजस्थान	2012	http://www.shekhauni.ac.in
239	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)*	2003	http://www.uok.ac.in
	तमिलनाडु		
240	अलगप्पा विश्वविद्यालय, अलगप्पा नगर, कराईकुडी & 630003*	1985	http://www.alagappauniversity.ac.in
241	अन्ना विश्वविद्यालय, गुंडी, चेन्नई & 600025*	1978	http://www.annauniv.edu
242	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर & 608002*	1929	http://www.annamalaiuniversity.ac.in
243	भारथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर & 641046*	1982	http://www.b-u.ac.in
244	भारथीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली & 620024*	1982	http://www.bdu.ac.in

क्र. सं.	राज्य @ विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
245	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई & 600005*	1857	http://www.unom.ac.in
246	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, मदुरई & 625021*	1965	http://www.mkuniversity.org
247	मनोन्मनीयम सुंदरनार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवेली & 627012*	1992	http://www.msuniv.ac.in
248	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाईकनाल & 624102*	1984	http://www.motherteresawomenuniv.org
249	पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम & 636011*	1998	http://www.periyaruniversity.ac.in
250	तमिल विश्वविद्यालय, तंजावुर & 613005*	1981	http://www.tamiluniversity.ac.in
251	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर & 641003*	1971	http://www.tnau.ac.in
252	तमिलनाडु खुला विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा निदेशालय परिसर, गिंडी, चेन्नई & 600025*	2004	http://www.tnou.ac.in
253	तमिलनाडु डॉ. अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई & 600028*	1998	http://www.tndalu.ac.in
254	तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी अन्ना सलाई, चेन्नई & 600032*	1989	http://www.tnmgrmu.ac.in
255	तमिलनाडु वेटिनरी एंड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, चेन्नई & 600051*	1990	http://www.tanuvas.ac.in
256	तमिलनाडु ओपन स्कूल, तंजावुर, कुंभकोणम, श्रीरंगम तालुक, तिरुचिरापल्ली & 620009, तमिलनाडु	2012	http://www.tnnls.ac.in
257	तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, आठवां तल, ईवीए सेंटर, वाशीमाई, कॉलेज रोड, चेन्नई	2005	http://www.tnpesu.org
258	तमिलनाडु संगीत तथा ललित कला विश्वविद्यालय, डॉ0 डी0जी0एस0 दिनाकरन सलाई, चेन्नई& 600028	2013	http://www.tnmfau.in
259	तमिलनाडु वेटिरनेरी एंड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, चेन्नई & 600051*	1990	http://www.tanuvas.ac.in
260	तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय, वेल्लोर, वेल्लोर & 632004*	2003	http://www.tvuni.in
261	तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी, कामराजर सलाई, चेन्नई & 600005	2008	http://www.tnteu.in
	तेलंगाना		
262	आचार्य एन0जी0 रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद&500030*	1964	http://www.angrau.net
263	डॉ0 बी0आर0 अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय, जुबली हिल्स, हैदराबाद&500033*	1982	http://www.braou.ac.in
264	जवाहर लाल नेहरू वास्तुकला तथा ललित कला विश्वविद्यालय, महावीर मार्ग, सचिव पैनल, हैदराबाद&500028	2008	http://www.jnafau.ac.in
265	जवाहर लाल नेहरू टेक्नोलॉजीकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद&500072*	1972	http://www.jntuh.ac.in
266	काकतीया विश्वविद्यालय, वारंगल & 506009*	1976	http://www.kakatiya.ac.in
267	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, नलगोंडा, नलगोंडा & 508003, आंध्र प्रदेश *	2008	http://www.mguniversity.ac.in
268	नालसार कानून, विधि और न्याय विश्वविद्यालय, शमीरपेट, आर0आर0 जिला, हैदराबाद&500101*	1999	http://www.nalsar.ac.in
269	निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, पंजागुट्टा, हैदराबाद&500082	1989	http://www.nims.ap.nic.in
270	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद & 500007*	1918	http://www.osmania.ac.in
271	पालमुरु विश्वविद्यालय, अराया कॉम्प्लेक्स, पुलिस मुख्यालय के सामने, महबूब नगर & 509001 आंध्र प्रदेश*	2008	http://www.palamuruuniversity.ac.in
272	पोट्टी श्रीरामुलू तेलुगू विश्वविद्यालय, हैदराबाद&500004*	1985	http://www.teluguuniversity.ac.in
273	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्र नगर, हैदराबाद&500030, तेलंगाना	2014	http://www.pjtsau.ac.in
274	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नालेज टेक्नोलाजी, हैदराबाद	2011	http://www.rgukt.in
275	सातवाहन विश्वविद्यालय, करीमनगर रोड, कोथालुना, करीमनगर & 505001	2008	http://www.satavahana.ac.in
276	श्रीकोण्डा लक्ष्मण तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय, राजेंद्र नगर, हैदराबाद&500030, तेलंगाना	2014	
277	तेलंगाना विश्वविद्यालय, निजामाबाद & 503002*	2006	http://www.telanganauniversity.ac.in
	त्रिपुरा		
278	महाराजा बीर बिक्रम विश्वविद्यालय, अगरतला, त्रिपुरा	2015	

क्र. सं.	राज्य @ विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
	उत्तर प्रदेश		
279	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी & 284128*	1975	http://www.bujhansi.org
280	चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर & 208002*	1974	http://www.csauk.ac.in
281	छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर & 208024*	1965	http://www.kanpuruniversity.org
282	चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ &250005*	1965	http://www.ccsuniversity.org
283	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर & 273009*	1957	http://www.ddugu.edu.in
284	डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद & 224001*	1975	http://www.rmlau.ac.in
285	डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गोमतीनगर & बी&1, एल.डी.ए. 'ए', कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तरप्रदेश 226012*	2005	http://www.rmlnlu.ac.in
286	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा & 282004*	1927	http://www.dbrau.com
287	गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, जिला & गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र. & 201308	2002	http://www.gbu.ac.in
288	उत्तरांचल सोहनुदीन हिन्दी यानी अरबी&फ़ारसी विश्वविद्यालय, 619, इंदिरा नगर, उत्तरपश्चिम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	2010	http://www.uafulucknow.ac.in
289	किंग जार्ज मेडिकल्स विश्वविद्यालय, उत्तरपश्चिम & 226003*	2004	http://www.kgmcindia.edu
290	लखनऊ विश्वविद्यालय, उत्तरपश्चिम & 226007*	1921	http://www.lucknowuniv.org
291	मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर&273010, उत्तर प्रदेश	2013	http://www.mmmut.ac.in
292	एस.जे.पी. रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली & 243006*	1975	http://www.mjpru.ac.in
293	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,वाराणसी&221002*	1974	http://www.mgkvp.ac.in
294	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद & 224229*	1974	http://www.nduat.ernet.in
295	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी & 221002*	1958	http://www.ssvv.up.nic.in
296	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ & 250110 (उत्तर प्रदेश)*	2004	http://www.svbpmeerut.ac.in
297	यू.पी. किंग जार्ज वेट चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तरपश्चिम & 226003 (उ.प्र.)*	2004	
298	उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा, उत्तर प्रदेश	2001	http://www.upvetuniv.edu.in
299	यू.पी. राजर्षी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, 17, महर्षि दयानंद मार्ग, (थॉर्नहिल रोड), इलाहाबाद & 211001 (उत्तर प्रदेश)*	2004	http://www.uprtou.ac.in
300	उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, सीतापुर रोड, उत्तरपश्चिम & 226021	2001	http://www.uptu.ac.in
301	उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय डॉ0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय, सीतापुर रोड, उत्तरपश्चिम, उत्तर प्रदेश&226017*	2008	http://www.dsmru.up.nic.in
302	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर & 222002*	1987	http://www.vbspu.ac.in
	उत्तराखंड		
303	दून विश्वविद्यालय, सोधीवाला रोड, केनारोड, देहरादून 248001 *	2005	http://www.doonuniveristy.ac.in
304	जी.बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर & 263145*	1960	http://www.gbpuat.ac.in
305	हेमवती नंदन बहुगुणा आयुर्विज्ञान शिक्षा विश्वविद्यालय, 124, श्रमा विहार, गोविंदपुर कालोनी के सामने, हरिद्वार रोड, देहरादून&248001, उत्तराखंड	2014	http://www.hnbumu.ac.in
306	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल & 263001*	1973	http://www.kuntl.in
307	श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, चौहरी सड़वाला, उत्तराखंड&249199	2011	http://www.sdsuv.ac.in
308	उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, 7&8, प्रोफेसर बेजी, राजपुर रोड, देहरादून & 248009, उत्तराखंड	2009	http://www.uau.ac.in
309	उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार& 249401 (उत्तराखंड)	2005	http://www.usvv.org
310	उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, ए&12, सहस्त्रधारा विहार, प्रेमनगर अथोरवाला, पोस्ट&सालावाला, देहरादून, उत्तराखंड		http://www.uktech.ac.in
311	उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, ट्रांसपोर्ट नगर के निकट, तीनपानी बाई पास रोड, पोस्ट&औद्योगिक एस्टेट, हल्द्वानी & 263139 (नैनीताल), उत्तराखंड (राज्य विश्वविद्यालय)	2005	http://www.uou.ac.in
312	वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड	2011	http://www.uuhf.ac.in

क्र. सं.	राज्य @ विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
	पश्चिम बंगाल		
313	आलिया विश्वविद्यालय] कोलकाता] पश्चिम बंगाल 700091	2007	http://www.aliah.ac.in
314	बांकुरा विश्वविद्यालय] मुखोपाध्याय कैंपस कार्यालय] डाकघर डाकबंगला] जिला] बांकुरा&722146] पश्चिम बंगाल	2014	
315	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय] मोहनपुर] नादिया & 741252*	1974	http://www.bckv.edu.in
316	बर्दवान विश्वविद्यालय] राजबाती] बर्दवान & 713104*	1960	http://www.buruniv.ac.in
317	कोलकाता विश्वविद्यालय] कोलकाता & 700073*	1857	http://www.caluniv.ac.in
318	कूच बिहार पंचानन बर्मा विश्वविद्यालय] विवेकानन्द रोड] कूच बिहार&736101] पश्चिम बंगाल		http://www.cbpbu.ac.in
319	डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय] कैंपस ऑफ़ ऐकीर्ण द्वीप] डायमंड हार्बर] दक्षिण 24 परगना] पश्चिम बंगाल&700032	2013	
320	जादवपुर विश्वविद्यालय] कोलकाता&700032*	1955	http://www.jadavpur.edu
321	यूगेंद्र डब विश्वविद्यालय] ईस्टर्न एक्सप्रेस वाशवा कॉलेज परिसर] पोस्ट ऑफिस: एवं जिला & वाशवा & 732101	2007	http://www.ugb.ac.in
322	कल्याणी विश्वविद्यालय] कल्याणी & 741235*	1960	http://www.klyuniv.ac.in
323	काजी नजरुल विश्वविद्यालय] पुराना एडीसीए कार्यालय भवन (आसनसोल डायरेक्ट सहविद्यालय के पीछे) डाकघर& आसनसोल& 713304] जिला& बर्दवान] पश्चिम बंगाल	2012	http://www.knuedu.in
324	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय] राजा राम मोहनपुर] दार्जिलिंग & 734430*	1962	http://www.nbu.ac.in
325	नेताजी सुभाष खुला विश्वविद्यालय] कोलकाता & 700020	1997	http://www.wbnsou.ac.in
326	प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय] 86@1 कॉलेज स्ट्रीट] कोलकाता & 700073] पश्चिम बंगाल*	2010	http://www.presiuniv.ac.in
327	रविंद्र भारती विश्वविद्यालय] कोलकाता & 700050*	1962	http://www.rbu.ac.in
328	रायगंज विश्वविद्यालय] पीओ&रायगंज] जिला दक्षिण दिनाजपुर&733134] पश्चिम बंगाल	2015	
329	सिद्धो कान्हो बिरसा विश्वविद्यालय] परिसर भवन] 10ए] ब्लॉक & एजए] सेक्टर&3] सॉल्ट लेक] कोलकाता & 700098	2010	http://www.skbu.ac.in
330	द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ ज्यूरिडिकल साइंस] एचयूआईएस भवन] 12 एलजी ब्लॉक] सेक्टर&3] सॉल्ट लेक सिटी] कोलकाता*	2004	http://www.nujs.edu
331	द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज] जीडी&36] सेक्टर&1] सॉल्ट लेक] कोलकाता & 700064*	2002	http://www.wbuhs.ac.in
332	पश्चिम बंगाल अध्यापक प्रशिक्षण और शिक्षा आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय] 25@2 और 25@3] डैलीगंज मर्कुलर रोड] कोलकाता&700019] पश्चिम बंगाल	2015	
333	यूगेंद्र डब कृषि विश्वविद्यालय] जिला & कूच बिहार & 736165	2001	http://www.ubkv.ac.in
334	विद्यासागर विश्वविद्यालय] मिदनापुर & 721102*	1981	http://www.vidyasagar.ac.in
335	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज] बेलगाछिया] कोलकाता & 700037	1995	http://www.wbuafscl.ac.in
336	वेस्ट बंगाल तकनीकी विश्वविद्यालय] बीएफ&142] सॉल्ट लेक] कोलकाता & 700091*	2001	http://www.wbut.net
337	वेस्ट बंगाल राज्य विश्वविद्यालय] बारासात शासकीय सहविद्यालय] एबेनेजी हिल्सिड्र] 10 केएनसी रोड] कोलकाता & 700124*	2007	http://www.wbsubregistration.org
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली		
338	भारत रत्न डॉ बी:आर: अम्बेडकर विश्वविद्यालय] मोथिराल रोड] कश्मीरी गेट] दिल्ली & 110006 *	2007	http://www.aud.ac.in
339	दिल्ली फॉरेस्ट विज्ञान तथा अनुसंधान विश्वविद्यालय] डीआईएफएआर परिसर] सेक्टर&] पुराना किला] नई दिल्ली*	2010	
340	दिल्ली टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी] शाहबाद दौलतपुर] बवाना रोड] दिल्ली (राज्य विश्वविद्यालय)*	2009	http://www.dce.edu
341	गुरु गोबिंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय] सेक्टर 16 सी&द्वारका] दिल्ली & 110078*	1998	http://www.ipu.ac.in
342	इंदिरा गांधी दिल्ली सहिला तकनीकी विश्वविद्यालय] कश्मीरी गेट] दिल्ली & 110006*	2013	http://www.igdtuw.ac.in
343	इन्द्रप्रस्थ इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी] सिरी गोबिंदपुरी गेट्टो स्टेशन] ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट] फेज&3] नई दिल्ली & 110020 *	2008	http://www.iiitd.ac.in
344	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी] सेक्टर&14] द्वारका] नई दिल्ली *	2008	http://www.nludelhi.ac.in
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र चण्डीगढ़		
345	पंजाब विश्वविद्यालय] चण्डीगढ़ & 160014*	1947	http://www.puchd.ac.in

तालिका 2.1(ii)(iii) दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार राज्य निजी विश्वविद्यालय

(*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत मान्यताप्राप्त)

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
	अरुणाचल प्रदेश		
1	एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पासीघाट, जिला ईस्ट सियांग, अरुणाचल प्रदेश-791102	10.05.2013	http://www.apexuniversity.ac.in
2	अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, एपएच-52, डोनमाई, जिला डोनमाई-792103, अरुणाचल प्रदेश	26.05.2012	http://www.arunachaluniversity.ac.in
3	अरुणोदय विश्वविद्यालय, ई-सेक्टर, तिरुजुली, ईटानगर, जिला-डोनमाई-791109, अरुणाचल प्रदेश	21.10.2014	http://www.arunodayauniversity.ac.in
4	हिमालयन यूनीवर्सिटी, 401, एकांत कॉम्प्लेक्स, लाइनसुब, ईटानगर, जिला- पापुमपारे- 791110, अरुणाचल प्रदेश	03.05.2013	http://www.himalayanuniversity.com
5	नार्थ ईस्ट फ्रंटीयर टेक्नीकल युनिवर्सिटी, मिबु-मियुती, आल्लो (पीओ), पश्चिम सियांग(जिला), अरुणाचल प्रदेश-791001	03.09.2014	http://www.neftu.edu.in
6	द इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजीकल एण्ड मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, पीएो, अरुणाचल प्रदेश	26.05.2012	http://www.indiragandhiuniversity.in
7	वेंकटेश्वरा मुक्त विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	20.06.2012	http://www.vou.ac.in
	असम		
8	असम डॉक्टर बोरुवा यूनिवर्सिटी, अलांग, सुबनसिरी-781017	12.02.2009	http://www.dbuniversity.ac.in
9	असम डॉक्टर देवाज यूनिवर्सिटी, शंकर सहादेव पथ, गांधी नगर, पांडु(खेती), गुवाहाटी - 781036	29.04.2010	http://www.adtu.in
10	सहारुरूप श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय, श्रीमंत, श्रीमंत शंकरदेव पथ कॉम्प्लेक्स, हुजुरीगांव पथ, कोलोंगांव, दौरांग-782001, असम	14.08.2013	http://www.mssv.co.in
11	द असम कांजीरंगा यूनिवर्सिटी, जोरहाट, असम	11.04.2012	http://www.ka irangauniversity.in
	छत्तीसगढ़		
12	एमिटी युनिवर्सिटी, रायपुर, तहसील-तिलदा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़	21.08.2014	http://www.amity.edu/raipur/
13	डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कोरनी रोड, कोटा, बिलासपुर	03.11.2006	http://www.cvru.ac.in
14	आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, रा0रा0-6, रायपुर-भिलाई रोड, रायपुर-दोरुवा, आरआई मर्जर, अहीवारा, दासदा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़	24.03.2011	http://www.iuraipur.edu.in
15	आईटीएस विश्वविद्यालय, पीएच सं. 137, खपराखोड़ा, तहसील रायपुर, जिला-रायपुर - 493661, छत्तीसगढ़	03.02.2012	http://www.itmuniversity.org
16	कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	24.03.2011	http://www.kalingauniversity.org
17	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, पोस्ट संजना, बिलासपुर - 495001	18.04.2002	http://www.mumt.com
18	मैट्स (एस.ए.टी.एस.) विश्वविद्यालय, अरंज कॉर्नर्स हाइवे, रायपुर रायपुर, रायपुर - रुमल्ला, रायपुर & रुमल्ला, तहसील - अरंज, जिला - रायपुर, छत्तीसगढ़	03.11.2006	http://www.matsuniversity.ac.in
19	ओ0पी0 जिंदल युनिवर्सिटी, तामनेर मार्ग, पेरोदा रोड, पुंजीपाथरा, रायगढ़-496001, छत्तीसगढ़	21.08.2014	http://www.op u.ac.in
	गुजरात		
20	अहमदाबाद विश्वविद्यालय, एईएम कंपस्रो सर्कल - 2, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380009	07-07-2009	http://www.ahduni.edu.in
21	एयूआरओ यूनिवर्सिटी ऑफ हाइपरबेरिक एण्ड सेफ्टी, सूरत, गुजरात-394510	12.10.2011	http://www.aurouniversity.edu.in
22	कलोरेक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद-382481	07.07.2009	http://www.ctu.calorx.org
23	चैरुर चैरुर एजुकेशनल ट्रस्टीज एण्ड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 (गुजरात)	12.04.2015	
24	चारुसैट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, चंगा - 388421, जिला - आनंद	04.11.2009	http://www.charusat.ac.in
25	सी0यू0 शाह विश्वविद्यालय, सुरेंद्रनगर-अहमदाबाद राज्य राजमार्ग, वीथारिया गांव के निकट, वढवान सिटी-363030, जिला सुरेंद्रनगर, गुजरात	22.04.2013	http://www.cushahuniversity.ac.in
26	धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी, गांधीनगर, पोस्ट बॉक्स सं: 4, गांधी नगर, 382007	06.03.2003	http://www.daiict.ac.in
27	गणपत विश्वविद्यालय, गणपत विद्यानगर, मेहसाणा, मोजारिया हाइवे, जिला मेहसाणा - 382711	23.03.2005	http://www.ganpatuniversity.ac.in

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
28	जी0एस0एस0 विश्वविद्यालय, गुजरात ज्ञा सोसायटी कैम्पस, ज्ञा सर्कल के सामने, एजुसिटिज, अहमदाबाद&380006, गुजरात	15.04.2015	
29	जी0एस0एफ0सी0 यूनिवर्सिटी, विद्यानगर भवन, डाकघर: ऐरोड्रोमहाजरात&391750, जिला वडोदरा, गुजरात	19.12.2014	
30	इग्नूडब्ल्यू विश्वविद्यालय, इग्नूडब्ल्यू कैम्पस, रणछोड़दास, वाया&थलतेज, अहमदाबाद & 382115 & गुजरात	02.05.2012	http://www.iiuedu.in
31	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हैल्थ& गांधीनगर, गांधीनगर, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक्स एण्ड सोशल रिसर्च कैम्पस, ड्रायव&इन&रोड, थलतेज, अहमदाबाद&380054, गुजरात	02.05.2015	
32	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च, इंस्टीट्यूशनल एरिया, कोबा, गांधीनगर&382007	12.10.2011	
33	आईटीएस&सोलेशनस यूनीवर्सिटी, प्लॉट 6512, अजवा विसेता रोड, राजोड तालुका, वाघोडिया, वडोदरा, गुजरात	08.05.2014	http://www.itm.ac.in
34	कादी सर्वा विश्वविद्यालय, सर्वा विद्यालय कैम्पस, सैक्टर 15@23, गांधीनगर&382015	16.05.2007	http://www.ksvuniversity.org.in
35	नालंदा ओपन विश्वविद्यालय, "ज्योतिस न्यू" तिरुमा विश्वविद्यालय के सामने, एस0जी0 हाईवे, भाट्रोडी, अहमदाबाद&382481, गुजरात	16.04.2013	
36	नवगुजरात विश्वविद्यालय, वसना&भायली रोड, वडोदरा&391410, गुजरात	07.07.2009	http://www.nuv.ac.in
37	निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, सरखेज, गांधीनगर हाईवे, ज्ञाह भाट्रोडी, अहमदाबाद&382481	12.3.2003	http://www.nirmauni.ac.in
38	पं. दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, रायसैन, जिला गांधीनगर & 382009	04.04.2007	http://www.pdpu.ac.in
39	पारुल विश्वविद्यालय, डाकघर लिंबा, तालुका&वाघोडिया, जिला वडोदरा&391760 गुजरात	21.04.2015	
40	आर.के. यूनिवर्सिटी, राजकोट&मावतरु हाईवे, कांतारुबाबाद, राजकोट, गुजरात&360020	14.10.2011	http://www.rku.ac.in
41	रायु विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात&382260	02.05.2009	http://www.raiuniversity.edu
42	टीम लीज स्किल्स यूनिवर्सिटी, तारसाली बाईपास, वडोदरा&390009, गुजरात	22.04.2013	http://www.teamleaseuniversity.org
43	यूकेए तारसाडिया विश्वविद्यालय, बारिया कैम्पस, मोवाज विद्यानगर, बारोली&महुआ रोड, जिला&सूरत, गुजरात&394350	14.10.2011	http://www.utu.ac.in
	हरियाणा		
44	अल&फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद, हरियाणा	02.05.2014	http://www.alfalahuniversity.edu.in
45	एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी एजुकेशन वैली, पाटलसांव, मानेसर, जिला & गुड़गाँव & 122413, हरियाणा	26.04.2010	http://www.amity.edu/gurgaon
46	अंसल विश्वविद्यालय, गुड़गाँव, हरियाणा	10.02.2012	http://www.ansaluniversity.edu.in
47	एपीजे एप्पैय यूनिवर्सिटी, पलवल रोड, सोहना, गुड़गाँव & 122103, हरियाणा	02.11.2010	http://www.university.apee ay.edu.in
48	अशोका विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर: 2, राजीव गांधी एजूकेशन सिटी, कुंडली, एन0एच0, सोनीपत, हरियाणा, &131028	02.05.2014	http://www.ashokaka.edu.in
49	बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा&124021	10.02.2012	http://www.babamastnathuniversity.com
50	बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी, 67वां किलोमीटर स्टोन, एन0एच0&8, सिधरावली, जिला& गुड़गाँव&123413, हरियाणा	02.05.2014	http://www.bml.edu.in
51	जी0डी0 गोएनका विश्वविद्यालय, जी0डी0 गोएनका एजूकेशन सिटी, गुड़गाँव सोहना रोड, गुड़गाँव, हरियाणा&122103	03.05.2013	http://www.gdgoenkauniversity.com
52	द नार्थकैप यूनीवर्सिटी, हुडा सैक्टर 23ए, गुड़गाँव&122107, हरियाणा	21.10.2009	http://www.itmindia.edu
53	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, राज्य राजमार्ग संख्या 22, बहादुरगढ़ & झज्जर रोड, झज्जर & 124507, हरियाणा	03.05.2013	http://www.agannathuniversityncr.ac.in
54	के0आर0 मंगलम विश्वविद्यालय, सोहना रोड, गुड़गाँव, हरियाणा&122103	03.05.2013	http://www.krmangalam.edu.in
55	मानव रचना विश्वविद्यालय, सैक्टर&43, दिल्ली सूरजकुण्ड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा	06.08.2014	
56	एम0एम0यू0 विश्वविद्यालय, मुलवल, हरियाणा&121105	10.02.2012	http://www.mvn.edu.in
57	महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय, मालपुर, जिला अंबाला, हरियाणा&134007	29.10.2010	http://www.mmumullana.org

क्र.सं	नाम@विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
58	एनआईएलएस विश्वविद्यालय, 9वीं बी साईंसस्टोन, प्रो0रो0&65, कैथल&136027, हरियाणा	27.09.2011	http://www.niilmuniversity.in
59	ओ0पी0 जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा&131001	10.11.2006	http://www. gu.edu.in
60	पी0डी0एस0 विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स 15, सैक्टर&3ए, नगर और ग्रामांचल, बहादुरगढ़&124507, हरियाणा (निजी विश्वविद्यालय)	14.01.2016	
61	श्री गुरु गोबिंद सिंह ट्राईसेंटेनरी यूनिवर्सिटी, छारूखेतरां रोड, बुडेडा, जिला गुड़गांव, हरियाणा	03.05.2013	http://www.sgtuniversity.org
62	एसआरएस विश्वविद्यालय, प्लॉट संख्या 39, रामेश्वर मंत्री एजुकेशन सिटी, दिल्ली&एनसीआर, सोनीपत&कुंडली अर्बन कॉम्प्लेक्स, हरियाणा& 131029	03.05.2013	http://www.srmuniveristy.ac.in
	हिमाचल प्रदेश		
63	अभिलाषी विश्वविद्यालय, पैजनौल (नालागढ़), जिला सण्डी, हिमाचल प्रदेश	23.01.2015	http://www.abhilashiuniversity.in
64	एपीजी (अनुपम प्रकाश गोयल) विश्वविद्यालय, ग्राम पुजारली, शोघ सेंहुली बॉय पास रोड धौलाधारी के निकट, शिमला, हिमाचल प्रदेश&176401	07.06.2012	http://www.apg.edu.in
65	अरनी विश्वविद्यालय, काठिरड़, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)	03.11.2009	http://www.arni.in
66	बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एण्ड टैक्नोलॉजी, सर्वानुसारनगर, बद्दी, जिला & सोलन हिमाचल प्रदेश&173205	15.10.2009	http://www.baddiuniv.ac.in
67	बहरा विश्वविद्यालय, वीपीओ & वाकनाघाट, तहसील & कंडाघाट, जिला & सोलन, हिमाचल प्रदेश&173215	21.01.2011	http://www.bahrauniversity.edu.in
68	कॉर्पियूस यूनिवर्सिटी, सुसीरपुर, हिमाचल प्रदेश&176041	03.05.2012	http://www.cpuniverse.in
69	चितकारा विश्वविद्यालय, एचआईएसयूडीए एजुकेशन हब, कंसलूजनाडा (बरोटीवाला), जिला सोलन & 174103	21.01.2009	http://www.chitkara.edu.in
70	एटरनल विश्वविद्यालय, बारू साहिब जिला सिरमौर, पिन&173101, हिमाचल प्रदेश	22.10.2009	http://www.eternaluniversity.edu.in
71	आईईसी (इंडिया एजुकेशन सैंटर) यूनिवर्सिटी, प्लॉट न: 7 से 10 अटल शिक्षा कुंज, जिला बद्दी, सोलन, हिमाचल प्रदेश	11.05.2012	http://www.iecuniversity.com
72	आईसीएफआई, यूनिवर्सिटी, एचआईएसयूडीए एजुकेशन हब, कंसलूजिहिवा, वीपीओ बंधाला, बारा बारोटीवाला, बद्दी, जिला & सोलन, हिमाचल प्रदेश & 174103	20.10.2011	http://www.iuhimachal.edu.in
73	इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वी.पी.ओ: बाथू, तहसील बुरोली, जिला कैथा, हिमाचल प्रदेश& 174301	01.02.2010	http://www.iiuedu.in
74	जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इन्फोर्मेशन टैक्नोलॉजी, पोस्ट वाकनाघाट, तहसील कंडाघाट जिला सोलन & 173215	22.05.2002	http://www. uit.ac.in
75	महर्षि मारकंडेश्वर यूनिवर्सिटी, कुमारहट्टी, सुल्तानपुर रोड, सोलन & 173229, हिमाचल प्रदेश	19.09.2010	http://www.mmusolan.org
76	महाराणा अप्रसेन विश्वविद्यालय, अटल शिक्षा कुंज, जिला & सोलन & 174103, हिमाचल प्रदेश	15.01.2013	http://www.mau.ac.in
77	मानव भारती विश्वविद्यालय, भाखी, सुल्तानपुर, कुमारहट्टी सोलन, हिमाचल प्रदेश&173229	22.09.2009	http://www.manavbhartiuniversity.edu.in
78	शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉयोटैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट साइंसेज, सोलन, हिमाचल प्रदेश	15.10.2009	http://www.shooliniuniversity.com
79	श्री साईं विश्वविद्यालय, नालसपुर, हिमाचल प्रदेश	27.01.2011	http://www.srisaiuniversity.org
	झारखंड		
80	झारखंड राय विश्वविद्यालय, कांसर रातू रोड, राँची, झारखंड&835222	02.02.2012	http://www. ru.edu.in
81	साईं नाथ विश्वविद्यालय, राँची, झारखंड	27.04.2012	http://www.sainathuniversity.com
82	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फिनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, प्लॉट एसआरई डिविजन, सार्स संख्या 1 और 2 के बीच में, अशोक नगर, राँची & 834202, झारखंड	17.06.2008	http://www.iu harkhand.edu.in
	कर्नाटक		
83	अलॉयन्स यूनिवर्सिटी, बंगलूरू, (कर्नाटक)	16.09.2010	http://www.alliance.edu.in
84	अजीज प्रेमजी, यूनिवर्सिटी, 134, सोमकंसेंड्रा, विप्रो कॉर्पोरेट ऑफिस के बाद, सर्जापुर रोड बैंगलूरू, कर्नाटक	13.10.2010	http://www.a imprem iuniversity.edu.in
85	सीएमआर विश्वविद्यालय, 2, तीमंजा, 'सी' पोस्ट ऐश रोड, द्वितीय ब्लॉक] बीआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बंगलूरू& 560043, कर्नाटक	16.05.2013	http://www.cmr.edu.in
86	दयानंद सागर विश्वविद्यालय, देवरा[बासनेली ग्राम, हरोहल्लाहोबली, कनकपुरा तालुक, रामनगर जिला, कर्नाटक	16.05.2014	http://www.dayanandsagar.edu.in

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
87	इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांस&डिसीप्लीनरी, हैल्थ साइंस एण्ड टेक्नोलोजी, 74@2, जाकरबंद कॉलज, रेवनाहांका, बारा अंदूर पोस्ट, बंगलूरू&560064, कर्नाटक	26.06.2013	
88	केएलई टेक्नोलाजिकल यूनिवर्सिटी, वी0वी0 भूमरड्डी कॉलेज कैम्पस, विद्यानगर, हुबली&580031, कर्नाटक	04.04.2015	
89	एस0एम0 रुईया यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाईड साइंस, प्रशासनिक ब्लॉक, साई बेज रोड, एसएसआरआईटी पोस्ट, बंगलूरू&560054, कर्नाटक	09.07.2013	http://www.msruas.ac.in
90	पीईएस यूनिवर्सिटी, मी ऐपर रिंग रोड, बीएमके ईस्टेज, बंगलूरू&560085, (कर्नाटक)	16.05.2013	http://www.pes.edu
91	प्रेजीडेन्सी विश्वविद्यालय (कर्नाटक)] डिब्रूर एवं ईस्टर्नपुर ग्राम, हेसारघाट होबली, बंगलूरू (कर्नाटक)	16.05.2013	http://www. presidencyuniversity.in
92	रायं प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, डीडीबालापुरं, चीकबंगलूरा रोड, एसएच&74, ऑफ हाईवे 207, डीडीबालापुरं तालुक, बंगलूरू& 561204, कर्नाटक	09.07.2013	raitechnologyuniversity.in
93	रीवा विश्वविद्यालय, करंदीरेसहल्ली, रेवनहातका, बंगलूरू& 560064	16.05.2013	http://www.reva.edu.in
94	श्रीनिवास यूनिवर्सिटी, श्रीनिवास ग्रूप ऑफ कॉलेज कैम्पस, श्रीनिवास नगरं, सुरथकल, मुंगेथाकट्टे, मंगलोरं&574146	20.02.2015	
	मेघालय		
95	सी.एम.जे. विश्वविद्यालय, शिलांग (मेघालय)	20.07.2009	http://www.cm university. edu.in
96	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, पी.ओ. एरियालाइन, टेक्नीकलरे, टूरा, वेस्ट गारो हिल्स, मेघालय	04.01.2011	http://www.mgu.edu.in
97	मारिंन जूथेरं क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, के.आई.पी.ए. कॉम्प्लेक्स कैंपरं, मेन्ट्रल गार्ड, शिलांग & 793001	13.07.2005	http://www.mlcuniv.in
98	टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, अमीता कैंमल बिष्णुपुरं, लॉगोहपेत रोड़ शिलांग & 793004	02.12.2008	http://www. technoglobaluniversity.org
99	द इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनीयरिंग एण्डटेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, डांगमेन डांगथेरं अमरावती होस्टल, मंगलुरं रोड़, टूरा, वेस्ट गारो हिल्स (मेघालय) & 794001	04.11.2009	http://www.iumeghalaya.edu. in
100	यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मेघालय&793101	02.12.2008	http://www.ustm.ac.in
101	यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेनेजमेंट, शिलांग, मेघालय	27.05.2011	http://www.utm.ac.in
102	विलियम कैरे विश्वविद्यालय, जोराब विलेज, लॉगोहपेत रोड़, शिलांग & 793001, मेघालय	13.07.2005	http://www.wcu.co.in
	मिजोरंम		
103	द इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनीयरिंग एण्डटेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी मुलार्त लांथे, डार्लरपुलांग, आइजॉल & 796012, मिजोरंम	21.03.2006	http://www.iumi oram.edu.in
	मध्य प्रदेश		
104	ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश&485001	31.12.2011	http://www.aksuniversity.ac.in
105	एआईएसईसीटी विश्वविद्यालय, भोपाल & विलक्षणोड रोड़, सिरपुरं बंगरसिया हौरावाड़ा, भोपाल, मध्य प्रदेश	30.12.2010	http://www.aisectuniversity. ac.in
106	एमिटी विश्वविद्यालय, महाराजपुरं कैंप, ग्वालियरं, मध्य प्रदेश&474005	30.12.2010	http://www.amity.edu/gwalior
107	आईटीएस विश्वविद्यालय, आईटीएस कैम्पस, सिंधोली रेलवे स्टेशन के सामने एनएच&75, झांसी रोड़, ग्वालियरं & 474001, मध्य प्रदेश	04.05.2011	http://www.itmuniversity.ac.in
108	लालबंगा लेकसिटी विश्वविद्यालय, ग्राम पंचायत सुआलिया खांप, तहसील हुजूरं, भोपाल& 462044, मध्य प्रदेश	24.04.2013	http://www. lu.edu.in
109	जेपी अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एबी रोड़, रघोगढ़, जिला गुना&473226 (मध्य प्रदेश)	13.08.2010	http://www. uet.ac.in
110	एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, जेके टाऊनशिप, सर्वधर्म सी सेक्टर, कोलारं रोड़, भोपाल&462042 मध्य प्रदेश	08.01.2015	
111	महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुरं&482001	29.11.1995	http://www.mmyvv.com
112	मंदसौरं विश्वविद्यालय, रेवास नेवाड़ा रोड़ एमएच&31, मंदसौरं&458001, मध्य प्रदेश (सिटी विश्वविद्यालय)	19.08.2015	
113	मेपी&कौम्प्स यूनिवर्सिटी, ए0बी0 रोड़, पिपल्याहनं, राऊ, इंदौरं&453331, मध्य प्रदेश	22.07.2015	
114	ओरियन्टल यूनिवर्सिटी, रेवती रेंज सेक्टर एच 1 के सामने, सांवरं रोड़, पोस्ट बॉक्स 3111, विजय नगरं डाक घरं, इंदौरं&452010, मध्य प्रदेश	04.05.2011	www.orientaluniversity.in
115	पीपल्स यूनिवर्सिटी, भानपुरं, भोपाल & 462037	04.05.2011	http://www.peopleuniversity. edu.in

क्र.सं	राज्य@विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
116	श्रीके यूनिवर्सिटी] ग्राम धोलाखेड़ा] तहसील&खेड़ा] ज़िला0&27] शिवपुरी] जिला& शिवपुरी&473551] मध्य प्रदेश	19.08.2015	
117	आरकेडीएफ विश्वविद्यालय] बाई&पास रोड] विरास आरकेडीएफ कैम्पस] भोपाल] मध्य प्रदेश	19.07.2011	http://www.rkdf.ac.in
118	सर्वभाषा त्रिपाठी विश्वविद्यालय] ज़ि0ज़ा0&12] होशंगाबाद रोड] पार्वतीपुरी] भोपाल] मध्य प्रदेश	08.01.2015	http://www.srku.edu.in
119	श्री सत्य साई प्रौद्योगिकी तथा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय] भोपाल&इंदौर रोड] पनाला ऑपरा हिल्स के सामने] पनाला] मेहगांव&466001] मध्यप्रदेश	12.02.2014	http://www.ssutms.co.in
120	स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय] सागर] मध्य प्रदेश	31.12.2011	http://www.svnuniversity.ac.in
121	टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय] ग्लोबी रोड] सिद्धौरा (शोभापुरा के निकट) ज़िला& विदिशा] मध्य प्रदेश&464228	09.01.2013	http://www.technoglobaluniversity.com
	महाराष्ट्र		
122	अमीटी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी] ज्ञानगंगा नगर] वाया लोहेगांव] पुणे& 412105] महाराष्ट्र	25.02.2015	
123	एमिटी यूनिवर्सिटी] मुंबई&पुणे एक्सप्रेसवे] मानपा] पोस्ट&सोमाथने] पनवेल] मुंबई] महाराष्ट्र&410206	25.07.2014	http://www.amity.edu/mumbai
124	फ्लेम यूनिवर्सिटी] प्लॉट न0 1270] ग्राम लोहगाव] तालुक मुल्शी] पुणे&411042	13.02.2015	
125	एसआईटी आर्म्स डिफेंसिव एण्ड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी] राजगढ़] हवालदार लोणी कालभोर से आगे] पुणे&412201] महाराष्ट्र	13.10.2015	
126	एमआईटी एडेक्वेट यूनिवर्सिटी] औंध रोड] सावित्रीबाई] पोस्ट] पुणे&411004] महाराष्ट्र	25.07.2014	
	मणिपुर		
127	संत्राई इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय] इरालपाट] मणिपुर	05.05.2015	
	नागालैण्ड		
128	द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी] चोखा & 797111] नागालैण्ड	18.09.2006	http://www.nagaland.net.in
129	द इंडियन्यूट ऑफ हार्टिकल्चरल एनालिटिक्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी] सुपुर सार्कल कार्यालय के पीछे] विरा सीजीएस] डीएमएसएस ऑफिस] दीमापुर & 797112] नागालैण्ड	04.11.2009	http://www.iunagaland.edu.in
	ओड़ीशा		
130	सेंचूरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट] विजैन आमूरी नगर] वाया सत्यानंदी] भुवनेश्वर&खुर्दा & 761221 प्रजापति] ओड़ीशा	27.08.2010	http://www.cutm.ac.in
131	श्री श्री यूनिवर्सिटी] पुरुषोत्तमपुर] ओड़ीशा	26.12.2009	http://www.srisriuniversity.edu.in
132	जेविएर विश्वविद्यालय] जेविएर स्क्वेयर] भुवनेश्वर] ओड़ीशा	13.05.2013	http://www.ximbac.in
	पंजाब		
133	आदेश विश्वविद्यालय] ज़ि0ज़ा0&7] बरनाला रोड] भटिंडा] पंजाब	10.07.2012	http://www.adeshuniversity.ac.in
134	अलीगढ़ विश्वविद्यालय] तलवंडी साबो&151302] जिला भटिंडा] पंजाब	04.06.2015	
135	चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय] घारुवाल] लोहाली & 140413] पंजाब	10.07.2012	http://www.chandigarhuniversity.ac.in
136	चितकारा यूनिवर्सिटी] चण्डीगढ़&पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग] (ज़ि0ज़ा0&64)] ग्राम & झांसला] तहसील राजपुरा] जिला पटियाला] पंजाब & 140401	07.12.2010	http://www.chitkara.edu.in
137	डी.ए.वी. यूनिवर्सिटी] जालंधर&कपूरथला राष्ट्रीय राजमार्ग& 44] ग्राम] सरवलपुर] जालंधर] पंजाब	18.02.2013	http://www.@davuniversity.org
138	देश भगत विश्वविद्यालय] अमलोह] अमलोह रोड] मण्डी गोबिंदगढ़] पंजाब	18.02.2013	http://www.deshbhagatuniversity.in
139	जीएनए युनिवर्सिटी] ग्राम&श्री हरगोबिंदपुर] एत्रवाड़ी] जिला गुरदासपुर&144401] पंजाब	21.08.2014	http://www.gna.edu.in
140	गुरु काशी यूनिवर्सिटी] तलवंडी साबो] जिला & भटिंडा] पंजाब	26.12.2011	http://www.gurukashiuniversity.in
141	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी] जालंधर&फगवाड़ा जी.टी. रोड] विरा हेवुरु रेलवे ब्रिज] एत्रवाड़ी] जिला & कपूरथला] पंजाब & 144002	26.12.2005	http://www.lpu.in
142	रायात बहारा युनिवर्सिटी] ग्राम एवं डाकघर&मोहाली] तहसील&खरड़] जिला&मोहाली] पंजाब&140105	13.08.2014	http://www.rayatbahrauniversity.edu.in
143	आरआईएसटी विश्वविद्यालय] ग्लोबल हेल्थ के सामने] सिंघपुरा मोड़] मण्डी गोबिंदगढ़&147301] पंजाब	08.12.2015	
144	संत बाबा भाग सिंह युनिवर्सिटी] ग्राम&खियाला] डाकघर&पंदियाला] जिला जालंधर&144030] पंजाब	12.02.2015	http://www.sbbs.edu.in

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
145	श्री गुरू ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, श्री फतेहगढ़ साहिब, फतेहगढ़ साहिब & 140406, पंजाब	15.05.2008	http://www.sggswu.org
	राजस्थान		
146	एमिटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान, एमएच&11सी, कॉल्स कोलवार, जयपुर & 303002	29.03.2008	http://www.amity.edu/ aipur
147	भगवन्त विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स सं. 87, सीकर रोड, अजमेर & 305001	16.04.2008	http://www. bhagwantuniversity.com
148	कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, कोटा, राजस्थान	02.05.2012	http://www.cpur.in
149	डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, प्लॉट&1, आरआईआईसीओ इंडस्ट्रियल एरिया, फेस&2, लेवाई, जिला टोंक, राजस्थान & 304021	22.04.2010	http://www.dknmu.org
150	गीतांजलि विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	25.01.2011	http://www. geetan aliuniversity.com
151	होम्योपैथी यूनिवर्सिटी, जयपुर, सांगानेर, जयपुर & 302029, राजस्थान	03.04.2010	http://www. homoeopathyuniversity.org
152	आईसीएफएआई, विश्वविद्यालय, खेमरा सं. 505@1, ग्राम जामडोली, आगरा रोड, जयपुर & 302031, राजस्थान	23.08.2011	http://www.iu aipur.edu.in
153	आईआईएचएमआर युनिवर्सिटी, 1, मुहाना मुख्य मार्ग, सांगानेर विद्याधरपुरा के निकट, जयपुर&302029, राजस्थान	26.02.2014	http://www.iihmr.edu.in
154	ईसीएमआरसी विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	02.05.2012	http://www. ecrcuniversity. edu.in
155	के.एल. लक्ष्मीपति विश्वविद्यालय, झाजिरिया का बास, पी.ओ. सहापुरा, अजमेर रोड, जयपुर & 302026, राजस्थान	15.09.2011	http://www. klu.edu.in
156	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, ग्राम रामपुरा, तहसील झाकमं, जयपुर	16.04.2008	http://www. agannathuniversity.org
157	जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जगतपुरा, जयपुर	21.10.2007	http://www. nu aipur.ac.in
158	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, सेवन्त हेरिटेज वैली, ग्राम झरना सहारणा, जसवेर, लिंक रोड, एनएच&8, जयपुर&303007	21.04.2008	http://www. vwomensuniv. com
159	जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नारनादी झांवर रोड, जोधपुर & 342001	11.08.2008	http://www. odhpurnationaluniversity.com
160	माधव विश्वविद्यालय, माधव हिल्स, बलारस ब्रिज टोंल के सामने, पी0ओ0&14, ग्राम&बावा@मुकेला, पंचायत समिति&आबूरोड, तहसील&पिंडवाड़ा, अबु रोड, जिला & सिरोही, राजस्थान&307026	04.03.2014	http://www.madhavuniversity.edu.in
161	महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान	21.03.2012	http://www.mvgu.ac.in
162	महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय, कुंवारा रामसर, बिंदायका औद्योगिक क्षेत्र के समीप, जयपुर&3020012, राजस्थान	05.10.2015	
163	महात्मा गांधी मेडीकल साईंस एण्ड टैक्नोलॉजी, आरआईआईसीओ इंडस्ट्रीएरियल एरिया, सीतापुरा, टोंक रोड, जयपुर&302022	15.09.2011	http://www. .
164	महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, एसी&2 और 3, कॉल्स कोलवार, आरआईआईसीओ इंडस्ट्रीएरियल एरिया, नाला रोड, एनएच&1, आदर्शनगर, जयपुर	03.02.2009	http://www.m rpuniversity. com
165	मणीपाल विश्वविद्यालय, जयपुर-अजमेर एक्सप्रेसवे, पोस्ट शिकारा, जयपुर & 302026, राजस्थान	15.09.2011	http://www. aipur.manipal.edu
166	मौलाना आजाद युनिवर्सिटी, ग्राम& बुचावाड़ा, तहसील&जुवी, जोधपुर&342802, राजस्थान	16.09.2013	http://www.mau .ac.in
167	मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़, राजस्थान	22.09.2008	http://www.mewaruniversity.org
168	एनआईआईटी विश्वविद्यालय, नीमराना, राजस्थान	03.04.2010	http://www.niituniversity.in
169	एनआईएमएस विश्वविद्यालय, शोभानगर, जयपुर & 303001	29.03.2008	http://www.nimsuniversity.org
170	ओपीजेएस विश्वविद्यालय, राजगढ़, कुंजीला, तहसील&राजगढ़, जिला&चूरू, राजस्थान	16.09.2013	http://www.op suniversity. edu.in
171	पेसेफिक अकादमी ऑफ हॉयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी (पी.ए.एच.ई.आर.) पेसेफिक हिल्स, एयरपोर्ट रोड, प्रतापनगर एक्सटेंशन, उदयपुर & 313003	29.04.2010	http://www.pacific-university.ac.in
172	पेसेफिक मेडीकल युनिवर्सिटी, विलोकाबेडला, बाईपास, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, उदयपुर, राजस्थान	04.03.2014	http://www. pacificmedicaluniversity.ac.in
173	पूर्णिमा विश्वविद्यालय, रामचन्द्रपुरा, सीतापुरा एक्सटेंशन, जयपुर, राजस्थान	16.05.2012	http://www.poornima.edu.in
174	प्रताप विश्वविद्यालय, सुन्दरपुरा, (झांझावाटी) आमेर&दिल्ली&मुंबई हाईवे, जयपुर, राजस्थान	15.09.2011	http://www.pratapuniversity.in
175	राफ्लेस्स विश्वविद्यालय, दौपतीज गेट, राष्ट्रीय राजमार्ग & 8, नीमराना & 201705, राजस्थान	27.03.2011	http://www.rafflesunivrsity.,edu.in

क्र.सं	राज्य@विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
176	आर.एन.बी. ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आर.एन.बी. ग्लोबल सिटी, जयपुर-अजमेर रोड, बी.के.मोदी नगर-334601, राजस्थान	27.04.2015	
177	संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा, राजस्थान	02.05.2012	http://www.sangamuniversity.ac.in
178	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, झुंझुनूं, चिड़ावा & झुंझुनूं-333001 राजस्थान	03.02.2009	http://www. tu.ac.in
179	श्रीधर विश्वविद्यालय, पिलानी, पिलानी-झुंझुनू रोड, पिलानी, राजस्थान & 333031	03.04.2010	http://www.shridharuniversity.ac.in
180	सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरीबारी, झुंझुनू, राजस्थान-333515	29.03.2008	http://www.singhaniauniversity.co.in
181	सरदार पटेल संस्कृत सिंघानिया विश्वविद्यालय, पतेवार, जयपुर & 313601	29.03.2008	http://www.spsu.ac.in
182	सनराईज विश्वविद्यालय, डाबड़े, राजपूत, तहसील & राजगढ़, अलवर, राजस्थान	22.09.2011	http://www.sunrise.ac.in
183	गुरुदेव ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, सहज जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान & 302017	21.04.2008	http://www.gyanvihar.org
184	तांतिया विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ रोड, श्री गंगानगर-335002, राजस्थान	16.09.2013	http://www.tantiauniversity.com
185	यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट, जयपुर, राजस्थान	21.03.2012	http://www.uem.edu.in
186	विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सेक्टर 36, एनआरआई रोड, सीमारावासा, जगतपुरा, जयपुर & 3030012, राजस्थान	02.05.2012	http://www.vgu.ac.in
	सिक्किम		
187	इंस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनीवर्सिटी (ईआईआईएलएम) 8 माइल, सामदूर, रुमतेक, पश्चिमी सिक्किम-737121	24.03.2006	http://www.eiilmuniversity.ac.in
188	श्री रामास्वामी मेमोरियल यूनिवर्सिटी, चौथा माईल, तमनिव, रामापुरम पीओ, नंगलपोक, सिक्किम-737102	16.01.2014	http://www.srmus.ac.in
189	सिक्किम-मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ मेडिकल एण्ड पैरामेडिकल साइंसेज, गंगटोक & 737101	11.10.1995	http://www.smu.edu.in
190	द इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसडिसिप्लिनरी एनालिटिक्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आई.टी.एफ.ए.आई.), रुमटेक रोड, पोस्ट बॉक्स नं. 4, गंगटोक सिक्किम-737101	04.10.2004	http://www.iusikkim.edu.in
191	विवेकानंद विशेष सिक्किम यूनिवर्सिटी, डाक घर नं0 438, एन-312, संग्रह कॉलेज रोड, सिविल तमनिव, पी0ओ0 तारामाओरा, तमनिव, पूर्वी सिक्किम & 737102	30.07.2008	http://www.vmsu.in
	त्रिपुरा		
192	इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसडिसिप्लिनरी एनालिटिक्स ऑफ इंडिया (आईसीएफएआई) पोस्ट कमलपुर अगरतला, सिपहा रोड, सोनमुरा-799210 त्रिपुरा	31.03.2004	http://www.iutripura.edu.in
	उत्तर प्रदेश		
193	एमिटी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, औरासबुद्धे नगर, उत्तर प्रदेश	24.03.2005	http://www.amity.edu
194	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, 55 बाबू बनारसी दास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	12.10.2010	http://www.bbdu.org
195	जी.एल.ए. विश्वविद्यालय, 17 वां माइल एनएच-2, दिल्ली मथुरा रोड, डाकघर चौमुहान, मथुरा, (उत्तर प्रदेश)-281406	01.09.2010	http://www.gla.ac.in
196	गलगोटिया विश्वविद्यालय, प्लॉट नं. 2 सेक्टर-17 ए, ग्रेटर नोएडा & 201306, उत्तर प्रदेश	07.04.2011	http://www.galgotiauniversity.edu.in
197	आई.एफ.टी.एस. विश्वविद्यालय, मोतीपुर, राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद & 244102, उत्तर प्रदेश	12.10.2010	http://www.iftmuniversity.ac.in
198	इंटीग्रल विश्वविद्यालय, कुर्सी रोड, लखनऊ & 226026 (उत्तर प्रदेश)*	26.02.2004	http://www.integraluniversity.ac.in
199	इनवर्टिस विश्वविद्यालय, इनवर्टिस गांव, बरेली-लखनऊ सेक्शन हाईवे-24, बरेली & 243123 (उत्तर प्रदेश)	01.09.2010	http://www.invertisuniversity.ac.in
200	जगतगुरु रामभद्राचार्य हैण्डीकैप्ड यूनिवर्सिटी, चित्रकूट धाम & 210204 (उ0प्र0)*	06.10.2001	http://www. rhu.com
201	जेपी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ रोड, अनूप शहर, जिला बुलंदशहर-203390, उत्तर प्रदेश	04.03.2014	http://www. aypeeu.ac.in
202	जेएस विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	24.06.2015	

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
203	मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202145	30.10.2006	http://www.mangalayatan.in
204	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, महर्षि कार्यविद्या मंदिर एवं विश्वविद्यालय परिसर, सीतापुर रोड, पोस्ट बिजौरिया, लखनऊ-226020, उत्तर प्रदेश	24.09.2013	http://www.muit.in
205	सोहद्दिया अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर, उत्तर प्रदेश	19.06.2006	http://www. auharuniversity.org
206	मोनाद विश्वविद्यालय, कासमाबाद, पीओ-पिलखुआ, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश	12.10.2010	http://www.monad.edu.in
207	नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, प्लॉट सं. 1, सेक्टर-17ए, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	12.10.2010	http://www.niu.ac.in
208	रामा विश्वविद्यालय, रामा सिटी, सी0टी0 रोड, सरैया, कानपुर-209217, उत्तर प्रदेश	10.01.2014	http://www.ramauniversity.ac.in
209	शारदा यूनिवर्सिटी, प्लॉट न0 32&34, नालेज पार्क 3, सेक्टर नोएडा-201306, उत्तर प्रदेश	24.03.2009	http://www.sharda.ac.in
210	शिव नाडर यूनिवर्सिटी, दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	06.04.2011	http://www.snu.edu.in
211	शोभित विश्वविद्यालय, आदर्श इंस्टीट्यूशनल एरिया, बाबू विजेन्द्र सिंह, रंजोहु, जिला-सहारनपुर-247341, (उत्तर प्रदेश)	05.07.2012	http://www.shobituniversity.ac.in
212	श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, दुधवाखेड़ी, देवा-लखनऊ बाईपास रोड, देवरिया, उत्तर प्रदेश	04.07.2012	http://www.srmu.ac.in
213	श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, यू0पी0-24, राजाखापुर, अजरौला, जे.पी. नगर, उत्तर प्रदेश	12.10.2010	http://www.svu.edu.in
214	स्वामी विवेकानन्द सुभारती यूनिवर्सिटी, दिल्ली-हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250005	05.09.2008	http://www.subharti.org
215	तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, यू0पी0-24 दिल्ली रोड, मुरादाबाद-244001	05.09.2008	http://www.tmu.ac.in
216	दि ग्लोकल यूनिवर्सिटी, अली अकबरपुर, सिलाकपुर पोस्ट, सहारनपुर & देहरादून, सहारनपुर & 247001, उत्तर प्रदेश	05.07.2012	http://www.glocaluniversity.edu.in
	उत्तराखण्ड		
217	देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शांतिकुंज, शक्तिकुंज, हरिद्वार & 249411	22.01.2002	http://www.dsvv.ac.in
218	डीआईटी विश्वविद्यालय, सहस्त्रधारा डाइवर्जन रोड, देहरादून & 248009, उत्तराखण्ड	15.02.2013	http://www.dituniversity.edu.in
219	ग्राफिक एरा गढ़वाल विश्वविद्यालय, 600, बेल रोड, क्लेमेंटटाउन, देहरादून & 248002, उत्तराखण्ड	28.04.2011	http://www.gehu.ac.in
220	हिमगिरी जी विश्वविद्यालय, शीशमझाड़ी, पीओ-शेरगुई, वाया शहनशपुर, देहरादून & 248197 उत्तराखण्ड	11.07.2003	http://www. himgiri eeuniversity.edu.in
221	आईएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी, सालेकवाला ग्रीन्स, सहस्त्रधारा डाइवर्जन रोड, देहरादून & 248009, उत्तराखण्ड	15.02.2013	http://www.iuu.ac
222	इंस्टीट्यूट ऑफ हाईटेक मोडालिटीस एसोसिएटेड ऑफ इंडिया (आई.सी.एच.ए.आई.), राजावाला रोड, मैट्रेक्स कोर कैम्पस, मैलावली, देहरादून & 248197, उत्तराखण्ड	10.07.2003	http://www.iuuttarakhand.edu.in
223	मदरहुड विश्वविद्यालय, आस-कांरोंदी, पोस्ट-आसवानपुर, रूड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड	19.01.2015	http://www. motherhooduniversity.edu.in/
224	स्वामी रामा हिमालय विश्वविद्यालय, स्वामी राम नगर, जौली ग्रांट, डोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड	12.03.2013	http://www.srhuedu.in
225	पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार	05.04.2006	http://www. universityofpatan ali.com
226	यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी स्टडीज, डिमापुरी कैम्पस, एनर्जी एकर्स, पोस्ट बिधोली, देहरादून & 284006	10.07.2003	http://www.upes.ac.in
227	उत्तरांचल विश्वविद्यालय, अरंघाडिया ग्रांट, डोईवाला बायपास, प्रेमनगर, देहरादून-248007, उत्तराखण्ड	15.02.2013	http://www. uttranchaluniversity.ac.in
	पश्चिम बंगाल		
228	एडमेसस यूनिवर्सिटी, बारासात, बारासात-बादुरिया रोड, बारुईपारिया, पीओ जगन्नाथपुर, थाना बारासात, कोलकाता-700126, पश्चिम बंगाल	11.04.2014	http://www.au.edu.et

क्र.सं	राज्य@विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
229	एमिटी विश्वविद्यालय, राजारहाट, न्यू टाऊन, जिला उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल	21.01.2015	http://www.amity.edu/kolkata/
230	ब्रेनवेयर विश्वविद्यालय, 398 रासबिहारी मुख्य रोड, कोलकाता&700124	24.02.2016	http://www. brainwareuniversity.ac.in/
231	आईएस यूनिवर्सिटी, अमरुदबागान, जिला उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल	03.02.2015	http://www. isuniversity.ac.in
232	सीकॉम स्किल्स यूनिवर्सिटी, ग्राम कोलाडांगा, डाकघर&सातोर, थाना&पांचरुखी, जिला&बीरभूम&731236, पश्चिम बंगाल		http://www. seacomskillsuniversity.ore
233	टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, ईएम&4, सेक्टर&वी, सॉल्ट लेक, कोलकाता&700091, पश्चिम बंगाल	16.08.2012	https://www. technoindiauniversity.ac.in
234	द विरोनिया यूनिवर्सिटी, जिरात मरिसा, डीएच रोड, जिला 24 परगना(द0), पश्चिम बंगाल&740068	03.02.2015	
235	यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट, युनिवर्सिटी एरिया, प्लॉट सेक्टर &वी@5, सेक्ट आर्टिरियल रोड(पूर्व&पश्चिम), न्यू टाऊन एक्शन एरिया&III, कोलकाता&700156, पश्चिम बंगाल	03.02.2015	http://www.uem.edu.in

तालिका 2.1(घ) (iv) : दिसंबर 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार राज्य विधान अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संस्थान

क्र.सं	राज्य@विश्वविद्यालय	स्थापना@सार्वजनिक प्रावधान करने का वर्ष	वेबसाइट
	बिहार		
1	इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1992	www.igims.org
	जम्मू और कश्मीर		
2	शेर&कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1990	http://www.skmis. nic.in
	छत्तीसगढ़ प्रदेश		
3	संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1983	http://www.sgpgi.ac.in

तालिका 2.1(घ)( ): दिसंबर 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार मान विश्वविद्यालय संस्थानों की सूची
(* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत संस्थागत)

क्र.सं:	राज्य विश्वविद्यालय	मान विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किए जाने की तिथि	वेबसाइट
	आंध्र प्रदेश		
1	गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट (जी.आई.टी.ए.एम.), गाँधी नगर, डेरिंगबो, विशाखापत्तनम&530045, आंध्र प्रदेश*	13.08.2007	http://www.gitam.edu
2	कोनेरु लक्ष्मैया एजूकेशन फाउंडेशन, ग्रीन फील्डस, कुचावारीपेटा गोस्पद वाडेश्वरम्, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश&522002	20.02.2009	http://www.kluniversity.edu. in
3	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति&517507, आंध्र प्रदेश	16.11.1987	http://www.rsvidyapeetha. ac.in
4	श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर कल्चर, प्रशांतिविलयम&515134, जिला अनंतापुर, आंध्र प्रदेश	10.11.1981	http://www.sssihl.edu.in
5	विग्नानम् फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च, वाडलामुडी, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश&522313	19.12.2008	http://www.vignanuniversity. org
	अरुणाचल प्रदेश		
6	नार्थ इस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, निरजुली, ईटानगर, जिला&पापुम पारे&791109, अरुणाचल प्रदेश	31.05.2005	http://www.nerist.ac.in
	बिहार		
7	नव नालंदा महाविहार, नालंदा&803111 (बिहार)	13.11.2006	http://www. navanalandamahavihara.org

क्र.सं.	राज्य विश्वविद्यालय	संस्थ विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किए जाने की तिथि	वेबसाइट
	गुजरात		
8	गुजरात विद्यापीठ, डाकघर, तवरीवाव, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद-380014, गुजरात	16.07.1963	http://www.gu aratvidyapith.ac.in
9	सुमनदीप विद्यापीठ, ग्राम पिपरिया, तालुक वाघोडिया, जिला वडोदरा], गुजरात	17.01.2007	http://www.sumandeepuniversity.co.in
	हरियाणा		
10	लिंगाया यूनिवर्सिटी, नाहरौली, पुराना फरीदाबाद-जयपुर रोड, फरीदाबाद-121002, हरियाणा	05.01.2009	http://www.lingayasuniversity.edu.in
11	महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, मुलाना, अम्बाला, हरियाणा	12.06.2007	http://www.mmumullana.org
12	मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद, हरियाणा	21.10.2008	http://www.mriu.edu.in
13	नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर, कुंजपॉक, हरियाणा-122050	20.05.2002	http://www.nbrc.ac.in
14	नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल-132001, हरियाणा	28.03.1989	http://www.ndri.res.in
15	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रिनियोरशिप एण्ड मेनेजमेंट (एनआईएफटीईएम) प्लॉट संख्या 97, सेक्टर 56, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, कुंडली, जिला सोनीपत, हरियाणा	08.05.2012	http://www.niftem.ac.in
	झारखंड		
16	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, राँची-835215, झारखंड	28.08.1986	http://www.bitmesra.ac.in
17	इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद-826004, झारखंड	18.09.1967	http://www.ismdhanbad.ac.in
	जम्मू और कश्मीर		
18	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, चोगलमसर, लेह (लद्दाख), जम्मू और कश्मीर	15.01.2016	http://cibs.ac.in/
	कर्नाटक		
19	बी.एल.डी.ई. विश्वविद्यालय, बीजापुर, कर्नाटक	29.02.2008	http://www.bldeuniversity.ac.in
20	क्रीइस्ट यूनिवर्सिटी, होसूर रोड, बंगलूरू-560029, कर्नाटक	22.07.2008	http://www.christuniversity.in
21	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलूरू-560012, कर्नाटक	12.05.1958	http://www.iisc.ernet.in
22	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, 26/सी, इन्फोसिस (ट्रायं सं0&1) के सामने, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, होसूर रोड, बंगलूरू-560100, कर्नाटक	28.02.2005	http://www.iiitb.ac.in
23	जगतगुरू श्री शिवरात्रीश्वरा यूनिवर्सिटी, जगतगुरू डॉ0 श्री शिवरात्रीरा राजेन्द्र मरकुल, रामानुजा रोड, मैसूरू & 570004, कर्नाटक	28.05.2008	http://www. ssuni.edu.in
24	जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जक्कुर कैम्पस, जक्कुर, बंगलूरू-560064, कर्नाटक	17.08.2002	http://www. ncasr.ac.in
25	जैन यूनिवर्सिटी, जैन ग्लोबल कैम्पस, 45वाँ किo मीo, रा0मा0-209, झाकासांद्रा डाकघर, कनकपुरा तालुक, रामनगर, जिला-562112	19.12.2008	http://www. ainuniversity.ac.in
26	के.एल.ई. अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, जे0एन0 मेडीकल कॉलेज कैम्पस, बेलगाम (कर्नाटक)-590010	13.04.2006	http://www.kleuniversity.edu.in
27	मनीपाल अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन, मनीपाल, उडुपी, मनीपाल-576104, कर्नाटक	01.06.1993	http://www.manipal.edu
28	एन.आई.टी.ई. यूनिवर्सिटी, मंगलूरू -575018, कर्नाटक	04.06.2008	http://www.nitte.edu.in
29	श्री सेवाराम अर्स अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, बीएम रोड, तलाकी, कोलार-563101, कर्नाटक	25.05.2007	http://www.sduu.ac.in
30	श्री सिद्धार्थ अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन, जिला तुमकुरू-572 102, कर्नाटक	30.05.2008	http://www.sahetumkur.ac.in
31	स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान, संख्या-9, अर्कावती, अप्पुगौड़ा, हनुमंतनगर, बंगलूरू-560018, कर्नाटक	08.05.2002	http://www.svyasa.org
32	येनेपोया विश्वविद्यालय, मंगलोर], कर्नाटक	27.02.2008	http://www.yenepoya.edu.morg
	केरल		
33	केरल कलामण्डलम, वल्लाथोल नगर, चेरुथुरुथि -679531, जिला त्रिशूर, केरल*	14.03.2006	http://www.kalamandalam.org
34	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरूअनन्तपुरम, केरल-695547	03.07.2008	http://www.iist.ac.in
	मध्य प्रदेश		
35	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजूकेशन, शक्ति नगर, गवालियर-474002, मध्य प्रदेश	21.09.1995	http://www.lnipe.gov.in

क्र.सं.	डीम्ड विश्वविद्यालय	संस्था विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किए जाने की तिथि	वेबसाइट
	महाराष्ट्र		
36	भारती विद्यापीठ, भारती विद्यापीठ भवन, कात्रज बहुगुरु शास्त्री मार्ग, पुणे&411030, महाराष्ट्र*	26.04.1996	http://www.bvuniversity.edu.in
37	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ़ टिशरीज़ एजूकेशन, टिशरीज़ यूनिवर्सिटी रोड, 7, डंपस्टो, अंधेरी वेस्ट, मुंबई&400061, महाराष्ट्र	27.03.1989	http://www.cife.edu.in
38	डी. वाई. पाटिल एजूकेशनल सोसायटी, ग्रेस डारमार, कोल्हापुर&416006, (महाराष्ट्र)	31.05.2005	http://www.dypatilunikop.org
39	दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज, स्वांगी (मेघे), वर्धा&44004, (महाराष्ट्र)	24.05.2005	http://www.dmimsu.edu.in
40	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे&411006, महाराष्ट्र	05.03.1990	http://www.deccancollegepune.ac.in
41	डॉ0 डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, संत तुकारास नगर, पिंपारी, पुणे&411018, महाराष्ट्र	11.01.2003	http://www.dpu.edu.in
42	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ़ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनॉमिक्स, बीएमसी कॉलेज रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे &411004, महाराष्ट्र	07.05.1993	http://www.gipe.ac.in
43	हेल्थी माता रेसेशन इंस्टीट्यूट, पंजीकृत कार्यालय: कालेज सेलेजसेलर ब्रुग, माता रमाबाई अम्बेडकर रोड, सैक्ट्रल कॉलिंगलेक्स, मुंबई &400085, महाराष्ट्र	03.06.2005	http://www.hbni.ac.in
44	इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ़ डेवलपमेंट रिसर्च, जनरल वैद्य मार्ग, संतोष नगर, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई&400065, महाराष्ट्र	05.12.1995	http://www.igidr.ac.in
45	डिफेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ़ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (इंस्टीट्यूट ऑफ़ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी), गिरीनगर, पुणे&411025, महाराष्ट्र	10.09.1999	http://www.diat.ac.in
46	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फ़ॉर पॉपुलेशन साइंसेज, गोवानी इंडेशन रोड, देवनार, मुंबई&400088, महाराष्ट्र	31.07.1985	http://www.iipsindia.org
47	इंस्टीट्यूट ऑफ़ केमिकल टेक्नोलॉजी, माथुंगा, पारेख मार्ग, मारुंगा, मुंबई महाराष्ट्र&400019	12.09.2008	http://www.ictmumbai.edu.in
48	कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज, मलकापुर, कराड, जिला सतारा&415 (महाराष्ट्र)	24.05.2005	http://www.kimsuniversity.in
49	एम.जी.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ़ हेल्थ साइंसेज, एमजीएम कैम्पस, सेक्टर&18, कामोठे, नवी मुंबई&410209 (महाराष्ट्र)	30-08-2006	http://www.mgmuhs.com
50	नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट स्टडीज, वीएल मेहता रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई&400056, महाराष्ट्र	13.01.2003	http://www.nmims.edu
51	पद्मश्री डॉ0 डी.वाई पाटिल विद्यापीठ, विद्यानगर, सेक्टर&7, नेरूल, नवी मुंबई&400706, महाराष्ट्र	20.06.2002	http://www.dypatil.ac.in
52	प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज, लोनी बुद्रुक, लोनी, डीके&413736, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	29.09.2003	http://www.pravara.com
53	सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, सेनापति बापट रोड, पुणे&411004, महाराष्ट्र	06.05.2002	http://www.symbiosis.ac.in
54	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ण्डामेंटल रिसर्च, मुंबई होमी भाभा रोड, मुंबई&400005, महाराष्ट्र	07.05.2002	http://www.tifr.ac.in
55	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज, वीएल पूर्व मार्ग, देवनार, मुंबई&400088, महाराष्ट्र	29.04.1964	http://www.tiss.edu
56	विश्वकर्मा महाराष्ट्र विद्यापीठ, विद्यापीठ भवन, मुकुंदनगर, पुणे&411037, महाराष्ट्र	28.04.1987	http://www.tmv.edu.in
	ओड़ीशा		
57	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, एटी@पीओ केआईआईटी पाटीया, खुरदा, भुवनेश्वर&751024, ओड़ीशा	26.06.2002	http://www.kiit.ac.in
58	शिक्षा ओ अनुसंधान, भुवनेश्वर, पे&15, भुवनेश्वर&751030, ओड़ीशा	17.07.2007	http://www.soauniversity.ac.in
	पंजाब		
59	संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (एस.एल.आई.ई.टी.), लोंगोवाल, जिला संगरूर&148106, पंजाब	10.04.2007	http://www.sliet.ac.in
60	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, थापर टेक्नोलॉजी कैम्पस, साउथ बाईपास रोड, पटियाला&147004, पंजाब	30.12.1985	http://www.thapar.edu

क्र.सं.	राज्य विश्वविद्यालय	संस विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किए जाने की तिथि	वेबसाइट
	राजस्थान		
61	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली&304022, राजस्थान	25.10.1983	http://www.banasthali.org
62	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, पिलानी&333031, राजस्थान	27.06.1964	http://www.bits-pilani.ac.in
63	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजूकेशन, आदी विद्यालय, सरदार शहर,&331401, जिला चूरू, राजस्थान	25.06.2002	http://www.iaseuniversity.org.in
64	आई.आई.एम. यूनिवर्सिटी, मुरलीपुरा सांगानेर, जयपुर राजस्थान &302020*	02.02.2009	http://www.iisuniv.ac.in
65	जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट, गोपल बाविस तलवार 6, लाडनू, नागौर& 341306, राजस्थान	20.03.1991	http://www. vbi.ac.in
66	जवाहर लाल नहरू राजस्थान विद्यापीठ, प्रतापनहरू सहरपुर&331401, राजस्थान	12.01.1987	http://www. rnrvu.org
67	एल.एन.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्रास&रूपा की सांगरू, गोपल&मुहेल, बारहता कलोटी, जिला&जयपुर&303012 (राजस्थान)	03.02.2006	http://www.lnmiit.ac.in
68	मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एण्ड रिसर्च, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर&332311, (राजस्थान)	20.02.2004	http://www.modyuniversity.ac.in
	तमिलनाडु		
69	अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग, 135 ईस्ट कोस्ट रोड, कोवालम, चेन्नई&600040	21.08.2007	http://www.ametuniv.ac.in
70	अमृत विश्व विद्यापीठम, एतीमाताई गोपल, कोयंबटूर &641105, तमिलनाडु	13.01.2003	http://www.amrita.edu
71	अविनाशिलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन फॉर वीमेन, भारती पार्क रोड, कोयंबटूर&641043, तमिलनाडु	08.06.1988	http://www.avinashilingam.edu
72	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, 173, अन्नदुरई रोड, चेन्नई&600073, तमिलनाडु	04.07.2002	http://www.bharathuniv.com
73	बी.एस. अब्दुर रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, वालाजापुर, चेन्नई, तमिलनाडु	16.12.2008	http://www.bsauniv.ac.in
74	चेन्नई मैथेमेटिकल इंस्टीट्यूट, प्लॉट एच&1, एसआईपीसीओटी आईटी पार्क, पालुर पोस्ट, सिरुरूमेरी&603103, चेन्नई (तमिलनाडु)	15.12.2006	http://www.cmi.ac.in
75	चेतिनाड अकादमी ऑफ रिसर्च एण्ड एजूकेशन (के.ए.आर.ई.), पालुर, केलाम्बक्कम, जिला कांचीपुरम तमिलनाडु.	04.08.2008	http://www.chettinadhealthcity.com
76	ग्रामीण्स रूरल इंस्टीट्यूट, ग्रामीण्स, डिंडीगुल&624302, तमिलनाडु	03.08.1976	http://www.ruraluniv.ac.in
77	हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस (हिंदुस्तान), पालुर, पुरानता महाबलीपुरम रोड, केलंबाक्कम, जिला कांचीपुरम (तमिलनाडु)&603103	05.05.2008	http://www.hindustanuniv.ac.in
78	कलासलिंगम अकादमी ऑफ रिसर्च एण्ड हायर एजूकेशन, आनंद नहर, कृष्णनकोईल, विरुद्धु नहर& 626190, तमिलनाडु श्रीविलिपुत्तूर तमिलनाडु	20.10.2006	http://www.kalasalingam.ac.in
79	करूण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज, करूण्या नहर, कोयंबटूर&641114 (तमिलनाडु)	23.06.2004	http://www.karunya.edu
80	करपगम आकादमी ऑफ हायर एजूकेशन, पोल्लाची सुरंड्य सांगरू, कोयंबटूर तमिलनाडु	25.08.2008	http://www.karpagamuniv.com
81	डॉ0 एमजीआर एजूकेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पेरियार ईवीआर सैलाई (राष्ट्रीय राजमार्ग 4) माधुरावोयल, चेन्नई&600095, तमिलनाडु	21.01.2003	http://www.drmgrdu.ac.in
82	मीनाक्षी अकादमी ऑफ हॉयर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, मंजिरा 12, वेस्टरी अस्पताल कॉलोनी सांगरू, पश्चिम के0के0 नहर, चेन्नई&600078, तमिलनाडु	31.03.2004	http://www.maher.ac.in
83	चूरूल इस्लाम सैटर फॉर हॉयर एजूकेशन, कुलासेकारापट्टिनम, थुलाजापुरम, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु &628175	08.12.2008	http://www.niuniv.com
84	पेरियार मणिअम्माई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (डीएसआईएमटी), पेरियार नहर, वल्लम, तंजावुर&613403, तमिलनाडु	17.08.2007	http://www.pmu.edu
85	पुदैया रांसाप्पा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (पीआरआईएमटी), यरामा नायडी, तंजावुर&614904, तमिलनाडु	04.01.2008	http://www.prist.ac.in
86	एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, एसआरएम नहर, कट्टनकुलाथुर&603203 कांचीपुरम, जिला तमिलनाडु	02.08.2002	http://www.srmuniv.ac.in
87	सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, जेपीआर नहर, पुरानता सावलपुरम सांगरू, चेन्नई&600119 (तमिलनाडु)	16.07.2001	http://www.sathyabamauniv.ac.in

क्र.सं.	राज्य विश्वविद्यालय	जब विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किए जाने की तिथि	वेबसाइट
88	सवीथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड टैक्निकल साइंसेज] पोस्ट बाक्स नम्बर 6] संख्या 162] पोचमपल्ले हाई रोड] वेल्लाचावाडी] चेन्नई&6000077] तमिलनाडु	18.03.2005	http://www.saveetha.com
89	षणमुघा आर्ट्स] साइंस] टैक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च अकादमी (शास्त्र)] तिरूमलैसाई] संमुघम] तंजावुर&613401] तमिलनाडु	26.04.2001	http://www.sastra.edu
90	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालय] श्री जयेन्द्र सरस्वती स्ट्रीट] एनाथुर] कांचीपुरम&631561] तमिलनाडु	26.05.1993	http://www.kanchiuniv.ac.in
91	श्री रामचन्द्रा मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट] 1] रामचन्द्र नगर] चेन्नई&600116	29.09.1994	http://www.sruramachandra.edu.in
92	सैंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर एजूकेशन एण्ड रिसर्च] चेन्नई&600054 तमिलनाडु	26.05.2008	http://www.stpetersuniversity.org
93	वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी एण्ड एडवान्स्ड स्टडीज (विस्टास)] पालवरम्] चेन्नई] तमिलनाडु	04.06.2008	http://www.velsuniv.ac.in
94	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी] वेल्लोर&632014 (तमिलनाडु)	19.06.2001	http://www.vit.ac.in
95	विनायक मिशन्स रिसर्च फाउण्डेशन] सेलम रोड] राष्ट्रीय राजमार्ग 47] अरियानूर नगर] सेलम&636308] तमिलनाडु	01.03.2001	http://www.vinayakamission.com
96	वेलटैक रंगराजन डॉ0 सगुन्थला आर: एण्ड डी: इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी] चेन्नई तमिलनाडु	15.10.2008	http://www.veltechuniv.edu.in
	तेलंगाना		
97	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टैक्नोलॉजी] सर्वे न0 25] राजीवगांधी] रंगा रेड्डी जिला] हैदराबाद&500032	21.08.2001	http://www.iiit.ac.in
98	आईसीएफएआई फॉउंडेशन फॉर हॉयर एजूकेशन] दोंतावरलेली] शंकरपल्ली रोड] हैदराबाद&501203] तेलंगाना	16.12.2008	http://www.ifheindia.org
	उत्तर प्रदेश		
99	शैट्स हिलिसबोरो इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर] टैक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज] डाकघर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट] इलाहाबाद&211007] उत्तर प्रदेश	15.03.2000	http://www.shiats.edu.in
100	भातखण्डे संगीत संस्थान] 1 कैसर बाग] लखनऊ] उत्तर प्रदेश & 226001	24.10.2000	http://www.bhatkhandemusic.edu.in
101	सैंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज] सारनाथ] वाराणसी&221007]उत्तर प्रदेश	05.04.1988	http://www.cihts.ac.in
102	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट] दयालबाग] आगरा&282005] उत्तर प्रदेश	16.05.1981	http://www.dei.ac.in
103	इंडियन वेटिरेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट] इज्जतनगर&243122] उत्तर प्रदेश	16.11.1983	http://www.ivri.res.in
104	जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टैक्नोलॉजी] ए&10] सैक्टर&62] नोएडा&201307(उत्तर प्रदेश)	01.11.2004	http://www. iit.ac.in
105	चेचरू श्रास भारती विश्वविद्यालय] कीरवाणी&संभलीपुर] धुजेवली] जिला इलाहाबाद] उत्तर प्रदेश	27.06.2008	http://www.ngbu.edu.in
106	शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी] धुजेवा सार्ट] रूड़की रोड] सेरB&250010 (उत्तर प्रदेश)	08.11.2006	http://www.shobhituniversity.ac.in
107	संतोष विश्वविद्यालय] 1] संतोष नगर] मोदिनगर उत्तर प्रदेश&201009	13.06.2007	http://www.santoshuniversity.com
	उत्तराखण्ड		
108	फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट] डाकघर न्यू फॉरेस्ट] देहरादून&248006] उत्तराखण्ड	28.11.1991	http://www.icfre.org
109	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय] हरिद्वार&249404] उत्तराखण्ड	19.06.1962	http://www.gkv.ac.in
110	ऑफिक इरा यूनिवर्सिटी] 566@6] बेज रोड] कनॉटप्लेस दाऊन] देहरादून उत्तराखण्ड	14.08.2008	http://www.gehu.ac.in
	पश्चिम बंगाल		
111	रामकृष्णा मिशन विवेकानन्द एजूकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट] डाकघर बेलूर मठ] जिला हावड़ा&711202] पश्चिम बंगाल	05.01.2005	http://www.rkmvu.ac.in
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली		
112	इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा इंस्टीट्यूट] पूसा] नई दिल्ली&110012	22.08.1958	http://www.iari.res.in

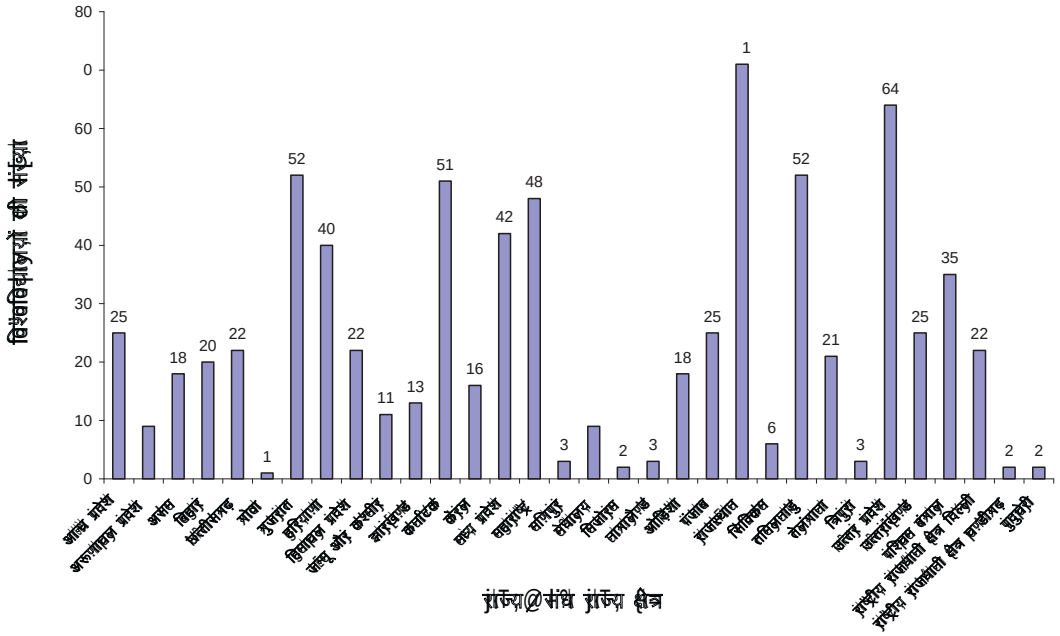
क्र.सं.	राज्य विश्वविद्यालय	संस विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किए जाने की तिथि	वेबसाइट
113	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड] डी&21] कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया] नई दिल्ली&110016	20.05.2002	http://www.iift.edu
114	इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट मनवालावाला रोड] नई दिल्ली&110001	29.10.2004	http://www.ili.ac.in
115	इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एण्ड बाइलियरी साइंसेज (आईएलबीएस)] डी&1] वसंत कुंज] नई दिल्ली&110070	10.07.2009	http://www.ilbs.in
116	जामिया हमदर्द] हमदर्द नगर] नई दिल्ली&110062	10.05.1989	http://www. amiahamdard.edu
117	नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स] कंजर्वेशन एण्ड म्यूजियोलॉजी] नेशनल म्यूजियम] जनपथ] नई दिल्ली&110011	28.04.1989	http://www.nmi.gov.in
118	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन] 17&बी] श्री अरबिंदो मार्ग] नई दिल्ली&110016	11.08.2006	http://www.nuepa.org
119	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान] 56|57] इंस्टीट्यूशनल एरिया] जनकपुरी] नई दिल्ली&110058	07.05.2002	http://www.sanskrit.nic.in
120	श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ] कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया] नई दिल्ली&110016	16.11.1987	http://www.slbsrsv.ac.in
121	टी.ई.आर.आई: स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज] सरदारी सेठ ब्लॉक] हैबीटेट प्लेस] लोधी रोड] नई दिल्ली&110003	05.10.1999	http://www.teriuniversity.ac.in
	संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़		
122	पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज] सेक्टर&12] चण्डीगढ़&160012	16.10.2003	http://www.pec.ac.in
	पुदुचेरी		
123	श्री बालाजी विद्यापीठ] महात्मा गांधी सेंडीकेट कांप्लेक्स कैम्पस] पांडी&कुडालोर बेल रोड] सिरुवेरकुप्पम] पुदुचेरी&607402	04.08.2008	http://www.sbvuniversity.com

तालिका 2.1 (ङ): दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम,1956 की धारा 2 (एफ) 12[ब तथा धारा 3 (संस विश्वविद्यालय) के तहत सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या

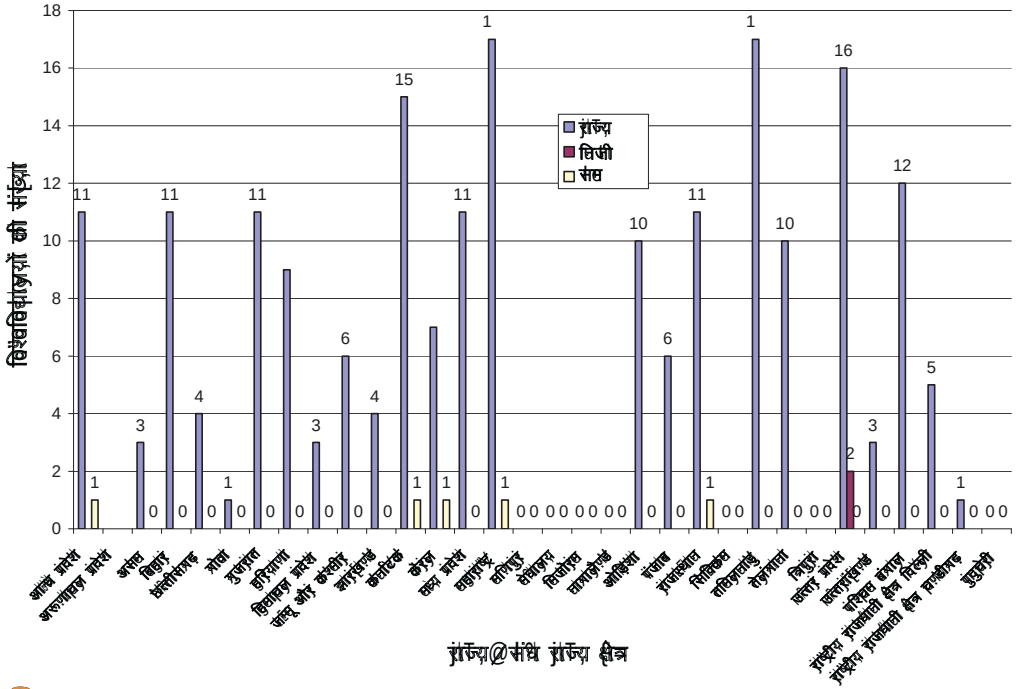
क्र0 सं0	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या						*धारा 12 (बी) के तहत संघिटत विश्वविद्यालयों की संख्या			
		केंद्रीय	राज्य	निजी	संस	विधान संसद अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान	कुल	राज्य	निजी	संस	कुल
1	आंध्र प्रदेश	:	20	:	5		25	11		1	12
2	अरुणाचल प्रदेश	1	:	7	1		9	:		:	:
3	असम	2	12	4	:		18	3		:	3
4	बिहार	3	15	:	1	1	20	11		:	11
5	छत्तीसगढ़	1	13	8	:		22	4		:	4
6	गोवा	:	1	:	:		1	1		:	1
7	गुजरात	1	25	24	2		52	11		:	11
8	हरियाणा	1	14	19	6		40	9		:	9
9	हिमाचल प्रदेश	1	4	17	:		22	3		:	3
10	जम्मू और कश्मीर	2	7	:	1	1	11	6		:	6
11	झारखंड	1	7	3	2		13	4		:	4
12	कर्नाटक	1	24	12	14		51	15		1	16
13	केरल	1	13	:	2		16	7		1	8
14	मध्य प्रदेश	2	21	18	1		42	11		:	11

क्र0 सं0	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या						*धारा 12 (ख) के तहत संघिटत विश्वविद्यालयों की संख्या			
		केंद्रीय	राज्य	निजी	संस	विधान संसद अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान	कुल	राज्य	निजी	संस	कुल
15	महाराष्ट्र	1	21	5	21		48	17		1	18
16	मणिपुर	2	:	1	:		3	:		:	:
17	मेघालय	1	:	8	:		9	:		:	:
18	मिजोरम	1	:	1	:		2	:		:	:
19	नागालैण्ड	1	:	2	:		3	:		:	:
20	ओडीशा	1	12	3	2		18	10		:	10
21	पंजाब	1	9	13	2		25	6		:	6
22	राजस्थान	1	21	41	8		71	11		1	12
23	सिक्किम	1	:	5	:		6	:		:	:
24	तमिलनाडु	2	22	:	28		52	17		:	17
25	त्रिपुरा	3	16	:	2		21	10		:	10
26	त्रिपुरा	1	1	1	:		3	:		:	:
27	उत्तर प्रदेश	6	24	24	9	1	64	16	2		18
28	उत्तराखण्ड	1	10	11	3		25	3		:	3
29	पश्चिम बंगाल	1	25	8	1		35	12		:	12
30	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5	7	:	10		22	5		:	5
31	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पुडुचेरी	:	1	:	1		2	1		:	1
32	पुडुचेरी	1	:	:	1		2	:		:	:
	कुल	47	345	235	123	3	753	204	2	5	211

चित्र 2.1 (3): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (ञ) के तहत सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या



आरेखचित्र 2.1 (ङ): दिनांक 30.03.2016 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम,1956 की धारा 12-ख के तहत राज्य सरकारी/राज्य निजी/संघ विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या



2.1(च) महाविद्यालय

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के 30 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात के लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अधिक संख्या में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की खोलने का प्रयास करने होंगे साथ ही प्रत्येक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में छात्रों के नामांकन की सीमा संख्या में भी वृद्धि करनी होगी।

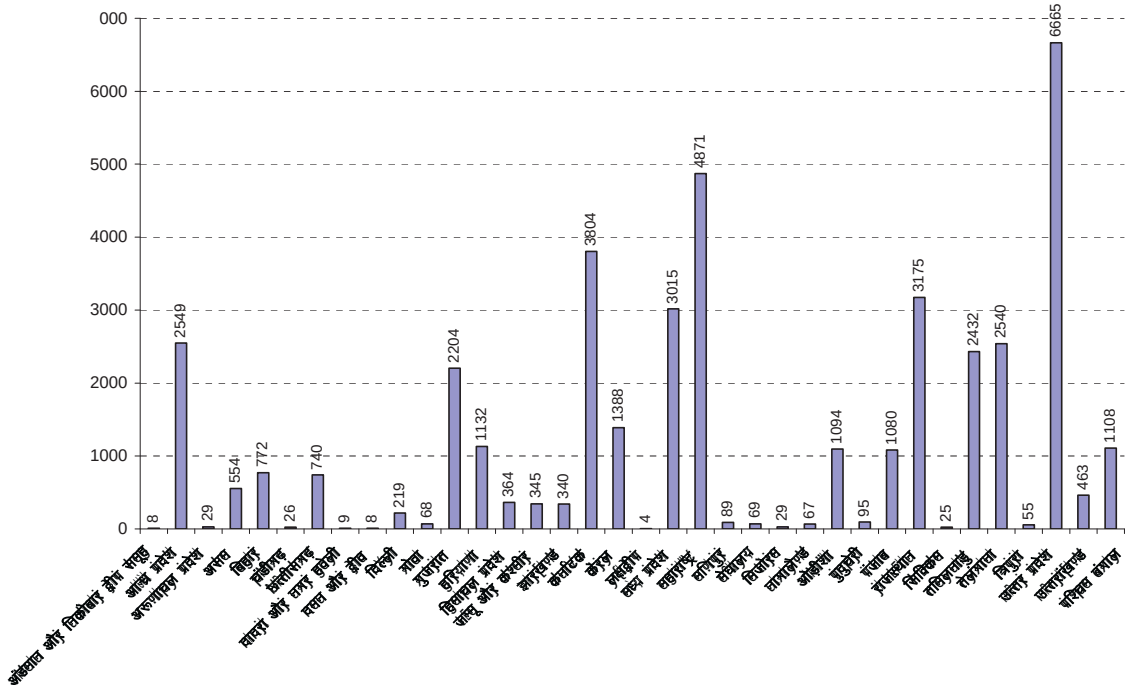
तालिका 2.1(छ) : वर्ष 2015&2016 के दौरान महाविद्यालयों** की राज्यवार संख्या और वर्ष 2011&12 से वर्ष 2015&2016 तक महाविद्यालयों की संख्या में हुई वृद्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-2012	2012-13	2013-14	2014-2015*	2015-16*	वर्ष 2011&2012 से 2015&16 के दौरान हुई वृद्धि
1	आंध्र प्रदेश	4550	4881	4907	2594	2549	539
2	अरूणाचल प्रदेश	17	17	26	26	29	12
3	असम	507	571	571	548	554	47
4	बिहार	706	695	695	730	772	66
5	छत्तीसगढ़	681	696	696	717	740	59
6	गोवा	60	60	66	69	68	8
7	गुजरात	1849	2020	2060	2210	2204	355
8	हरियाणा	976	992	1066	1123	1132	156
9	हिमाचल प्रदेश	348	349	344	344	364	16
10	जम्मू और कश्मीर	314	362	379	360	345	31
11	झारखंड	231	239	279	286	340	109
12	कर्नाटक	3370	3454	3674	3624	3804	434
13	केरल	1063	1250	1259	1212	1388	325
14	मध्य प्रदेश	2364	2406	3294	3367	3015	651
15	महाराष्ट्र	4836	4862	5326	5347	4871	35
16	मणिपुर	80	85	89	86	89	9
17	मेघालय	69	69	69	67	69	0
18	मिजोरम	28	28	29	29	29	1
19	नागालैण्ड	58	60	60	66	67	9
20	ओड़ीशा	1117	1134	1134	1140	1094	-23
21	पंजाब	978	1004	1004	1060	1080	102

क्र.सं.	राज्य@संघ राज्य क्षेत्र	2011-2012	2012-13	2013-14	2014-2015*	2015-16*	वर्ष 2011&2012 से 2015&16 के दौरान हुई वृद्धि
22	राजस्थान	2753	2791	2791	2851	3175	422
23	सिक्किम	15	15	39	21	25	10
24	तमिलनाडु	2410	2605	2760	2638	2432	22
25	तेलंगाना				2404	2540	
26	त्रिपुरा	40	47	47	52	55	15
27	उत्तरप्रदेश	4440	4787	5094	5907	6665	2225
28	उत्तराखण्ड	413	413	424	429	463	50
29	पश्चिम बंगाल	896	942	1057	1061	1108	212
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6	6	7	8	8	2
31	चण्डीगढ़	27	27	27	28	26	-1
32	दमन और द्वीप	3	3	3	3	4	1
33	दादर और नगर हवेली	4	4	4	7	8	4
34	दिल्ली	240	240	242	242	219	-21
35	लक्षद्वीप और पांडिचेरी	4	4	4	10	9	5
36	पुडुचेरी	86	86	87	94	95	9
	कुल	35539	37204	39613	40760	41435	5896

नोट:$ यहां तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश की संयोजित वृद्धि दर्शायी गई है।
**महाविद्यालयों की संख्या में संबद्ध महाविद्यालय@विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय@घटक महाविद्यालय@स्वायत्तशासी कॉलेज@स्नातकोत्तर केन्द्र@स्नातकोत्तर केन्द्र@मुक्त स्थित कॉलेजों आदि शामिल हैं।
*अनंतिम

चित्र 2.1 (ब): वर्ष 2015&16 के दौरान महाविद्यालयों** की राज्यवार संख्या



देश में सबसे अधिक संख्या में महाविद्यालय वाले शीर्षस्थ पांच राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं।

2.1(छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के तहत महाविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत महाविद्यालयों की सहायता प्रदान करने के संबंध में विनियमों को अधिसूचित किया है। जब भी महाविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत मान्यता प्राप्त होता है तो विनियम में अंतर्विष्ट शर्तों के अनुरूप सभी पात्रता प्राप्त किए जाने पर इन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में लाया जाता है। महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत मान्यता प्राप्त किए जाने के अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,

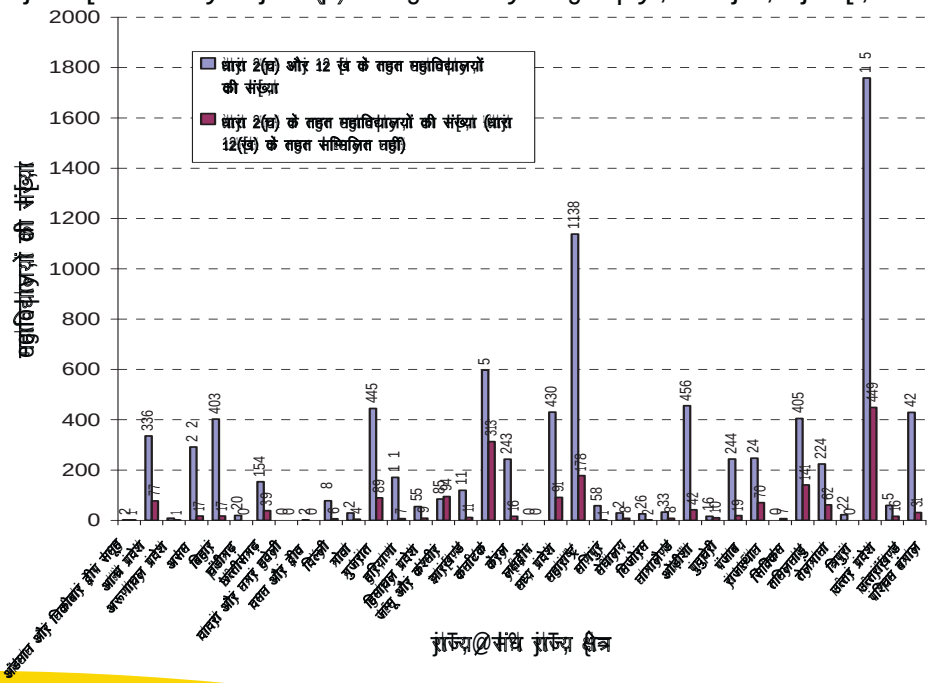
अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों की शर्तों के अनुरूप धारा 12(ब) के तहत महाविद्यालयों को संबद्धता देना है। इसके महाविद्यालय] धारा मंजूरी से केन्द्रीय सहायता अथवा केन्द्र मंजूरी से सहायता प्राप्त करने वाले किसी संस्थान से सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हो जाता है।

दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम] 1956 की धारा 2(च) के तहत संबद्धित कुल सत्यापित महाविद्यालयों की संख्या 10451 थी (पिछले वर्ष के 9940 महाविद्यालयों] जब धारा 2(च) के तहत 1739 तथा धारा 12(ब) के तहत 8201 महाविद्यालय थे की तुलना में वर्तमान में] धारा 2(च) के तहत संबद्धित महाविद्यालयों की संख्या 1836 तथा धारा 12(ब) के तहत संबद्धित महाविद्यालयों की संख्या 8615 रही)।

तालिका 2.1(ब) दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम] 1956 की धारा 2 (च) और 12 ब के तहत संबद्धित महाविद्यालयों की (राज्यवार) संख्या

क्र. सं.	राज्य@संघ राज्य क्षेत्र	महाविद्यालयों की संख्या		कुल
		2(च) और 12(ब)	केवल धारा 2(च) के अन्तर्गत संबद्धित (धारा 12(ब) के तहत संबद्धित नहीं)	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	1	3
2	आंध्रप्रदेश	336	77	413
3	अरूणाचल प्रदेश	9	1	10
4	असम	292	17	309
5	बिहार	403	17	420
6	चण्डीगढ़	20	0	20
7	छत्तीसगढ़	154	39	193
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0
9	दमन और द्वीप	2	0	2
10	दिल्ली	78	6	84
11	गोवा	29	4	33
12	गुजरात	445	89	534
13	हरियाणा	171	7	178
14	हिमाचल प्रदेश	55	9	64
15	जम्मू और कश्मीर	85	94	179
16	झारखंड	119	11	130
17	कर्नाटक	597	313	910
18	केरल	243	16	259
19	लक्षद्वीप	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	430	91	521
21	महाराष्ट्र	1138	178	1316
22	मणिपुर	58	1	59
23	मेघालय	29	8	37
24	मिजोरम	26	2	28
25	नागालैण्ड	33	8	41
26	ओडीशा	456	42	498
27	पुदुचेरी	16	10	26
28	पंजाब	244	19	263
29	राजस्थान	247	70	317
30	सिक्किम	0	7	7
31	तमिलनाडु	405	141	546
32	तेलंगाना	224	62	286
33	त्रिपुरा	22	0	22
34	उत्तर प्रदेश	1759	449	2208
35	उत्तराखंड	59	16	75
36	पश्चिम बंगाल	429	31	460
	कुल	8615	1836	10451

तालिका 2.1(ब) दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम] 1956 की धारा 2 (च) और 12 ब तथा केवल धारा 2 (च) के तहत संबद्धित महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या



2.2 छात्र नामांकन ((i) नियमित पाठ्यक्रम}

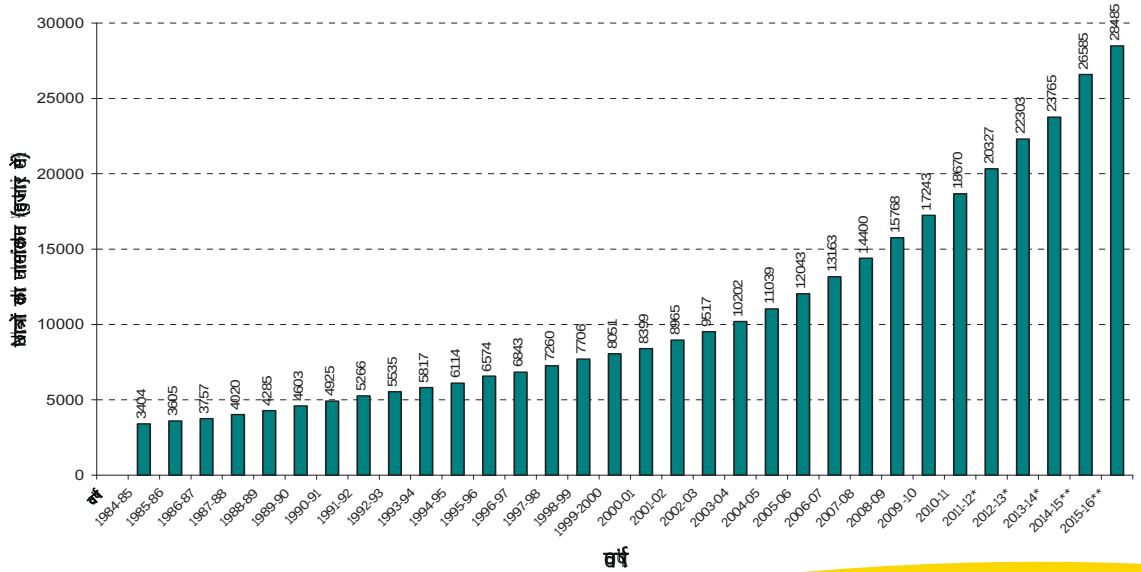
शिक्षा वर्ष 2015&2016 के दौरान संपूर्ण विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों तथा अन्य संबद्ध शिक्षण संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न स्तरों पर पिछले वर्ष के 265.85 लाख के अनंतिम आंकड़ों की तुलना में 284.85** लाख (अनंतिम) छात्रों का नामांकन हुआ। इस प्रकार इनमें 7.15** प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले दो दशकों के दौरान कुल स्तर पर छात्रों के नामांकन की जो प्रवृत्ति दृष्टिगोचर है, वह तालिका 2.2 (क) ** में दी गयी है। (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबद्ध शिक्षा के संबंध में अखिल भारतीय सर्वेक्षण तथा पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर अनुमानित अनंतिम आंकड़े)

तालिका 2.2(क): वर्ष 1984&85 से 2015&16 के दौरान छात्र नामांकन में हुई अखिल भारतीय वृद्धि

वर्ष	कुल नामांकन	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशतता में हुई वृद्धि
1984-85	3404096	96447	2.9
1985-86	3605029	200933	5.9
1986-87	3757158	152129	4.2
1987-88	4020159	263001	7.0
1988-89	4285489	265330	6.6
1989-90	4602680	317191	7.4
1990-91	4924868	322188	7.0
1991-92	5265886	341018	6.9
1992-93	5534966	532939	5.6
1993-94	5817249	282283	5.1
1994-95	6113929	296680	5.1
1995-96	6574005	460076	7.5
1996-97	6842598	268593	4.1
1997-98	7260418	417820	6.1
1998-99	7705520	445102	6.1
1999-2000	8050607	345087	4.5
2000-01	8399443	348836	4.3
2001-02	8964680	565237	6.7
2002-03	9516773	552093	6.2
2003-04	10201981	685208	7.2
2004-05	11038543	836562	8.2
2005-06	12043050	1004507	9.1
2006-07	13163054	1120004	9.3
2007-08	14400381	1237327	9.4
2008-09	15768417	1368036	9.5
2009-10	17243352	1474935	9.4
2010-11	18670050	1426698	8.3
2011-12*	20327478	1657428*	8.9
2012-13*	22302938	1975460*	9.7
2013-14*	23764960	1462022*	6.6
2014-15**	26585437 **	2820477**	11.87**
2015-16**	28484746**	1899309**	7.14**

**अनंतिम आंकड़े (वर्ष 2015&16 के अनुसार संपूर्ण शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के आधार पर अनुमान तथा पिछले वर्षों के आंकड़े)
* यह आंकड़े वृद्धि के अध्यधीन हैं तथा इन वर्षों के लिए नामांकन की तिथि की अंतिम रूप दिए जाने पर इन आंकड़ों की अंतिम रूप दिया जाएगा।
अनंतिम आंकड़े
कवरेज: छात्र नामांकन के आंकड़े] विश्वविद्यालयों] महाविद्यालयों में नियमित पाठ्यक्रमों के संबंधित हैं (बहुकक्षा संस्थानों] अन्य डिप्लोमा प्रदान करने वाले संस्थान और संपूर्ण शिक्षा की अतौपचारिक प्रणालियों के अलावा)

तालिका 2.2 (क) : वर्ष 1984&85 से 2015&2016 के दौरान संपूर्ण भारत में छात्रों के नामांकन में हुई वर्षवार वृद्धि



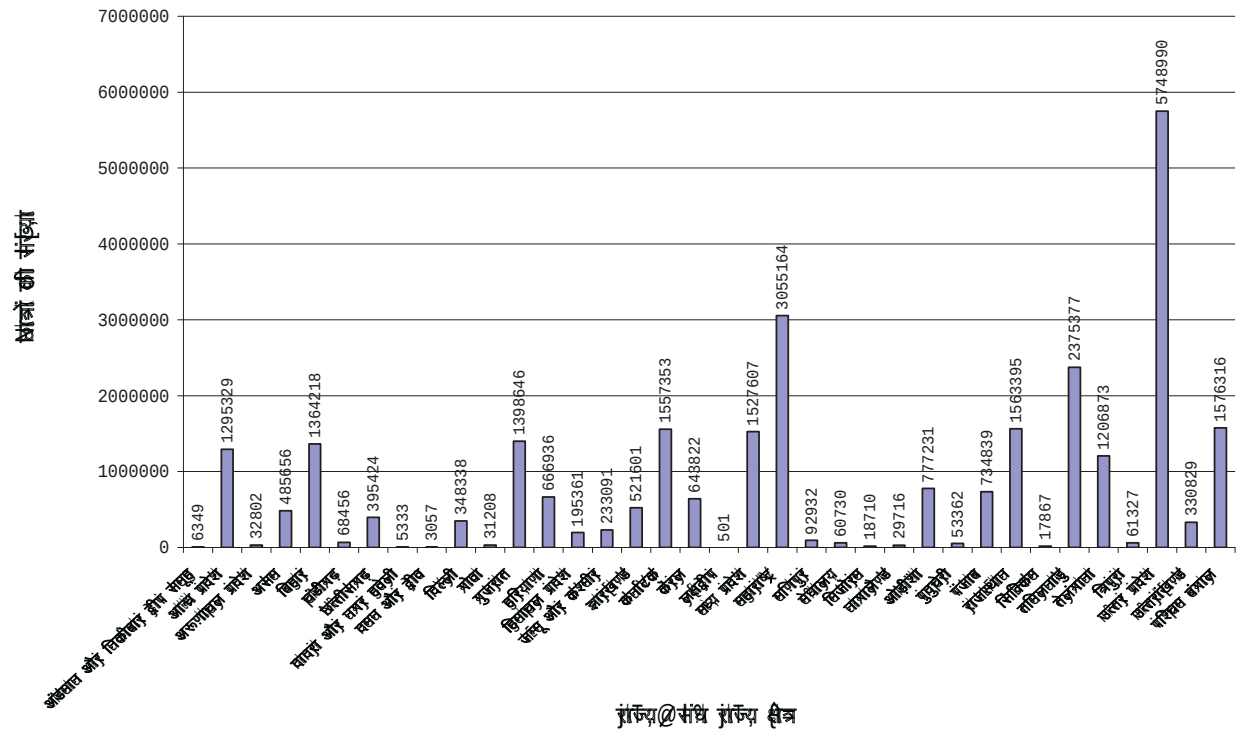
284.85 लाख छात्रों में से 134.66 लाख महिलाएं हैं जो कि इस संपूर्ण संख्या का 47.27 प्रतिशत है जबकि विभिन्न राज्यों में वर्ष 2015&2016 के दौरान कुल छात्र नामांकन और महिला छात्राओं के नामांकन के तुलनात्मक रूझान की तालिका 2.2 (ख) में दर्शाया गया है। परिशुद्ध संख्या के संदर्भ में देखा जाए तो छात्रों का सर्वाधिक नामांकन सत्तर प्रदेश में (57.49 लाख), तत्पश्चात् महाराष्ट्र (30.55 लाख), तमिलनाडु (23.75 लाख) तथा पश्चिम बंगाल (15.76 लाख) आदि रहा है।

तालिका 2.2(ख): वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्रों का राज्यवार नामांकन

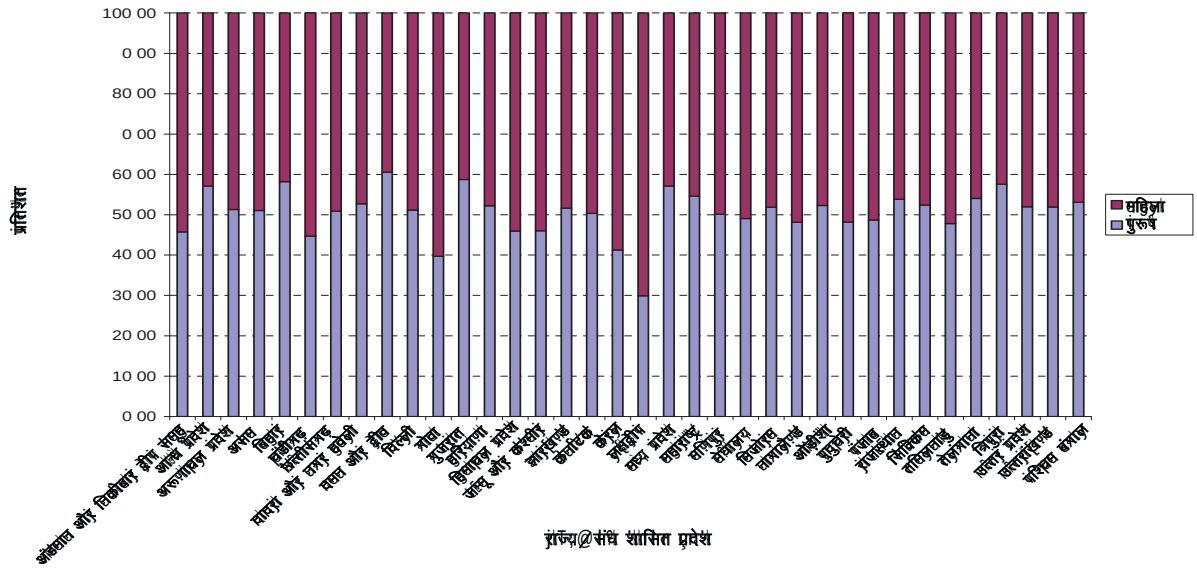
क्र. सं.	राज्य@संघ राज्य क्षेत्र	कुल नामांकन	महिला नामांकन	महिलाओं का प्रतिशत
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6349	3445	54.26
2	आंध्रप्रदेश	1295329	555765	42.91
3	अरूणाचल प्रदेश	32802	15979	48.71
4	असम	485656	237795	48.96
5	बिहार	1364218	570024	41.78
6	चण्डीगढ़	68456	37843	55.28
7	छत्तीसगढ़	395424	194254	49.13
8	दादरा और नगर हवेली	5333	2521	47.27
9	दमन और दीव	3057	1206	39.45
10	दिल्ली	348338	170099	48.83
11	गोवा	31208	18820	60.31
12	गुजरात	1398646	576879	41.25
13	हरियाणा	666936	318434	47.75
14	हिमाचलप्रदेश	195361	105591	54.05
15	जम्मू और कश्मीर	233091	125761	53.95
16	झारखंड	521601	252323	48.37
17	कर्नाटक	1557353	773561	49.67
18	केरल	643822	378021	58.72
19	लक्षद्वीप	501	351	70.06
20	मध्य प्रदेश	1527607	655231	42.89
21	महाराष्ट्र	3055164	1386677	45.39
22	मणिपुर	92932	46337	49.86
23	मेघालय	60730	30925	50.92
24	मिजोरम	18710	9006	48.13
25	नागालैण्ड	29716	15410	51.86
26	ओड़ीशा	777231	370757	47.70
27	पुदुचेरी	53362	27643	51.80
28	पंजाब	734839	376847	51.28
29	राजस्थान	1563395	721466	46.15
30	सिक्किम	17867	8507	47.61
31	तमिलनाडु	2375377	1239802	52.19
32	तेलंगाना	1206873	554780	45.97
33	त्रिपुरा	61327	26012	42.42
34	उत्तरप्रदेश	5748990	2759167	47.99
35	उत्तराखण्ड	330829	159063	48.08
36	पश्चिमबंगाल	1576316	739449	46.91
	कुल	**28484746**	**13465751**	**47.27**
	*अखिल भारतीय			

*अखिल भारतीय

रेखाचित्र 2.2 (ख): वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्रों का राज्यवार नामांकन*



रेखाचित्र 2.2 (ख): वर्ष 2015&16 के दौरान नामांकित छात्रों का राज्य&वार और लिंग&वार वितरण



2.2(ग): स्तर-वार छात्र नामांकन

शिक्षा वर्ष 2015&2016 के दौरान नामांकन की स्थिति से पता चलता है कि सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली में स्नातकपूर्व स्तर पर विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों में सबसे अधिक छात्रों का नामांकन होता है। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों तथा उनसे संबद्ध संस्थानों को मिलाकर, अनंतिम रूप से इस स्तर पर 86.33 प्रतिशत छात्र नामांकन प्राप्त करते हैं। ऐसे छात्र स्नातकीय स्तर के पाठ्यक्रमों (मी0फी0) में नामांकन वरीयता देते हैं। सबसे प्रतिशत 9.71 प्रतिशत इसके बाद शोध (एम0फिल्0@पी0एच0डी0) पाठ्यक्रमों हेतु नामांकन करने वाले छात्रों की प्रतिशतता अर्थात् ब्यूरो अर्थात 0.77 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार, डिप्लोमा@प्रमाणपत्र तथा संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए कुल छात्रों में से क्रमशः 2.63 तथा 0.56 प्रतिशत छात्रों ने ही नामांकन कराया।

विश्वविद्यालयों तथा उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में छात्र नामांकन के संवितरण के संबंध में सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत छात्रों का सर्वाधिक नामांकन महाविद्यालयों में हुआ। स्नातकपूर्व छात्रों के लगभग 94.53 प्रतिशत और यही स्नातकीय छात्रों के लगभग 75.43 प्रतिशत छात्रों ने महाविद्यालयों में नामांकन करवाया। जबकि, शेष छात्र विश्वविद्यालयों में थे। इनके विपरीत, कुल शोध छात्रों में से छात्र 82.71 प्रतिशत छात्र विश्वविद्यालयों में नामांकित थे। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि छात्रों की कुल संख्या में से अधिकांश छात्रों ने संबंधित महाविद्यालयों से नामांकन करवाया है जहां सम्पूर्ण शिक्षण की सीख दी जाती है, विशेषरूप से गुणवत्ता, पहुंच तथा समानता, उपलब्धता तथा सम्पूर्णता आदि के संबंध के लिए महाविद्यालय क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिये जाने तथा उसमें अधिक विनियोग किये जाने की आवश्यकता है।

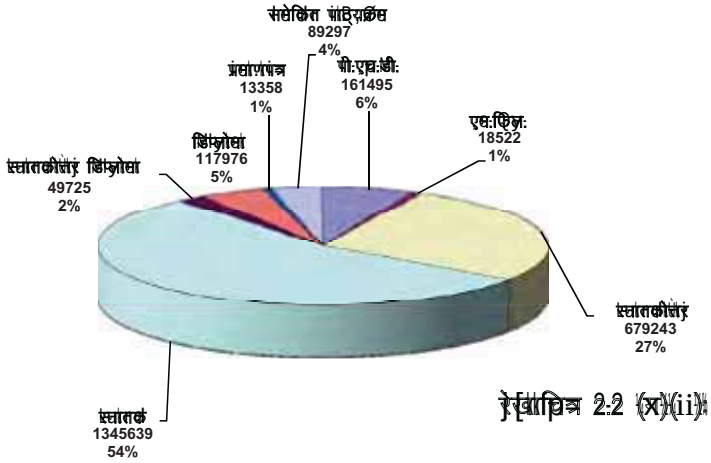
तालिका 2.2(ग): वर्ष 2015&16 के दौरान स्तरवार छात्र नामांकन*

स्तर	विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग			महाविद्यालय +			कुल				महाविद्यालयों में छात्रों का
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	कुल प्रतिशत	
पी.एच.डी.	96002	65493	161495	10569	8893	19462	106571	74386	180957	0.64	10.76
एम.फिल.	9108	9414	18522	6370	11787	18157	15478	21201	36679	0.13	49.50
स्नातकीय	353492	325751	679243	943020	1142623	2085643	1296512	1468374	2764886	9.71	75.43
स्नातक	891201	454438	1345639	12131543	11116139	23247682	13022744	11570577	24593321	86.33	94.53
स्नातकीय डिप्लोमा	23136	26589	49725	39541	43169	82710	62677	69758	132435	0.46	62.45
डिप्लोमा	89547	28429	117976	302702	134435	437137	392249	162864	555113	1.95	78.75
प्रमाणपत्र	8497	4861	13358	19531	28419	47950	28028	33280	61308	0.22	78.21
संबंधित	54960	34337	89297	39776	30974	70750	94736	65311	160047	0.56	44.21
कुल	1525943	949312	2475255	13493052	12516439	26009491	15018995	13465751	28484746	100.00	91.31

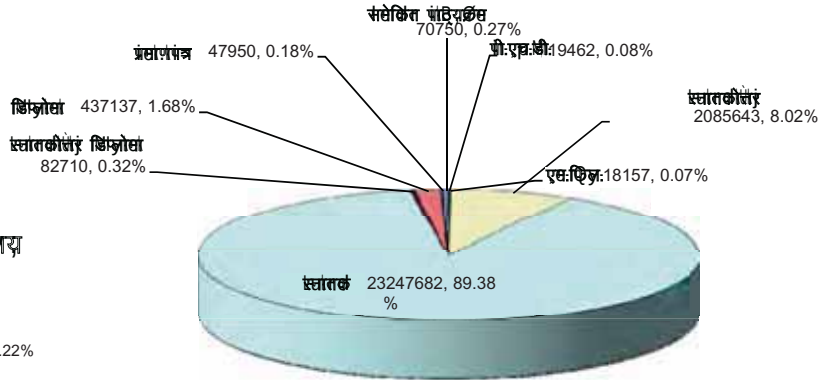
*अनंतिम

*महाविद्यालय के नामांकन में संबंधित महाविद्यालय@विश्वविद्यालय@घटक महाविद्यालय@स्नातकीय केन्द्र@सम्पर्क प्राप्त केन्द्र आदि

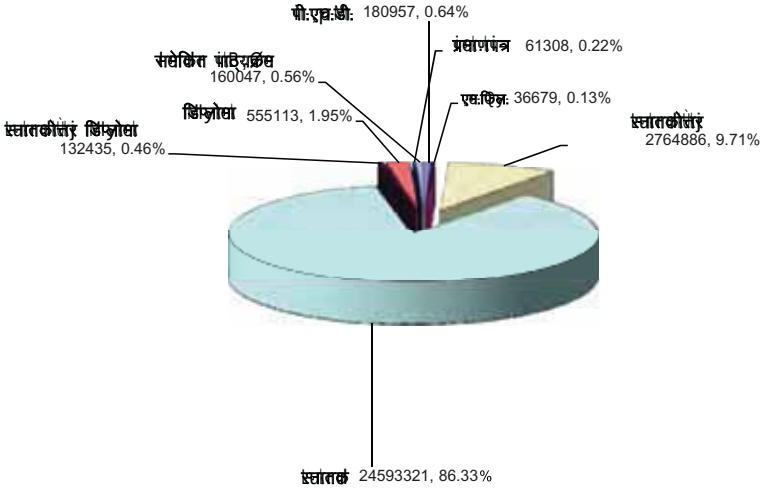
रेखाचित्र 2.2 (x)(i): वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में स्नातक छात्र संख्या



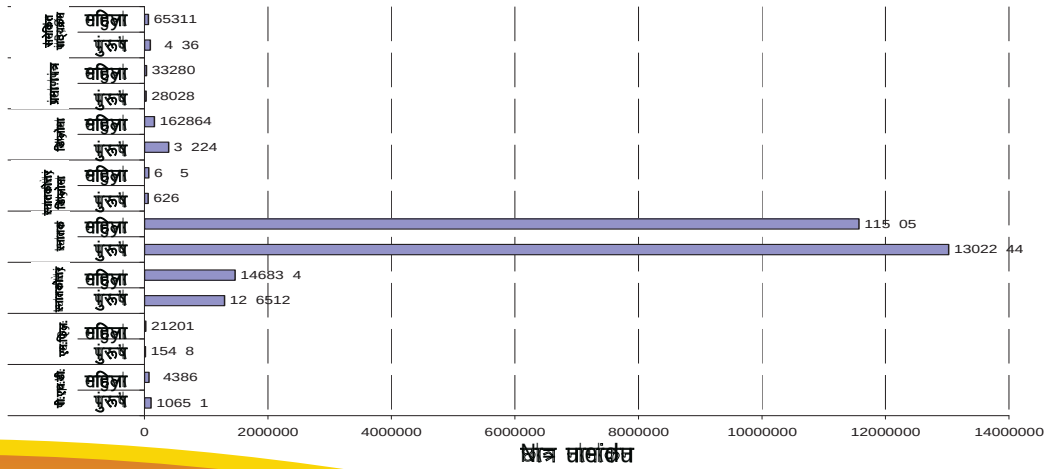
रेखाचित्र 2.2 (x)(ii): वर्ष 2015&16 के दौरान महाविद्यालयों में स्नातक छात्र संख्या



रेखाचित्र 2.2 (x)(iii): वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों $महाविद्यालयों में स्नातक छात्र संख्या



रेखाचित्र 2.2 (x): वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र संख्या



2.2 (घ) संकाय-वार छात्र नामांकन

शिक्षा वर्ष 2015&16 के दौरान संकाय&वार छात्रों नामांकन रहा सम्बन्धित करना है कि छात्रों के कुल नामांकन (284.85 लाख) में से 36.06 प्रतिशत छात्र कला संकाय में थे, इसके बाद विज्ञान में 19.02 प्रतिशत, वाणिज्य@प्रबंधन विज्ञान में 16.28 प्रतिशत छात्र थेA इस प्रकार, कुल नामांकन में से 71 प्रतिशत से अधिक छात्र नामांकन, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य@प्रबंधन संकायों में था, जबकि शेष 29 प्रतिशत व्यावसायिक संकायों में था, जिसमें से अभियांत्रिकी@प्रौद्योगिकी में सर्वाधिक अर्थात् 17.15 प्रतिशत थी और इसके बाद चिकित्सा पाठ्यक्रमों 3.93 प्रतिशत तत्पश्चात् शिक्षा (अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रम) 3.81 प्रतिशत आदि में थाA भारत जैसे देश में जहाँ कृषि और संबद्ध व्यवसाय ही प्रमुख पेशे हैं, वहाँ कृषि पाठ्यक्रमों में नामांकन केवल 0.84 प्रतिशत और पशु&चिकित्सा विज्ञान में यह लगभग 0.11 प्रतिशत रहाA इस प्रकार, जैसा कि संकाय&वार वितरण से स्पष्ट है कि पेशेवर की तुलना में शैक्षणिक नामांकन का अनुपात लगभग 1:3 रहाA अतः एक सामंजस्यपूर्ण नीतिगत परिवर्तन की आवश्यकता है इसे युक्तिसंगत बनाकर विसंगतियों को कम कर सके और शिक्षा के व्यावसायिकरण पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता हैA

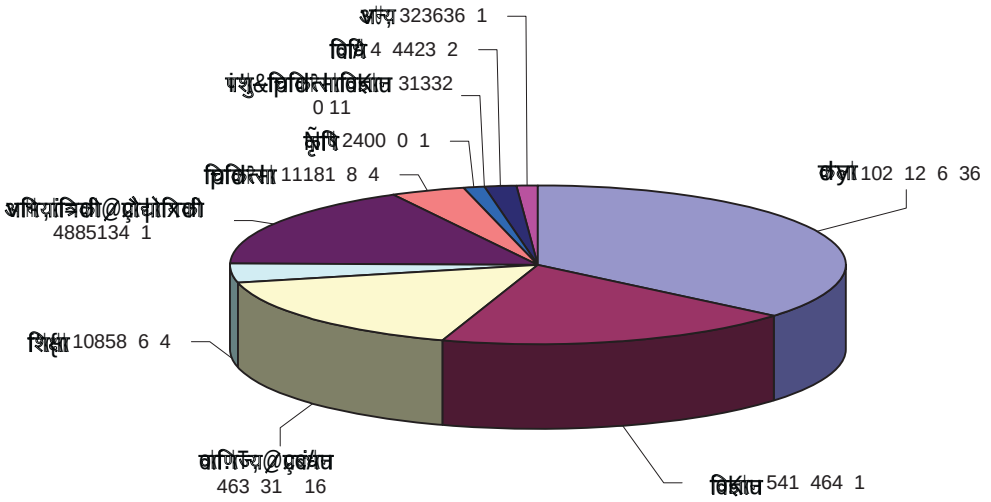
तालिका 2.2(घ): वर्ष 2015&2016 के दौरान संकाय&वार छात्र नामांकन*

क्र सं:	संकाय	कुल नामांकन	कुल की प्रतिशतता
1	कला	10271296	36.06
2	विज्ञान	5417464	19.02
3	वाणिज्य@प्रबंधन	4637317	16.28
4	शिक्षा	1085876	3.81
5	अभियांत्रिकी@प्रौद्योगिकी	4885134	17.15
6	चिकित्सा	1118178	3.93
7	कृषि	240090	0.84
8	पशु&चिकित्सा विज्ञान	31332	0.11
9	विधि	474423	1.67
10	अन्य	323636	1.14
	कुल	28484746	100.00

*अस्थायित आकड़े

कला संकाय में सामाजिक, मानविकी विज्ञान तथा भाषाएं आदि सम्मिलित हैA
विज्ञान संकाय में शुद्ध विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग आदि सम्मिलित हैंA
शिक्षा संकाय में शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य, विद्या वारिधि एवं वाचस्पति आदि सम्मिलित हैंA
अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय में कृषि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी एवं खाद्य-सुरक्षा आदि सम्मिलित हैंA
चिकित्सा संकाय में आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा, होम्योपैथी, फार्मेसी, जन स्वास्थ्य@सामाजिक चिकित्सक औषधि, नर्सिंग, दांतों की चिकित्सा, शारीरिक चिकित्सा, मानसिक चिकित्सा, पशु से संबंद्ध चिकित्सा और मिश्र चिकित्सा आदि सम्मिलित हैंA
कृषि संकाय में बागवानी, रेशम उत्पादन एवं वानिकी आदि सम्मिलित हैंA
पशु&चिकित्सा विज्ञान संकाय में दुग्ध शरीर, डेयरी विज्ञान, पशु विज्ञान आदि सम्मिलित हैंA
अन्य में पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान, संगीत, प्रदर्शन@दृश्य कला, चित्रकारिता एवं मूर्तिकार, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक कार्य आदि सम्मिलित हैंA

रेखाचित्र 2.2(ii): वर्ष 2015&2016 के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नामांकन&का क्षेत्र वार वितरण*



2.2 छात्र नामांकन {(ii) दूरस्थ शिक्षा}

वर्ष 2015&16 के दौरान एआईएचई के तहत (2015&16) पर सम्पर्क अवधि के अनुसार दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में 36.20 लाख (अनंतिम) छात्र नामांकित थे इसमें से] भारतीय विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों में 321.05 लाख छात्र (284.85 लाख नियमित$36.20 लाख दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में) नामांकित थे और इस प्रकार] उच्चतर शिक्षा संस्थानों में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में कुल नामांकन का 11.28 प्रतिशत है।

2.3 संकाय संख्या

शिक्षा वर्ष 2015&2016 के दौरान] विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की कुल संख्या पिछले वर्ष की 12.61 लाख शिक्षकों की तुलना में 14.38 लाख थी। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रत्यक्ष 38.96 प्रतिशत महिला शिक्षक हैं {तालिका 2.3(x)}। 14.38 लाख शिक्षकों में से 89.46 प्रतिशत शिक्षक महाविद्यालयों में थे तथा शेष 10.54 प्रतिशत शिक्षक विश्वविद्यालयों में थे &तालिका 2.3(ख) तथा तालिका 2.3(ख)

तालिका 2.3(ख): वर्ष 2015&2016 के दौरान भारत&का विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों** के शिक्षण कर्मचारियों का ब्यौरा

	आचार्य*	सहआचार्य@ रीडर&आचार्य	प्राध्यापक (प्रवर श्रेणी@वरिष्ठ वेतनमान)	सहायक आचार्य@ प्राध्यापक	अनुशिक्षक@ निदर्शक	कुल
2015-16	31027 (20.47%)	22229 (14.67%)	1182 (0.78%)	91017 (60.06%)	6086 (4.02%)	151541 (100.00%)

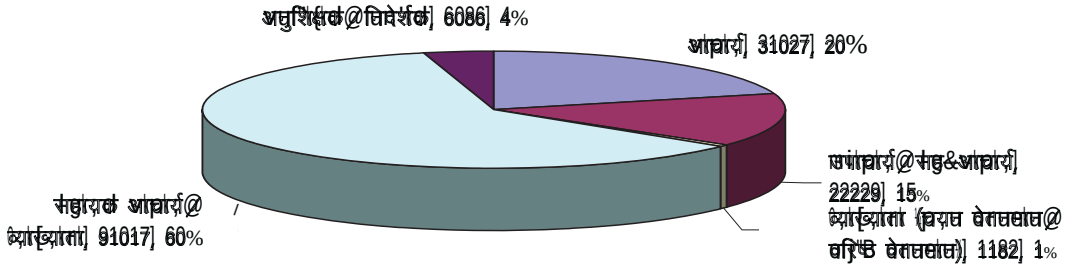
*इसमें निदेशक तथा वरिष्ठ शिक्षक शामिल है जो आचार्य के समकक्ष हैं

** अनंतिम आंकड़े

टिप्पणी : (क) उपरोक्त श्रेणियों में दिए गए आँकड़े कुल कर्मचारियों की तुलना में संवर्गों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

(ख) अंशकालिक@तदर्थ@अनुबंधित@अस्थायी शिक्षक@शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक आदि की सहायक आचार्य@प्राध्यापक के तहत सम्मिलित किया गया है।

रेखाचित्र 2.3(ख): वर्ष 2015&2016 के दौरान भारत&का विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों के शिक्षण कर्मचारियों का ब्यौरा

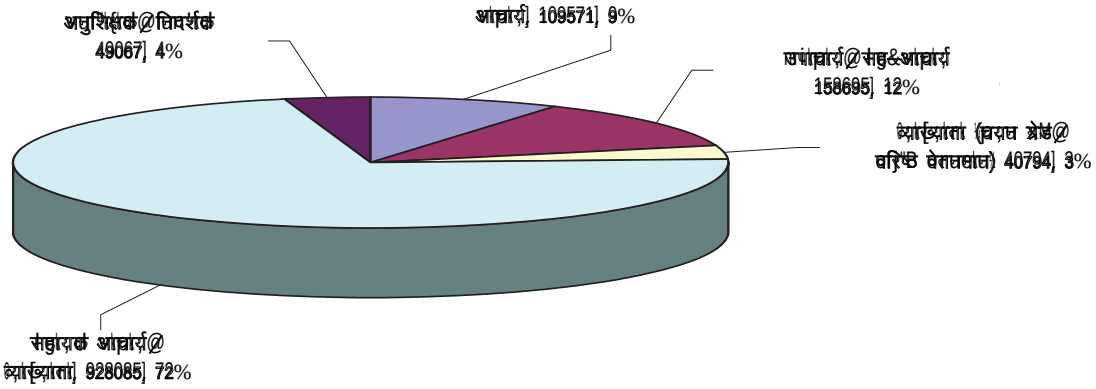


तालिका 2.3(ख): वर्ष 2015&2016 के दौरान संस्थान&वार महाविद्यालयों** के शिक्षण कर्मचारियों* का ब्यौरा

2015-16	आचार्य	सहआचार्य@ सह&आचार्य	व्याख्याता (प्रवक्ता ग्रेड@वरिष्ठ वेतनमान)	सहायक आचार्य@ व्याख्याता	अनुशिक्षक@ निदर्शक	कुल
	109571 (8.52%)	158695 (12.34%)	40794 (3.17%)	928085 (72.16%)	49067 (3.81%)	1286212 (100.00%)

* इसमें आचार्य एवं वरिष्ठ शिक्षक सम्मिलित हैं जो कि आचार्य के समतुल्य हैं।
** अनंतिम आँकड़े
टिप्पणी : (क) प्रथम तीन कॉलमों में दिए गए आँकड़ें कुल कर्मचारियों की तुलना में संवर्गों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।
(ख) अन्य तालिका@तालिकाओं@अनुबंधों@आरेख शिक्षक@शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक आदि की सहायक आचार्य@व्याख्याता के तहत सम्मिलित किया गया है।

चित्र 2.3(ख): वर्ष 2015&2016 के दौरान महाविद्यालयों के शिक्षण कर्मचारियों का संवर्ग&वार ब्यौरा



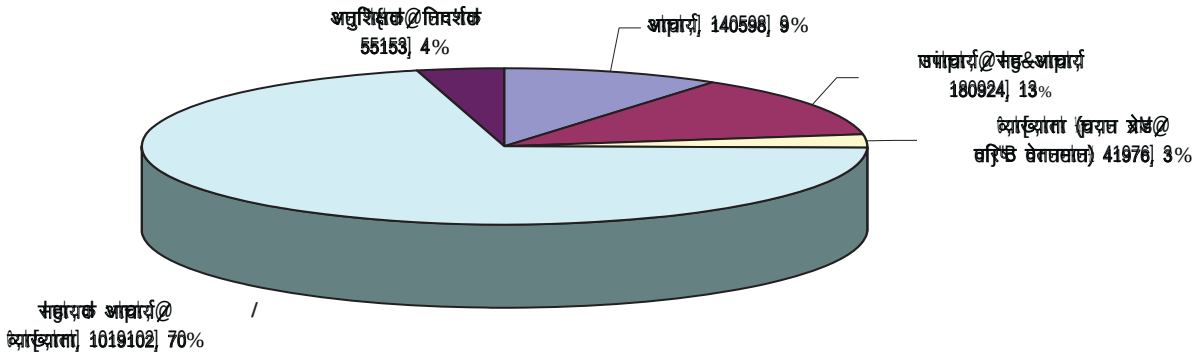
प्रतिशतता के आधार पर वर्ष 2015&2016 के दौरान] महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की औपचारिक स्थिति निम्नवत है:

तालिका 2.3(ग): वर्ष 2015&2016 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों का संस्थान&वार वितरण**

संस्थान	शिक्षण से जुड़े कर्मचारियों की संख्या					
	विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग		महाविद्यालय		कुल योग (कुल का प्रतिशत)	
	कुल	महिला	कुल	महिला	कुल	महिला
आचार्य**	31027	6343	109571	28997	140598 (9.78%)	35340 (6.31%)
सह&आचार्य@सहआचार्य	22229	6062	158695	56636	180924 (12.58%)	62698 (11.19%)
व्याख्याता (प्रवक्ता ग्रेड @वरिष्ठ वेतनमान)	1182	509	40794	16418	41976 (2.92%)	16927 (3.02%)
सहायक आचार्य@ व्याख्याता	91017	31422	928085	383085	1019102 (70.88%)	414507 (73.99%)
अनुशिक्षक@ निदर्शक	6086	2733	49067	28003	55153 (3.84%)	30736 (5.49%)
कुल						

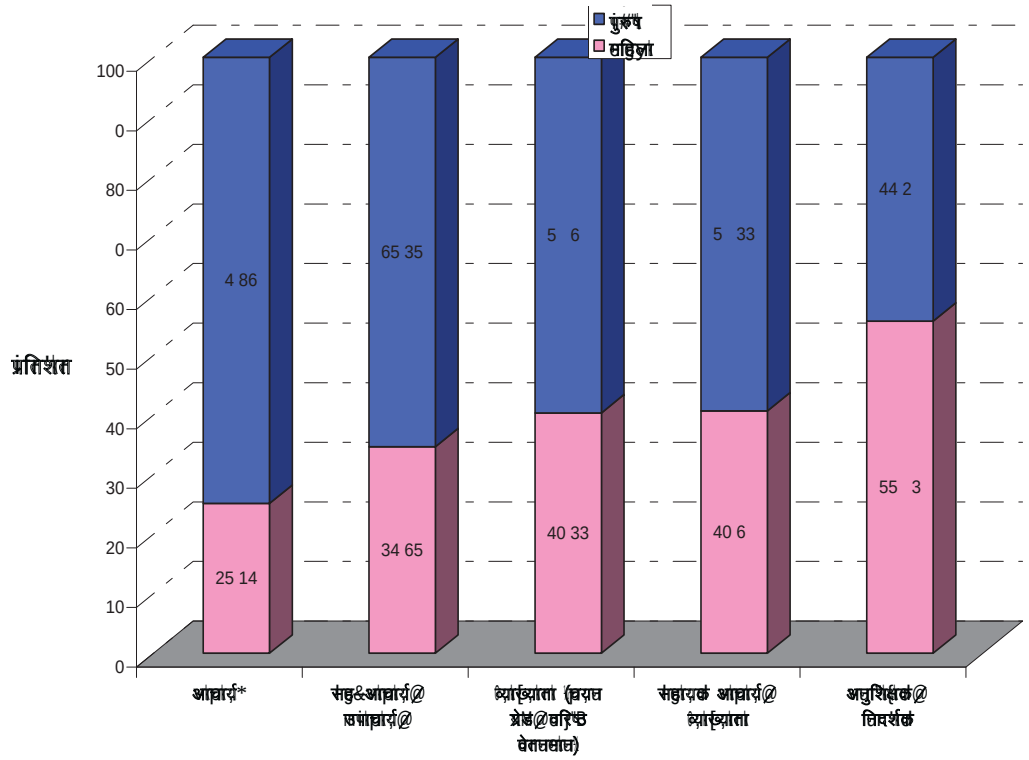
**अनंतिम आँकड़े
*इसमें निदर्शक] आचार्य तथा वरिष्ठ शिक्षक शामिल हैं जो आचार्य के समकक्ष हैं

}[kkfp= 2.3(x): o"kZ 2015&2016 ds nkSjku fo'ofo|ky;ksa rFkk egkfo|ky;ksa ds f'k{k dehZ;ksa dk Lrj&okj C;kSjk



}[kkfp= 2.3(x): o"kZ 2015&2016 ds nkSjku fo'ofo|ky;ksa rFkk egkfo|ky;ksa esa f'k{k ds fofHkUu Lrjksa ij fyax ds vk/kkj ij laoxZ

lafofjr : 2015&16



2.4 शोध उपाधियाँ

fofHkUu fo'ofo|ky;ksa }kjk izkIr 'kks/k mikf/k;ksa ¼ih0,p0Mh0½ dh la[;k o"kZ 2013&2014 dh 22849 ls c<+dj o"kZ 2014&15 esa 27327 gks xbZ vkSj bl izdkj 19.60 izfr'kr o`f) n'kkZ xbZA o"kZ 2014&15 ds nkSjku izkIr ih0,p0Mh0 mikf/k;ksa esa fofHkUu la dk; la dk; ls izkIr mikf/k;ksa dh la[;k lokZf/kd Fkh tks fd 7617 mikf/k;ka Fkh] mlds ckn dyk la dk; dk LFkku vk;k] ftlesa 6890 mikf/k;ka izkIr dh xbZ rFkk ok.kfT;d@izca/ku la dk; esa 4340 mikf/k;ka izkIr dh xbZA ok.kfT;d@izca/ku la dk; esa 2305 mikf/k;ka izkIr dh xbZA d`f"k esa 1690 mikf/k;ka jlk;u@HkkSfrd 'kk L= la dk; esa 763 mikf/k;ka] f'k{kk la dk; esa 1395 mikf/k;ka rFkk vU; fo"k;ksa esa 1869 mikf/k;ka izkIr dh xbZA ;g ikrk gqvk fd o"kZ 2013&2014 ds vadksa dh rqyuk esa o"kZ 2014&2015 ¼rkfydk 2.4 ¼d½½ ds vadksa esa fo'ofo|ky;ksa }kjk izkIr dh xbZ 'kks/k mikf/k;ksa dh la[;k ds lanHkZ esa f'k{kk lEcU/kh 'kks/k esa o`f) dk #>ku fn[kkbZ iM+rk gSA

तालिका 2.4(ब): वर्ष 2013&14 और 2014&2015* के दौरान प्रवाह की गई एस0एफ0 तथा पी0एच0डी0 छात्राओं की संकाय&वार संख्या

क्र.सं.	संकाय	2013&14		2014&15*	
		एस.एफ.एस.	पी.एच.डी.	एस.एफ.एस.	पी.एच.डी.
1	कला	7859	7480	8959	6890
2	विज्ञान	6783	7018	7943	7617
3	वाणिज्य@प्रबंधन	2868	2098	2990	2305
4	शिक्षा	853	825	870	763
5	अभियांत्रिकी@प्रौद्योगिकी	33	2533	45	4340
6	चिकित्सा	160	819	120	1395
7	कृषि	113	871	131	1690
8	पशु&चिकित्सा विज्ञान	32	241	34	204
9	विधि	30	227	35	254
10	अन्य	1694	737	1772	1869
	कुल	20425	22849	22899	27327

*अनंतिम आंकड़े (वर्ष 2014&15 के दौरान विश्वविद्यालयों से एकत्रित किए गए एआईएसएचई तथा वि0अ0आ0 के आंकड़ों पर आधारित)

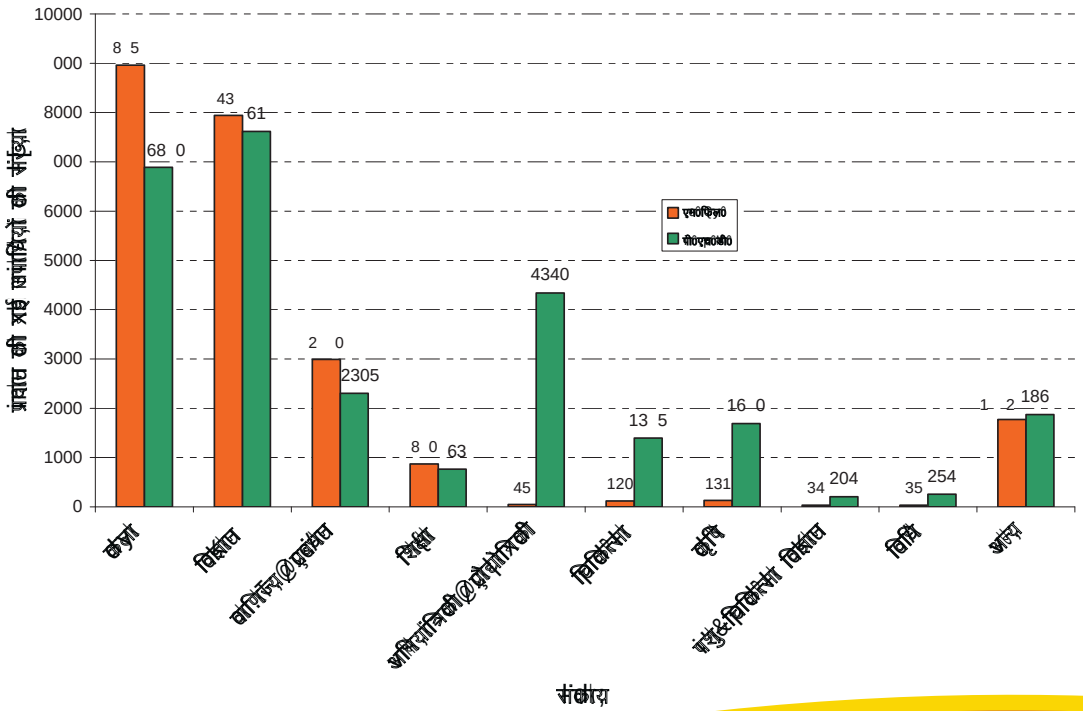
विज्ञान संकाय में कृषि विज्ञान, वेटेरिनरी विज्ञान एवं वेटेरिनरी अनुसंधान सम्मिलित हैं।

शिक्षा संकाय में विधि एवं व्यायाम सम्मिलित हैं।

चिकित्सा संकाय में आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा, होम्योपैथी, फार्मेसी, नर्सिंग, दंत चिकित्सा@सार्वजनिक स्वास्थ्य औषधि, यूनानी, सिद्धा, फिजिकल चिकित्सा, ऑक्यूपेशनल चिकित्सा, पेशे से संबंधे चिकित्सा और सिद्धे चिकित्सा आदि सम्मिलित हैं।

अन्य में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, संगीत, प्रदर्शन@दृश्य कला, पत्रकारिता और जनसंचार, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक कार्य आदि सम्मिलित हैं।

चित्र 2.4(ब): वर्ष 2014&2015 के दौरान प्रवाह की गई एस0एफ0 तथा पी0एच0डी0 छात्राओं की संकाय&वार संख्या



2.5 उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन में वृद्धि

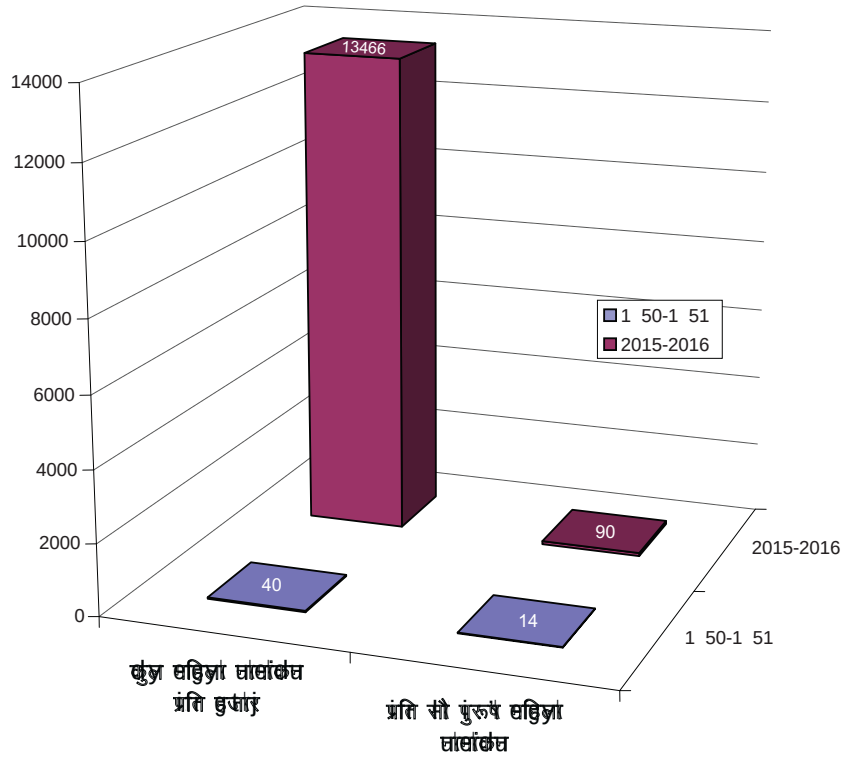
स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन में व्यापक स्तर पर वृद्धि हुई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय महिलाओं का कुल नामांकन 10 प्रतिशत से भी कम था जिसमें शिक्षा वर्ष 2015&2016 के दौरान 47.27 प्रतिशत तक वृद्धि हो चुकी है।

विशेषरूप से] पिछले दो दशकों के दौरान विकास की गति तीव्र रही है। जैसा कि तालिका 2.5(क) में दिये गए आंकड़े दर्शाते हैं] प्रति 100 पुरूषों की तुलना में नामांकित महिलाओं की संख्या में वर्ष 1950&51 की तुलना में वर्ष 2015&16 के दौरान छह गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

तालिका 2.5(क): प्रति सौ पुरूष शिक्षार्थियों पर महिला शिक्षार्थियों की संख्या

वर्ष	कुल महिला नामांकन (प्रति हजार)	प्रति 100 पुरूषों पर महिला नामांकन
1950-1951	40	14
2015-2016	13466	90

चित्र 2.5(क): प्रति सौ पुरूष शिक्षार्थियों पर महिला नामांकन तथा महिला शिक्षार्थियों की संख्या (वर्ष 1950&51 : 2015&16)



2.5(ख) राज्य और संकाय-वार महिला शिक्षार्थियों का नामांकन

वर्ष 2015&16 के दौरान राज्यों@संघ राज्य क्षेत्र&वार (तालिका 2.2(ख)) महिला नामांकन का संवितरण यह दर्शाता है कि राज्यों में कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में महिला नामांकन के संदर्भ में पुडुचेरी में सबसे अधिक 70.06 प्रतिशत नामांकन हुआ तत्पश्चात् गोवा में 60.31 प्रतिशत नामांकन हुआ। ऐसे कुल 26 राज्य@संघ राज्य क्षेत्र हैं] जिनमें महिला नामांकन 47.27 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक रहा। शेष राज्यों में महिला नामांकन] राष्ट्रीय औसत से कम रहा जिसमें बिहार और द्वीव में सबसे कम अर्थात् 39.45 प्रतिशत महिला नामांकन दर्ज किया गया। पारंपरिक संकायों के संदर्भ में सात प्रमुख राज्य] विज्ञानों के नामांकन के संबंध में शीर्ष पर रहा है (27.59 प्रतिशत) जिसके बाद महाराष्ट्र (13.87 प्रतिशत) तत्पश्चात् तमिलनाडु (12.40 प्रतिशत) आदि हैं।

वर्ष 2015&16 के दौरान उच्चतर शिक्षा में नामांकन का संकाय&वार वितरण नीचे तालिका 2.5(ख) में दिया गया है:

तालिका 2.5(ख): वर्ष 2015&2016 के दौरान संकायवार* नामांकन

क्र0 सं0	संकाय	नामांकन	कुल नामांकन का प्रतिशत
1.	कला@पूर्वदेशीय (ओरिएन्टल) संस्कृति का अध्ययन	5539097	41.13
2.	विज्ञान	2685403	19.94
3.	वाणिज्य@प्रबंधन	2141673	15.91
4.	शिक्षा	680953	5.06
5.	अभियांत्रिकी@ प्रौद्योगिकी	1360021	10.10
6.	चिकित्सा	676162	5.02
7.	कृषि	65640	0.49
8.	पशु&चिकित्सा विज्ञान	9879	0.07
9.	विधि	159216	1.18
10.	अन्य	147707	1.10
	कुल	13465751	100.00

* अनन्तिम आकंडे

कला संकाय में मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा भाषाएं आदि सम्मिलित हैं।

विज्ञान संकाय में शुद्ध विज्ञान, बी.ई./बी.टैक. विज्ञान एवं बी.ई./बी.टैक. अनुप्रयोग आदि सम्मिलित हैं।

शिक्षा संकाय में शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य, विद्या वारिधि एवं वाक्पत्ति आदि सम्मिलित हैं।

अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय में कृषि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी एवं खाद्य तकनीक आदि सम्मिलित हैं।

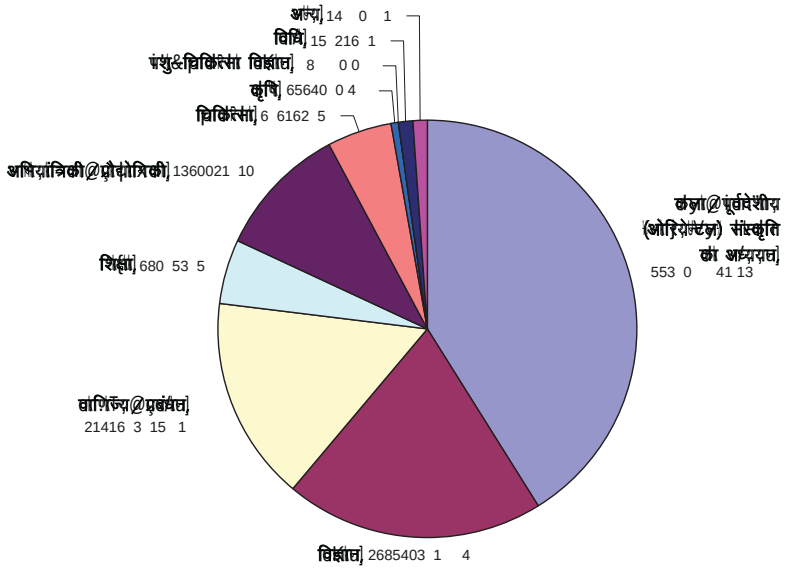
चिकित्सा संकाय में आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा, होम्योपैथी, फार्मेसी, नर्सिंग एवं सहायक@सामाजिक चिकित्सक औषधि, यूनानी, सिद्धा, यौगिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, योग से संबंधे चिकित्सा और सिद्ध चिकित्सा आदि सम्मिलित हैं।

कृषि संकाय में बागवानी, ग्रेशन सर्वेक्षण एवं वानिकी आदि सम्मिलित हैं।

पशु&चिकित्सा विज्ञान संकाय में पशु पालन, डेयरी विज्ञान, पशु विज्ञान आदि सम्मिलित हैं।

अन्य में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, संगीत, प्रदर्शन@दृश्य कला, चित्रकारिता एवं मूर्तिकार, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक कार्य आदि सम्मिलित हैं।

चित्र 2.5(ख) : वर्ष 2015&2016 के दौरान विश्वविद्यालयों@समविद्यालयों में संकायवार* नामांकित विद्यार्थियों का वितरण

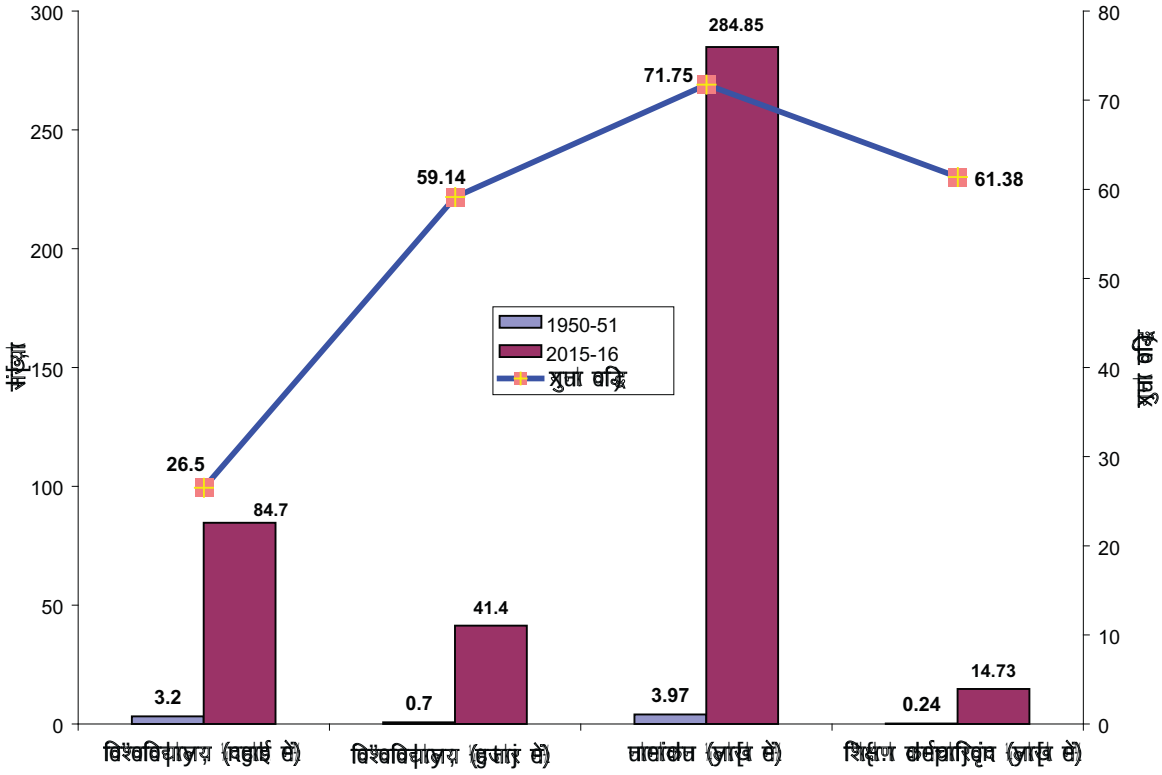


तालिका 2.5 (ख) दर्शाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुल नामांकन का 41.13 प्रतिशत रहा, जिसके बाद विकास खंडों में 19.94 प्रतिशत, तालुका/मंडल में 15.91 प्रतिशत और जिला या इससे ऊपर के शहरी क्षेत्रों से संबंधित नामांकन का 76.98 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों से संबंधित नामांकन, कुल नामांकन का 23.02 प्रतिशत है।

2.6 उच्चतर शिक्षा में वृद्धि के संबंध में संक्षिप्त आंकड़े

वर्ष 1950-51 से लेकर 2015-16 तक सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों/संस्थानों के संबंध में 26.5 गुना वृद्धि तथा महाविद्यालयों की संख्या में 59.14 गुना वृद्धि और छात्र नामांकन (नियमित पाठ्यक्रमों में) में 71.75 गुना तथा शिक्षकों की संख्या में 61 गुना वृद्धि दर्ज की गई।

चित्र 2.6: वर्ष 1950-51 से 2015-16 के दौरान विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/छात्र नामांकन/शिक्षण कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर शिक्षा की वृद्धि



अध्याय 3

विश्वविद्यालयों को विकास (योजनागत) और अनुरक्षण (गैर-योजनागत) सहायता

- केन्द्रीय विश्वविद्यालय
- राज्य विश्वविद्यालय
- सम विश्वविद्यालय
- निजी विश्वविद्यालय

3.1 विश्वविद्यालयों को सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्रीय और सम विश्वविद्यालयों की योजनागत (विकास) और गैर-योजनागत (अनुरक्षण) दोनों अनुदान प्रदान करता रहा है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों के लिए सहायता केवल योजनागत (विकास) स्कीम/कार्यक्रमों के अन्तर्गत ही उपलब्ध कराई जा रही है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों की विधारित परियोजना के आधार पर एवं विश्वविद्यालयों हेतु सीमान्य योजना विकास अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है और इस संबंध में विश्वविद्यालयों की संस्तुति किया जाता है। यह परियोजना 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए प्रासंगिक है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सीमान्य योजनागत (विकास) सहायता के तहत पहुँच बढ़ाने, समानता सुनिश्चित करने, संस्थान शिक्षण प्रदान करने, गुणवत्ता एवं सम्बद्धता में सुधार करने, अपने विश्वविद्यालय के प्रशासन को और अधिक प्रभावशाली बनाने, अधिकाधिक संसाधन सुधार कार्यक्रम चलाने, छात्रों के लिए सुविधाएं बढ़ाने, शैक्षिक सुविधाओं में वृद्धि करने महित महत्वपूर्ण की सहायता करने हुए सीमान्य योजना विकास सहायता के अंतर्गत इच्छुक पात्र विश्वविद्यालय के समग्र विकास के लिए सहायता देता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, सीमान्य योजनागत (विकास) सहायता के तहत इस सेक्टरों की पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों की अवसंरचना, ICT, सभी/कोर पुस्तकों और पत्रिकाओं, पुस्तकालयों आदि संबंधी आवश्यकताओं की पूरा करने हेतु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र विश्वविद्यालय की सीमान्य योजनागत विकास सहायता के अंतर्गत विशेष सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

3.1 (क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयः

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों की विकास (योजनागत) और अनुरक्षण (गैर-योजनागत) दोनों ही प्रकार की सहायता उपलब्ध कराता है।

वर्तमान में, 47 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनमें से 7 विश्वविद्यालय यानी (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल, (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, (iii) इंडियन सेरीकल्चर यूनिवर्सिटी, रांची (iv) नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग (v) नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार, (vi) राजीव गांधी सेंटर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश और (vii) राजीव गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विशेषरूप से नहीं किया जाता है। इसलिए, 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की योजनागत (विकास) अनुदान तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य विशेष योजना के तहत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। 03 नए परिवर्तित केन्द्रीय विश्वविद्यालय और एक विधिसम्मत महाविद्यालय सहित 24 पुराने केन्द्रीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची अध्याय-2 की तालिका 2.1(ii)(i) में दी है।

3.1 (क)(i) योजनागत अनुदान

3.1 (क)(i)(i) सामान्य विकास अनुदान

40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की विकास हेतु योजनागत अनुदान दिया जाता है। इनके साथ-साथ एक विधिसम्मत महाविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस को भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित किया जाता है।

विकास सहायता का सदैव उद्देश्य विश्वविद्यालय की विद्यमान संरचना में सुधार करना और समता को संवर्धन करना है विशेष कमियुक्त क्षेत्रों में सर्वोत्कृष्टता विकसित करना भी है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजनाबद्ध ब्यौरे अनुसार के रूप में विश्वविद्यालय की सामान्य विकास सहायता पुहैया करवाई जायेगी। विश्वविद्यालय के लिए सबसे विचार@विकल्प के लिए (जिसमें विद्यमान सबसे का विकल्प शामिल है) कैम्पस विकास, अवसंरचना, पुस्तकें एवं जर्नल, प्रयोगशाला, सामान्य सेवा सुविधा, खेल सुविधा, वार्षिक अनुरक्षण संविदा, खेलकूद शैक्षणिक सुविधा, विश्वविद्यालय सड़क संबंध, विस्तार सुविधा, सांस्कृतिक सुविधा, आईसीटी का विकास, खाद्य पदार्थ, छात्रावास, सहित छात्रों की सुविधाएं, छात्रों की ऋण&एसईपी अध्येतावृत्ति, यात्रा अनुदान, सेमेस्टर@सेमेस्टर@परिसंवाद@कार्यशाला, प्रकाशन अनुदान, अस्थायी आवास@अस्थायी अध्यापकों की नियुक्ति तथा कैरियर एवं प्लेसमेंट सेवा की स्थापना, विकलांग छात्र@कर्मचारी, सहित्यकों के लिये सुलभ सुविधाएं तथा संकाय विकास कार्यक्रम आदि के लिये होगी।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित योजनाओं की संख्या की सलाह की गई है तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित योजनाओं के तहत कोई पृथक अनुदान सामान्यतः नहीं करवाया जायेगा।

विद्यमान योजनाएं जो पूर्व में अनुमोदित योजना का भाग थीं सभी अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक समर्पित प्रकोष्ठ द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा तथा इन योजनाओं के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पृथक अनुदान सामान्यतः करवाया जायेगा।

(i) सलाह अवसंरचना।
(ii) अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग (अनिवार्य वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु सामान्य अनुशिक्षण।
(iii) अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग (अनिवार्य वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिये पेशे अनुशिक्षण।
(iv) सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग (अनिवार्य वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु अनुशिक्षण कक्षाएं।
(v) विशेषज्ञ व्यक्तियों हेतु योजना।

सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ तथा सहित्यकों के लिए छात्रावास योजना को एक स्वतंत्र योजना के रूप में प्रारंभ किया जा रहा है।

विद्वेषना संवर्धन@संकाय संसाधन (एसडीए) सामान्य एक योजना जिसे बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था अब एक बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता योजना का भाग है। इस योजना के लिए कोई पृथक विनियोजन सामान्यतः नहीं करवाया जायेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विद्यमान प्रयोजनार्थ की विधियां सामान्यतः जारी हैं:

3.1(क)(i)(ii) सच्चर समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

प्रारंभिक सच्चर समिति रिपोर्ट में शिक्षा क्षेत्र के संबंध में अनेक सिफारिशें की हैं। रिपोर्ट की विषयवस्तु के आधार पर सिफारिशों पर कार्य योजना तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक सचिव स्तरीय समिति का गठन किया गया था। मानवीय मानव संसाधन मंत्री ने दूसरी समिति की रिपोर्ट की सभी अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर लिया है।

दूसरी समिति ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों मानतः अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया राष्ट्रीय मानू विश्वविद्यालय] हैदराबाद के संबंध में कतिपय विशिष्ट सिफारिशें की हैं।

3.1(क)(i)(iii) : अल्पसंख्यकों/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की अनुशिक्षण योजना

विश्वविद्यालय सामान्यतः अनुशिक्षण एवं सेवाओं में प्रवेश की योजनाओं के वांछित प्रभाव प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय] जामिया मिलिया इस्लामिया राष्ट्रीय मानू विश्वविद्यालय] हैदराबाद] बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय] लखनऊ और जामिया मिलिया इस्लामिया में अल्पसंख्यकों@अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आवासीय अनुशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई थी।

अल्पसंख्यकों@अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमी का उद्देश्य समाज समूह के लिए समाज के सभी वर्गों की समान अवसर प्राप्त करना है] जिसमें अल्पसंख्यकों] अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति और

छात्रावासों के लिए सहायतित कार्यवाही सुनिश्चित हो सके तथा निःशुल्क@सस्ता शुल्क@दिया शिक्षण शुल्क पर छात्रावास की सुविधा प्रदान की जा सके@इसके अलावा] विभिन्न क्षेत्र की नौकरियों में प्रवेश के लिए तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों] त्रिपिसा स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए सम्पूर्ण श्रेणी के छात्रावासों की निःशुल्क शिक्षण की सुविधा प्रदान की जा सके।

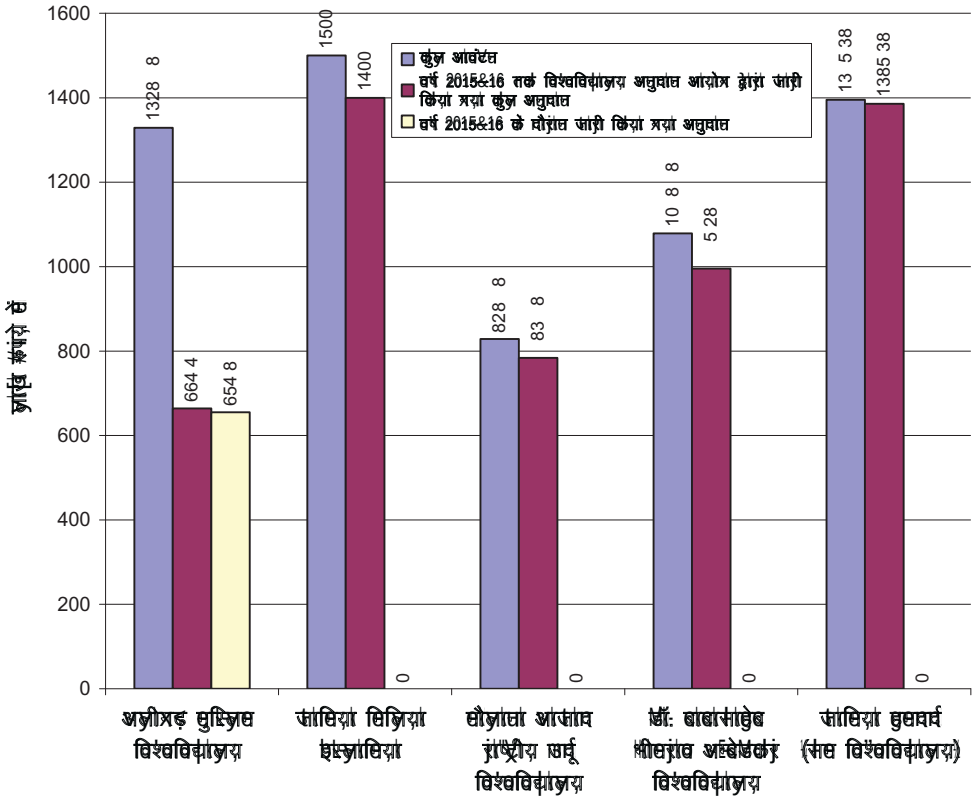
इस योजना के तहत आवासीय अनुशिक्षण अवसंरचनाओं की स्थापना करने के लिए वर्ष 2015&16 के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे तालिका 3.1(क)(i)(iii) में दिया गया है&

तालिका 3.1(क)(i)(iii)

(लाख रुपये में)

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय का नाम	कुल आवंटन	वर्ष 2015&16 जारी किया गया अनुदान	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2015&16 तक जारी किया गया कुल अनुदान
1:	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1328.78	654.89	664.40
2:	जामिया मिल्लिया इस्लामिया	1500.00	0.00	1400.00
3:	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	828.78	0.00	783.78
4:	डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	1078.78	0.00	995.28
5:	जामिया हमदर्द (मस विश्वविद्यालय)	1395.38	0.00	1385.38
कुल		6131.72	654.89	5228.84

रेखाचित्र 3.1(क)(i)(iii): वर्ष 2015&16 के दौरान अनुशिक्षण अवसंरचनाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता



तालिका 3.1(क)(i)(iv): पीठ

वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में मंजूरीकृत पीठों की स्थापना की स्थिति

क्र0 सं0	पीठ का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1:	विवेकानन्द अध्ययनपीठ	केन्द्रीय उर्दू विश्वविद्यालय

वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तत्कालीन श्रेणी सीडी की स्थापना हेतु 20.00 लाख रुपए तथा केन्द्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय की विशेषाधिकार सीडी की स्थापना हेतु 25.00 लाख रुपए की राशि जारी की।

3.1(क)(i)(v): कम से कम चार विनिर्दिष्ट विज्ञान अकादमियों के अध्येता शिक्षकों को 15,000 रूपए प्रतिमाह का विशेष मानदेय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी शिक्षकों को 15]000 रुपए प्रतिमाह का विशेष मानदेय प्रदान करने की योजना शुरू की है जिसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया है अथवा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विषयक क्षेत्र अकादमियों में से एक से अधिक की फैलो हों।

1. राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद
2. भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलुरू
3. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली
4. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान इंजीनियरिंग अकादमी, नई दिल्ली

कोई भी शिक्षक केवल एक मानदेय प्राप्त कर सकता है और एक से अधिक मानदेय प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात् सीएसआईआर से फैलोशिप प्राप्त कर सकता है अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना का लाभ ले सकता है।

योजना के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ₹ 0.59 लाख तथा पुडुचेरी विश्वविद्यालय को ₹ 3.90 लाख की राशि जारी की गई।

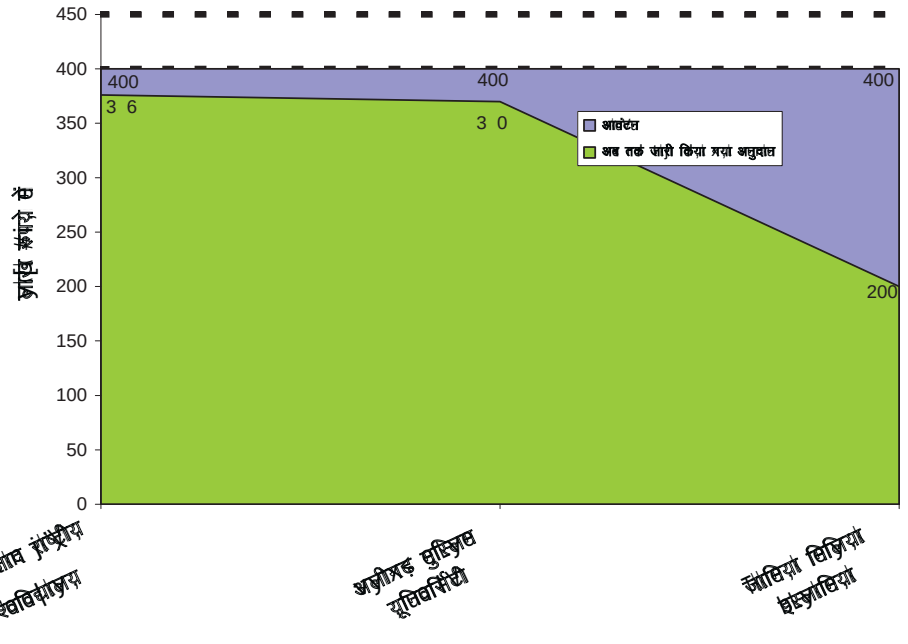
3.1(क)(i)(vi): उर्दू माध्यम के अध्यापकों के पेशेवर विकास के लिए केन्द्र की स्थापना:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी स्तरों के अध्यापकों के पेशेवर विकास हेतु केन्द्र की स्थापना करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की विधियां सम्पन्न करता रहा है। इन विश्वविद्यालयों को जारी अनुदान की स्थिति निम्नवत है:

(लाख रुपये में)

विश्वविद्यालय का नाम	आवंटन	अब तक जारी किया गया अनुदान
मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	400.00	376.00
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी	400.00	370.00
जामिया मिल्लिया इस्लामिया	400.00	200.00

चित्र 3.1(क)(i)(vi): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी स्तरों के अध्यापकों के पेशेवर विकास के लिए जारी किया गया अनुदान



वित्त वर्ष 2015&16 के दौरान योजना के तहत कोई अनुदान जारी नहीं किया गया A

3.1(क)(i)(vii): केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम] 1956 की धारा 2(ञ) तथा 12 (बb) के तहत मानी गई सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु निधियां उपलब्ध करा रहा है A

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आईक्यूएसी की स्थापना करने तथा साथ ही सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 5.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है (इस सहायता की कुल सहायता के 90 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत की दो किस्तों में जारी किया जाएगा)A विस्तृत खर्चों पर व्यय किया जा सकता है&

क्र0 सं0	अनुदान की सहेश्य	राशि
1	आईक्यूएसी के निदेशक@समन्वयक की 1000x12x5 रुपए की दर से मानदेय	160]000/-:
2	कार्यालय के संचालन	1]00]000/-
3	मशिनरी तथा तकनीकी सेवाएं प्राप्त करना	1]80]000/-
4	आईसीटी संचार व्यय	80]000/-
5	आकस्मिकताएं	80]000/-
	कुल	5]00]000/-

योजना के तहत वर्ष 2015&16 के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 4.50 लाख रुपये तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 4.50 लाख रुपये की राशि जारी की गई A

3.1(क)(i)(viii): वर्ष 2015–16 के दौरान बारहवीं पंचवर्षीय योजनागत आवंटन से प्रदत्त अनुदान

वर्ष 2015&16 के दौरान माननीय विदेश अनुदान के तहत विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किये गये अनुदानों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

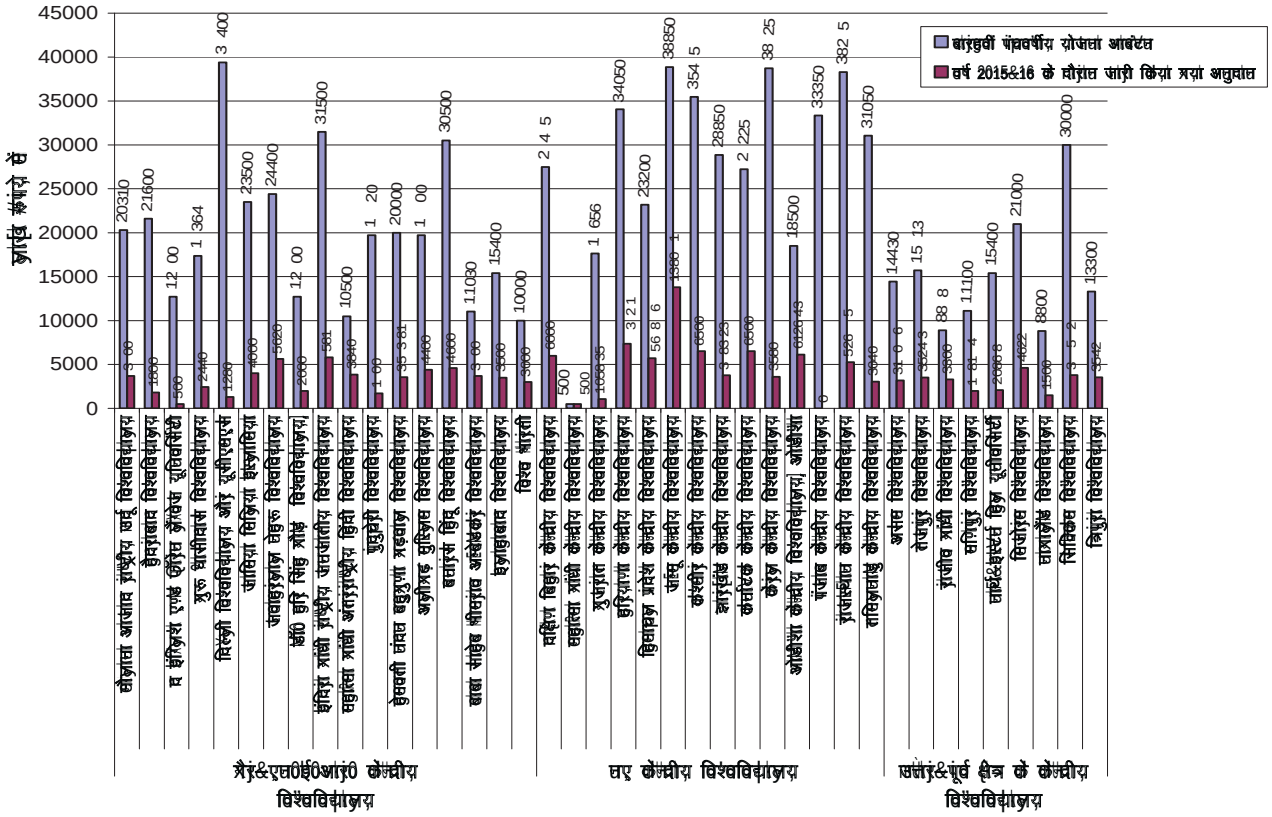
बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2015&16) (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) के दौरान जारी किया गया अनुदान

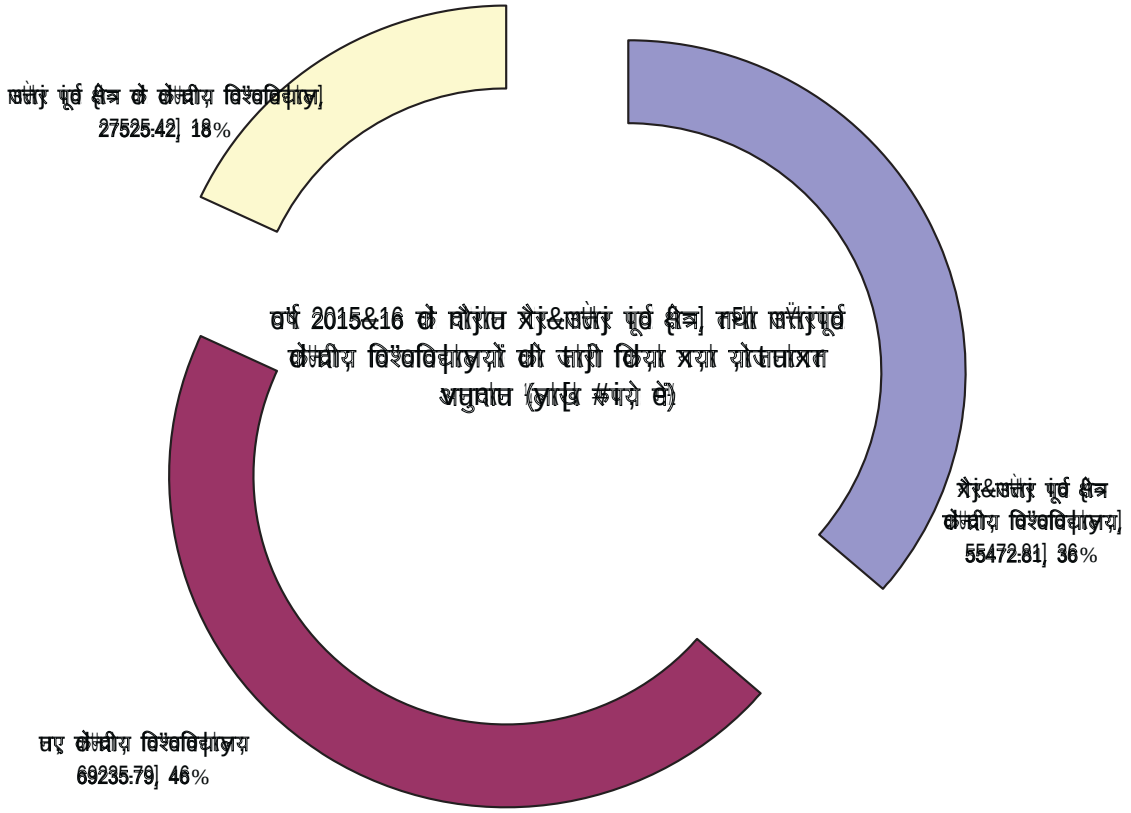
(लाख रुपये में)

क्र0 सं0	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय@विभिन्न महाविद्यालय का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन	वर्ष 2015&16 के दौरान जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4	5
	मैसर्स&एस0ई0आर0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय			
1	तेलंगाना	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय]	20310.00	3700.00
2		हैदराबाद विश्वविद्यालय]	21600.00	1800.00
3		म इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी]	12700.00	500.00
4	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	17364.00	2440.00
5 क	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	27000.00	0.00
5 ख		यूसीएसएम	12400.00	1280.00
6		जामिया मिल्लिया इस्लामिया	23500.00	4000.00
7		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	24400.00	5620.00
8	मध्य प्रदेश	डॉ0 हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय]	12700.00	2000.00
9		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय]	31500.00	5819.00
10	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	10500.00	3840.00

क्र0 सं0	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय@शिक्षा महाविद्यालय का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन	वर्ष 2015&16 के दौरान जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4	5
11	पुडुचेरी	पुडुचेरी विश्वविद्यालय	19720.00	1700.00
12	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	20000.00	3573.81
13	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	19700.00	4400.00
14		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	30500.00	4600.00
15		बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	11030.00	3700.00
16		इलाहाबाद विश्वविद्यालय	15400.00	3500.00
17	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	10000.00	3000.00
	कुल (I) (क्रे&एच0ई0आर0 केंद्रीय विश्वविद्यालय)		340324.00	55472.81
	एच केंद्रीय विश्वविद्यालय			
18	बिहार	बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	27475.00	6000.00
19		महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय	500.00	500.00
20	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय]	17656.00	1058.35
21	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	34050.00	7372.10
22	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	23200.00	5698.76
23	जम्मू और कश्मीर	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	38850.00	13807.17
24		कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	35475.00	6500.00
25	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय]	28850.00	3783.23
26	कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	27225.00	6500.00
27	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	38725.00	3580.00
28	ओडीशा	ओडीशा केंद्रीय विश्वविद्यालय] ओडीशा	18500.00	6126.43
29	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	33350.00	0.00
30	राजस्थान	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय	38275.00	5269.75
	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	31050.00	3040.00
	कुल - (सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय)		393181.00	69235.79
	कुल +		733505.00	124708.60
	उत्तर&पूर्व क्षेत्र के केंद्रीय विश्वविद्यालय			
31	असम	असम विश्वविद्यालय	14430.00	3170.76
32		तेजपुर विश्वविद्यालय	15713.00	3524.37
33	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	8878.00	3300.00
34	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	11100.00	1981.74
35	मेघालय	नार्थ&ईस्टर्न हिल यूनीवर्सिटी	15400.00	2086.87
36	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	2100000	4622.77
37	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	8800.00	1500.00
38	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	30000.00	3795.92
39	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	13300.00	3542.99
	कुल (उत्तर&पूर्व क्षेत्र)		138621.00	27525.42
	कुल&योग + +		872126.00	152234.02

रेखाचित्र 3.1(ख)(i)(iii): बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2015&16) के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किया गया योजनागत अनुदान (प्रतिशत में)



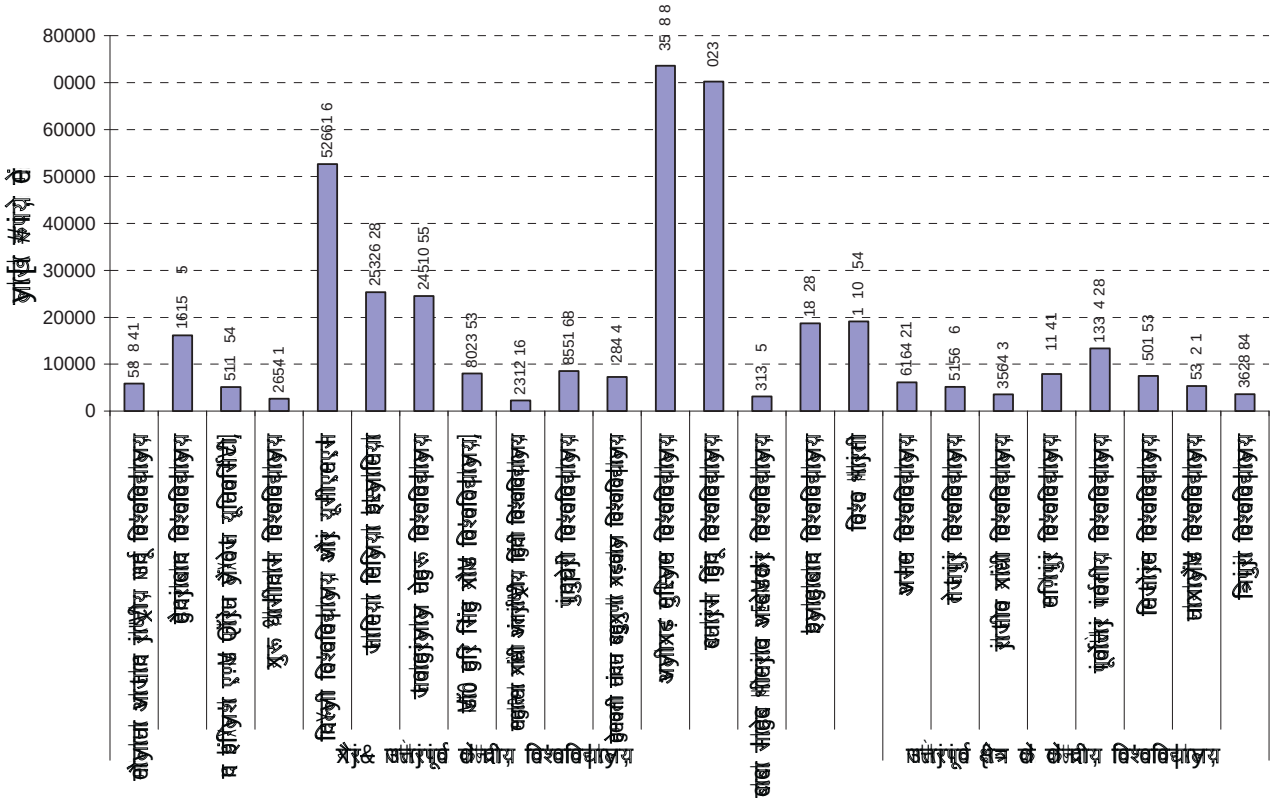


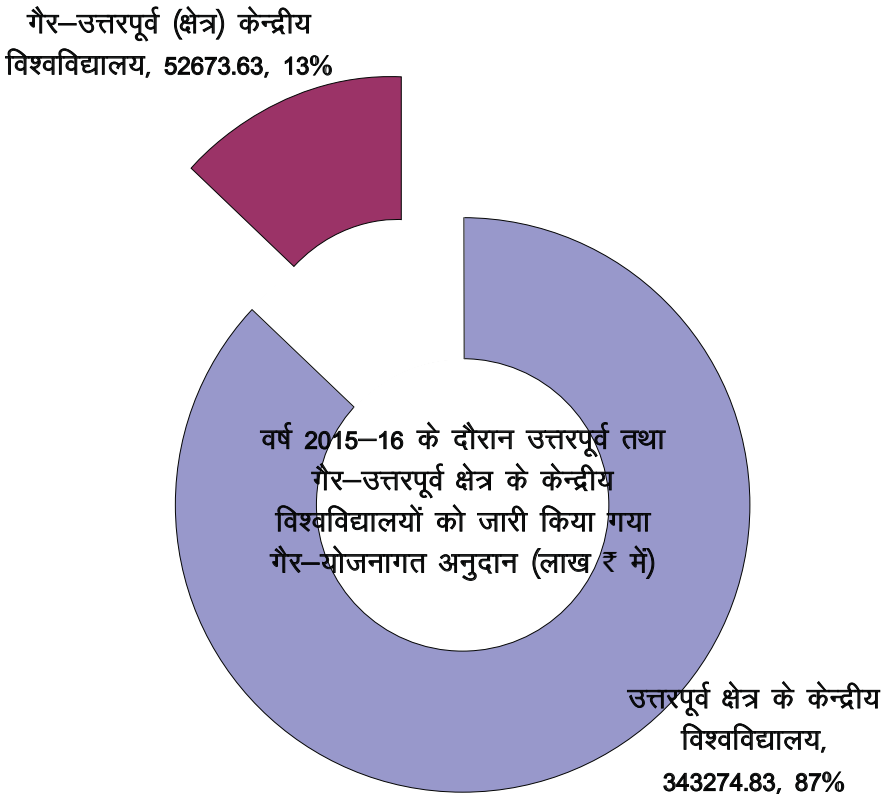
तालिका 3.1 (क)(ii): वर्ष 2015&16 के दौरान (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों को मुक्तसाध के लिए सैद्धांतिक अनुदान का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी की गई राशि
1	2	3
	सैद्धांतिक&एच0ई0आर0 विश्वविद्यालय	
	तेलंगाना	
1	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	5878.41
2	हैदराबाद विश्वविद्यालय	16159.75
3	द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी]	5119.54
	छत्तीसगढ़	
4	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	2654.19
	दिल्ली	
5	दिल्ली विश्वविद्यालय	43394.79
6	यूसीएसएस	9266.88
7	जामिया मिलिया इस्लामिया	25326.28
8	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	24510.55
	मध्य प्रदेश	
9	डॉ0 हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय]	8023.53
	महाराष्ट्र	
10	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय]	2312.16
	पुडुचेरी	
11	पुडुचेरी विश्वविद्यालय	8551.68
	सैद्धांतिक[खंड	
12	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय]	7284.40
	सैद्धांतिक प्रदेश	
13	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	73578.89
14	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	70237.77
15	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	3139.57
16	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	18728.90
	पश्चिम बंगाल	
17	विश्व भारती	19107.54
	सैद्धांतिक&एच0ई0आर0 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का योग	343274.83
	असम	
18	असम विश्वविद्यालय]	6164.21
19	तेजपुर विश्वविद्यालय	5156.96
	अरुणाचल प्रदेश	
20	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	3564.30
	मणिपुर	
21	मणिपुर विश्वविद्यालय	7911.41
	मेघालय	
22	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	13374.28
	मिजोरम	
23	मिजोरम विश्वविद्यालय	7501.53
	नागालैंड	
24	नागालैंड विश्वविद्यालय]	5372.10
	त्रिपुरा	
25	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	3628.84
	एचईआर केंद्रीय विश्वविद्यालयों का योग	52673.63
	कुल योग (सैद्धांतिक&एचईआर केंद्रीय विश्वविद्यालय + सए केंद्रीय विश्वविद्यालय)	395948.46

रेखाचित्र 3.1 (ख)(ii): वर्ष 2015&16 के दौरान गैर&उत्तरपूर्व तथा उत्तरपूर्व क्षेत्र के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किया गया गैर&योजनागत अनुदान (लाख रु. में)





3.1 (क)(iii): वर्ष 2015–16 के दौरान नई योजनाएं/नए कार्यक्रमों का शामिल किया जाना

3.1 (क)(iii)(i): मेटा विश्वविद्यालय की संकल्पना

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश विश्वविद्यालय की संकल्पना आगे की, देश विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण चयनित प्रौद्योगिकीयों का सम्पोषण करने विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा इस अनेक संस्थाओं की सहयोगिता करना है ताकि छात्र विभिन्न संस्थानों में सम्पूर्ण इस अनेक संस्थाओं से प्रमाणित हो सकेंA देश विश्वविद्यालय द्वितीय पीढ़ी के विश्वविद्यालय का द्योतक है जोकि शैक्षिक सीमांकन स्थितियों से मुक्त है तथा जो ऐसे क्षेत्रों में व्यवसेप तथा सम्पूर्ण प्रशीक्षण का प्रमाण सटिकर आगामी स्थान में हल करेंA

वित्त वर्ष 2015&16 के दौरान योजना के तहत कोई अनुदान जारी नहीं किया गयाA

3.1 (क)(iii)(ii): बाह्य स्रोतों से वित्तपोषण की व्यवस्था करना

सक्षमता शिक्षा की सहायता प्रदान करने] अपनी पारिसंपत्ति को पुनर्परीक्षित करने तथा विश्वविद्यालय के विकास में सहयोग की आवश्यकता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "बाह्य संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहन" नामक एक योजना आरंभ की थीA योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी हैA

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी एक विशिष्ट वर्ष में विश्वविद्यालय की प्राप्त योगदान के 25 प्रतिशत तक होता जोकि अधिकतम 50.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष होताA

ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना में स्वीकृत हुए केंद्रीय विश्वविद्यालयों का ब्यौरा निम्नवत है:&

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	राशि (लाख रुपए में)		
		ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	बारहवीं पंचवर्षीय योजना	कुल
1.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	225.00	50.00	275.00
2.	मणिपुर विधि विश्वविद्यालय	19.43	0.00	19.43
3.	तमिलनाडु बेहरू विश्वविद्यालय	300.00	0.00	300.00

वित्त वर्ष 2015&16 के दौरान योजना के तहत कोई अनुदान जारी नहीं किया गयाA

3.1 (क)(iii)(iii): दाखिले में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने हेतु क्षमता विस्तार

केंद्रीय शिक्षा संस्थान (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम] 2006 के तहत अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त संस्थानों के अलावा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित अनुरक्षित अथवा सहायता प्राप्त केंद्रीय शिक्षा संस्थानों (सीईआई) में अनुसूचित जाति के लिये 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों (अनिवार्य वर्ग के अलावा) हेतु अध्यादेश की प्रस्तावना शर्तों अथवा मंजूरी में अनुदेश वार्षिक संख्या का 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना परिकल्पित है जिसके परिणाम में शिक्षा सत्र 2006&07 के लिए अनुदेश वार्षिक क्षमता को शिक्षा सत्र 2008&09 में आगे और अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के दौरान 54 प्रतिशत तक बढ़ाना अपेक्षित है] ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अ:पि:व:] अ:जा: तथा अ:ज:जा: की प्रस्तावित शिक्षा सत्र में सम्पूर्ण अनारक्षित सीटों की संख्या सभी सत्र के लिए अनुदेश क्षमता से वृद्धि के अनुरूप होगी।

वर्ष 2015&16 के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु सम्मिलित विश्वविद्यालय को 1000.00 लाख रुपए की अनुदान जारी किया गयाA

3.1 (क)(iii)(iv): केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालयों को स्थापित करना/सुदृढ़ करना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग की स्थापना करने तथा शिक्षकों एवं अध्यापकों हेतु कार्यक्रम आयोजित करने हेतु वृहद पैमाने पर कार्य कर रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम] 2009 तथा अध्यापकों की शिक्षा संबंधी न्यायमूर्ति वर्मा आयोग (वर्ष 2012) की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आलोक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विश्वविद्यालयी प्रणाली में अध्यापकों की शिक्षा हेतु संस्थागत सहायता की विस्तार देने के लिए कहा ही साथ ही साथ विभिन्न गुणवत्ता सुधार लाने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया। ऐसे कदम उठाने की दिशा में एक ऐसा पहलू देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय की स्थापना करना था। इस उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सलाह दी कि वे शिक्षा विद्यालय स्थापित करने तथा मौजूदा अध्यापक शिक्षा के अलावा अध्यापकों की शिक्षा

से संबंधित विभिन्न हितधारकों को जोड़ने के लिये पत्र व्यवहार किया। इसमें पाठ्यचर्या शोध, नीतिगत तथा शैक्षणिक विकास, क्षमता अर्जन तथा शिक्षाशास्त्रीय अभ्यास, विस्तार एवं सूत्रीकरण, अध्यापकों की शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों का पेशेवर विकास करना शामिल है। एक संबंधित मुद्दा जिस पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से चर्चा करने का अनुरोध किया गया था वह अध्यापक शिक्षा (एनसीटीई) 2009 के संबंध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे की सिफारिशों के आलोक में विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या में सुधार करने से संबंधित था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा के विस्तार तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए विधियां मंत्रीकृत की जिनके विभिन्न शिक्षण तथा शिक्षणेतर पदों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या में सुधार हेतु चर्चाओं की भी व्यवस्था करते हुए शैक्षणिक स्टाफ कालेजों से अध्यापक शिक्षकों की पुनश्चर्या तथा अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने का भी अनुरोध किया ताकि अध्यापक शिक्षा विभागों में स्थानीयतर कार्यक्रमों की सुविधा किया जा सके तथा संशोधित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाये जा सकें।

सम्पोषित प्रयासों के परिणामस्वरूप, वर्तमान में 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय/विभाग हैं, जो विभिन्न नैक&पूर्व तथा अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं तथा साथ ही अध्यापक शिक्षा के अन्य संबंधित कार्यक्रमों को संचालित करने के प्रयासों की गति तेज कर दिया है।

वित्त वर्ष 2015&16 के दौरान योजना के तहत कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

3.1 (क)(iii)(v): केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को एकमुश्त अतिरिक्त अनुदान

वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत विश्वविद्यालयों के अवसंरचनात्मक विकास हेतु 8396.63 लाख रुपये की एकमुश्त अतिरिक्त अनुदान सम्पोषित किया:

क्र0सं0	विश्वविद्यालय का नाम	लाख रुपये में	प्रयोजन
1.	एच0एन0बी0 गढ़वाल यूनिवर्सिटी	1000.00	परिसर में क्षति की ठीक&ठीक करवाने के लिए अतिरिक्त अनुदान
2.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	4500.00	मल्लापुरम केन्द्र के लिए 1500.00 करोड़ रुपए, मुर्शिदाबाद केन्द्र के लिए 2000.00 करोड़ रुपए तथा किशनगंज केन्द्र के लिए 1000.00 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुदान
3.	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय	90.00	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में सामाजीय भवन हेतु अतिरिक्त अनुदान
4.	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2218.00	भू&अर्जन हेतु प्रतिपूर्ति के रूप में अतिरिक्त अनुदान
5.	नेताजी विश्वविद्यालय	588.63	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की प्रतिबद्ध देयताएं
	कुल	8396.63	

3.1 (क)(iii)(vi): लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण तथा उनके संवर्धन हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्वदेशी भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजना हेतु रिपोर्ट तैयार करने तथा दिशानिर्देशों की अंतिम रूप देने के लिये एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। आयोग ने दिनांक 17.12.2012 की आयोजित बैठक में संचित योजना की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत 09 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान किया है:&

1. नेताजी विश्वविद्यालय, असम
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश
3. मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम
4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश
5. झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झारखण्ड
6. यू# पानीबाबा विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
7. तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तमिलनाडु
8. तेलंगाना केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तेलंगाना

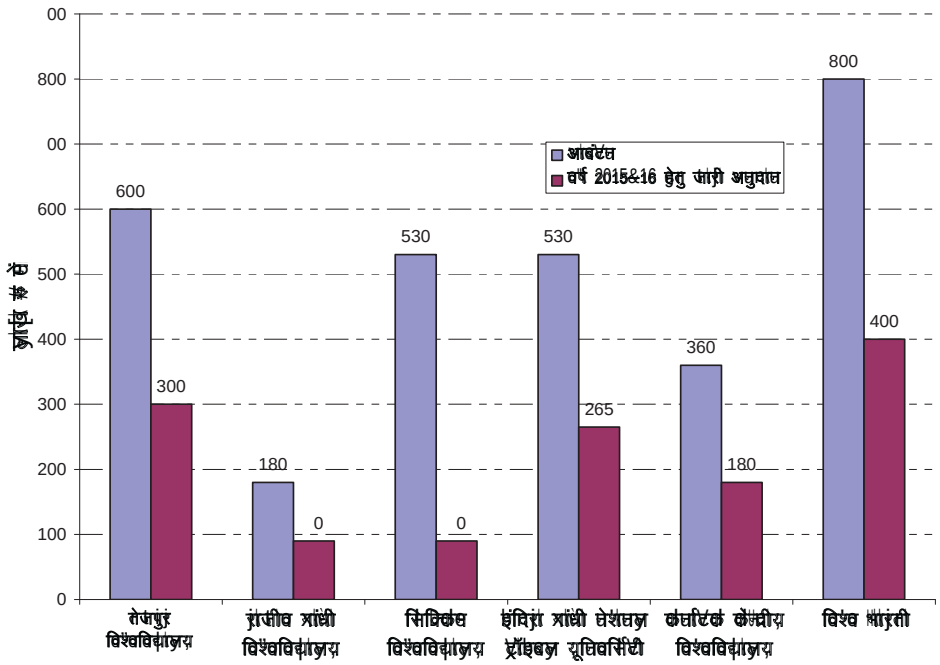
9. विश्व भारती, शांतिनिकेतन

योजना के तहत, वित्त वर्ष 2015&16 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की भूतपूर्व छात्राओं हेतु छात्रावासों की स्थापना हेतु 1325.00 लाख रुपए की अनुदान जारी किया गया है।

(लाख रुपए में)

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय का नाम	आवंटन	वर्ष 2015&16 के दौरान जारी किया गया अनुदान
1.	तेजपुर विश्वविद्यालय, असम	600.00	300.00
2.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश	180.00	90.00
3.	सिक्किम विश्वविद्यालय, सिक्किम	530.00	90.00
4.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्राईबल यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश	530.00	265.00
5.	केन्द्रीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय	360.00	180.00
6.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन	800.00	400.00
	कुल	2650.00	1325.00

चित्र 3.1 (क)(iii)(i): वर्ष 2015&16 के दौरान स्वीकृत तथा भूतपूर्व छात्राओं हेतु छात्रावासों की स्थापना हेतु आवंटित तथा जारी किया गया अनुदान



3.1 (क)(iii)(vii): विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों का निर्माण

महिलाओं की पहुंच बढ़ाने तथा व्यापक रूप से समाज के विकास की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए यह ही, लिंग समानता और महिलाओं की समाज प्रतिनिधित्व पाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों के निर्माण की योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

इस योजना के तहत निम्नलिखित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है:

(लाख रुपये में)

महिला छात्रावास	सहायक के अनुसार अन्य क्षेत्र	सहायक@विशेष वर्ग वाले राज्य*
500 तक	100.00	200.00
500 से अधिक	120.00	240.00

विशेष वर्ग वाले राज्यों में सभी पूर्वी क्षेत्र (सिक्किम सहित), जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।

*योजना के तहत, वित्त वर्ष 2015&16 के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

3.1 (क)(ii)(viii): एनएएसी द्वारा प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का अनिवार्य प्रत्यायन

सक्षमता शिक्षा के क्षेत्र में मान्यताप्राप्त तथा संस्थागत दक्षता मानदंड प्रक्रिया के सापेक्ष में मूल्यांकन तथा प्रत्यायन] गुणवत्ता आश्वासन की प्रमुख पद्धतियां हैं जिसमें छात्रों तथा अन्य की सहायता संबंधी डाटा सम्पूर्ण क्षेत्र द्वारा ली जाती है तथा सभी संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता पर विश्वसनीय जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिससे देशों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में छात्रों के स्थानांतरण में सहायता प्राप्त हो सकेगी।

किसी संस्थान में शिक्षा कार्यक्रमों के प्रारंभ होने से पूर्व मूल्यांकन आरंभ किया जाता है। संस्थान द्वारा सफलता के लिए पांच वर्ष (6 वर्ष) पूर्ण होने पर@विनिर्दिष्ट संख्या से छात्र (दो छात्र) सफलतापूर्वक होने पर] इनमें से जो भी पहले हो] के पश्चात् प्रत्यायन आरंभ किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि कोई भी सक्षमता शिक्षा संस्थान अथवा संकाय] विद्यालय] विभाग] केन्द्र अथवा इसके अंतर्गत कोई इकाई जिसे यदि इसी जारी रखा] यदि वह 31 दिसम्बर] 2015 को अथवा इससे पूर्व अपना विधिवत् तथा मूल्यांकन नहीं करवाती है तो वह दिनांक 1 अप्रैल] 2016 तथा इसके पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इसकी किसी भी योजना के लिये वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने अथवा प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होगी।

40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 24 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त किया है। तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने पूर्व में प्रत्यायन प्राप्त कर लिया था परंतु सबकी प्रत्यायन अवधि समाप्त हो गई है तथा सबोंने पुनः प्रत्यायन हेतु आवेदन किया है। शेष केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने पहली बार प्रत्यायन हेतु आवेदन किया है। एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यायन हेतु आवेदन किया जाना शेष है और एक नवीन स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रत्यायन के लिए पात्र नहीं है।

3.1 (क)(iv): केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन

3.1 (क)(iv)(i): दिनांक 4 से 6 नवम्बर, 2015 को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (सीवी) के कुलपतियो (वीसी) का तीन दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान निम्नवत टिप्पणियां की गईः

- शिक्षकों के खाली पदों की भरना।
- वर्ष 2020 तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 30 प्रतिशत तक बढ़ाना।
- पाठ्यक्रम को नियमित रूप से सुधार तथा संशोधन।
- सभी भारत अभियान & तक से तक पांच गांवों को अपनाना तथा सभी शैक्षिक और तकनीकी संस्थानों को एक साथ लाना ताकि ऐसे समाधान की पेशकश करना जिससे ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके।
- एनएएसी का प्रत्यायन।
- सक्रियता बढ़ाना।
- एनआईआरएफ&रैंकिंग ताकि छात्र बेहतर भारतीय एवं गुणवत्तापूर्ण के आधार पर प्रवेश का विकल्प प्राप्त हो सके।
- अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग&सक्षमता शिक्षा की वैश्विक गुणवत्ता&रैंकिंग करने वाली एजेंसियों के साथ शिक्षकों का संपर्क स्थापित करना तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य प्राप्त करते हैं और सबसे अच्छे संबंधित करकों से जोड़ते हैं।
- विदेशी संस्थानों] सहयोगों] पूर्व छात्रों से संबंध स्थापित करना।
- वैश्विक मानक तथा अपेक्षित को पूरा अर्जित करने जैसी चुनौतियों के लिए समाधान ढूंढना।
- व्यवहारी पारिस्थितिकी प्रणाली को सृजन करना A
- सभी विश्वविद्यालयों के बीच संबंध स्थापित करना जिसका मूलभूत प्रभाव पड़ेगा।
- वाराणसी में ऐशिया प्रौद्योगिकी में संयुक्त विदेशी स्नातकीय पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए बीएचयू&विभिन्न के बीच सहयोग।
- नई पद्धति की अपनाकर शिक्षण के क्षेत्र से सुधार करना] ऐसी शिक्षा प्रदान करना जिसमें छात्र का चरित्र निर्माण हो और वैश्विक सूत्र का समावेश हो तथा सौहार्द्रपूर्ण अवसंरचना आदि का बेहतर अनुरक्षण तथा सपोर्ट हो सके।
- बेहतर गुणवत्तायुक्त शोध&प्रायोजित शोध] एमओयू] पीठों की स्थापना] पद और संकायों की भर्ती की गति बढ़ाना अंतःसंबंधों के क्षेत्रों का विस्तार करना।

- उच्च शीति विर्लाण मे संबंधित विषयों पंर मासाजिक विर्ज्ञाप और साधविकी के क्षेत्र में शोध की मंहुच कंरना।
- मंशोधित ब्यांपक ऑपचारिक पाठ्यक्रमों (एसओसीएम)& ई&मामग्री की तैयारं कंरना जो अंतर्क्रियात्मकी] ब्यावमारिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने संबंधी आवंश्यकताओं इंाचअर्जन का अवसरों की पेशकश कंरेगा।
- ऑनलाइन इंनोशिएटिव ऑफ एजुकेशन (सीआईएएन) साथ साझेदारी के अंतर्गत विदेशी अकादमिक मास्टरों की देश में लाने और यहां मंजदूरी मंस्थानों में पढ़ाने का अवसर देना।
- समाजों के साथ अंतर्संबंध&विश्वविद्यालयों की समाजों के साथ अंतर्संबंधों का प्रबंधन कंरने तथा सहयोग कंरने के लिए (संकाय&अध्ययन) के कार्यालय स्थापित किया जाए।
- स्नातकपूर्व छात्रों के लिए प्रायोगशाला इंाचअर्जन की बढ़ावा दिया जाए। साथ ही सहयोग और कौशल विकास हेतु पाठ्यक्रम की भी बढ़ावा दिया जाए।
- सौजूदा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षक शिक्षण विभाग की सुदृढ़ किया जाए और शिक्षा के भविष्य विद्यालय में सहयोग किया जाए तथा शिक्षण के पेशे में नए पेशेवरों की कार्यप्रदर्शन की सुदृढ़ किया जाए। पूरे देश के कुछ शैक्षणिक संस्थानों] जिनमें संकाय की कमी कंरते हों] ऐकेडमी रिजार्वी] समाज@इंदंरेशनल इंक्सचेंज योजना आदि चलाते हों उनमें संकाय विकास अकादमियों की स्थापना की जाए
- मानुवारिक विकास&मेगिक सुरक्षित हेतु मार्गदर्शिका मिशंनरु के विर्लाण कंरने के लिए मानुवारिक विकास कंरना। अकादमिक डांचे में छात्र&मानुवार की औपचारिक मेलजोल कंरना तथा समाजों की ब्यावमारीकंरण में शामिल कंरना
- सौंझें उद्यमिंत्व
- लिंग संवेदीकंरण
- छात्रों में सक्रिय नागरिकता विकास सुनिश्चित कंरने के लिए सामाजिक के सहयोग से शीर्ष यात्री की तर्ज पंर विश्वविद्यालयों द्वारा अंध्येतावृत्ति कार्यक्रम आयोजना
- सक्रियतां शिक्षा में नवुंज और सहायता की बढ़ावा देना
- समावेशिता प्रकोष्ठ की स्थापना कंरना एवं विविधता की आकर्षित कंरने के लिए विकास कार्यालयों की स्थापना कंरना
- छात्रों की विकंट के मंजदूरी स्कूलों में प्रतिसाल एक सौंरे और वर्ष में 12 सौंरे पढ़ाने का कार्य सौंपना

3.1(क)(iv)(ii): दिनांक 18 फरवरी, 2016 को सूरजकुण्ड में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन का आयोजन

केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन में निम्नलिखित टिप्पणियों की सर्वसम्मति से पारित किया गया:

- छात्र सहयोग की अकादमिक सफलताओं को हासिल बनाने के लिए विश्वविद्यालयों की वरिष्ठ छात्रों और संकायों की शामिल कंरते हुए मजबूत इंाचअरु प्रणाली के साथ से सहयोगी&सहयोगित अध्ययन की संस्थागत रूप देना।
- छात्रों] कर्मचारिवृंद तथा संकाय सहित विश्वविद्यालय सहयोग की शिकायत निवारण प्रणाली हेतु एक पारदर्शी और मजबूत तंत्र सुनिश्चित कंरने के लिए एक सम्मान रोमी अधिकारी की नियुक्त कंरने के लिए कदम उठाना।
- सक्रियतां शिक्षा में विविधिता और पारदर्शिता की बढ़ावा देना एक ऑनलाइन प्रवेश प्रंक्रिया शुरू कंरना।
- सक्रियतां शिक्षा में मकंस्थ सामांजस अनुपात की 30 प्रतिशत तक बढ़ाना] अकादमिकतर तथा सामाज संगठन संबंधी अवसरों से विद्यार्थी के लिए दो डिग्रियों में कमीं आदि कंरना जिसमें कुछ मुश्त हो जाए।
- वैश्विक जगत में तेजी से बदंलते इंाच के मद्देनजर से कदम से कदम मिलाने के लिए युवा की मौजी आवश्यकताओं हेतु नए और व्यवहारी पाठ्यक्रम तैयारं किए जाएं।

(ख) सामाजिक विज्ञान और साधविकी

(i) विदेशी भाषाओं अनुप्रयुक्त पाठ्यक्रम

(ii) कला डीजिटल और युवा

(ii) अंतर्&वस अध्ययन
(iv) संस्कृतियों और सभ्यताओं पर विमर्श
(v) सहिष्णुता और सद्भावशीलता
(vi) सहयोगी विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य
(vii) वृद्धावस्था के प्रति संवेदी अध्ययन
(viii) सांस्कृतिकता और मूल्यपरक शिक्षा
(ix) शांतिपरक संवेदी अध्ययन

(ख) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कृषि
(i) जैव प्रौद्योगिकी
(ii) औद्योगिक प्रौद्योगिकी
(iii) अनुप्रयुक्त विज्ञान और गणित
(iv) कृषि विस्तार प्रबंधन और सद्भावशीलता
(v) कृषि प्रौद्योगिकी
(vi) खाद्य आपूर्ति शृंखला प्रबंधन
(vii) नवीकरणीय ऊर्जा विकास

- यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियों के तहत कोई भी छात्र सक्षमता शिक्षा से वंचित न हो, विश्वविद्यालय यह तय करे कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और हिन्दी में प्रस्तावित सीमांत भाषा हो।
- छात्रों की सक्षम नियुक्ति और पेशेवर विकास हेतु सहयोग बढ़ाने हेतु विशेषज्ञों द्वारा व्यापक विशाखनिर्देश और परामर्श की पेशेवर पद्धति से क्रियान्वयन किया जाए।
- सहिष्णुताओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित और अनुकूल परिवेश तैयार करने के लिए छात्र, कर्मचारियों और संकाय सदस्यों विचारण तंत्र सृजित करें और सौहार्द्र प्रणाली को सुदृढ़ करें।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय में सुरक्षा ऑडिट पर व्यापक रूप से तथा वर्ष के भीतर तृतीयक ऐसा कराया जाए।
- छात्रों की सामाजिक रूप से जरूरतमंद तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने तथा सामाजिक सशक्तीकरण हेतु प्रतिबद्धता, सघन ग्रामीण अभियान के तहत पहले से ही चुने गये गांव को गोद लेने के कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- सेवाओं की गुणवत्ता तथा त्वरित सुधारों हेतु प्रशासनिक सुधार के भीतर ई&शासन को प्राथमिकता से लागू किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करना आईआईएम में कुलपतियों, सह कुलपतियों तथा कुल सचिवों हेतु क्षेत्रीय तथा प्रबंधन विषय पर एक सामान्य की व्यवस्था करना।

3.1 (क)(iv): विश्वविद्यालयों में सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये केन्द्र की स्थापना

देश में तकनीकी और सक्षमता शिक्षा संबंधी संयुक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार बारहवीं पंचवर्षीय योजना में देश में सक्षमता शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने की जरूरत है। तकनीकी संस्थान पहले ही एनएसएस जैसे कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं, जिन्हें वृहत रूप से अनुपालन की दृष्टि से तैयार किया गया है। सामुदायिक सहभागिता के संबंध में नई पद्धति की सिफारिश, योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की जा रही है जिसमें अनुभवों, विशेषज्ञ समाज तथा देश के सक्षमता शिक्षा के संस्थानों के बीच आपसी ज्ञान तथा संसाधनपूर्ण साझेदारी पर बल दिया गया है।

सामान्यतः विश्वविद्यालयी प्रणाली में पहुंच@विस्तार क्रियाकलापों की प्राथमिकता नहीं दी जाती है। इस प्रकार अधिकांश सक्षमता शिक्षा संस्थान व्यापक रूप से समाज से कटे हुए रहते हैं। इसलिये यह महत्वपूर्ण है कि इस बात को स्पष्ट रूप से तथा पुरजोर ढंग से अभिप्रेषित किया जाये कि सक्षमता शिक्षा संस्थानों में 'सामुदायिक सहभागिता' का मूल उद्देश्य समुदाय तथा संस्थानों दोनों के आपसी हितों की पूर्ति करना है। मूल यही है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों में सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रों की स्थापना संबंधी विशाखनिर्देश

तैयार किये हैं। योजना का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ (i) महाविद्यालय की एक रूपरेखा सम्पर्क योजना/विश्वविद्यालयों की विश्वविद्यालय सम्पर्क योजना (ii) इनमें लोगों के जीवन की शैलियों को विकसित करने के लिये ज्ञान की विकसित करने हेतु महाविद्यालय/विश्वविद्यालयी सम्पर्क की बढ़ावा देना तथा सम्पर्क पूर्ण शैक्षिक की बढ़ावा देना (iii) परियोजनाओं की आयोजना और विश्लेषण हेतु महाविद्यालय आधारित संसाधनों के साथ कार्य करना। (iv) महाविद्यालय की ज्ञान अर्जन संबंधी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा की विविधीकरण करना तथा समर्थ विकास करना, और (v) विद्यालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों में एक आपसी संपर्क तैयार करना तथा सामाजिक सहभागिता तथा सामुदायिक सम्पर्क की बढ़ावे के साथ से नीतिगत सुझाव तथा तकनीकी सहायता मुहैया करवाना है।

वर्ष 2015-16 के दौरान अनुदान के रूप में कोई प्रस्ताव नहीं किया गया।

3.1 (क)(vi): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा प्रदान करना

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को विशेष दर्जा प्रदान करने की योजना तैयार की थी और इस योजना के तहत ऐसे संस्थान जिन्होंने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं वे बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 10.00 करोड़ रुपये की एकमुश्त अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

जिस वर्ष 2015-16 के दौरान विश्वविद्यालयों को कोई अनुदान का प्रस्ताव नहीं किया गया।

3.1 (ख) राज्य विश्वविद्यालय

3.1(ख)(i): राज्य विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न राज्यों के कानून तथा नियामक परिधियों के भीतर ऐसे सभी पात्र राज्य विश्वविद्यालय को सामान्य विकास सहायता मुहैया करवाता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(f) और 12(B) के तहत सहायता प्राप्त हैं ताकि ऐसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जा सकें, जो सामान्य तौर पर राज्य सरकार अथवा सहायता प्रदान करने वाले विभागों से प्राप्त नहीं होती है। साथ ही कर्मचारियों, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं, प्रयोगशालाओं, सम्पर्क तथा अवसंरचना वार्षिक अनुरक्षण संबंधी, व्यावसायिक शैक्षिक विकास, विश्वविद्यालय-उद्योग संबंध, विस्तार विभाग, सांस्कृतिक विभाग, आईसीटी का विकास, खेल के परिसर, छात्रावास सहित छात्र सुविधाएं/यात्रा अनुदान/सेमिनार/सिम्पोजिया/कार्यशाला, प्रकाशन अनुदान, आयोजन आधारी, आयोजन अध्येता की नियुक्ति तथा वृत्ति और पुरस्कार योजनाएं, विकलांग क्षेत्र, महिलाओं के लिये सुनिश्चित सुविधाएं तथा संकाय विकास कार्यक्रम आदि शामिल होंगे।

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई आवेदित योजना की संकल्पना को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समाप्त कर दिया गया है।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई एकीकृत पात्रता योजना अब बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता का भाग होगी। इस योजना के लिए अलग से कोई विधियां प्रदान नहीं की गई हैं।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना की पूर्ववर्ती योजना अर्थात् सामान्यविकास तथा व्यावसायिक शिक्षा की भी अब बारहवीं पंचवर्षीय सामान्य विकास सहायता योजना के तहत सम्मिलित किया गया है। इस योजना के लिये अलग से कोई विधियां सुझाया नहीं करवाई जायेंगी।
- आयोजन/अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति/सहायता अब बारहवीं पंचवर्षीय सामान्य विकास सहायता योजना का भाग होंगी।
- विश्वविद्यालयों में प्रतीक्षा सूची की स्थापना, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों में अध्येताओं की स्थापना की योजना के तहत जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना

(2012&17) के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विख्यात] लोकप्रिय पुरस्कार्ता से सम्मानित तथा अपने योगदान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम नीचे सूची में दिए गए हैं:

क्र0 सं0	राष्ट्रीय सीडी का नाम	विषय@क्षेत्र
1.	सोनीझारा खेतरू	• विधिक शिक्षा • स्वतंत्रता आंदोलन • पत्रकारिता
2.	सौझाना अब्दुल कलाम आजाद	• शिक्षा • साहू और अंग्रेजी साहित्य • स्वतंत्रता आंदोलन
3.	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद	• स्वतंत्रता आंदोलन • अभिशासन
4.	झाझ बहादुर शास्त्री	• धारणीय कृषि तथा ग्रामीण विकास • आधार तथा अभिशासन • स्वतंत्रता आंदोलन
5.	बाबू जगजीवन राम	• समाज में हाशिये पर जीवन व्यतीत कर रहे वर्ग का सशक्तिकरण
6.	राजीव गांधी	• पंचायती राज • आईसीटी तथा कंप्यूटरीकरण • युवाओं का सशक्तिकरण • शांति तथा विकास सम्मेलन
7.	स्वामी विवेकानन्द	• राष्ट्रीय और सामाजिक जागरण • दर्शन शास्त्र • युवा विकास तथा नेतृत्व
8.	महात्मा गांधी	• शांति तथा अहिंसा • स्वतंत्रता आंदोलन • राष्ट्रीय एकता
9.	पं0 जवाहर झाझ खेतरू	• स्वतंत्रता आंदोलन • अंतर्राष्ट्रीय सहयोग • विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी • गुट निरपेक्षता आंदोलन
10.	डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर	• सामाजिक सम्मावेशन • संविधान संबंधी अध्ययन
11.	डॉ0 जाकिर हुसैन	• शिक्षा • स्वतंत्रता आंदोलन
12.	डॉ0 एस0 राधाकृष्णन	• शिक्षा • दर्शन शास्त्र
13.	सरदार वल्लभ भाई पटेल	• राष्ट्रीय एकता • अभिशासन
14.	पं0 मदन मोहन मालवीय	• शिक्षा • सामाजिक सुधार • स्वतंत्रता आंदोलन
15.	सर सैयद अहमद खाँन	• शिक्षा • सामाजिक सुधार • धर्म तथा संस्कृति
16.	रविन्द्र नाथ टैगोर	• साहित्य • कला और सौन्दर्यशास्त्र • संस्कृति • संगीत

क्र0 सं0	राष्ट्रीय पीठ का नाम	विषय@क्षेत्र
17.	सी0वी0 रमन	• भौतिकी तथा प्रकाशिकी, स्पेक्ट्रमदर्शी तथा क्वांटमसिद्धांत • रमण्ा प्रभाव
18.	सत्यं बैनर्जी	• सापवादिकांड • सहिष्णु सशक्तिकरण • शांति • स्त्रीवादी साक्ष्यमूलक और पंरपंकारिता
19.	मुख्यमन्त्री द्वारा नामित	• भौतिकी तथा क्वांटमसिद्धांत • क्वांटमशास्त्र • द्रुवकीय&मवमतिक विज्ञान
20.	इंदिरा गांधी	• जीव विज्ञान • रमण्ा और जीव रमण्ा • शरीरक्रिया विज्ञान और औषधि
21.	अमर्त्य सेन	• आर्थिक व्यवस्था संबंधी विज्ञान • लोकहितकारी अर्थशास्त्र • सामाजिक विकल्प संबंधी सिद्धांत • सावद विकास • भारणीय विकास
22.	वेंकटरमन रामकृष्णन	• ढांचागत तथा आण्विक जीव विज्ञान • जीव रमण्ा और रमण्ा शास्त्र
23.	ई0 श्रीधरन	• शहरी विकास • सड़क परिवहन
24.	डॉ0 होमी जहांगीर भाभा	• अंतरिक्ष विज्ञान
25.	जुस्तीकांत वेजबरुआ	• साहित्य • कला • संस्कृति • शिक्षा
26.	श्री अरबिन्दो	• दर्शन शास्त्र • योग • आध्यात्मिकता

- आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना तथा सहिष्णु प्रत्यावर्तन के विस्तार की एक स्वतंत्र योजना की सभी राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित किया जारेगा तथा अब यह अलेखित योजना का भाग नहीं होगी और पृथक योजना के रूप में जारी रहेगी।
- ऐसे शिक्षकों की विशेष सावधेय की योजना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित पारं में से कम से कम दो विशेष अवधियों के अध्येता हों, यह योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पृथक योजना के रूप में जारी रहेगी।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य विश्वविद्यालयों हेतु मानव्य विकास सहायता के तहत विस्तारित योजनाएं चलाई जा रही हैं&

क्र0 सं0	सब
1	भाषाओं का विस्तार और उसका सशक्तिकरण
2	दर्शन विकास
3	कार्यशालाएं
4	पुस्तकें और जर्नल
5	प्रोफेशनल सपोर्ट और अवसंरचना
6	वार्षिक अनुरक्षण संविदा
7	तकनीकी शीर्ष क्रियाकलाप

क्र0 सं0	सब
8	विश्वविद्यालय सहयोग संबंध
9	विस्तार क्रियाकलाप
10	सांस्कृतिक संबंधी क्रियाकलाप
11	आईसीटी का विकास
12	स्वास्थ्य परिचर्या
13	आश्वासन सहित छात्र सुविधाएं
14	यात्रा अनुदान

क्र0 सं0	सब
15	मल्टीमीडिया@मॉड्यूल@तैयारी@कार्यशाला
16	प्रकाशन अनुदान
17	आमंत्रित आचार्य@आमंत्रित अध्येताओं की नियुक्ति
18	वृत्ति तथा मूलभूत सेवा प्रकोष्ठ की स्थापना
19	विकसित परिसर क्षेत्र
20	सहिष्णुता हेतु मूलभूत सुविधाएं

क्र0 सं0	सब
21	संकाय विकास कार्यक्रम
22	एकीकृत
23	मानवाधिकार और कर्तव्यों संबंधी शिक्षा
24	अंशकालिक आमंत्रित शिक्षकों की नियुक्ति@सामयिक
25	छात्रों की दर के अलावा अन्य अध्येतावृत्तियां

- विश्वविद्यालय योजनाएं जो पूर्व में आयोजित योजना की मात्र थी] जिसे अब इस प्रयोजनार्थ गठित एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि प्रकोष्ठ द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित किया जायेगा तथा इन योजनाओं के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पृथक अनुदान सम्पुष्ट कराया जायेगा
  (i) मानव अवसर प्रकोष्ठ
  (ii) अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग (अनिवार्य वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सम्पूर्ण अनुशिक्षण
  (iii) अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग (अनिवार्य वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु क्षेत्र अनुशिक्षण
  (iv) अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग (अनिवार्य वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु सेवाओं में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण कक्षाएं
  (v) विशेषित व्यक्तियों के लिए योजनाएं
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014&15 के दौरान "स्वच्छ भारत&स्वस्थ भारत" शीर्षक नई योजना आरंभ की है। इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय पहले से ही आवंटित मानव विकास अनुदान का सदुपयोग करेंगे जो पहले ही राज्य विश्वविद्यालयों को आवंटित किया गया है।
- वित्त वर्ष 2015&16 के दौरान मानव विकास सहायता योजना के तहत राज्य विश्वविद्यालयों को 14587-11 लाख #पए की राशि मंजूरीकृत की गई है।
- वित्त वर्ष 2015&16 के दौरान मानव विकास सहायता योजना के तहत सात पूर्व क्षेत्रों के राज्य विश्वविद्यालयों को 551-44 लाख #पए की राशि मंजूरीकृत की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के सदुपयोग से शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय विशेष की क्षेत्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत वाई&फाई कनेक्टिविटी सम्पुष्ट कराया गया है। वित्त वर्ष 2015&16 के दौरान 58 राज्य विश्वविद्यालयों को 5]56]20]000 #पए की राशि मंजूरीकृत की गई।
- पंजाब विश्वविद्यालय] चण्डीगढ़ को यू&योजनागत अनुदान (2015&16) वेतन शीर्ष के तहत 176-00 करोड़ #पए की राशि मंजूरीकृत की गई थी।

3.1 (ग) सम विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) विभिन्न योजनाओं@कार्यक्रमों के तहत विविध सम विश्वविद्यालय संस्थानों की विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (यू&योजनागत) सहायता सम्पुष्ट कराता है।

वर्तमान में] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से योजनागत@यू&योजनागत@विशेष अनुरक्षण@विशेष अनुदान प्राप्त करने वाले 21 विविध सम विश्वविद्यालय संस्थान हैं। विविध सम विश्वविद्यालय संस्थानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

योजनागत और गैर-योजनागत अनुदान (शत प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान) प्राप्त करने वाले सम विश्वविद्यालय

1 अविनाशिलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हॉयर एजूकेशन फॉर वूमेन] कोयंबतूर]&641043(तमिलनाडु)
2 महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय] महात्मा गांधी मार्ग&282005] (उ0प्र0)
3 गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट] गांधीग्राम] डिंडिगुल&624302] (तमिलनाडु)
4 गुजरात विद्यापीठ] आश्रम रोड] अहमदाबाद&380014] (गुजरात)

5 *गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय] हरिद्वार&249404] (उत्तराखण्ड)

6 राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ] तिरूपति&517507] (आ0प्र0)

7: श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ] कटवारिया सराय] न्यू महरौली रोड] कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया] नई दिल्ली&110016

8: दादा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज] सिवाल ट्रस्ट रोड] बलवार] मुंबई&400088(महाराष्ट्र)

योजनागत और निर्धारित अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले सम विश्वविद्यालय

9: जामिया हमदर्द] हमदर्द नगर] नई दिल्ली&110062 (प्रत्येक वर्ष 8.00 करोड़ रूपये की योजनागत और निर्धारित अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहा है)

केवल निर्धारित अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले सम विश्वविद्यालय

10: श्री वेंकटेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय] तिरूपति] तिरूपति&631552 (तमिलनाडु) (प्रत्येक वर्ष 7.00 करोड़ रूपये की निर्धारित अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहा है)

केवल योजनागत अनुदान प्राप्त करने वाले सम विश्वविद्यालय

11 जयपुरिया विद्यापीठ] पी0ओ0 जयपुरिया] विद्याधर&304022] (राजस्थान)

12 मैरिज इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन] सारनाथ] वाराणसी&221007] (उ0प्र0)

13 डेक्कन कॉलेज पी0 जी0 एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट] पुणे&411006 (महाराष्ट्र)

14 राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनोमिक्स] शिवाजीनगर] डेक्कन जिमखाना] बीएमसीसी रोड] पुणे&411006] (महाराष्ट्र)

15 इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल केमोथेरेपी] वल्लभभाई पटेल मार्ग] सदर्न] मुंबई&400019] (महाराष्ट्र)

16 जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट लाडनू&341306(राजस्थान)

17 श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग] प्रशांतिनिलयम&515134]जिला अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)

18 क्रोमे वेस्टसेटिक्स इंस्टीट्यूट] एम&1 निगलौर आईटी पार्क पालुर पोस्ट] सिरूमेरी&603103 (तमिलनाडु) (केवल बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है)

19 इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट] भगवान दास रोड] नई दिल्ली&110001(केवल बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है)

20: गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट बेसू सी] हावड़ा] पश्चिम बंगाल&711202 (केवल बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है)

विशेष अनुदान प्राप्त करने वाले सम विश्वविद्यालय

21: नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन] अरबिन्दो मार्ग] नई दिल्ली & 110016

*आयोग के विनांक 22.12.2011 तथा 13.02.2012 की आयोजित बैठक में सा0मं0वि0आ0 की समीक्षा समिति की "x" श्रेणी के तहत आने वाले सभविश्वविद्यालयों की सामान्य विकास अनुदान संस्वीकृत नहीं करने का निर्णय लिया।

3.1 (ग)(i): योजनागत अनुदान

3.1 (ग)(i)(i) सामान्य विकास अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 18 विभिन्न सम विश्वविद्यालयों की योजनागत अनुदान सहायता करता रहा है। सामान्य विकास सहायता का उद्देश्य विश्वविद्यालय में बौद्धिक अवसंरचना में सुधार तथा संवर्धन करना तथा विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित का विकास करना है । बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों की योजनागत ब्लॉक अनुदान के रूप में सामान्य विकास सहायता प्रदान की जा रही है। विश्वविद्यालयों के संबंध में, इनमें शामिल का निर्माण, नवीकरण (विद्यमान भवनों का नवीकरण सहित) वैज्ञानिक विकास, संसाधनिकृत, पुस्तकें तथा पत्रिका, प्रयोगशाला, सामंजस्य तथा अवसंरचना वार्षिक अनुरक्षण संविदा, नवोन्मेष शोध विद्यालयों, विश्वविद्यालय&संयोजन संबंध, विस्तार विद्यालयों, संस्कृतिक विद्यालयों, आईसीटी का विकास, खाद्य पंजिकरण

छात्रावास सहित छात्र सुविधाएं] छात्रों की ड्रॉप&आउट अनुपात] सहायक@संकाय@कार्यशाला] प्रशिक्षण अनुपात] अध्यापन आचार्य @अध्यापन अनुपात की नियुक्ति तथा वृत्ति और प्रशिक्षण प्रणाली] विकलांग व्यक्ति] सहित्यों के लिये सुलभ सुविधाएं तथा संकाय विकास कार्यक्रम आदि शामिल होंगे।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आगे की नई आयोजित योजना की संकल्पना की गयी है तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोजित योजना के तहत कोई पृथक अनुदान सम्पूर्ण नहीं किया जायेगा।

विश्वविद्यालय योजनाएं जो पूर्व में आयोजित योजना का भाग थी] उसे अब स्वतंत्र रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक विशेष रूप से तैयार किये गये प्रणाली द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन योजनाओं के तहत पृथक अनुदान सम्पूर्ण किया जाएगा।

(i) संकाय अवसंरचना प्रणाली।

(ii) अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों समुदाय के छात्रों के लिए सम्पूरक अनुशिक्षण।

(iii) अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों समुदाय के छात्रों हेतु क्षेत्र अनुशिक्षण।

(iv) अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों समुदाय के छात्रों हेतु मेलाओं में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण कक्षाएं।

(v) विशेषज्ञ व्यक्तियों के लिए योजनाएं।

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली तथा सहित्य छात्रावासों का निर्माण योजना की सभी विधियां अब विश्वविद्यालय संस्थानों में स्वतंत्र योजना के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आगे की नई एकीकृत योजना अब बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता का भाग होगी। इस योजना के लिए अलग से कोई विधियां प्रावधान नहीं की जायेंगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2015&16 के दौरान बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता के तहत 14 विधियां संस्थानों को 5405.43 लाख रुपये की राशि जारी की है। वर्ष 2015&16 के दौरान संस्वीकृत अनुदानों का ब्यौरा तालिका 3.1 (अ)(i)(i) में दिया गया है।

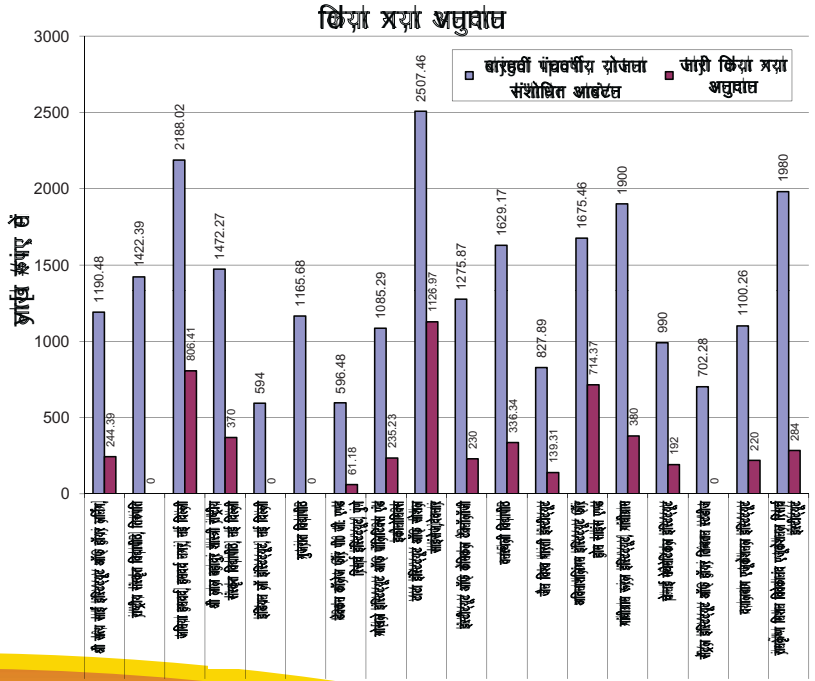
तालिका 3.1 (अ)(i)(i): वर्ष 2015&16 के दौरान सम विश्वविद्यालयों को जारी किया गया योजनागत अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय@संस्था का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत संशोधित आवंटन	बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता के अधीन जारी किया गया अनुदान	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन के अधीन संस्वीकृत	अल्पसंख्यकों की विशेष सावधेय की योजना	कुल
1	2	3	4	6	8	9
आंध्र प्रदेश						
1	श्री सत्य साई इंस्टिट्यूट ऑफ हायर लर्निंग] प्रशांतिनिलयम] जिला अनंतपुर	1190.48	244.39			244.39
2	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ] तिरुपति	1422.39	0			0
दिल्ली						
3	जामिया हमदर्द] हमदर्द नगर] नई दिल्ली	2188.02	806.41			806.41
4	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ] नई दिल्ली	1472.27	370	57.05		427.05
5	इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट] नई दिल्ली	594	0			0
6	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन] नई दिल्ली	अनावंटित	0			0
गुजरात						
7	गुजरात विद्यापीठ] आश्रम रोड] अहमदाबाद	1165.68	0			0
महाराष्ट्र						
8	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट] पुणे	596.48	61.18			61.18

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय@राज्य का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत संशोधित आवंटन	बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता के संबंध जारी किया गया अनुदान	बारहवीं पंचवर्षीय योजना आवंटन के संबंध संस्वीकृत	अध्येताओं की विशेष सामग्री की योजना	कुल
1	2	3	4	6	8	9
9	मोतिलाल इंस्टिट्यूट ऑफ मॉलिक्यिलर एंड इकोनोमिक्स] पुणे	1085.29	235.23			235.23
10	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज]देवनार] मुंबई	2507.46	1126.97	90.18		1217.15
11	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी] मुंबई	1275.87	230.00		18.00	248.00
राजस्थान						
12	जवाहरलाल विद्यापीठ] राजस्थान	1629.17	336.34			336.34
13	जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट] लाडनु	827.89	139.31			139.31
	तमिलनाडु					
14	अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन] कोयम्बतूर	1675.46	714.37			714.37
15	अन्नामलाई नगर इंस्टिट्यूट] अन्नामलाई] डिडिशुल	1900.00	380.00			380.00
16	श्री लालशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वविद्यालय] एथानूर] तंजोरशुल	अनावंटित	0			0
17	तमिलनाडु वेटेरेनरिकल इंस्टिट्यूट] मिरूमैरी] तमिलनाडु	990.00	192.00			192.00
उत्तर प्रदेश						
18	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज] सारनाथ] वाराणसी	702.28	0			0
19	नवानालंदा एजूकेशनल इंस्टिट्यूट] आजरा	1100.26	220			220
उत्तराखंड						
20	*गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय] हरिद्वार	अनावंटित	0			0
पश्चिम बंगाल						
21	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजूकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट] बेलूर मठ] हावड़ा] पश्चिम बंगाल	1980.00	284.00			284.00
	कुल	24303	5340.2	147.23	18.00	5505.43

चित्र 3.1(क)(i)(i): वर्ष 2015&16 के दौरान बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत सभ विश्वविद्यालयों की आवंटित तथा जारी किया गया अनुदान



3.1 (ग)(ii): गैर-योजनागत (अनुरक्षण अनुदान)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 10 द्विवर्षीय मद विश्वविद्यालयों को गैर&योजनागत अनुदान प्रदान कर रहा है A इस द्विवर्षीय 10 मद विश्वविद्यालयों में से 8 द्विवर्षीय मद विश्वविद्यालय] वेतन तथा संबंधित] सेवानिवृत्ति हित लाभों और वेतनेतर मदों के लिए शत&प्रतिशत गैर&योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे हैंA वेतनेतर घटकों में सामान्य वस्तुएं] विद्युत प्रभार] जल प्रभार] संचालित कर] मृदु कर] आकस्मिक व्यय] मदों का नवीनीकरण@स्थापन और अन्य व्यय शामिल हैंA 8 द्विवर्षीय किये गये मद विश्वविद्यालयों को दिए अनुदानों@संशोधित दिए अनुदानों की इन विश्वविद्यालयों के कुल संकायों तथा विद्यार्थियों के साथ वृद्धि समानुपात विधारित किया जाता हैA

शेष दो द्विवर्षीय मद विश्वविद्यालय संस्थान अर्थात् जामिया हमदर्द] नई दिल्ली और श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ] कटवारिया सराय] नई दिल्ली प्रति वर्ष क्रमशः 800.00 लाख रुपये और 7.00 लाख रुपये की विधारित अनुरक्षण अनुदान राशि प्राप्त कर रहे हैंA

वर्ष 2015&16 के दौरान गैर&योजनागत अनुदान के तहत 27050.08 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी हैA तालिका 3.1 (ग)(ii):

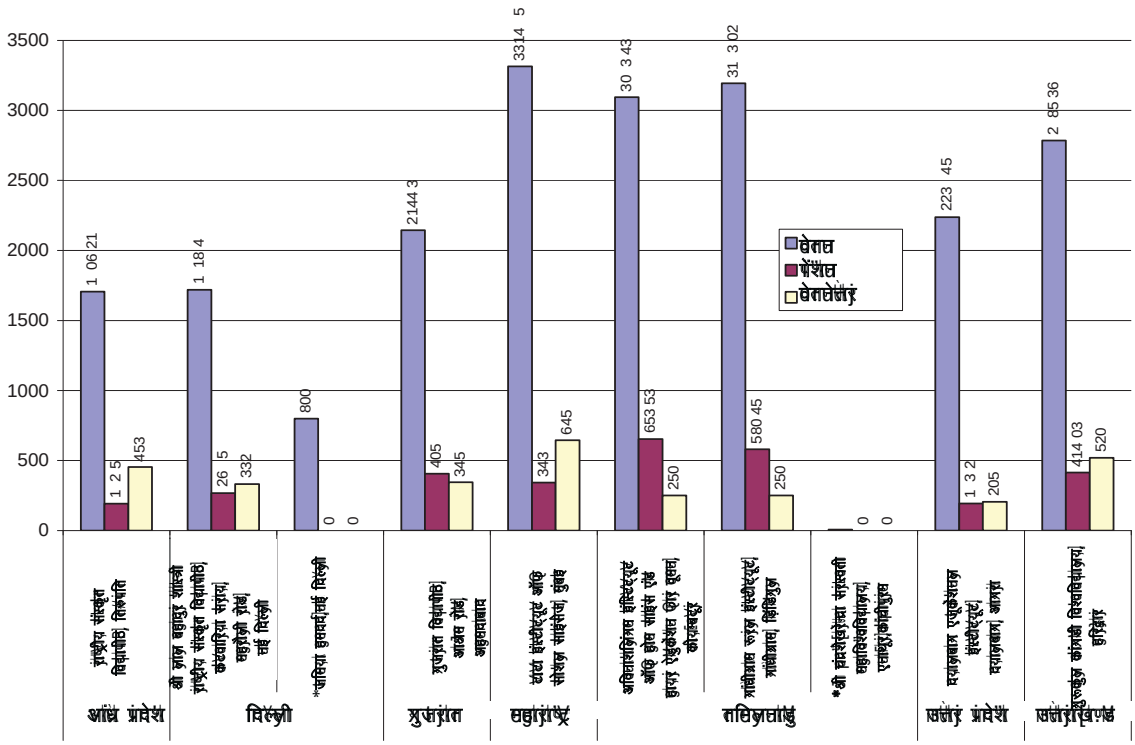
तालिका 3.1 (ग)(ii): वर्ष 2015&2016 के दौरान मद विश्वविद्यालयों को जारी किया गया गैर&योजनागत अनुदान (अनुरक्षण अनुदान)

(लाख रुपये में)

क्रम सं:	विश्वविद्यालय का नाम	जारी किया गया अनुदान			
		वेतन	पेंशन	वेतनेतर	कुल
आंध्र प्रदेश					
1	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ] तिरुपति	1706.21	192.5	453	2351.71
दिल्ली					
2	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ] कटवारिया सराय] नई दिल्ली	1718.47	267.5	332	2317.97
3	*जामिया हमदर्द] नई दिल्ली	800	0	0	800
गुजरात					
4	गुजरात विद्यापीठ] आश्रम रोड] अहमदाबाद	2144.39	405.79	345	2895.18
महाराष्ट्र					
5	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज] मुंबई	3314.75	343	645	4302.75
तमिलनाडु					
6	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन फॉर वीमेन] कोयंबटूर	3093.43	653.53	250	3996.96
7	गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट] गांधीग्राम] डिंडिगुल	3193.02	580.45	250	4023.47
8	*श्री लालबहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय] दिल्ली@कोयंबटूर	7	0	0	7
उत्तर प्रदेश					
9	वाराणसेय एजूकेशनल इंस्टीट्यूट] वाराणसेय] वाराणसी	2237.45	193.2	205	2635.65
उत्तराखंड					
10	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय] हरिद्वार	2785.36	414.03	520	3719.39
	कुल	21000.08	3050	3000	27050.08

*विधारित अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैंA

3.1 (क)(ii): वर्ष 2015&2016 के दौरान सभी विश्वविद्यालयों को जारी किया गया वेतन, पेंशन, वेतनेतर मदों&योजनाओं अनुदान (अनुदानित)



3.1 (घ): निजी विश्वविद्यालय

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, संबंधित राज्य विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी वेबसाईट www.ugc.ac.in पर निजी विश्वविद्यालयों की सूची का नवीनीकरण करता है। संबंधित राज्य सरकार से विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी अधिनियम तथा अधिसूचना की प्राप्ति होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निजी विश्वविद्यालय की निजी विश्वविद्यालयों की सूची में सम्मिलित कर लेता है।

दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार देश में 235 राज्य निजी विश्वविद्यालय थे। पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थापित किए गए निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में अभूतपूर्व प्रगति दर्ज की गई है। कुल 235 निजी विश्वविद्यालयों में से 168 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष 2010 के बाद हुई है।

निजी विश्वविद्यालयों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा मानकों का अनुरक्षण) विनियम, 2003 के माध्यम से निजी विश्वविद्यालयों को विनियमित करता है।
- इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मात्र मनमाने ढंग से छात्रों को शुल्क वसूलने से रोकने के लिए अधिसूचित किया गया था जिससे व्यापारीकरण, शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोकने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण एक विशेषज्ञ समिति (जिसमें संबंधित सांविधिक परिषद(दों) के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं) द्वारा किया जाता है, ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकायों द्वारा निर्धारित कार्यविधियों, मानकों, अवसंरचनात्मक सुविधाएं, वित्तीय जीवक्षमता आदि के संबंध में न्यूनतम मानकों का उनके द्वारा पालन के संबंध में आकलन किया जा सके।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुल 235 निजी विश्वविद्यालयों में से 138 निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण किया जा चुका है तथा 23 और निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा चुका है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर रिपोर्ट की अपलोड की किया जाता है। शेष सदस्यों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालयों में निरीक्षण संबंधी अपेक्षित जानकारी प्राप्त होती रहती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही

- विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचारार्थ रखा जाता है तथा किसी विश्वविद्यालयों की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों/सुझावों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा जाता है। अनुपालन रिपोर्टों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जांच की जाती है तथा पुनः आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत की जाती है।
- वैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस किसी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समी आवश्यक कदम उठा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2003 में संशोधन

- सम्पूर्वित विनियम, 2003 के प्रारंभ होने से भारत में सम्पूर्वत शिक्षा में पहुंच के साथ&साथ संस्थानों की संख्या में प्रशंसनीय हो रही तीव्र वृद्धि, जोकि व्यापक रूप किसी क्षेत्र में ही हुई है तथा नवीन विषयों के संबंधित, शिक्षा में नवोन्मेष, अधिकाधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सोच तथा अभिशासन में जवाबदेही तथा पारदर्शिता की अधिकाधिक आशा, जिनका शिक्षा सामग्री पर प्रभाव पड़ता है, के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्वत शिक्षा में व्यापक परिवर्तन हुआ है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किसी विश्वविद्यालयों के बढ़ते व्यावसायीकरण, शिक्षा के सामानों में शिथिलता तथा संस्थागत स्थापित की घटते की आशंका, जिनसे भारतीय समाज की प्रतिरक्षित करने की संभावना है, के संबंध में व्यापक रूप से जनसाधारण की टिप्पणियों पर ध्यान दिया है।
- वर्ष 2003 के विनियमों में सम्पूर्वित रूप से संशोधन किया गया तथा इस संशोधित विनियमों की भारत सरकार की अनुमति हेतु भेजा गया है।
- दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार किसी विश्वविद्यालयों की सूची अनुबंध&2 { तालिका 2.1 (ब)(iii)} में दी गई है।

अध्याय 4

महाविद्यालयों को विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (गैर-योजनागत) सहायता

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान
- सामान्य विकास सहायता हेतु जारी अनुदान
- महिला छात्रावासों का निर्माण
- स्वायत्त महाविद्यालय
- शिक्षकों के लिए लघु □ाोध परियोजनाएं
- संगोष्ठियां/परिसंवाद/सम्मेलन
- संकाय विकास कार्यक्रम
- आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रको□ठ
- खेल-कूद अवसंरचना और उपस्करों का विकास
- विशे□ धरोहर के दर्जे की योजना
- दृ□िटबाधित शिक्षकों हेतु योजना
- प्रतिबद्ध देयताएं
- दिल्ली के महाविद्यालय/बीएचयू के घटक महाविद्यालयों को अनुदान

4.1 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों के विकास पर विशेष बल

सक्षम शिक्षा प्रणाली के स्तर को बढ़ाए रखने, गुणवत्ता को इष्टतम सीमा पर सुनिश्चित करने, व्यवसाय तथा परिवर्तन की मांग करने, शिक्षा की सामग्री को परिवर्तन करने, मांग के अनुसार क्षेत्रों विशेषकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की शिक्षा के साथ जोड़ने, सुदृढ़ करने की दृष्टि से महाविद्यालयों का विकास करना भारतीय सक्षम शिक्षा में एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि स्तरकारी और कोई दूर तक स्तरकारी शिक्षा प्रदान करने में महाविद्यालयों की एक अहम भूमिका होती है। महाविद्यालयों की भी जारी चालू विकास सहायता पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संगठन सुधारता आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ करने में[वेश&निर्वाह की प्रक्रिया की सहायक रेखा की दिशा में केंद्रित होनी चाहिए। तथापि, कौशल संस्थानों में सम्बद्ध महाविद्यालयों को विस्तार तथा संवर्धन करने, आधुनिकीकरण के माध्यम से स्तर बढ़ाने, क्षेत्रों की आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए विशेषकर स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को तर्कसंगत बनाने और उनका विविधिकरण करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

अन्य बातों के साथ-साथ, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 15 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने पर बल दिया गया है। इसके लिए, महाविद्यालयों की गुणवत्ता नियंत्रण तथा संवर्धन को सुनिश्चित न करते हुए नामांकन में पर्याप्त रूप से वृद्धि करने हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी।

4.2 वित्तीय सहायता के लिए वि.वि.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय

दिनांक 31 अगस्त, 2016 की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 41,435 महाविद्यालय थे, जिनमें से केवल 10,451 महाविद्यालय ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(f) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सान्यताप्राप्त हैं। सान्यता प्राप्त 10,451 महाविद्यालयों में से केवल 8,615 महाविद्यालय ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(B) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

4.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदानः

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1994 में एक पुनर्गठन के दौर से गुजरते हुए अपने सात क्षेत्रीय कार्यालय [दो नए और अपने चार कार्यालयों का विकेन्द्रीकरण किया है] ताकि महाविद्यालय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अधीन आवेदनों पर शीघ्र अनुदान प्राप्त करने तथा सहायता जारी और कार्यान्वित किया जा सके। तदनुसार] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय तथा सहायक क्षेत्रीय कार्यालय (एसआरओ)] त्रिचिरापल्ली की "सहायक क्षेत्र महाविद्यालय ब्यूरो" में परिवर्तित कर त्रिचिरापल्ली से दिल्ली में 35] फिरोजशाह रोड़] नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची साथ के साथ] स्थिति] स्थापना की तिथि तथा राज्यों की कवरेज का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र0 सं0	क्षेत्रीय कार्यालय	स्थान	स्थापना की तिथि	कवर किए गए राज्य@संघ राज्य क्षेत्र
1.	दक्षिणी पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एसईआरओ)	हैदराबाद	28.04.1994	आंध्र प्रदेश] तमिलनाडु] तेलंगाना] अंडमान और निकोबार] पुडुचेरी
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ)	पुणे	11.11.1994	महाराष्ट्र] गुजरात] गोवा] दादर और नागर हवेली] दमन और दीव
3.	केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ)	भोपाल	01.12.1994	मध्य प्रदेश राजस्थान] छत्तीसगढ़
4.	उत्तर&पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एनईआरओ)	गुवाहाटी	01.04.1955	असम] मेघालय] मिजोरम] मणिपुर] त्रिपुरा] अरुणाचल प्रदेश] नागालैण्ड] सिक्किम
5.	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ)	कोलकाता	03.09.1996	पश्चिम बंगाल] बिहार] ओडीशा] झारखंड
6.	दक्षिण&पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (एसडब्ल्यूआरओ)	बंगलूरू	25.4.1999	कर्नाटक] केरल] लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय कॉलेज ब्यूरो (एनआरसीबी)	त्रिचिरापल्ली	03.12.1994	जम्मू और कश्मीर] हिमाचल प्रदेश] पंजाब] चण्डीगढ़] हरियाणा उत्तर प्रदेश] उत्तराखंड
		नई दिल्ली	25.9.2001	

वर्ष 2015–16 (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) के दौरान महाविद्यालयों के लिए कार्यान्वित की गई योजनाएं

विशेषज्ञों के अनुसार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत क्षेत्रीय कार्यालय@ब्यूरो संपूर्ण देश के सभी पात्र महाविद्यालयों की अनुदानों का संवितरण कर रहे हैं:

1) महाविद्यालयों की सामान्य विकास सहायता**
2) महाविद्यालयों हेतु सहित्रा छात्रावासों का निर्माण
3) स्वायत्त महाविद्यालय (केवल अनुदानों का जारी किया जाना है)
4) महाविद्यालयों हेतु प्रमुख शीर्ष परियोजनाएं
5) महाविद्यालयों हेतु मरम्मत@परिसंवाद@नवीनीकरण
6) महाविद्यालयों हेतु संकाय विकास कार्यक्रम
7) महाविद्यालयों हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
8) महाविद्यालयों में विशेष आवश्यकता और समावेशन का विकास
9) महाविद्यालयों की विशेष विशेषज्ञता की वर्षा प्रदान करना
10) वृष्टिबाधित शिक्षक
11) प्रतिष्ठित पेशाएं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाएं)

(**योजनाएं में विभिन्न शिक्षा सत्रों के[आंकड़ों] प्रोत्साहनराशियों का विवरण] पुस्तकों] पत्रिकाओं] समाचारों आदि की विस्तृत जानकारी है)

पात्रता संबंधी मानदण्डः

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समर्पित योजनाओं हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम] 1956 की धारा 2(एफ) और 12(बी) के तहत सम्यतापूर्ण पात्र महाविद्यालयों की अनुदान प्रदान करता है। 12(बी) की वर्षा प्राप्त एवं&विश्वविद्यालय महाविद्यालय केवल शिक्षक@पात्र केन्द्रीय योजनाओं हेतु पात्र हैं।

4.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किये गये अनुदानों की योजनावार स्थिति

4.4.(क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों में यथा विहित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले पात्रतापूर्व@पात्रतोत्तर महाविद्यालयों के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम] 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत सामान्यतया महाविद्यालयों की सहायता प्रदान करता हैA योजना के तहत] महाविद्यालयों की भूमिगत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए यथा सभी पुस्तकों और पत्रिकाओं (पुस्तक बैंक सहित)] वैज्ञानिक उपकरणों] कौशल विकास] सम्पूर्णता शिक्षण हेतु अतिरिक्त शिक्षण उपकरण] सौजन्य सभा के विस्तार@नवीकरण तथा नए सभा कक्षों का निर्माण] विस्तार क्रियाकलापों] सहित्राओं के लिए सुविधाओं] आदि के लिए योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती हैA

वर्ष 2015&16 और बारहवीं पंचवर्षीय योजना (01.04.2012 से 31.03.2016) के तहत सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदानों का राज्य&वार (तालिका&4.4(क)(i) और क्षेत्रीय कार्यालय&वार (तालिका&4.4(क)(ii) ब्यौरा निम्नवत है&

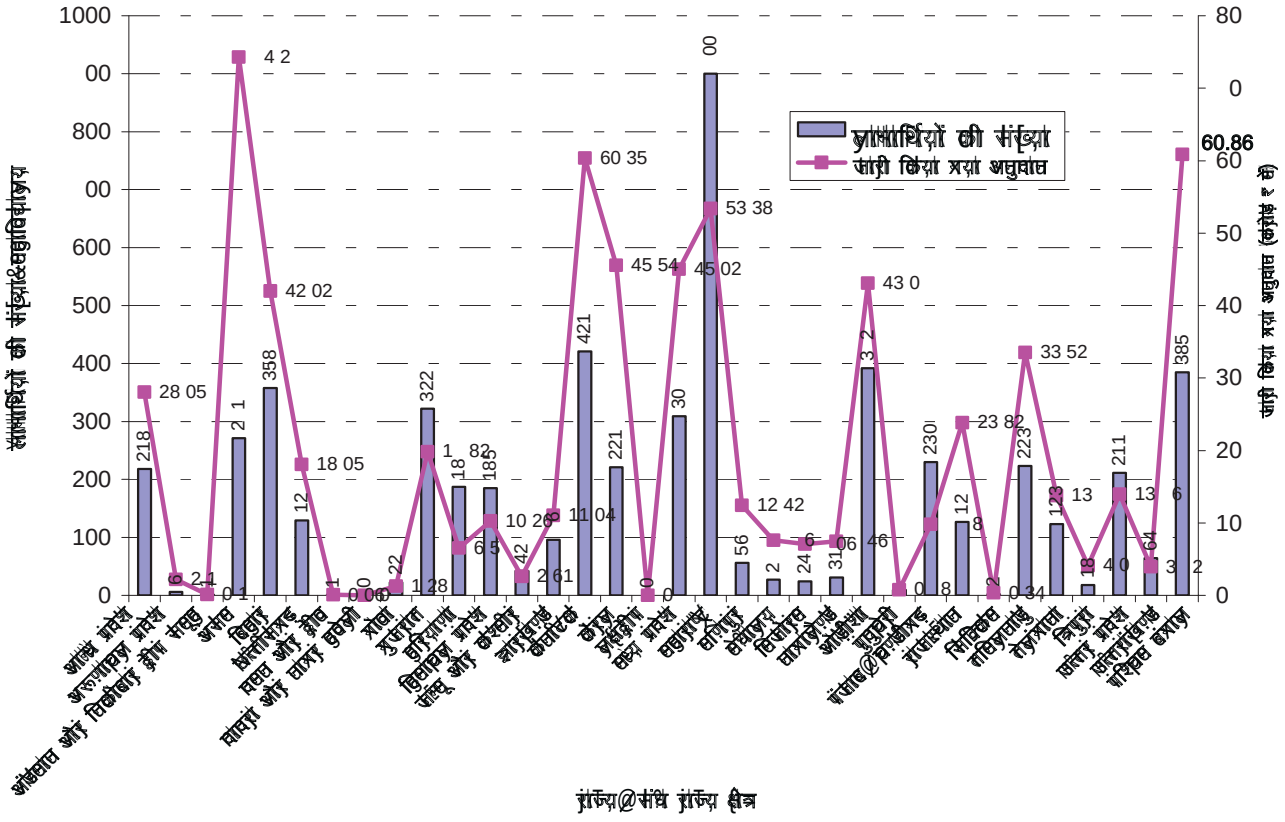
तालिका&4.4(क)(i): सामान्य विकास सहायता जारी के लिए अनुदानों का राज्य&वार ब्यौरा

(करोड़ ₹ में)

क्र0 सं0	राज्य@संघ क्षेत्र का नाम	वर्ष 2014&15 के दौरान सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान		बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान (01.04.2012 से 31.03.2016)		
		लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान	लाभार्थियों की संख्या (महाविद्यालय)	आवंटन	जारी किया गया अनुदान
1.	आंध्र प्रदेश	2	0.18	218	62.85	28.05
2.	अरूणाचल प्रदेश	4	0.83	6	3.24	2.19
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	1	0	0.1
4.	असम	101	20.47	271	106.68	74.29
5.	बिहार	4	0.08	358	83.44	42.02
6.	छत्तीसगढ़	6	0.8	129	40.38	18.05
7.	दमन और द्वीव	0	0	1	0.23	0.06
8.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0
9.	गोवा	0	0	22	7.65	1.28
10.	गुजरात	8	0.6	322	109.79	19.82
11.	हरियाणा	24	1.09	187	0	6.5
12.	हिमाचल प्रदेश	21	1.39	185	0	10.26
13.	जम्मू और कश्मीर	12	0.88	42	0	2.61
14.	झारखंड	0	0	96	22.55	11.04
15.	कर्नाटक	15	1.05	421	119.18	60.35
16.	केरल	10	0.65	221	90.39	45.54
17.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	15	1.39	309	99.86	45.02
19.	महाराष्ट्र	30	1.78	900	271.2	53.38
20.	मणिपुर	33	4.72	56	17.62	12.42
21.	मेघालय	9	1.81	27	14.12	7.6
22.	मिजोरम	10	2.09	24	12.19	7.06

क्र0 सं0	राज्य@संघ क्षेत्र का नाम	वर्ष 2014&15 के दौरान सांसाध्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान		बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सांसाध्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान (01.04.2012 से 31.03.2016)		
		लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान	लाभार्थियों की संख्या (सहविद्यालय)	आवंटन	जारी किया गया अनुदान
23.	चंडीगढ़	12	2.43	31	9.54	7.46
24.	ओडीशा	6	0.1	392	82.72	43.09
25.	पुदुचेरी	0	0	9	1.48	0.78
26.	पंजाब @चण्डीगढ़	35	2.62	230	0	9.78
27.	राजस्थान	8	0.85	127	53.06	23.82
28.	सिक्किम	1	0.1	2	0.6	0.34
29.	तमिलनाडु	0	0	223	74.14	33.52
30.	त्रिपुरा	2	0.2	123	29.53	13.77
31.	त्रिपुरा	3	0.64	18	8.05	4.07
32.	उत्तर प्रदेश	145	11.42	211	0	13.96
33.	उत्तराखंड	24	2.24	64	0	3.92
34.	पश्चिम बंगाल	8	3.28	385	114.54	60.86
	कुल	548	63.69	5611	1435.03	663.01

चित्र 4.4(ब)(i): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार जारी किया गया अनुदान तथा लाभार्थी सहविद्यालयों की संख्या

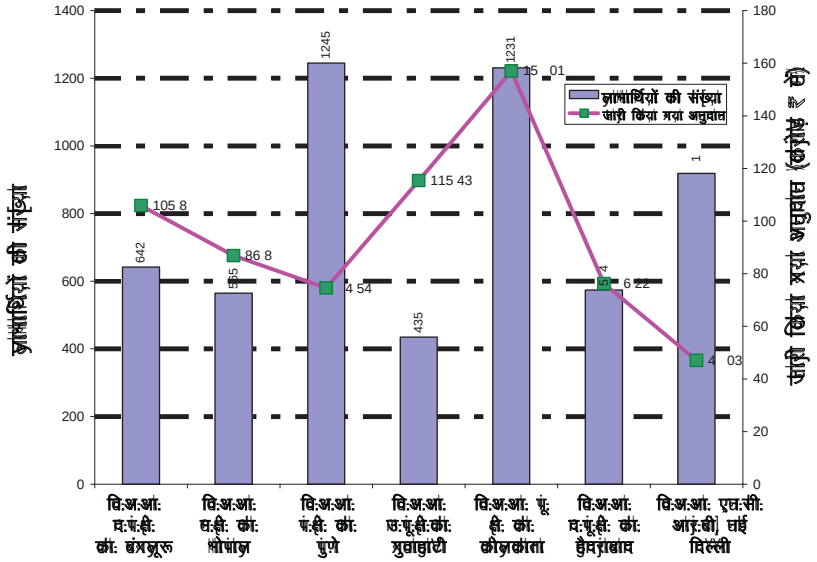


तालिका&4.4(क)(ii): क्षेत्रीय कार्यालय&वार जारी किया गया बारहवीं पंचवर्षीय योजना अनुदान (करोड़ रुपए में) तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभार्थियों की संख्या

(करोड़ रु में)

क्र0 सं0:	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान (01.04.2015 से 31.03.2016)				बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान		
		वर्ष 2015&16 के दौरान लाभार्थियों (सहविद्यालय) की संख्या	सामान्य अनुदान & सहायता&31	पूंजीगत परिसंपत्तियां &35	कुल	लाभार्थियों (सहविद्यालय) की संख्या	आवंटन	जारी किया गया अनुदान
1:	वि:अ:आ: म:पं:से: का: बंगलूरू	25	0.5	1.2	1.7	642	209.57	105.89
2:	वि:अ:आ: स:से: का: भोपाल	29	0.61	2.43	3.04	565	193.3	86.89
3:	वि:अ:आ: पं:से: का: पुणे	38	0.52	1.9	2.42	1245	388.87	74.54
4:	वि:अ:आ: स:पू:से:का: गुवाहाटी	173	7.31	25.78	33.09	435	172.04	115.43
5:	वि:अ:आ: पू:से: का: कोलकाता	18	0.01	3.45	3.46	1231	303.25	157.01
6:	वि:अ:आ: म:पू:से: का: हैदराबाद	4	0.06	0.32	0.38	574	168	76.22
7:	वि:अ:आ: एस:सी:आर:डी] नई दिल्ली	261	0	19.64	19.64	919	0	47.03
	कुल	548	9.01	54.72	63.73	5611	1435.03	663.01

रेखाचित्र&4.4(क)(ii): क्षेत्रीय कार्यालय&वार जारी किया गया बारहवीं पंचवर्षीय योजना अनुदान (करोड़ रु में) तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभार्थियों की संख्या



4.4(ख) महाविद्यालयों हेतु महिला छात्रावासों का निर्माण:-

महिलाओं की साक्षरता बढ़ाने के लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए महाविद्यालयों में महिला छात्रावास तथा अन्य आवश्यकतानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोग ने वर्ष 1995&96 के दौरान] महिला छात्रावासों के निर्माण की एक विशेष योजना आरंभ की थी] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम] 1956 की धारा 12(बी) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र महाविद्यालय] इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचारित अधिकतम सीमा के अध्यधीन शत&प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:

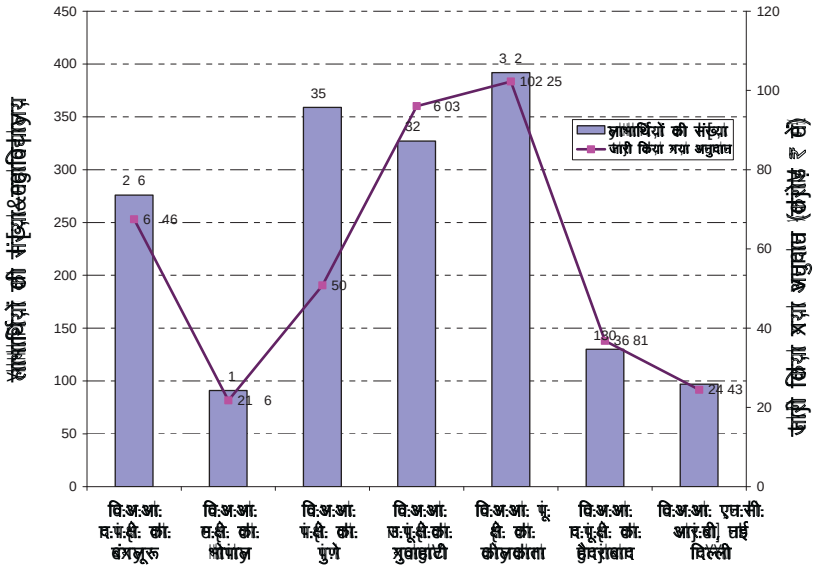
महिला साक्षरता	सहायकों के अलावा अन्य क्षेत्रों के संबंध में राशि (लाख रुपये में)	सहायकों] जम्मू और कश्मीर] उत्तर&पूर्व के क्षेत्रों तथा सिक्किम के संबंध में राशि (लाख रुपये में)
(क) 250 तक	40	80.00
(ख) 251-500	60	100.00
(ग) 500 से अधिक	80	120.00

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर वित्तपोषण की अनुशंसा करता है।
वर्ष 2015&16 तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय@ब्यूरो द्वारा संस्वीकृत अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु में)

क्र0 सं0	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2015&16 के दौरान सहिला छात्रावास हेतु जारी किया गया अनुदान		बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहिला छात्रावास हेतु जारी किया गया अनुदान (01.04.2012 से 31.03.2016 तक)	
		वर्ष 2014&15 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालय) की संख्या	पूंजीगत परिसंपत्तियां&35	लाभार्थियों (महाविद्यालय) की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ. व.पं.से. का. बंगलूरू	21	1.49	276	67.46
2.	वि.अ.आ. स.से. का. भोपाल	7	1.43	91	21.76
3.	वि.अ.आ. पं.से. का. पुणे	28	0.96	359	50.79
4.	वि.अ.आ. स.पू.से.का. गुवाहाटी	122	12.79	327	96.03
5.	वि.अ.आ. पू.से. का. कोलकाता	28	7.95	392	102.25
6.	वि.अ.आ. व.पू.से. का. हैदराबाद	11	1.55	130	36.81
7.	वि.अ.आ. एच.सी.आर.डी] नई दिल्ली	15	1.52	97	24.43
	कुल	232	27.69	1672	399.53

रेखाचित्र 4.4(ख): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहिला छात्रावासों के निर्माण की योजना के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किया गया अनुदान तथा लाभार्थियों की संख्या



4.4(ग) स्वायत्त महाविद्यालय :–

स्वायत्त महाविद्यालय की योजना का उद्देश्य महाविद्यालयों की संबद्ध ढांचे से अलग करके उन्हें स्नातकपूर्व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। जिन महाविद्यालयों को स्थापित हुए पांच से अधिक वर्ष बीत गए हैं तथा जिनके पास एनएएसी ग्रेड 'बी' अथवा इससे बेहतर ग्रेड सर्टिफिकेट है उन्हें दिशानिर्देश के तहत सहायता प्रदान की गई है तथा उन्हें निम्नवत अधिकतम सीमा के अध्यधीन सहायता प्रदान की गई है:&

1. स्नातकपूर्व महाविद्यालय में एकल संकाय हेतु 9.00 लाख रुपए
2. स्नातकपूर्व महाविद्यालय में बहु संकाय हेतु 15.00 लाख रुपए
3. स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एकल संकाय हेतु 10.00 लाख रुपए
4. स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बहु संकाय हेतु 20.00 लाख रुपए

शिक्षा वर्ष 2013&14 से डिजिटल लाईब्रेरी के माध्यम एनसीसी की वैकल्पिक विषय के रूप में आरंभ करने के लिए 1.00 लाख रुपए से 2.00 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

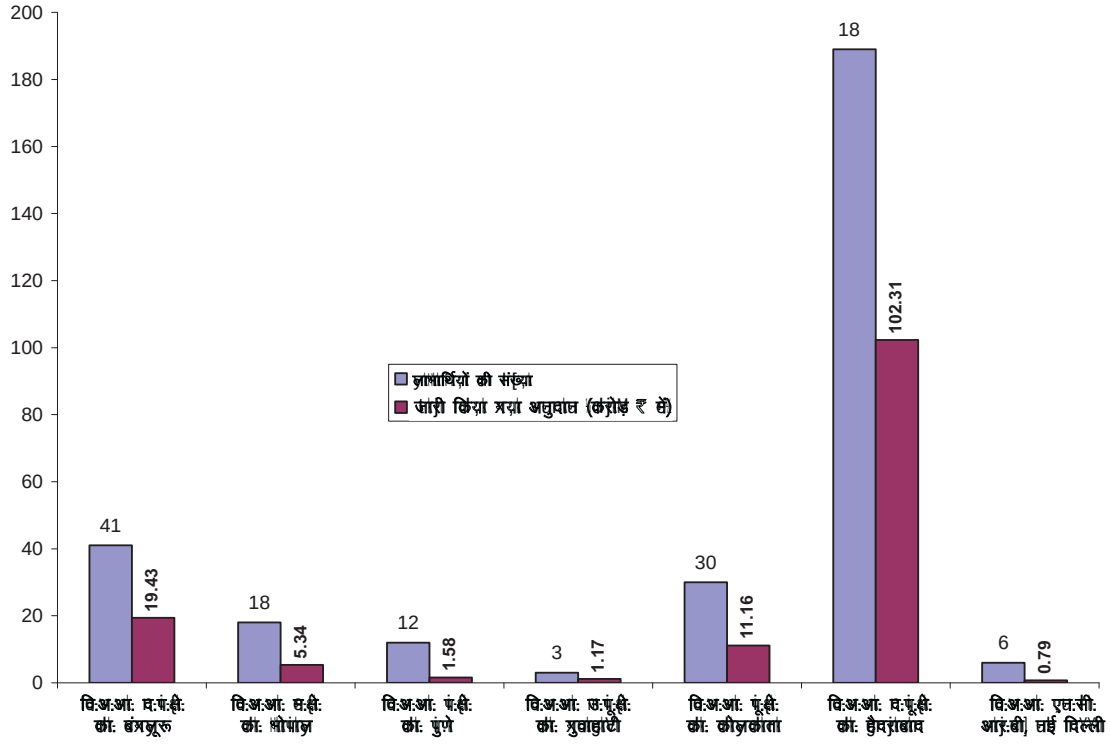
एक विशेषज्ञ समिति] महाविद्यालय का दौरा करती है तथा उसे वैकल्पिक प्रदान करने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सिफारिश करती है। स्वायत्तता छह वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

वर्ष 2015&16 तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय@ब्यूरो द्वारा योजना के तहत संस्वीकृत अनुदान नीचे दिया गया है:

(करोड़ ₹ में)

क्र0 सं0	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2015&16 के दौरान स्वायत्त महाविद्यालयों हेतु जारी किया गया अनुदान				बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वायत्त महाविद्यालयों हेतु जारी किया गया अनुदान (01.04.2012&31.03.2016 तक)	
		वर्ष 2014&15 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालय) की संख्या	सामान्य अनुदान & महायता&31	पूंजीगत परिसंपत्तियां & 35	कुल	लाभार्थियों (महाविद्यालय) की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ. द.पं.क्षे. का. बंगलूरू	36	2.80	3.14	5.95	41	19.43
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	6	1.65	0.00	1.65	18	5.34
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	2	0.11	0	0.12	12	1.58
4.	वि.अ.आ. म.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	1	0	0.31	0.31	3	1.17
5.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	6	1.02	0	1.02	30	11.16
6.	वि.अ.आ. म.पू.क्षे. का. हैदराबाद	84	14.29	0	14.29	189	102.31
7.	वि.अ.आ. एच.सी.आर.डी] नई दिल्ली	0	0	0	0	6	0.79
	कुल	135	19.87	3.45	23.34	299	141.78

चित्र 4.4(क): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वायत्त महाविद्यालयों (लाभार्थियों) को जारी किया गया अनुदान (करोड़ ₹ में)



4.4 (घ) महाविद्यालयों के शिक्षकों हेतु लघु शोध परियोजनाएं:

योजना का उद्देश्य विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के शोध कार्यों की महायता प्रदान करके समग्र शिक्षा में गुणवत्ता का संवर्धन करना है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पात्र शिक्षक लघु शोध परियोजना की योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान हेतु 3.00 लाख रुपये तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी] विज्ञान] चिकित्सा] कृषि आदि सहित विज्ञान में 5.00 लाख रुपये तक की वित्तीय महायता प्राप्त कर सकते हैं।

वर्ष 2015&2016 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजना के तहत केवल ऑनलाइन पद्धति से ही प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

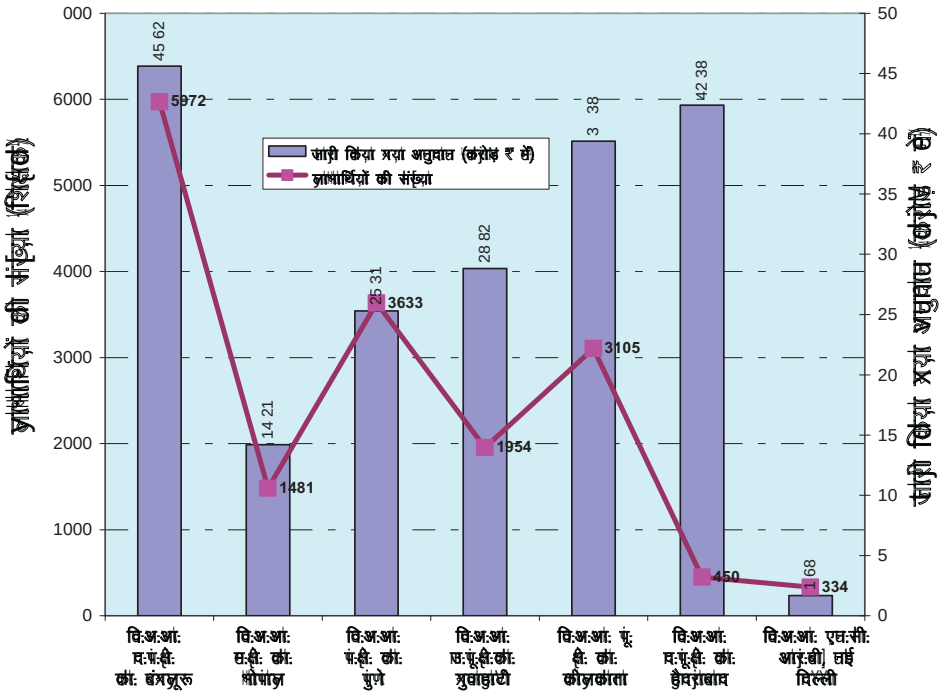
वर्ष 2015&2016 तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ ₹ में)

क्र0 सं0	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2015&16 के दौरान लघु शोध परियोजनाओं हेतु जारी किया गया अनुदान								बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु शोध परियोजनाओं हेतु जारी किया गया अनुदान (1.04.2012 & 31.03.2016)	
		वर्ष 2015&16 के दौरान लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या		सामान्य अनुदान& सहायता &31		पूंजीगत परिसंपत्तियां&35		कुल		लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या	जारी किया गया अनुदान
		विज्ञान	सामाजिकी	विज्ञान	सामाजिकी	विज्ञान	सामाजिकी	विज्ञान	सामाजिकी		
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	553	748	2.18	1.83	2.04	0.70	4.22	2.54	5972	45.62
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	110	199	0.50	0.63	0.48	0.38	0.98	1.01	1481	14.21
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	42	31	0.55	0.14	0	0	0.55	0.14	3633	25.31
4.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	230	489	2.80	0.94	2.33	0.77	5.13	1.71	1954	28.82
5.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	173	206	0.90	0.81	0.09	0.10	0.99	0.91	3105	39.38
6.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	333	224	1.88	0.97	0.14	0.05	2.02	1.02	450	42.38
7.	वि.अ.आ. एस.सी.आर.डी. नई दिल्ली	46	82	0.40	0.54	0	0	0.40	0.54	334	1.68
	कुल	1487	1979	9.21	5.86	5.08	2	14.29	7.87	16929	197.40

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विलोपन की अनुशंसा प्रदान करता है।

चित्रांक 4.4(घ): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए लघु शोध परियोजना योजना के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)



4.4(ङ). महाविद्यालयों हेतु संगोष्ठियां/परिसंवाद/सम्मेलनः-

इस योजना के तहत संस्थाओं की विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/परिसंवाद तथा सिम्पोजियम का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, योजना का उद्देश्य शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अपने ज्ञान, अनुभवों और शोध को बाँटने के लिए एक प्रदान करने महाविद्यालयों में सक्षम साधनों का संवर्धन करना है। योजना के तहत भी महाविद्यालय आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत 1:00 प्रातः से 2:00 बजे तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

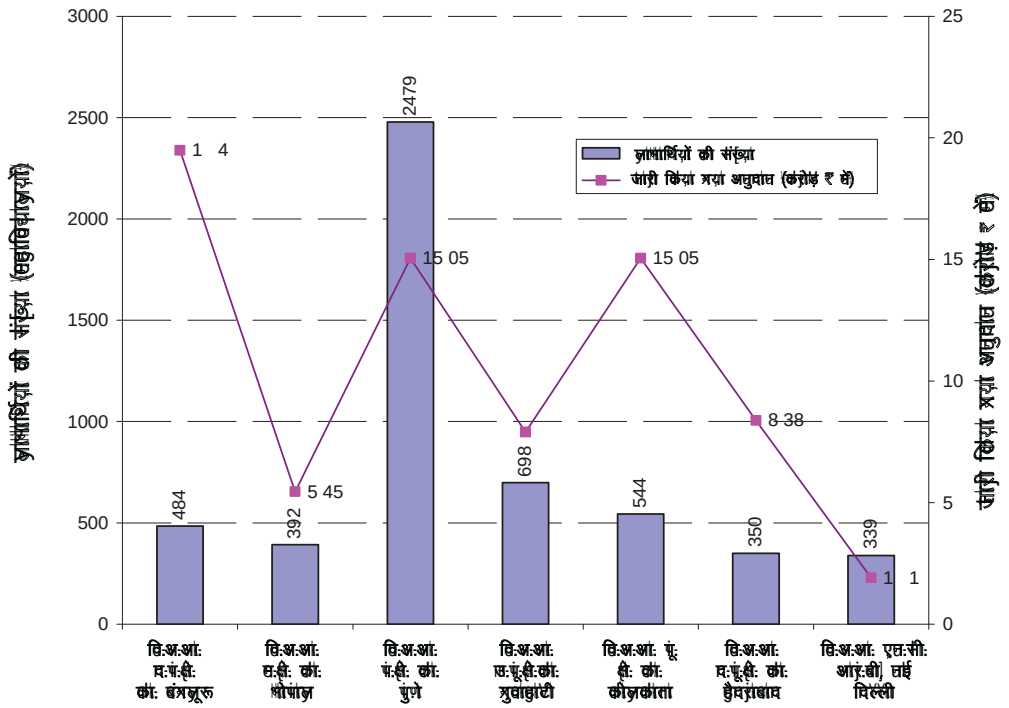
विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विलोपन की अनुशंसा प्रदान करता है।

वर्ष 2015&2016 तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ ₹ में)

क्र0 सं0	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2015&16 के दौरान संगोष्ठियां@कार्यशाला@संश्लेषण हेतु जारी किया गया अनुदान			बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संगोष्ठियां@कार्यशाला@संश्लेषण हेतु जारी किया गया अनुदान (01.04.2012 & 31.03.2016)	
		वर्ष 2015&16 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	मासिक अनुदान& महांगाता&31	कुल	लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ. म.पं.क्षे. कां. बंगलूरु	201	0.93	0.93	484	19.49
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. कां. भोपाल	170	0.86	0.86	392	5.45
3.	वि.अ.आ. पं.क्षे. कां. पुणे	133	1.07	1.07	2479	15.05
4.	वि.अ.आ. म.पू.क्षे.कां. ग्वाहाटी	269	1.97	1.97	698	7.90
5.	वि.अ.आ. पू.क्षे. कां. कोलकाता	268	5.20	5.20	544	15.05
6.	वि.अ.आ. म.पू.क्षे. कां. हैदराबाद	264	0.58	0.58	350	8.38
7.	वि.अ.आ. एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली	93	0.82	0.82	339	1.91
	कुल	1398	11.43	11.43	5286	73.23

रेखाचित्र 4.4(ङ): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों हेतु संगोष्ठियां@कार्यशाला@संश्लेषण की योजना के तहत जारी किया गया अनुदान



4.4(च). महाविद्यालयों हेतु संकाय विकास कार्यक्रमः–

इन कार्यशैलियों का मुख्य संकाय सदस्यों की शोध क्षमता के लिए संस्थानों में शैक्षणिक तथा बौद्धिक परिवेश का विकास करना तथा संगोष्ठियों@संश्लेषणों@कार्यशालाओं में सहभागिता का अवसर उपलब्ध कराना है। इन कार्यशैलियों में भाग लेने से संकाय सदस्यगण अपने शोध कार्य की अद्यतन तथा शैक्षणिक कौशल बढ़ाने में सक्षम होंगे।

संकाय विकास कार्यशैलियों का उद्देश्य निम्नवत है:&

(1) विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों को सतत शिक्षा@शोध क्रियाकलापों की जारी रखने का अवसर प्रदान कराना है जिससे वे एम0 फिल0 तथा पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त कर सकें।

(2) शिक्षकों की शैक्षणिक संस्थाओं@संगठनों में शोध पत्र प्रस्तुत करने तथा कार्यशालाओं में भाग लेने तथा ज्ञान और विचारों का आदान&प्रदान करने का एक अवसर प्रदान करना है।

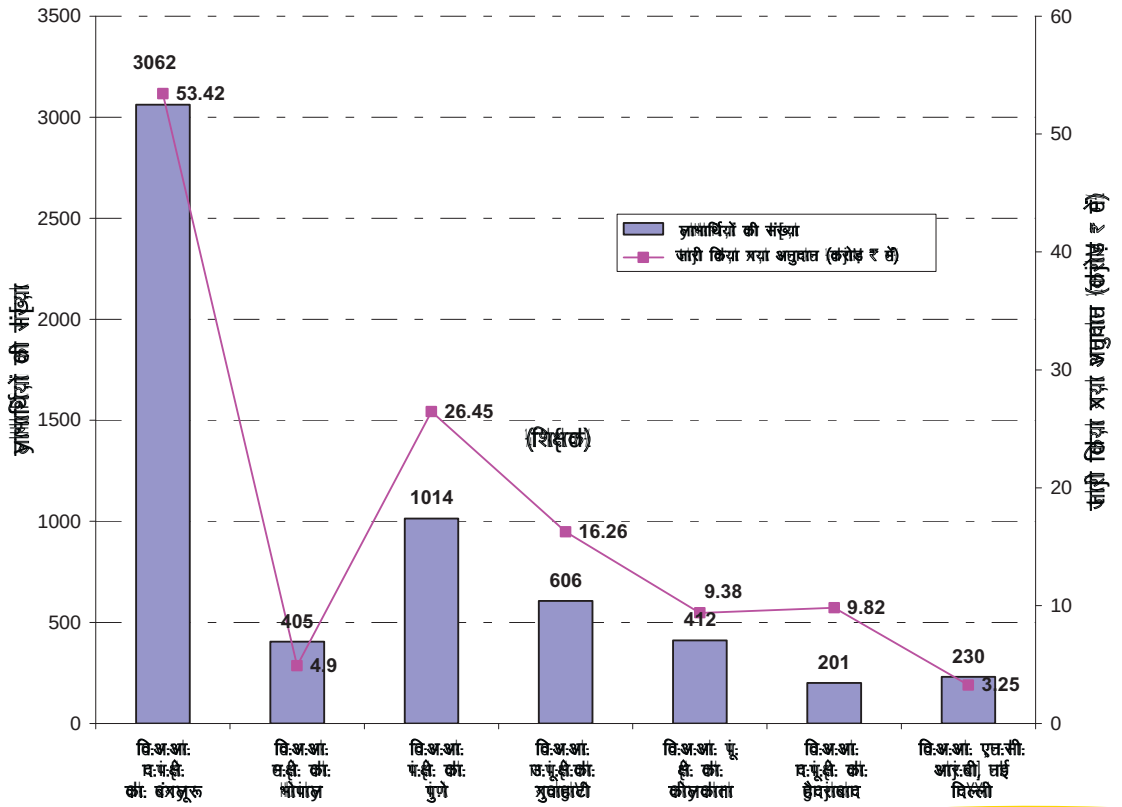
(3) युवा संकाय सदस्यों की बेहतर शैक्षणिक अनुभव प्रदान करने के लिए उनकी संख्या के संस्थान में अपेक्षाकृत स्थिरीकरण करने (कम से कम दो सालाह तथा अधिकतम दो साल) का अवसर प्रदान करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] शिक्षक अध्येता के स्थान पर नियत एवजी शिक्षक की वेतन तथा भत्ते की शिक्षक अध्येता की 15000 रुपए प्रतिवर्ष आकस्मिक राशि के रूप में उपलब्ध कराता है। महाविद्यालय के स्तर पर स्थित प्रबंध समिति] विश्वविद्यालयों के मामलों के अनुरूप आवेदनों की संवीक्षा करती है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति की सिफारिश करती है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के अंतर्गत वर्ष 2015&2016 के लिए संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र0 सं0	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2015&16 के दौरान संकाय विकास कार्यक्रम हेतु जारी किया गया अनुदान			बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संकाय विकास कार्यक्रम हेतु जारी किया गया अनुदान (1.04.2012&31.03.2016)	
		वर्ष 2014&15 के दौरान लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या	अनुदान& सहायता& 31	कुल	लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1	वि.अ.आ. म.पं.से. कें. बंगलूरू	575	12.22	12.22	3062	53.42
2	वि.अ.आ. स.से. कें. भोपाल	66	0.59	0.59	405	4.9
3	वि.अ.आ. पं.से. कें. पुणे	134	8.12	8.13	014	26.45
4	वि.अ.आ. म.पू.से.कें. गुवाहाटी	152	5.03	5.03	606	6.26
5	वि.अ.आ. पू.से. कें. कोलकाता	51	0.9	0.9	412	9.38
6	वि.अ.आ. म.पू.से. कें. हैदराबाद	201	1.3	1.3	201	9.82
7	वि.अ.आ. एच.सी.आर.डी] नई दिल्ली	84	1.61	1.61	230	3.25
	कुल	1263	29.77	29.78	5930	123.48

चित्र 4.4(ब): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों हेतु संकाय विकास कार्यक्रम



4.4(छ) महाविद्यालयों हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

सम्पूर्ण शैक्षणिक संस्थानों में सामान्यीकृत कार्य को विनियमित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (ccc) के तहत सितम्बर, 1994 में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) की स्थापना की ऐसी संस्थागत गुणवत्ता प्रणाली के सृजन की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी महाविद्यालयों की आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना करने के लिए विशेष बल देने का नीतिगत निर्णय लिया है जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आईक्यूएसी की स्थापना तथा सभी सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय को 3.00 लाख रुपये की आवर्तक राशि (सीड मनी) उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस योजना को वर्ष 2014&15 (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) के दौरान महाविद्यालयों के लिए जारी किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(f) और 12(B) के तहत आईक्यूएसी की स्थापना तथा सभी सुदृढ़ करने के लिए सभी महाविद्यालय वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। प्रत्येक महाविद्यालय को दो डैप के समीप होने अथवा 12 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, के पश्चात् प्रत्यायन ऐजेन्सी से प्रत्यायन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विभिन्न मदों पर व्यय किया जा सकता है:&

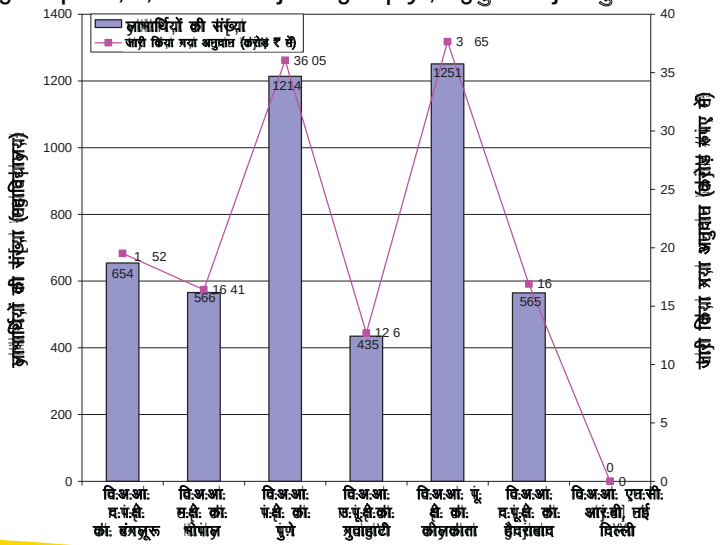
संख्या	अनुदान का उद्देश्य	राशि रूपए में
1:	आईक्यूएसी के निदेशक@समन्वयक की 1000x12x5 रूपये की दर से मानदेय	60,000
2:	कार्यालय रखरखाव	60,000
3:	संचिकाकरण और तकनीकी सेवाओं हेतु सेवाएँ प्राप्त करना	60,000
4:	आईसीटीएम संचार व्यय	70,000
5:	आकस्मिकताएं	50,000
	कुल	3,00,000

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2015&2016 के लिए योजना के अंतर्गत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ ₹ में)

क्र0 सं0:	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2015&16 के दौरान आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ हेतु जारी किया गया अनुदान					
		वर्ष 2015&16 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	सामान्य अनुदान & सहायता & 31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां & 35	कुल	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ हेतु जारी किया गया अनुदान (01.04.2012 से 31.03.2016)	
						लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1:	वि.अ.आ: द.पं.क्षे: कें: बंगलूरू	0	0	0	0	654	19.52
2:	वि.अ.आ: स.क्षे: कें: भोपाल	37	0.64	0.2	0.84	566	16.41
3:	वि.अ.आ: प.क्षे: कें: पुणे	0	0	0	0	1214	36.05
4:	वि.अ.आ: उ.पू.क्षे.कें: गुवाहाटी	1	0.01	0.02	0.03	435	12.69
5:	वि.अ.आ: पू.क्षे: कें: कोलकाता	1	0.02	0.01	0.03	1251	37.65
6:	वि.अ.आ: द.पू.क्षे: कें: हैदराबाद	0	0	0	0	565	16.9
7:	वि.अ.आ: एच.सी.आर.डी] नई दिल्ली	0	0	0	0	0	0
	कुल	39	0.67	0.23	0.9	4685	139.22

चित्र 4.4(B): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ



4.4 (ज) महाविद्यालयों में खेलकूद अवसंरचना और उपस्कर का विकास

योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्रों के बीच एक स्वस्थ प्रतियोगी और सहयोग की भावना पैदा करना और खेलकूद में भागीदी सहयोग से सम्पूर्णताएँ प्राप्त करना और चुनौतीपूर्ण स्थितियों का साहस और दृढ़ता के साथ सामना करने और सबसे प्रभावपूर्ण तरीके से निपटने की क्षमता पैदा करना है।

सम्पोषित सम्प्रेक्ष्यों के उद्देश्यार्थ योजना की निम्नवत की परिकल्पना की गई है:

(क) नई और सोचना अवसंरचना अथवा मौजूदा अवसंरचना का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि छात्रों की खेलों में और अधिक प्रतियोगी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, छात्रों की ऐसी खेलकूद गतिविधियों का पता लगाने का अवसर प्राप्त होगा, इस योजना का सम्प्रेक्ष्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नई पीढ़ी के युवकों को अवसर प्रदान करना है।

(ख) किसी विशिष्ट खेलकूद में छात्रों की सबकी 'सक्षमता प्राप्ति' के स्तर के आधार पर उपयुक्त सम्पत्तियों और अवसंरचना की सम्पूर्णता के साथ-साथ अथवा खेलकूद के संबद्ध क्षेत्र में अधिक सक्षम स्तर पर प्रतियोगी के अवसर सम्पूर्ण कराये जा सकते हैं।

(ग) जहाँ पहले से ही अवसंरचना सम्पूर्ण है, उसका सुधार/सुदृढ़ किया जाता है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की ऐसी सांझा अवसंरचनाओं तथा अतिरिक्त सम्पोषण सुविधाओं के रूप में सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने छात्रों हेतु ऐसे शिविरों/प्रशिक्षणों का आयोजन कर सकें।

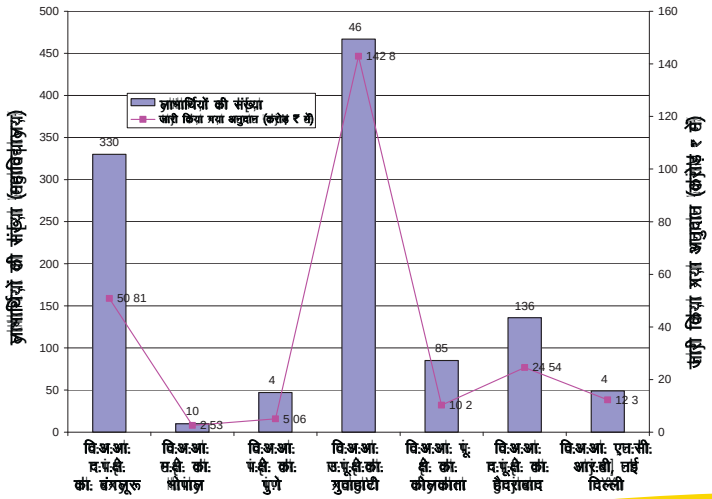
वित्तीय सहायता की तीन स्तरों में प्रदान किया जाता है, इन स्तरों की अधिकतम सीमा निम्नानुसार है:

(क) स्तर I : 12.00 लाख रु. + 10.00 लाख रु.=22.00 लाख रु.
(ख) स्तर II : 170.00 लाख रु. + 10.00 लाख रु.=180.00 लाख रु.
(ग) स्तर III : 240.00 लाख रु. + 10.00 लाख रु.=250.00 लाख रु.

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2015-2016 के लिए योजना के अंतर्गत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र0 सं0	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2015-16 के दौरान खेलकूद अवसंरचना और सम्पत्तियों के विकास हेतु जारी किया गया अनुदान			बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खेलकूद अवसंरचना और सम्पत्तियों के विकास हेतु जारी किया गया अनुदान (01.04.2012 से 31.03.2016)	
		वर्ष 2015-16 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	पूंजीगत परिसम्पत्तियां & 35	कुल	लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1	वि.अ.आ. द.प.क्षे. कां. बंगलूरू	7	0.46	0.46	330	50.81
2	वि.अ.आ. म.क्षे. कां. भोपाल	0	0	0	10	2.53
3	वि.अ.आ. प.क्षे. कां. पुणे	31	0.95	0.95	47	5.06
4	वि.अ.आ. प.पू.क्षे.कां. गुवाहाटी	174	45.74	45.74	467	142.87
5	वि.अ.आ. पू.क्षे. कां. कोलकाता	5	0.84	0.84	85	10.27
6	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. कां. हैदराबाद	34	5.9	5.9	136	24.54
7	वि.अ.आ. एस.सी.आर.बी. नई दिल्ली	8	1.57	1.57	49	12.3
	कुल	259	55.46	55.46	1124	248.38

रेखाचित्र 4.4 (ज): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खेलकूद अवसंरचना और सम्पत्तियों के विकास की योजना



4.4(ऊ): महाविद्यालयों को विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान करना

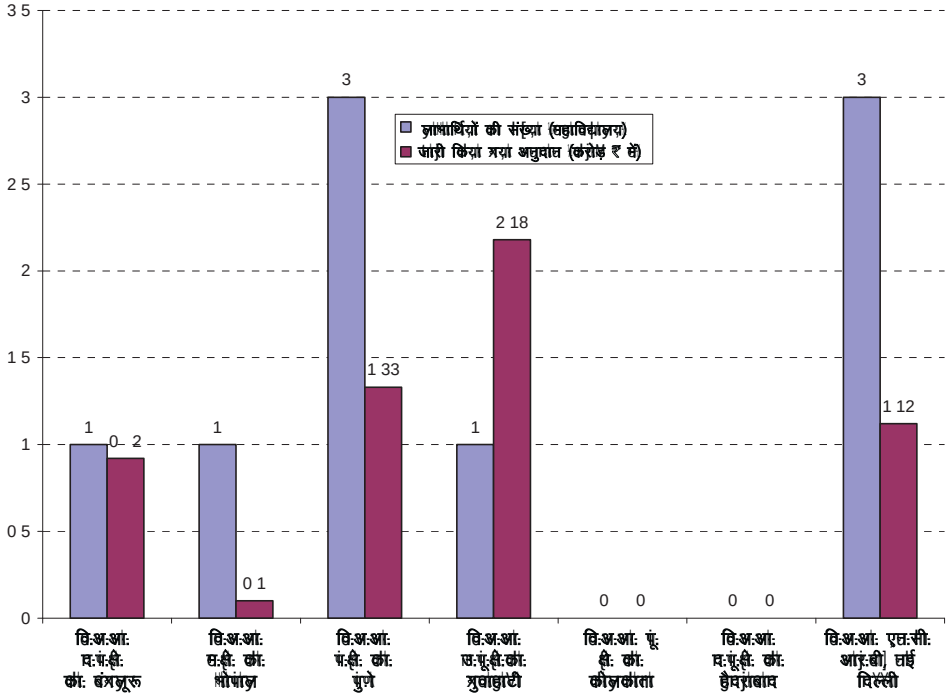
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ है तथा गुणवत्ता तथा प्रसार में भी वृद्धि दर्ज की गई है। जिसमें गुणवत्तायुक्त शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि हुई है। तथापि, ऐसे महाविद्यालय भी हैं जो सदियों से खड़े हैं तथा उत्कृष्ट ज्ञान तक गुणवत्तायुक्त माध्यमिक शिक्षा प्रदान करते आए हैं। ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं तथा जिन्होंने न केवल माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है बल्कि हमारे देश के गौरवशाली इतिहास के सांस्कृतिक, सामाजिक तथा वैचारिक ताने-बाने की मजबूत कर रहा है। इसलिए, ऐसे धरोहर रूपी इन संस्थानों की पहचान प्रदान करने तथा अनुरक्षित करने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि वे हमारी युवा पीढ़ी में 'सही शिक्षा' के मूल्यों का संचार करने में सक्षम हो सकें।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2015-2016 के लिए योजना के अंतर्गत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु में)

क्र0 सं0	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2015-16 के दौरान विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान करने की योजना हेतु जारी किया गया अनुदान				बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान करने की योजना हेतु जारी किया गया अनुदान (01.04.2012 से 31.03.2016)	
		वर्ष 2015-16 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	सामान्य अनुदान & सहायता & 31	पूंजीगत परिसंपत्तियां & 35	कुल	लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1	वि.अ.आ. द.पं.क्षे. कां. बंगलूरु	1	0.92	0.92	1	1	0.92
2	वि.अ.आ. म.क्षे. कां. भोपाल	1	0	0.1	0.1	1	0.1
3	वि.अ.आ. प.क्षे. कां. पुणे	3	0.37	0.96	1.33	3	1.33
4	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.कां. गुवाहाटी	1	0	2.18	2.18	1	2.18
5	वि.अ.आ. पू.क्षे. कां. कोलकाता	0	0	0	0	0	0
6	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. कां. हैदराबाद	0	0	0	0	0	0
7	वि.अ.आ. एच.सी.आर.डी] नई दिल्ली	3	1.12	1.12	2.24	3	1.12
	कुल	9	2.41	5.28	6.85	9	5.65

चित्र 4.4 (ऊ): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों को विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान किया जाना



4.4(ठ): दृष्टिबाधित शिक्षक:-

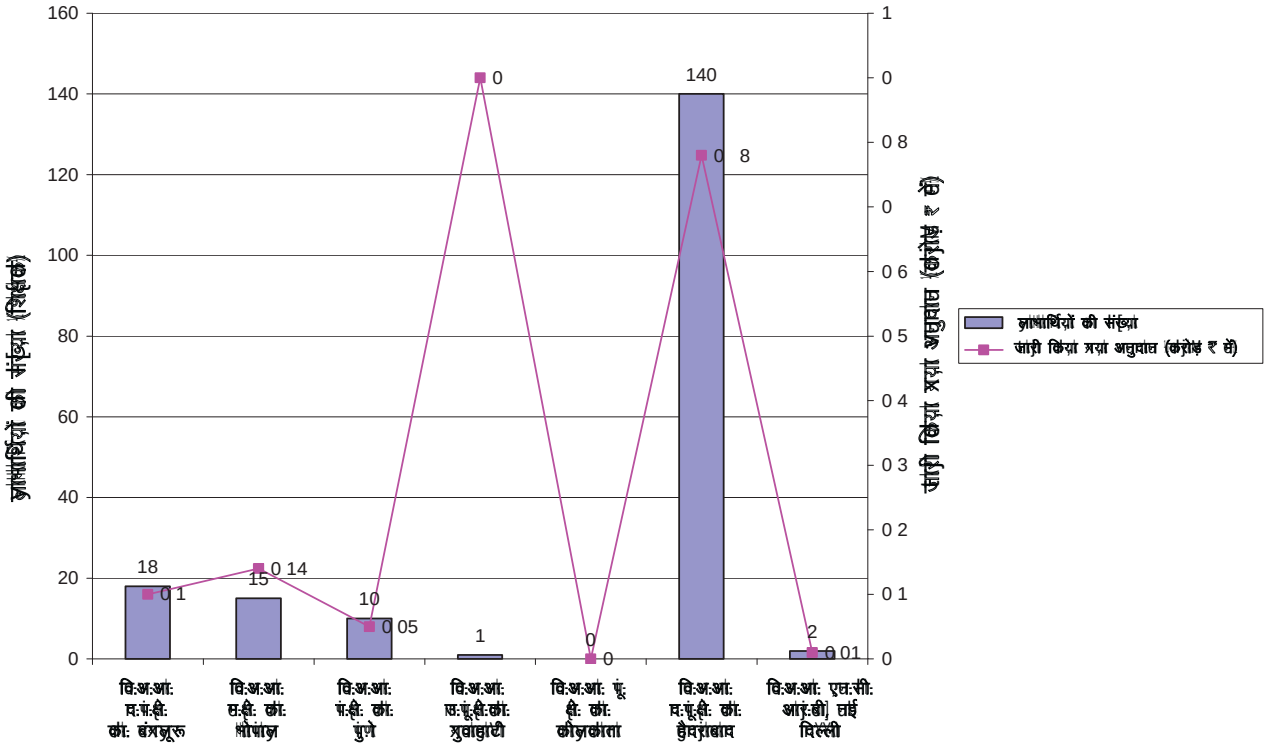
इस योजना की शुरुआत की सहायता से शिक्षण तथा ब्रेल अक्षर के सम्पादकों का सम्पोषण करना तथा शिक्षण सामग्री तथा ब्रेल पुस्तकों, रिकार्ड की अन्य सामग्री आदि के लिए हेतु विशिष्ट सम्पर्क केन्द्रों स्थापित करना से कार्यरत दृष्टिबाधित शिक्षकों की सहायता के लिए तैयार किया गया है। इस योजना के तहत स्थापित रूप से कार्यरत दृष्टिबाधित शिक्षकों को शिक्षण तथा ब्रेल अक्षर तथा शोध करने के लिए विशिष्ट सम्पर्कों का सम्पोषण करें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। स्थापित रूप से कार्यरत दृष्टिबाधित शिक्षक की 36,000 रुपए प्रतिवर्ष की सहायता प्रदान किया जाता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2015-2016 के लिए योजना के अंतर्गत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु में)

क्र0 सं0	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2015-16 के दौरान दृष्टिबाधित शिक्षकों को जारी किया गया अनुदान (01.04.2015 से 31.03.2016)				बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दृष्टिबाधित शिक्षकों को जारी किया गया अनुदान		
		वर्ष 2015-16 के दौरान लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या	सामान्य अनुदान & सहायता & 31	पूंजीगत परिसंपत्तियां & 35	कुल	लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या	आवर्तक	जारी किया गया अनुदान
1	वि.अ.आ. स.पं.शै. सं. बंगलूरु	12	0.08	0	0.08	18	0.1	0.1
2	वि.अ.आ. स.शै. सं. भोपाल	6	0.04	0	0.04	15	0	0.14
3	वि.अ.आ. पं.शै. सं. पुणे	7	0.04	0	0.04	10	0	0.05
4	वि.अ.आ. स.पू.शै.सं. गुवाहाटी	0	0	0	0	1	0	0.9
5	वि.अ.आ. पू.शै. सं. कोलकाता	0	0	0	0	0	0	0
6	वि.अ.आ. स.पू.शै. सं. हैदराबाद	67	0.47	0	0.47	140	0	0.78
7	वि.अ.आ. एस.सी.आर.बी] नई दिल्ली	2	0.01	0	0.01	2	0	0.01
	कुल	94	0.64	0	0.64	186	0.1	1.98

चित्र 4.4 (B): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दृष्टिबाधित शिक्षकों की योजना



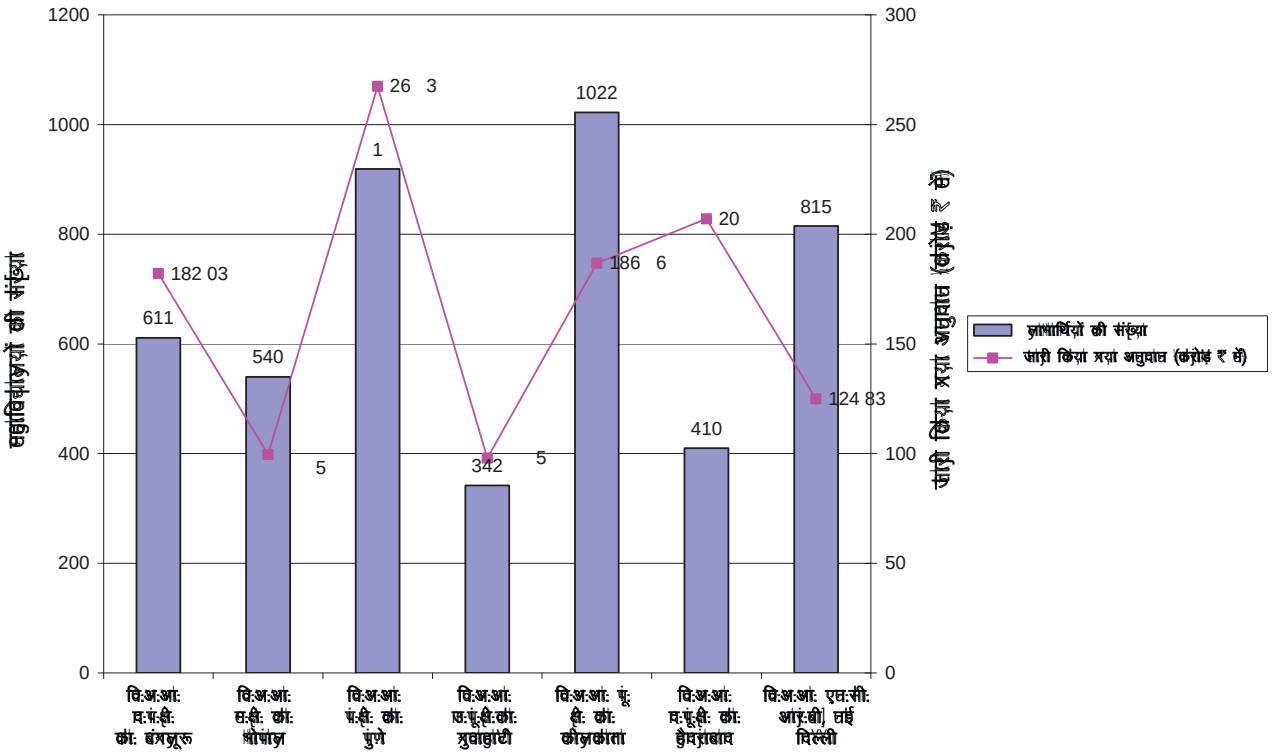
4.4(ड) प्रतिबद्ध देयताएं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाएं):-

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2015&2016 के लिए बंद की गई योजनाएं जैसे एकमुश्त कौप&अप अनुदान, अतिरिक्त सहायता, अपेक्षित योजनाएं आदि के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को प्रदत्त अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

(करोड़ ₹ में)

क्र0 सं0	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2015&16 के दौरान प्रतिबद्ध देयताओं हेतु जारी किया गया अनुदान				बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिबद्ध देयताओं हेतु जारी किया गया अनुदान (01.04.2012 से 31.03.2016)	
		वर्ष 2015&16 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	सामान्य अनुदान & सहायता & 31	पूंजीगत परिसंपत्तियां & 35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ. क.पं.क्षे. का. बंगलूरू	45	0	1.45	1.45	611	182.03
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	29	0.00	2.16	2.16	540	99.57
3.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	345	0	4.97	4.97	919	267.37
4.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	0	0	0	0	342	97.95
5.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	70	0.38	1.80	2.18	1022	186.76
6.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	70	0.43	1.83	2.26	410	207
7.	वि.अ.आ. एच.सी.आर.डी] नई दिल्ली	91	0	4.35	4.35	815	124.83
	कुल	650	0.81	16.56	17.37	4659	1165.51

रेखाचित्र 4.4 (ड): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिबद्ध देयताओं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाएं) की योजना



4.5 दिल्ली के महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों को अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] यूजी&योजनाप्रत अनुदान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध 53 महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 4 महाविद्यालयों और योजनाप्रत अनुदान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के 64 महाविद्यालयों (53 विश्वविद्यालय और दिल्ली प्रशासन के 11 महाविद्यालयों) की वित्तीय सहायता सुविधा संचालित है। इनके साथ&साथ] विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग दिल्ली के महाविद्यालयों/दिल्ली में स्थापित विश्वविद्यालयों की राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/ग्रामीण स्तर पर संगोष्ठियों/सेमिनार/कार्यशालाएं करने के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराता है।

4.5 (क) गैर-योजनागत अनुदान

4.5 (क1) दिल्ली के महाविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 36 महाविद्यालयों को 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है और शेष 17 महाविद्यालयों को शतप्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है (08 मान्यताप्राप्त महाविद्यालय + 09 विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय)। इन 36 महाविद्यालयों में से 16 महाविद्यालय दिल्ली प्रशासन से अनुरक्षण अनुदान के 5 प्रतिशत अंशदान मात्र की प्राप्त करते हैं और 20 महाविद्यालय संबंधित स्त्रोतों/सोसायटियों से प्राप्त करते हैं।

दिल्ली के कुल 53 महाविद्यालय, आयोग से प्राप्त अनुरक्षण अनुदान से अपने वेतन और वेतनेतर, दोनों व्यय की पूर्ति करते हैं। प्रत्येक महाविद्यालय को उचित विकास करने के लिए महाविद्यालयों के आधारों के साथ वार्षिक डेटों की जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले दिल्ली के महाविद्यालयों तथा दिल्ली के महाविद्यालयों के छात्रावासों # की श्रेणी वार सूची निम्नवत है।

तालिका 4.5(क1)

क्र0 सं0	श्रेणी: 1: दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत&प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है)
1	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज
2	देशबंधु कॉलेज (दिवसीय)*
3	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)
4	किरोड़ी मल कॉलेज #
5	सिद्धार्थ हॉलस #
6	गार्गी कॉलेज (दिवसीय)
7	हंसराज महाविद्यालय (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)
8	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)
9	आर्यभट्ट महाविद्यालय (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)

क्र0 सं0	श्रेणी:3: दिल्ली प्रशासन के अधीन महाविद्यालय (95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और 5 प्रतिशत दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रदान किया जाता है।)
18	भारती महाविद्यालय
19	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्टस एण्ड कामर्स
20	विवेकानन्द महाविद्यालय
21	श्यामा महाविद्यालय *
22	कालिंदी महाविद्यालय *
23	कमला नेहरू महाविद्यालय *
24	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय *
25	मैत्रेयी महाविद्यालय *
26	सोमैया नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)*
27	राजधानी महाविद्यालय *
28	सत्यवती साहु&शिक्षा महाविद्यालय (दिवसीय)*
29	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)*
30	शिवाजी महाविद्यालय*
31	श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय*
32	श्री अरबिन्दो महाविद्यालय (दिवसीय) *
33	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय*

क्र0 सं0	श्रेणी:2: मान्यताप्राप्त महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत&प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है)
10	दयाल सिंह महाविद्यालय (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)
11	सोमैया नेहरू महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
12	पी:जी:डी:ए:वी: महाविद्यालय (स्त्रोत)
13	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
14	श्यामा प्रसाद महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
15	सत्यवती साहु&शिक्षा महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
16	श्री अरबिन्दो महाविद्यालय (दिल्ली प्रशासन)
17	जाकिर हुसैन इवनींग महाविद्यालय (स्त्रोत)

क्र0 सं0	श्रेणी:4: स्त्रोत द्वारा प्रबन्धित महाविद्यालय (95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और 5 प्रतिशत अनुदान स्त्रोत द्वारा प्रदान किया जाता है।)
34	श्री गुरू गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स
35	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स
36	मोती लाल महिला महाविद्यालय #
37	श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स #
38	सेंट स्टीफेन्स महाविद्यालय #
39	अदिति महाविद्यालय*
40	बृज लाल महाविद्यालय #
41	हंसराज महाविद्यालय #
42	हिन्दू महाविद्यालय #
43	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय #
44	जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय*
45	जीसस एण्ड मेरी महाविद्यालय*
46	मोती लाल महिला महाविद्यालय #
47	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय*
48	पी:जी:डी:ए:वी: महाविद्यालय(दिवसीय) *
49	राम लाल महाविद्यालय #
50	श्यामलाल महाविद्यालय (दिवसीय) *
51	एस:जी:टी:बी: खालसा कॉलेज (दिवसीय) *
52	श्री गुरू नानक देव खालसा कॉलेज
53	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय*

* ऐसे विस्तारित महाविद्यालय जो 1000 छात्रों पर शत&प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।
# विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले दिल्ली के महाविद्यालयों के छात्रावास

4.5 (क2) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालय

गैर&योजनागत अनुदान के तहत विशेष सहायता प्राप्त करने वाले बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार महाविद्यालयों की सूची निम्नवत है:

तालिका 4.5 (क2)

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम
1.	आर्य महिला डिग्री महाविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
2.	डी0ए0वी0 डिग्री महाविद्यालय, वाराणसी
3.	बसंत कन्या महाविद्यालय, राजघाट, वाराणसी
4.	बसंत महिला महाविद्यालय, किला राजघाट, वाराणसी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गैर&योजनागत अनुदान के अंतर्गत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में सम्मिलित 4 महाविद्यालयों की निम्नानुसार अनुरक्षण अनुदान की सुविधा उपलब्ध है :

& विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 95 प्रतिशत अनुदान का वितरण।

& महाविद्यालय के प्रबंधन द्वारा 5 प्रतिशत अनुदान।

वर्ष 2015&2016 के दौरान दिल्ली और डीएवी के महाविद्यालयों को संस्तुत किए गए अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

(लाख ₹ में)

ब्यौरा	आवंटन	जारी किया गया अनुदान
दिल्ली के 53 के महाविद्यालय	147817.40	143927.84
डीएवी के चार महाविद्यालय	3575.00	3575.00

वर्ष 2015&16 के लिए गैर&योजनागत अनुरक्षण अनुदान के तहत अनुरक्षण हेतु दिल्ली के महाविद्यालयों की तालिका 4.5(क1(i)) तथा 4.5(क1(ii)) और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों की तालिका 4.5(क2) के तहत जारी किये गये अनुदान का महाविद्यालय&वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 4.5(क1(i)): वर्ष 2015&16 के दौरान दिल्ली के महाविद्यालयों को जारी गैर&योजनागत अनुदान

(लाख ₹ में)

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	जारी किया गया कुल अनुदान
1	अदिति महाविद्यालय	3389.29
2	भारती महाविद्यालय	1718.05
3	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज	2148.07
4	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)	4568.70
5	दयाल सिंह कॉलेज (सांध्यकालीन)	1750.27
6	दौलतराम महाविद्यालय	3586.89
7	देशबंधु महाविद्यालय (दिवसीय)	3919.42
8	हंसराज महाविद्यालय	1362.29
9	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड कामर्स	2247.63
10	श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स	1258.00
11	हार्डी महाविद्यालय	3674.27
12	हंसराज महाविद्यालय	4232.39
13	जिन्दू महाविद्यालय	3176.73
14	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय	2192.39
15	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स	1886.66
16	जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय	2894.40
17	जीसस एण्ड मेरी महाविद्यालय	2564.19
18	कालिन्दी महाविद्यालय	2675.66

(लाख ₹ में)

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	जारी किया गया कुल अनुदान
19	कमला नेहरू महाविद्यालय	2260.86
20	किरोड़ी मल कॉलेज	3914.43
21	लेडी इरविन महाविद्यालय	3053.78
22	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	2616.56
23	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय	2990.65
24	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय	2624.19
25	मिरांडा हॉउस	4226.41
26	मैत्रेयी महाविद्यालय	3868.30
27	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)	3116.85
28	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1399.96
29	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (दिवसीय)	2913.62
30	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1400.71
31	राजधानी महाविद्यालय	4116.64
32	रामलाल आनंद कॉलेज (दिवसीय)	1904.20
33	रामलाल आनंद कॉलेज (सांध्यकालीन)	2033.13
34	राजमाता महाविद्यालय	3151.96
35	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)	2531.50
36	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1847.09

(लाख ₹ में)

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	जारी किया गया कुल अनुदान
37	मैत्रेयी कॉलेज	1714.44
38	श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स	2027.58
39	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज (विवरणीय)	3536.88
40	श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज	1801.39
41	श्री वेंकटेश्वर कॉलेज	4012.77
42	श्यामा प्रसाद कॉलेज (विवरणीय)	2613.17
43	श्यामा प्रसाद कॉलेज (सांख्यिकीय)	1424.85
44	स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज	3487.27
45	एस0पी0एस कॉलेज फॉर वीमेन	3252.79
46	सत्यवती कॉलेज (विवरणीय)	2591.83
47	सत्यवती कॉलेज (सांख्यिकीय)	1967.76
48	श्री अरबिंदो कॉलेज (विवरणीय)	2269.27
49	श्री अरबिंदो कॉलेज (सांख्यिकीय)	1557.97
50	शिवाजी कॉलेज	3415.22
51	विवेकानंद कॉलेज	2201.41
52	जाकिर हुसैन कॉलेज (विवरणीय)	4073.08
53	जाकिर हुसैन कॉलेज (सांख्यिकीय)	1607.83
	कुल	142771.53

4.5 {क1(ii)}: वर्ष 2015–16 के लिए दिल्ली के महाविद्यालयों के छात्रावासों को जारी अनुदान का ब्यौरा

(लाख ₹ में)

क्र0 सं0	छात्रावास	जारी किया गया कुल अनुदान
1	दौलतराम कॉलेज	62.47
2	इंद्रप्रस्थ कॉलेज	78.19
3	हिन्दू कॉलेज	59.55
4	इन्द्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन	227.73
5	किरोड़ी मल कॉलेज	85.05
6	मोती लाल कॉलेज	123.33
7	मोती लाल नेहरू कॉलेज	133.36
8	सिद्धार्थ कॉलेज	103.58
9	रामजस कॉलेज	76.05
10	मैत्रेयी कॉलेज	104.26
11	श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स	82.43
12	जाकिर हुसैन कॉलेज	20.31
	कुल &लेख	1156.31

4-5¿d2½i½À½ o'k 2015&16 d fy, xj&;ktukxr vunku d rgr pkj ch,p; egkfo|ky;k dk tkjh fd, x, vunkuk dk egkfo|ky;&okj C;kjk

(लाख ₹ में)

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	वेतन	पेंशन	वेतनेतर	जमा&शेष
1.	आर्य महिला डिग्री महाविद्यालय	1008.51	78.44	37.57	1124.52
2.	डी0ए0वी0 डिग्री महाविद्यालय	670.65	44.66	21.08	736.39
3.	बसंत कन्या महाविद्यालय	725.63	38.45	13.00	777.08
4.	बसंत महिला महाविद्यालय	845.21	63.45	28.35	937.01
	कुल योग	3250.00	225.00	100.00	3575.00

4.5 (ख) योजनागत अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली के 64 महाविद्यालयों की सामान्य विकास, महिला छात्रावासों तथा खेल हेतु विशेष सहायता की सुविधा करता है। दिल्ली महाविद्यालय अनुदान से राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर संगोष्ठियों/सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए दिल्ली के महाविद्यालयों/दिल्ली में स्थापित विदेशी महाविद्यालयों को अनुदान भी जारी किया है।

तालिका 4.5(क1) में सूचीबद्ध 53 महाविद्यालयों के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंद्ध निम्नवत 11 महाविद्यालय योजनागत मदों के तहत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं:

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम
1	भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय	7	आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय
2	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय	8	शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर एप्लाईड साईंस
3	अदिति महाविद्यालय	9	केशव महाविद्यालय
4	भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाईड साईंस	10	मैत्रेयी विवेदिता महाविद्यालय
5	दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय	11	बृजबाई देशमुख महाविद्यालय
6	सुरेन्द्रदेव कॉलेज ऑफ डिजाईन एन्डटेक		

वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विभिन्न योजनाओं के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंद्ध महाविद्यालय को अनुदान जारी किया&

(लाख ₹ में)

क्र0 सं0	विवरण	जारी किया गया अनुदान		कुल
		सामान्य अनुदान सहायता&31	पूंजीगत परिसंपत्तियां&35	
1	महाविद्यालयों की सामान्य विकास सहायता	&	&	&
2	नवल विकास परियोजनाएं	&	&	&
3	विशेष योजना के तहत सहिजा क्षेत्रावास	&	240.00	240.00
4	संगोष्ठियां@सम्मेलन@कार्यशालाएं	22.92	&	22.92
5	वेब&कूप अवसंरचना	&	109.62	109.62
	कुल	22.92	349.62	372.54

तालिका 4.5(ख1): सामान्य विकास सहायता हेतु दिल्ली के महाविद्यालयों को जारी किए गए योजनागत अनुदान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख ₹ में)

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	जारी किया गया अनुदान (जीडीए) XII	जारी किया गया अनुदान (नवल) XII	जारी किया गया अनुदान (सहिजा क्षेत्रावास) XII	जारी किया गया अनुदान (वेब&कूप) XII	जारी किया गया अनुदान (आईक्यूएसी) XII
1	रामानुजन महाविद्यालय			11.00		11.00
2	श्री गुरू गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स		60.00			60.00
3	इंस्टीट्यूट ऑफ होस इकनॉमिक्स (यूजी एण्ड पीजी)			3.50		3.50
4	जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज			6.00		6.00
5	सैत्रेयी महाविद्यालय		60.00			60.00
6	रामजस महाविद्यालय		60.00	44.12		104.12
7	श्रीराम कॉलेज ऑफ कामर्स			45.00		45.00
8	एसजीएस कॉलेज ऑफ वोकेश		60.00			60.00
	कुल		240.00	109.62		349.62

तालिका 4.5(ख2): वर्ष 2015&16 के लिए दिल्ली के महाविद्यालयों@विभिन्न महाविद्यालयों की संगोष्ठियां@कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए जारी किए गए अनुदानों का ब्यौरा

(लाख ₹ में)

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	जारी की गई राशि
1.	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय	1.50
2.	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	0.14
3.	मोतीलाल नेहरू कॉलेज	1.50
4.	एआरएसडी महाविद्यालय	2.40
5.	दयाल सिंह महाविद्यालय	0.60
6.	दीनदयाल एण्ड सेरी महाविद्यालय	0.80
7.	जाकिर हुसैन दिल्ली महाविद्यालय	0.80
8.	दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंस एण्ड रिसर्च	2.00
9.	विवेकानन्द महाविद्यालय	1.20
10.	पीजीडीएवी महाविद्यालय	1.50
11.	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	0.11

(लाख ₹ में)

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	जारी की गई राशि
12.	रामजस महाविद्यालय	0.30
13.	एसजीटीबी खालसा महाविद्यालय	2.00
14.	भारती महाविद्यालय	0.80
15.	भास्कराचार्य महाविद्यालय	1.00
16.	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	0.37
17.	जाकिर हुसैन दिल्ली महाविद्यालय	1.50
18.	रामानुजन महाविद्यालय	1.20
19.	जाकिर हुसैन दिल्ली महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	0.80
20.	रामानुजन महाविद्यालय	1.20
21.	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय	1.20
	वर्ष 2015&16 के दौरान जारी किया गया कुल अनुदान	22.92

गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता

- उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई)
- किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीईपीए)
- उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई)
- विशेष सहायता कार्यक्रम (डीआरएस, डीएसए, सीएसए)
- स्वायत्त महाविद्यालय
- मानव संसाधन विकास केन्द्र तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र
- राजभाषा का संवर्धन
- द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
- संयुक्त शोध प्रस्ताव
- राष्ट्रीय शिक्षण परीक्षा
- यात्रा अनुदान
- अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र
- राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र
- विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम्पूर्ण शिक्षा संस्थानों में शिक्षण और शोध में उत्कृष्टता की प्राप्ति के प्रयास स्वरूप विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रायोजित विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराता रहा है ताकि उन्हें विश्वस्तरीय बनाया जा सके तथा देश में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई), उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई) तथा किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र (सीपीईपीए) की भांति अन्य संस्थानों के लिये बैंचमार्क के रूप में कार्य करें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन योजनाओं की शुरूआत किया था जो बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी जारी हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य निम्नवत है:

- शिक्षण, शोध और नवाचार गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक और वास्तविक आवश्यकता की सुदृढ़ करना ;
- सुशासन की प्रभावी और पारदर्शी शैली को प्रोत्साहित करना;
- स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तरों पर प्रभावी क्रेडिट आधारित सेमेस्टर प्रणाली और विस्तार में स्वीकार्य अवधि तथा सर्वोत्तम पद्धतियों के साथ इस अवधि की प्रक्रिया और शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करना;
- देश की सामाजिक&आर्थिक आवश्यकताओं हेतु संगत शैक्षिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना;
- स्नातकोत्तर गतिविधि की इंटरडिसिप्लिन के माध्यम से महाविद्यालयों में स्नातकपूर्व शिक्षा में सुधार करना;
- देश में अन्य केन्द्रों, विभागों और प्रयोगशालाओं की सेवाओं को जोड़ने को प्रोत्साहित देना;
- वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध में उत्कृष्टता प्राप्त करना।

5.1 उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षण तथा शोध डिग्रीकार्यक्रमों में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले कुछ विश्वविद्यालयों को समर्थन करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस योजनाओं की शुरूआत किया थाA यह समर्थन बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भी जारी है ताकि कुछ और ऐसे विश्वविद्यालयों को समर्थन दिया जा सके जिनमें न केवल शिक्षण और शोध दोनों संबंधी डिग्रीकार्यक्रमों में उत्कृष्टता प्राप्ति की संभाव्यता है जिससे विश्वविद्यालय के समग्र विकास में योगदान किया जा सकेA

यूपीई योजना के तहत अब तक 15 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 10 और विश्वविद्यालयों का चयन किया जाना हैA विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुछ सोचना यूपीई में से कुछ विश्वविद्यालयों की समीक्षा करना चाहता है जिन्होंने पहले निर्धारित सीमा तक शिक्षण तथा शोध में उत्कृष्टता तथा उपलब्धि प्राप्त किया है तथा योजना के तहत फेज@द्वितीय चरण पूर्ण किया तथा उन्हें उत्कृष्टता वाले विश्वविद्यालय (यूओई) का दर्जा दिया हैA बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ऐसे तीन विश्वविद्यालय हैं] जिन्होंने उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूओई) के फेज@द्वितीय चरण को पूर्ण कर लिया है] उनके उत्कृष्ट विशेषज्ञता@सक्षमताओं हेतु उत्कृष्टता के विश्वविद्यालय (यूओई) का दर्जा प्रदान करने के लिए सम्पर्क किये जाने हेतु विचार किया जायेगाA

पात्रता मानदंडः

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पात्रता की शर्तें] सहायता की अवधि] सीमा] यूपीई@यूओई का दर्जा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों के चयन के संबंध में विशेषविवरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/1952943 X - lan- uidelines- or- -and- o - evised.pdf पर उपलब्ध हैंA

यूपीई योजना की निगरानीः

योजना के अंतर्गत] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है ताकि विश्वविद्यालय की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकेA यूपीई@यूओई का दर्जा प्रदान किये जाने के दो वर्षों के पश्चात् विश्वविद्यालय को वि0अ0आ0 के मुख्यालय में समिति के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण करने के लिए आमंत्रित किया जायेगा A समिति] प्रत्येक विश्वविद्यालय के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगीA सभी विश्वविद्यालयों की रिपोर्टों को एक स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा तथा तत्पश्चात् यूपीई कार्यशैली को दर्जा बढ़ाने@वापस करने] जैसा भी आवश्यक हो] की सिफारिश करते हुए आयोग के समक्ष रखा जायेगाA

यूपीई@यूओई का दर्जा प्रदान करने के अंतिम वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता द्वारा गठित एक अंतिम समीक्षा समिति योजना के लक्ष्यों के आलोक में विश्वविद्यालय के निष्पादन तथा उपलब्धियों की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय का दौरा करेगीA यह समिति] योजना के तहत स्थायी समिति के विचारार्थ विश्वविद्यालय के लिए यूपीई@यूओई के अगले चरण की सिफारिश भी करेगीA तथापि] किसी भी विश्वविद्यालय योजना के तहत अधिकतम तीन वर्षों के लिए यूपीई@यूओई का दर्जा प्राप्त होगाA प्रत्येक चरण पांच वर्ष के लिए होगाA

तालिका 5.1: दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार यूपीई विश्वविद्यालयों (15) तथा उन्हें किए गए भुगतान का ब्यौरा

योजना अवधि	क्र0 सं0	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र जिसे दिया जाने वाला क्षेत्र	अनुमोदित अनुदान राशि (करोड़ में)		जारी किया गया अनुदान (करोड़ में)	
				चरण&1	चरण&2	चरण&1	चरण&2
चौथी पंचवर्षीय योजना	1.	जादवपुर विश्वविद्यालय	1: जैव विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2: कोशिकिय जीव	30.00	25.00	30.00	22.00
	2.	पुणे विश्वविद्यालय	जैव प्रौद्योगिकी तथा जलीय पर्यावरण और जैव प्रणालियां	30.00	25.00	30.00	10.00
	3.	बनारस विश्वविद्यालय	शास्त्रीय विज्ञान (मूलभूत विज्ञान)	30.00	25.00	30.00	15.20
	4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	शिक्षण तथा शोध में इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन	30.00	25.00 की संशोधित कर 50.00 कर दिया गया है	30.00	37.5

योजना अवधि	क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	कार्य किया जाने वाला क्षेत्र	अनुमोदित अनुदान राशि (रु. करोड़ में)		जारी किया गया अनुदान (रु. करोड़ में)	
				वर्ष&1	वर्ष&2	वर्ष&1	वर्ष&2
	5.	सवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	1. भौतिकी तथा रासायनिक तकनीकों का सम्पोषण करते हुए जैविक तथा पर्यावरणीय समस्याओं के समाधानों में जीवरासायनिकी तथा आणविकजीवविज्ञान का अध्ययन&	30.00	60.00	30.00	30.00
			2. वैश्वीकरण, राष्ट्रीय विकास तथा क्षेत्रीय प्रणालियों एवं दूसरे से संबंधित अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज तथा संस्कृति				
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	6.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	जीव विज्ञान में रासायनिक विज्ञान	28.65	::	28.65	::
	7.	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय (एचएसजीयू)	जैव विज्ञान एवं क्षेत्र अध्ययन	30.00	::	25.00	::
	8.	कोलकाता विश्वविद्यालय	आणविक जीव विज्ञान	30.00	60.00 (2015-20)	30.00	39.6
	9.	मुम्बई विश्वविद्यालय	कृत्रिम प्रौद्योगिकी	30.00 बढ़कर 31.3.2015	::	20.85	::
बारहवीं पंचवर्षीय योजना	10	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	पदार्थ&शीर्ष& सामाजिक प्रासंगिकता	50.00	::	30.00	::
	11	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1) अत्याधुनिक झिल्लीशील्ड व्यवसाय (ऊर्जा व्यवसाय, सर्फेक्टेंट्रोनिक्स, अत्याधुनिक पालीमर्स) 2) जीवरासायनिकी और प्रोटियोमिक्स	50.00	::	30.00	::
	12	राजस्थान विश्वविद्यालय	पदार्थ और अभियांत्रिकी विज्ञान: नैनो&पदार्थ, नैनो&कंपोजिट्स तथा बहुघटकीय पदार्थ	50.00	::	30.00	::
	13	सैमूर विश्वविद्यालय	1. अत्याधुनिक झिल्लीशील्ड, पदार्थों की संरचित करना, लक्षण वर्णन तथा सतहों का अनुप्रयोग 2. सीडिया और सामाजिक विकास &कचरिंक की एक अध्ययन सामग्री	50.00	::	30.00	::
	14	कंचरिंक विश्वविद्यालय	ट्यूबर्स&ग्रीन झिल्लीशीलता& एक संसेचित पद्धति	50.00	::	30.00	::
	15	गुरूनानक देव विश्वविद्यालय	पदार्थ विज्ञान	50.00	::	30.00	::

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 10 विश्वविद्यालयों की क्षमता करने के लक्ष्य की पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पात्र विश्वविद्यालयों से यूपीई योजना के तहत नए प्रस्ताव आमंत्रित किए& इसकी प्रतिक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय में 35 प्रस्ताव प्राप्त हुए& आयोग ने निर्णय लिया कि यूपीई योजना के तहत सभी तथा चिनी विश्वविद्यालयों पर विचार नहीं किया जाएगा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेष विश्वविद्यालय करने वाले सभी तथा चिनी विश्वविद्यालयों की सहायता के लिए एक नए साझे से पृथक योजना लेकर आएगा& तदनुसार, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए यूपीई तथा सीपीईपी विशेषाधिकारों में एक संशोधन किया गया तथा सभी विश्वविद्यालयों@चिनी विश्वविद्यालयों के लिए पृथक साझे से विशेषाधिकार तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया&

35 प्रस्तावों में से विशेषज्ञ 7 राज्य विश्वविद्यालयों की अनुशंसा की गई तथा साझे तैयारी समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण करने को कहा गया है:&

(i) महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)
(ii) अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई (तमिलनाडु)
(iii) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (मध्यप्रदेश)

(iv) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर, (मणिपुर)

(v) असम विश्वविद्यालय, सिलचर, असम, (मणिपुर)

(vi) मिजोरम विश्वविद्यालय, तनहिरान, (मणिपुर)

(vii) अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई, (मणिपुर)

उपर्युक्त सात विश्वविद्यालयों में से केवल एक विश्वविद्यालय यानी अन्ना विश्वविद्यालय की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यूपीई का दर्जा प्रदान करने हेतु चिह्नित किया गया है।

वर्ष 2015&16 के दौरान इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों को 67.10 करोड़ ` की राशि जारी की गई थी।

5.2 किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीईपीए)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान "किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीईपीए)" योजना की शुरुआत किया था ताकि शिक्षण तथा शोध डिपार्टमेंटों में उत्कृष्टता तथा अंतर्विषयक पहुंच को बढ़ावा दिया जा सके। आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। योजना का व्यापक उद्देश्य चयनित विश्वविद्यालयों में नवीन विषयों को बढ़ावा देना तथा सुविधा प्रदान करना है ताकि वे क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उभरते हुए नवीन अथवा अन्तर्वर्तिक क्षेत्रों में विषय और/अथवा विषयों की सीमाओं से इतर अपने कार्यक्रमों तथा डिपार्टमेंटों में मौजूद मानदंडों को बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त कर सकें। इस योजना का एक उद्देश्य यूपीई दर्जा प्रदान करने के लिए चौदह&चौदह इस विश्वविद्यालयों को तैयार करना है।

पात्रता मानदंड/सहायता की अधिकतम सीमा

सीपीईपीए योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक विश्वविद्यालयों हेतु पात्रता मानदंड/सहायता की अधिकतम सीमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/2758219 guideline- .pdf पर उपलब्ध है।

सहायता की अवधि:

योजना के तहत किसी भी क्षेत्र की अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए दर्जा प्राप्त होता। सहायता का प्रत्येक वर्ष पांच वर्षों की अवधि के लिए होता जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रगति आधार पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तथापि, विस्तार की अवधि के लिए कोई अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

इन क्षेत्रों के कार्य की पूर्वावधि विशेषज्ञों समिति तथा अंतिम समीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा।

आज की तिथि के अनुसार, इस योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों ने 21 क्षेत्रों की सहायता प्रदान की जा रही है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका: 5.3

राज्य	क्र0 सं0	विश्वविद्यालय का नाम	विशिष्टता का क्षेत्र	सौंपा गया	वर्तमान वर्ष में आवंटन (लाख रुपए में)	जारी किया गया अनुदान (लाख रुपये में)
आंध्र प्रदेश	1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	पारंपरिक शास्त्र	वर्ष -	300	240
तेलंगाना	2.	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	"अतिरिक्त महत्वपूर्ण विकिरण मापनों की उपयोग परियोजना हेतु बायो&फोटोनिक्स"	वर्ष -	280	140
अरुणाचल प्रदेश	3.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	जैव विविधता	वर्ष -	700	630
चण्डीगढ़	4.	पंजाब विश्वविद्यालय	जैव विविधता विज्ञान	वर्ष -	500	500

राज्य	क्र0 सं0	विश्वविद्यालय का नाम	विशिष्टता का क्षेत्र	सौंपा गया प्रांरभ	वर्तमान प्रांरभ में आवंटित (लाख रुपए में)	जारी किया गया अनुदान (लाख रुपये में)
	5.	पंजाब विश्वविद्यालय	पंजाब और हरियाणा में लिंग संबंधी अपराधशास्त्र "क्रॉस्ट्रेज डिटेक्शन ऑफ ऑफेंस"	प्रारंभ -	185	92.5
	6.	पंजाब विश्वविद्यालय	"पेयो पार्थी] पेयो&कणों तथा पेयों संदेशकों का अनुप्रयोग"	प्रारंभ -	355	177.5
गुजरात	7.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	अनुप्रयुक्त मॉलीक्यूल	प्रारंभ -	670	....
हिमाचल प्रदेश	8.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	हिमालय अध्ययन	प्रारंभ -	700	350
कर्नाटक	9.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	"हिमिंथीय विषाणु] सद्योजों तथा कृषि अनुप्रयोगों हेतु सक्त पार्थ"	प्रारंभ -	685	342.5
	10.	बंगलुरु विश्वविद्यालय	"रोग प्रबंधन में प्रयुक्त औषधि तथा कीटिकाओं में उसके प्रभाव की पता लगाने हेतु आणविक तथा पेयो सपंकरणों का अनुप्रयोग"	प्रारंभ -	575	287.5
	11.	सैमूर विश्वविद्यालय	"कोरेक्ट्राईजेशन एण्ड एप्लीकेशन ऑफ एडवांस्ड डिटेक्शन्स पेयो सैंसीरियल्स"	प्रारंभ -	430	215
मध्य प्रदेश	12.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	ई&प्रबंधन अध्ययन ब्रेन ब्रेन विज्ञान	प्रारंभ -	300 500	300 500
पंजाब	14.	गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय	"पंजाब में कैंसर तथा सहरोग के द्वितीय प्रकार का आनुवांशिक आधार"	प्रारंभ -	615	307.5
राजस्थान	15.	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय	"एप्लीकेशन ऑफ सिंथेसिस ऑर्ग कोरेक्ट्राईजेशन एण्ड रिस्क एसेसमेंट ऑफ पेयो मार्टिकल्स ऑन द इकोसिस्टम्स ऑफ थॉर डेजर्ट"	प्रारंभ -	535	267.5
तमिलनाडु	16.	अन्ना विश्वविद्यालय	मरीन्द्रांणीय विज्ञान	प्रारंभ -	500	450
	17.	सत्यम विश्वविद्यालय	"घाव रोपण हेतु हिमिंथीय पादपों से औषधियों का विकास"	प्रारंभ -	325	162
	18.	सत्यम विश्वविद्यालय	जलवायु परिवर्तन तथा क्षेत्र में सेलशोध पारिस्थितिकीय पर इसका प्रभाव	प्रारंभ -	230	115
	19.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय	"समुद्र विज्ञान संसाधन में समुद्री जीव विज्ञान पर सक्रिय अध्ययन"	प्रारंभ -	385	192.5
उत्तर प्रदेश	20.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	बिहेवियरल कॉग्नेटिव साइंस	प्रारंभ -	700	526.5
पश्चिम बंगाल	21.	कोलकाता विश्वविद्यालय	"इवोल्यूशनरी फिजीयोलाजीकल एण्ड न्यूरो इमेजिंग स्टडीज इन्वॉल्विंग सैंसेशनल्स मॉडलिटिज"	प्रारंभ -	615	307.5

वर्ष 2015&16 के दौरान वि0स0वि0 से पात्र विश्वविद्यालयों से सीपीईपीए योजना के तहत नये प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। कुल 118 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिन्हें विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावों पर आगे विचार करने के लिए सभी प्रधिमूल्यांकन करने हेतु विशेषज्ञ समिति ने एक सम&समिति का गठन किया। कुल 118 प्रस्तावों में से सम&समिति द्वारा 21 प्रस्तावों की प्रधिमूल्यांकन किया गया तथा सभी विशेषज्ञ समिति के समक्ष पांच पांईट प्रस्तुतिकरण करने के लिए आमंत्रित किया गया।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2015&16) के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सीपीईपीए योजना के तहत पांच वर्षों की अवधि (2016&21) के लिए प्रारंभ सामाजिक विज्ञान] और पांच विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय में दो नए केंद्रों का प्रस्ताव किया। ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 5.3 सामाजिकी और मानविकी विश्लेषण

क्र0 सं0	राज्य	विश्वविद्यालय का नाम	विशिष्ट क्षेत्र	आवंटन (लाख रुपए में)
1	असम	तेजपुर विश्वविद्यालय	पूर्वोत्तर भारत में सांस्कृतिक संसाधन पोर्टल तथा दृश्य विवरणों पर आधारित एक शोध तथा प्रलेखन	230
2	दिल्ली	जामिया मिलिया इस्लामिया	"भारत में सीडिया और संचार संबंधी अध्ययनों की सुदृढ़ संरचना"	280
3	महाराष्ट्र	डॉ0 बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	"मराठवाड़ा के पिछड़े जिलों में ग्रामीण विकास"	250
4	मध्यप्रदेश	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	"इंदौर के नगरपालीय क्षेत्रों में मलावेशी और धारणीय विकास"	250
			विज्ञान और प्रौद्योगिकी	
5	जम्मू और कश्मीर	कश्मीर विश्वविद्यालय	"कश्मीर हिमालयी जैव विविधता& प्रलेखन] डाटा प्रोसेसिंग तथा संरक्षण"	527.18
6	आंध्र प्रदेश	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	"एरोसोल] वायुमंडलीय क्लॉडजिंग तथा मूर्त संवेदी" के साक्ष्य से जलवायु परिवर्तन की संसूचना"	494.25
7	कर्नाटक	संत्रगोर विश्वविद्यालय	"साइक्लोट्रॉन सुविधा का सदुपयोग और इलेक्ट्रॉन बीम इरेडिएशन का पॉलीमरकेम एडिशनल सामग्री पर प्रभाव का अध्ययन"	505.8
8	तमिलनाडु	भारतियार विश्वविद्यालय	"धातु ऑक्साइड सामग्रियों तथा सपंस्तरों के विकास हेतु भौतिकी में सक्रिय अध्ययन"	354
9		भारतीदासन विश्वविद्यालय	"पशुओं पर प्रयोगों के विकल्प हेतु राष्ट्रीय केंद्र"	500

आयोग ने विचार 04 फरवरी] 2016 (सत्र सं0 4.01) की आयोजित अपनी बैठक में सीपीईपी योजना के तहत 9 नए केंद्रों की अनुमोदित किया और वित्त वर्ष 2016&17 के दौरान सीपीईपी संबंधी बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुदान जारी किया जाएगा

5.3 उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सी:पी:ई योजना की शुरुआत किया था इस योजना के अंतर्गत महाविद्यालयों की समग्र शैक्षणिक अवसंरचना में सुधार लाने] शिक्षण] प्रशिक्षण में नवोन्मेष को अपनाने के लिए तथा सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के प्रयास में एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तावित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कोई भी संस्थान की संभाव्यता वाला महाविद्यालय अपने सशक्त कार्यक्षेत्र में विकास अन्य भी महाविद्यालयों के लिए एक आदर्श भूमिका अदा करता है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि प्रायमिक महाविद्यालयों] विशेष रूप से शिक्षण संबंधी डिग्रीकोर्सों में संस्थानता प्राप्त करने में तथा एक शोध संस्कृति आरंभ करने में] सहायता प्रदान करना है। आयोग ने इस योजना के द्वितीय तथा तृतीय चरण में संस्थानता के महाविद्यालय (सीपई) के अतिरिक्त 2वर्ष के साथ बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है।

(i) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा निम्नवत है:-

1: योजना के तहत बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक महाविद्यालय को 150.00 लाख रुपये तक की अनुदान सामान्यतः दिया जाएगा। विशेषज्ञ समिति आवर्ती तथा अनावर्ती श्रेणी के तहत समग्र अनुदान की सीमा को स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगी।

2 सीपीई के द्वितीय चरण तथा समर्थ दर्जे के चरण हेतु प्रायमिक महाविद्यालय अधिकतम 150.00 लाख रुपये की अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे।

3: सीई दर्जे के लिए प्रायमिक महाविद्यालय अधिकतम 200.00 लाख रुपये के लिए पात्र होंगे।

4: योजना के तहत विषयों का चयन तथा अनुमत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनमें वे संस्थानता हेतु अपने विकास को समर्थ करेंगे। इसी समय विवरण के लिए सुझाव नहीं किया जाएगा।

5: 50 प्रतिशत अनुदान की सर्वोत्तम विषयक करने वाले विषयों के विकास पर व्यय किया जा सकता है ताकि संस्थानता हेतु अपनी संभाव्यता को सिद्ध कर दिया है। शेष 50 प्रतिशत राशि को अन्य विषयों के सामान्य विकास अथवा महाविद्यालय की सामान्य सुविधाओं के विकास पर व्यय किया जा सकता है।

केवल सहायता प्राप्त विषयों पर ही वित्तीय सहायता को व्यय किया जाएगा

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान की जारी किया जाना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आरंभ में ही कुल आवंटन का शतप्रतिशत अग्रवर्ती तथा 20 प्रतिशत आवर्ती अनुदान जारी करता है। तत्पश्चात् आवर्ती अनुदान की पिछली किस्त के समायोजन प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर वार्षिक आधार पर 20 प्रतिशत आवर्ती अनुदान जारी किया जाता है। तथापि, अनुदान जारी किये जाने के अतिरिक्त वर्ष के भीतर अग्रवर्ती अनुदान का समायोजन कर लेना चाहिए तथा उसका समायोजन प्रमाणपत्र जमा किया जाना चाहिये।

वि0अ0आ0 द्वारा एक बार अंतिम रूप से अनुदान का आवंटन किये जाने पर वि0अ0आ0 की मूलभूत योजना विश्वविद्यालय स्तर पर समर्पित रूप से औपचारिक किये जाने हुए कुल आवंटन के 5 प्रतिशत मात्र के पुनर्विनियोजन की ही अनुमति है। किसी भी स्थिति में कुल आवंटन के 5 प्रतिशत से अधिक राशि का पुनर्विनियोजन नहीं किया जाता है।

(iii) पात्रता/पूर्व शर्त

योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को ब्यौरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/8626399
- uidelines.pdf पर उपलब्ध है।

वर्ष 2015&16 के दौरान दिनांक 21 जनवरी, 2015 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट के माध्यम से मार्गदर्शिका दोषि द्वारा एक प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे जिनके प्रत्युत्तर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 96 अग्रर&अग्रर विश्वविद्यालयों से 391 प्रस्ताव प्राप्त हुए। स्थायी समिति ने चार्य योजना तथा अगले पांच वर्षों के लिए बजट पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण करने के लिए प्राप्त हुए कुल 391 प्रस्तावों में से केवल 242 विश्वविद्यालयों की ही अनुशंसा की। विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण तथा सीपीई योजना के तहत स्थायी समिति द्वारा विधारित पात्रता मानदंड के आधार पर कुल 242 विश्वविद्यालयों में से केवल 123 विश्वविद्यालयों की ही सिफारिश की गई है।

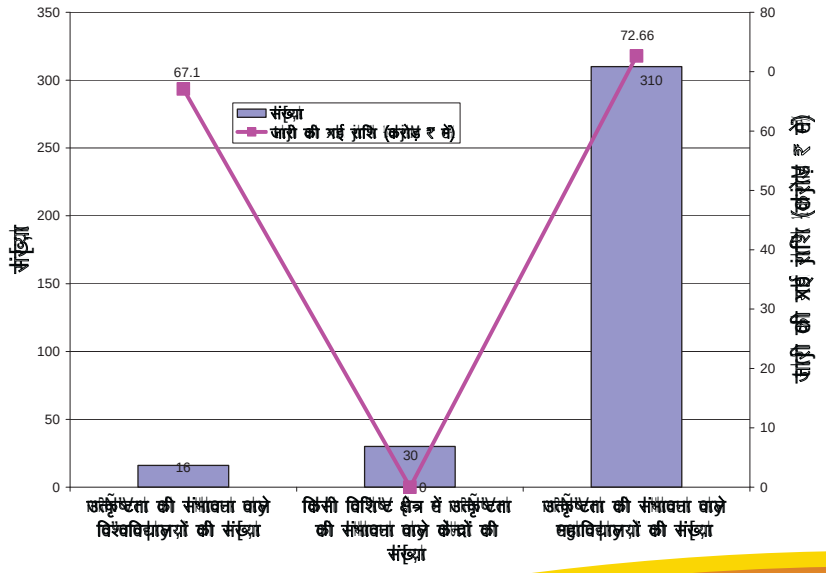
चयनित किए गए सीपीई विश्वविद्यालयों की अंतिम सूची पहले ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और तदनुसार, चयनित किए गए सभी सीपीई विश्वविद्यालयों को अनुदानपत्र जारी किए गए।

वर्ष 2015&16 के दौरान सीपीई योजना के तहत 72 विश्वविद्यालयों की समीक्षा की जानी थी। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय ने इन 72 विश्वविद्यालयों की प्रगति तथा विकास की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

वर्तमान में, 296 विश्वविद्यालयों को "उत्कृष्टता वाले विश्वविद्यालय" (सीपीई) का दर्जा प्राप्त है तथा 14 विश्वविद्यालयों को "उत्कृष्टता वाले विश्वविद्यालय" (सीई) का दर्जा प्राप्त है। दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार सीपीई@सीई योजना के तहत विश्वविद्यालयों की संख्या 310 है।

वर्ष 2015&16 के दौरान सीपीई योजना के तहत विश्वविद्यालयों को 72.66 करोड़ ` (बहत्तर करोड़ छियासठ लाख पचास हजार ` मात्र) की राशि जारी की गई।

2015&16 के दौरान उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालयों, केंद्रों, विश्वविद्यालयों की स्थिति संख्या तथा जारी किया गया अनुदान



5.4 नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना करना

सामाजीकरण] वैश्वीकरण के संदर्भ में बदले आर्थिक परिवेश और नई सामग्री आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सक्षमतर शिक्षा प्रणाली से गुणवत्ता संस्थानों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वर्ष] 2001 के दौरान विश्वविद्यालय व्यवस्था के भीतर विज्ञान और मानविकी में विभिन्न अंतर&विषयक क्षेत्रों संबंधी अध्ययन और शोध में **उत्कृष्टता के नए केन्द्रों@संस्थानों की स्थापना** शासक नई योजना आरंभ की थी A

वर्ष 2001&2002 तथा 2009&2010 के दौरान आयोग ने विश्वविद्यालयी प्रणाली में केन्द्रों@संस्थानों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न केन्द्रों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया थाA

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्र@संस्थान
1:	पंजाब विश्वविद्यालय] चण्डीगढ़	मानव जीनोम का अध्ययन और शोध हेतु केन्द्र की स्थापना
2:	संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान] लखनऊ	बायोमेडिकल मेटाबोलिक इंजीनियरिंग की स्थापना
3:	मैसूर विश्वविद्यालय] मैसूर	मैसूर विश्वविद्यालय में ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट में विज्ञान के इतिहास हेतु एक राष्ट्रीय केन्द्र की सृजन
4:	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय] नई दिल्ली	जीव विज्ञान विद्यालय की सहायता से अनुप्रयुक्त मानव आनुवांशिकी केन्द्र की सृजन
5:	पुणे विश्वविद्यालय] पुणे	अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और इसा विश्लेषण हेतु राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना
6:	गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय] बिलासपुर	श्री गुरू ग्रंथ साहिब हेतु राष्ट्रीय अध्ययन केन्द्र

वर्तमान में] केवल एक केन्द्र अर्थात् गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय] बिलासपुर में श्री गुरू ग्रंथ साहिब हेतु राष्ट्रीय अध्ययन केन्द्र ही कार्य कर रहा हैA वर्ष 2013&14 के दौरान केन्द्र को 4:00 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई थीA

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस योजना को बंद कर दिया गया हैA

5.5 विशेष सहायता कार्यक्रम (एस.ए.पी.)

एसएपी कार्यक्रम की शुरूआत 1963 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोध और शिक्षण में उच्च गुणवत्ता वाले चुनिंदा विश्वविद्यालय विभागों की सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए की गई थीA कार्यक्रम का उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की शीघ्रातिशीघ्र प्राप्ति के लिए उन्नत शिक्षण और शोध में समूह के रूप में कार्य करने तथा उत्कृष्टता प्राप्ति को प्रोत्साहित करना हैA तदनुसार] ऐसे कार्यक्रम की 'सक्रिय अध्ययन केन्द्र *(सीएएस) के रूप में 1963 में आरंभ किया गया थाA ऐसे कुछ केन्द्रों को यूएसपीई@यूएसईसी से भी सहायता और वित्तीय प्राप्त हुई हैA **विशेष सहायता विभाग** (डीएसए) और **विभागीय शोध सहायता** (डीआरएस) कार्यक्रमों की शुरूआत वर्ष 1972 और 1977 में सीएएस हेतु चुनिंदा विभागों के संवर्ग को सृजन करने के लिए आरंभ किया गया थाA

विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) स्तर

1: शोध सहायता विभाग (डीआरएस)

2: विशेष सहायता विभाग (डीएसए)

3: सक्रिय अध्ययन केन्द्र (सीएएस)

विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) के प्रमुख सम्प्रेक्ष्य निम्नवत हैं :

क) सक्षम विश्वविद्यालय विभागों की पहचान करना और सहायता देना] जिसमें संबद्ध विषयों सहित] शैक्षिक विषयों में गुणवत्ता शिक्षण तथा शोध करने की क्षमता हो।

ख) विश्वविद्यालयों में ऐसे शोध की बढ़ावा देना जो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संगत हों तथा समाज और सर्वोत्तम के बीच संपर्क स्थापित करना।

ग) अच्छे शिक्षण के लिए शोध को सर्वोत्तम बनाना और विकास कार्य किये जाने वाले क्षेत्रों में संबंधित नए पाठ्यक्रमों की शुरूआत करना।

ब) शोध संस्थानों में संकाय उत्कृष्टता और अपनी विशेषज्ञता की व्यापारी रूप में सहयोग करना ताकि विश्वविद्यालयों में शोध की सहायता प्रवाह को बढ़ा सके।

ऊ) अवसंरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि करना।

ए) शोध के परिणाम को राष्ट्र और समाज के विकास के लिए सहयोग से चलाना।

ऐ) विविध क्षेत्र किए जाने वाले क्षेत्रों में रणनीतिक सामर्थ्य संवर्धन की प्रशिक्षण देना तथा सृजन करना।

इ) एए@ब्यापक क्षेत्र@क्षेत्रों की पहचान करना और समर्थन तथा विकास करना।

समर्पित सहयोगों की पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों से शोध की सहायता के लिए शोध संस्थानों जैसे डीएमपी] सीएमआईआर] डीआरडीओ आदि की प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। सभी क्षेत्रों में अंतर&विषयक शोध की प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पात्रता

कोई भी विश्वविद्यालय@विभाग] जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम] 1956 की धारा 2(एफ) और 12(बी) के अंतर्गत पात्र है और जिसमें रणनीतिक शिक्षण और शोध की संभाव्यता है] एमएमपी के अंतर्गत शामिल करने के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। एमएमपी के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र बनने हेतु विभाग में कम से कम पाँच शिक्षक (एक आचार्य सहित) होने चाहिए।

कार्यक्रम की अवधि

विशेष सहायता कार्यक्रम (एमएमपी) की अवधि विशिष्ट चरण के लिए पांच वर्षों की होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] डीआरएफ और डीएमए के सभी स्तर पर तीन अवधियों से अधिक (प्रत्येक पांच वर्ष) के लिए वित्तीय सहायता प्रवाह नहीं करेगा। यदि विभाग के विष्पादन में डीआरएफ@डीएमए के स्तर] जैसा भी लागू हो पर महत्वपूर्ण सुधार होता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसे अगले डीआरएफ@सीएएफ स्तर पर स्थानांतरण करने पर विचार कर सकता है। यदि विभाग के विष्पादन में डीआरएफ@डीएमए के स्तर पर तीन अवधियों के लिए अनुदान प्राप्त करने और चरण&चार के लिए समीक्षा द्वारा सिफारिश करने के पश्चात महत्वपूर्ण सुधार नहीं होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम की समाप्त कर सकता है। अनुमोदित चरण@ अवधि के कार्यान्वयन की प्रारंभी तिथि अगले आरंभी वर्ष की पहली अप्रैल होगी। विभाग की अगले वित्त वर्ष की पहली अप्रैल की अनुमोदन की तिथि से छह महीने अथवा तो भी पहले के भीतर विवरण और शर्तें स्वीकार करनी होगी और कार्यक्रम कार्यान्वित करना होगा अन्यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम के अनुमोदन को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

सहायता का स्वरूप

कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों पर 5 वर्ष की अवधि के दौरान वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा निम्नवत होगी :

कार्यक्रम @स्तर	विज्ञान तथा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी (लाख ` में)	गणित] सांख्यिकी] सामाजिक तथा मानविकी विज्ञान (लाख ` में)
सीएएफ	300	200
डीएमए	200	150
डीआरएफ	150	120

वित्तीय सहायता में निम्नवत सम्मिलित होगा:

रिसर्च एसोसिएट की वेतन।

यात्रा की आवर्ती और अनावर्ती मदें।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] विश्वविद्यालय और पारस्परिक समिति की सिफारिशों के आधार पर दो से छह महीनों की अवधि के लिए विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों@शोध संस्थानों में एमओयू विभागों में एक वर्ष में दो अध्यापकों की भेजने के लिए एक सुविधाजनक सहयोगात्मक शोध कार्यक्रम पर विचार कर सकता है।

चयन की प्रक्रिया

कार्यालय के विशेषज्ञों के अनुसार विधिवत् रूप से तैयार किए गए विश्वविद्यालयों विभागों से विश्वविद्यालय से संबंधित साहित्य से प्राप्त हुए नामी संस्थानों की विषय विशेषज्ञ समिति समिति द्वारा समीक्षा तथा अनुसूचीबद्ध किया जाता है। अनुसूचीबद्ध किए गए संस्थानों पर विषय प्रवेश समिति द्वारा विचार किया जाता है। समिति, विभाग में सर्वश्रेष्ठता के आधार पर सूक्ष्मता से इनमें 2 अथवा 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करती है। समिति, संबंधित क्षेत्र से भी परामर्शदाता समिति के दो सदस्यों की भी पहचान करती है।

अनुदान जारी करना

प्रवेश समिति द्वारा सिफारिश किए जाने पर तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इसे स्वीकृति मिले जाने पर, तत्संबंधित विभाग और शर्तों के अध्यधीन, संबंधित विश्वविद्यालय के प्रशासित विभाग को वित्तीय अनुदान@सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। विभाग और शर्तों को स्वीकृति किए जाने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यालय के प्रथम वर्ष के लिए आवर्ती तथा अनावर्ती अनुदान को संस्वीकृत करता है। तथापि, प्रायः कार्यालय के मामले में, अनावर्ती अनुदान की केवल पिछले वर्ष के लेखा के विभाग के बाद ही जारी किया जाता है, जिसको दो वर्षों के भीतर विभाग किया जाना चाहिए।

विभागों की निगरानी/मूल्यांकन

एनएपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त विभागों द्वारा की गई विवरणी@मूल्यांकन और प्रगति विभाग, समन्वयकों की समीक्षा परामर्श समिति, सदस्यवार विवरणी और मूल्यांकन समिति और अंतिम समीक्षा समिति द्वारा की जाती है।

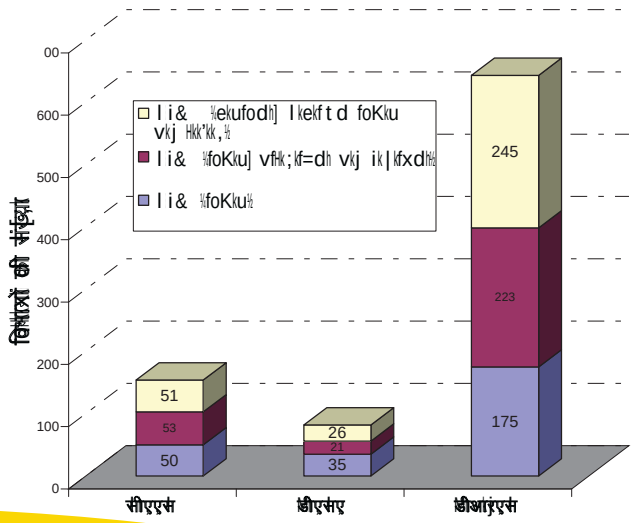
सेवा विभागों की वर्तमान स्थिति

तालिका 5.5: दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार विभागों की संख्या

स्तर@भाग	सेवा& (विज्ञान)	सेवा& (विज्ञान) अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी)	सेवा& (सामाजिक) मानविकी विज्ञान और भाषाएं)	कुल
सीएएस	50	53	51	154
डीएसए	35	21	26	82
डीआरएस	175	223	245	643
कुल	260	297	322	879

1. विभाग, जिनकी वर्ष 2015&16 के दौरान समीक्षा की गई : 152
2. विभाग, जिन्हें वर्ष 2015&16 के दौरान बंद कर दिया गया : 54
3. वर्ष 2015&16 के दौरान मौजूद स्तर पर कार्य कर रहे विभाग : 92
4. वर्ष 2015&16 के दौरान सम्मिलित किये गये विभागों की संख्या : 06
5. वर्ष 2015&16 के दौरान हटा लिये गये विभागों की संख्या : 71
6. वर्ष 2015&16 के दौरान हुआ व्यय : 37.17 करोड़
(विभाग द्वारा समन्वयक कार्यालय को भेजी गई मांगों के अनुसार)

रेखाचित्र 5.5: दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार सेवा विभागों की स्थिति



5.6 स्वायत्त महाविद्यालय

वर्ष 1964&66 के शिक्षा आयोग ने यह इंगित किया था कि शिक्षकों की शैक्षिक स्वतंत्रता हमारे देश के बौद्धिक परिवेश के विकास के लिए अत्यावश्यक है। जब तक ऐसा परिवेश मौजूद नहीं होगा तब तक सक्षम शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता प्राप्त करना कठिन है। चूंकि छात्र, शिक्षक तथा प्रबंधन सक्षम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मह&भागीदार हैं, इसलिए यह अनिवार्य है कि उन्हें वृहत उत्तरदायित्व की वहन करने में सहयोग करना चाहिए। इसलिए, शिक्षा आयोग (1964&66) ने महाविद्यालयों की स्वायत्तता की प्रदान करने की सिफारिश की थी। संक्षेप में, महाविद्यालयों की स्वायत्तता ही शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का एक साध्य है।

स्वायत्त महाविद्यालयों की योजना के उद्देश्य तथा मुख्य विशेषताएँ :

स्वायत्त महाविद्यालयों को विविधता हेतु स्वतंत्रता होगी:

- & राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप प्रवेश हेतु विवेक विकसित करना।
- & शिक्षार्थी के कार्य के मूल्यांकन के लिए परीक्षा पद्धति की विधियां तैयार करना तथा परीक्षा परिणाम की अधिसूचित करना।
- & नवीन तथा अधिक मूल्यवर्धकता प्राप्त करने के लिए शिक्षण&प्रौद्योगिकी के आधुनिक साधनों का प्रयोग करना।
- & स्थानीय आवश्यकताओं तथा&समाज सेवा, विस्तार गतिविधि, व्यापक रूप से समाज समाज के लाभ के लिए परियोजनाओं, **सेवानुभव कार्यक्रमों** आदि को बढ़ावा देना।
- & स्थानीय जरूरतों के अनुकूल अपने अध्ययन बोर्डों और बोर्ड विकास की विकसित एवं विहित करना, बोर्डों को पुनर्गठित करना तथा सबकी पुनः तैयार करना।

स्वायत्त महाविद्यालय की योजना की वि0श्व0वि0 द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना (1969&73) के दौरान शिक्षा आयोग (1964&66) की सिफारिशों के अनुपालन में तैयार किया गया था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(f) और 12 (B) में सम्मिलित ऐसे सभी महाविद्यालय स्वायत्तता दर्जा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं जिन्हें स्थापित हुए 10 वर्ष हो गए हैं। योजना के बारहवीं पंचवर्षीय योजना दिशानिर्देशों के अनुसार आरंभ में स्वायत्तता का दर्जा 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है जिसे स्वायत्त महाविद्यालयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा के आधार पर अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता।

नए स्वायत्त दर्जे प्रदान करने / स्वायत्त दर्जा बढ़ाने हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया:

1. पात्र महाविद्यालय] वर्ष में दो बार स्वायत्त दर्जा प्रदान किए जाने के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
2. ऐसे महाविद्यालय जिनका स्वायत्ता का दर्जा समाप्त होने वाला है वे विहित प्रपत्र में अपने स्वायत्ता के दर्जे को बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने हेतु अर्हता:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(f) और 12 (B) के तहत सभी महाविद्यालय जिन्हें स्थापित हुए कम से कम सात वर्ष हो गए हों, वे योजना के तहत आवेदन करने हेतु पात्र हैं।

आयोग ने दिनांक 10 सितम्बर, 2009 से प्रत्यायित महाविद्यालय के संबंध में दिशानिर्देशों को आशोधित किया जो निम्नानुसार गठित हैं:&

बिना सहायता प्राप्त@सहायता प्राप्त करने वाले महाविद्यालय :& कम से कम सात वर्षों से स्थापित हों तथा एनएएसी@एनबीए द्वारा प्रत्यायित किये गये हों। इनके अंतर्गत अप्रत्यायित महाविद्यालय] स्वायत्तशासी दर्जे के लिये पात्र नहीं होंगे तथा मौजूदा महाविद्यालयों से एक वर्ष के भीतर प्रत्यायन का दर्जा प्राप्त करने को कहा जायेगा।

इसके अलावा] आयोग ने 4 मई] 2001 से स्वायत्तशासी 'महाविद्यालय' हेतु एनएएसी@एनबीए दिशानिर्देशों में संशोधन कर दिया है जो निम्नवत गठित हैं:&

आयोग ने निर्णय लिया कि यदि एनएएसी की रिपोर्ट में कमी किये गये संघटक महाविद्यालय के साथ के साथ ही मूल विश्वविद्यालय के साथ को विशिष्टरूप से उल्लेख न किया गया हो तब तक संघटक महाविद्यालय को स्वायत्तशासी दर्जा प्राप्त करने के लिए एनएएसी से पृथक प्रत्यायन प्राप्त करना होगा।

इसके अनुसार] आयोग ने 17.12.2012 से स्वायत्तशासी महाविद्यालयों हेतु एचएएसी@एचडीए दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया है जो निम्नवत पठित है:&

आयोग ने यह निर्णय लिया है कि एचएएसी द्वारा प्रत्यायित महाविद्यालय को न्यूनतम 'बी' ग्रेड का प्रत्यायन प्राप्त होना चाहिए। आयोग ने आगे यह निर्णय लिया कि अभियांत्रिकी@तकनीकी@प्रबंधन महाविद्यालय के संबंध में नया स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान करने@स्वायत्तशासी दर्जा बढ़ाये जाने हेतु विचार करने के लिये कम से कम तीन पाठ्यक्रमों हेतु एनबीए प्रत्यायन प्राप्त करने पर बल दिया जाना चाहिए। तथापि] एकल संकाय प्रत्यायित प्रत्यायन के संबंध में नया स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान करने@स्वायत्तशासी दर्जा बढ़ाये जाने हेतु केवल एक पाठ्यक्रम पर विचार किया जाना चाहिए।

स्वायत्त महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता:-

1. योजना के तहत] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है:

क्र0 सं0	महाविद्यालयों का स्वरूप	स्वायत्त अनुदान हेतु पात्रता (` में)
क	केवल स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले : (i) कला@विज्ञान@वाणिज्य&मात्र एकल संकाय (ii) कला@विज्ञान@वाणिज्य&एक से अधिक संकाय	9]00]000@& 15]00]000@&
ख	स्नातकपूर्व] स्नातकीय दोनों स्तरों पर पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले: (क) एकल संकाय (ख) बहुल संकाय	10]00]000@& 20]00]000@&

2. ऐसे स्वायत्तशासी महाविद्यालयों को प्रोत्साहित प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया जो एचसीसी की ब्लैंडिड वॉईस के साथ वैकल्पिक विषय के रूप में आरंभ करेंगे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय@शिक्षा मंत्रालय@विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने माई] 2013 को दोहराव दूसिवा शैक्षिक संस्थानों (स्वायत्तशासी महाविद्यालय) में शिक्षा वर्ष 2013&14 से ब्लैंडिड वॉईस के साथ एचसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने के लिये एक कार्यशाला आयोजित की।

शिक्षा वर्ष 2013&14 से ब्लैंडिड वॉईस के साथ एचसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में आरंभ करने हेतु स्वायत्त महाविद्यालय की वित्तीय सहायता में वृद्धि।

(लाख ` में)

क्र0 सं0	महाविद्यालय का स्वरूप	अनुदान की राशि	ब्लैंडिड वॉईस के साथ एचसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में आरंभ करने हेतु अतिरिक्त अनुदान	एचसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में आरंभ करने हेतु स्वायत्त महाविद्यालय हेतु कुल अनुदान
क	केवल स्नातकपूर्व स्तर :			
	(1) कला@विज्ञान@वाणिज्य&मात्र एकल संकाय	9.00	1.00	10.00
	(2) कला@विज्ञान@वाणिज्य&एक से अधिक संकाय वाले	15.0	1.00	16.00
ख	स्नातकपूर्व] स्नातकीय दोनों स्तरों के लिए:			
	(1) एकल संकाय	10.00	1.00	11.00
	(2) बहुल संकाय	20.00	2.00	22.00

स्व&वित्तपोषित महाविद्यालय को सतत् उपस्थिति के 10 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है। तथापि] सभी जिला कौंसिल स्वायत्तशासी अनुदान प्रदान किये स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान किया जायेगा। सभी अन्य महाविद्यालयों पर ज्ञात मानव संसाधन प्रक्रिया से सुनिश्चित होगा।

विवरण 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार 99 विश्वविद्यालयों के 556 स्वायत्तशासी महाविद्यालय थे जिनका ब्यौरा सारिणी 5.6 में दिया गया है।

अनुदान जारी किया जाना:

स्वायत्त महाविद्यालयों की यथा संबद्ध स्वायत्त अनुभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बंगलुरू तथा दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित एसआरसीबी ब्यूरो द्वारा जारी किया जा रहा है।

योजना की प्रगति तथा विभिन्न कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए, प्रतिप्राप्ति के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय-समय पर विशेषनिर्देशों की समीक्षा करता है तथा समयें संशोधन करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नया स्वायत्त दर्जा प्रदान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया

विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षकों के प्रतिनिधित्व के साथ सभी चार संभागों के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा सकता है। प्रारंभिक समिति के कार्यकाल प्रक्रिया की जांच किया जा सकता है तथा प्रत्येक प्रस्ताव का व्यक्तिगत विश्लेषण करने तथा सभी पर विचार करने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय महाविद्यालयों की चयन स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान करने तथा कौनसा स्वायत्त दर्जा की बढ़ाने के संबंध में आयोग के समक्ष सिफारिशें रखने से पूर्व विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 3&4 सदस्यों की एक स्थायी समिति का गठन कर सकते हैं। रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की विसंगतियों के बारे में आयोग को भी संभावित किया जाए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों तथा संबंधित उच्च शिक्षकों के प्रतिनिधियों की समिति से एक बार स्वायत्त दर्जा प्रदान किए जाने पर, विश्वविद्यालय अधिकतम तीन (03) साल की अवधि के भीतर एक अभिपुष्टता जारी करेगा। इसमें स्वायत्त दर्जा पांच वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा।

स्वायत्त महाविद्यालयों की समीक्षा:

पूर्व में, स्वायत्त महाविद्यालयों की योजना के विभिन्न पहलुओं के अनुसार समीक्षा की गई थी:

"संबद्ध विश्वविद्यालय तथा संबंधित उच्च शिक्षकों के दो प्रतिनिधि तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तीन प्रतिनिधियों की एक संयुक्त विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी जिसमें से एक प्रतिनिधि स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान किये जाने के पहले तथा समयवर्ती कार्यकाल की पूर्ण करने के पश्चात् स्वायत्तशासी दर्जे की बढ़ाये जाने के महाविद्यालय के प्रस्ताव की जांच करने हेतु समिति का आयोजन होगा।"

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभाग 19 मई, 2009 से स्वायत्तशासी महाविद्यालय की स्वायत्त दर्जा प्रदान करने हेतु आयोग के विशेषनिर्देशों को संशोधित कर दिया जो निम्नवत गठित है:&

संयुक्त समिति के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित छोटे विशेषज्ञों की संयुक्त समिति निम्नानुसार स्वायत्तशासी महाविद्यालय के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिये महाविद्यालय का दौरा कर सकती है:

(i) तीन विशेषज्ञ, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा
(ii) संबद्ध विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि
(iii) उच्च शिक्षकों से एक प्रतिनिधि
(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकारी (सदस्य सचिव)

ऐसा आयोग की स्वायत्तशासी दर्जे की दोहरा समयावधि की समाप्ति से पर्याप्त समय पूर्व समयावधि की विस्तार देने के संबंध में निर्णय लेने हेतु समय उपलब्ध कराने के लिए किया गया था।

आयोग ने 19 नवम्बर, 2009 से स्वायत्तशासी महाविद्यालय हेतु नया स्वायत्त दर्जा@स्वायत्त दर्जे के बढ़ाये जाने संबंधी विशेषनिर्देशों को संशोधित कर दिया है, जो निम्नवत गठित है:

आयोग की सामान्य बैठक में एच:एच:वि:ए: ने विभाग 17 दिसम्बर, 2008 की एक मंत्र प्राप्त हुआ तथा समझे यह निर्णय लिया कि संबंधित उच्च शिक्षकों से किसी महाविद्यालय को नया स्वायत्त दर्जा प्रदान किये जाने और साथ ही किसी महाविद्यालय के स्वायत्तशासी दर्जे की बढ़ाये जाने से पूर्व अपने दायित्वों की दायित्व करने का अनुरोध किया जाए। अगर उच्च शिक्षकों मंत्र जारी

किये जाने में 90 दिनों के भीतर वांछित सम्पर्कों नहीं करती हैं तो सम्बन्धित संस्तुतियां] संसद्ध प्रक्रिया तथा चरण स्वायत्त दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया को और बड़ा सकती हैA

आयोग ने 27 फ्रवरी] 2014 में स्वायत्तशासी महाविद्यालय की स्वायत्त दर्जा दिये जाने@सौपना स्वायत्त दर्जे की विस्तार देने हेतु दिशानिर्देशों की समीक्षा के दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया है जो कि निम्नवत वर्णित है:&

ऐसे स्वायत्त महाविद्यालय जिनकी निरन्तर तीन चार (18 वर्षों) से सफलतापूर्वक समीक्षा की जा रही है तथा जिन्होंने न्यूनतम कैस में कैस 'बी' ग्रेड (2.5 सीजीपी के साथ) का एनएएसी प्रमाणन प्रदान किया है] उन्हें स्वायत्त महाविद्यालय का दर्जा बढ़ाने के लिये संस्था के अधिकार यहां से प्राप्त होगाA एक बार सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करने पर यह महाविद्यालय स्वायत्त महाविद्यालय के दर्जे को बढ़ाने हेतु संयुक्त जानकारी (प्रारूप के अनुसार) सम्पर्क करेगा तथा आयोग द्वारा स्वतः ही दर्जा बढ़ा दिया जायेगाA

सभी स्वायत्तशासी महाविद्यालयों द्वारा छात्रों पढ़ाये जा रहे पाठ्यक्रम] संकाय] अवसंरचना की सम्पर्कता] वार्षिक के ब्यौरे आदि के संबंध में जानकारी की अपनी वेबसाईट पर अपलोड करना अपेक्षित होगाA

वर्ष 2015&16 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यह स्वायत्त दर्जा प्रदान करने@स्वायत्त दर्जे को बढ़ाने हेतु देशभर के महाविद्यालयों@विश्वविद्यालयों से 66 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैंA विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] अध्यक्ष द्वारा इन महाविद्यालयों की यह स्वायत्त दर्जा प्रदान करने@स्वायत्त दर्जा बढ़ाने हेतु इन महाविद्यालयों का दौरा करने के लिये विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गयाA

वर्ष 2015&16 के दौरान 69 महाविद्यालयों की यह स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया था जिनमें ऐसे महाविद्यालय शामिल थे जिनमें निरन्तर वर्ष विशेषज्ञ समिति ने दौरा किया था परंतु स्वायत्त दर्जा प्रदान करने संबंधी निर्णय वर्तमान वर्ष में लिया जा सका] जबकि 55 महाविद्यालयों के स्वायत्त दर्जे को बढ़ाया गया थाA

वर्ष 2015&16 के दौरान 69 महाविद्यालयों को यह स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया था जबकि 55 महाविद्यालयों के स्वायत्त दर्जे को बढ़ाया गया थाA

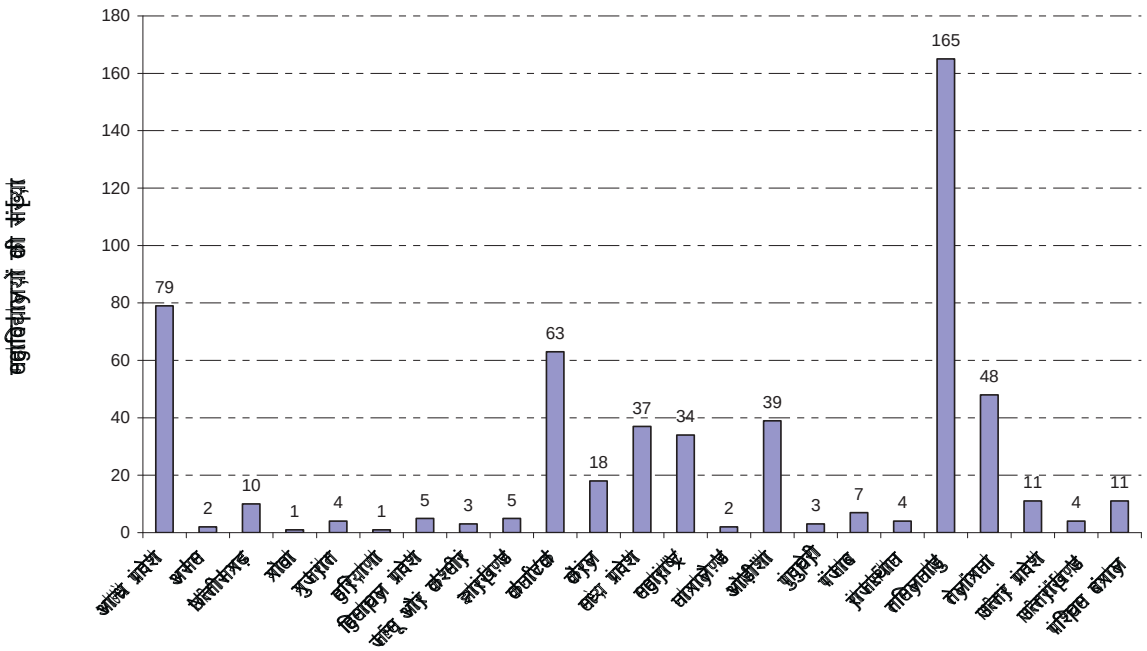
तालिका 5.6: दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार अनुमोदित 556 स्वायत्तशासी महाविद्यालयों की ज़िलेवार सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	स्वायत्तशासी महाविद्यालयों की संख्या	कुल&योग
1	आंध्र प्रदेश	1.	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय	14	79
		2	आचार्य श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय] तिरुपति	8	
		3.	आंध्रा विश्वविद्यालय] विशाखापत्तनम	13	
		4.	जवाहर लाल नेहरू टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी] काकीनाडा] आंध्र प्रदेश	13	
		5	जवाहर लाल नेहरू टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी] अनन्तपुर	12	
		6.	काकतीया विश्वविद्यालय	6	
		7.	कृष्णा विश्वविद्यालय] मछलीपट्टनम	3	
		8.	तिरुपति यूनिवर्सिटी] कुरनूल	4	
		9.	श्री कृष्णा देवराय विश्वविद्यालय	2	
		10.	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय] तिरुपति	3	
		11.	विक्रम सिंहपुरी विश्वविद्यालय] नेल्लोर	1	
2.	असम	1.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय] असम	2	02
3.	छत्तीसगढ़	1.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	3	10
		2.	पं0 रविशंकर विश्वविद्यालय	6	
		3.	सरगुजा विश्वविद्यालय]अम्बिकापुर	1	
4.	गोवा	1	गोवा विश्वविद्यालय	1	01
5.	गुजरात	1	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय	1	04
		2	गुजरात विश्वविद्यालय] अहमदाबाद	1	
		3.	गुजरात टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी] गुजरात	1	
		4.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय] राजकोट	1	
6.	हरियाणा	1	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	1	01
7.	हिमाचल प्रदेश	1	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	5	05
8.	जम्मू और कश्मीर	1.	जम्मू विश्वविद्यालय	2	03

क्र. सं.	राज्य का नाम	क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या	कुल योग
		2.	कश्मीर विश्वविद्यालय	1	
9.	झारखंड	1.	बीआइटी विश्वविद्यालय, सिंदरी	1	05
		2.	राँची विश्वविद्यालय	4	
10.	कर्नाटक	1	बंगलुरु विश्वविद्यालय	15	63
		2	बालाजपेट विश्वविद्यालय	2	
		3	कर्नाटक विश्वविद्यालय	2	
		4	कुवेम्पू विश्वविद्यालय	2	
		5	बंगलोर विश्वविद्यालय	8	
		6	मैसूर विश्वविद्यालय	11	
		7	राणी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय, बेलगाम	3	
		8	गुलबर्गा विश्वविद्यालय	1	
		9.	विजयनगरा श्रीकृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, बेल्लारी	1	
		10.	विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी	18	
11.	केरल	1	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	9	18
		2	कालीकट विश्वविद्यालय	7	
		3	केरल विश्वविद्यालय	2	
12.	मध्यप्रदेश	1	ए.पी.सिंह विश्वविद्यालय	4	37
		2	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय	8	
		3	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	8	
		4	डॉ0 हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय	3	
		5	जीवाजी विश्वविद्यालय	3	
		6	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल	2	
		7	राणी दुर्गावती विश्वविद्यालय	7	
		8	विक्रम विश्वविद्यालय	2	
13	महाराष्ट्र	1	डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय	2	234
		2	तात्या महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी	1	
		3	सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय, पुणे	4	
		4	राष्ट्रसंत तुकाडोजी महाराज, नागपुर विश्वविद्यालय	1	
		5	एस0एन0डी0टी0 महिला विश्वविद्यालय	3	
		6	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय	5	
		7	शिवाजी विश्वविद्यालय	2	
		8	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	9	
		9.	मुंबई विश्वविद्यालय	2	
14.	नागालैण्ड	1.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय	2	02
15.	ओड़ीशा	1.	बेरहामपुर विश्वविद्यालय	7	39
		2.	बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी	2	
		3.	फ़कीर मोहन विश्वविद्यालय	2	
		4.	उत्कल ओड़ीशा यूनिवर्सिटी	3	
		5.	संबलपुर विश्वविद्यालय	8	
		6.	सत्यभामा	17	
16.	पुडुचेरी	1.	पुडुचेरी विश्वविद्यालय	3	03
17.	पंजाब	1.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	1	07
		2.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	1	
		3.	पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, जालंधर	4	
		4.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	1	
18	राजस्थान	1.	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (जोधपुर)	1	04
		2.	महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	1	
		3.	राजस्थान विश्वविद्यालय	2	
19.	तमिलनाडु	1	अन्नामलाई विश्वविद्यालय	1	165
		2	अन्ना विश्वविद्यालय	30	
		3	भारथीदासन विश्वविद्यालय	23	
		4	भारथियार विश्वविद्यालय	25	

क्र. सं.	राज्य का नाम	क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	स्वायत्तशासी महाविद्यालयों की संख्या	कार्यक्षेत्र
		5	सवाई विश्वविद्यालय	24	
		6	सयाजीराव विश्वविद्यालय	26	
		7	सरोजसरीयस मुजमदार विश्वविद्यालय	7	
		8	सवर दैरेमा सहिला विश्वविद्यालय	2	
		9	सेरियार विश्वविद्यालय	6	
		10	सविलासाडु स्टेट ऐग्रिकलचर एनुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी	2	
		11	सविलासाडु वीटरनरी एनुकेशन यूनिवर्सिटी] चेन्नई	10	
		12	थिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय	9	
20.	तेलंगाना	1.	पालाकारु विश्वविद्यालय]सहबूबनगर] तेलंगाना	1	11
		2.	जवाहर लाल नेहरू टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी] कुकटपल्ली] हैदराबाद	23	
		3.	ओसमानिया विश्वविद्यालय] हैदराबाद	23	
		4.	तेलंगाना विश्वविद्यालय] निज़ामाबाद] निज़ामाबाद	1	
22	उत्तर प्रदेश	1	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	1	
		2	मेजनिन मोतीलाल सहाराज विश्वविद्यालय] सोनपुर	1	
		3	गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय] लखनऊ	6	
		4	सहात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ] वाराणसी	2	
		5	लखनऊ विश्वविद्यालय	1	
23	उत्तराखण्ड	1	एच0एन0बी0 गढ़वाल विश्वविद्यालय] श्रीनगर	1	04
		2	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय] देहरादून] उत्तराखण्ड	3	
15	पश्चिम बंगाल	1	कोलकाता विश्वविद्यालय	4	11
		2	कौशाना अबुल कलाम आजाद तकनीकी विश्वविद्यालय] पश्चिम बंगाल	1	
		3	विद्यासागर विश्वविद्यालय] पश्चिम बंगाल	1	
		4.	वेस्ट बंगाल युनिवर्सिटी ऑफ़ ऐनोलॉजी] कोलकाता	5	
			कुल		556
			राज्यों की संख्या	23	
			विश्वविद्यालयों की संख्या	99	
			महाविद्यालयों की संख्या	556	

चित्र 5.6: दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार अनुमोदित स्वायत्तशासी महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या



5.7 मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीबी)

विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में शिक्षण के समग्र सामर्थ्य बढ़ाए जाने के लिए वर्ष 1986&87 में अकादमिक स्टॉफ कॉलेज की योजना आरंभ की गई थी। वर्तमान में देशभर में 66 एएमसी है। इन प्रकोष्ठों ने स्थापित महाविद्यालय एवं नियुक्त हुए प्राध्यापकों के लिए प्रारंभिक तथा विशेषरूप से अभिविन्यास कार्यक्रम तथा सेवारत शिक्षकों के लिए नीव मानक का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) का उद्देश्य नये नियुक्त हुए प्राध्यापकों को:

(क) सामान्य रूप से शिक्षा तथा विशिष्ट रूप से समकालीन शिक्षा की वैश्विक तथा भारतीय परिदृश्य में समझ की समझना;

(ख) शिक्षा तथा आर्थिक तथा सामाजिक&आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के बीच संबंधों की भारतीय प्रतिबद्धता के संदर्भ में समझना जहां प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा सामाजिक समानता हमारे समाज की मूल मान्यताएं है;

(ग) समकालीन शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विश्वविद्यालय@महाविद्यालय स्तर पर अध्यापन की कला की अर्जित करना तथा समझें सुधार करना;

(घ) समझे विशिष्ट विषयों में वर्तमानतम परिप्रेक्ष्य से परिचित हुना;

(ङ) किसी महाविद्यालय@विश्वविद्यालय के संदर्भ तथा प्रबंधन की समझना और सक्रिय प्रणाली में शिक्षक की भूमिका को सुदृढ़ करना;

(च) व्यक्तित्व विकास तथा मूल्यांकन के विकास हेतु अवसर को सदुपयोग करना; और

अभिविन्यास कार्यक्रमों का उद्देश्य] युवा प्राध्यापकों में सामाजिक] बौद्धिक तथा वैसिक परिवेश के बारे में जागरूकता के साथ-साथ आत्मविश्वास के गुण को समावेश करना है ताकि वे अपनी क्षमता तथा आत्मविश्वास को प्राप्त कर सकें।

अभिविन्यास कार्यक्रम शिक्षक की भारतीय समाज तथा शिक्षा की भूमिका] समकालीन शिक्षा परिदृश्य तथा इस समस्याओं के निराकरण में शिक्षा की भूमिका की समझाने में कारगर योगदान देता है ताकि राष्ट्र विकास हेतु वांछित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम कार्यरत शिक्षकों को अपने अनुभवों को अपने सहयोगियों के साथ साझा करने का अवसर प्रदान करता है ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें।

यह एक तंत्र है जहां संचार हेतु आईसी@आरसी के साथ&साथ विषय] प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों आदि के बारे में अवगत होते हैं] मानव संसाधन विकास केन्द्र विभिन्न संचार जैसे आपसी और सामाजिक के पेशेवर विकास हेतु विभिन्न विषयों में 2 से 3 सप्ताह तक के अल्पावधि कार्यक्रम भी आयोजित करता है। यह पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की तर्ज पर नीव मानक का सम्पर्क@विषय स्कूल कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

मानव संसाधन विकास केन्द्र] देशभर के अनेक कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग& मानव संसाधन विकास के सहयोग से शैक्षिक समझता विषय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम@अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसके साथ&साथ आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मानव संसाधन विकास केन्द्र को 75:00 लाख रु की वित्तीय सहायता के साथ एएमसी अतिथि गृह का विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। साथ ही बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20:00 लाख #पए की एकमुश्त अनुदान की वित्तीय सहायता से कंप्यूटर लैब की सुविधा भी मुहैया कराई है।

अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए] kbg वर्ष तक प्रशासनिक सेवा वाले नए नियुक्त प्राध्यापक तथा ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें सक्रिय रोल प्राप्त करने हेतु अभिविन्यास कार्यक्रम की आवश्यकता है] को कार्यक्रम में मात्र लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी। संबंधित के संस्थान से इस बात की पुष्टि की जाएगी तथा इस पाठ्यक्रम की वरिष्ठ सेवानिवृत्ति में प्रोन्नति हेतु विचार किया जाएगा।

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम में भागीदारी प्रवेश हेतु एक पूर्व&शर्त है। तथापि] अपवादस्वरूप सामलों में किसी शिक्षक को अभिविन्यास कार्यक्रम में मात्र लिए बिना पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की पूर्ण करने की अनुमति भी जारी की जाएगी। साथ ही दोनों पाठ्यक्रमों के बीच कम से कम एक वर्ष का अंतर होना चाहिए जबकि प्रायोजित संख्या में भागीदारों के नहीं होने पर अथवा

शिक्षक द्वारा कार्यालय प्रोन्नति हेतु पात्रता शर्तों को पूर्ण करने हेतु इस कार्यालय की पूर्ण करना अनिवार्य होने पर इस शर्त से छूट दी जा सकती है।

अंशकालिक@तदर्थ@अस्थायी@होने पर नियुक्ति शिक्षक जो कम से कम तीन शैक्षिक सत्रों से किसी संस्थान में शिक्षण कार्य कर रहे हों और जो दो वर्षों से किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो] सदैव अपने कौशल को समृद्ध करने के लिए अभिविन्यास कार्यालय@पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। किसी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम@अभिविन्यास कार्यालय@अल्पकालिक पाठ्यक्रम हेतु प्रतिभागियों की संख्या कम से कम संख्या 20 अथवा इससे अधिक होनी चाहिए।

- **पात्रता**

विश्वविद्यालय तथा समविश्वविद्यालय जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(f) के तहत शामिल किया गया है जबकि वे धारा 12(B) के तहत सम्मिलित किए जाने के लिए समर्पित नहीं हो] सदस्य कार्यरत व्याख्याताओं को अभिविन्यास तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। ऐसे समविश्वविद्यालयों के शिक्षक जो भी धारा 2(f) के दायरे में नहीं आते परंतु विशेष कम से कम दो वर्षों से किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो] सदस्य शिक्षकों को कार्यालय@पाठ्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान की अधिकतम सीमा**

.	वेतन	वास्तविक आधार पर
.	पुस्तकें*	1]00 रुपये #पए प्रतिवर्ष
.	सामग्री	1]00 रुपये #पए प्रतिवर्ष
.	कार्यालय व्यय	प्रतिवर्ष 3]50 रुपये #पए एकमुश्त@वास्तविक व्यय] जो भी कम हो
.	यात्रियों की यात्रा	सामान्यतः के अनुसार

भागीदारी की लागत में निम्नवत मदें शामिल होंगी:

i). राज्य से बाहर से यात्रियों करने पर यात्रियों तथा स्थानीय यात्रियों की यात्रा लागत@वैधिक लागत

ii). संसाधक की की यात्रा लागत@वैधिक लागत तथा सामग्री

iii). छपित सामग्री

iv). अतिरिक्त कार्यालय व्यय

v). पाठ्यचर्या सलाहकार की सामग्री

*पुस्तकें] पत्रिका] रिपोर्ट] समाचारपत्र] ब्यौरा&सूची] ई&संसाधन आदि। प्रत्येक विशेष के प्रत्येक विषय के लिए 40]000@& तथा सामग्री के प्रत्येक विषय के लिए 30]000@&#पए की दर से अतिरिक्त कार्यालय व्यय।

- **अवधि**

अभिविन्यास कार्यालय हर मामले की अवधि की होगा जिसमें न्यूनतम 24 कार्य दिवस (रविवार के अलावा) तथा 144 संपर्क घंटे (एक दिन में छह घंटे) होंगे। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तीन सप्ताह की अवधि की होगा जिसमें न्यूनतम 18 कार्य दिवस (रविवार के अलावा) तथा 108 संपर्क घंटे (एक दिन में छह घंटे) होंगे। यदि कोई यात्रियों किसी कार्यालय में अपेक्षित संपर्क घंटों तक सम्मिलित नहीं होता है तो उसे अपने [वर्ग पर संबंधित एकआरजीसी के अन्य कार्यालय में वैकल्पिक घंटों की पूर्ति करने की जाए।

- वित्त वर्ष 2015&16 के दौरान प्रभावी अनुदान ¼ 51]86]04]079@& #पए।
- दिसंबर 31.03.2015 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप अनुदान प्रस्तावित करने पर विचार किया गया।
- वर्ष 2016&17 के लिए पाठ्यक्रम@कार्यालय की आवंटित किया गया है और उस आधार के हित में वि0अ0आ0 की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
- सब ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देश तैयार कर दिये गये हैं तथा दिसंबर 01.02.2015 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।
- सब योजना की एप्लीकेशनी तथा आरंभीकी के साथ पर पुनः सक्रिय किया गया है] जिसे पूर्व में एएमसी के साथ से जाना जाता था। सभी एप्लीकेशनी को बड़े हुए अनुदान@विधियों के साथ आरंभीकी के रूप में संचालन किये जाने का प्रस्ताव है। प्रति एप्लीकेशनी के लिए प्रतिवर्ष एक करोड़ #पए की अधिकतम राशि की सीमा निर्धारित की गई है।

	वेतन	वास्तविक आधार पर	वास्तविक आधार पर
	मार्गदर्शन की प्रकृति	वास्तविक आधार पर	वास्तविक आधार पर
	अंशदायी ब्याज	10.00 प्रतिशत प्रति वर्ष	1.00 प्रतिशत प्रति वर्ष
	सपोर्टर्स	15.00 प्रतिशत प्रति वर्ष	1.00 प्रतिशत प्रति वर्ष
	कार्यालयीन ब्याज	ई&विपणनवस्तु के मूल्य सहित प्रतिवर्ष एकमुश्त 10.00 प्रतिशत #पंरे प्रतिवर्ष एकमुश्त 3.50 प्रतिशत प्रति@अथवा वास्तविक ब्याज] जो भी कम हो।	

* बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों की अन्य विशेषताएं:

क: भोगी@शाखी@एजेंसी हेतु मार्गदर्शकों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 30 कर दी गई है।

ख: एजेंसी&प्रतिधि शुल्क हेतु आवेदन बढ़ाकर 1.5 करोड़ #पंरे कर दिया गया।

ग: यदि पंजीकारी विनेशक आधार की अतिरिक्त प्रति भी मांगा गया हो तो यही 1000@&#पए प्रतिबाद होगा। यदि कोई अन्य आधार शाखी@एजेंसी के रूप विनेशक को अतिरिक्त प्रकार धारित किए हुए हो तो यही 5000@&#पए प्रतिबाद होगा।

घ: मार्गदर्शक पंजीकरण शुल्क को 500@& से बढ़ाकर 1000@& #पंरे कर दिया गया है। (अप्रतिदाय योग्य)

ङ पीडब्ल्यूडी के मजदूरों की 6]000@& #पए की बाजवेज दिया जाएगा।

च: संचालक@आयोजन संचार हेतु 6000 #पंरे प्रति पीडब्ल्यूडी की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 90 दिवस के प्रति मत्र के लिए 1500@& रु प्रति व्यक्ति की दर से यात्रा भत्ता@दैनिक भत्ता तथा अन्य शर्तें बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार@कार्य दायित्व होंगे।

5.8 राजभाषा (हिन्दी) का संवर्धन

राजभाषा अधिनियम के अनुसार वर्ष 1963 में बोर्ड द्वारा ये हिन्दी को संघ की आधिकारिक राजभाषा घोषित किया तथा सभी विभागों की हिन्दी में शब्दकोश की बढ़ावा देने के लिये "राजभाषा प्रकोष्ठ" स्थापित करने का निवेश दिया गया।

राजभाषा अधिनियम के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुवाद ब्यूरो ने प्रारंभ में राजभाषा प्रकोष्ठ की स्थापना की थी] जिसे वर्ष 1992 में पूर्णत: राजभाषा अनुभाग में परिवर्तित कर दिया गया।

विश्वविद्यालय अनुवाद ब्यूरो में दायित्वों अधिकांशत कार्य राजभाषा हिन्दी में करने के प्रयास किये जा रहे हैं। हिन्दी के व्यापक प्रसार हेतु] सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में राजभाषा प्रकोष्ठों की स्थापना की जा रही है। अनेक मत विश्वविद्यालयों@राज्य विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभागों की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान प्रदान किए गए हैं।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को आवेश तथा परिपत्र जारी किए जा चुके हैं कि राजभाषा अधिनियम] 1963 (धारा&3) के तहत जारी किये जा रहे सभी दस्तावेजों (जिसमें आवेश] क्रयादेश] विज्ञप्ति] अधिसूचना] विज्ञप्ति] परिपत्र] करार] संविदा] विविदा] टेण्डर] संसदीय प्रश्न आदि) द्विभाषी रूप में जारी किए जाने चाहिए।

वर्ष 2015&16 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 4 बैठकें] दिनांक 30 जून] 2015] 30 सितंबर] 2015] 20 दिसंबर] 2015 और 29 मार्च] 2016 को आयोजित हुईं। सभी कर्मचारियों को हिन्दी टंकण के प्रशिक्षण हेतु चालित किया गया। सभी कर्मचारियों को अच्छे परिणाम प्राप्त हुआ।

विश्वविद्यालय अनुवाद ब्यूरो की वेबसाइट द्विभाषी है तथा इसे समय से अद्यतन किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुवाद ब्यूरो के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त मासिक तथा वार्षिक रिपोर्ट 2014&15] वार्षिक लेखा 2014&15] प्रशासनिक विविधा की जानकारी] सामग्रियों की विविधिष्टता] विश्वविद्यालय अनुवाद ब्यूरो के अधिकारियों की शक्तियों का प्रत्यायोजन] डी0ओ0 सामग्री] निर्देश] मूल्यों की अधिकारी] तथा तत्संबंधी जानकारी] विश्वविद्यालय में हिन्दी संबंधी अवधारणा का विकास&बारहवीं पंचवर्षीय योजना निर्देश] विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित निर्देशों में संशोधन] प्रशासनिक कार्यालय आवेश] क्रयादेश] स्थानांतरण] सेवानिवृत्ति] कार्यालय अनुशासन से संबंधे आवेश] अर्धशासकीय पत्र तथा विज्ञापन और विभिन्न अनुभागों से प्राप्त हो रहे परिपत्रों का हिन्दी में रूपांतरण किया गया है।

वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग के अधिकारियों@कर्मचारियों के लिये विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे विश्व ध्यान] योग&विज्ञान] हिन्दी दिवस एवं सप्ताह समारोह] कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं के लिए प्रथम] द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले प्रतियोगियों को क्रमशः 2500] 2000 तथा 1500 रु की पुरस्कार तथा अन्य विजेताओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रु की राशि प्रदान की गई।

01 से 14 सितम्बर की अवधि के दौरान हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया तथा 8 सितम्बर] 2015 को हिन्दी दिवस आयोजित किया गया। हिन्दी दिवस के आयोजन तथा पुरस्कार वितरण हेतु कुल 2]97]087@& #पए की राशि व्यय की गई।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त निर्देश@अनुदेशों का विधिवत् रूप से अनुपालन किया गया।

हिन्दी के संवर्धन हेतु] दिनांक 15.06.2015] 18.09.2015] 28.12.2015 तथा 9.3.2016 को विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग के कार्यालय में चार कार्यशालाएं आयोजित की गई।

वर्ष 2015&16 के लिए वर्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता के लिए विश्वविद्यालय द्वारा 5100 #पए का अंशदान दिया गया।

आयोग ने हिन्दी विषयों की स्थापना तथा संचालन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं जो विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग की वेबसाईट http://www.ugc.ac.in/pdf news@2036102-find-guidelines-for- indi- eaprtment.pdf पर उपलब्ध है।

वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग अनुवाद प्राप्त करने वाले केन्द्रों@यू@जी@सी विश्वविद्यालयों की एवं हिन्दी विषयों की स्थापना तथा सीधा हिन्दी विषयों के संचालन के लिए अनुवाद प्रदान किया गया। पुस्तकों और पत्रिकों तथा मल्टीमीडिया@सॉफ्टवेयरों के लिए 66]25]000@& रु की व्यय किया गया। खाता शीर्ष के तहत 50]00]000@& रु की राशि जारी की गई। आयोग ने 25 केन्द्रीय@यू@जी@सी विश्वविद्यालयों में हिन्दी विषयों की स्थापना तथा संचालन के लिए अनुदान प्रदान किया जो विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग अनुवाद प्राप्त कर रहे हैं।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012&17 (2015&16) के दौरान मुहैया किए गए अनुदान की राशि & 1]16]25]000@& (एक करोड़ सोलह लाख पच्चीस हजार रु) है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम 2016&17 के निर्देशों तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकास कार्यनीतियों को दर्शाये हुए मानी कार्य योजना का विस्तृतभार अनुपालन किया जाएगा&

& केन्द्रीय@संघ@यू@जी@सी विश्वविद्यालयों में जो हिन्दी विभाग की स्थापना करना चाहे कोई हिन्दी विभाग नहीं है और ही विश्वविद्यालयों में सीधा हिन्दी विभागों] यदि कोई हो तो] का संचालन करना।

- हिन्दी को अन्य भारतीय भाषाओं के साथ जोड़ना करना।
- मानव संसाधन विकास विभाग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न निर्देशों की प्राप्ति हेतु प्रयास करना।

& विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग निरीक्षण समिति द्वारा केन्द्रों@संघ@यू@जी@सी विश्वविद्यालयों का राजभाषा निरीक्षण करना।

- संसदीय राजभाषा समिति से विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग का प्रतिनिधित्व करना।
- विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त होने वाली सामग्री का हिन्दी में अनुवाद करना।
- विश्व हिन्दी सम्मेलन में विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग का प्रतिनिधित्व करना।

5.9 द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग] भारत सरकार की ओर से भारत और अन्य देशों के बीच विभिन्न सहयोगात्मक शैक्षिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

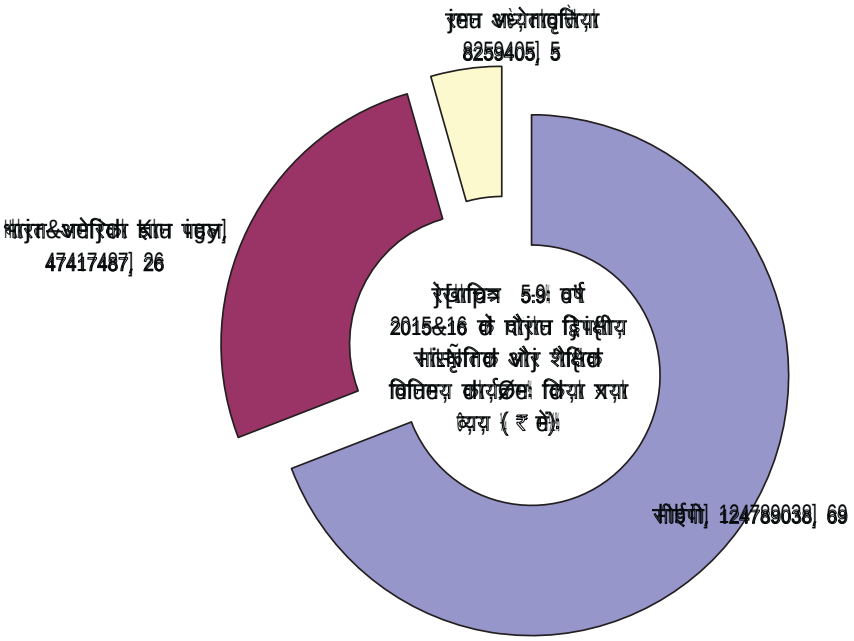
विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग अमेरिका] ब्रिटेन] इजराइल] जापान और न्यूजीलैण्ड जैसे देशों के साथ संयुक्त शोध कार्यक्रम चला रहा है तथा आयोग ने दक्षिणपूर्वीय एशियाई] अमेरिका में पोस्ट डॉक्टोरल शोध हेतु स्वल्प अध्येतावृत्ति] परियोजना आधारित कार्यक्रम

विभिन्न कार्यक्रम तथा वैज्ञानिकों के आदान&प्रदान कार्यक्रमों में छात्रवृत्ति] अध्येतावृत्ति तथा शोध कार्यक्रमों के माध्यम से विद्वानों की शोध क्षमता को प्रोत्साहन देने में सफल रही है।

वर्ष 2015&16 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों पर निम्नवत व्यय किया गया:

सांस्कृतिक आदान&प्रदान कार्यक्रम (सीईपी)	12]47]89]038@&
भारत&अमेरिका ज्ञान नेटवर्क	4]74]17]487@&
स्वच्छ अध्येतावृत्ति	82]59]405@&
कुल व्यय	18]04]65]930@&

उपरोक्त इंडिया कार्यक्रम के तहत डीएचयू को 12]52]2000@& ₹ की राशि जारी की गई है।



चित्र 5.9: वर्ष 2015&16 के दौरान द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक विभिन्न कार्यक्रमों पर किया गया व्यय (₹ में)

5.9 (क): अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां तथा विद्वानों का आदान-प्रदान

5.9 (क)(i): संयुक्त राज्य अमेरिका में पोस्ट डॉक्टोरल शोध के लिए रमन अध्येतावृत्तियां :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चुने हुए क्षेत्रों में उच्च तकनीक और प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक शोध प्रशिक्षण के लिए युवा भारतीय शोधकर्ताओं और नीति विषयों के शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से इन अध्येतावृत्तियों की परिकल्पना की है जिससे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उनकी शोध क्षमता और व्यावसायिक शिक्षा में उनके योगदान को और बढ़ाया जा सके और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ दीर्घकालिक संबंधों को विकसित किया जा सके। वर्ष 2015&16 के दौरान 183 अभ्यर्थियों को अध्येतावृत्तियां प्रदान की गई।

5.9 (क)(ii): राष्ट्रमंडल चिकित्सा अध्येतावृत्तियां :

वर्ष 2015 के दौरान] राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ] यूनाइटेड किंगडम ने भारत के विश्वविद्यालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रतिभावान संकाय सदस्यों को यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालयों@संस्थानों में शोध कार्य करने के लिए 10 राष्ट्रमंडल चिकित्सा अध्येतावृत्तियां प्रदान की हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन अध्येतावृत्तियों हेतु एक वार्षिकनिधि करने वाली एजेंसी के रूप में काम किया था। पिछले वर्ष] दो भारतीय चिकित्सकों को इन राष्ट्रमंडल अध्येतावृत्तियों के लिए चयन किया गया था।

5.9 (क)(iii) : स्टाईपेंडियम हंगरीकम कार्यक्रम:

दिनांक 19 नवंबर] 2014 की हंगरी के 'चूरुस्क कैमेनिएत' मंत्रालय और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित भारत&हंगरी शैक्षिक आदान&प्रदान कार्यक्रम में सम्मिलित प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने

इंस्पायर में स्नातक] स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के लिए भारतीय छात्रों में अत्यंत आकर्षित किए] वर्ष 2015 में इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत 133 भारतीय छात्रों को इंस्पायर्ड छात्रवृत्ति दिया गया।

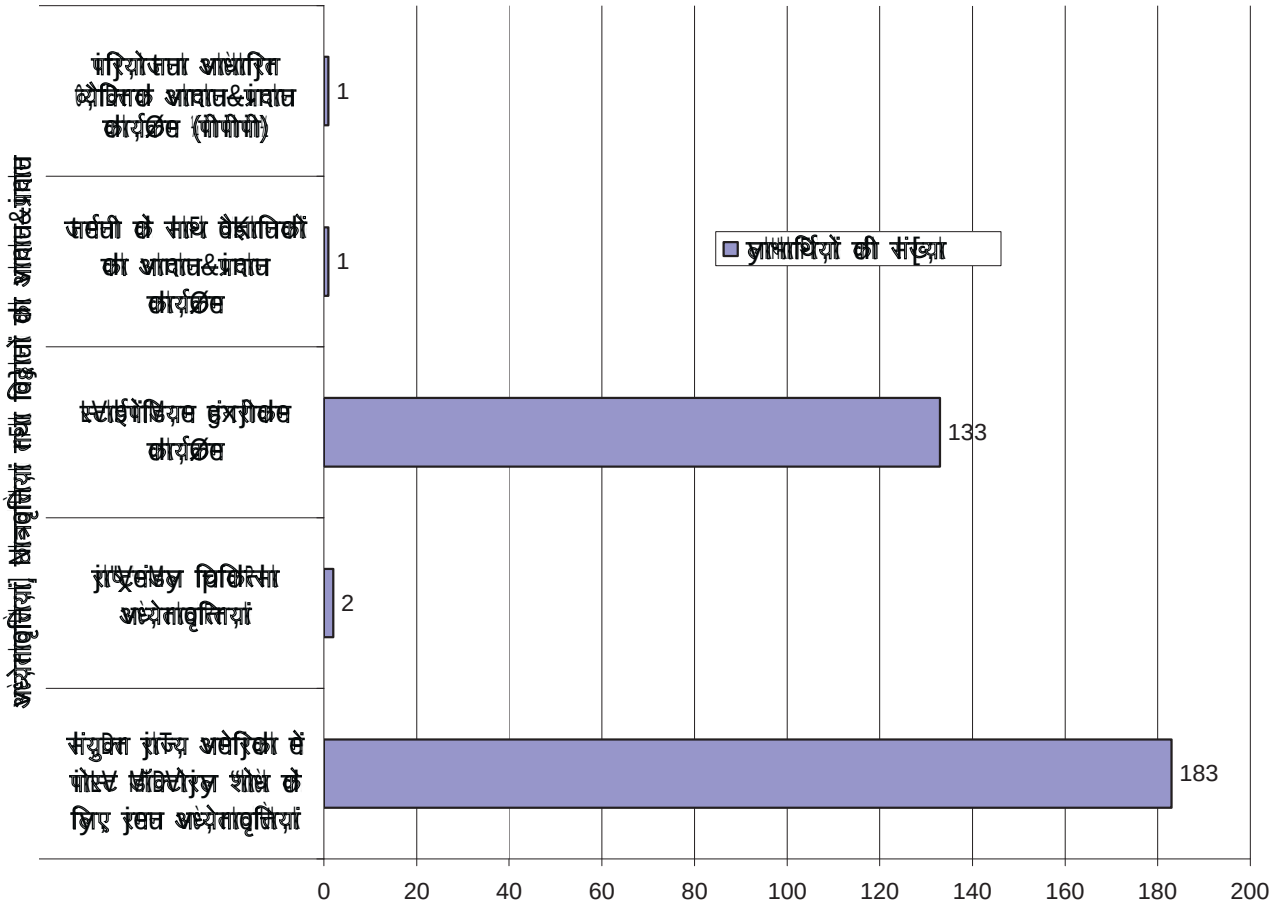
5.9 (क)(iv): जर्मनी के साथ वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान कार्यक्रम:

इस कार्यक्रम के तहत सामाजिक और मानविकी विषय के क्षेत्र में 10 वैज्ञानिकों के आदान&प्रदान किया जाता है। आदान&प्रदान की अवधि न्यूनतम दो माह और अधिकतम चार माह होनी चाहिए। इस अवधि के दौरान] चार वैज्ञानिक संस्थानों का दौरा किया जा सकता है। प्रत्येक यह अपने वैज्ञानिकों की यात्रा प्रारंभ की तारीख तय करता है। वर्ष 2015 में एक आवेदन का प्राप्त किया गया।

5.9 (क)(v): परियोजना आधारित व्यैक्तिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (पीपीपी):

जर्मन शैक्षणिक विनिमय सेवा (डीएएडी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) ने नई दिल्ली में शोध छात्रों के साथ में वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है] जो मुख्य रूप से सामाजिक और मानविकी विषय के क्षेत्र में सहयोगात्मक शोध परियोजनाओं में कार्य करेंगे। युवा पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट वैज्ञानिकों और शोध छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। वर्ष 2015 में एक आवेदन का प्राप्त किया गया।

चित्रांक 5.9(क): वर्ष 2015 के दौरान अध्येतावृत्ति&छात्रवृत्ति&विद्वानों का आदान&प्रदान हेतु आवेदनों की संख्या



5.9 (क)(vii): स्रोत सामग्री संग्रह योजना के अंतर्गत विदेशों की यात्रा करने के लिए शिक्षकों को यात्रा अनुदान

आयोग] विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्य हेतु स्रोत सामग्री एकत्रित करने के लिए शतप्रतिशत आधार पर यात्रा अनुदान प्रदान करता है। यह सहायता ऐसे शोध छात्रों को दी जाती है जिन्हें किसी स्वायत्तशासी विदेशी विश्वविद्यालय@संस्थान में कम से कम दो माह की अवधि के लिए अध्ययन&शोधकार्य करने का आमंत्रण प्राप्त हुआ हो।

5.9 (ख): संयुक्त शोध प्रस्ताव

5.9 (ख)(i): वि0अ0आ0–यूकेआईईआरई विषयगत भागीदारियां:

'ब्रिटेन इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव' (यूकेआईईआरआई) की घोषणा प्रधान मंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान नवम्बर 2006 में की गई थी।

इस पहल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और सफलता को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को वर्ष 2016 तक बढ़ा दिया गया था।

भारतीय विश्वविद्यालयों और सक्षम शिक्षण संस्थानों की ओर से तथा साथ समन्वय विकास मंत्रालय के सहयोग से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) और नई दिल्ली में स्थित यूकेआईईआरआई महानिदेशालय के माध्यम से ब्रिटिश काउंसिल (बीसी)] कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

वि0अ0आ0&यूकेआईईआरआई विषयगत साझेदारियां ब्रिटेन और भारत की सिर्फ शीर्ष ग्रेडिंग वाले संस्थान&आधारित शोध समूहों को प्रदान किए जाने का विचार है। विषयगत साझेदारियों के अंतर्गत वर्ष 2015 में 10 संयुक्त शोध प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

वि0अ0आ0 द्वारा ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से दिसंबर 28 से 29 सितंबर] 2015 को कार्यक्रम के तहत अगले की नई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

5.9 (ख)(ii): भारत–अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल :

शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तित भारत&अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को तैयार करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि स्वरूप वर्ष 2009 में भारत&अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल की घोषणा की गई थी। इसके कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में] वि0अ0आ0 ने भारत&अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल के अंतर्गत एक खुली प्रतियोगिता की घोषणा की है और वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(ढ) और 12(ब) के अंतर्गत व्यावसायिक संस्थानों तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों से विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त शोध हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

- ऊर्जा अध्ययन
- सतत् विकास
- जलवायु परिवर्तन
- पर्यावरणीय अध्ययन
- शिक्षा और शैक्षणिक सुधार]
- सामुदायिक विकास और सशक्तिकरण

वर्ष 2015 में इस पहल के तहत प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे और अंतत: 4 भारतीय पीआई के नेतृत्व तथा 4 अमेरिका पीआई के नेतृत्व वाली परियोजनाओं को वित्तपोषण हेतु अनुमोदित किया गया।

5.9 (ख)(iii): कनेक्ट इंडिया कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तहत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय] वाराणसी को कनेक्ट इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत&केनाडा शिक्षा सेक्टर कार्यक्रम के भाग के रूप में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में 30 केनाडी छात्रों के ठहरने&खाने की व्यवस्था करने के लिए 12]52]000@& ` की राशि जारी की गई।

5.9 (ख)(iv): भारत–न्यूजीलैंड संयुक्त शोध परियोजनाएं:

भारत&न्यूजीलैंड शिक्षा परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्वावधान में भारत और ऐटीएजेड न्यूजीलैंड से संयुक्त शोध परियोजनाओं हेतु वित्तपोषण प्राप्त करने के इच्छुक भारत और न्यूजीलैंड के शिक्षाविदों से आवेदन आमंत्रित किये A ये परियोजनाएं किसी भी विषय पर केन्द्रित हो सकती हैं लेकिन निम्नलिखित विषयों में से एक अथवा अधिक पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

1. [ाद्य सुरक्षा (कृषि सहित)] इनिहास] सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन।
2. सामुदायिक विकास और सशक्तिकरण
3. ऊर्जावान और संसाधित सदोश] पर्यावरण और न्यू प्रौद्यो&इकीयाँ

4. ऊर्जा

5. पर्यावरण और धारणीयता (जलवायु परिवर्तन और ऑर्कटा अध्ययन सहित)

6. दक्षिण प्रशांत और एंटीपोड्स में हमें भारतीय सूक्ष्म के ब्याजित

7. भारत&यूरोपीय ब्यापार संबंध और एशिया&प्रशांत क्षेत्र में भारत की विदेश नीति

8. जानकारी की मुद्रा

9. शहरी आयोजना और विकास] शहरी&ग्रामीण मूलि का सपरोक्ष और संबंधित मुद्दे।

10. वर्ष 2014 में कार्यान्वित के अंतर्गत 7 परियोजनाओं की अनुमोदित किया गया था।

5.9 (ख)(v): भारत-इज़राइल संयुक्त शोध कार्यक्रमः

संयुक्त शोध कार्यान्वित की सहायता इज़राइली और भारत के वैज्ञानिकों के बीच शोध सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

इस कार्यान्वित का विश्वविद्यालय अनुसंधान संगठन (वि0अ0सं0) और इज़राइल विज्ञान फाउंडेशन (आईएसएफ) के बीच हुए एक सहयोग समझौते के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और भारतीय और इज़राइल सरकार] द्वारा दो वित्तपोषण एजेंसियों के माध्यम से] जिसमें से प्रत्येक अपने संबंधित विधियों के अनुरूप अपने वैज्ञानिकों की वित्तपोषित करती है] द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। यह कार्यान्वित सभी विषयों के लिए खुला है। वि0अ0सं0] भारत और इज़राइल साइंस फाउंडेशन (आईएसएफ)] इज़राइल ने कार्यान्वित के द्वितीय चरण के तहत संयुक्त शोध परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए और अंततः और वर्ष 2015 में 11 प्रस्तावों की वित्तपोषण हेतु अनुमोदित किया गया।

5.9 (ख)(vi): भारत-नार्वे सहयोग कार्यक्रम (आईएनसीपी) :

माध्यमिक शिक्षा और शोध के क्षेत्र में भारत&नार्वे सहयोग कार्यान्वित (आईएनसीपी) एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत और नार्वे के बीच माध्यमिक शिक्षा के संबंधों को बढ़ाना है। यह कार्यान्वित दिनांक 14 फ़रवरी] 2014 को भारत और नार्वे के बीच हस्ताक्षरित माध्यमिक शिक्षा में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन और विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग] भारत तथा शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु नार्वे केंद्र (एनसीआईई) के बीच शैक्षणिक सहयोग संबंधी कार्य पर आधारित है।

आईएनसीपी का वित्तपोषण संयुक्त रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा0सं0वि0मं0) भारत और नार्वे के विदेश मंत्रालय (एमएफए) द्वारा समान अनुपात के माध्यम से किया जाता है। वि0अ0सं0] भारत और एनसीआईई नार्वे इस कार्यान्वित हेतु कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

आईएनसीपी में दिनांक 01 जनवरी] 2015 से 12 दिसम्बर] 2017 तक की अवधि हेतु भारत और नार्वे के माध्यमिक शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को और बढ़ाने के उद्देश्य से नई परियोजनाओं के एक पोर्टफोलियो की स्थापना करना और समर्थन प्रशासन शामिल है।

पात्रता: वि0अ0सं0 अधिनियम] 1956 की धारा 2(ढ) और 12(ख) के अंतर्गत विकास अनुदान पाने हेतु पात्र] माध्यमिक मार्गदर्शित वित्तपोषित संस्थान और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

व्यापक विषयगत क्षेत्र: किसी भी शैक्षणिक विधा में सहयोग किया जा सकता है परंतु यह विशेषत प्राथमिकता वाले क्षेत्र से संबंधित होना चाहिएः

- ऑर्कटा] विशेषरूप से स्वच्छ ऑर्कटा
- समुद्री तथा आर्कटिक@ध्रुवीय शोध सहित जलवायु परिवर्तन
- स्वास्थ्य विशेषरूप से जल स्वास्थ्य
- सूचना प्रौद्योगिकी विशेषरूप से जानकारी की मुद्रा] शहरी आयोजना तथा विकास
- पर्यावरण
- जैव प्रौद्योगिकी तथा बिमारी विज्ञान

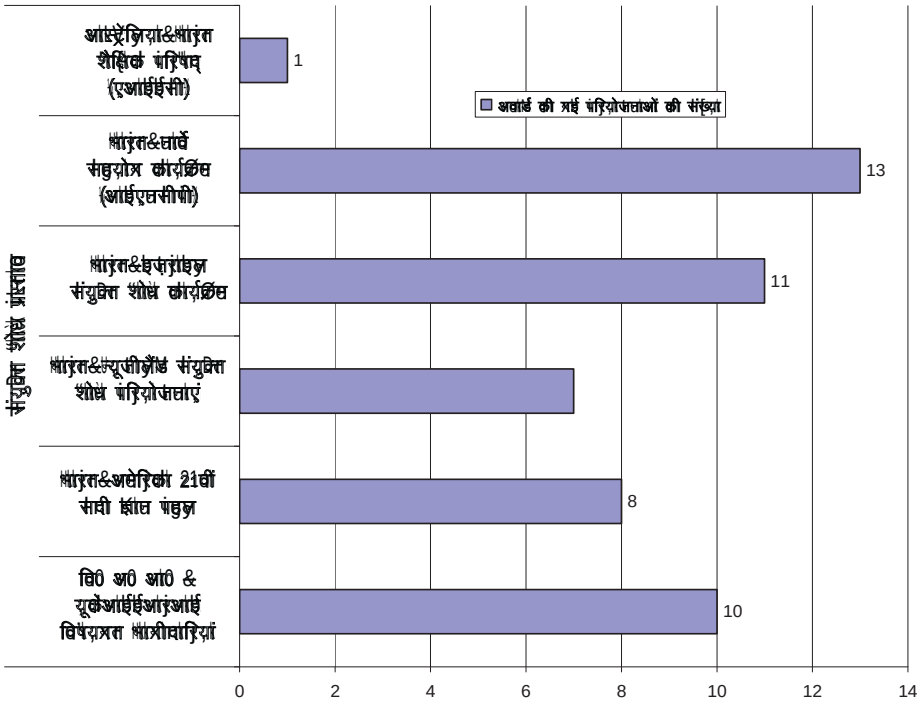
- वैश्विक विकास
- विकास अर्थशास्त्र
- अंतर्वेषय अध्ययन विशेषरूप से तकनीकी के संबंध में
- सामाजिक विज्ञान] सांख्यिकी और डेटा
- बायोलॉजिकल [वंतरे
- अध्यापक शिक्षा

आईएसीपी के अंतर्गत] वि0आ0] भारत और एनआईयू] चार्ल्स संयुक्त शोध परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं और वर्ष 2014 में तीन वर्षों की अवधि के लिए 13 परियोजनाओं का चयन किया।

5.9 (ख)(vii): आस्ट्रेलिया-भारत शैक्षिक परिषद् (एआईईसी) :

आस्ट्रेलिया&भारत शिक्षा परिषद् की स्थापना वर्ष 2011 में नए नेतृत्व अर्थात् सम्बन्ध शिक्षा और शोध] कौशल] गुणवत्ता आश्वासन और सम्पर्क प्रबंध करने] छात्रों की एक श्रेष्ठ से चुनने श्रेष्ठ में स्थानांतरण तथा विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए की गई थी। एआईईसी के बारे में] छात्र स्थानांतरण पर एक परियोजना जानिया विक्टोरिया इंस्टीट्यूट] नई दिल्ली की प्रबंध की गई है।

चित्रांक 5.9 (ख): 2015&16 के दौरान संयुक्त शोध प्रस्ताव तथा चालू परियोजनाओं के लाभार्थियों की संख्या



5.10 राष्ट्रीय शिक्षण परीक्षा : शोध तथा शिक्षण हेतु मानव संसाधन विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] सांख्यिकी (इसमें भारतीय भाषाएं एवं कुछ विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं)] सामाजिक विज्ञान] कानूनी विज्ञान तथा अनुप्रयोग] इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान] न्यायशास्त्रीय विज्ञान तथा पर्यावरणीय विज्ञान जैसे अनेक विषयों में शिक्षण और शोध में प्रवेशार्थियों के लिए न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए सहायक आचार्य और वरिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) की पात्रता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा अर्थात् राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑनलाईन विधा द्वारा) आयोजित करता है। देशभर में फैले 89 मनोनय संस्थानों और 79 विषयों (परीक्षा&एक के अनुसार) में वर्ष में दो बार जून तथा दिसम्बर माह में परीक्षा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर के माह में दो बार आयोजित की जाती है। इस शिक्षा वर्ष के दौरान लोगों तक आवेदकों की पहुंच सुलभ बनाने के लिए चार नए मनोनयन संस्थानों की भी सेवाएं प्राप्त की गईं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शोध के क्षेत्र में व्यापक मानकीकरण को साथ&साथ देकर और विश्वसनीयता को सुदृढ़ करने मुनिश्चित करने हेतु संयुक्त शोध अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए वर्ष 1984 में जेआरएफ की आयोजना करना आरंभ किया था जिसे विशेष रूप से वि0आ0आ0&जेआरएफ परीक्षा के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात] वर्ष 1986 में अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विश्वविद्यालय@महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों हेतु येशुदोस समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप वर्ष 1989 में इस परीक्षा को भारतीय विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद के लिए पात्रता सुनिश्चित करने के एक माध्यम के रूप में भी आयोजन किया गया था। इससे पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] सामाजिकी और मानवी सहित सामाजिक विज्ञान के साथ&साथ विज्ञान विषयों में इस परीक्षा को आयोजित करता था। इसी समय] सीएसआईआर भी सुदृढ़ विज्ञान विषयों में एक परीक्षा आयोजित करता था। विज्ञान विषयों में प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए वि0आ0आ0 ने हस्तक्षेप किया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए भी आर्थियों का चयन करने के लिए सीएसआईआर के साथ एक समझौता किया। तब समय से] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] सामाजिकी और मानविकी विज्ञान] जीवन विज्ञान और अनुप्रयोग] इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान] ग्रामीण क्षेत्रिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान में वि0आ0आ0&जेआरएफ परीक्षा का आयोजन कर रहा है जबकि सीएसआईआर भी संयुक्त सीएसआईआर& वि0आ0आ0 जेआरएफ परीक्षा के तहत प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर माह में 5 सुदृढ़ विज्ञान विषयों अर्थात् रसायन विज्ञान] पृथ्वी] वायुमंडलीय] महासागर और ग्रह विज्ञान] जीवन विज्ञान] गणित विज्ञान और भौतिक विज्ञान विषयों में इसका आयोजन कर रहा है।

ऐसे प्रत्याशी जो शोध करना और वि0आ0आ0 से अध्येतावृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं] वे वि0आ0आ0&जेआरएफ के तहत संयुक्त शोध अध्येतावृत्ति (सी0आर0एफ0) परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसे प्रत्याशी जिनकी रोजगार अधिक है तथा वि0आ0आ0&जेआरएफ परीक्षा में सी0आर0एफ0 के लिए मेरिट लाते हैं] वे वि0आ0आ0 द्वारा सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों@संस्थानों में शोध कार्य भी कर सकते हैं] वि0आ0आ0 द्वारा प्रत्येक वि0आ0आ0&जेआरएफ परीक्षा के माध्यम से 3200 से अधिक संयुक्त शोध अध्येतावृत्तियां तथा प्रत्येक सी0एस0आर0आई0&वि0आ0आ0 संयुक्त जेआरएफ परीक्षा के माध्यम से लगभग 1200 आर्थियों के समग्र विभागवार के अध्येधीन) संयुक्त शोध अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए अध्येतावृत्ति उपलब्ध है।

जून] 2015 में आयोजित वि0आ0आ0&जेआरएफ परीक्षा में 4357 आर्थियों को संयुक्त शोध अध्येतावृत्ति हेतु पात्र घोषित किया गया] जबकि दिसम्बर] 2015 में आयोजित वि0आ0आ0&जेआरएफ परीक्षा] जिसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर&से आयोजित किया गया था] में 3710 आर्थियों को संयुक्त शोध अध्येतावृत्ति हेतु पात्र घोषित किया गया।

नेट परीक्षा में निष्पादन

5.10 (क): वि0आ0आ0–नेट परीक्षा:

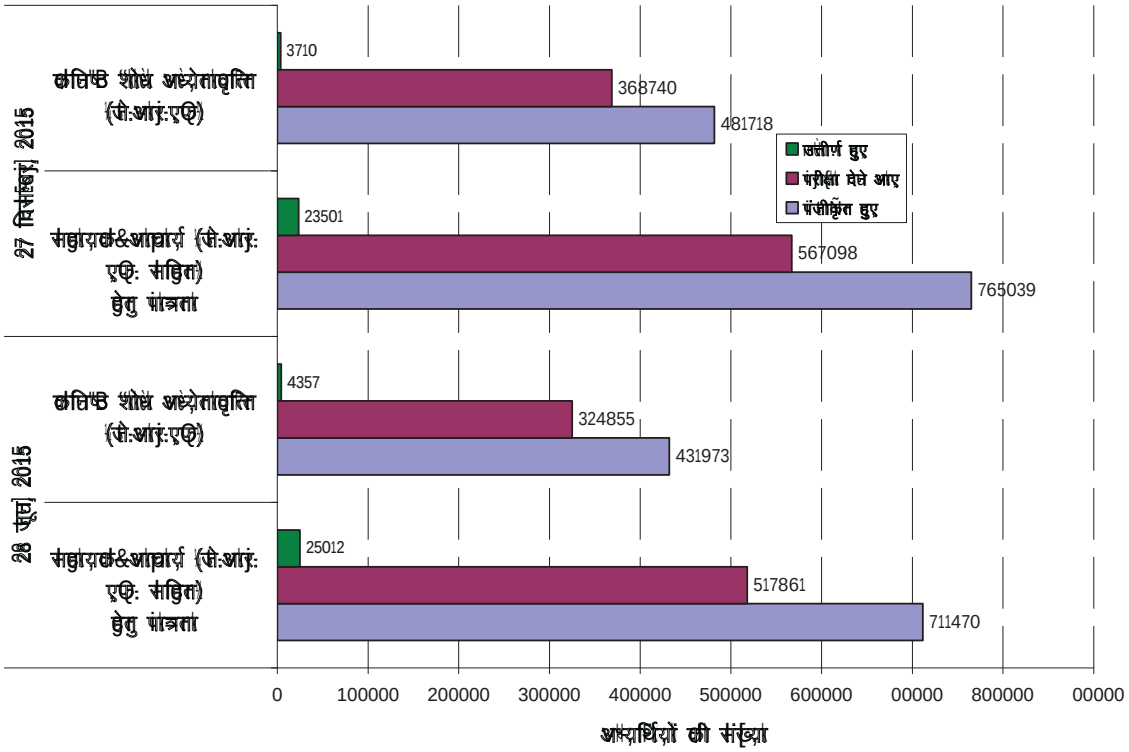
वि0आ0आ0&जेआरएफ परीक्षा के तहत रजिस्ट्रेशन एवं संयुक्त शोध अध्येतावृत्ति (जे:आर:एफ) परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाले] परीक्षा में बैठने वाले और मेरिट हुए आर्थियों का ब्यौरा निम्नवत तालिका&5.10(क) में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका&5.10(क) वर्ष 2015&16 के दौरान वि0आ0आ0&जेआरएफ परीक्षा हेतु पंजीकरण कराने वाले] परीक्षा में बैठने वाले तथा मेरिट हुए आर्थियों का ब्यौरा

वि0आ0आ0&जेआरएफ		पंजीकरण	परीक्षा में बैठे आर्थी		परीक्षा में मेरिट हुए आर्थी	
			संख्या	पंजीकृत का प्रतिशत	संख्या	परीक्षा में बैठे आर्थियों में से सफल हुए आर्थियों का प्रतिशत
28 जून] 2015	सहायक&आचार्य (जे:आर:एफ: सहित) हेतु पात्रता	711470	517861	72.78	25012	4.83
	संयुक्त शोध अध्येतावृत्ति (जे:आर:एफ)	431973	324855	7520	4357	1.34
27 दिसम्बर] 2015	सहायक&आचार्य (जे:आर:एफ: सहित) हेतु पात्रता	765039	567098	74.13	23501*	4.14
	संयुक्त शोध अध्येतावृत्ति (जे:आर:एफ)	481718	368740	76.55	3710*	1.01

नोट: *आर्थियों के प्रश्नों के उत्तर के संबंध में शिकायतों के समाधान होने पर इन आंकड़ों में वृद्धि हो सकती है।

रेखाचित्र 5.10(ख): वर्ष 2015&16 के दौरान वि0श्र0भा0&सेवा परीक्षा हेतु पंजीकृत हुए, परीक्षा में बैठे तथा उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या



जिन विषयों में वि0श्र0भा0&सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है उनका ब्यौरा नीचे तालिका 5.10 (ख)(i) में दिया गया है:

तालिका 5.11 (ख)(i): विषय का कोड तथा नाम

01	अर्थशास्त्र
02	राजनीति विज्ञान
03	दर्शनशास्त्र
04	समाजविज्ञान
05	समाज विज्ञान
06	इतिहास
07	भूगोल&विज्ञान
08	वाणिज्य
09	शिक्षा&शास्त्र
10	सामाजिक कार्य
11	विधि एवं राजनीतिक अध्ययन
12	मृदु विज्ञान
14	लोक प्रशासन
15	जनसंख्या अध्ययन
16	संगीत
17	प्रबंधन
18	मैथिली भाषा
19	बांग्ला भाषा
20	हिन्दी भाषा
21	कन्नड़ भाषा
22	सथ्यालम भाषा
23	उड़िया भाषा
24	पंजाबी भाषा
25	संस्कृत भाषा
26	तमिल भाषा
27	तेलुगू भाषा
28	उर्दू भाषा
29	अरबी भाषा
30	अंग्रेजी भाषा
31	भाषा विज्ञान
32	चीनी भाषा
33	जापानी भाषा
34	तेबांग्री भाषा
35	मणिपुरी भाषा
36	असमिया भाषा
37	गुजराती भाषा
38	मराठी भाषा
39	फ्रेंच भाषा
40	स्पेनिश भाषा
41	रूसियन भाषा
42	फ्रेंचमी भाषा
43	राजस्थानी भाषा

44	उर्दू भाषा
45	उड़िया भाषा
46	प्रौढ़ शिक्षा@अनुवर्ती शिक्षा@एण्ड्रागॉजी@अनौपचारिक शिक्षा
47	शारीरिक शिक्षा
49	अरबी संस्कृति तथा इस्लामिक अध्ययन
50	भारतीय संस्कृति
55	अंतिक कल्याण@सामाजिक प्रबंधन@औद्योगिक संबंध@अंतिक तथा मानव कल्याण@मानव संसाधन प्रबंधन
58	विधि शास्त्र
59	पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान
60	डोडे] पौध] खाँसी तथा शांति अध्ययन
62	धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन
63	जल संसाधन तथा जलकारिता
65	प्रदर्शित की जाने वाली कलाएं & चित्र@चार्ट@संग्रह
66	संग्रहालय विज्ञान और संरक्षण
67	पुरातत्व&विज्ञान
68	अभिलेख विज्ञान
70	मानवजातीय तथा प्रादेशिक भाषा@साहित्य
71	लोक साहित्य
72	तुलनात्मक साहित्य
73	संस्कृत भाषा&साहित्य विषय (ज्योतिष@सिद्धांत ज्योतिष@वास्तु व्याकरण@व्याकरण@मीमांसा@वास्तु न्याय@सांख्य योग@तुलनात्मक दर्शन@शुक्ल यजुर्वेद@वास्तु वेदांत@धर्मशास्त्र@साहित्य@पुराण इतिहास@अद्वैत वेदांत)
74	सहित्य अध्ययन
75	दृश्य कला (चित्रकला और चित्रांकन@ मूर्तिकला@ऑप्टिक्स@अनुप्रयुक्त कला@कला का इतिहास संहित)
80	मृदोद्योग
81	सामाजिक&आयुर्विज्ञान तथा सामुदायिक स्वास्थ्य
82	न्यायालयिक विज्ञान
83	पालि भाषा
84	कश्मीरी भाषा
85	कोंकणी भाषा
87	कंप्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग
88	इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान
89	पर्यावरण विज्ञान
90	अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय अध्ययन
91	प्राकृत भाषा
92	सामाजिकार्य तथा कल्याण
93	पर्यटन प्रशासन तथा प्रबंधन
94	सोमी भाषा
95	संथाली भाषा

तालिका 5.10 (ख)(ii): मानव्य संस्थानों की सूची जिनके माध्यम से वि0अ0आ0 सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है

विषय का कोड तथा केंद्रों का नाम	
01	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय] अलीगढ़&202 002
02	इलाहाबाद विश्वविद्यालय] इलाहाबाद&211 002
03	आंध्र विश्वविद्यालय] विशाखापत्तनम&530 003
04	इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय] मीरपुर&791 112
05	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय] वाराणसी&221 005
06	बंगलूरु विश्वविद्यालय] बंगलूरु&560 056
07	एस.पी.मोम सुबिर विश्वविद्यालय] मोरिगांव] मोरिगांव&462 016
08	बेरहामपुर विश्वविद्यालय] बेरहामपुर&760 007
09	कल्याणी विश्वविद्यालय] कल्याणी&641 046
10	भारतीदासन विश्वविद्यालय] तिरूचिरापल्ली&620 024
11	चंडीगढ़ विश्वविद्यालय] चंडीगढ़&713 104
12	कलकत्ता विश्वविद्यालय] कलकत्ता&700 073
13	कालीकट विश्वविद्यालय] कालीकट&673 635
14	डॉ0 हरि सिंह विश्वविद्यालय] सागर&250 005
15	छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय] कानपुर&208 024
16	कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय] कोची&682 022
17	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज] दिल्ली विश्वविद्यालय] नई दिल्ली&110017
18	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर&452 001
19	डॉ0 बी.एस.ए. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय] औरंगाबाद&431 004
20	गुवाहाटी विश्वविद्यालय] गुवाहाटी&781 014
21	गोवा विश्वविद्यालय] गोवा&403 203
22	वीर बहादुर सिंहपूर्वांचल विश्वविद्यालय] गोरखपुर&273 009
23	गुजरात विश्वविद्यालय] अहमदाबाद&380 009
24	गुलबर्गा विश्वविद्यालय] गुलबर्गा&585 106
25	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय] अमृतसर&143 005
26	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय] शिमला&171 005
27	जम्मू विश्वविद्यालय] जम्मू (तवी)&180 006
28	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय] जोधपुर&342 001
29	जीवाजी विश्वविद्यालय] ग्वालियर&474 011
30	कल्याणी विश्वविद्यालय] धारवाड़&580 003
31	कश्मीर विश्वविद्यालय] श्रीनगर&190 006
32	केरल विश्वविद्यालय] तिरूअनंतपुरम&695 034
33	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय] कुरुक्षेत्र&132 119
34	लखनऊ विश्वविद्यालय] लखनऊ&226 007
35	एस.एम. सांघवी विश्वविद्यालय] सांघवी&390 002
36	मद्रास विश्वविद्यालय] चेन्नई&600 005
37	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय] मदुरई&625 021
38	मंगलोर विश्वविद्यालय] मंगलोर&574 199
39	मणिपुर विश्वविद्यालय] इंफाल&795 003
40	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय] उदयपुर&313 001
41	मुंबई विश्वविद्यालय] मुंबई&400 032
42	नागार्जुन विश्वविद्यालय] गुंटूर&522 510
43	नागपुर विश्वविद्यालय] नागपुर&440 001
44	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय] दार्जिलिंग&734 430
45	नार्थ इस्टर्न हिल विश्वविद्यालय] शिलांग&793 022
46	ओस्मानिया विश्वविद्यालय] हैदराबाद&500 007

	विषय का कोड तथा केन्द्रों का नाम
47	पं0 रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय] रायपुर&492 010
48	पंजाब विश्वविद्यालय] चण्डीगढ़&160 014
49	पटना विश्वविद्यालय] पटना&800 005
50	पुणे विश्वविद्यालय] पुणे&411 007
51	राजस्थान विश्वविद्यालय] जयपुर&302 004
52	राँची विश्वविद्यालय] राँची&834 008
53	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय] जबलपुर&482 001
54	एस.एन. बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय] श्रीनगर&246 174
55	सम्बलपुर विश्वविद्यालय] सम्बलपुर&768 019
56	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय] राजकोट&360 005
57	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय] तिरुपति&517 502
58	तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय] भागलपुर&812 007
59	त्रिपुरा विश्वविद्यालय] अगरतला&799 004
60	तमिलनाडु विश्वविद्यालय] थंजावुर&751 004
61	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय] आगरा&282 004
62	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय] अजमेर&305 009
63	सिक्किम विश्वविद्यालय] सिक्किम] पो0 बाक्स सं0 190] गंगटोक&796 012
64	नागालैण्ड विश्वविद्यालय] पो0 बाक्स सं0 341] लुमामी] कोहिमा&797 001
65	जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय] अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह] पोर्ट ब्लेयर&744104
66	अन्नामलाई विश्वविद्यालय] चिदम्बरम&486 003
67	असम विश्वविद्यालय] सिलचर&788 001 (असम)
68	विश्वभारती विश्वविद्यालय] शान्तिनिकेतन&786 004

	विषय का कोड तथा केन्द्रों का नाम
69	मिजोरम विश्वविद्यालय] ऐजोल कैम्पस] सेलसिहा] पी.ओ: तानहिल&737 102 (अरुणाचल] मिजोरम)
70	तेजपुर विश्वविद्यालय] तेजपुर&784 028
71	महाराजा सयाजी सिंह विश्वविद्यालय] बीकानेर] राजस्थान
72	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय] रोहतक&124 001
73	पंजाबी विश्वविद्यालय] पटियाला&147 002
74	बैंगलूर विश्वविद्यालय] सेंट्रल कॉलेज कैम्पस] बैंगलूर&570 005
75	पूना विश्वविद्यालय] सोपानबाग रोड] सोलापुर] पो0आ0 अजाबपुर कलाँ]पेबुलगाम
76	कुमाऊं विश्वविद्यालय] नैनीताल&263001
77	पुडुचेरी विश्वविद्यालय] पुडुचेरी&605014
78	गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय] हिसार&125001
79	बाईएसबीए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय] फरीदाबाद&121006 (हरियाणा)
80	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय] बीलासी] बिलासपुर&495009
81	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर यूनीवर्सिटी] पोस्ट बाक्स नम्बर 80] खासदीवरा] जलगाँव&425001
82	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय] अमरावती&444602
83	शिवाजी विश्वविद्यालय] विद्यानगर] कोल्हापुर&416004
84	कीरत विश्वविद्यालय]एसबीएम कालेज] कीरत&324005
85	दीन बंधु छोटू राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय] मुरथल] सोनीपत&131039
86	वेदव्यासाचार्य सरदार पटेल विश्वविद्यालय] भादज&384265
87	केन्द्रीय विश्वविद्यालय] धर्मशाला&176215
88	सोलापुर विश्वविद्यालय] सोलापुर&413255
89	एस0जे0पी0 रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय] बरेली&243006

नोट: क्र0सं0 85 और 86 पर सूचीबद्ध सत्रवार केन्द्रों की सूची 2014 से आयोजित वि0अ0आ0&सेट परीक्षा तथा क्र0सं0 87 से 89 पर सूचीबद्ध सत्रवार केन्द्रों की सूची दिसम्बर] 2014 से आयोजित वि0अ0आ0&सेट परीक्षा तथा उसके बाद की परीक्षाओं के लिए संशोधित किया गया है।

5.10(ख) संयुक्त सी0एस0आई0आर0–वि0अ0आ0 परीक्षा

तालिका&5.11(ख)(i) उन मुख्य विषयों को दर्शाती है जिनमें सी0एस0आई0आर0 द्वारा संयुक्त सी0एस0आई0आर0&वि0अ0आ0&सेट परीक्षा आयोजित की जाती है तथा तालिका&5.11(ख)(ii) वै0आर0ए0ई0 के लिए अर्हता प्राप्त आवेदकों की संख्या तथा संयुक्त सी0एस0आई0आर0&वि0अ0आ0 सेट के माध्यम से प्रोन्नति हेतु पात्रता को दर्शाता है। सत्रवार केन्द्रों की सूची जिसके माध्यम से वि0अ0आ0 सेट परीक्षा आयोजित कराता है।

तालिका&5.10(ख)(i): संयुक्त सी0एस0आई0आर0&सेट के तहत शामिल विज्ञान के विषयों की सूची

क्र0 सं:	विषय
1	रसायन विज्ञान
2	पृथ्वी] वायुमण्डल] महासागर एवं ग्रह विज्ञान
3	जीव विज्ञान
4	गणित विज्ञान
5	भौतिक विज्ञान

तालिका&5.10(ख)(ii): सी0एस0आई0आर0&वि0अ0आ0&सेट संयुक्त परीक्षा में आवेदकों का विवरण

सी0एस0आई0आर0&वि0अ0आ0&सेट संयुक्त परीक्षा	परीक्षा में सम्मिलित हुए आवेदकों की संख्या	
	वि0 अ0 आ0&जे0 आर0 ए0ई0	सहायक आचार्य हेतु पात्रता (जे0आर0ए0ई0 सहित)
जून] 2014	1200	3348
दिसम्बर] 2014	1200	3622

नोट: सी0एस0आई0आर0 की आधिकारिक वेबसाईट अर्थात् csirhrdg.res.in

वर्ष 2015&2016 के दौरान वि0व0अ0&सेवर और सेवर ब्यूरो के सभी अधिकारिक क्रियाकलापों के संचालन पर 67]39]491@& रुपए की व्यय हुआA इसमें सेवर ब्यूरो से वेतन वि0व0अ0 के नियमित कर्मचारियों की वेतन के मुताबक पर किया गया व्यय शामिल नहीं हैA

5.10 (ग) वंचित श्रेणियों को उपलब्ध कराई गई छूट/रियायत

(i) शुल्क में उपलब्ध कराई गई छूट/रियायत

भारत सरकार की नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित के सभी केन्द्रीय वर्गों की वि0व0अ0&सेवर के लिए आवेदन करने हेतु शुल्क में कोई रियायत देता आ रहा है A जहां सामान्य श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए 600@& रुपए शुल्क है] वहीं भारत सरकार की नीति के अनुरूप अन्य पिछड़ा वर्ग के अर्थिक वर्गों के परीक्षार्थियों के लिए यह केवल 300@& रुपए हैA अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी के परीक्षार्थियों की केवल 150 रुपये की नाममात्र शुल्क देना होता हैA

(ii) जे0आर0एफ0 के लिए आयु में उपलब्ध कराई गई छूट/रियायत

सामान्य श्रेणी के लिए जे आर एफ में डैडेन के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है A अ0ज0@अ0ज0जा0@अपिव (अर्थिक वर्ग)@शारीरिक रूप से विशेषत श्रेणी और महिला आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है A

(iii) नेट हेतु पात्रता की शर्तों में उपलब्ध कराई गई छूट/रियायत

1	सामान्य अभ्यर्थी	विषयांत परीक्षा में 55% अंक (बिना पूर्णांकित किए)
2	अपिव (अर्थिक वर्ग)@शारीरिक रूप से विशेषत@ अ0ज0@अ0ज0जा0@अभ्यर्थी	विषयांत परीक्षा में 50% अंक (बिना पूर्णांकित किए)

(iv) नेट हेतु अर्हक मानदण्ड में उपलब्ध कराई गई छूट/रियायत

अभ्यर्थियों की अंतिम रूप से परिणाम तैयार करने हेतु विचार किये जाने के लिए प्रश्न पत्र&] और में अलग&अलग नीचे दिये गये न्यूनतम अंक प्राप्त करने होते हैं जैसा कि तालिका& 5:10(x) में दर्शाया गया है:

तालिका 5:10(x)(i): अंतिम रूप से परिणाम तैयार करने हेतु विचार किये जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्राप्तांकों का श्रेणी&वार ब्यौराA

श्रेणी	अपेक्षित न्यूनतम अंक (प्रतिशत में)		
	प्रश्न पत्र&	प्रश्न पत्र&	प्रश्न पत्र&
सामान्य	40 (40%)	40 (40%)	75 (50%)
अ0पि0व0(अर्थिक)@शारीरिक रूप से विशेषत@ अ0ज0@अ0ज0जा0	35 (35%)	35 (35%)	60 (40%)

जैसा की यहां स्पष्ट है कि अन्य पिछड़े वर्ग] अनुसूचित जाति] अनुसूचित जनजाति एवं शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंक सामान्य श्रेणी के लिये अपेक्षित न्यूनतम अंकों से कम हैA यहां तक कि लिंगभेद शीर्ष अध्यतावृत्ति (जेआरएफ) हेतु परिणामों का संकलन करते हुए इस सिद्धांत की विशेषरूप से रक्षा गया तथा यह सुनिश्चित किया गया कि वंचित वर्गों के लिये विषयवार अंतिम न्यूनतम पात्रता अंक सामान्य श्रेणी से कम हों A

5.10(घ): पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये की गई पहल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के अपने सतत प्रयासों के तहत परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया की अधिकाधिक पारदर्शी प्रभावशील एवं विश्वसनीय बनाने के लिए अनेक सुधार किये हैंA इन प्रयासों को निम्नवत पैराओं में संक्षेप में दर्शाया गया हैA

(क) दिसम्बर] 2011 तक परीक्षा पत्र&] विचाराधीनता थीA जून] 2012 की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग&नेट परीक्षा से इसे वस्तुनिष्ठ बना दिया गयाA इससे मूल्यांकन में सरलता सुनिश्चित होती है तथा परीक्षा पत्र का मूल्यांकन करने में पारदर्शिता की संभावना बढ़ी रहती हैA

(घ) दिसम्बर] 2011 की विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग&सेट परीक्षा तक अभ्यर्थियों को अपने माध्यम परिवर्तन पत्र भेजने की अनुमति नहीं थी। पुनर्गठन की नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग ने जून] 2012 की विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग&सेट परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों की परिवर्तन पत्रों की अपने माध्यम भेजने की अनुमति प्रदान की।

(ङ) विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग ने अपनी ओएसआर शीट को संशोधित किया ताकि शीट के साथ इसकी कार्बन रहित कॉपी भी दर्ज की जा सके। अभ्यर्थी जून] 2012 के विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग&सेट परीक्षा से ओएसआर की कार्बन रहित प्रति अपने साथ ले जा सकते हैं।

(च) जून] 2012 की विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग&सेट परीक्षा से सभी प्रश्नपत्रों के सही उत्तरमालाओं की पहुंच में है यूंकि सभी विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग वेबसाईट पर अपलोड किया गया है। अभ्यर्थी जिनके पास सही] प्रश्न पत्र एवं सभी ओएसआर शीट की कार्बनरहित प्रतियां है] वे अपने सही पत्र की जांच कर सकते हैं। प्रश्नों में विसंगतियों अथवा किन्हीं प्रश्न सही के संबंध में अभ्यर्थियों से प्रश्नों के सही तथा प्रश्नपत्र की अपलोड होने के एक सप्ताह से भी अधिक समय तक ऑनलाइन ऑब्जेक्शन आमंत्रित किया जाता है। अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर विशेषज्ञ समितियों द्वारा पुनः जांच की जाती है तथा तत्पश्चात सही की अद्यतन किया जाता है। अद्यतन किये गये सही के आधार पर परिणाम तैयार किये जाते हैं।

(छ) प्रथम पहल के रूप में विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग&सेट के परिणाम घोषित होने के बाद भी जिन अभ्यर्थियों की सही के संबंध में कोई शिकायतें है] वह अपनी लिखित शिकायत अध्यक्ष] विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग&सेट ब्यूरो] मानव कैम्पस] विश्वनी विश्वविद्यालय] बेलियो पुआरेज सार] नई दिल्ली&110021 को अपने पंजी के समर्थन में सभी पुस्तकों@साहित्य के साथ संलग्न] विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग के पंजी से 5000 #पए के डिमांड ड्राफ्ट के साथ] परिणाम घोषित होने की तिथि के एक माह के भीतर भेजनी होगी। यह अवधि पंक्ति जून] 2013 की आयोजित विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग&सेट परीक्षा से लागू की गई है। चूंकि विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग ने जून] 2012 की विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग&सेट परीक्षा से परीक्षा पत्र& के डाटे (विश्लेषणात्मक से व्यक्तिपरक) में आंशिक संशोधन किया है] जून] 2012 तथा दिसम्बर] 2012 की परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थी जिन्हें इस प्रकार की शिकायतें थी] वह अपनी शिकायतें मानक संशोधन के यह अवसर प्रदान किया गया है।

इस प्रकार प्राप्त अनुरोधों की शिकायत की जांच के लिये विशेषज्ञ समिति(यों) के सदस्य नियुक्त गए। संबंधित विषय की संबंधित समितियों ने अभ्यर्थी की शिकायतों की जांच की तथा जहां कहीं आवश्यक हुआ सही की अद्यतन किया। तत्पश्चात] विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग ने परिवर्तित सही के आधार पर उत्तरमाला में आंकड़ों को संशोधित किया तथा संबंधित विषयों में पूर्व&अनुमोदित न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर जेआरएफ और@अथवा सहायक&आचार्य के पद के लिये पात्रता हेतु अतिरिक्त अभ्यर्थियों की अर्हता घोषित किया। जेआरएफ और@अथवा सहायक आचार्य के लिये पूर्व में अर्हता अभ्यर्थियों के परिणाम अपरिवर्तित रहे। संशोधित सम्मिलित मीरा वि0आ0सा0&सेट हेतु जे0आर0एफ0 के लिए पूर्व अनुमोदित अर्हता&परीक्षा संशोधन करने के लिये विषय वार तथा श्रेणीवार न्यूनतम अंक तथा सहायक आचार्य के पद के लिये अर्हता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

यह प्रक्रिया जून] 2014 की आयोजित वि0आ0सा0&सेट परीक्षा में भी जारी रही तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इसका पालन करने का अनुरोध किया गया है।

5.10 (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र में वि0अ0आ0–नेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को पहचान

पिछले कुछ वर्षों के दौरान वि0आ0सा0&सेट ने प्रतिभा के प्रतिष्ठित मानदंड के रूप में मान्यता बनाई है] जिसे मानक मानदंड के सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता है। विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग ने औपचारिक रूप से कुछ संगठनों/संस्थानों से संपर्क किया जिनमें निम्नवत शामिल हैं:

i) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

ii) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी)] और

iii) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)

iv) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

v) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

vi) भारत पेट्रो कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ताकि वे कुछ विभागों में अपने अधिकारियों की भर्ती हेतु वि0आ0सा0&सेट प्रावीण्यों के आंकड़ों का सत्यापन कर सकें। विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग ने पहले ही इस संबंध में आंकड़ों को साझा करने हेतु अपनी सहमति की जानकारी प्रदान की है।

5.10 (च) राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)

राज्य सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार की दिनांक 22.07.1988 की अधिसूचना के संदर्भ में वि0स0आ0 ने राज्य सरकारों की राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) जिन्हें पूर्व में राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एस0एल0ई0टी0) कहा जाता था, की आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है, जिन्हें एक विधारित अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित किया गया है। एस0ई0टी0 का पेपर भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित सेट परीक्षा के समान है।

कुछ राज्यों/संघों के सेट परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में वि0स0आ0 सदस्य प्रस्तावों की जाँच करने के बाद ही स्वीकृति हेतु सेट परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रत्यायित करता है। एस0ई0टी0 अधिकारियों के विशेषज्ञता की वि0स0आ0 द्वारा आवधिक तौर पर विशेषज्ञों की सहायता से पुनरीक्षा की जाती है और विधारित अवधि के लिए सदस्य प्रत्यायन का नवीकरण किया जाता है। वि0स0आ0&सेट ब्यूरो के पुनर्वा सेट अधिकारियों की विषय संचालन और आधुनिकीकरण समितियों के स्थायी सदस्य होते हैं, जिनका सेट परीक्षाओं की आयोजित करने और परिणामों की घोषित करने के समय पर्यवेक्षण करने के लिए किया जाता है।

जिन आवेदियों ने स्वीकृति हेतु 01 जून, 2002 से पूर्व वि0स0आ0 द्वारा प्रत्यायित राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण की है उन्हें सेट परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है। जून, 2002 में या उसके बाद आयोजित होने वाली सेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले आवेदी संबंधित राज्य के केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में स्वीकृति/महायक आचार्य के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे जहां से उन्होंने अपनी सेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। तथापि, ऐसे प्रतिबंध यदि हटाये गये तो, सेट हेतु आवेदन करने के पात्र भी होंगे।

अब तक, निम्नवत राज्यों/राज्य सघों ने सेट की संचालन किया है:

i उत्तर प्रदेश (पूर्व में स्वतंत्र रूप से परंतु जिसके शिक्षा वर्ष से तदनुसार राज्य के साथ संयुक्त रूप से परीक्षा आयोजित की है)
ii बिहार
iii छत्तीसगढ़
iv गुजरात
v हरियाणा
vi हिमाचल प्रदेश
vii जम्मू और कश्मीर
viii झारखंड
ix कर्नाटक
x मध्य प्रदेश
xi महाराष्ट्र और गोवा
xii पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य (संयोजकी करने वाले राज्य: असम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम)
xiii राजस्थान
ivx तमिलनाडु
xv तेलंगाना
xvi उत्तर प्रदेश
xvii पश्चिम बंगाल

इन राज्यों में से जिन राज्यों/राज्य संघों ने वर्ष 2015&16 के दौरान सेट परीक्षा का आयोजन किया उनका ब्यौरा निम्नवत है:

i) हिमाचल प्रदेश
ii) महाराष्ट्र और गोवा
iii) तमिलनाडु

iv) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर, असम (संयुक्त रूप से)

v) पांडिचेरी विश्वविद्यालय

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित राज्यों की भविष्य में राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध प्राप्त हुआ है:

i. आंध्र प्रदेश

ii. गुजरात

iii. जम्मू और कश्मीर

iv. तमिलनाडु

सेट की परीक्षा आयोजित करने पर होने वाले व्यय की संबंधित सेट एजेन्सियों द्वारा वहन किया जाता है।

5.11 यात्रा अनुदान

यात्रा अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(ङ) तथा 12(ङ) के तहत सम्बद्धताप्राप्त राज्य विश्वविद्यालय, मान विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षकों तथा महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्षों एवं कुलपतियों की विशेष सहायता स्वीकृत करने के लिए प्रदान किया जाता है। योजना का उद्देश्य विदेशी शिक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्रों को प्रस्तुत करने तथा सम्मेलनों में सक्रियतापूर्वक शिक्षा की चर्चा प्रणाली का अध्ययन करने हेतु महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, यह सुविधा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के स्थायी शिक्षकों की वर्ष में अनुमोदित कुल संख्या की 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर उपलब्ध है। शिक्षा अधिकारी@अन्य संबंधित के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकारी तथा आयोग के सचिव इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के प्राप्त करने के पात्र हैं। महाविद्यालय के शिक्षक@महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष@विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा सत्रवी अधिवर्षिता की आयु है तथा कुलपतियों एवं आयोग के सचिवों के संबंध में, सम्बद्ध पद पर नियुक्त होने पर लिये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ङ) के तहत सम्मिलित महाविद्यालयों के स्थायी@अध्यापकों@पुस्तकालय अध्यक्षों की सपत्नी यात्रा, पंजीकरण शुल्क, दैनिक भत्ता तथा वीजा शुल्क आदि हेतु 3 वर्ष में एक बार शत&प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(ङ) और 12(ङ) के तहत सम्मिलित राज्य विश्वविद्यालयों, मान विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, वि0स0आ0 सचिवों, वि0स0आ0 अधिकारियों एवं स0सं0@स0स0सं0@स0वि0अ0 (अनिवार्य वर्ष) के शिक्षकों को दो वर्ष में एक बार शतप्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत यात्रा अनुदान हेतु सहायता के लिये आवेदन की सिफारिश होने से दो माह पूर्व प्रस्तुत किये जाने वाले पत्र तथा सम्मेलन के आयोजकों द्वारा स्वीकृति पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा।

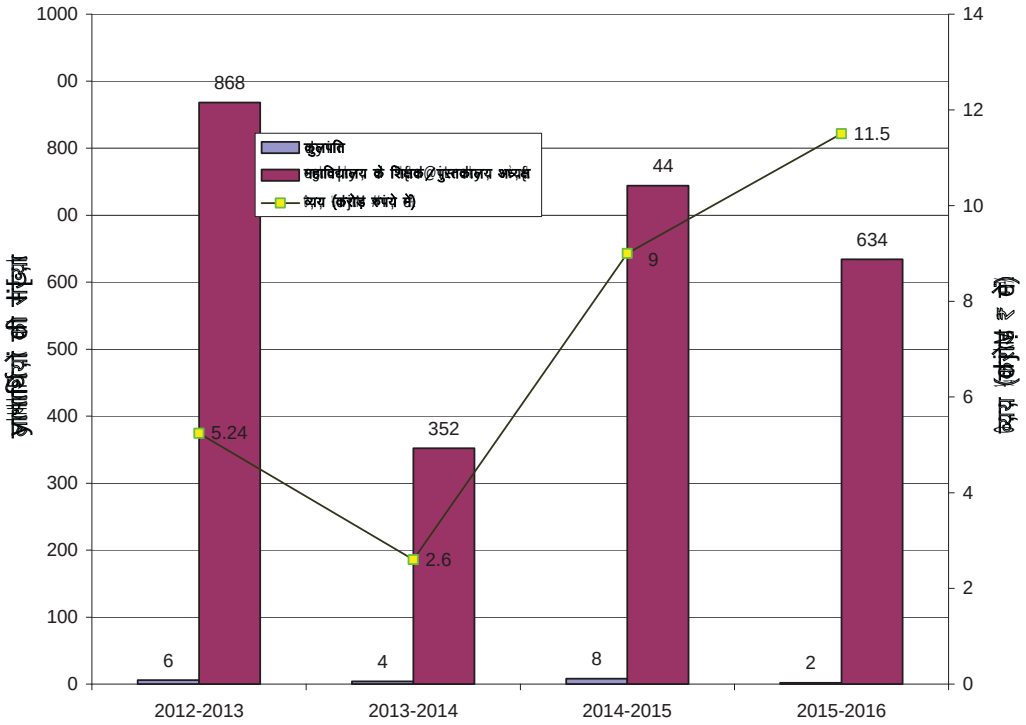
सम्बद्ध योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष द्वारा गठित यात्रा अनुदान समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। विषय विशेषज्ञ की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया जाता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्तियों की संख्या और किये गये व्यय का ब्यौरा निम्नवत है:

तालिका 5.11

वर्ष	प्राप्तियों की संख्या			व्यय (करोड़ ` में)
	कुलपति	महाविद्यालय के शिक्षक@पुस्तकालय अध्यक्ष	आयोग के सचिव	
2012-2013	06	868	-	5.24
2013-2014	04	352	-	2.60
2014-2015	08	744	-	9.00
2015-2016	02	634	-	11.50

रेखाचित्र 5.11: बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यात्रा अनुदान योजना के तहत लाभार्थियों की वर्ष&वार संख्या तथा किया गया व्यय (करोड़ ` में)



यूरोप की कार्यशैली: यूरोप द्वारा विश्व में विभिन्न स्नातक देशों में प्रचारित किये जाने वाले विभिन्न छात्रवृत्ति@प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में परिपत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय] भारत सरकार] नई दिल्ली से प्राप्त होते हैं और इन्हें वि0स0सं0 द्वारा भारत में विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों में परिचालित किया जाता है। स्नातक शिक्षा के विकास और स्नातक देशों के साथ समन्वय से संबंधित यूरोप की कुछ सरकारों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय] वि0स0सं0 के विचार@विमर्श आमंत्रित करता है] जिन्हें वि0स0सं0 द्वारा संयुक्त विचार करने@सलाहकारों की अभ्यावेदन करने के बाद किया जाता है।

5.12 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम] 1956 की धारा 12 (xxx) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय प्रणाली में व्याप्त विकारों के रूप में वर्ष 1984 में अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों (आईयूसी) की स्थापना की है ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे शोधकर्ताओं के लाभ के लिए केन्द्रीय रूप से अत्याधुनिक सामग्री तथा सुविधाएं सम्भव की जा सकें जो सामान्य प्रयास करने के कारण कई विश्वविद्यालयों में सम्भव नहीं होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मुख्यत: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसे आठ केन्द्र स्थापित किए हैं। इनमें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स मेरठ (आईयूएमी)] नई दिल्ली (जो कि पूर्व में इस नाम से जाना जाता था) तकनीकी विज्ञान केन्द्र] सन् 1984 में स्थापित किया जाने वाला इस तरह का पहला केन्द्र था। इन अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं :

- जो विश्वविद्यालय आधारभूत अवसंरचना तथा अन्य विशेषों में भारी पूंजी प्रत्यय से अक्षमर्थ हैं] सबके लिए सामान्य अत्याधुनिक केन्द्रीयकृत सामग्री तथा सुविधाएं सुविधाएं@सेवाएं सम्भव करना।
- संपूर्ण देश में शिक्षकों तथा शोधकर्ताओं की सर्वोत्तम विशेषज्ञता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना।
- शोधकर्ताओं तथा शिक्षण संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्पर्क अत्याधुनिक सामग्री] अत्याधुनिक साहित्य पुस्तकालय की सुविधाएं सम्भव करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कम्प्यूटिंग एवं इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी (सी.ई.सी.)] नई दिल्ली में कार्यरत एवं सफलता द्वारा विश्वविद्यालयों में स्थापित] विभिन्न सीखिया केन्द्रों के साथ्य से एक कदम से भी अधिक शैक्षिक दिशा तथा कार्यशैली करने में अग्रसर भूमिका निभाई है। देश में सूचनाओं से 15 अगस्त] 1984 को प्रथम देशव्यापी संपर्क (नेशनवर्क0सी0आर0) कार्यशैली प्रारंभ हुआ।

तालिका 5.12(क): अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की सूची तथा सबके विशिष्ट उद्देश्य विवरण तालिका में दिए गए हैं:

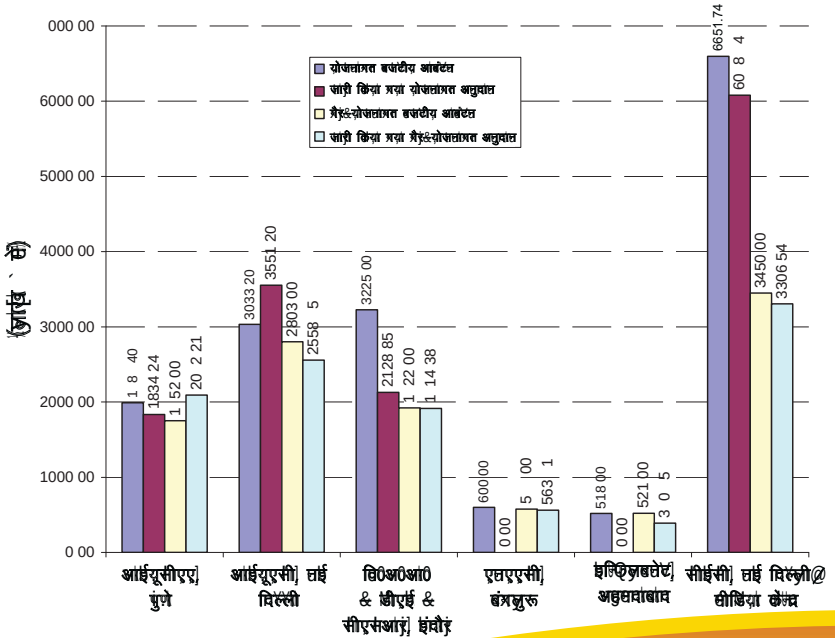
क्र. सं.	नाम	स्थापना का वर्ष	उद्देश्य
1	अंतर्विश्वविद्यालय ऐक्सीलरेटर केन्द्र] (आईयूएसी)	1984	ऐक्सीलरेटर संरचना शोध
2	अंतर्विश्वविद्यालय त्वरीत्र विज्ञान तथा त्वरीत्र भौतिकी केन्द्र] पुणे&411007	1988	त्वरीत्र विज्ञान में शोध के लिए अत्याधुनिक यंत्रीकरण
3	वि0श्व0वि0&डीएई] वैज्ञानिक अनुसंधान कंसोर्टियम] इंदौर&452001	1989	आणविक ऊर्जा विभाग की सुविधाओं का सदुपयोग
4	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद] बंगलूरू&560010	1994	सर्वत्र शिक्षा के सरकारी तथा निजी संस्थानों का मूल्यांकन तथा प्रत्यायन करना
5	सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र (इन्फिलिबनेट) गांधीनगर	1991	इलेक्ट्रॉनिक सीडिया के माध्यम से विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों की नेटवर्किंग
6	शैक्षिक संचार कंसोर्टियम] अरूण आसफ अली मार्ग] नई दिल्ली&110067	1993	टेक्नोलिजस के माध्यम से देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम प्रसारित करना। वर्तमान में] देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 21 शैक्षणिक सीडिया शोध केन्द्र स्थापित हैं।
7	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र&अध्यापक शिक्षा] कोलकाता	2013	सामान्य रूप से शिक्षा में तथा विशेष रूप से अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में नए ज्ञान का सृजन करें अध्यापक शिक्षा के ज्ञान आधार की सुदृढ़ करना।
8	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र&अध्यापक शिक्षा] वाराणसी	2014	ज्ञान का सृजन करें अध्यापक शिक्षा के ज्ञान आधार की सुदृढ़ करना।

तालिका 5.12(ख) वर्ष 2015&16 के दौरान योजनागत तथा गैर&योजनागत मदों अनुदानों के तहत बजटीय आवंटन तथा अनुदानों की जारी करने का ब्यौरा नीचे दिया गया है:&

(लाख ` में)

		योजनागत		गैर&योजनागत	
क्र. सं.	केन्द्र का नाम	बजटीय आवंटन	जारी किया गया अनुदान	बजटीय आवंटन	जारी किया गया अनुदान
1.	आईयूएसी] पुणे	1989.40	1834.24	1752.00	2092.21
2	आईयूएसी] नई दिल्ली	3033.20	3551.20	2803.00	2558.75
3.	वि0श्व0वि0&डीएई&सीएसआर] इंदौर	3225.00	2128.85	1922.00	1914.38
4.	एसएसी] बंगलूरू	600.00	0.00	577.00	563.71
5.	इन्फिलिबनेट] गांधीनगर	518.00	0.00	521.00	390.75
6.	सीईसी@सीडिया केन्द्र			3450.00	3306.54
	सीईसी	573.00	6078.74		
	पीएसी&सीईसी@सीडिया केन्द्र	6078.74			
	कुल	16017.34	13593.03	11025.00	10826.34

चित्रांक 5.12(ख): वर्ष 2015&16 के दौरान अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र हेतु योजनागत तथा गैर&योजनागत मदों अनुदानों के तहत बजटीय आवंटन तथा जारी किया गया अनुदान (लाख ` में)



विभिन्न अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की मुख्य विशेषताएं

5.12(i) अंतर्विश्वविद्यालय एक्सलरेटर केन्द्र–नई दिल्ली

केन्द्र के मुख्य क्रियाकलापों में एक्सलरेटर भौतिकी, नाभिकीय, नाभिकीय विज्ञान, आणविक भौतिकी, विकिरण जीवविज्ञान तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध और विकास कार्यक्रम शामिल है।

वर्ष 2004&05 के दौरान केन्द्र के क्रियाकलापों बहु&आयामी विस्तार हुआ, परिणाम में सम्पोषकर्ताओं में 69 विश्वविद्यालय, 41 महाविद्यालय तथा 44 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से संकाय तथा छात्र हैं। पेशेवर एक्सलरेटर प्रयोग के दौरान 96 प्रतिशत समय ठीक रहा तथा इसके 53.10 प्रतिशत समय का सम्पोषण किया गया।

मुख्य समूह में देशभर में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पी0एच0डी0 के छात्र हैं। परिणाम में आईयूएसी, नई दिल्ली की सुविधाओं की 83 विश्वविद्यालयों, 54 महाविद्यालयों तथा 63 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा सम्पोषण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र द्वारा 100 पीएचडी प्रदान की गई तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्रों में अनेक सहित प्रकाशित किये गये।

बजट

योजनागत आवंटन	` 3033.20 लाख `	जारी किया गया योजनागत अनुदान	` 3551.20 लाख `
गैर&योजनागत	` 2803.00 लाख `	गैर&योजनागत	` 2558.75 लाख `

5.12(ii) इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजीक्स (आईयूसीएए), पुणेः

इसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1988 में प्रकृति की एक स्वायत्त विकास के रूप में की गई थी ताकि विश्वविद्यालय क्षेत्र में एस्ट्रोन तथा एस्ट्रोफिजीक्स में शिक्षण, शोध तथा विकास क्रियाकलापों की पोषित तथा सतत विकास करने में सहायता की जा सके।

केन्द्र के मुख्य उद्देश्य तथा मुख्य हैं (1) आधारभूत शोध (2) सहायता, शोध छात्रवृत्ति तथा विद्यालय (3) आगन्तुक तथा संबंधित कार्यक्रम (4) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा पीएचडी कार्यक्रम (5) विश्वविद्यालय में ए एण्ड ए हेतु केन्द्र के रूप में सहायता करना (6) पीएचडी के साथ वार्ता (7) आगन्तुक प्रोफेसर कार्यक्रम (8) विज्ञान की लोकप्रिय समझ।

वर्ष 2010&11 के दौरान विदेशियों सहित देशभर के विभिन्न विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों से लगभग 700 शिक्षकों तथा छात्रों ने आईयूसीएए, पुणे की सुविधाओं का सम्पोषण किया। इसके अलावा, 50 भारतीय विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों के 76 सम्बन्धित एमोसिएट्स की एसोसिएटशिप कार्यक्रम के तहत केन्द्र का दौरा किये हुये हैं।

बजट

योजनागत आवंटन	` 1984.40 लाख #पये	जारी किया गया योजनागत अनुदान	` 1834.24 लाख #पये
गैर&योजनागत	` 1752.00 लाख #पये	गैर&योजनागत	` 2092.21 लाख #पये

5.13.(iii) वि0अ0आ0–डी0ए0ई0 कन्सोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इंदौर

आईयूसी&डीएई का मुख्य उद्देश्य (i) विश्वविद्यालय तथा क्षेत्र अनुसंधान के संस्थानों में छात्रों तथा शिक्षकों की मांग संबंध सहायता मुहैया कराना ताकि नाभिकीय और कण विज्ञान की मुख्य शोध सुविधाओं का सम्पोषण किया जा सके। (ii) विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं तथा डीएई वैज्ञानिकों के बीच 'सेमीनियर्स रिसर्च' कार्यक्रम आरंभ करना (iii) नाभिकीय विज्ञान, नाभिकीय भौतिकी, संगणित नाभिकीय भौतिकी तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में मूलभूत शोध हेतु सुविधाएं सम्पन्न करना।

देश के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक तथा पीएचडी छात्र, पुनश्चर्या तथा पोस्टडाक्टोरल (3 वर्ष) सहयोगात्मक शोध योजना के लिए डीएई सुविधाओं तथा संस्थान के भीतर मौजूद सुविधाओं का सम्पोषण कर रहे हैं। वर्तमान में, देश भर के 300 विश्वविद्यालय@संस्थान, डीएई सुविधाओं का सम्पोषण कर रहे हैं।

बजट

योजनागत आवंटन	` 3225.00 लाख	जारी किया गया योजनागत अनुदान	` 2128.85 लाख
गैर&योजनागत	` 1922.00 लाख	गैर&योजनागत	` 1914.38 लाख #पंरे

5.12(iv) इंफार्मेशन एण्ड लाइब्रेरी नेटवर्क (इंफ्लिबनेट) सेन्टर, गांधी नगरः–

केन्द्र की स्थापना देश में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में विशिष्ट संसाधनों को सर्वसुलभ कराने के लिये की गई थी। इनका प्रमुख उद्देश्य सुविधाएं स्थापित करना और उन्हें बढ़ाना तथा एक संस्थान से दूसरे संस्थान के बीच सूचना के आदान-प्रदान में सुधार करना था। केन्द्र की स्थापित करने के पीछे मूलभूत विचार यह था कि यह केन्द्र देश के किसी एक विशेष संस्थान में उपलब्ध पुस्तकों तथा पत्रिकाओं तक दूसरे उपयोगकर्ता की आसानित रूप से पहुंच उपलब्ध कराएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विषय&विशेष पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के मूल्य में वृद्धि हो रही है। प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने तथा पुस्तकों की खरीद करना संभव नहीं था। विशेषतः इसने उपयोगकर्ता की इस चिन्ता के प्रति संकेत किया है कि उन्हें शैक्षिक क्रियाकलाप करने के लिए ऐसी सुविधाओं का उपयोग करना चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र द्वारा अपने सभी उद्देश्यों की प्राप्त करना बाकी है जिन्हें सभी स्थापित करते हुए विचारित किया गया था।

बजट

योजनागत आवंटन	` 518.00 लाख	जारी किया गया योजनागत अनुदानः	शून्य
गैर&योजनागत	` 521.00 लाख	गैर&योजनागत	` 390.75 लाख

संपर्कित के साथ&साथ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषतः योजनाओं के लिए भी इंफ्लिबनेट, संसाधनों की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में डिजीटल भण्डारगृह (डिजीटल रिपोजिटरी)

वर्ष 2003 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग&इग्नोयू कार्यदल के तहत विश्वविद्यालयों की इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के तुरंत पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग&इग्नोयू डिजीटल लाइब्रेरी कॉमन्स का भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम से विमोचन, 2003 में औपचारिक रूप से सम्पादित किया गया। कॉमन्स सब विश्वविद्यालयों के संसाधनों के बीच एक अंतर प्रचालक काम किये हुआ जो 'मीटरिंग इंटरफेस' के कारण स्थानीय पत्रिकाओं के मेटाडेटा को बना कर रहे थे जिनका सूत्र कारण स्थानीय पत्रिकाओं की मेटाडेटा प्रारूप में उपलब्धता तथा प्रसारण हो रही वृद्धि थी। यह संकेत सुविधाओं की सुलभता में पत्रिकाओं की प्रारूप कहीं तेजी से हो रही वृद्धि तथा पत्रिकाओं की संख्या में वृद्धि तथा संसाधनों के पास उपलब्ध विधियों की कमी के कारण पाया गया।

ई&संसाधनों के मेटाडेटा को प्राप्त करने की संभावना वाले महाविद्यालय (सीपीई) तथा स्थानीय महाविद्यालय से आगे की महाविद्यालयों की प्रगति किया जा सकता है। कॉमन्स की 'एसोसियेट सेक्शिप प्रोग्राम' को आगे करने की भी योजना है, जिसमें निजी विश्वविद्यालय तथा अन्य शोध संस्थानों को प्रायोजित ई&संसाधनों हेतु कॉमन्स में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया जायेगा।

बजट

योजनागत आवंटन	` 7500.00 लाख	जारी किया गया योजनागत अनुदान	` 7500.00 लाख

इंडकैट

यह केन्द्र भारत में छपे विश्वविद्यालय में उपलब्ध पुस्तकों, शोध प्रबंध तथा पत्रिकाओं की एकीकृत सूची उपलब्ध कराता है।

एसओयूएल सॉफ्टवेयर

यह केन्द्र अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत संसाधन प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित करता है।

एन-लिस्ट

यह केन्द्र चार महाविद्यालयों के इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं तथा इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों तक पहुंच उपलब्ध कराता है।

शोधगंगा

यह सुविधा एक सुदृढ़ मंच के विकास के माध्यम से शोध विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किये गये वाइवा-वॉसी शोध प्रबंध तथा शोध विषय की ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण हेतु सुविधा सक्षम बनाती है।

5.12(v) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी):

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् बंगलूरू की स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के प्रत्यायन तथा मूल्यांकन हेतु अंतर&विश्वविद्यालय केन्द्र के रूप में की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एनएएसी द्वारा प्रत्यायन तथा मूल्यांकन की अधिकार्य बनाया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, अब तक, एनएएसी ने 853 सक्षम शिक्षा संस्थानों (806 महाविद्यालयों तथा 47 विश्वविद्यालयों) का मूल्यांकन तथा प्रत्यायन किया है। इस प्रकार, एनएएसी द्वारा कुल 5947 सक्षम शिक्षा संस्थानों को प्रत्यायित किया गया है।

विजन

स्वतः तथा सतत गुणवत्ता मूल्यांकन, मंजूरीकरण&विनियमन तथा पोषण संबंधी पहल के संयोजन के माध्यम से गुणवत्ता को देश में सक्षम शिक्षा को सुनिश्चित करना।

मिशन

(i) सक्षम शिक्षा संस्थानों अथवा तत्संबंधी इकाईयों अथवा विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रमों अथवा परियोजनाओं के आवधिक मूल्यांकन अथवा प्रत्यायन की व्यवस्था करना।

(ii) सक्षम शिक्षा संस्थानों में शिक्षण, ज्ञान अर्जन तथा शोध की गुणवत्ता के संवर्धन हेतु शैक्षिक परिवेश को बढ़ावा देना।

(iii) सक्षम शिक्षा के क्षेत्र में स्व&मूल्यांकन, जवाबदेही, स्वायत्तता तथा नवोन्मेष को बढ़ावा देना।

(iv) गुणवत्ता संबंधी शोध अध्ययनों, परामर्श तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाना; और

(v) सक्षम शिक्षा के अन्य हितधारकों के साथ गुणवत्ता मूल्यांकन संवर्धन तथा पोषण हेतु सहयोग करना।

बजट

योजनागत आवंटन	` 600.00 करोड़	जारी किया गया योजनागत अनुदान:	शून्य
संशोधित योजनागत	` 577.00 करोड़	संशोधित योजनागत	` 563.71 करोड़

5.12(vi) सीईसी/मीडिया केन्द्र

संपूर्ण देश में 'कम्प्रीहेंसिव इवॉल्यूशन स्कीम' (सीसीएसी) हेतु देश के भीतर ही सतत आधार पर गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम तैयार करने के लिये, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के सक्षम विश्वविद्यालयों में सीडिया केन्द्र स्थापित किये हैं। आज में 6 सीडिया केन्द्रों ने भारतीय टेलीविजन सेटवर्क पर अपने ज्ञान को बांटने के लिये विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षाविदों तथा प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया जाता था। अब इन सीडिया केन्द्रों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। कार्यक्रम को तैयार करने की सुविधा देश के विभिन्न भागों में अवस्थित शैक्षिक सीडिया शोध केन्द्रों (ईएसआरसी) के रूप में सौजूद है।

'कम्प्रीहेंसिव इवॉल्यूशन स्कीम' (सीसीएसी) के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों को आगे करने तथा सक्षम शिक्षा में इलेक्ट्रॉनिक सीडिया को संयोजन करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (xxx) के तहत 26 मई, 1993 को कन्सोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्यूनिकेशन (सीईसी) की स्थापना की। अंतर&विश्वविद्यालय केन्द्र के रूप में सीईसी को सतत्‌रोजगारपरक कार्यक्रम तैयार करना, शोध, प्रसारण की विश्वसनीय, गुणवत्ता नियंत्रण तथा सीडिया केन्द्रों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा मुख्यालय के साथ अन्य संबंधित संस्थानों में समन्वय करना है साथ ही साथ शैक्षणिक कार्यक्रम के प्रसारण का समग्र प्रबंधन करना है।

सीखिया कॉलेजों की सूची निम्नवत है:

1 एजूकेशनल एप्लीकेशन्स रिसर्च सेन्टर
गुजरात विश्वविद्यालय
गुरू नानक मार्ग, नवरंगपुरा
अहमदाबाद&380009

2: एजूकेशनल एप्लीकेशन्स रिसर्च सेन्टर
ब्लॉक नंबर डी/ब्लॉक
50, सर्कस एवेन्यू
कोलकाता&700017

3: एजूकेशनल एप्लीकेशन्स रिसर्च सेन्टर
म हरियाणा एग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी

4: एजूकेशनल एप्लीकेशन्स रिसर्च सेन्टर
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय
अभियांत्रिकी संकाय परिसर
जोधपुर&342001

5: एजूकेशनल एप्लीकेशन्स रिसर्च सेन्टर
महात्मा गांधीजी विश्वविद्यालय]
पालरीवाड़ी नगर]
कोच्चि&625021

6: एजूकेशनल एप्लीकेशन्स रिसर्च सेन्टर
पुणे विश्वविद्यालय
गणेशखिंड
पुणे&411007

7: एजूकेशनल एप्लीकेशन्स रिसर्च सेन्टर
द्वितीय तल] सीबीआईटी विश्वविद्यालय परिसर भवन]
सीबीआईटी विश्वविद्यालय]
हैदराबाद&500007

8: एजूकेशनल एप्लीकेशन्स रिसर्च सेन्टर
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय]
एबी0 रोड] मांगे कुंज]
इंदौर&452001

9: एजूकेशनल एप्लीकेशन्स रिसर्च सेन्टर
अभियांत्रिकी महाविद्यालय]
अन्ना विश्वविद्यालय
चेन्नई&600025

10: एजूकेशनल एप्लीकेशन्स रिसर्च सेन्टर
मैसूर विश्वविद्यालय
मैसूर&570006

11: एजूकेशनल एप्लीकेशन्स रिसर्च सेन्टर
सरिपुर विश्वविद्यालय] सोनीपुर
डिगरू&7950003

12: एजूकेशनल एप्लीकेशन्स रिसर्च सेन्टर
पंजाब विश्वविद्यालय]
पटियाला&147002

13: एजूकेशनल एप्लीकेशन्स रिसर्च सेन्टर
आईआईटी रूड़की]
रूड़की&247667 (उ0 प्र0)

14: एजूकेशनल एप्लीकेशन्स रिसर्च सेन्टर
कश्मीर विश्वविद्यालय
श्रीनगर&190006 (जम्मू और कश्मीर)

15: एजूकेशनल एप्लीकेशन्स रिसर्च सेन्टर
जवाहरलाल विश्व
कालीकट विश्वविद्यालय
कालीकट&675635

16: एजूकेशनल एप्लीकेशन्स रिसर्च सेन्टर
डॉ0 हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय]
सागर&470003 (मध्य प्रदेश)

17: जालिया सिलिया इंस्टालिया
नई दिल्ली

18: सिक्कूरड़ विश्वविद्यालय
सिक्कूरड़] असम&786004

19: सरल विश्वविद्यालय
कोलरा] बिहार&824234

20: डालगांवेड मीनाक्ष अंडेकर विश्वविद्यालय
विद्या विहार] रायबरेली रोड
लखनऊ&226005 (उत्तर प्रदेश)

21: पुणुवेरी विश्वविद्यालय
पुणुवेरी

बजट

योजनागत आवंटन	` 6078.74लाख `	जारी किया गया योजनागत अनुदान	` 6078.74लाख `
गैर&योजनागत	` 3450.00 लाख `	गैर&योजनागत	` 3306.54 लाख `

5.13 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रः-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 4 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र स्थापित किये हैं, जो निम्नवत हैं

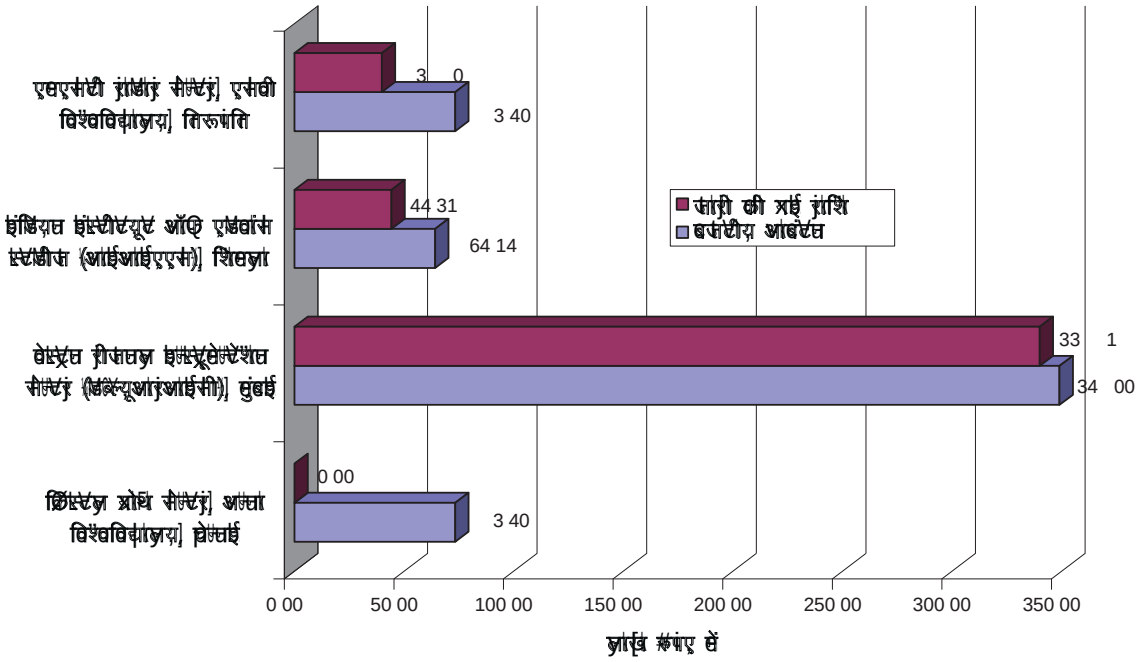
1: क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई
2: सेन्टर फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेन्टर (सीडब्ल्यूआरआईसी), मुंबई
3: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज (आईआईएएस), शिमला
4: एसएनबी राष्ट्रीय सेन्टर, एमबी विश्वविद्यालय, तिरूपति

तालिका 5.13: बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2015&16) के दौरान राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों का बजट, बजटीय आवंटन तथा जारी की गई राशि

(आंकड़े ` में)

राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र	योजनागत बजट आवंटन	जारी की गई योजनागत राशि
क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	73.40	0.00
सेन्टर फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेन्टर (सीडब्ल्यूआरआईसी), मुंबई	349.00	339.91
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज (आईआईएएस), शिमला	64.14	4.31
एसएनबी राष्ट्रीय सेन्टर, एमबी विश्वविद्यालय, तिरूपति	73.40	39.90

चित्र 5.13: वर्ष 2015&16 के दौरान बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र हेतु बजटीय आवंटन तथा जारी की गई राशि



राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों की विशेषताएं

5.13 (i) क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई

क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई की स्थापना वर्ष 1982 में निम्नलिखित उद्देश्यों से की गई थी:&

1: प्रौद्योगिकीय एवं औद्योगिक महत्व के क्रिस्टल के विकास एवं लक्षणवर्णन हेतु सुविधाओं की विकसित करना;

2. उत्पादन सहयोगों तथा शोध प्रयोगशालाओं के बीच की खाई को पाटना।

3. शोध हेतु विशेष डिवाइस की आवश्यकताओं के संबंध में देश के विभिन्न संस्थानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

बजट

योजनागत आवंटन ` 73.40 करोड़ ` जारी किया गया योजनागत अनुदान ` 39.90 करोड़ `

5.13 (ii) वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यू.आर.आई.सी.), मुम्बई

इस केंद्र की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मुम्बई विश्वविद्यालय के अधीन सन् 1977 में यूनिवर्सिटी साईंस इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर (यू.एस.आई.सी.) के कार्यकारियों और सक्रिय अध्ययन कार्यक्रमों जैसी विश्वविद्यालयों राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और सहयोग इत्यादि के अध्यापकों, शोधकर्ताओं की आवश्यकताओं के प्रयोग और उपयोग का प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। केंद्र की योजना एवं योजना के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत-प्रतिशत रूप से वित्तपोषित किया जा रहा है।

बजट

योजनागत आवंटन ` 349.00करोड़ ` जारी किया गया योजनागत अनुदान ` 339.91 करोड़ `

5.13 (iii) : भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), शिमला

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21वां) के तहत पंजीकृत भारतीय सक्रिय अध्ययन संस्थान सोसायटी** द्वारा स्थापित किया गया संस्थान है। संस्थान का उद्देश्य मूल सामाजिक समस्या की व्यापक करने वाले विषयों में मूलभूत विचारों को बढ़ावा देना है तथा यह सामाजिक और मानविकी विज्ञान में शैक्षणिक शोध हेतु सहायक वातावरण उपलब्ध कराता है।

विस्तारित अवधि के लिये शिक्षकों तथा अन्य विद्वानों हेतु सक्रिय अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता सहित सुविधाएं मुहैया कराना संस्थान का महत्वपूर्ण कार्य है। अन्य उद्देश्य सेमिनारों, व्याख्यान, परिसंवाद तथा सम्मेलन आयोजित करना है।

सामाजिक तथा मानविकी विज्ञान हेतु अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र भारतीय सक्रिय अध्ययन संस्थान, शिमला में वर्ष 1991 में कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारतीय सक्रिय अध्ययन संस्थान आपस में सहमत हैं कि दोनों के बीच सहयोग, सामाजिक तथा मानविकी विज्ञान हेतु शैक्षणिक अन्योन्यक्रियाओं को बढ़ावा देने तथा विकास हेतु अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगा।

बजट

योजनागत आवंटन ` 64.14करोड़ ` जारी किया गया योजनागत अनुदान ` 04.31 करोड़ `

5.13 (iv) एमएसटी राडार केन्द्र, तिरूपति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एमएसटी राडार एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना सब्र वायुमंडलीय प्रतिकी में उन्नत शोध हेतु राडार सुविधा की क्षमता के बारे में वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करने के लिये की गई थी ताकि सेवारी युवा शोधकर्ता तथा शोध विद्वान एमएसटी राडार सुविधा का प्रयोग कर सकें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-एमसीयू राडार अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना, गणितीकी विभाग, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति में की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-एमसीयू केंद्र भारत में विश्वविद्यालय प्रणाली हेतु केंद्र में वैज्ञानिक क्षेत्र के आकाश-पाताल हेतु एक मात्रात्मक प्रोफाईल के रूप में कार्य करता है। यह विशेष रूप से एमएसटी राडार संबंधित अध्ययनों के संबंध में भारतीय विश्वविद्यालयों में वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिकों तथा शोधकर्ताओं के लिये खुला है।

बजट

योजनागत आवंटन ` 73.40करोड़ ` जारी किया गया योजनागत अनुदान ` 39.90 करोड़ `

5.14 विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली– आरंभ किया जाना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पाठ्यचर्या में लचीलेपन तथा मूल्यांकन, शिक्षण&अधिगम अवधि प्रक्रिया तथा परीक्षा और मूल्यांकन प्रणालियों के माध्यम से छात्रकेन्द्रित शिक्षा में शैक्षणिक सामग्री और गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए आयोग की कई अनेक पहलों में से एक पहल सीबीसीएस भी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पहल से देशभर तथा विदेशों के सर्वोत्तम शिक्षा संस्थानों में छात्रों को विविध विकल्प सुनिश्चित होता। सीबीसीएस से छात्रों की अपनी पसंद के पाठ्यक्रम में, अपनी गति से ज्ञान अर्जन करने, अतिरिक्त पाठ्यक्रम की अपनाने तथा ज्ञानअर्जन हेतु अंतर्विषयक पद्धति का विकास करने में मदद हो पाएगा।

सीबीसीएस में अनिवार्य रूप से विद्यमान हेतु सम्बद्ध होता:

(क) पाठ्यचर्या की सेमेस्टरों में बांटना तथा विविध पाठ्यक्रमों से चयन करने के लिए छात्रों को विकल्प देना (मुख्य) वैकल्पिक अथवा सभी अथवा लगभग सभी पाठ्यक्रम

- मुख्य पाठ्यक्रम की छात्र द्वारा चुने अध्ययन के विषय में अनिवार्य रूप से पढ़ा जाना चाहिए।
- वैकल्पिक पाठ्यक्रम संबंधित अन्य विषयों/क्षेत्रों से अवगत कराने के लिए एक विकल्प प्रस्तुत करना है तथा छात्र की प्रवीणता को पोषित करना है; और
- आधारभूत पाठ्यक्रम सभी विषयों के लिए अनिवार्य हो सकता है अथवा मूल्य आधारित शिक्षा के लिए चयनात्मक हो सकता है।

(ख) क्रॉडिट के रूप में पाठ्यचर्या की चर्चा रूप देना

- सीबीसीएस] सेमेस्टर प्रणाली के भीतर सेमेस्टर प्रणाली के माध्यम से क्रॉडिट कार्यक्रम की अंगीकार किया जाना सुनिश्चित करेगा।
- एक वित्त वर्ष सेमेस्टर में प्रथम चरण, द्वितीय चरण तथा ग्रीष्म पत्र अर्थात् तीन पत्रों का पैटर्न होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सीबीसीएस के तहत लगभग 108 विषयों के लिए क्रॉडिट पाठ्यचर्या तैयार की है तथा इनके व्यापक प्रसार के लिए इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर डाला है।
- इनमें से प्रत्येक छात्रों के लिए संबंधित शिक्षण पैटर्न के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषयवस्तु तथा क्रेडिट को तैयार करना।
- विश्वविद्यालयों को क्रॉडिट पाठ्यचर्या के 30 प्रतिशत की सीमा तक मुख्य पत्र की पाठ्यचर्या को तैयार करने की अनुमति दी गई है। विश्वविद्यालयों को वैकल्पिक तथा Qिकअशेन पाठ्यक्रमों को डिजाईन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है।

(ग) परीक्षाओं का सम्पादन (आंतरिक&बाह्य मूल्यांकन)

(घ) अंकों से ग्रेडिंग प्रणाली की बदलना ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाना।

शोध को प्रोत्साहन

- शिक्षकों के लिए शोध परियोजनाएं : वृहद एवं लघु
- शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक
- पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ
- एमेरिटस अध्येतावृत्तियाँ
- शोध अध्येतावृत्तियाँ (एम0फिल0/पी0एच0डी हेतु कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति तथा शोध एसोशिएटशिप)
- स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां
- स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियां
- खेल पदक विजेताओं के लिए निशुल्क शिक्षा योजना
- विभिन्न शैक्षिक तथा शोध क्रियाकलापों हेतु शिक्षकों, विषय/विधा आधारित संघों को प्रोत्साहन देना
- विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक शोध
- फ़ैकल्टी रीचार्ज प्रोग्राम
- नेटवर्किंग शोध केन्द्र
- भर्ती हुए नए संकाय सदस्यों हेतु 'स्टार्ट-अप' अनुदान
- बीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों को "एकमुश्त अनुदान"
- महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभागों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विकास अनुदान

6.1 शिक्षकों के लिए शोध परियोजनाएं : वृहद एवं लघु

मौजूं के दशक के शुरुआती में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में कार्यरत स्थायी] नियमित] कार्यरत@सेवानिवृत्त शिक्षकों की सबसे चुने हुए क्षेत्र(त्रों) में शोध कार्य आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराना शुरू किया था।

6.1(i) शिक्षकों के लिए वृहद शोध परियोजनाएं

शोध जिज्ञासु मन की जीवंत और खोज की अदम्य इच्छा होती है। सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे शिक्षकों की तीव्र आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना होगा है&शिक्षण] शोध और विस्तार। इन प्रकार] प्रयोगशालाओं] पुस्तकालयों और अन्य आवश्यक सुविधाओं से जैसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शोधकर्ताओं के लिए प्रमुख प्रशिक्षण स्थल हैं। मुख्य शोध परियोजना कार्यरत लोगों सबकी नियमित नौकरी अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् विशिष्ट विषय क्षेत्रों में गहन और मूलभूत से शोध अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। शोध परियोजना पर किसी एक शिक्षक अथवा शिक्षकों के समूह अथवा किसी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया जा सकता है। इसे 70 वर्ष तक की आयु वाले किसी सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा भी किया जा सकता है। अंतर्विषय शोध और अंतर्संस्थागत सहयोगात्मक शोध को प्राथमिकता दी जाती है।

ऑनलाइन प्रस्ताव प्राप्त होने पर] एक विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा सबकी जांच और मूल्यांकन किया जाता है तथा संबंधित शिक्षक के साथ आगे पत्र के आदान-प्रदान के प्रस्तावों के गुणावगुण और व्यवहार्यता की बात आयोग जाता है। इनमें ऐसी क्षेत्रों पर बल दिया जाता है जो स्वास्थ्य] जल विज्ञान] पर्यावरण] जैव प्रौद्योगिकी] सतत प्रबंधन] विश्व व्यापार संगठन और अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभाव]

विज्ञान की इतिहास] दर्शनशास्त्र] दर्शन और इतिहास जैसे विषयों में आते हैं] जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों] शिक्षा और वैश्विक तथा ऐसे बहुत से क्षेत्र जो विषय विशेषज्ञों द्वारा हल किए जाएंगे] शामिल हैं।

सामाजिक और मानविकी विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख शोध परियोजनाओं के लिए सहायता 15.00 लाख रुपए तक सीमित है तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी] आयुर्विज्ञान] कृषि और पशुपालन सहित विज्ञान में प्रमुख शोध परियोजनाओं के लिए सहायता 20.00 लाख रुपए है।

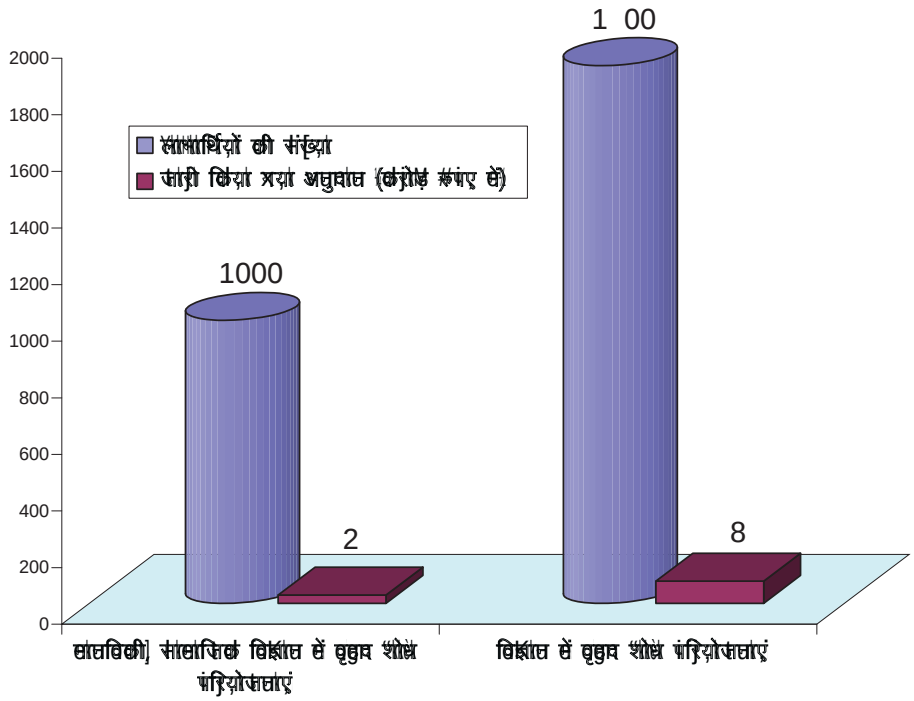
किसी बड़ी शोध परियोजना हेतु सम्मिलित की गई सहायता में सलाहकार] इंजीनियरों और तकनीशियनों] उपकरणों] आकस्मिक व्यय] यात्रा और डाटा कार्य] तकनीकी सेवाएं किराए पर लेना] शोधार्थियों की अभ्यर्थवृत्ति और परियोजना के लिए आवश्यक अन्य सभी शामिल हैं।

किसी वृहद शोध परियोजना की अवधि तीन वर्ष है। योजना के विस्तृत दिशा&निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर देखे जा सकते हैं।

वर्ष 2015&16 के दौरान वृहद शोध परियोजनाओं हेतु जारी अनुदान तथा लाभार्थियों का ब्यौरा

क्र0 सं0	योजना का नाम	लाभार्थियों की कुल संख्या (शिक्षक@परियोजनाएं)	जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)
1.	सामाजिक] मानविकी विज्ञान में वृहद शोध परियोजनाएं	1000	29.00
2.	विज्ञान में वृहद शोध परियोजनाएं	1900	78.00
	कुल	2900	107.00

चित्रांक 6.1 : वर्ष 2015&16 के दौरान वृहद शोध परियोजनाओं (एसआरपी) हेतु लाभार्थियों (शिक्षक@परियोजनाओं) की संख्या जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)



6.2 शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक

6.2 (i) शोध अवार्ड

शोध अवार्ड की योजना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों@संस्थानों में कार्यरत वरिष्ठ सर्वाधिक सम्मानित शोध स्थायी शिक्षकों की सबकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में किया गया शोध सर्वश्रेष्ठ प्राप्त किये गो वर्ष की अवधि तक शोध कार्य हेतु अवसर प्रदान करना है जिसे

अनुसार स्वरूप किन्हीं सात्रों में विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

ऐसे व्याख्यानों] वरिष्ठ व्याख्यानों] प्रवाचक स्तर के व्याख्यानों तथा आचार्य जिनकी आवेदन प्रस्तुत करते समय आयु 45 से कम हो] केवल चुने हुए अवार्ड प्रदान किया जाता है। सेवित शिक्षक] अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति अथवा विकलांग वर्ग (अनिवार्य वर्ग) शारीरिक रूप से विशेषज्ञ शिक्षकों के संबंध में आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। कोई भी शिक्षक केवल एक बार इस योजना का लाभ ले सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर विज्ञान] सामाजिक एवं मानव विज्ञान तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी में प्रत्येक दूसरे वर्ष 100 इनाम के लिए प्रदान किया जाता है।

सम्मान वित्तीय सहायता का स्वरूप निम्नवत है :

- अधिकारी सेवा नियम@सामान्य सेवा नियम के अनुसार अवार्डधारी को संबद्ध मदों के साथ पूर्ण वेतन प्रदान किया जाएगा।
- मानक अवधि के दौरान यात्राओं एवं गतिविधियों] उपकरणों एवं सामग्रियों पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु शोध अनुदान की व्यवस्था निम्नवत है:

  सामाजिक एवं मानव विज्ञान & 2.00 लाख रुपए
  विज्ञान@अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी & 3.00 लाख रुपए

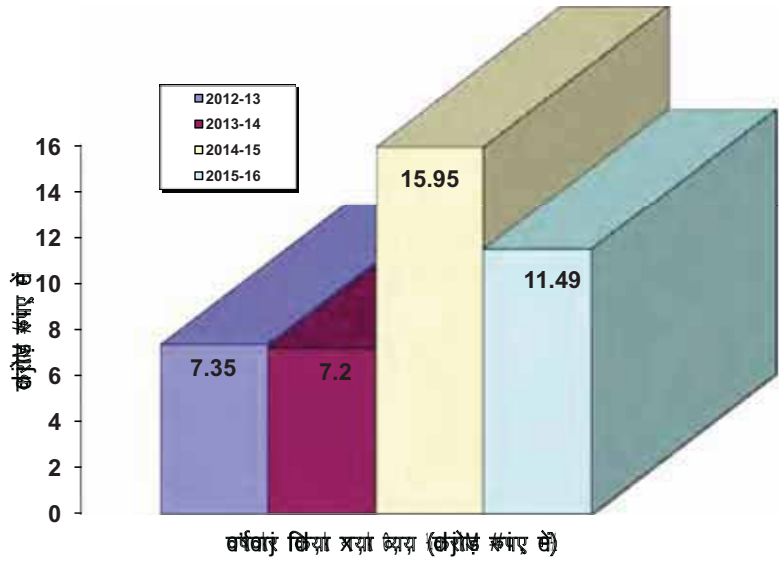
प्रत्येक दूसरे वर्ष ऑनलाइन पद्धति में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस योजना के तहत प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की छानबीन समिति द्वारा जांच की जाती है। तत्पश्चात] अनुमोदित अवार्डों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति प्रवाह समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। अवार्ड हेतु चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा। योजना के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/0747283_research-award.pdf पर उपलब्ध है।

पिछले वर्ष 2015&16 के दौरान 15.49 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

तालिका 6.2 i : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शोध अवार्डों पर हुआ व्यय

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
2012&13	95	7.35
2013&14	71	7.2
2014&15	160	15.95
2015&16	143	11.49

चित्र 6.2 i : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शोध अवार्डों पर हुआ वर्षवार व्यय (प्रत्येक दूसरे वर्ष 100 इनाम)



6.2 (ii) शोध वैज्ञानिक

शोध वैज्ञानिक योजना की शुरू रूप से वर्ष 1983 में आरंभ किया गया था तथा तकनिकि विशिष्ट योग्यता वाले तथा विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों की विज्ञान] अभियांत्रिकी@प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा तथा संबद्ध विज्ञान में तीन स्तरों पर पर सक्रिय अनुसंधान शोध कार्य की सहायता दिया जा सके

1. शोध वैज्ञानिक 'ए' (प्रोफेसर)
2. शोध वैज्ञानिक 'बी' (एसोसिएट)
3. शोध वैज्ञानिक 'सी' (असिस्टेंट)

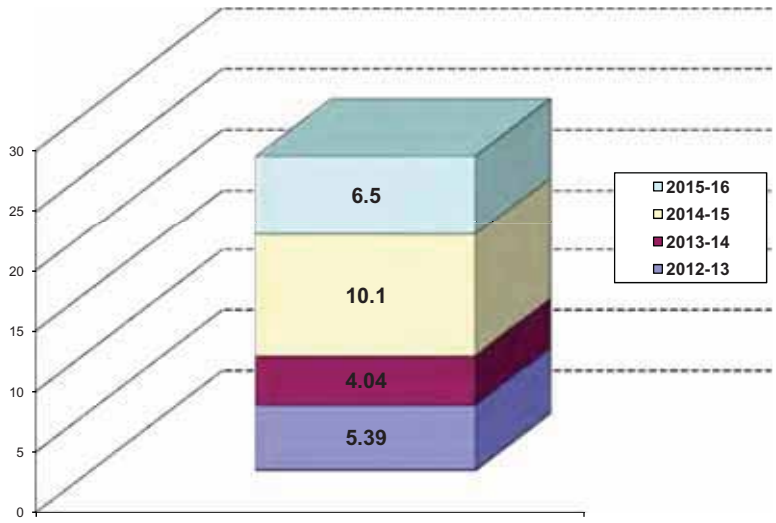
वर्तमान में] योजना के तहत विभिन्न संस्थानों में 67 शोध वैज्ञानिक कार्यरत हैं] जबकि इस योजना की शुरू किया गया है। आयोग ने अपनी 503वीं बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पेंशनभोगियों@सेवानिवृत्त पेंशन के लाभों की भांति ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शोध वैज्ञानिकों की पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन नीचे ही दिए गए] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मुहैया किये जाने हेतु विचार किया तथा निर्णय लिया।

रिपोर्टाधीन वर्ष 2015&16 के दौरान 6.42 करोड़ रुपये की व्यय हुआ।

तालिका 6.2 ii : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शोध वैज्ञानिकों पर हुआ व्यय

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
2012&13	42	5.39
2013&14	25	4.04
2014&15	49	10.1
2015&16	31	6.50

चित्र 6.2 ii : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शोध वैज्ञानिक (67)योजना हेतु वर्षवार जारी किया गया अनुदान



करोड़ रुपए में किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)

6.3 पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ

6.3(i): अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ

योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय (संस्थानों) सहित भारत तथा शोध पत्र प्रकाशित करने वाले अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सक्षम द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में सक्रिय शोध करने के लिए सुविधा प्रदान करना है ताकि वे अपने चुने हुए क्षेत्रों में सक्रिय शोध कर सकें। इस प्रयोजनार्थ] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष सक्षम के लिए 100 रुपए सम्मिलित करता रहा है।

विवरण 01.12.2014 से विदेशी सहायता की पात्रता निम्नवत है:

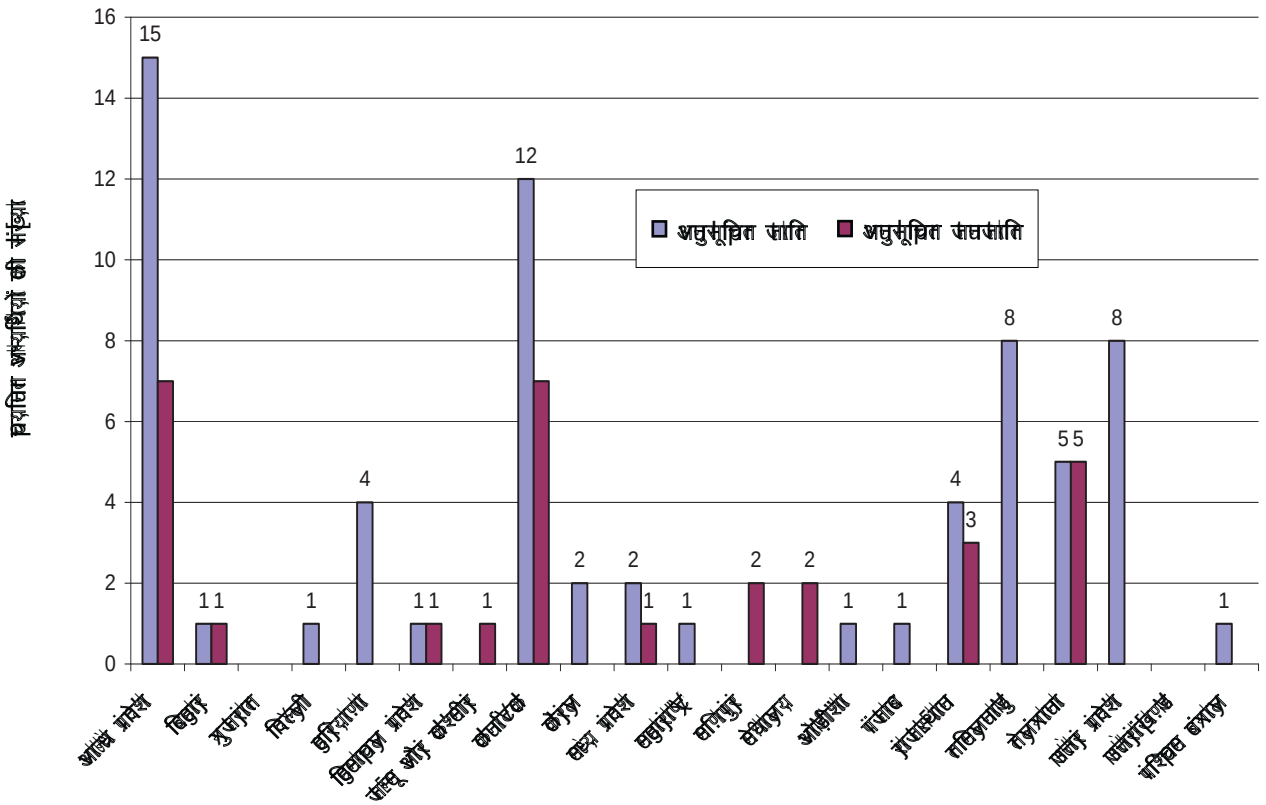
क्र0 सं0	मद	अध्येतावृत्ति की संशोधित दरें	
		अध्येतावृत्ति की दरें	अध्येतावृत्ति की अवधि
1.	अध्येतावृत्ति	प्रथम दो वर्षों के लिए 38,800@&. #. प्रतिमाह की दर से तथा तीसरे वर्ष के पश्चात् 46,500@&#. प्रतिमाह की दर से	5 वर्ष
2.	आकस्मिक राशि	पांच वर्षों के लिए 50,000. रू. प्रतिवर्ष की दर से	
3.	विशेषीय सहायता	&	
4.	सहायक@शैक्षिक सहायता	शारीरिक रूप से विशेषित एवं दृष्टिबाधित अभ्यार्थियों के लिए 2,000@&.रू. प्रतिमाह (विधारित) की दर से	
5.	संस्थान विशेषीय भत्ता	विश्वविद्यालय के नियमानुसार	

वर्ष 2015&16 तथा 2016&17 के लिए प्रवास वित्त वर्ष 2015&16 के मानदेय की दरें लिया गया है।

तालिका 6.3(i): वित्त वर्ष 2015&16 के दौरान अनुमूचित जाति@अनुमूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए पोस्ट&डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति प्रोत्साहन के तहत वर्ष 2015&16 तथा 2016&17 के लिए अध्येतावृत्ति अवार्ड करने हेतु अनुमूचित जाति@अनुमूचित जनजाति के प्रवासित अभ्यार्थियों की क्रन्य@लिंग@श्रेणी@वर्षवार संख्या की दर्शाने वाला विवरण

क्र0 सं0	क्रन्य@संघ क्रन्य क्षेत्र	वर्ष 2015&16 के लिए प्रवास							वर्ष 2016&17 के लिए प्रवास						
		अनुमूचित जाति			अनुमूचित जनजाति			कुल योग	अनुमूचित जाति			अनुमूचित जनजाति			कुल योग
		महिला	पुरुष	कुल	महिला	पुरुष	कुल		महिला	पुरुष	कुल	महिला	पुरुष	कुल	
1	आंध्र प्रदेश	3	12	15	2	5	7	22	2	8	10		1	1	11
2	बिहार		1	1	1		1	2		1	1				1
3	गुजरात								1	1	2				2
4	दिल्ली		1	1				1							
5	हरियाणा	2	2	4				4		2	2				2
6	हिमाचल प्रदेश		1	1	1		1	2		1	1				1
7	जम्मू और कश्मीर					1	1	1							
8	कर्नाटक	4	8	12		7	7	19	3	9	12		2	2	14
9	केरल		2	2				2		1	1				1
10	मध्य प्रदेश	1	1	2		1	1	3	2	4	6				6
11	महाराष्ट्र		1	1				1	1	3	4		1	1	5
12	मणिपुर					2	2	2					1	1	1
13	मेघालय				2		2	2				1		1	1
14	ओड़ीशा		1	1				1							
15	पंजाब	1		1				1		1	1				1
16	राजस्थान		4	4		3	3	7		2	2		5	5	7
17	तमिलनाडु	2	6	8				8	1	5	6				6
18	तेलंगाना		5	5		5	5	10		5	5	1	6	7	12
19	उत्तर प्रदेश	2	6	8				8	1	8	9				9
20	उत्तराखण्ड									1	1				1
21	पश्चिम बंगाल	1		1				1	1	3	4				4
	कुल योग	16	51	67	6	24	30	97	12	55	67	2	16	18	85

चित्र 6.3(i) : वर्ष 2015&16 के दौरान अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट&डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति योजना के तहत प्रदत्त अभ्यर्थियों की राज्यवार संख्या



वर्ष 2015&16 के दौरान 766 अभ्यर्थियों पर 2261.03 लाख रुपए की व्यय हुआ।

6.3(ii) महिलाओं के लिए पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां

इस योजना का उद्देश्य पी.एच.डी. उपाधि धारक वेरोजगार महिलाएं, जिनका पूर्णकालीन आधार पर पोस्ट&डॉक्टोरल शोध की ओर रूझान है, उच्च शोध कार्य का अवसर प्रदान करना है। वर्तमान में इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 100 रिक्ति उपलब्ध है।

संरत विषय में डॉक्टोरेट (वाइवा-वॉस) उपाधि धारक अभ्यर्थी तथा सामान्य@अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत अंक तथा स्नातकीय स्तर पर 60 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित श्रेणी (अ0जा0@अ0ज0जा0@अपिव@शारीरिक रूप से विशेषक्षम) अभ्यर्थियों के मामले में स्नातकोत्तर स्तर पर 50 प्रतिशत अंक तथा स्नातकीय स्तर पर 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अध्येतावृत्ति के लिए पात्र है। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष तथा अ0जा0@अ0ज0जा0@अपिव@शारीरिक रूप से विशेषक्षम अभ्यर्थियों के मामले में आयु सीमा 60 वर्ष है।

इस योजना की अवधि पांच वर्ष है जिसे बढ़ाया नहीं जाएगा। इस योजना के तहत अध्येतावृत्ति की दरांक 01.12.2014 से संशोधित किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए सीधे 6.3(i) के अनुरूप ही है।

इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की संक्षिप्त सूचीबद्ध समिति द्वारा की जाती है। तत्पश्चात्, अनुशंसित अभ्यर्थियों की वि0अ0आ0 द्वारा गठित प्रदत्त समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है। अवार्ड हेतु प्रदत्त वि0अ0आ0 द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/7347918 .pdf से प्राप्त किया जा सकता है।

रिपोर्टाधीन वर्ष, 2015&16 के दौरान 648 अभ्यर्थियों पर 31.14 लाख रुपये की व्यय हुआ।

तालिका 6.3 ii : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लाभार्थियों के लिए पोस्ट&डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियों पर हुआ व्यय

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
2012&13	138	5.86
2013&14	184	5.34
2014&15	460	21.2
2015&16	648	34.14

6.3(iii) भाषाओं सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में डॉ0 एस0 राधाकृष्णन पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति

योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम] 1956 की धारा 2(च) और 12(ब) के तहत भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों तथा केन्द्र@राज्य सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में भाषाओं सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में उच्च अध्ययन तथा शोध करने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 200 स्नातकोत्तर सम्मिलित हैं।

संगत विषय में वांछनीय न्यूनतम योग्यता अर्हता तथा सामान्य@अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में स्नातकपूर्व स्तर पर 55 प्रतिशत अंक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 60 प्रतिशत अंक अपेक्षित है तथा आरक्षित श्रेणी (अ0जा0@अ0ज0जा0@अपिव@शारीरिक रूप से विशेषत) अभ्यर्थी] जिनके स्नातकपूर्व स्तर पर 50 प्रतिशत अंक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत अंक हैं वे इस अध्येतावृत्ति के लिए पात्र हैं। यह अध्येतावृत्ति 35 वर्ष से कम आयु (अ0जा0@अ0ज0जा0@अपिव@शारीरिक रूप से विशेषत अभ्यर्थियों के मामले में पांच वर्षों की छूट है) के शोधकर्ताओं के लिए पूर्णकालिक शोध हेतु खुली है।

इस योजना के तहत अवार्ड की अवधि तीन वर्ष है जिसे बढ़ाया नहीं जाएगा। वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नानुसार है:

1	अध्येतावृत्ति	प्रथम वर्ष के दौरान 38]000@& रु. प्रतिमाह की दर से] दूसरे वर्ष के दौरान 40]300@& रु. प्रतिमाह की दर से तथा तीसरे वर्ष के दौरान 41]900@& रु. प्रतिमाह की दर से	3 वर्ष
2	आकस्मिक राशि	तीन वर्षों के लिए 50]000@& रु. प्रतिवर्ष की दर से	
3	सहायक@रीडर सहायता	शारीरिक रूप से विशेषत एवं दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए 2]000@& रु. प्रतिमाह (विधारित) की दर से	
4	सकल किराया भत्ता	भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार	

इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन पद्धति से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा विषयवार समिति द्वारा की जाती है। तत्पश्चात] चयनसूचीबद्ध अभ्यर्थियों की वि0अ0आ0 द्वारा गठित प्रयास समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है। अवार्ड हेतु प्रयास वि0अ0आ0 द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/9246425 X - lan-guidelines- adhakrishnan.pdf से प्राप्त किया जा सकता है।

तालिका 6.3 iii बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभार्थियों की संख्या तथा किया गया व्यय

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
2014&15	180	12.00
2015&16	351	13.57

वर्ष 2015&16 के दौरान 13.57 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

6.3(iv): डॉ0 डी0 एस0 कोठारी पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ

इस योजना के तहत मूलभूत विज्ञान@विज्ञान@अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में पोस्ट डॉक्टोरल शोध करने के लिए शोध अध्येताओं की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। प्रयास प्रक्रिया वर्ष में दबारा खुली है। अध्येतावृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए एक विशिष्ट वेबसाईट ugcdskpdf.unipune.ac.in है। प्रत्येक आवेदन के प्राप्त होने के बाद मामले के गुणों पर प्रयास प्रक्रिया

पूर्ण कर ली जाती है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने या तो पीएचडी उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा जिन्होंने अपने पीएचडी शोध प्रबंध जमा कर दिये हैं वे आवेदन करने के लिये पात्र हैं। अब तक, 1807 अभ्यर्थियों की अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है तथा 963 पीजीएफ कार्यरत हैं। जनवरी, 2013 से अध्येतावृत्ति प्रदान करने की योजना (जीजीपी) योजना के साथ-साथ संचालित की जाती है (जहां अध्येतावृत्ति सीधे ही अभ्यर्थी के बैंक खाते में अंतरित की जाती है)

वित्तीय सहायता

	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
विज्ञान अध्येतावृत्ति	प्रतिमाह 34,100 रुपये	प्रतिमाह 34,100 रुपये	प्रतिमाह 34,100 रुपये
गोल्ट&डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति	प्रतिमाह 43,400 रुपये	प्रतिमाह 45,000 रुपये	प्रतिमाह 46,500 रुपये
सकल गोल्ट&डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति	प्रतिमाह 46,500 रुपये	प्रतिमाह 46,500 रुपये	प्रतिमाह 46,500 रुपये

वर्ष 2015&16 के दौरान 695 अभ्यर्थियों को 40.20 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

6.3(v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य विश्वविद्यालयों में डॉक्टरल फैकल्टीवृत्ति की आयु के सीमा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रतिभावान शिक्षकों को मूलभूत विज्ञान में शोध कार्य जारी रखने का अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग&बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति" शीर्षक एक योजना आरंभ की है। योजना का मुख्य उद्देश्य फैकल्टीवृत्ति की आयु के सीमा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रतिभावान शिक्षकों को फैकल्टीवृत्ति के पश्चात् तीन अतिरिक्त वर्षों तक मासिक शोध कार्य जारी रखना तथा युवा शोधकर्ताओं एवं पीएचडी छात्रों के लिए विश्वसनीयकर्ता की भूमिका निभाना है।

वित्तीय सहायता

- अध्येतावृत्ति के अंतर्गत 46,500@& रुपये प्रतिमाह (दिनांक 01.12.2014 से) की अध्येतावृत्ति राशि प्रदान की जाएगी, जो पेशेवर और@अथवा अन्य फैकल्टीवृत्ति आय के अतिरिक्त है।
- आकस्मिक अनुदान प्रतिवर्ष 3.00 लाख रुपये है जिसमें से 50,000 रुपये की सहराशि का सांयोजन शोधकर्ताओं द्वारा किया जाएगा।
- अवार्ड प्राप्तकर्ता की विश्वविद्यालय के साथ अध्येतावृत्ति में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहमति पत्र देना होगा तथा समय&समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सावधियों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा तथा द्विवर्षीय प्रगति रिपोर्ट देनी होगी।

61 बीएसआर संकाय अध्येताओं को 4.35 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

6.3(vi) एमेरिटस अध्येतावृत्तियाँ

इस योजना का मुख्य उद्देश्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत सान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के फैकल्टीवृत्त शिक्षकों की सराहना द्वारा सराही विशेषज्ञता के क्षेत्र में शोध कार्य करने का अवसर प्रदान करना है।

प्रस्तावित समूह में सान्यताप्राप्त संस्थानों के ऐसे सक्रिय अर्हता वाले अनुभवी शिक्षक हैं अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर चुके हों अथवा आगामी छह माह की सीमा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की संभावना है। संबंधित शिक्षक द्वारा अपने फैकल्टीवृत्ति के दौरान किए गए शोध या प्रकाशित कार्य की गुणवत्ता ही इस अध्येतावृत्ति के लिए पात्रता सापेक्ष है। अवार्ड प्राप्तकर्ता एक मुनिश्चित समयबद्ध कार्ययोजना के तहत 70 वर्ष की आयु तक अथवा दो वर्ष (जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है) इसमें से जो भी अवधि पहले पूर्ण हो, तक कार्य कर सकता है। इस योजना के तहत 200 स्लॉट सृजित हैं (100 स्लॉट विज्ञान विधा के लिए तथा 100 मानविकी विधा के लिए सृजित हैं)। इस योजना के तहत अध्येतावृत्ति राशि को दिनांक 01.12.2014 से बढ़ा दिया गया है। अध्येतावृत्ति का ब्यौरा निम्नवत है:

मानदेय	दो वर्षों के लिए 31,000@&#रुपए प्रतिमाह (आगे बढ़ाया जा सकता) की दर से
आकस्मिक अनुदान (अन्यसंगत)	50,000@&#रुपए प्रतिवर्ष

आकस्मिक अनुदान की सप्लोर] मासिक सहायता] देश के भीतर यात्रा] जो कि शोध परियोजना के संबंध में हो] लेखन सामग्री] पुस्तक सामग्री] सप्लीमेंट्री] पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ एवं सप्लकर्र के लिए किया जा सकता हैA अवार्ड प्राप्तकर्ता के अनुमोदित शोध कार्य के साथ जुड़े रहेंगों पर वर्ष में एक बार विदेश यात्रा की अनुमति है] जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित सभी संस्थान की अनुमति] जहाँ वह परियोजना कार्य किया जा रहा है] प्राप्त की जानी चाहिएA इसके संबंध में वि0अ0आ0 का कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगाA एसोसिएटशिप अध्येताओं की आवास व्यवस्था के अलावा ऐसी सभी सुविधाएँ] जिनमें चिकित्सा सुविधाएँ भी सम्मिलित हैं] उपलब्ध होंगी जो कि विश्वविद्यालय संकाय सदस्यों को उपलब्ध हैं A

एसोसिएटशिप अध्येताओं के लिए आवेदन ऑनलाइन पद्धति से आमंत्रित किये जाते हैं तथा आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ सृजित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती हैA प्रयास हेतु अ0जा0@अ0ज0जा0@अ0पि0व0 (अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग)@शारीरिक रूप से विकलांग तथा अल्पसंख्यक महिलाओं की प्राथमिकता दी जाती हैA योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/1424045 meritus- ellowship.pdf से प्राप्त किया जा सकता हैA

रिपोर्टाधीन वर्ष 2015&16 के दौरान अध्येताओं को भुगतान किये गए 10.24 करोड़ रुपये की राशि का ब्यौरा हुआA

तालिका 6.3 i बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एसोसिएटशिप अध्येतावृत्तियों हेतु लाभार्थियों की संख्या तथा किया गया व्यय

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
2012.13	120	3.14
2013.14	129	2.85
2014.15	189	4.92
2015.16	355	10.24

6.4 शोध अध्येतावृत्तियाँ (एम0फिल0/पी0एच0डी हेतु)

6.4(i) भारतीय नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ

विज्ञान] सामाजिकी एवं मानविकी विषय में कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ (जेआरएफ)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्वानों की सर्वश्रेष्ठ शोध एवं अध्यापन करियर के अवसर उपलब्ध कराना है ताकि वे मास्टर्स एवं विज्ञान सहित विज्ञान] सामाजिकी एवं मानविकी विषय में एम:फिल:@पी:एच:डी: उपाधियाँ प्राप्त कर सकेंA वि0अ0आ0 एवं वि0अ0आ0&सी: एस:आई:आर: की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट@जेआरएफ) की सर्वोत्तम करियर वाले अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जे:आर:एफ: प्रदान की जाती हैA विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई अध्येतावृत्ति का उद्देश्य न केवल इन शोधकर्ताओं को वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करना है बल्कि उन्हें अत्यंत प्रतिस्पर्धा तथा स्वतंत्ररूप अपना बेहतरीन शोध जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना हैA इस अध्येतावृत्ति की कुल अवधि 5 वर्ष हैA

दिनांक 01.12.2014 से जेआरएफ@एमआरएफ अध्येतावृत्ति की दर की क्रमशः 16]000@& रुपये से बढ़ाकर 25]000@& रुपये तथा 18]000@& रुपए से बढ़ाकर 28]000@& रुपए कर दिया गयाA अन्य विवरण और शर्तें] बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैंA इस अध्येतावृत्ति का ब्यौरा निम्नवत है &

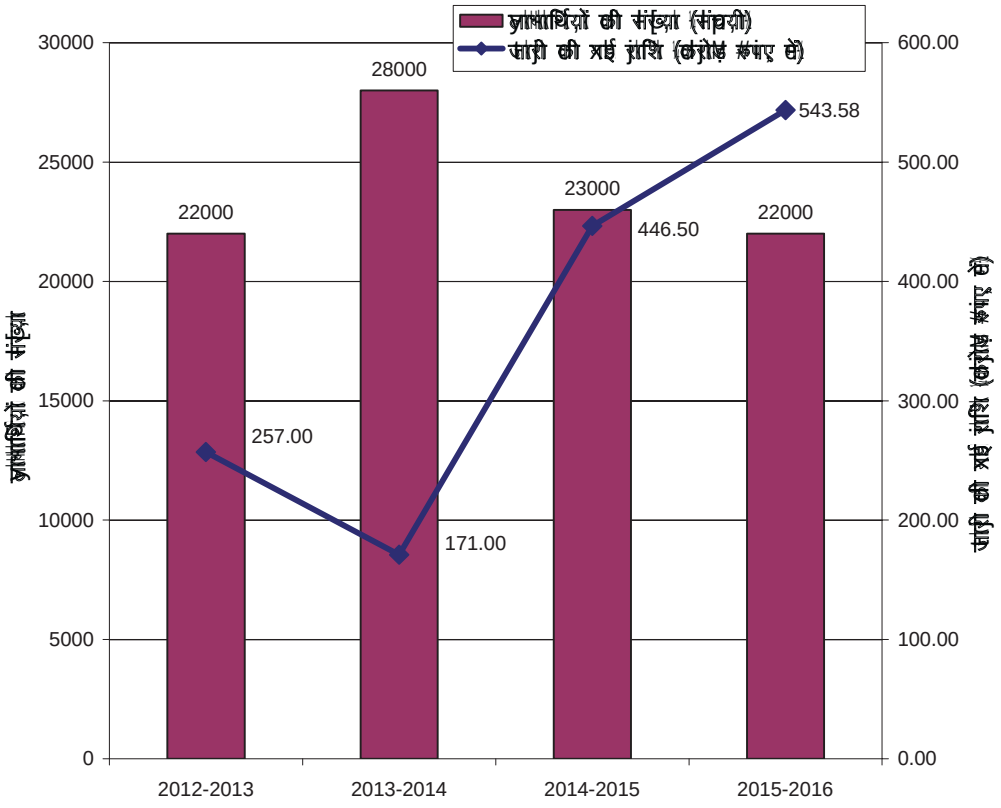
अध्येतावृत्ति	प्रारंभ में दो वर्ष के लिए 25]000@&रू: प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 28]000@&रू: प्रतिमाह की दर से	जे आर एफ] (2 वर्ष) एम आर एफ:(3 वर्ष)
आकस्मिक&क	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10]000@& रू: प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20]500@&रू: प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान
आकस्मिक&ख	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12]000@& रू: प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 25]000@&रू: प्रतिवर्ष की दर से	विज्ञान
विभागीय सहायता	प्रयोगशाला संस्था की आवश्यकता उपलब्ध कराने के लिए 3]000@& रू: प्रतिवर्ष प्रति छात्र की दर से	
सहायक@शोधकर्ता सहायता	शारीरिक रूप से विकलांग एवं दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए 2]000@&रू: प्रतिमाह की दर से	
सकल किराया भत्ता	विश्वविद्यालय@भारत सरकार के नियमानुसार	

विगत 01.04.2012 (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) से मुख्यतः किये गये अनुदान की ब्यौरा निम्नवत है:&

क्र0 सं0	वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)	समझौता ज्ञापनों की संख्या	लाभार्थियों की संभावी संख्या
1.	2012&2013	257.00	8]800	22]000
2.	2013&2014	171.00	8]800	28]000
3.	2014&2015	446.50	8]800	23]000
4.	2015&2016	543.58	8]800	21]588

वर्ष 2015&16 के दौरान विज्ञान] तकनीकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में जेआरएफ के तहत 543.58 करोड़ रुपए की व्यय किया गया है। जेआरएफ के तहत प्रतिवर्ष 8800 स्लॉट हैं। तदनुसार से] जेआरएफ के तहत कुल मिलाकर 22000 विद्यार्थि एस0ए0एस0@पी0एस0सी0 में अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिसंबर] 2012 से नीचे जेआरएफ@एसआरएफ के क्रम में ई&मुद्रांतरण योजना आरंभ की है।

चित्रांक 6.4(i): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियों हेतु वर्षवार जारी किया गया अनुदान (लाभार्थियों की संभावी संख्या)



6.4(ii) विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) तथा शोध एसोशिएटशिप (आर.ए.)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विदेशी नागरिकों के प्रयास हेतु गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] ने वर्ष 2012&13] 2013&14 और 2014&15 के दौरान विदेशी नागरिकों से प्राप्त आवेदनों में से वर्ष 2015&16 के लिए 58 कनिष्ठ शोध अध्येताओं का चयन किया गया। यह विदेशी नागरिक एशिया@अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के छात्र तथा शिक्षक हैं जो भारतीय विश्वविद्यालयों में विज्ञान] तकनीकी एवं सामाजिक विज्ञान के विषयों में एम:फिल@पी:एच:डी: करने के इच्छुक हैं। अध्येतावृत्ति चार वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी (जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता है)। अध्येतावृत्ति का ब्यौरा निम्नवत है:&

विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति

विवरण 01.12.2014 से बढ़ी हुई दरें प्रारू है

अध्येतावृत्ति	18,600@& रुपये प्रति माह की दर से 21,700@& रुपये प्रति माह की दर से	प्रारंभिक दो वर्षों की अवधि के लिए शेष अवधि के लिए
आकस्मिकता अनुदान	10,000@& रुपये प्रति वर्ष की दर से 12,000@& रुपये प्रति वर्ष की दर से 25,000@& रुपये प्रति वर्ष की दर से 20,500@& रुपये प्रति वर्ष की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए विज्ञान के लिए विज्ञान की शेष अवधि के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान की शेष अवधि के लिए
चिकित्सीय सहायता	3,000@& रुपये प्रति वर्ष की दर से	प्रति फेलोशिप सहायता
सहायक@विशेषज्ञता मांग	2,000@& रुपये प्रति माह की दर से	प्रति फेलोशिप
स्वीकृत किराया मांग	संबंधित संस्थान के नियमानुसार	

विदेशी नागरिकों के लिए शोध एसोसिएटशिपः

किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय में विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान की किसी भी विधा में पीएच&डीपोस्ट डॉक्टरल शोध करने के इच्छुक विदेशी नागरिकों से वर्ष 2012&13, 2013&14 और 2014&15 के दौरान प्राप्त आवेदनों से से वि0श0आ0 द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावों के मूल्यांकन के आधार पर आठ (विस्तारित अध्येतावृत्तियां) अभ्यर्थियों को वर्ष 2015&16 के लिए शोध एसोसिएटशिप हेतु प्रदान किया गया। अध्येतावृत्ति चार वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी (जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है)।

अध्येतावृत्ति	25,000@& रु. प्रतिमाह की दर से	4 वर्ष के लिए (विस्तारित)
आकस्मिकता	30,000@& रु. प्रतिवर्ष की दर से	4 वर्ष के लिए (विस्तारित)
चिकित्सीय सहायता	सेवारत संस्थान की अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए एसोसिएशिप के 10 प्रतिशत (विस्तारित) की दर से	4 वर्ष के लिए (विस्तारित)
स्वीकृत किराया मांग	संबंधित संस्थान के नियमानुसार 4 वर्षों के लिए	4 वर्ष के लिए (विस्तारित)

वर्तमान में, इस योजना के तहत लगभग 60 विदेशी नागरिक पीएचडी@पोस्ट डॉक्टरल शोध कर रहे हैं।

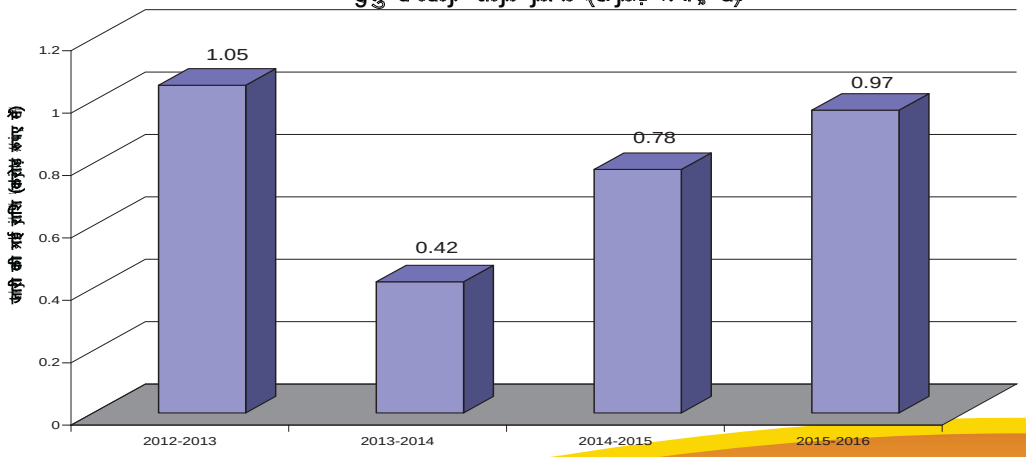
विवरण 01.04.2012 (बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान) फेलोशिप तथा आरंभ (विदेशी नागरिकों) की स्वीकृत किए गए अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र0 सं0	वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)	फेलोशिप&आरंभ हेतु लाभान्वित स्कॉलरों की संख्या
1.	2012-2013	1.05	20 7
2.	2013-2014	0.42	20 7
3.	2014-2015	0.78	20 7
4.	2015-2016	0.62	20 7

6.4(iii) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां

योजना के तहत 34 फेलोशिप तथा एमए की 0.62 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

रेखाचित्र 6.4(iii): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी नागरिकों के लिए फेलोशिप तथा आरंभ हेतु वर्षवार जारी राशि (करोड़ रुपए में)



सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रतिवर्ष 2000 स्नातक तथा स्नातकोत्तर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना का कार्यान्वित करने का कार्य वि0व0आ0 को सौंपा है और इसे विनियोजित किया है ताकि माध्यमिक शिक्षा में सामाजिक विषमता को कम किया जा सके। योजना मंत्रालय, वि0व0आ0 के माध्यम से अनुसूचित जाति की श्रेणी के पात्रित अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना है ताकि वे मानविकी और प्रौद्योगिकी संबंधित विज्ञान, सामाजिक और सामाजिक विज्ञान विषयों में स्नातक अध्ययन तथा शोध कर सकें ताकि वे एम0फिल0 तथा पी0एच0डी0 की उपाधि अर्जित कर सकें। इस अध्येतावृत्ति की अवधि पाँच वर्ष है।

दिनांक 01.12.2014 से अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों की योजना के लिए वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है:

विज्ञान, सामाजिक और सामाजिक विज्ञान तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विषयों अध्येतावृत्ति	प्रारंभ में दो वर्ष के लिए 25,000/-रू. प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 28,000/-रू. प्रतिमाह की दर से	आर.जी.एन.एफ.एस.सी.एस.टी. (2 वर्ष) आर.जी.एन.एफ.एस.सी.एस.टी. (3 वर्ष)
आकस्मिक&के	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10,000/-रू. प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20,500/-रू. प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान
आकस्मिक&ख	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/-.रू. प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 25,000/-.रू. प्रतिवर्ष की दर से	विज्ञान तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी
सहायक@ीीडर सहायता	शारीरिक रूप से विशेषित और दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए 2,000/-रू. प्रतिमाह की दर से	सभी विषयों में
सकाश विद्यारा माता	विश्वविद्यालय@संस्थान के नियमानुसार	सभी विषयों में

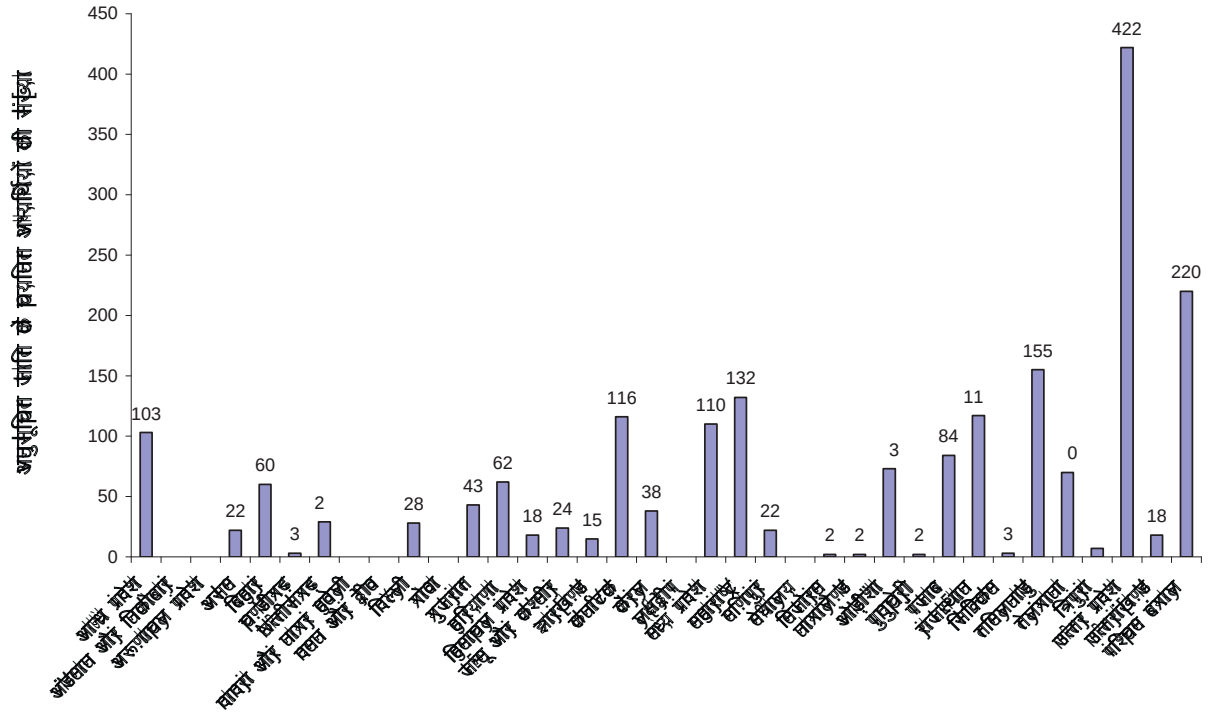
वर्ष 2015&16 तथा 2016&17 के लिए प्रगति दिए वर्ष 2015&16 के साथ ही की जिया गया है।

अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों की योजना के तहत अब तक पात्रित अभ्यर्थियों की राज्यवार सूची की दर्शाये वाला विवरण

क्रम सं0	राज्य@संघ क्षेत्र का नाम	दिनांक 01.04.2010 से प्रारंभ मंत्रालय के अनुसार&आवंटित स्नातकों की संख्या	वर्ष के दौरान पात्रित अभ्यर्थियों की संख्या	
			2015-16	2016-17
1	आंध्र प्रदेश	148	103	214
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0		
3	अरूणाचल प्रदेश	0		
4	असम	22	22	19
5	बिहार	157	60	
6	चण्डीगढ़	2	3	2
7	छत्तीसगढ़	29	29	1
8	दादरा और नगर हवेली	0		
9	दमन और द्वीव	0		
10	दिल्ली	28	28	19
11	गोवा	1		
12	गुजरात	43	43	43
13	हरियाणा	49	62	104
14	हिमाचल प्रदेश	18	18	18
15	जम्मू और कश्मीर	9	24	9
16	झारखण्ड	38	15	
17	कर्नाटक	103	116	226

क्र0 सं0	राज्य@संघ क्षेत्र का नाम	वित्तांक 01.04.2010 से मान्यता संख्या के अनुसार&आवंटित सीटों की संख्या	वर्ष के दौरान प्रवेशित अभ्यर्थियों की संख्या	
			2015-16	2016-17
18	केरल	38	38	38
19	लक्षद्वीप	0		
20	मध्य प्रदेश	110	110	110
21	महाराष्ट्र	119	132	243
22	मणिपुर	1	22	1
23	मेघालय	0		
24	मिजोरम	0	2	
25	नागालैण्ड	0	2	
26	ओड़ीशा	73	73	68
27	पुडुचेरी	2	2	2
28	पंजाब	84	84	84
29	राजस्थान	117	117	76
30	सिक्किम	0	3	
31	तमिलनाडु	142	155	265
32	तेलंगाना		70	182
33	त्रिपुरा	7	7	1
34	उत्तर प्रदेश	422	422	139
35	उत्तराखंड	18	18	18
36	पश्चिम बंगाल	220	220	118
कुल		2000	2000	2000

चित्र 6.4(iii): वर्ष 2015&16 के दौरान अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की अवार्ड की गई राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना की राज्य वार संख्या



वर्ष 2015&16 के दौरान समपुरित योजना के अंतर्गत 19623 अभ्यर्थियों पर 178.1 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

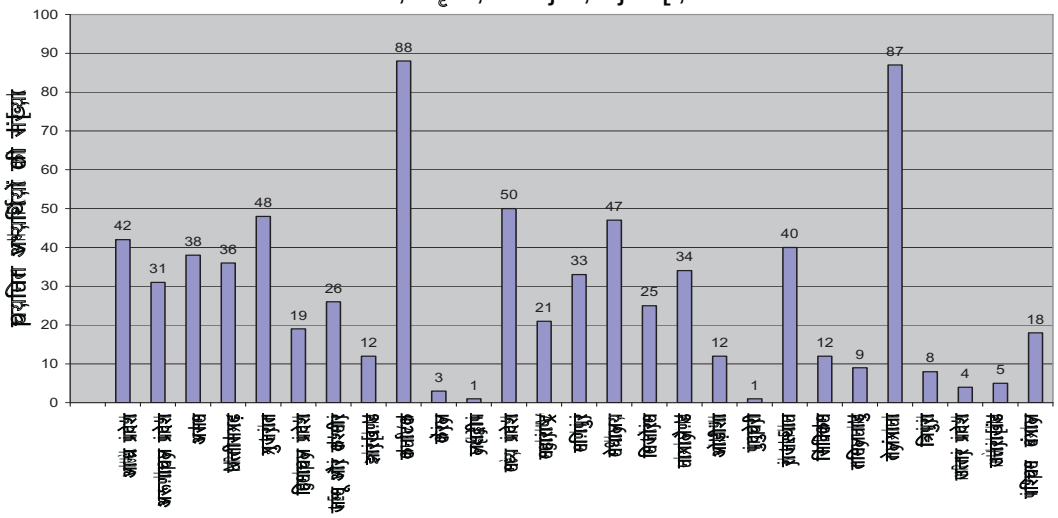
6.4(iii) (क) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृतियां (जिसका नाम बदलकर अब 'उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति कर दिया गया है)

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रतिवर्ष 750 एम0फिल0 तथा पी0एच0डी0 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना, जिसका वर्ष 2015 से नाम बदलकर अब 'उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति कर दिया गया है, की कार्यान्वित करने की कार्य ए0प्र0सी0 को सौंपा है और इसे विनियोजित किया है ताकि उच्चतर शिक्षा में सामाजिक विषमता को कम किया जा सके। योजना, ए0प्र0सी0 के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के पंजीकृत अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाती है ताकि वे मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में एम0फिल0 तथा पी0एच0डी0 का अध्ययन कर सकें। इस अध्येतावृत्ति की अवधि पाँच वर्ष है। दिनांक 01.12.2014 से आरंभ एम0फिल0/पी0एच0डी0 अभ्यर्थियों हेतु सहायता का पैटर्न पीछे 6.4(iii) में अनुरूप है

तालिका 6.4(iii)(क): वर्ष 2015&16 के लिए "अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु उच्चतर शिक्षा राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना" (एम0फिल0/पी0एच0डी0) अध्येतावृत्ति के अवार्ड के लिए चयनित अभ्यर्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/विषयवार संख्या

क्र0 सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिला					पुरूष					कुल योग
		अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी	चिकित्सा	विज्ञान	सामाजिक विज्ञान	कुल	अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी	चिकित्सा	विज्ञान	सामाजिक विज्ञान	कुल	
1	आंध्र प्रदेश		1	7	3	11	4	7	15	5	31	42
2	अरूणाचल प्रदेश			18	3	21			8	2	10	31
3	असम	1	3	15	8	27		2	4	5	11	38
4	छत्तीसगढ़	1		10	6	17	2	1	14	2	19	36
5	गुजरात		10	5	10	25		15		8	23	48
6	हिमाचल प्रदेश		1	12		13		2	4		6	19
7	जम्मू और कश्मीर		2	6	2	10		2	8	6	16	26
8	झारखंड	1	4	1	3	9		1		2	3	12
9	कर्नाटक	2	2	13	8	25	3	13	25	22	63	88
10	केरल		1	1		2	1				1	3
11	मणिपुर				1	1						1
12	मध्य प्रदेश		4	8	15	27		5	7	11	23	50
13	महाराष्ट्र		4	4	1	9		2	5	5	12	21
14	मणिपुर	1	2	14	7	24		1	7	1	9	33
15	मेघालय		6	25	5	36		1	9	1	11	47
16	मिजोरम		3	13	1	17			7	1	8	25
17	नागालैण्ड		5	13	12	30			3	1	4	34
18	ओडीशा		5	3		8		1	1	2	4	12
19	पुडुचेरी								1		1	1
20	राजस्थान	1	6	3	8	18		1	19	2	22	40
21	सिक्किम		1	2	4	7			4	1	5	12
22	तमिलनाडु						3	1	4	1	9	9
23	तेलंगाना		7	9	13	29	6	6	27	19	58	87
24	त्रिपुरा			3		3		1	3	1	5	8
25	उत्तर प्रदेश		1	2		3			1		1	4
26	उत्तराखंड	1		1	1	3		1	1		2	5
27	पश्चिम बंगाल		3		3	6			10	2	12	18
	कुल योग	8	71	188	114	381	19	63	187	100	369	750

रेखाचित्र 6.4 (iii) (क): वर्ष 2015&16 के दौरान अनुमोदित अनुसूचित जनजाति के आवेदकों की अवार्ड की गई सावधारण शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अभ्येतावृत्तियों की राज्यवार संख्या



उपर्युक्त योजनाओं के तहत वर्ष 2015&16 के लिए 4929 अभ्यर्थियों को 52]13]06]252@&#रुपए की राशि दी गई।

तालिका 6.1(iii)(ख): वर्ष 2016&17 के लिए अनुमोदित अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु सावधारण शिक्षा राष्ट्रीय अभ्येतावृत्ति योजना (एसएचएसई) अभ्येतावृत्ति के अवार्ड के लिए प्रदानित आवेदकों की राज्य@जिला@विषयवार संख्या

क्र0 सं0	राज्य@संघ राज्य क्षेत्र	महिला			महिलाओं का योग	पुरुष				पुरुषों का योग	कुल योग
		सामान्य	विज्ञान	सामान्य विज्ञान		अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी	सामान्य	विज्ञान	सामान्य विज्ञान		
1	आंध्र प्रदेश	2	5	2	9	1	6	7	7	21	30
2	अरुणाचल प्रदेश	5		7	12		1	1	3	5	17
3	असम	8	8	11	27	1		11	8	20	47
4	छत्तीसगढ़		2	6	8		3	3	1	7	15
5	दिल्ली		1	1	2						2
6	गोवा							2		2	2
7	गुजरात	27	2	13	42		28	3	14	45	87
8	हिमाचल प्रदेश	1	4	1	6		1	3	5	9	15
9	जम्मू और कश्मीर	2		2	4		7	11	11	29	33
10	झारखंड	9	6	7	22		4	2	2	8	30
11	कर्नाटक	2	3	3	8	3	11	11	16	41	49
12	केरल			1	1						1
13	मध्य प्रदेश	2	1	22	25		8	8	37	53	78
14	महाराष्ट्र	3	2	4	9		6	7	10	23	32
15	मणिपुर	10	3	5	18		3	3	10	16	34
16	मेघालय	3	14	5	22		1	10	2	13	35
17	मिजोरम	1	4	3	8	1	1	7	1	10	18
18	नागालैण्ड	15	2	8	25		4	2	4	10	35
19	ओडीशा		1	2	3		9	2	6	17	20
20	राजस्थान	7	2	5	14		12	5	6	23	37
21	सिक्किम	2		5	7		1	1		2	9
22	तमिलनाडु							5	2	7	7
23	तेलंगाना	1	2	11	14	5	11	12	25	53	67
24	त्रिपुरा		1		1			2		2	3
25	उत्तर प्रदेश	1		2	3		1	2	4	7	10
26	उत्तराखंड			3	3		1	1	1	3	6
27	पश्चिम बंगाल	10		9	19	1	5	4	2	12	31
	कुल योग	111	63	138	312	12	124	125	177	438	750

6.4(iv) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्रतिवर्ष 756 एम0फिल0 तथा पी0एच0डी0 करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् (i) मुस्लिम (ii) सिक्ख (iii) ईसाई (iv) बौद्ध (v) पारसी और (vi) जैन (वर्ष 2014 में सम्मिलित किया गया) के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना की कार्यान्वित करने का कार्य वर्ष 2009 से वि0व0आ0 को सौंपा और इसे वित्तपोषित किया है। केन्द्र सरकार, वि0व0आ0 के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के पात्रित आवेदकों की वित्तीय सहायता सुविधा करवाती है ताकि वे शोधों तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषयों में एम0फिल0 तथा पी0एच0डी0 कर सकें ताकि वे एम0फिल0 तथा पी0एच0डी0 की उपाधि अर्जित कर सकें। इस अध्येतावृत्ति की अवधि पाँच वर्ष है।

वित्तीय 01.12.2014 से एसएसएफ हेतु वित्तीय सहायता की दरें पैरा 6.4(iii) के अनुरूप विद्यमान है।

वर्ष 2015&16 तथा 2016&17 के लिए प्रदान किए वर्ष 2015&16 के साथ ही कर दिया गया है।

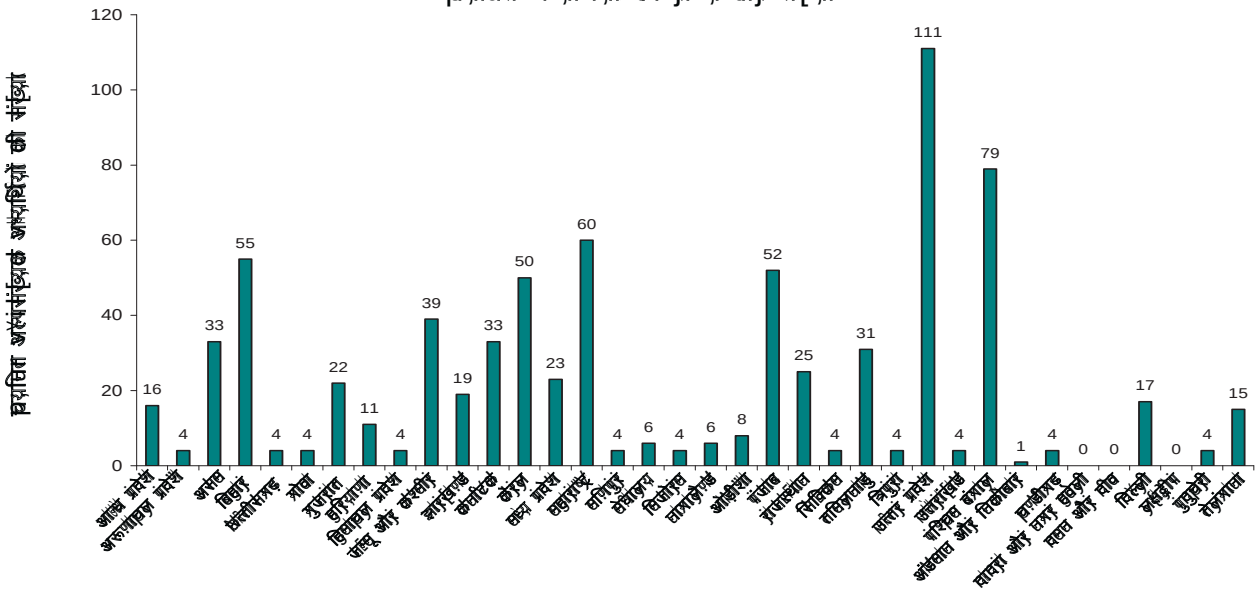
तालिका 6.14 (i) : वर्ष 2015&16 के दौरान अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत प्रदानित आवेदकों की राज्य&वार, वर्ष&वार और समुदाय&वार संख्या की दर्शाने वाला विवरण

क्र0 सं0	राज्य@संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष जिसके लिए प्रदान किया गया												
		2015-16							2016-17					
		मुस्लिम	क्रिश्चियन	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	कुल	मुस्लिम	क्रिश्चियन	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	13	3	0	0	0	0	16	13	2	0	0	0	0	15
2	अरुणाचल प्रदेश	0	2	0	2	0	0	4	0	3	0	1	0	0	4
3	असम	30	3	0	0	0	0	33	30	3	0	0	0	0	33
4	बिहार	55	0	0	0	0	0	55	50	0	0	0	0	0	50
5	छत्तीसगढ़	2	1	1	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	3
6	गोवा	1	3	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	3
7	गुजरात	18	2	0	0	2	0	22	4	2	0	0	2	0	8
8	हरियाणा	5	0	6	0	0	0	11	3	1	5	0	1	0	10
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	2	2	0	0	4	1	0	1	2	0	0	4
10	जम्मू और कश्मीर	38	0	1	0	0	0	39	78	0	2	0	0	0	80
11	झारखण्ड	15	4	0	0	0	0	19	15	4	0	0	0	0	19
12	कर्नाटक	25	4	0	2	2	0	33	25	4	0	2	2	0	33
13	केरल	27	23	0	0	0	0	50	29	23	0	0	0	0	52
14	मध्य प्रदेश	16	1	1	1	4	0	23	16	0	1	1	4	0	22
15	महाराष्ट्र	33	2	1	20	4	0	60	35	0	1	19	4	0	59
16	मणिपुर	0	2	0	2	0	0	4	1	2	0	1	0	0	4
17	मेघालय	0	6	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	6
18	मिजोरम	0	4	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	4
19	नागालैण्ड	0	6	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	6
20	ओडीशा	5	3	0	0	0	0	8	3	0	0	0	0	0	3
21	पंजाब	3	0	49	0	0	0	52	2	0	52	0	0	0	54
22	राजस्थान	19	0	3	0	3	0	25	19	0	3	0	4	0	26
23	सिक्किम	0	0	0	4	0	0	4	0	1	0	3	0	0	4
24	तमिलनाडु	14	17	0	0	0	0	31	16	17	0	0	0	0	33
25	त्रिपुरा	2	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	102	2	3	1	3	0	111	102	2	2	1	3	0	110
27	उत्तराखण्ड	4	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	4
28	पश्चिम बंगाल	72	5	0	2	0	0	79	72	5	0	2	0	0	79

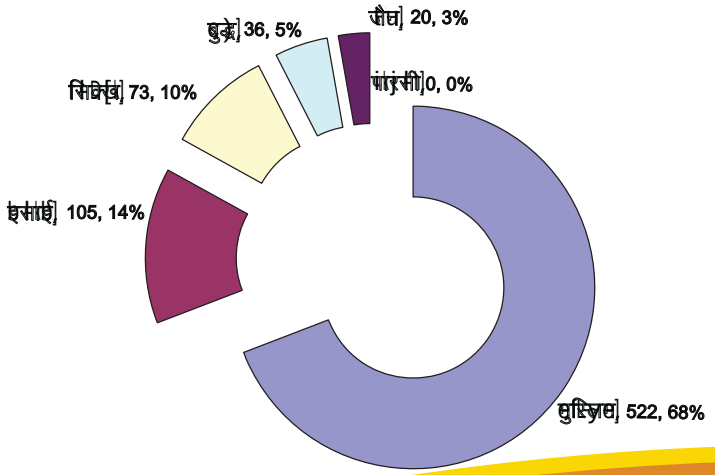
क्र0 सं0	राज्य@संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष जिसके लिए प्रदान किया गया													
		2015-16							2016-17						
		मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	कुल	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	कुल
29	अंडमान और निकोबार	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
30	चण्डीगढ़	0	0	4	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	1
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली	10	3	2	0	2	0	17	8	1	0	0	0	0	9
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पुदुचेरी	0	4	0	0	0	0	4	1	2	0	0	0	0	3
36	तेलंगाना	13	2	0	0	0	0	15	13	2	0	0	0	0	15
	कुल योग	522	105	73	36	20	0	756	543	93	68	32	20	0	756

वर्ष 2015&16 के दौरान मंजूरी प्रदान किए गए 3609 आवेदनों में से 74.26 प्रतिशत आवेदन #मए का प्रेय हुआ A

चित्र 6.4(i) : वर्ष 2015&16 के दौरान अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सीधा लाभ राष्ट्रीय अभ्येतावृत्ति योजना के तहत प्रदान की गई छात्रवृत्ति की राज्य वार संख्या



चित्र 6.4(ii) : वर्ष 2015&16 के दौरान अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सीधा लाभ राष्ट्रीय अभ्येतावृत्ति योजना के तहत प्रदान की गई (अल्पसंख्यक) छात्राओं की श्रेणीवार संख्या



6.4(v) अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय] भारत सरकार] नई दिल्ली द्वारा विनियोजित और कार्यान्वयन हेतु सौंपी गई योजना वास्ते: अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (रा0अ0) योजना की वर्ष 2014 से कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना] अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) के अभ्यर्थियों के लिए है जो विज्ञान] तकनीकी] सामाजिक विज्ञान तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी में पूर्णकालिक तथा नियमित एमफिल तथा पीएचडी समकक्ष आदि पाठ्यक्रम अध्ययन कर रहे हैं। अपिव श्रेणी के शीर्ष विद्वानों से भी विषयों पर ऑनलाइन प्रवेश से प्राप्त किए गए आवेदनों हेतु अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए 300 स्लॉट हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के विशेषज्ञ श्रेणी से शीर्ष विद्वानों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने हेतु 3 प्रतिशत स्लॉटों के आरक्षण का प्रावधान है।

वित्तीय 01.12.2014 से वित्तीय सहायता की दरें निम्नवत हैं:

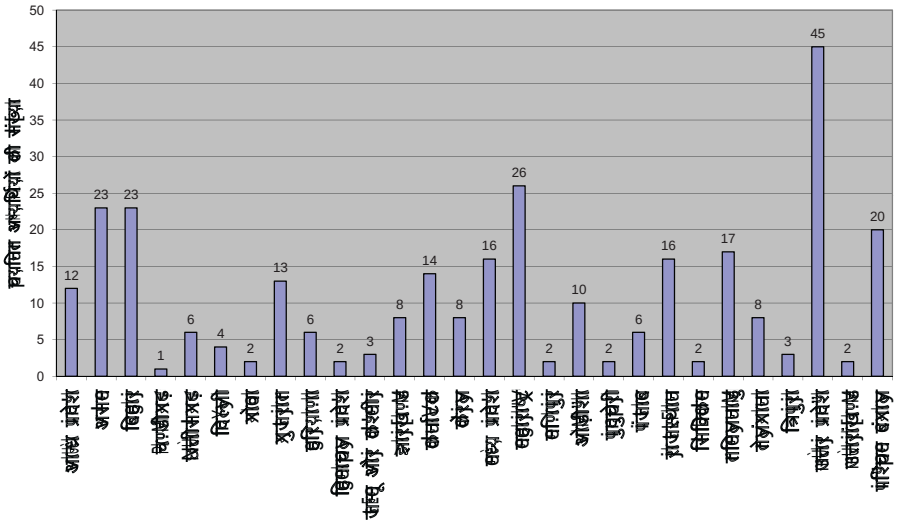
अध्येतावृत्ति	पूर्णकालिक 2 वर्षों के लिए 25]000@& रु0 प्रतिमाह की दर से (जे.आर.एफ) शेष कार्यावधि के लिए 28]000@& रु0 प्रतिमाह की दर (एस.आर.एफ.)
तकनीकी] सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य विषयों के लिए आकस्मिक दर	पूर्णकालिक 2 वर्षों के लिए 10]000@&रु0 प्रतिवर्ष की दर से शेष तीन वर्षों के लिए 20]500@& प्रतिवर्ष की दर से
विज्ञान] अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी के लिए आकस्मिक दर	पूर्णकालिक 2 वर्षों के लिए 12]000@& रु0 प्रतिवर्ष की दर से शेष तीन वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 25]000@& रु0 प्रतिवर्ष की दर से
सहायक@रीडर की सहायता	शारीरिक रूप से विशेषज्ञ एवं दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए 2]000@& रु0 प्रतिमाह की दर से
संकाय विकास भत्ता (एफडीए)	विश्वविद्यालय@संस्थान के नियम के अनुसार

तालिका 6.4( ) : वित्त वर्ष 2015&16 के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत वर्ष 2015&16 तथा 2016&17 के लिए अध्येतावृत्ति के अवार्ड हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के श्रेणी के प्रायिक छात्रों की राज्यवार] लिंगवार तथा विषयवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण:

क्र0 सं0	राज्य@संघ क्षेत्र का नाम	2015&16			2016&17			कुल योग
		महिलाएं	पुरूष	कुल	महिलाएं	पुरूष	कुल	
1	आंध्र प्रदेश	6	6	12	6	6	12	24
2	असम	12	11	23	12	11	23	46
3	बिहार	11	12	23	11	12	23	46
4	चंडीगढ़	1		1		1	1	2
5	छत्तीसगढ़	3	3	6	3	3	6	12
6	दिल्ली	2	2	4	2	2	4	8
7	गोवा	1	1	2	1	1	2	4
8	गुजरात	7	6	13	7	6	13	26
9	हरियाणा	3	3	6	3	3	6	12
10	हिमाचल प्रदेश	1	1	2	1	1	2	4
11	जम्मू और कश्मीर	1	2	3	1	2	3	6
12	झारखंड	4	4	8	4	4	8	16
13	कर्नाटक	7	7	14	7	7	14	28
14	केरल	4	4	8	5	4	9	17
15	मध्य प्रदेश	8	8	16	9	8	17	33
16	महाराष्ट्र	12	14	26	12	13	25	51
17	मणिपुर	1	1	2	1	1	2	4
18	ओडीशा	5	5	10	5	5	10	20
19	पुदुचेरी	1	1	2	1	1	2	4
20	पंजाब	3	3	6	3	3	6	12
21	राजस्थान	7	9	16	7	8	15	31
22	सिक्किम	1	1	2	1	1	2	4
23	तमिलनाडु	9	8	17	8	8	16	33
24	तेलंगाना	4	4	8	4	4	8	16

क्र0 सं0	राज्य@संघ क्षेत्र का नाम	2015&16			2016&17			कुल योग
		महिलाएं	पुरूष	कुल	महिलाएं	पुरूष	कुल	
25	त्रिपुरा	2	1	3	1	2	3	6
26	उत्तर प्रदेश	22	23	45	23	23	46	91
27	उत्तराखण्ड	1	1	2	1	1	2	4
28	पश्चिम बंगाल	10	10	20	10	10	20	40
	कुल योग	149	151	300	149	151	300	600

चित्र 6.4( ) : वर्ष 2015&16 के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों की राज्यवार संख्या



वर्ष 2015&16 के दौरान योजना के तहत 409 अध्येताओं पर 15.12 करोड़ #पए का व्यय हुआ।

6.4(vi) निशक्त छात्रों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वर्ष 2002 में विशेष छात्रों की सक्रियतर शिक्षा प्रदान करने हेतु अवसरों में वृद्धि करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय] विशेषता कार्य विभाग] भारत सरकार] नई दिल्ली से विशेष छात्रों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना की शुरू करने का सुझाव दिया है] जिसमें वे एस.एच. और पी.एच. सम्मिलित प्राप्त कर सकें। यह योजना] भारत में विश्वविद्यालयों] शोध संस्थानों तथा वैज्ञानिक संस्थानों में शोध सम्मिलित प्राप्त करने हेतु विशेष छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सभी विषयों हेतु प्रत्येक वर्ष 200 स्नातकोत्तर हैं जिनमें राजीव गांधी विशेष छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के तहत अध्येतावृत्ति अवार्ड करने के लिये अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये 15 प्रतिशत] अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 7½ प्रतिशत आरक्षण का सम्मिलित है।

विवरण 01.04.2012 से वित्तीय सहायता की स्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना के पैटर्न के अनुरूप है।

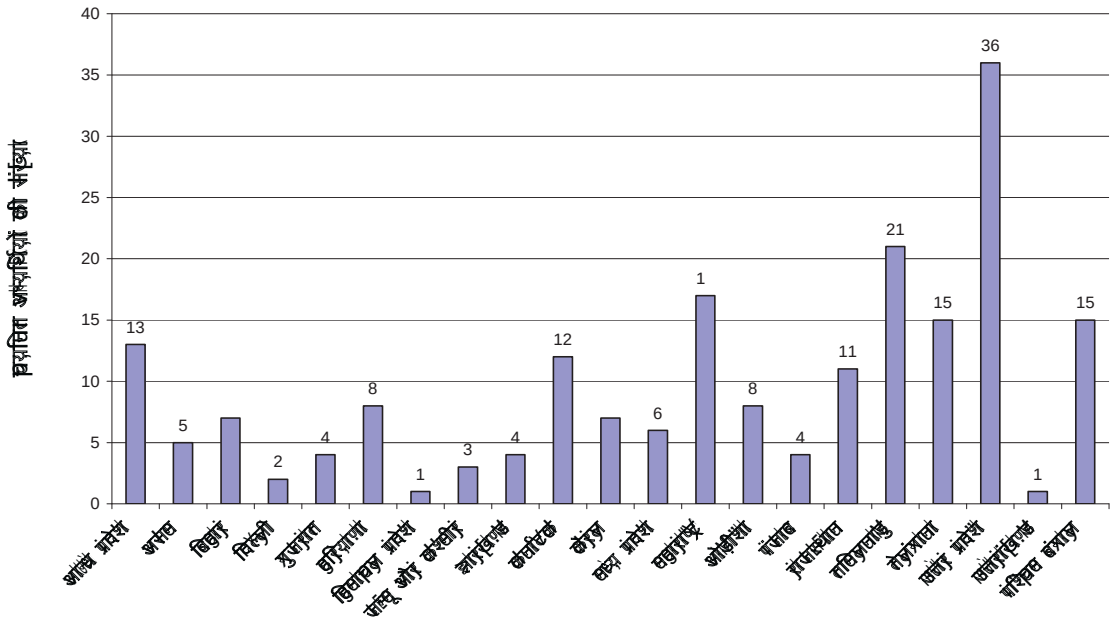
क्र0 सं0	मद	अध्येतावृत्ति
1.	अध्येतावृत्ति (सभी विषयों हेतु)	प्रारम्भिक 2 वर्षों के लिए 25]000@& #0 प्रतिमाह की दर से (जे.आर.एफ) शेष कार्यावधि के लिए 28]000@& #0 प्रतिमाह की दर से (एस.आर.एफ.)
2.	आकस्मिक राशि की दर (मानविकी] समाजिक विज्ञान और वाणिज्य हेतु)	प्रारम्भिक 2 वर्षों के लिए 10]000@& #0 प्रतिवर्ष की दर से और शेष तीन वर्षों के लिए 20]500@&#0 प्रतिवर्ष की दर से
3.	आकस्मिक राशि (विज्ञान] अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी हेतु)	प्रारम्भिक 2 वर्षों के लिए 12]000@& #0 प्रतिवर्ष की दर से] शेष तीन वर्षों के लिए 25]000@& #0 प्रतिवर्ष की दर से
4.	विभागीय सहायता (आर.सी.एच.ए.ए&एम.सी.ए.एम.ई तथा एस.ए.एच.ए.ए के लिए ई&यू.प्रशासन के पैटर्न के अनुरूप बंद कर दी गई है)	सेमिनार संस्थान की अवसंरचना सम्पन्न करने हेतु 3]000@&#0 प्रतिवर्ष प्रतिछात्र की दर से
5.	सहायक@रीडर की सहायता	शारीरिक रूप से विशेषत एवं दृष्टिबाधित प्रत्याशियों के लिए 2]000@& #0 प्रतिमाह की दर से
6.	सकल विनियोग मांग	विश्वविद्यालय@संस्थान के नियम के अनुसार

तालिका 6.4(i) : वित्त वर्ष 2015&16 के दौरान विशेषित व्यक्तियों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत वर्ष 2015&16 के लिए शारीरिक रूप से विशेषित आवेदकों हेतु अध्येतावृत्ति के अवार्ड हेतु प्रदानित छात्रों की राज्यवार, लिंगवार तथा विषयवार संख्या की दर्शाने वाला विवरण

क्र0 सं0	राज्य@संघ क्षेत्र का नाम	महिलाएं				पुरुष				कुल योग
		मानविकी	कला	वाणिज्य	कुल महिला	मानविकी	कला	वाणिज्य	कुल पुरुष	
1	आंध्र प्रदेश		1		1	8	3	1	12	13
2	असम			1	1	4			4	5
3	बिहार					7			7	7
4	दिल्ली	1			1	1			1	2
5	गुजरात	1			1	3			3	4
6	हरियाणा	4			4	3	1		4	8
7	हिमाचल प्रदेश					1			1	1
8	जम्मू और कश्मीर					2	1		3	3
9	झारखंड	2			2	2			2	4
10	कर्नाटक	3			3	4	2	3	9	12
11	केरल	3	1		4	3			3	7
12	मध्य प्रदेश	1	2		3	1	1	1	3	6
13	महाराष्ट्र	3	1		4	11	2		13	17
14	ओडीशा	1			1	5	1	1	7	8
15	पंजाब	1			1	1	2		3	4
16	राजस्थान	5		1	6	5			5	11
17	तमिलनाडु	7			7	12	2		14	21
18	तेलंगाना	5	1		6	5	1	3	9	15
19	उत्तर प्रदेश	14	1		15	18	3		21	36
20	उत्तराखंड					1			1	1
21	पश्चिम बंगाल	3			3	8	4		12	15
	कुल योग	54	7	2	63	105	23	9	137	200

प्रदानित आवेदकों की अनुवाद की शुल्कता एवं मासिक स्टाइपेंड और अधिकारिता संलग्नक] विशेषता कार्य विभाग] भारत सरकार] नई दिल्ली द्वारा किया जाता है।

चित्रलेख 6.4(vi) : वर्ष 2015&16 के दौरान विशेषित छात्रों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना के तहत प्रदानित आवेदकों की राज्यवार संख्या



6.4(vii): सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानन्द एकल बालिका अध्येतावृत्ति

बालिका शिक्षा के प्रति स्वामी विवेकानंद के विचारों तथा बालिका शिक्षा के महत्व को प्राप्त करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिये] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014&15 से विशेषकर ऐसी बालिकाओं की स्नातकोत्तर शिक्षा की प्रारम्भ की प्रेरणा रूप से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानंद एकल बालिका अध्येतावृत्ति योजना आरंभ की है जो कि अपने परिवार की एकमात्र बालिका हैंA

40 वर्ष की आयु तक की महिलाएं जिन्होंने किसी विश्वविद्यालय@संस्थान में सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर] पूर्णकालिक] पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया है तथा वे अपने परिवार की एकमात्र संतान भी हैं] वे इस अध्येतावृत्ति के लिये आवेदन कर सकती हैंA

अध्येतावृत्ति	प्रारंभिक 2 वर्षों के लिए 25]000@& #0 प्रतिमाह की दर से (फै.आर.एफ) शेष कार्यावधि के लिए 28]000@& #0 प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक राशि	प्रारंभिक 2 वर्षों के लिए 10]000@& #0 प्रतिवर्ष की दर से और शेष तीन वर्षों के लिए 20]500@&#0 प्रतिवर्ष की दर से
सहायक@रीडर की सहायता	शारीरिक रूप से विकलांग एवं दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए 2]000@& #0 प्रतिमाह की दर से

इस अध्येतावृत्ति हेतु प्रतिवर्ष 300 अध्येतावृत्तियों के स्लॉट सृजित हैं और अभ्यर्थियों का चयन विशेषज्ञ के माध्यम से किया जाता हैA विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रक्रिया के अनुसार विशेषज्ञ समिति द्वारा चयन किया जाता हैA

वर्ष 2014&15] 2015&16 के दौरान क्रमशः 65 और 72 अभ्यर्थियों का चयन किया गया A वर्ष 2015&16 के दौरान 44 अभ्यर्थियों पर 74 लाख #पए की व्यय हुआA

6.4(viii) बी0एस0आर0 अध्येतावृत्तियां (आरएफएसएमएस)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विज्ञान में प्रतिभाशाली छात्रों हेतु शोध अध्येतावृत्ति] "बीएसआर अध्येतावृत्ति योजना" (आरएफएसएमएस) ऐसे अभ्यर्थियों के लिये है] जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना में बताये गई प्रक्रिया के माध्यम से विश्वविद्यालय के पीएचडी कार्यक्रम में पंजीकरण हेतु चयनित हैंA बीएसआर योजना का उद्देश्य विज्ञान में पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिये सक्षम अभ्यास तथा शोध आरंभ करने हेतु प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों की अवसर उपलब्ध कराना हैA

अभ्यर्थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित सक्रिय@उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय@उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केंद्र@संस्थान अभ्यास केंद्र तथा विशेष सहायता विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना में बताये गई प्रक्रिया के माध्यम से चयनित प्रवेश प्रक्रिया द्वारा विश्वविद्यालय के पीएचडी कार्यक्रम में पंजीकरण करवाने हेतु चयनित हैंA प्रवेश के माध्यम पीएचडी हेतु पंजीकरण किया जारहाA आज तक] मैन@ऐर&मैन विषयों की 9355 अध्येतावृत्तियां आवंटित की गई हैं तथा 8185 छात्र/छात्रा शोध अध्येता कार्यरत हैंA दिसंबर] 2013 से अध्येतावृत्ति सीधे ही प्रत्यक्ष धन अंतरण (डीबीटी) योजना के माध्यम से संवितरित की जाती है (जिसमें अध्येतावृत्ति की राशि को सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरण किया जाता है)

वित्तीय सहायता:

ऐसे अर्हता से वंचित अभ्यर्थियों हेतु	
अध्येतावृत्ति राशि	प्रारंभिक दो वर्ष के लिए 21]700/-रू. प्रतिमाह की दर से अगले तीन वर्षों के लिए 24]800/-रू. प्रतिमाह की दर से (दिनांक 01.12.2014 से)
आकस्मिक राशि	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12]000/-रू. प्रतिवर्ष की दर से अगले तीन वर्षों के लिए 25]000/-रू. प्रतिवर्ष की दर से (दिनांक 01.04.2010 से)
संयोजन शिक्षण शुल्क	सभी छात्रों के लिए विश्वविद्यालय@संस्थानों के नियमानुसार
ऐसे@ऐसे अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु	
अध्येतावृत्ति राशि	प्रारंभिक दो वर्ष के लिए 24]800/-रू. प्रतिमाह की दर से] और अगले तीन वर्षों के लिए 27]900/-रू. प्रतिमाह की दर से (दिनांक 01.12.2014 से)
आकस्मिक राशि	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12]000/-रू. प्रतिवर्ष की दर से अगले तीन वर्षों के लिए 25]000/-रू. प्रतिवर्ष की दर से (दिनांक 01.04.2010 से)
संयोजन शिक्षण शुल्क	सभी छात्रों के लिए विश्वविद्यालय@संस्थानों के नियमानुसार

वर्ष 2015&2016 के दौरान 3918 बीएसआर अध्येताओं को 84.41 करोड़ #पये की राशि जारी की गई थीA

6.5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां

6.5(i) पेशेवर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां

सरकार के वंचित वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन का अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरूआत किया गया है। सामान्य पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर इस छात्रवृत्तियों की अवधि 2@3 वर्ष है। अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रत्याशियों के लिए स्लॉटों की संख्या 1000 प्रति वर्ष है। दिनांक 01.12.2014 से दिल्ली सहायता की दरें निम्नवत:

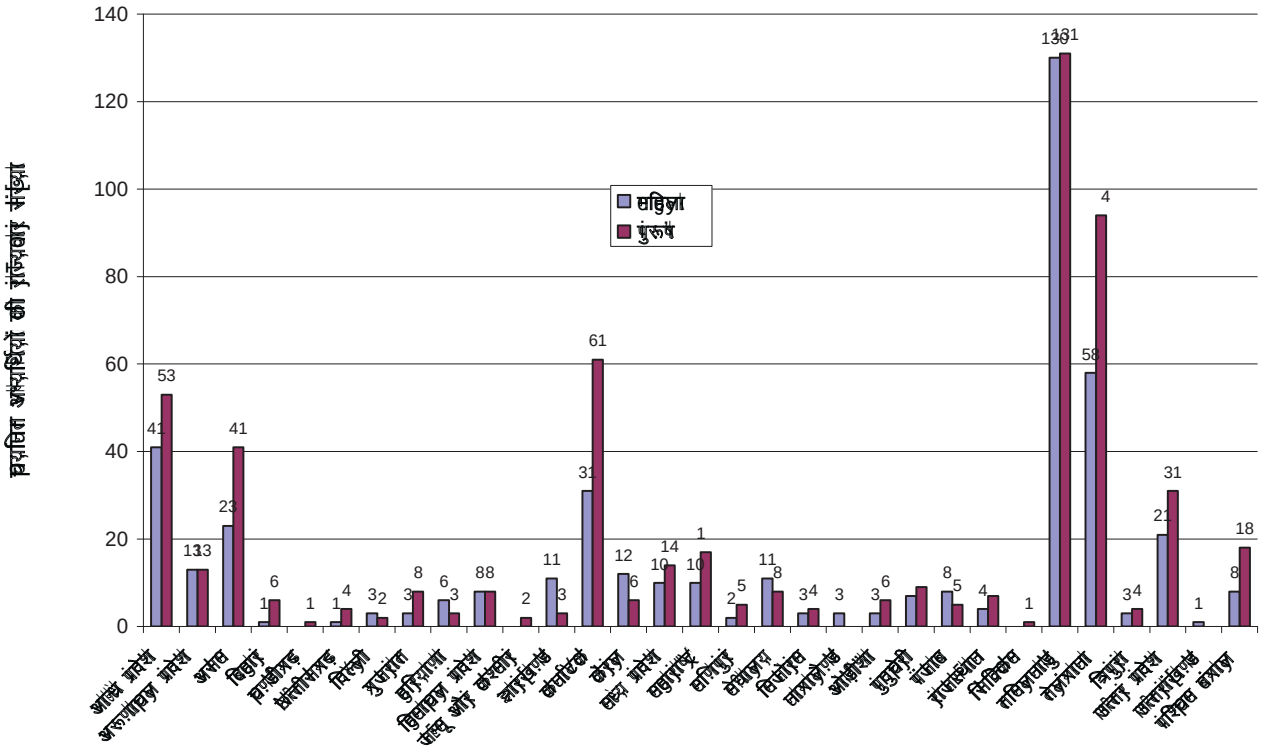
एम0फै0 छात्रों हेतु	7]800@& रुपये प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक राशि	15]000@& रुपये प्रतिवर्ष की दर से
अन्य पाठ्यक्रम	4]700@& रुपये प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक राशि	10]000@& रुपये प्रतिवर्ष की दर से

तालिका 6.5 (i) वर्ष 2015&16 के दौरान पेशेवर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना' के तहत चयनित अभ्यर्थियों की राज्यवार@श्रेणीवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र0 सं0	राज्य@संघ राज्य क्षेत्र का नाम	महिलाएं			पुरूष			कुल योग
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	
1	आंध्र प्रदेश	38	3	41	31	22	53	94
2	अरूणाचल प्रदेश	1	12	13	1	12	13	26
3	असम	5	18	23	9	32	41	64
4	बिहार	1		1	4	2	6	7
5	चण्डीगढ़				1		1	1
6	छत्तीसगढ़		1	1	3	1	4	5
7	दिल्ली	2	1	3	2		2	5
8	गुजरात	2	1	3	7	1	8	11
9	हरियाणा	5	1	6	1	2	3	9
10	हिमाचल प्रदेश	5	3	8	4	4	8	16
11	जम्मू और कश्मीर				1	1	2	2
12	झारखण्ड	1	10	11	2	1	3	14
13	कर्नाटक	23	8	31	42	19	61	92
14	केरल	10	2	12	6		6	18
15	मध्य प्रदेश	8	2	10	9	5	14	24
16	महाराष्ट्र	10		10	15	2	17	27
17	मणिपुर	1	1	2	1	4	5	7
18	मेघालय		11	11	1	7	8	19
19	मिजोरम		3	3		4	4	7
20	नागालैण्ड		3	3				3
21	ओड़ीशा	2	1	3	5	1	6	9
22	पुडुचेरी	5	2	7	6	3	9	16
23	पंजाब	8		8	3	2	5	13
24	राजस्थान	2	2	4	3	4	7	11
25	सिक्किम					1	1	1
26	तमिलनाडु	123	7	130	118	13	131	261
27	तेलंगाना	31	27	58	36	58	94	152
28	त्रिपुरा	1	2	3	3	1	4	7
29	उत्तर प्रदेश	15	6	21	29	2	31	52
30	उत्तराखण्ड	1		1				1
31	पश्चिम बंगाल	6	2	8	16	2	18	26
	कुल योग	306	129	435	359	206	565	1000

वर्ष 2015&16 के दौरान योजना के तहत 904 अभ्यर्थियों को 9.14 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

रेखाचित्र 6.5 (i): वर्ष 2015&16 के दौरान पेशेवर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रदानित अभ्यर्थियों की राज्यवार संख्या



6.5(ii) एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

भारत सरकार द्वारा महिलाओं के स्तर को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिसमें बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा सुनिश्चित शिक्षा की प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बनाना शामिल है। इंदिरा गांधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना भी एक ऐसी ही योजना है जिसका उद्देश्य भी स्तरों पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए किया गया प्रयास को दृष्टिगत रूप से प्रयास हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति की बारे विशेषकर के ऐसी बालिकाओं के संबंध में जो कि अपने&अपने परिवारों में एकमात्र संतान हैं।

इस योजना के उद्देश्य पेशे&पेशेवर पाठ्यक्रमों में एकमात्र बालिका संतान के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए समर्थन तथा ऐसे परिवार के सामान्य के खर्च की प्रतिपूर्ति प्रदान करना।

यह योजना स्नातकोत्तर शिक्षा सत्र 2005&07 से शुरू की गयी थी। अपने माता&पिता की एकमात्र बालिका संतान जिसने विधिवत पूर्णकालिक] विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम (पेशे&पेशेवर पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा किसी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश लिया है] यह छात्रवृत्ति पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय 30 वर्ष तक की आयु की छात्राएं पात्र हैं। सभी पात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्तियों की कोई अधिकतम संख्या नहीं है।

वि0प्र0भा0 अधिनियम के धारा 2(घ) एवं 12(ख) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त संस्थानों से यह आशा की जाती है कि उनके संस्थान में छात्राओं द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रमों में प्राप्त किये गये दाखिले के लिए कोई शिक्षण शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा।

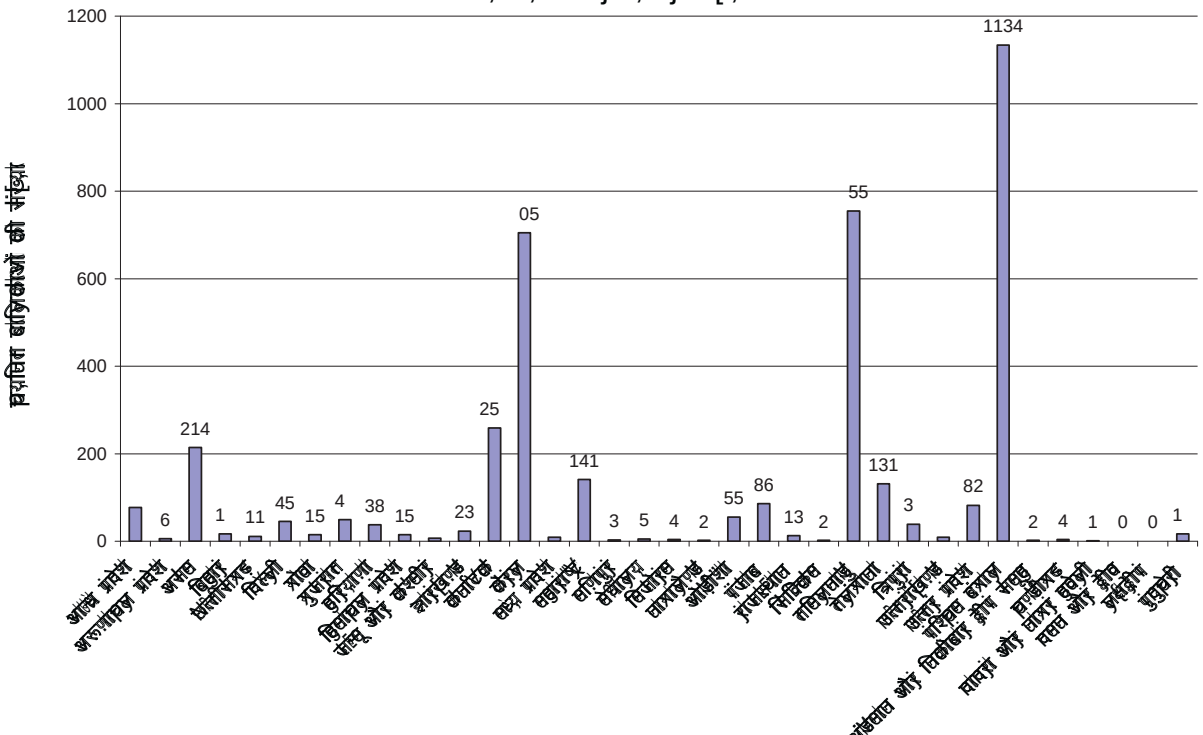
विवरण 01.12.2014 से विशेष सहायता के पैटर्न का स्वरूप निम्नवत है:

ब्यौरा	छात्रवृत्ति की दर	छात्रवृत्ति की अवधि
छात्रवृत्ति	3]100@&#पये प्रतिमाह की दर से	केवल दो वर्ष (केवल 20 माह) अर्थात् पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिए

तालिका 6.5(ii): वित्त वर्ष 2015&16 के लिए एकल तालिका स्वामीत्व योजना के तहत प्रत्यायित अभ्यर्थियों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र0 सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2015&16
1	आंध्र प्रदेश	77
2	अरूणाचल प्रदेश	6
3	असम	214
4	बिहार	17
5	छत्तीसगढ़	11
6	दिल्ली	45
7	गोवा	15
8	गुजरात	49
9	हरियाणा	38
10	हिमाचल प्रदेश	15
11	जम्मू और कश्मीर	7
12	झारखंड	23
13	कर्नाटक	259
14	केरल	705
15	मध्य प्रदेश	9
16	महाराष्ट्र	141
17	मणिपुर	3
18	मेघालय	5
19	मिजोरम	4
20	नागालैण्ड	2
21	ओड़ीशा	55
22	पंजाब	86
23	राजस्थान	13
24	सिक्किम	2
25	तमिलनाडु	755
26	तेलंगाना	131
27	त्रिपुरा	39
28	उत्तराखंड	9
29	उत्तर प्रदेश	82
30	पश्चिम बंगाल	1134
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2
32	चण्डीगढ़	4
33	दादरा और नगर हवेली	1
34	दमन और द्वीव	0
35	लक्षद्वीप	0
36	पुदुचेरी	17
कुल योग		3975

चित्रांक 6.5(ii): वर्ष 2015&17 के दौरान एकल तालिका हेतु हमारी सबसे स्वामीत्व योजना के तहत प्रत्यायित अभ्यर्थियों की राज्यवार संख्या



रिपोर्टाधीन वर्ष 2015&16 के दौरान 4617 अभ्यर्थियों पर 11.51 करोड़ रूपए का व्यय हुआ

6.5(iii) स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति

देश की एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिभावान छात्र एवं छात्राओं की छात्रवृत्ति के रूप में समुचित प्रोत्साहन सुनिश्चित करके स्नातकोत्तर शिक्षा पद्धति की शिक्षा प्राप्त करने हेतु आकर्षित किया जाये। इसलिए, वि0व0आ0 ने विश्वविद्यालय में स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय रैंक धारकों हेतु स्नातकोत्तर लेवल छात्रवृत्ति की शुरुआत तथा कार्यान्वित किया है।

इस छात्रवृत्ति की अवधि 2 वर्ष होगी ताकि प्रत्येक विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले स्नातक स्तर के छात्र विषयवार सम्बन्धित की जारी रख सकें। बी.ए., बी.एस.सी. एवं बी.कॉम इससे सम्बन्ध एवं ऑनर्स पाठ्यक्रमों से] सम्पूर्ण विश्वविद्यालय (सम्बद्धविद्यालय के स्नातक के अलावा) में शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ताओं को सभी सम्बद्ध विश्वविद्यालयों@संस्थानों द्वारा रैंक संबंधी प्रमाणपत्र जारी करने होंगे। अभ्यर्थी/छात्र देश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विशिष्टता के क्षेत्र में अपना स्नातकोत्तर कार्यक्रम जारी रख सकते हैं।

इस योजना के विशेषता इस प्रकार हैं :

- प्रतिभा की पहचान एवं उसको पोषण करना।
- छात्र जिन्होंने स्नातक स्तर पर उत्कृष्ट निष्पादन किया है ऐसे सर्वोत्तम छात्रों को पुरस्कृत किया जाये ताकि वे स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन को जारी रख सकें।
- स्नातकोत्तर स्तर पर सामान्य एवं ऑनर्स कोर्सों श्रेणियों में सूचीबद्ध विषयों में अध्ययन को बढ़ावा देना।
- देशभर में सभी सहविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर शैक्षणिक उत्कृष्टता को तैयार करना।

पात्रता :

किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में जिसे प्रवेश पाने वाले स्नातक स्तर के प्रथम या द्वितीय शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। इस प्रकार के अवार्ड प्राप्तकर्ताओं की अपनी योग्यता के परिणाम की स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना पड़ेगा। तथापि] यह छात्रवृत्ति स्नातक स्तर पर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी।

योजना ऐसे छात्रों पर लागू है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त राज्य@केन्द्र विश्वविद्यालय और स्वायत्त अथवा स्नातकोत्तर सहविद्यालय में पूर्णकालीन विषयवार सम्बन्धित पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है। छात्रवृत्ति केवल स्नातकोत्तर डिग्री के छात्रों को ही सम्बन्धित है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय छात्रों की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। छात्रवृत्ति हेतु पूर्णकालिक शिक्षा पद्धति पर विचार नहीं किया जाता है।

प्रथम शिक्षा वर्ष के दौरान मान्यता पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या प्रतिवर्ष 3000 होगी। छात्रवृत्ति की अवधि केवल दो वर्ष होगी। किसी भी स्थिति में इस छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्षों से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

केवल वह सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से रैंक धारकों पर विचार किया जाएगा जहां कम से कम 100 छात्र हैं और सम्बद्ध विश्वविद्यालयों@स्वायत्त@पैरा&सम्बद्ध सहविद्यालयों में जहाँ कम से कम 25 छात्र स्नातकपूर्व स्तर पर परीक्षा में बैठे हों।

विवरण 01.12.2014 से वित्तीय सहायता के पैटर्न का स्वरूप निम्नवत है:

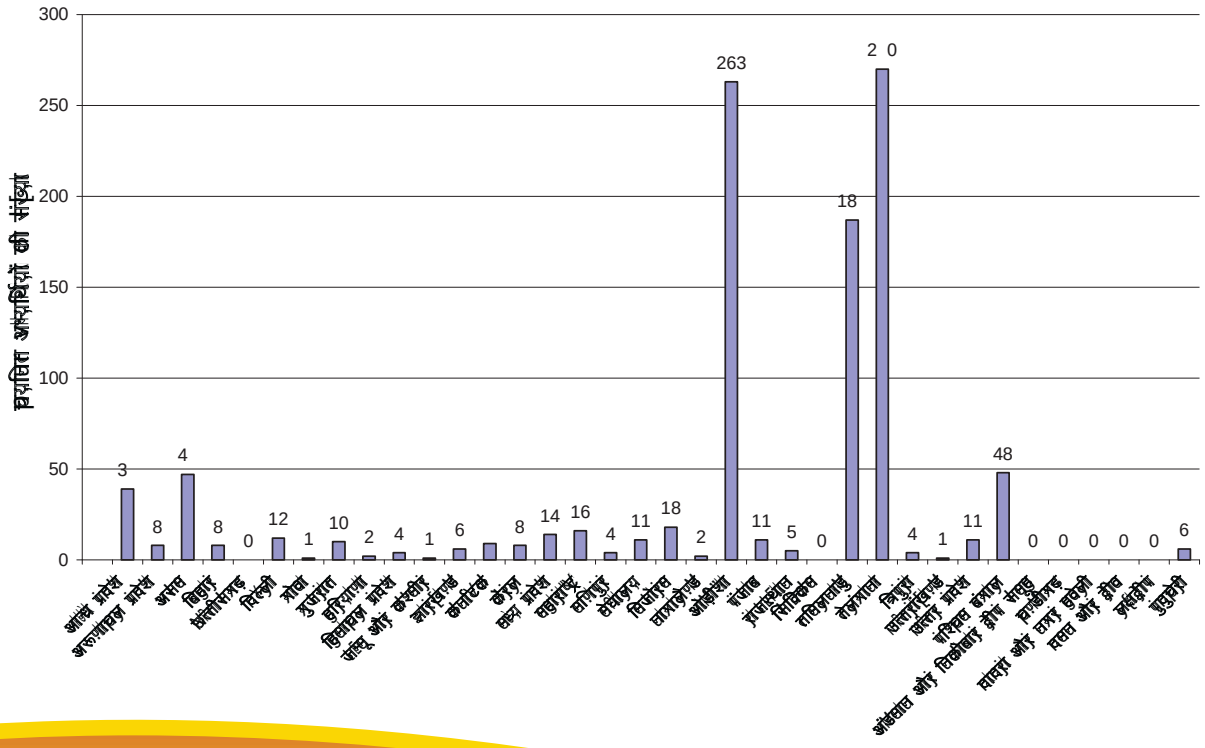
ब्यौरा	छात्रवृत्ति की दर	छात्रवृत्ति की अवधि
छात्रवृत्ति	3]100@&सभी प्रतिभागी की दर से	केवल दो वर्ष (केवल 20 माह) अर्थात् पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिए

तालिका 6.5(iii): वित्त वर्ष 2015&16 के दौरान 'स्वामीकृपूर्व स्मार्ट गांव विश्वविद्यालय में शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए स्वामीकृपूर्व सेरिट अभिवृत्ति योजना' के तहत प्रायोजित अभ्यर्थियों की राज्य&वार संख्या

क्र0 सं0	राज्य@ संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2015&2016
1	आंध्र प्रदेश	39
2	अरुणाचल प्रदेश	8
3	असम	47
4	बिहार	8
5	छत्तीसगढ़	0
6	दिल्ली	12
7	गोवा	1
8	गुजरात	10
9	हरियाणा	2
10	हिमाचल प्रदेश	4
11	जम्मू और कश्मीर	1
12	झारखंड	6
13	कर्नाटक	9
14	केरल	8
15	मध्य प्रदेश	14
16	महाराष्ट्र	16
17	मणिपुर	4
18	मेघालय	11
19	मिजोरम	18
20	नागालैण्ड	2
21	ओड़ीशा	263
22	पंजाब	11
23	राजस्थान	5
24	सिक्किम	0
25	तमिलनाडु	187
26	तेलंगाना	270
27	त्रिपुरा	4
28	उत्तराखंड	1
29	उत्तर प्रदेश	11
30	पश्चिम बंगाल	48
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
32	चंडीगढ़	0
33	दादरा और नगर हवेली	0
34	दमन और द्वीप	0
35	लक्षद्वीप	0
36	पुदुचेरी	6
कुल:		1026

रिपोर्टाधीन वर्ष] 2015&16 के दौरान 1597 अभ्यर्थियों पर 3.82 करोड़ रुपए की व्यय हुआ

चित्रांक 6.5(iii): शिक्षा वर्ष 2015&17 के दौरान 'स्वामीकृपूर्व स्मार्ट गांव विश्वविद्यालय में शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए स्वामीकृपूर्व सेरिट अभिवृत्ति योजना' के तहत प्रायोजित अभ्यर्थियों की राज्य&वार संख्या



6.5 (iv) गेट अर्हता प्राप्त एम.ई/एम.टेक./एम.फार्मा छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] जेई@जीपीएटी अर्हता प्राप्त एमई@एम.टेक@एम. फॉर्मा पाठ्यक्रमों और संबंधित सेवाओं पाठ्यक्रमों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को लागू कर रहा है। योजना का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी शिक्षा को जारी रखने हेतु प्रतिभावान स्नातक इंजीनियरिंग युवा छात्रों को आकर्षित करने में सक्षम करना है।

योजना के अंतर्गत से तकनीकी डिग्रीधारकों को प्रोत्साहन करने वाले विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता हेतु प्रतिवर्ष 1200 छात्रवृत्तियों के लिये वाला प्रस्तुत कर रहे हैं।

वित्तांक 01.12.2014 से वित्तीय सहायता की प्रमुख विशेषता है:

ब्यौरा	छात्रवृत्ति की दर	छात्रवृत्ति की अवधि
जेई@जीपीएटी में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति	12,000@& रुपये प्रतिमाह की दर से	केवल दो@तीन वर्ष
आकस्मिक राशि	5,000@& रुपये प्रतिवर्ष की दर से	
जेई@जीपीएटी में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति	10,000@& रुपये प्रतिमाह की दर से	
आकस्मिक राशि	5,000@& रुपये प्रतिवर्ष की दर से	

रिपोर्टाधीन वर्ष 2015&16 के दौरान 1545 आवेदनों पर 6.3 करोड़ रुपए की व्यय हुआ।

6.6 स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियां

6.6 (i) उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए "ईशान उदय" नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्तर&पूर्व क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विशेष पहल विकसित है। जीईआर में वृद्धि करने तथा उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उत्तर&पूर्व क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा सत्र 2014&15 से उत्तर&पूर्व क्षेत्र हेतु एक विशेष छात्रवृत्ति योजना "ईशान उदय" की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। योजना शुरू करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य सरकार] केंद्र तथा उत्तर&पूर्व क्षेत्र के राज्य विश्वविद्यालयों] मानव संसाधन विकास मंत्रालय] उत्तर&पूर्व परिषद] शिलांग तथा अन्य हितधारकों के साथ व्यापक रूप से परामर्श किया।

वित्तीय सहायता का स्वरूप निम्नवत है:&

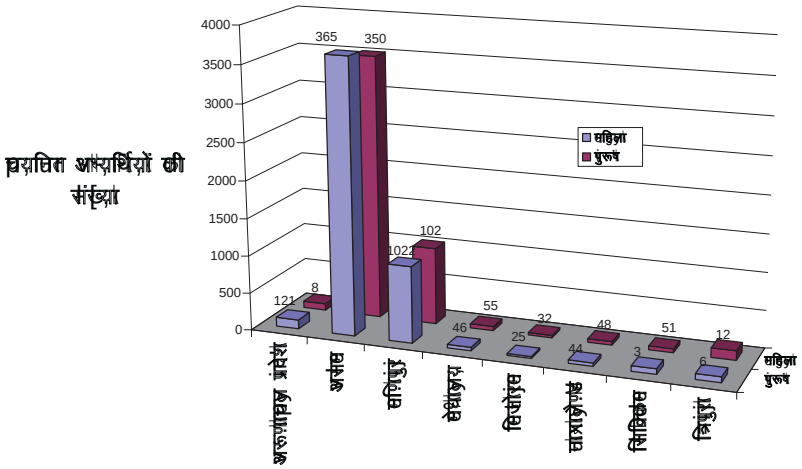
क्र0 सं0	ब्यौरा	वित्तांक 01.12.2014 से छात्रवृत्ति की दर	छात्रवृत्ति की अवधि
1.	छात्रवृत्ति की राशि (सामान्य संबंधित के पाठ्यक्रमों के लिए)	5,400@& रुपये प्रतिमाह	स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिए
2.	छात्रवृत्ति की राशि (व्यावसायिक और अर्ध&व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रमों हेतु)	7,800@& रुपए प्रतिमाह	

रिपोर्टाधीन वर्ष] 2015&16 के दौरान 9027 छात्रवृत्ति धारकों पर 74.74 करोड़ रुपए की व्यय हुआ।

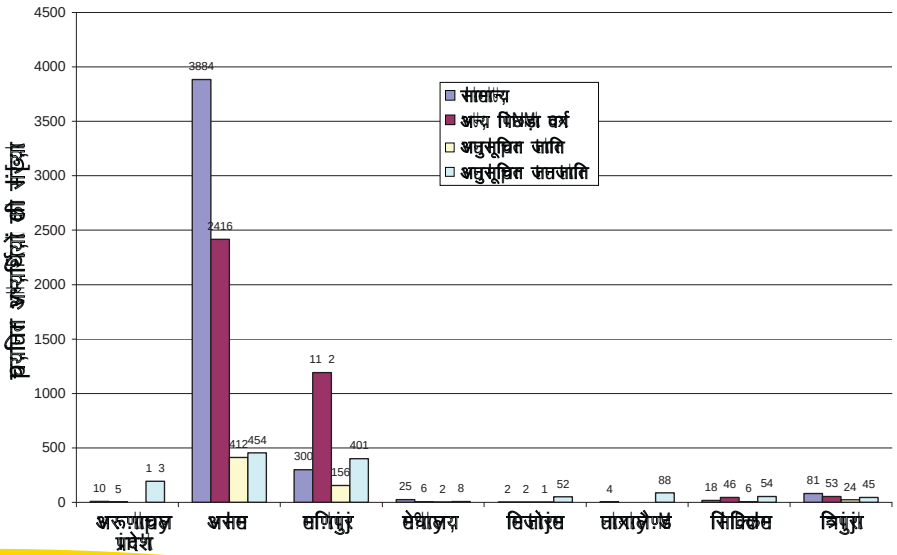
तालिका 6.6 (i) : वर्ष 2015&16 के लिए उत्तर&पूर्व क्षेत्र हेतु "ईशान उदय" शीर्षक विशेष अभियान योजना के तहत अभियान हेतु प्रशिक्षण की स्थिति

क्र0 सं0	राज्य@संघ राज्य क्षेत्र	महिला					पुरुष					शारीरिक रूप से विशेषित व्यक्ति	कुल योग
		सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल		
1	अरुणाचल प्रदेश	2	1		118	121	8	4		75	87	2	208
2	असम	1860	1320	212	265	3657	2024	1096	200	189	3509	17	7166
3	मणिपुर	148	611	73	190	1022	152	581	83	211	1027	1	2049
4	मेघालय	9	1		36	46	16	5	2	32	55		101
5	मिजोरम	1	1		23	25	1	1	1	29	32		57
6	नागालैण्ड	1			43	44	3			45	48		92
7	सिक्किम	7	28	3	35	73	11	18	3	19	51		124
8	त्रिपुरा	31	14	9	22	76	50	39	15	23	127		203
	कुल योग	2059	1976	297	732	5064	2265	1744	304	623	4936	20	10000

रेखाचित्र 6.6(i): उत्तर&पूर्व क्षेत्र के लिए "ईशान उदय" शीर्षक विशेष अभियान योजना के तहत अभियान हेतु प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की राज्य तथा लिंगवार संख्या



रेखाचित्र 6.6(i): उत्तर&पूर्व क्षेत्र के लिए "ईशान उदय" शीर्षक विशेष अभियान योजना के तहत अभियान हेतु प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की राज्य तथा श्रेणीवार संख्या



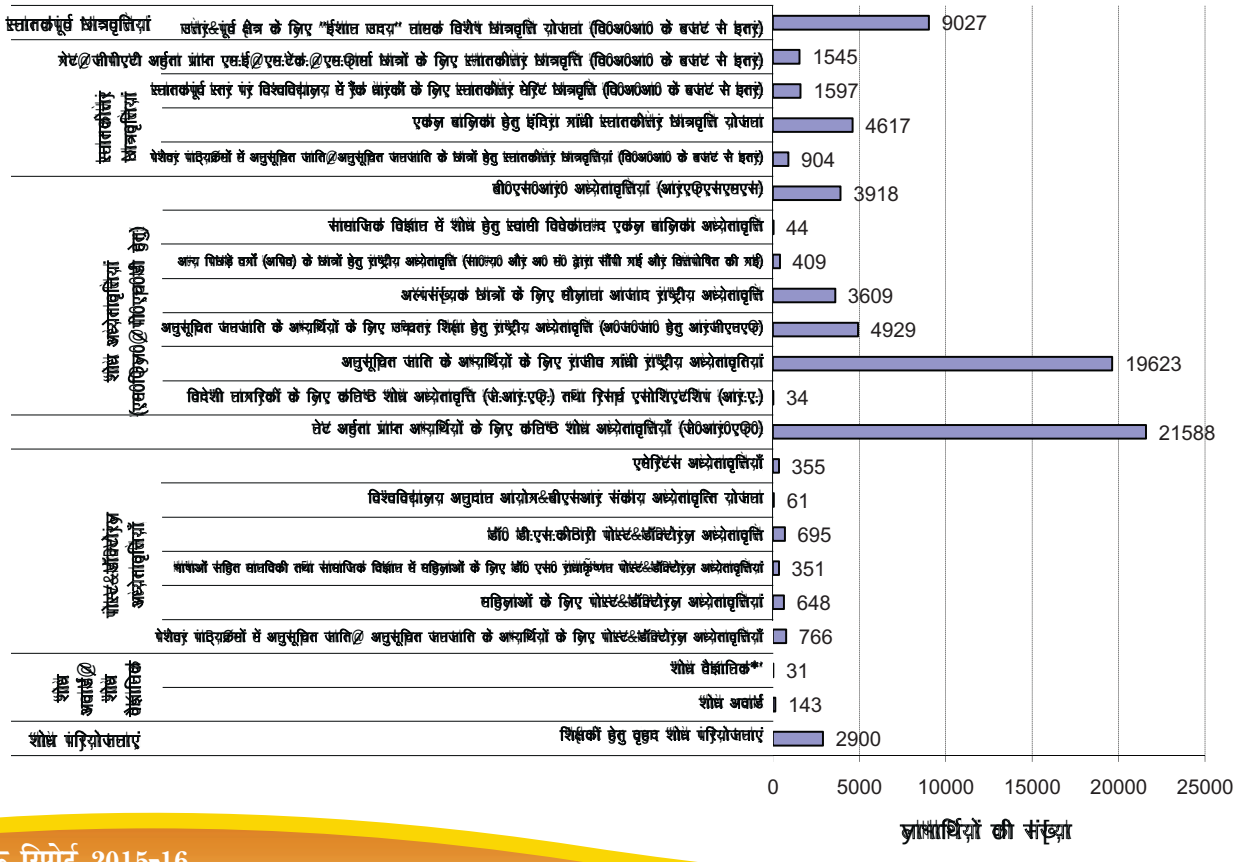
तालिका (6.2 से 6.6): वर्ष 2015&16 के दौरान शोध अवार्ड@शोध वैज्ञानिक, पोस्ट डॉक्टोरेट अध्येतावृत्ति, शोध अध्येतावृत्ति, स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति, स्नातकपूर्व छात्रवृत्ति योजनाओं का ब्यौरा

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना की प्रारंभ करने का वर्ष	प्रतिवर्ष स्कॉलरों की संख्या	अध्येतावृत्ति@ छात्रवृत्ति की अवधि	प्रदानित लाभार्थियों की संख्या	वर्ष 2015&16 के दौरान जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)
6.1 शिक्षकों हेतु वृहद शोध परियोजनाएं						
6.1	वृहद शोध परियोजनाएं (एसआरपी)				2900	107.00
6.2 शोध अवार्ड@शोध वैज्ञानिक						
6.2(i)	शोध अवार्ड		100	2 वर्ष	143	11.49
6.2(ii)	शोध वैज्ञानिक*	1983			31	6.50
6.3 पोस्ट&डॉक्टोरेट अध्येतावृत्तियाँ						
6.3(i)	देशभर के विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति@ अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए पोस्ट&डॉक्टोरेट अध्येतावृत्तियाँ	2006-07	100	2 वर्ष	766	22.61
6.3(ii)	महिलाओं के लिए पोस्ट&डॉक्टोरेट अध्येतावृत्तियां	1998	100	5 वर्ष	648	31.14
6.3(iii)	भाषाओं सहित सामाजिकी तथा मानविकी विषयों में महिलाओं के लिए डॉ0 एस0 राधाकृष्णन पोस्ट&डॉक्टोरेट अध्येतावृत्तियां	2014-15	200	3 वर्ष	351	13.57
6.3(iv)	डॉ0 डी.एस.कोठारी पोस्ट&डॉक्टोरेट अध्येतावृत्ति	2008-2009	500	3 वर्ष	695	40.20
6.3(v)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग&डीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति योजना	2010-11	(कोई अधिकतम सीमा नहीं)	3 वर्ष	61	4.35
6.3(vi)	एसेरिटस अध्येतावृत्तियाँ		किसी दिये गये समय पांच को वर्षों के लिए 200	2 वर्ष	355	10.24
6.4 शोध अध्येतावृत्तियां (एस0एफ0@पी0एच0डी हेतु)						
6.4(i)	सेट अर्हता प्राप्त आवेदकों के लिए केन्द्रित शोध अध्येतावृत्तियाँ (पी0आर0एफ0) (भारतीय छात्रकों हेतु)	1957-58	8800	5 वर्ष	21588	543.58
6.4(ii)	विदेशी छात्रकों के लिए केन्द्रित शोध अध्येतावृत्ति (पी.आर.एफ.) तथा शोध एसोशिएटशिप (आर.ए.)	1957-.58	207	4 वर्ष	34	0.62
6.4(iii)	अनुसूचित जाति के आवेदकों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां	2005-2006	2000	5 वर्ष	19623	178.10
6.4(iii)(a)	अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (अ0ज0जा0 हेतु आरजीएसएफ)	2005-06	750	5 वर्ष	4929	52.13
6.4(iv)	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (वर्ष 2009&2010 से आरंभ की गई योजना तथा अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित की गई)	2009-2010	756	5 वर्ष	3609	74.26
6.4(v)	अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (सा0 न्याय और अ0 स0 द्वारा सौंपी गई और विज्ञापित की गई)	2014-15	300	5 वर्ष	409	15.12
6.4(vi)	विशेषज्ञ छात्रों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विशेषज्ञता विभाग द्वारा सौंपी गई और विज्ञापित की गई)	2012-13	200	5 वर्ष		

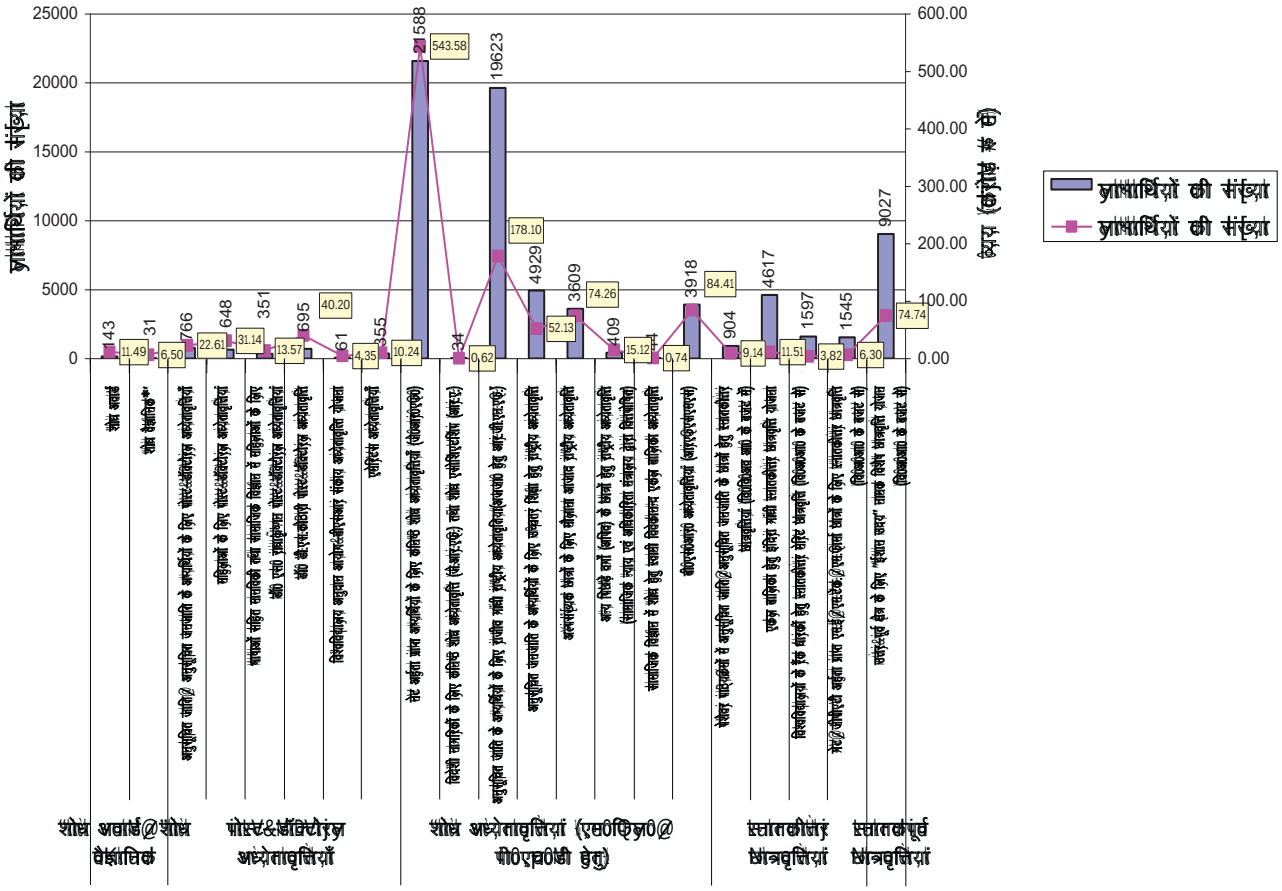
क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना की प्रारंभ करने का वर्ष	प्रतिवर्ष स्कॉलरों की संख्या	अध्येतावृत्ति@ छात्रवृत्ति की अवधि	प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या	वर्ष 2015&16 के दौरान जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)
6.4(vii)	सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानन्द एकल बालिका अध्येतावृत्ति	2014-15	300	4	5 वर्ष	44	0.74
6.4(viii)	बी0एस0आर0 अध्येतावृत्तियां (आर्इ0एफ0एस0एस)	2006-07	1500	5 वर्ष	3918	84.41
			6.5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां			
6.5(i)	पेशेवर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां (वि0अ0आ0 के बजट से इतर)	2006-07	1000	2	3 वर्ष	904	9.14
6.5(ii)	एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	2005-07	कोई सीमा नहीं	2 वर्ष	4617	11.51
6.5(iii)	विश्वविद्यालय में रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति (वि0अ0आ0 के बजट से इतर)	2005-07	3000	2 वर्ष	1597	3.82
6.5(iv)	मेरे@जीएटी अर्हता प्राप्त एस:ई@एस:टैक: @एस:ओबी छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (वि0अ0आ0 के बजट से इतर)		1400	2	3 वर्ष	1545	6.3
			6.6 स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियां			
6.6(i)	स्नातक&पूर्व क्षेत्र के लिए "ईशान उदय" स्नातक विशेष छात्रवृत्ति योजना (वि0अ0आ0 के बजट से इतर)	2014-15	10000	स्नातकपूर्व स्तर की पूर्ण अवधि के लिए		9027	74.74

*योजना की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बंद कर दिया गया है, केवल पुराने साक्षरों की ही विनियोजित किया जा रहा है। वर्तमान में, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों@समविद्यालयों@संस्थानों में 69 शोध वैज्ञानिक ही कार्यरत हैं।

रेखाचित्र 6.1 से 6.6(क): वर्ष 2015&16 के दौरान अध्येतावृत्तियों& छात्रवृत्तियों और योजना&वार लाभार्थियों (शिक्षकों@छात्र) की संख्या :



चित्र 6.1 से 6.6(ख): वर्ष 2014&15 के दौरान प्रोत्साहन&वृत्ति प्राप्तार्थियों की संख्या तथा किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)



6.7 (ग) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) भारत सरकार द्वारा अनुदानों का अंतरण करने की प्रणाली को परिवर्तित करने का प्रयास है। डीबीटी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति विशेष को प्राप्त होने वाले लाभ इलेक्ट्रानिक माध्यम से सीधे उसके बैंक खाते में जाएं जिसमें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न स्तरों की कैप किया जा सके जिससे मुद्रास्फीति से विमुक्त की कैप से कैप किया जा सके। लाभार्थी की सटीक ढंग से पहचान किया जा सके तथा लाभ की चोरी तथा धोखाधड़ी से बचा जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्य मंत्रालय की योजनाओं सहित 16 अध्येतावृत्ति@छात्रवृत्ति योजनाओं की डीबीटी के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है।

डीबीटी के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति योजनाएं

1: एसेट्रिएम छात्रवृत्तियां
2: डॉ0 डीएस कोठारी पोस्ट डॉक्टोरेट अध्येतावृत्ति
3: महिलाओं के लिए पोस्ट&डॉक्टोरेट अध्येतावृत्तियां
4: सामाजिक तथा मानविकी विज्ञान में डॉ0 एस0 राधाकृष्णन पोस्ट&डॉक्टोरेट अध्येतावृत्तियां
5: अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु पोस्ट डॉक्टोरेट अध्येतावृत्तियां
6: शोध (पीएचडी) हेतु डीएसकेसी अध्येतावृत्तियां
7: मानविकी विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानन्द एकेश डाबिका अध्येतावृत्ति
8: विज्ञान] मानविकी तथा मानविक विज्ञान में अविभि शोध अध्येतावृत्ति
9: विश्वविद्यालय में रैंक धारकों के लिए स्नातकीत्तर छात्रवृत्ति
10: एकेश डाबिका के लिए इंदिरा गांधी स्नातकीत्तर छात्रवृत्ति

11. अ0जा0@अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों के लिए पेशेवर पाठ्यक्रमों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति
12. पश्चिम&पूर्वी क्षेत्र हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना 'ईशान सपर्या'

डीबीटी के तहत अन्य मंत्रालयों की अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति योजनाएं

13. अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति&(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)
14. अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)
15. अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)
16. अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (जनजातीय कार्य मंत्रालय)

इसके अलावा, निम्नलिखित तीन योजनाओं को डीबीटी मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है।

17. डीएसकेएस अध्येतावृत्तियां
18. एसई@एसटी अर्हता प्राप्त स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एस:ई@एस:टी:एस:ऐसे छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति
19. विज्ञान&कला में स्नातक विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा

वित्त वर्ष 2015&16 के दौरान वि0अ0जा0 की विभिन्न योजनाओं के तहत 36]630 विद्यार्थियों@अध्येताओं को 781.75 करोड़ रुपए की राशि का संवितरण किया गया।

तालिका 6.7 वर्ष 2015&16 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्तार्थियों की संख्या तथा मंजूरीकृत किया गया@जारी किया गया अनुदान

क्र0 सं0	योजना का नाम	डीबीटी		गैर&डीबीटी		कुल	
		प्राप्तार्थियों की संख्या	मंजूरीकृत किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)	प्राप्तार्थियों की संख्या	मंजूरीकृत किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)	प्राप्तार्थियों की संख्या	मंजूरीकृत किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)
1	डीएसकेएस संकाय अध्येतावृत्ति*	0	0	61	4.35	61	4.35
2	शोध वैज्ञानिक*	0	0	31	6.497	31	6.50
3	शोध अवार्ड*	0	0	143	11.49	143	11.49
4	ऐकडेमी रिसर्च फेलोशिप*	0	0	83	8.58	83	8.58
5	संकाय की एकमुश्त अनुदान*	0	0	22	1.29	22	1.29
6	स्टार्ट&अप अनुदान*	0	0	78	4.69	78	4.69
7	एसेरिटस अध्येतावृत्ति	355	10.24	0	0	355	10.24
8	सावित्री में डॉ0 एस0 राधाकृष्णन पोस्ट&डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां	351	13.57	0	0	351	13.57

क्र0 सं0	योजना का नाम	डीबीटी		नैर्ड&डीबीटी		कुल	
		लाभार्थियों की संख्या	संस्वीकृत किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	संस्वीकृत किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	संस्वीकृत किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)
9	डॉ0 डी.एस.कोठारी पोस्ट&डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति	566	33.59	129	6.61	695	40.2
10	अ0जा0@अ0ज0जा0 हेतु पोस्ट&डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति	364	22.48	402	0.12	766	22.6
11	महिलाओं के लिए पोस्ट&डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां	426	21.64	222	9.5	648	31.14
12	विज्ञान, सामाजिकी तथा मानविकी विज्ञान में वरिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियां	8011	239.82	13577	303.76	21588	543.58
13	विदेशी नागरिकों हेतु जेआरएफ तथा आरए*	0	0	34	0.62	34	0.62
14	आधारभूत विज्ञान शोध अध्येतावृत्तियां	1366	42.47	2552	41.94	3918	84.41
15	शोध हेतु स्त्री विवेकानन्द एकल बालिका अध्येतावृत्ति	44	0.74	0	0	44	0.74
16	$भियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में जेआरएफ*	0	0	34	1.05	34	1.05
17	विश्वविद्यालय रैंक धारकों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां	1597	3.82	0	0	1597	3.82
18	पेर@पीपेर अर्हता प्राप्त छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां*	0	0	1545	6.3	1545	6.3
19	अ0जा0@अ0ज0जा0 हेतु पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां	904	9.14	0	0	904	9.14

क्र0 सं0	योजना का नाम	डीबीटी		नैर्ड&डीबीटी		कुल	
		लाभार्थियों की संख्या	संस्वीकृत किया गया अनुमान (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	संस्वीकृत किया गया अनुमान (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	संस्वीकृत किया गया अनुमान (करोड़ रुपए में)
20	एकलव्य बालिका हेतु इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकीय छात्रवृत्ति योजना	4617	11.51	0	0	4617	11.51
21	नेहरू&कूप में पंचक विधाओं हेतु निःशुल्क शिक्षा*	0	0	40	0.3	40	0.3
22	उत्तर&पूर्व क्षेत्र के लिए "ईशान उदय" उत्तर विशेष छात्रवृत्ति योजना	9027	74.66	0	0.08	9027	74.74
	कुल (सा0मं0वि0सं0 योजनाएं)	27628	483.68	18953	407.18	46581	890.86
23	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2408	70.11	1201	4.15	3609	74.26
24	अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	387	15.1	22	0.02	409	15.12
25	अनुसूचित जाति के आर्थिकों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां	4740	168.92	14883	9.18	19623	178.1
26	अनुसूचित जनजाति के आर्थिकों के लिए वर्ष 2015 से उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (पूर्व में आरजीएनएफ&एमजी)	1408	46.24	3521	5.89	4929	52.13
	कुल (अन्य मंत्रालयों की योजनाएं)	8943	300.37	19627	19.24	28570	319.61
कुल योग (सा0मं0वि0सं0 तथा अन्य मंत्रालय)		36571	784.05	38580	426.417	75151	1210.467

नोटः $योजनाएं बंद की गई केवल प्रतिबद्ध देयताएं शेष
*डीबीटी के तहत कार्यान्वित नहीं की जा रही योजनाएं

6.8 खेल पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए निशुल्क शिक्षा योजना

खेल पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए निशुल्क शिक्षा योजना की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बारहवीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया है। योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत खिलाड़ीयों/खिलाड़ियों तथा अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों सहित पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत तथा राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं अथवा वर्सिटी मीट, अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति तथा एशिया ओलम्पिक समिति (ओसीए) द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों/ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार छात्र की पात्रता के अध्यधीन, प्रवेश के समय में प्राप्त ब्यौरे के आधार पर राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों की वित्तीय सहायता की प्रतिपूर्ति की जाती है। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित प्रारूप के अनुरूप विधिवत् रूप से अनुप्रमाणित तथा सत्यापित संलग्न दस्तावेजों की जमा करने के लिए जिम्मेदार होगा। योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।

इस योजना के तहत 70 प्राप्तियां हैं तथा वर्ष 2015&16 के दौरान योजना के तहत 40 प्राप्तियों को 0.3 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की गई।

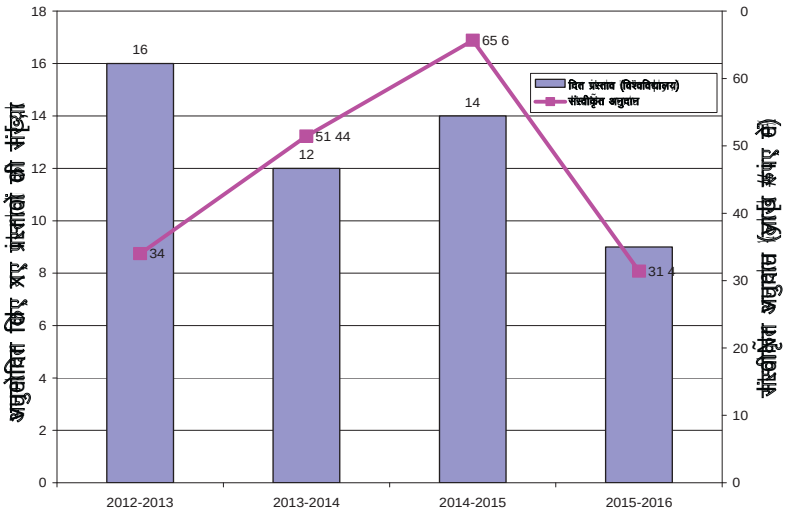
6.9 विभिन्न शैक्षिक तथा शोध क्रियाकलापों हेतु शिक्षकों, विषय/विधा आधारित संघों को प्रोत्साहन देना।

योजना का उद्देश्य सामाजिक विज्ञान, मानविकी तथा भाषाओं में विशिष्ट क्रियाकलापों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर विषय आधारित संघों की सहायता देना है ताकि शिक्षकों तथा शोधार्थियों को पत्र प्रस्तुत करने हेतु सेमिनारों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके जिससे पत्रों का प्रकाशन हो सके। योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/4695352 guidelines-for-incentivisation-of-teachers.pdf से प्राप्त किया जा सकता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् वर्ष 2012&17 (2015&16) के दौरान संस्वीकृत अनुदान की राशि

वर्ष	प्रस्तावों की संख्या		संस्वीकृत अनुदान की राशि (लाख रुपये में)
	प्राप्त (विश्वविद्यालय)	अनुमोदित (विश्वविद्यालय)	
2012-2013	19	16	34
2013-2014	24	12	51.44
2014-2015	19	14	65.67
2015-2016	15	9	31.4
कुल:	62	42	151.11

चित्र 6.9 अनुमोदित किए गए प्रस्तावों (विश्वविद्यालय) की वर्षवार संख्या तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्वीकृत अनुदान



6.10 विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक शोध

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम का xBत किया था तथा वर्ष 2005 में कार्यक्रम की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु यूजीसी मुंबई के पूर्व विशेषज्ञ] प्रो: एस:एस: शर्मा की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति का xBत किया गयाA समिति ने मार्च] 2014 तक लगभग 8 वर्ष तक की अवधि तक कार्य किएA तत्पश्चात] कार्यक्रम की सिफारिशों को लागू करने के लिए नवम्बर] 2014 में प्रो0 अनिल सहस्त्रबुद्धि की अध्यक्षता में दूसरी अधिकार प्राप्त समिति का xBत किया गयाA

कार्यक्रम की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिकार प्राप्त समिति के मार्गदर्शन में निम्नवत योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैंA

6.10 (i) फैकल्टी रीचार्ज प्रोग्राम (एफआरपी)

'ऑपरेशन फैकल्टी रिचार्ज' की वर्ष 2011 में आरंभ किया गया है जिसके तहत 1000 संकाय के पदों का सृजन किया गया है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा किए गया हैA इस योजना के कार्यान्वयन हेतु जेएनयू में एक प्रकोष्ठ की भी स्थापना की जा चुकी है जिसमे प्रो0 आर0 पी0 यादवी राष्ट्रीय समन्वयक तथा प्रो0 मुकेश पांडिया सहायक समन्वयक नियुक्त किये गये हैंA वर्तमान में] 265 संकाय अर्थात् आचार्य@सहायक आचार्य@सह आचार्यों का चयन किया जा चुका है जिनमें से 95 ने कार्य xहण कर लिया हैA

संकायों अर्थात् आचार्य@सह&आचार्य@सहायक आचार्य की नियुक्ति की कार्यावधि 5 वर्ष है जिसके उपरान्त समकक्षी समीक्षा (पीयर&रीव्यू) की जायेगीA सिद्धांत रूप में "फैकल्टी रिचार्ज" पदों की अधिवार्षिकता की आयु (65 वर्ष) तक जारी रखा जा सकता हैA पांच वर्ष के प्रत्येक कार्यकाल में समाप्ति सूत्रांकन का समावेश हैA

वित्तीय सहायता:

वेतन: वि0श0आ0 संकाय की केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संकाय के समकक्ष परिलब्धियां प्राप्त होती हैंA

अतिरिक्त अनुदान:

संकाय पदधारियों को शोध हेतु 6:00 लाख #पये तक का एकमुश्त&अप अनुदान प्राप्त होता हैA

वर्ष 2015&16 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों@संस्थानों में प्रायिन 83 प्रायिन संकायों की वेतन तथा एकमुश्त&अप अनुदान के लिए 8:58 करोड़ #पये व्यय किये गयेA

6.10(ii) नेटवर्किंग शोध केन्द्र: समर-विंटर स्कूल

नेटवर्किंग शोध केन्द्र की स्थापना के उद्देश्य निम्नवत हैं&

1: सत्र&सत्र पर पत्र] कार्यशाला तथा सीखकारीय@शीतकारीय विद्यालयों के माध्यम से संकाय तथा शोध विद्वानों का शोध प्रशिक्षण तथा कौशल विकासA

2: संकाय एवं विषयों की समझ शोध कौशल में वृद्धि करने तथा नई पहलें प्रारम्भ करने के लिए क्षमता निर्माण A

3: सहयोगपूर्ण प्रयास करने के लिए अन्य संस्थानों@विश्वविद्यालयों में शोधकर्ताओं की आवंटित करना तथा नई भुविधा प्रदान करनाA

4: अन्य संस्थानों@शोधकर्ताओं की सुपरिचालित शोध सूचना उपलब्ध कराने के लिए विषय की सूचना संसाधन सुविधा में वृद्धि करनाA

5: विषय के भीतर अत्याधुनिक शोध अवसंरचना तथा अन्य शोध सुविधाओं में वृद्धि करना तथा समझ विकसित करनाA

बीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय शोध केन्द्रों की स्थापना के लिए अधिकतम प्रति इकाई विस्तरण 10 विभागों को अनुमोदित किया गया है।

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय का नाम	विभाग	स्थापना का वर्ष
1	मनुमंई लोकमान्य विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	जीव विज्ञान	2008
2	कोलकाता विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	रेडियो भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स	2008
3	हैदराबाद विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	रसायन	2008
4	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ साईंस, बंगलुरू	पदार्थ अभियांत्रिकी	2008
5	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ केमीकल टेक्नोलॉजी, मुंबई	रसायन अभियांत्रिकी	2008
6	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ साईंस, बंगलुरू	जीव विज्ञान का एक भाग	2008
7	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	वनस्पति विज्ञान	2008
8	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	भौतिकी	2008
9	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	स्कूल ऑफ़ लाईफ़ साईंस	2008
10	हैदराबाद विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	भौतिकी	2014&2015

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 2015–16 के दौरान सात विभागों के लिए अब तक 12.30 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं।

6.10(iii) भर्ती हुए नये संकाय सदस्यों हेतु 'स्टार्ट-अप' अनुदान

इस योजना के तहत ऐसे सभी शिक्षक पात्र हैं जो सहायक आचार्य के पद पर नये भर्ती हुए हों और जो पी0एच0डी0 सम्पन्न कर चुके हों तथा जिनके अनुमोदित/सम्पूर्ण दस्तावेजों में कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित हो चुके हों। विश्वविद्यालय की विशिष्ट प्रक्रिया को पालन करते हुए सूचीभूत विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संकायों में स्थायी पद के समक्ष विभाग/विश्वविद्यालयों में कार्यग्रहण करने की तिथि से छह माह के भीतर की अवधि के भीतर आवेदन करने वाले सहायक आचार्य, योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में नए भर्ती हुए 78 संकाय सदस्यों को 4.69 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

6.10(iv) बीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों को "एकमुश्त अनुदान"

इस एकमुश्त अनुदान "योजना" के तहत शिक्षक को शोध कार्य करने के लिए 7.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इस अनुदान को प्रति वर्ष के आधार पर सम्पादित, रसायन की प्रायोगिक आवश्यकता तथा क्षेत्र कार्य हेतु सम्पादित किया जा सकता है।

शिक्षकों को एकमुश्त अनुदान देने की प्रक्रिया अपने विशिष्टता प्राप्त क्षेत्र में शोध जारी रखना है। न्यूनतम पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:

- सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व कम से कम दो वर्ष की सेवा शेष होनी चाहिए।
- आवेदन की तिथि तक सेवानिवृत्ति के दौरान कम से कम 15 पीएचडी प्रदान की हो और पिछले पांच वर्षों के दौरान कम से कम 5 पीएचडी प्रदान की हों।
- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों और/अथवा सहयोग द्वारा वित्त प्राप्त कम से कम पांच प्रायोजित शोध परियोजनाओं की सफलतापूर्वक पूरा किया हो और साथ ही प्राप्त वित्त का ब्यौरा प्रस्तुत करें।
- वर्तमान में चल रही शोध परियोजनाएं और पीएचडी 'सुपरवाइजर' का ब्यौरा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "एकमुश्त अनुदान" प्राप्त करने के संबंध में एक पृष्ठ में औचित्य के साथ अनुदान के सम्पादन की विशिष्ट योजना प्रस्तुत की जाए।

विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोध कार्य कर रहे 22 शिक्षकों को 1.29 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

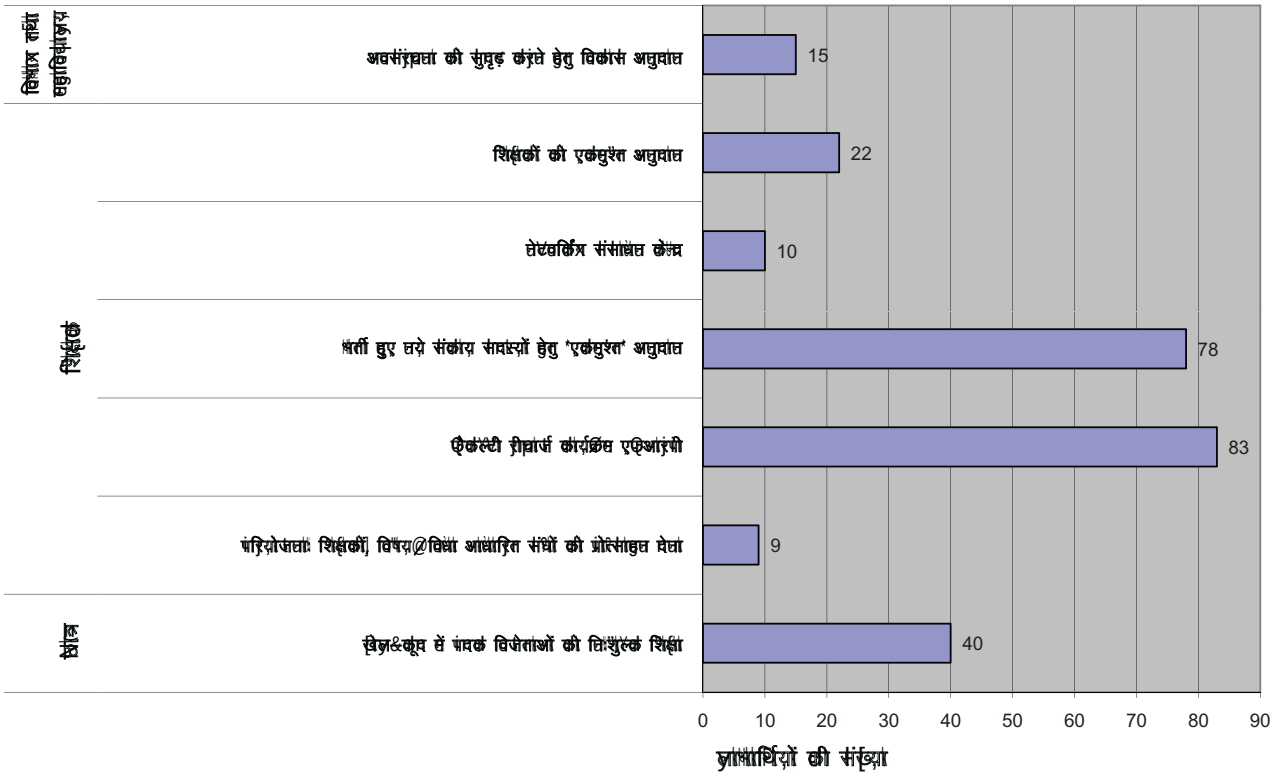
6.10 महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभागों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विकास अनुदान

शीर्ष में सतर्कता की जानकारी देने के लिए विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विज्ञान के स्नातकीय स्तर के शीर्ष संस्थान अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अपेक्षित औजार आपूर्ति, प्रयोगशालाओं, कार्य करने हेतु बेंच और अपेक्षित अन्य अवसंरचना को सुदृढ करने के लिए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय विभागों को विकास अनुदान सम्मिलित करवाया गया है। वर्ष 2015&16 के दौरान एमएमी विभागों, स्वायत्त महाविद्यालयों, सतर्कता की संभाव्यता वाले महाविद्यालयों, यूजी&एमएमी विभागों, एचएएमी प्रत्यायित महाविद्यालयों की जारी किए गए अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र0 सं0	योजना का नाम	अनुमोदित परिमाण			लाभार्थियों की संख्या
1	एमएमी विभागों (सीएएस विभागों@डीएमए विभागों@ डीआरएस विभागों) के लिए अवसंरचना विकास अनुदान	डीएएस हेतु			
		• प्रथम किस्त	20.00 लाख रुपये		डीआरएस हेतु
		• दूसरी और तीसरी किस्त	20.00 लाख रुपये		2 विभाग
		डीएमए@सीएएस हेतु			
		• प्रथम किस्त	20.00 लाख रुपये		
		• दूसरी और तीसरी किस्त	30.00 लाख रुपये		
2	यूजी&सैम विभागों हेतु अवसंरचना अनुदान	यूजी&सैम			
		(सी0एच0डी0 प्रस्तुत किए जाने पर)			यूजी&सैम हेतु
		प्रथम किस्त:			01 विभाग
		संकाय सदस्यों की संख्या	पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रवर्तित सी0एच0डी0 की संख्या	संस्तुत अवसंरचनात्मक अनुदान (राशि रु0 में)	
		5 और अधिक	10 और अधिक	10 लाख	
		10 और अधिक	20 और अधिक	15 लाख	
		15 लाख	25 और अधिक	25 लाख	
		सम्पोषक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर अनुदान की संस्तुत राशि द्वितीय किस्त के रूप में संस्वीकृत की जा चुकी है।			
3	सतर्कता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय की अवसंरचना	सीजीपीई के वर्षों वाले विज्ञान महाविद्यालयों हेतु अवसंरचनात्मक विद्युत आपूर्ति, संरक्षा सम्पर्कण, प्यूज ब्रूड और कोल करने की सेवा आदि की व्यवस्था करने के लिए विज्ञान विभागों की प्रथम किस्त के रूप में प्रति विज्ञान विभाग 5.00 लाख रुपये सम्मिलित करवाये गये हैं।			10 महाविद्यालय
4	स्वायत्त महाविद्यालयों हेतु अवसंरचनात्मक अनुदान	स्वायत्त वर्षों वाले विज्ञान महाविद्यालयों हेतु अवसंरचनात्मक विद्युत आपूर्ति, संरक्षा सम्पर्कण, प्यूज ब्रूड और कोल करने की सेवा आदि की व्यवस्था करने के लिए स्वायत्त महाविद्यालयों की प्रथम किस्त के रूप में 10.00 लाख रुपये सम्मिलित करवाये गये हैं।			शून्य
5	एचएएमी प्रत्यायित स्नातकीय विज्ञान महाविद्यालयों हेतु अवसंरचना अनुदान	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी पद्धति के अनुसार न्यूनतम डीडी$$ स्तर तथा नई पद्धति के अनुसार न्यूनतम डी स्तर के एचएएमी प्रत्यायित विज्ञान के स्नातकीय महाविद्यालयों की प्रयोगशालाओं की सुदृढ करने हेतु 10 लाख रु0 की एकमुश्त अनुदान राशि सम्मिलित करवाता है।			शून्य
				कुल	15

क्र0 सं0	योजना का नाम	वर्ष 2015&2016 के लिए जारी किया गया अनुदान (करोड़ रूपये में)
1.	डीआरएस	0.40
2.	सैप&सैप	0.30
3.	सीपीई	4.56
4.	स्वायत्त महाविद्यालय	:
5.	एसएएसी महाविद्यालय	:
	कुल	5.26

रेखाचित्र 6.7 & 6.10 : अन्य योजनाएं: लाभार्थी शोध संवर्धन: 2015&16



अध्याय 7

लिंग तथा सामाजिक समानता

- भारतीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास
- उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों का क्षमता निर्माण
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक छात्रों तथा निशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अनुशिक्षाण योजनाएं
- अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला शिक्षार्थियों के लिए आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों के माध्यम से अनशिक्षाण योजनाएं
- निशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं
- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में समान अवसर प्रको
- सामाजिक बहि करण एवं समावेशन की नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना

7.1 महिला अध्ययन

7.1(क) भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास

योजना के निम्नवत उद्देश्य हैं:-

(i) शि ण] शोध तथा क्षेत्र कार्यवाही के माध्यम से महिला अध्ययन के विस्तार हेतु महिला अध्ययन केन्द्रों की वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(ii) सामाजिक परिवर्तन] विकास तथा शोषण की प्रक्रियाओं के संबंध में महिलाओं दृष्टिकोण को समाहृत करते हुए समाज के संबंध में शोध को बढ़ावा के लिए अंतर विषयक पद्धति तथा सिद्धांत को समझना।

(iii) क्षेत्र कार्यवाही कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र की वास्तविकता के साथ समाहृत संपर्क को बढ़ावा देना जिससे इसको सार्थक अभिविन्यास प्रक्रियाओं में किया जा सके।

वित्त विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में "भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययन के विकास की योजना" के तहत 151 महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम] 1956 की धारा 2(f) तथा 12(B) के तहत सहायता प्राप्त तथा संघटक द्वारा सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के तहत महिला विकास अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार] वर्ष 2015&16 में विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययनों केन्द्रों हेतु वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नवत है:

मद	आवर्ती आवश्यक (प्रतिवर्ष)	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनावर्ती आवश्यक
मद&I	₹ 31]00]000@&	₹ 5]00]000@&
मद&II	₹ 46]50]000@&	₹ 5]00]000@&
मद&III	₹ 63]00]000@&	₹ 5]00]000@&
सकल केन्द्र	₹ 73]00]000@&	₹ 10]00]000@&

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययनों केन्द्रों हेतु वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नवत है:

ब्रांण	प्रतिवर्ष आवंटन
ब्रांण&I	5.00 लाख #ंए
ब्रांण&II	8.00 लाख #ंए
ब्रांण&III	12.00 लाख #ंए

यह योजना जारी है तथा (एक पंचवर्षीय योजना से दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसे) विस्तार दिया जाता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012&17 (2015&16) के दौरान 5.73 करोड़ ₹ का अनुमान प्रस्तुत किया गया।

7.1(ख) उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों का क्षमता निर्माण

इसके निम्नवत उद्देश्य हैं:&

(i) देशभर में लिंग संतुलन करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना।

(ii) व्यावसायिक शिक्षा के प्रशासकों की नीतियों तथा प्रक्रियाओं के संदर्भ में संवेदनशील बनाना जो महिलाओं की सहायता तथा विविधता को प्रभावित करते हैं तथा उसकी समझ को संवर्धित करते हैं।

(iii) प्रशासन बनने हेतु महिला महिलाओं की क्षमता के सशक्तिकरण पर विशेष बल देकर व्यावसायिक शिक्षा के गुणात्मक विकास में सहायता करना।

योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों द्वारा 205 संवेदीकरण@जागरूकता@अभिप्रेरण (एमएएस)] 22 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी)] 13 प्रबंधन कौशल संवर्धन वर्कशॉप (एसएमईएस) तथा 5 पुनश्चर्या कार्यशालाएं आयोजित की गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(फ) तथा 12ख के तहत सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय पात्र हैं तथापि] केवल ऐसे विश्वविद्यालय केंद्र तथा महाविद्यालय ही प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने एक या एक से अधिक महिला@महिला शिक्षाविदों तथा प्रशासकों की संवेदीकरण@जागरूकता@अभिप्रेरण कार्यशाला में सम्मिलित किया है।

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नवत है:

सत्र	प्रायत प्रति कार्यशाला
कार्यशाला	`
30 प्रतिभागियों के लिए 5 दिनों तक संवेदनशील बनाना@जागरूकता पैदा करना@अभिप्रेरणा (एसःएःएसः) क्षेत्र&आवासीय कार्यशालाएँ	2]00]000@&
30 प्रतिभागियों के लिए 5 दिनों तक संवेदनशील बनाना@जागरूकता पैदा करना@अभिप्रेरणा (एसःएःएसः) आवासीय कार्यशालाएँ	4]00]000@&
30 प्रतिभागियों के लिए 5 दिनों तक प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण(टी0ओ0टी0)] संवेदनशील बनाना@जागरूकता पैदा करना@ अभिप्रेरणा (एसःएःएसः) आवासीय कार्यशालाएँ	4]00]000@&
30 प्रतिभागियों के लिए 6 दिन तक प्रबंधन कौशल सशक्त सॉफ्टवेयर (एसएमईएस) कार्यशाला जिसमें प्रति मॉड्यूल 2 कार्य दिवसों का होता है	4]00]000@&
30 प्रतिभागियों के लिए 3 दिन तक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	2]00]000@&
30 प्रतिभागियों के लिए 6 दिन तक शीर्ष प्रबंधन कार्यशाला	4]00]000@&

विश्वविद्यालय विभाग@केंद्र@विद्यालय के आवेदन द्वारा संस्थान की अध्यक्ष@संकाय अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथापति द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए।

7.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग के अलावा), अल्पसंख्यकों तथा निशक्त व्यक्तियों हेतु कार्यक्रम

भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षण तथा शिक्षणेतर पदों तथा विश्वविद्यालय@महाविद्यालय में सभी स्तरों पर सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति] अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विशेषत व्यक्तियों हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समस्त रूप से निगरानी कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुधारा 30(1) के तहत आने वाले अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, सब विश्वविद्यालयों तथा डीम्ड डिग्री दे सकाने का अधिकार प्राप्त किये गये वाले सभी संस्थानों में लागू मंत्रालय विकास संत्रालय (सान्दर्भिक और सक्षम शिक्षा विभाग) के दिनांक 6 दिसम्बर, 2005 के पत्र सं: एफ 6&30@2005 यू&5 आरक्षण नीति को प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा।

भारत सरकार के दिशेशों के अनुपालन में सभी ही सरकार द्वारा अनुमूचित जाति@अनुमूचित जनजाति के संबंध में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु समय&समय पर जारी विभिन्न अनुदेशों, शिक्षा संस्थानों में अनुमूचित जाति@अनुमूचित जनजाति हेतु आरक्षण संबंधी विशेषादेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार किए गए तथा आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए तत्पश्चात् इन्हें विश्वविद्यालय, सब विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा अन्य अनुदान सहायता प्राप्त करने वाले अन्य संस्थानों में दिनांक 25.8.2006 के पत्रांक सं: एफ 1&5@2006 (एनसीटी) के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए जारी किया गया@भेजे गए।

विश्वविद्यालय तथा संस्थान में प्रवेश, शिक्षण तथा शिक्षेत्तर पदों में नियुक्तियों तथा सबके सांविधिक विकासों यथा निर्देशक, कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद, इत्यादि समिति आदि में अनुमूचित जाति, अनुमूचित जनजाति की प्रतिनिधित्व देने के लिए अपने अधिनियम@परिनियम में संशोधन करने हेतु समय&समय पर कार्यवाही करने, यदि पहले नहीं की गई हो तो, का भी अनुरोध किया।

जून, 2015 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय&समय पर संगत अधिकारी का पालन करने तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय@सब विश्वविद्यालय में पदों तथा सेवाओं में आवेदों के प्रवर्तन हेतु एक प्रणाली B की स्थापना करने के संबंध में दिनांक 4 जनवरी, 2013 के का:ज्ञा: सं: 43011@153@2010&स्था (आरएमएस) के कार्यालय ज्ञापन की प्रति परिचालित की। का:ज्ञा: में आरे संगत अधिकारी के कर्तव्यों तथा जवाबदारियों का ब्यौरा दिया गया है। विश्वविद्यालय@संस्थान ने सबके विश्वविद्यालय के सभी पदक तथा संबद्ध महाविद्यालयों में इसे परिचालित करने तथा इस संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही करने का भी अनुरोध किया।

विश्वविद्यालय@संस्थान की सपर्युक्त विशेषादेशों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट सपलब्ध करने का अनुदेश दिया जाता है जिसमें विहित प्रारूप में वर्ष 2015&16 के लिए शिक्षण तथा शिक्षेत्तर पदों के साथ&साथ सभी स्तरों पर पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने तथा छात्रावास आवास के संबंध में आंकड़ों की जानकारी देने का अनुदेश दिया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में स्थापित अनुमूचित जाति@अनुमूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग अनुभाग प्रवेश, शिक्षण तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षेत्तर पदों पर अनुमूचित जाति, अनुमूचित जनजाति तथा विशेषज्ञ अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन करता है। समिति में शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा विशेषज्ञ, पूर्व कुलपति तथा विशिष्ट व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्यासी, महाविद्यालय शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव के निवारण के लिए सतत् रूप से प्रयासरत है। वर्ष, 2016 के दौरान भी विश्वविद्यालय@संस्थान से निम्नवत कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया:&

1. अधिकारियों@संकाय सदस्यों की अनुमूचित जाति@अनुमूचित जनजाति के छात्रों के साथ सबके सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव करने से बचना चाहिए।

2. विश्वविद्यालय@संस्थान@महाविद्यालय की अपनी वेबसाईट पर अनुमूचित जाति@अनुमूचित जनजाति के छात्रों द्वारा जाति संबंधी भेदभाव की शिकायत करने के लिए एक पेज विकसित करना चाहिए। साथ ही इस प्रयोजनार्थ कुल सचिव@प्राचार्य के कार्यालय में एक शिकायत रजिस्टर रखा जाना चाहिए। यदि शिकायतों के बारे में ऐसा कोई संकेत मिलता है तो दोषी करने वाले अधिकारी@संकाय सदस्यों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए।

3. विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी अधिकारी@संकाय सदस्य छात्र के किसी समुदाय या श्रेणी के विरुद्ध किसी प्रकार का भी भेदभावपूर्ण कार्य नहीं करे।

4. विश्वविद्यालय@संस्थान की अपने अधिकारियों@संकाय सदस्यों की जातिगत भेदभाव की ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए अधिक संवेदनशील होना चाहिए तथा ई&मेल : sctsection@gmail.com या विहित रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को की गई शिकायतें भेजनी चाहिए।

वर्ष 2015&16 के दौरान शिक्षण, शिक्षणेतर पदों, छात्रों के प्रवेश तथा छात्रावास में निवास करने वाले छात्रों के संबंध में 31 केन्द्रीय, 93 राज्य सार्वजनिक, 16 मान विश्वविद्यालयों द्वारा जानकारी भेजी गई जो निम्नवत है &

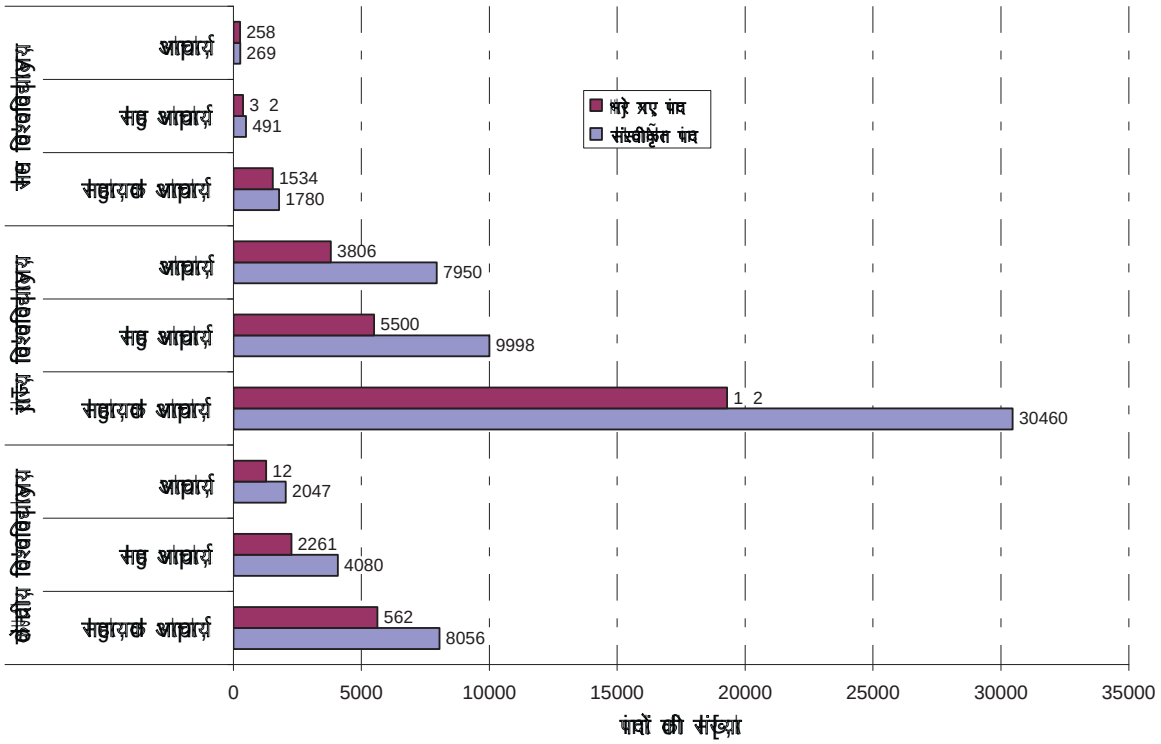
7.2 (i) शिक्षण में चुने जाने की संभावनाएं ** : 2015&16

विश्वविद्यालय का स्वरूप	पद	पदों की संख्या	कुल भरे गए पदों में से कार्यरत अभ्यर्थियों की संख्या					*कुल पदों में से रिक्त पदों की संख्या		
		संस्वीकृत	सामान्य	अ0 पि0 व0	अ0 जा0	अ0 ज0 जा0	कुल*	शारीरिक रूप से विशक्त	सुरक्षित	अन्य अभ्यर्थियों के अनुसार
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	सहायक आचार्य	8056	3880	779	673	297	5629	84	789	333
	सह आचार्य	4080	2132	15	98	16	2261	17	388	80
	आचार्य	2047	1223	16	31	7	1277	6	460	70
राज्य विश्वविद्यालय	सहायक आचार्य	30460	12841	3332	2626	498	19297	102	507	281
	सह आचार्य	9998	4113	774	539	74	5500	18	68	126
	आचार्य	7950	2489	919	358	40	3806	10	72	95
मान विश्वविद्यालय	सहायक आचार्य	1780	1027	320	145	42	1534	13	17	41
	सह आचार्य	491	310	37	23	2	372	2	6	19
	आचार्य	269	235	17	4	2	258	6	3	8

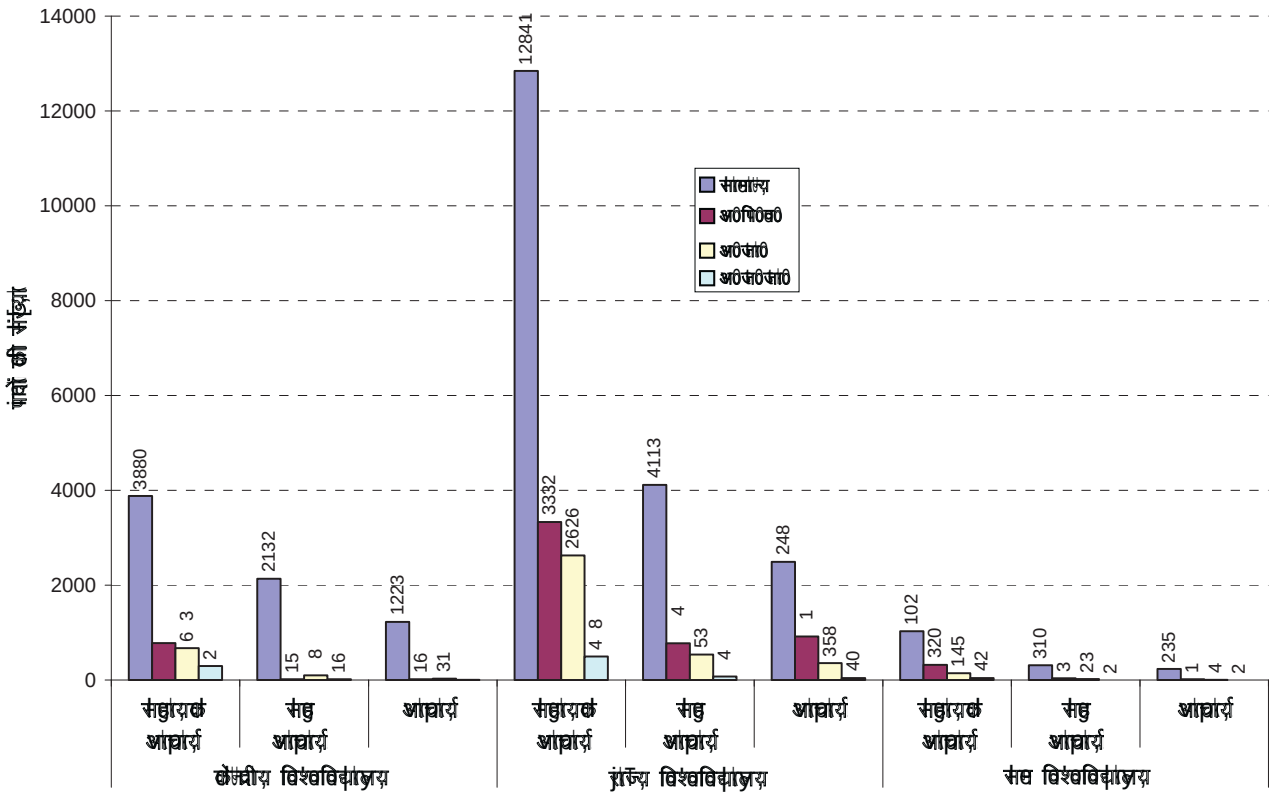
नोट: *विश्वविद्यालय द्वारा दी गई प्रस्तुत जानकारी

** यह जानकारी 31 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 93 राज्य विश्वविद्यालय और 16 मानविश्वविद्यालयों के संबंध में है।

चित्र 7.2 (i): वर्ष 2015&16 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और मानविश्वविद्यालयों में संस्वीकृत** तथा भरे गए** शिक्षण पदों की प्रत्यारोपित संख्या



आरेखचित्र 7.2(i)(क): वर्ष 2015&16 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालयों में भरे गए शिक्षण पदों की श्रेणीवार संख्या



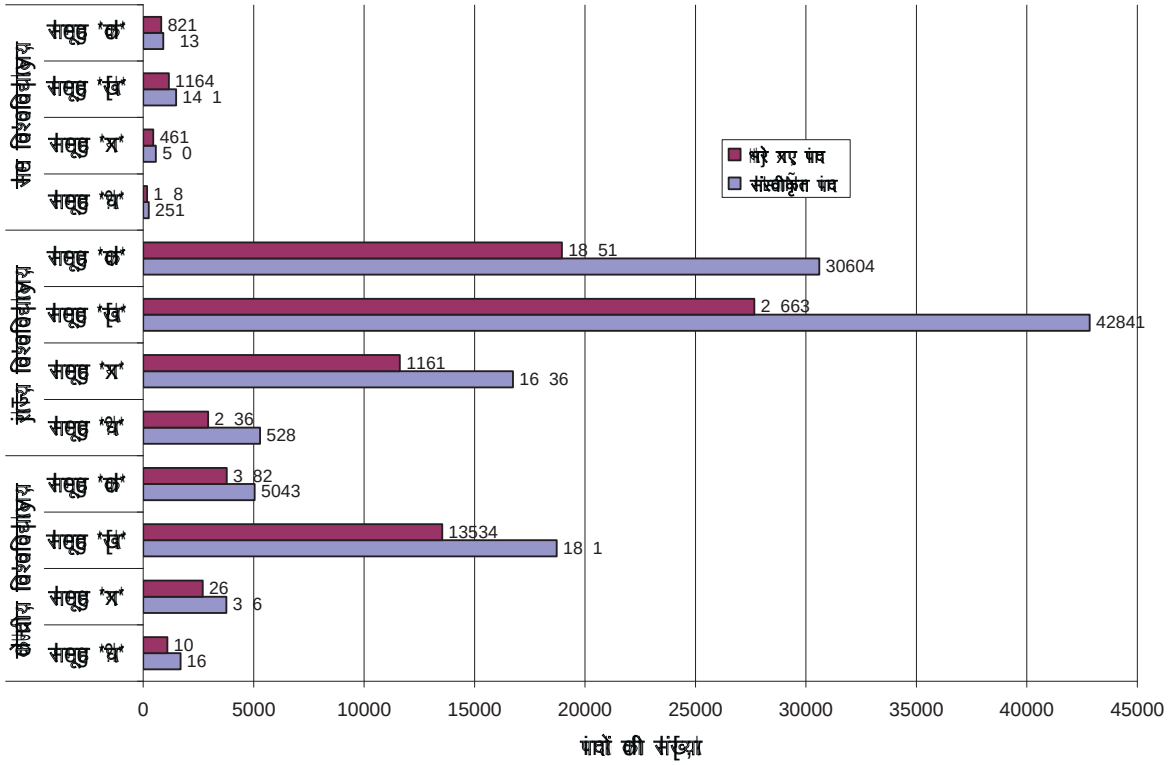
तालिका 7.2(ii) : शिक्षणेतर कर्मचारिवृंद** : 2015&16

विश्वविद्यालय का स्वरूप	पद	पदों की संख्या	कुल भरे गए पदों में से कार्यरत कर्मचारियों की संख्या					*कुल पदों में से रिक्तियां		
		संस्वीकृत	सामान्य	अ0 पि0 व0	अ0 जा0	अ0 ज0 जा0	कुल*	शारीरिक रूप से विशेषक्त	सुरक्षित	अन्य आरक्षण संख्या के अनुसार
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	समूह 'क'	1697	856	102	91	48	1097	10	178	71
	समूह 'ख'	3767	2243	111	230	113	2697	16	822	273
	समूह 'ग'	18717	10865	976	1175	518	13534	118	3541	783
	समूह 'घ'	5043	2139	889	613	141	3782	20	246	264
राज्य विश्वविद्यालय	समूह 'क'	5287	2283	314	271	68	2936	14	111	38
	समूह 'ख'	16736	7951	2090	1427	149	11617	156	1006	146
	समूह 'ग'	42841	15657	6938	4321	747	27663	389	659	573
	समूह 'घ'	30604	10533	4227	3424	767	18951	219	1127	207
सम विश्वविद्यालय	समूह 'क'	251	130	31	13	4	178	3	4	11
	समूह 'ख'	570	288	109	56	8	461	4	0	12
	समूह 'ग'	1491	663	295	164	42	1164	21	12	22
	समूह 'घ'	913	192	334	275	20	821	6	5	0

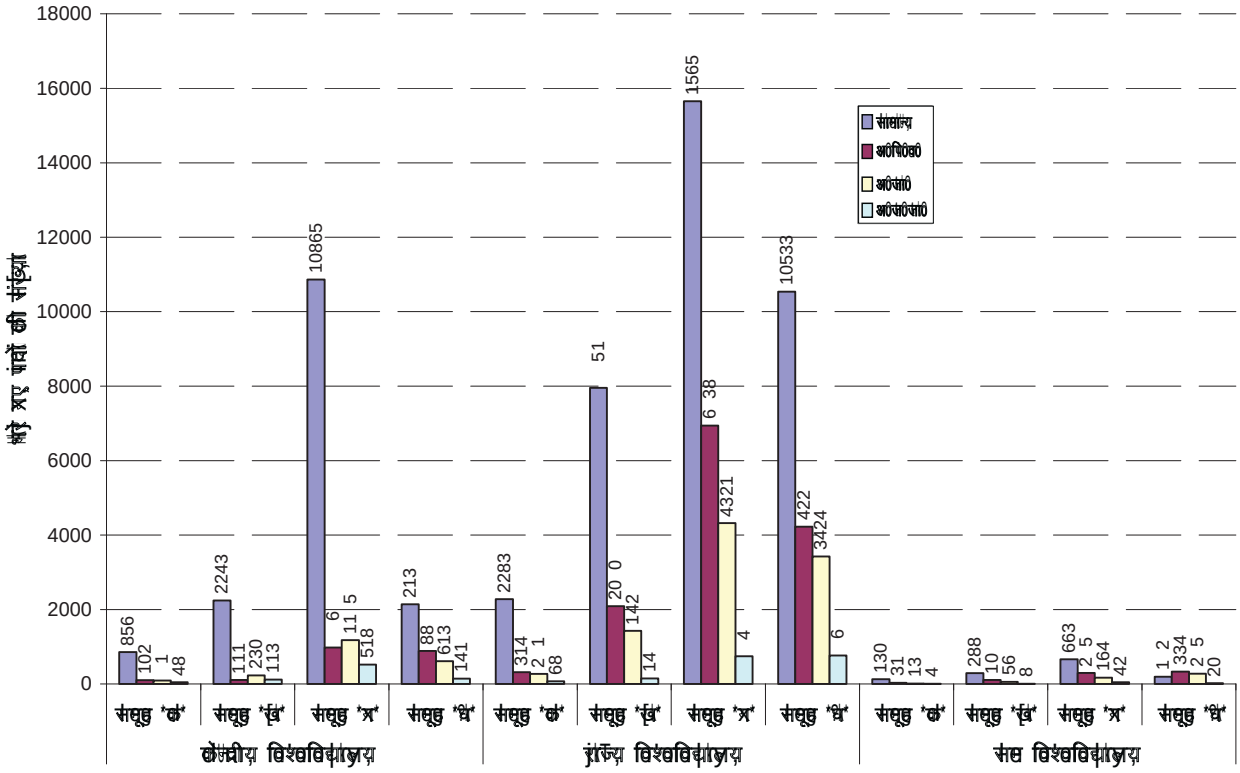
नोट: *विश्वविद्यालय द्वारा यथा प्रस्तुत आंकड़े

* * यह जानकारी 31 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 93 राज्य विश्वविद्यालय और 16 समविश्वविद्यालयों के संबंध में है।

रेखाचित्र 7.2 (ii): वर्ष 2015&16 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालयों में संस्वीकृत तथा भरे गए शिक्षणेतर पदों की स्थितिवार स्थिति



रेखाचित्र 7.2(ii)(क): वर्ष 2015&16 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालयों में शिक्षणेतर कर्मचारियों का श्रेणीवार संवितरण



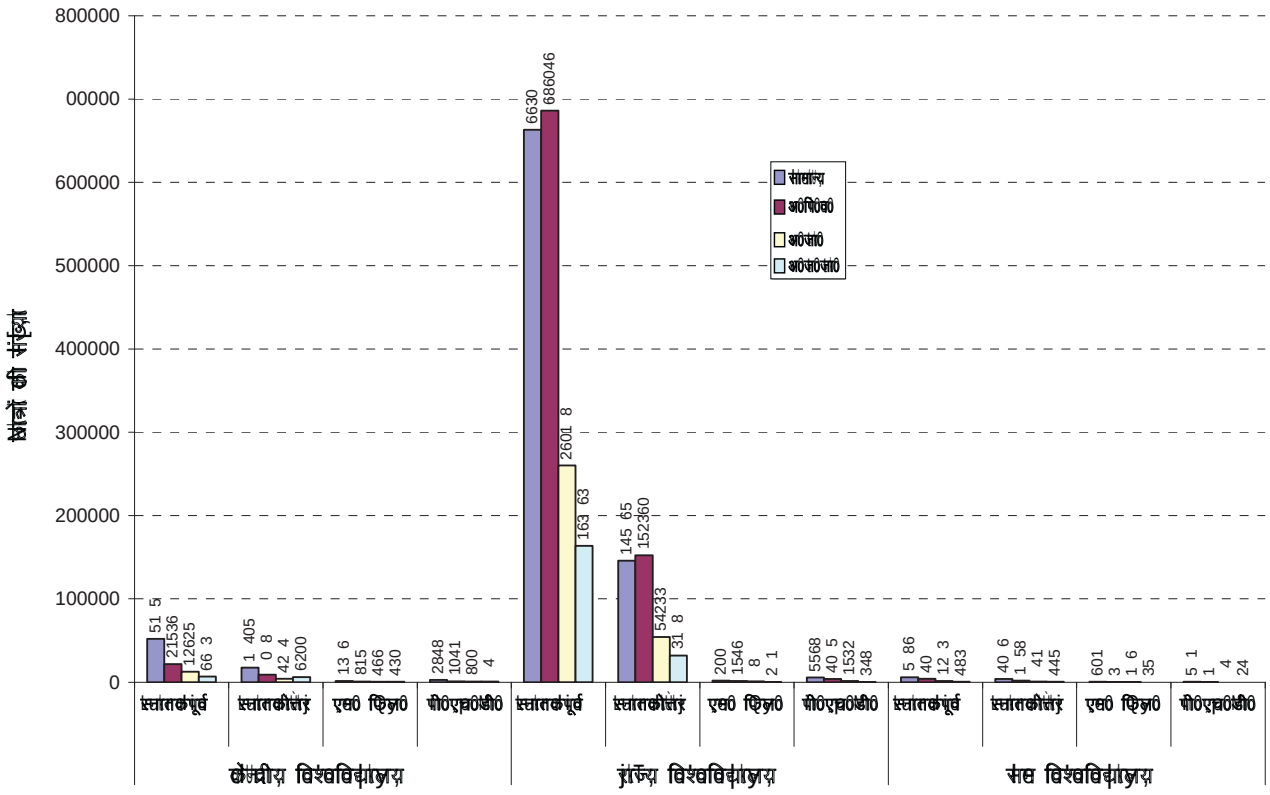
तालिका 7.2(iii): वर्ष 2015&16 के दौरान दाखिला प्राप्त करने वाले छात्रों की श्रेणीवार संख्या (प्रवेश का प्रथम वर्ष**)

विश्वविद्यालय का स्वरूप	पंथ	दाखिला प्राप्त करने वाले छात्रों की श्रेणीवार संख्या (प्रवेश का प्रथम वर्ष)							
		सामान्य	अ0पि0व	अ0जा0	अ0ज0जा0	कुल*	शारीरिक रूप से विशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
							*कुल पदों में से पदों की संख्या		
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	स्नातकपूर्व	51959	21536	12625	6673	92793	896	5638	3421
	स्नातकोत्तर	17405	9078	4294	6200	36977	465	4936	2998
	एम0 फिल0	1376	815	466	430	3087	57	207	166
	पी0 एच0 डी0	2848	1041	800	949	5638	46	316	729
राज्य विश्वविद्यालय	स्नातकपूर्व	663097	686046	260198	163763	1773104	1891	58146	83743
	स्नातकोत्तर	145965	152360	54233	31989	384547	776	12815	6760
	एम0 फिल0	2009	1546	989	271	4815	228	289	121
	पी0 एच0 डी0	5568	4075	1532	348	11523	34	922	596
मंस विश्वविद्यालय	स्नातकपूर्व	5986	4099	1273	483	11841	33	218	171
	स्नातकोत्तर	4076	1958	741	445	7220	19	72	87
	एम0 फिल0	601	397	176	35	1209	1	9	43
	पी0 एच0 डी0	571	179	74	24	848	3	8	22

नोट: *विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

**यह जानकारी 30 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 91 राज्य विश्वविद्यालयों और 16 मंसविश्वविद्यालयों के संबंध में है।

चित्र 7.2(iii): वर्ष 2015&16 के दौरान दाखिला प्राप्त करने वाले छात्रों की श्रेणीवार संख्या (प्रवेश का प्रथम वर्ष)

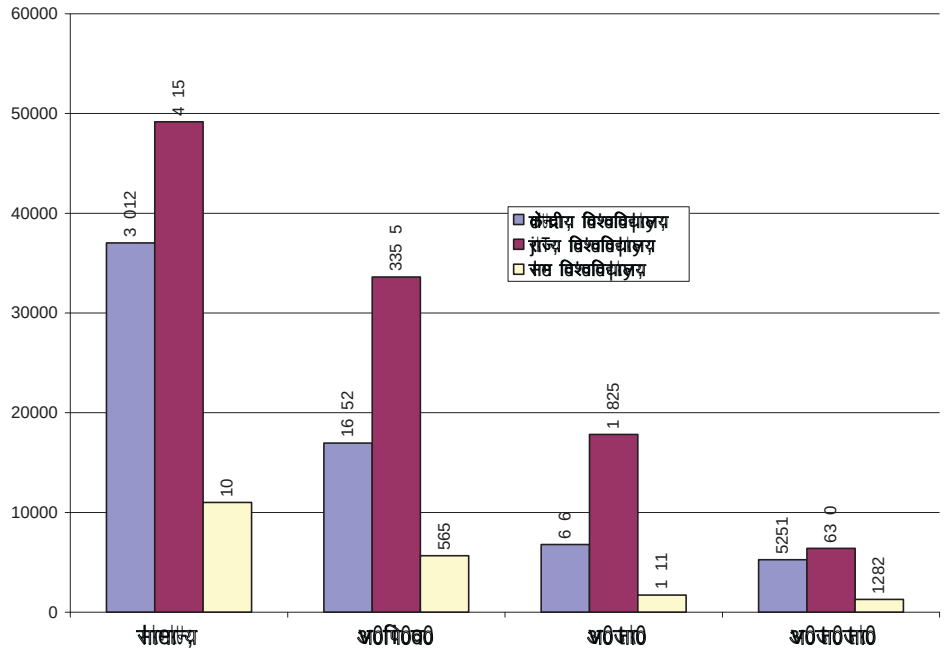


7.2(iv) छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के संबंध में ब्यौरा

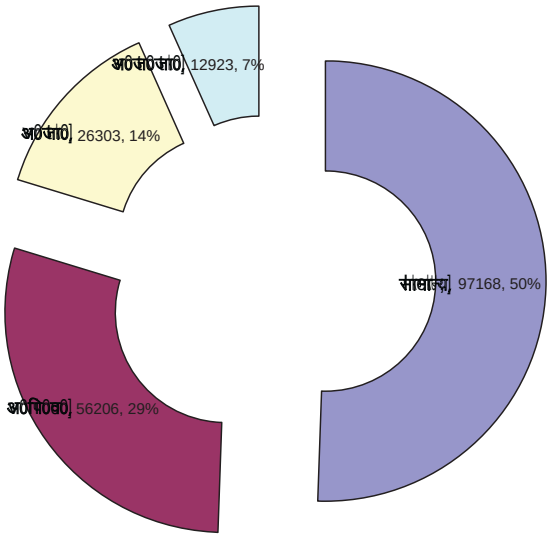
विश्वविद्यालय	जानकारी उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	छात्रावासों की संख्या	क्षमता	छात्रावास में रहने वाले छात्रों की संख्या					*कुल मामलों में से विभिन्न मामलों की संख्या		
				सामान्य	अ0पि0व	अ0जा0	अ0ज0जा0	कुल*	शारीरिक रूप से विशक्त	दुष्कर्म	अन्य अपराध संख्या के अनुसार
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	28	289	60078	37012	16952	6767	5251	65982	1174	18039	1720
राज्य विश्वविद्यालय	77	381	108431	49157	33595	17825	6390	106967	521	3597	982
मान विश्वविद्यालय	16	91	16379	10999	5659	1711	1282	19651	84	164	363

*विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध किए गए आंकड़े

रेखाचित्र 7.2(iv): वर्ष 2015&16 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और मानविश्वविद्यालयों में निवास करने वाले छात्रों की श्रेणीवार संख्या



रेखाचित्र 7.2(iv)(a): वर्ष 2015&16 के दौरान विश्वविद्यालयों में निवास करने वाले छात्रों की श्रेणीवार संख्या



7.2(v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग)/अल्पसंख्यकों हेतु अनुशिक्षण योजनाएं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में विशेष अनुशिक्षण योजनाओं के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों के लिए सामाजिक समावेशन तथा सामाजिक] आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में योगदान दे रहा है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभिक वर्षों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से महाविद्यालय की योजनागत अनुदान जारी किया गया था। वर्ष 2014&15 के दौरान विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के लिए अनुशिक्षण योजनाओं की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अपेक्षित योजनाओं से हटाकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वतंत्र अनुभाग अर्थात् अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग अनुभाग में अंतरित कर दिया गया है।

- अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग अनुभाग द्वारा महाविद्यालयों (114 महाविद्यालय की सम्पारी अनुशिक्षण हेतु] 105 महाविद्यालयों की नेताओं में प्रवेश हेतु] 46 महाविद्यालयों&की सेट अनुशिक्षण हेतु) को 19.39 करोड़ #पए] 33 केन्द्रीय@नव विश्वविद्यालयों को 11.62 करोड़ #पए की राशि जारी की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन अनुशिक्षण योजनाओं के तहत जारी किए गए अनुदान का ब्यौरा तालिका 7.2(v)(a) में दिया गया है।

7.2(v)(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक (समुदाय के) छात्रों के लिए उपचारी अनुशिक्षण योजनाएं

आयोग ने वर्ष 1994 में स्नातकपूर्व (यूजी)@स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रों के लाभ हेतु सम्पारी अनुशिक्षण की आयोजना किया था ताकि विभिन्न विषयों में सबके साथ] शैक्षणिक कौशल तथा भाषायी प्रवीणता में सुधार किया जा सके तथा सभी मुद्दों उठाया जा सके तथा परीक्षा में सफल विष्पादन में सुधार किया जा सके।

7.2(v)(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए नेट/सेट हेतु अनुशिक्षण

आयोग ने वर्ष 2004&05 में सेट@नेट हेतु अनुशिक्षण आरंभ किया था ताकि अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (सेट) अथवा राज्य पात्रता परीक्षा (नेट)] जोकि किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में सहायक आचार्य बनने के लिए एक अनिवार्य शर्त है] हेतु प्रशिक्षण दिया जा सके।

7.2(v)(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण कक्षाएं

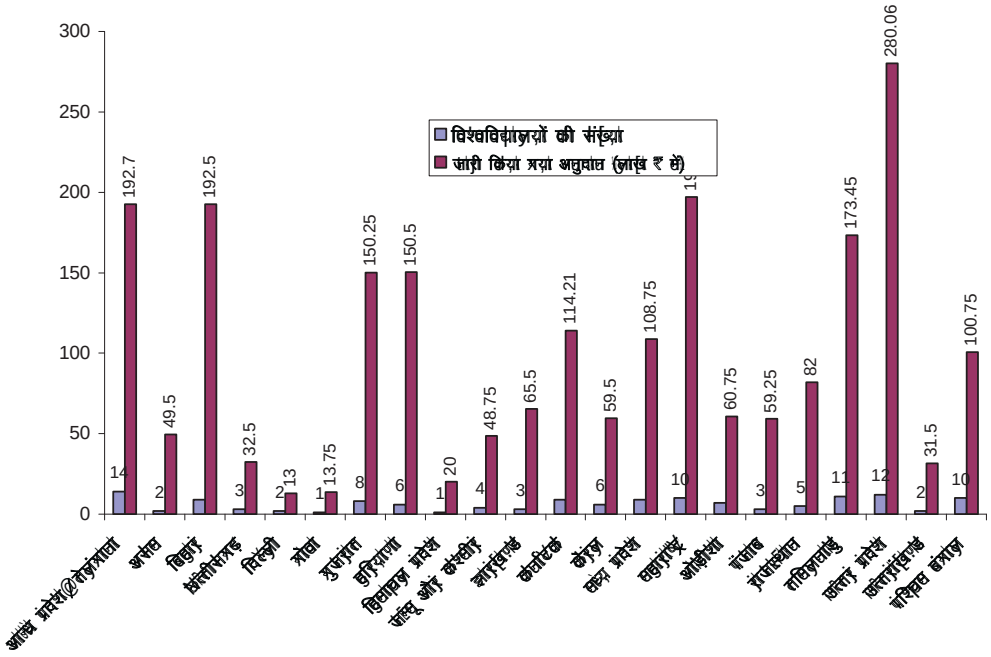
'क'] 'ख'] और 'ग' समूह की केन्द्रीय सेवाओं] राज्य सेवाओं अथवा किसी क्षेत्र में सरकारी स्तर की नौकरियों प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आयोग ने वर्ष 2004&05 में अनुशिक्षण की योजना आरंभ की।

उपर्युक्त उल्लिखित प्रत्येक योजना हेतु वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

विश्वविद्यालयों हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा ▼	
आवर्ती	5.00 लाख ` (एकमुश्त)
आवर्ती	7.00 लाख ` प्रतिवर्ष
महाविद्यालयों हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा ▼	
आवर्ती	5.00 लाख ` (एकमुश्त) और सेट@नेट अनुशिक्षण हेतु 3.50 लाख ` (एकमुश्त)
आवर्ती	2.00 लाख ` प्रति वर्ष (सेट@नेट अनुशिक्षण हेतु 1.50 लाख ` प्रति वर्ष)
अवधि & पांच वर्ष	

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान] अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)@अल्पसंख्यक छात्रों की अनुशिक्षण योजनाओं के तहत अब तक 137 राज्य विश्वविद्यालयों की सहायता प्रदान की गई है।

चित्र 7.2(v): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/ अल्पसंख्यक छात्रों हेतु अनुशिक्षण योजना के तहत अनुमोदित राज्य विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या तथा जारी किया गया अनुदान



7.2(v) (iv): अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं शिक्षार्थियों हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों हेतु अनुशिक्षण योजना

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय] दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय] जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय] बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला शिक्षार्थियों हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की स्थापना की गई है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 31.03.2016 तक इन विश्वविद्यालयों को कुल 58.84 करोड़ रुपए की कुल धनराशि जारी किया गया है।

7.2(v) (v): अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/अल्पसंख्यकों हेतु अनुशिक्षण योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु समिति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/अल्पसंख्यकों से संबंधित अनुशिक्षण योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। विशेषज्ञ समिति की दो बैठकें दिनांक 12 दिसंबर] 2014 तथा 21 जनवरी] 2015 को आयोजित की गई।

तालिका 7.2(v) (क): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/अल्पसंख्यक छात्रों] मौलाना आजाद प्रतियोगी तथा सामाजिक बहिष्करण तथा सामावेशन के अध्ययन हेतु केंद्र की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सीधे/जारी) अनुदान (करोड़ रुपए में)

क्षेत्रीय कार्यालय] केंद्र/संस्थान/राज्य विश्वविद्यालय	आवासीय अनुशिक्षण	सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण	पेयर अनुशिक्षण	मौलाना आजाद प्रतियोगी	सामाजिक बहिष्करण तथा सामावेशन नीति के अध्ययन हेतु केंद्र	कुल राशि
पू.क्षे. का. कोलकाता	19.70	13.33	1.07	1.72	:	35.82
स.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	9.18	7.56	0.27	0.23	:	17.24
स.पू.क्षे. का. हैदराबाद	12.08	8.30	3.52	1.05	:	24.95

क्षेत्रीय कार्यालय/ केंद्र@संस्थान@राज्य विश्वविद्यालय	आवासीय अनुशिक्षण	सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण	सेवा अवसंरचना प्रबंधन	सामाजिक अभिविन्यास तथा सामाजिक नीति के अध्ययन हेतु केंद्र	कुल राशि
स.ग.शि. का. बंगलूरु	8.53	5.42	1.51	1.20	&	16.66
ग.शि.का. पुणे	19.43	13.74	3.06	2.28	&	38.51
एस.सी.आर.डी. लाई दिल्ली *	9.46	6.80	2.09	0.39	&	18.74
स.शि. का. भोपाल	3.47	1.11	0.49	0.61	&	5.68
राज्य विश्वविद्यालय	7.32	7.32	7.32	0.60	&	22.56
केंद्र@संस्थान विश्वविद्यालय*	3.84*	3.84*	3.92*	0.44*	&	12.04*
केंद्रीय@संस्थान@राज्य विश्वविद्यालय	:	:	:	:	12.73*	12.73*
कुल	93.01	67.42	23.25	8.52	12.73	204.93

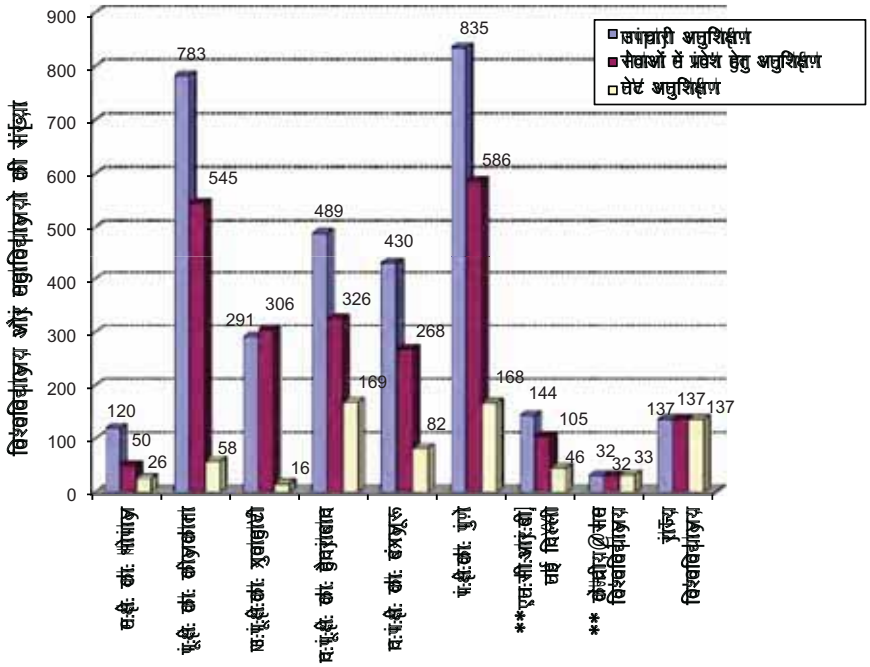
*बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग अनुभाग द्वारा संशोधित अनुवाद

तालिका 7.2(v) (ख): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय@समविद्यालयों के प्राध्यापकों की क्षेत्रवार/योजनावार संख्या

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	सेवाकालीन अनुशिक्षण	सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण	सेवा अनुशिक्षण
स.शि. का. भोपाल	120	50	26
पू.शि. का. कोलकाता	783	545	58
स.पू.शि.का. गुवाहाटी	291	306	16
स.पू.शि. का. हैदराबाद	489	326	169
स.ग.शि. का. बंगलूरु	430	268	82
ग.शि.का. पुणे	835	586	168
**एस.सी.आर.डी. लाई दिल्ली	144	105	46
**केंद्रीय@संस्थान विश्वविद्यालय	32	32	33
राज्य विश्वविद्यालय	137*	137*	137*
कुल	3261	2355	735

* तीनों योजनाओं के अनुशिक्षण (संयोजित) संबंधी आंकड़े
** वर्ष 2015&16 के दौरान प्रदान अनुमूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग अनुभाग से संबंधित आंकड़े

रेखाचित्र 7.2(v) (ख): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत वर्ष 2015&16 के दौरान सामर्थ्य विश्वविद्यालयों और सहविद्यालयों की अनुशिक्षण की योजनावार संख्या



तालिका 7.2(v) (x): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत वर्ष 2015&16 के दौरान सहविद्यालयों में अनुशिक्षण कक्षाओं के सामर्थ्य छात्रों की संख्या संबंधी ब्यौरा

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	सामान्य अनुशिक्षण					सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण					सेवा अनुशिक्षण				
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अल्प& संख्यक	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अल्प& संख्यक	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अल्प& संख्यक	कुल
म.प्र.वि. का भोपाल	6664	7148	12031	1500	27343	1099	1081	2090	435	4705	462	202	8 52	120	1636
पू.प्र.वि. का कोलकाता	25520	8411	23936	16735	74602	8223	2121	8884	3590	22818	424	148	768	96	1436
उ.पू.प्र.वि. गुवाहाटी	8698	21362	13174	7747	50981	4104	15498	7519	6385	33506	291	664	325	456	1736
एस.पी.आर.सी] नई दिल्ली	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं
म.पू.प्र.वि. हैदराबाद	95499	10903	120678	29141	256221	30977	2986	45456	11634	91053	11570	461	19971	4763	36765
म.प.प्र.वि. बंगलूरू	2093	589	6696	6127	15505	266	46	739	868	1919	77	19	205	358	659
प.प्र.वि. पुणे	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं
कुल	138474	48413	176515	61250	424652	44669	21732	64688	22912	154001	12824	1494	22121	5793	42232

ज्ञात नहीं¾ जानकारी सम्प्राप्त नहीं

7.2(vi) निशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

भारत की संविधान सभी व्यक्तियों के लिए गुणवत्तायुक्त जीवन] स्वतंत्रता] न्याय एवं समान सुनिश्चित करता है तथा संविधान अन्तर्निहित तौर से यह अधिदेशित करता है कि विशेषत व्यक्तियों सहित समस्त व्यक्तियों के लिए समावेशी समाज बने। पिछले कुछ वर्षों से विशेषत व्यक्तियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में काफी बड़ा एवं सकारात्मक परिवर्तन आया है। ऐसा अनुभव किया गया है कि विशेषतता से ग्रस्त ऐसे अधिकांश व्यक्तियों की समाज अवमंद प्रभाव करते तथा सही पुनर्वास सम्बन्धी सम्प्रत्यय करने जाने पर वे जीवन की बेहतर ढंग से निर्वाह कर सकते हैं।

विशेषत व्यक्ति अधिनियम] 1995 के अनुसार पृथक रूप से शारीरिक क्षमता रखने वाले व्यक्तियों की शिक्षा के सभी स्तरों तक पहुँच होनी चाहिए। सम्प्रति शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में विश्वविद्यालयों एवं सहविद्यालयों की सहायता प्रदान कर रहा है तथा साथ विशेष शिक्षा संबंधी डिग्री कार्यक्रमों में शामिल कर विशेषत व्यक्तियों की क्षमता बढ़ा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय&समय पर समस्त विश्वविद्यालयों और सम&विश्वविद्यालयों की समस्त नीति&विषयक निर्णयों से अवगत कराया जाता रहा है जिसमें कि विशेषताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए वार्षिक एवं रोजगार के संबंध में मानव संसाधन द्वारा विहित आरक्षण नीतियाँ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त] इस विषय में आयोग के समक्ष पर जो भी निर्णय लिए गए हैं तथा जो निर्देश जारी हुए हैं] उन्हें भी कार्यान्वयन के लिए समस्त विश्वविद्यालयों को जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा विशेषज्ञ व्यक्ति (समान अवसर] अधिकारों की सुरक्षा] संपूर्ण भागीदारी) अधिनियम] 1995 की भी विश्वविद्यालयों को परिपत्र द्वारा प्रेषित कर दिया गया था तथा उनसे अनुरोध किया था कि वे उसमें शामिल प्रावधानों का कड़ाई के साथ अनुपालन करें।

इसके अलावा] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विशेषज्ञता से ग्रस्त व्यक्तियों के हित के लिए योजनाएं भी क्रियान्वित कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय ने रोजगार तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों प्रवेश हेतु विशेषज्ञ व्यक्तियों के लिए आरक्षण की नीति की निगरानी करने तथा उनकी प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल] 2014 को आयोजित हुई।

7.2(vi) (क): निशक्त व्यक्तियों हेतु उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएन)

उद्देश्य

एचईपीएसएन योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से सक्षमता शिक्षा के क्षेत्र में एक परिवेश तैयार करना है ताकि विशेषज्ञ व्यक्तियों के लिए सक्षमता शिक्षा सहज अभिगम के अनुभव की बेहतर बनाया जा सके। विशेषज्ञ व्यक्तियों की सहभागिता के बारे में जागरूकता पैदा करना] विविधीकरण का उद्देश्य समूह में सुधार करना] शिक्षण अनुभव को समृद्ध बनाने के लिए सामंजस्य को बढ़ावा करना&इस योजना के तहत सहायता की कुछ श्रेणियां हैं।

पात्रता

योजना के तहत ऐसे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की वित्तीय सहायता सम्मिलित है जो वि0अ0आ0 अधिनियम] 1956 के तहत धारा 2 (एफ) के तहत आते हैं तथा धारा 12(बी) के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

विश्वविद्यालय हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा

पैरा&I : 1.18 लाख रुपये प्रतिवर्ष

पैरा&II : 10.00 लाख रुपये प्रति योजना

पैरा&III : 8.00 लाख रुपये प्रति योजना

महाविद्यालय हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा

पैरा&I : 98]000@& रुपये प्रतिवर्ष

पैरा&II : 5.00 लाख रुपये प्रति योजना

पैरा&III : 1.50 लाख रुपये प्रति योजना

अवधि & पांच वर्ष

7.2(vi) (ख): विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना (टीईपीएसई)

विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों की तैयारी करने (टीईपीएसई) की योजना का उद्देश्य विशेष तथा समावेशी परिवेश में विशेषज्ञ छात्रों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा में विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्यभिज भारम्भ करना है। योजना के अंतर्गत किसी एक विशेषज्ञता के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ बी0एड0 तथा एम0एड0 समकक्ष पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

उद्देश्य

विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों की तैयारी करने की योजना का विशिष्ट उद्देश्य विश्वविद्यालयों की एम0एड0 विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम आरम्भ करने हेतु प्रोत्साहित करना है ताकि विशेष शिक्षा अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले सक्षमता शिक्षा संस्थानों में सेवा करने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सके।

पात्रता

डी0एच0 और@अथवा एस0एच0 सम्बन्धित स्तर पर विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों की विस्तृत शर्तों पर सहायता प्रदान की जायेगी। विश्वविद्यालय विभाग के पास विशेष शिक्षा में संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के पाठ्यक्रम की शुरूआत करने के लिए वांछनीय पुनर्वास परिषद् का अनुमोदन होना चाहिए।

1. विश्वविद्यालय में एक आवासी विद्यालय होना चाहिये जहां विशेषज्ञ बच्चों की भर्ती किया जायेगा। अगला स्वयं का आवासी विद्यालय न होने पर विश्वविद्यालय की लिखित में यह देखा होगा कि वह निकट स्थित एक विशेष@संबंधित विद्यालय को आवासी विद्यालय के रूप में कार्य करने के लिए स्वीकार करेगा।
2. विश्वविद्यालय की डी0एच0 स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत करने के लिए कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिये।
3. विश्वविद्यालय की संकाय में विशेषज्ञता के क्षेत्र में विशेषज्ञ तथा स्वयं विशेषज्ञ व्यक्तियों की शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ समिति का xBव करना चाहिए। संबंधित योजना(ओं) से जुड़े क्रियाकलापों की समीक्षा करने के लिए समिति की वर्ष में एक बार बैठक आयोजित की जानी चाहिये।
4. योजना के लिए आवेदन करने वाले विश्वविद्यालय की वि0अ0आ0 द्वारा धारा 2(च) और 12(ब) के तहत अनुमोदित किया जाना चाहिये।

वित्तीय सहायता

केवल डी0एच0 विशेष शिक्षा अथवा एस0एच0 विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए 2.00 लाख रुपये (योजनागत अवधि)।

केवल डी0एच0 तथा एस0एच0] दोनों विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए 4.00 लाख रुपये (योजनागत अवधि)।

अवधि & तीन वर्ष

- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेष शिक्षा में अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की योजना के तहत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया में दो केन्द्रों को अनुमोदित किया है।**

7.2(vi) (ग): दृष्टिबाधित शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता

उद्देश्य

योजना की दृष्टिबाधित स्नातकोत्तर शिक्षकों की गुणवत्ता तथा शिक्षण और अधिगम सामग्रियों की सहायता से तथा बेहतर पुस्तकों] रिकार्ड की हुई सामग्री आदि के लिए वेतन भत्ते तथा विविधा सम्बन्धी खर्चा तथा शिक्षण तथा शोध कार्य जारी रखने के लिए तैयार किया गया है। योजना का उद्देश्य दृष्टिबाधित स्नातकोत्तर शिक्षकों को शिक्षण] अधिगम तथा शोध हेतु विभिन्न सहायक सामग्रियों का सामंजस्य तथा आसान विधि बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए सुविधा सम्बन्धी करवाना है। दृष्टिबाधित स्नातकोत्तर शिक्षकों को 18]000@& रुपये प्रतिवर्ष की सहायता प्रदान किया जायेगा।

पात्रता

योजना के तहत ऐसे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की वित्तीय सहायता सम्बन्धी है जो वि0अ0आ0 अधिनियम] 1956 के तहत धारा 2 (च) के तहत आते हैं तथा धारा 12(ब) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

किसी विश्वविद्यालय@महाविद्यालय हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा 36]000@& ₹ प्रतिवर्ष है।

7.2(vii): विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना है।

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के प्रति अधिक प्रतिक्रियात्मक बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वंचित वर्गों के लिए नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा शैक्षणिक] वित्तीय] सामाजिक एवं अन्य सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ तथा न्यायसंगत प्रदान करने के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ (ई.ओ.सी.) की xBव करने की योजना तैयार की है। समान अवसर प्रकोष्ठ के कार्यालय की स्थापना हेतु 2.00 लाख रुपये की एकमुश्त अनुदान सम्बन्धी करारा जाएगा। वर्ष 2012&13 के दौरान मुक्तमान किये गये अनुदान को बढ़ाया दीपे दिया गया है।

पात्रता

योजना के तहत ऐसे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की विशेष सहायता सम्मिलित है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(f) के अंतर्गत आते हैं तथा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (B) के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

विश्वविद्यालय हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा 2.00 करोड़ ₹ प्रति योजना

महाविद्यालय हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा स्थानीय : 75,000@& ₹ प्रति वर्ष

स्थानीयेतर : 55,000@& ₹ प्रति वर्ष

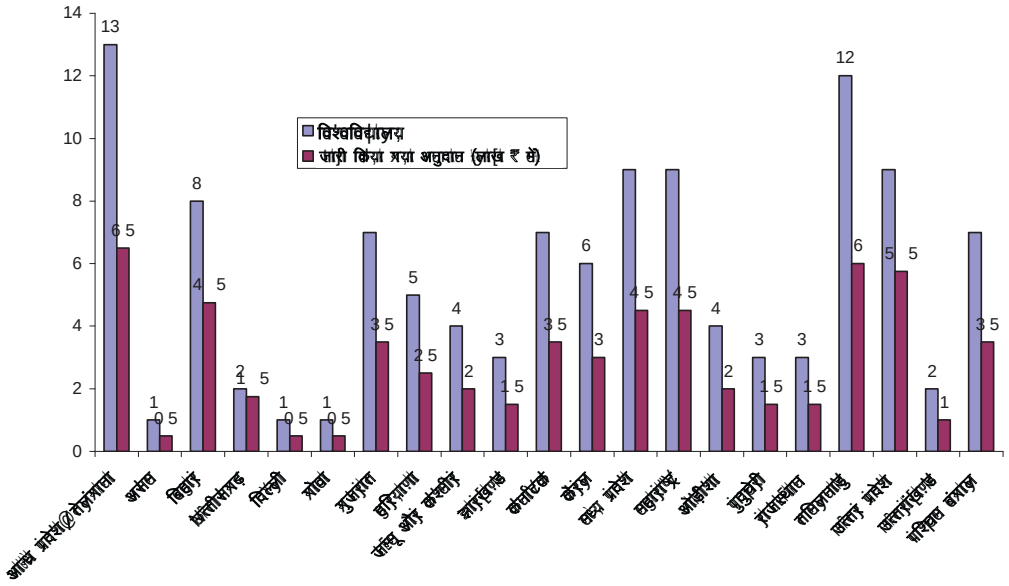
अवधि 05 वर्ष

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012–2014) के दौरान 116 राज्य विश्वविद्यालयों को समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना हेतु 60.75 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई (एसयू अनुभाग द्वारा अनुदान जारी किया गया) तथा वर्ष 2014–15 और 2015–16 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अनुभाग ने 22 विश्वविद्यालयों तथा 69 महाविद्यालयों को समान अवसर प्रकोष्ठ की योजना के तहत 87.00 लाख रुपए का अनुदान संस्वीकृत/जारी किया।

विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ (2015&16)

क्र0 सं0	क्षेत्रीय कार्यालय	विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठों की संख्या
1	क.क्षे. का. भोपाल	121
2	पू.क्षे. का. कोलकाता	405
3	क.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	136
4	द.मू.क्षे. का. हैदराबाद	287
5	द.प.क्षे. का. बंगलूरू	208
6	प.क्षे.का. पुणे	454
7	**एच.सी.आर.डी. नई दिल्ली	69
8	**केंद्रीय@मान विश्वविद्यालय	22
9	राज्य विश्वविद्यालय	116
	कुल	1818

चित्रपत्र 7.2(vii): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत समान अवसर प्रकोष्ठ की योजना के तहत लाभार्थियों (राज्य विश्वविद्यालयों) की राज्य वार संख्या तथा जारी किया गया अनुदान (लाख ₹ में)



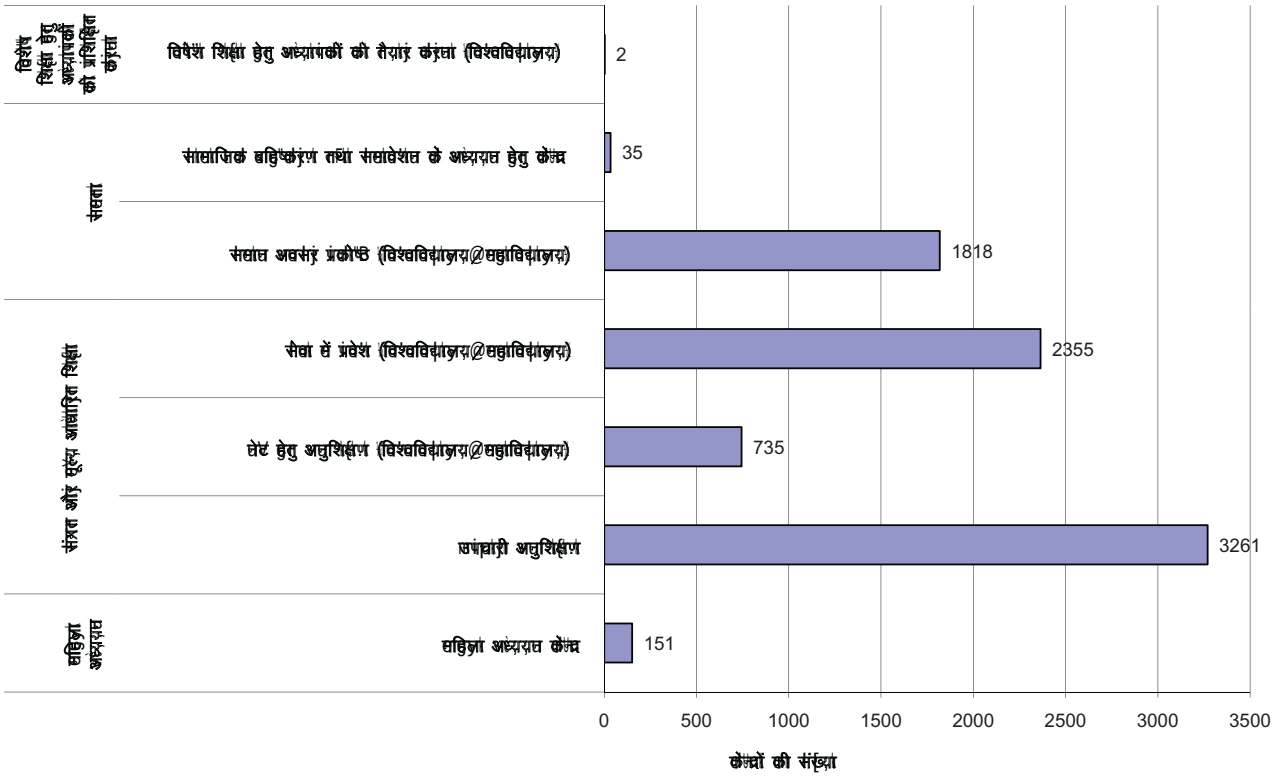
7.3 सामाजिक बहि&करण एवं समावशन की नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना

सामाजिक बहि&करण से केवल गरीबी] हिंसा और विपरीत ही चीजें नहीं होती है अपितु इसमें असमानता और मुविधाओं की चीजें होती हैA भारत में अनुसूचित जाति] अनुसूचित जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे कुछ समुदायों को विकास के मुख्य धारा के साथ से अपवर्जित बहि&करण का सामना करना पड़ता हैA सामाजिक बहि&करण एक जटिल और बहु&आयामी संकल्पना है जिसके सामाजिक] सांस्कृतिक] राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव होते हैंA गरीबी] बेरोजगारी और स्वास्थ्य से संबंध जैसी आर्थिक&सामाजिक कारकों के परिणामतः इन व्यवस्था से पीड़ित लोगों की आर्थिक] सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षितिजों से वंचित रखा जाता हैA बहि&करण के जिस मुख्य स्थान का अध्ययन किया जा सकता है] उसे पहचान&सूची बना जा सकता है और इसका अनुवीक्षण किया जा सकता है] वे हैं हमारे विश्वविद्यालय जो समाज के लिए आदर्श होने चाहिए और आदर्श रूप में कार्य कर सकते हैंA अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामाजिक बहि&करण के मुद्दे पर किए जाने वाले शोधों की सहायता देने का निर्णय लिया हैA यह अध्ययन सैद्धांतिक रूप से और नीतिगत सहयोग के रूप में किया जाएगाA इन योजनाओं के अनुसरण के लिए विश्वविद्यालयों में कोई शिक्षण&सह&शोध केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव हैA योजना के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट http:\\www.ugc.ac.in\pdfnews\2118716_social-exclusion-colleges.pdf पर उपलब्ध हैA

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार आवंटी तथा अनावंटी वर्षों के दौरान केन्द्रों के सुचारू कार्यकरण हेतु चयनित विश्वविद्यालयों को शतप्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता हैA

- **योजना के आरंभ होने से लेकर आज तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में 35 केन्द्र स्थापित किये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2015–16 के दौरान केन्द्रों को 778.00 लाख रुपये जारी किये हैं।**

विवरण : लिंग&समानता: 2015&16



अध्याय 8

प्रासंगिक तथा मूल्य आधारित शिक्षा

- क्षेत्र अध्ययन केन्द्र
- भारतीय युग प्रवर्तक समाज चिंतकों पर विशेष अध्ययन
- मानवाधिकार शिक्षा

8.2 विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र

आयोग ने वर्ष 1963 में विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रमों की आरंभ किया A पिछले पांच दशकों में यह अपनी विशेषताओं तथा कमियों के साथ सामने है A विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केंद्रों की स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

क: क्षेत्रों के सांस्कृतिक] सामाजिक] आर्थिक और राजनैतिक विशेषताओं के संपूर्ण ज्ञान की बढ़ावा देना A

ख: स्वतंत्रतोत्तर काल के संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र अध्ययनों के वैकल्पिक प्रतिमानों की बढ़ावा देना A

ग: क्षेत्र और अन्य इकाई के संबंध में भारतीय परिप्रेक्ष्य में योगदान देना A

घ: विशेषरूप से देश के आर्थिक] राजनीतिक तथा राजनीतिक हितों में नीति निर्धारणों की महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराना A

ङ विश्व के क्षेत्रों के ज्ञान की बौद्धिक विधाओं की मुख्य अंग बनाना A

च: अंतर्क्षेत्रीय तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य की बढ़ावा देने के लिए शोध करना A

योजना के तहत पांच वर्षों की अवधि के लिए प्राप्त सहायता का स्वरूप

परियोजना मोडः

निम्नलिखित मदों के तहत अधिकतम सहायता शतप्रतिशत आधार पर प्रदान की जाएगी&

अनावर्ती

कार्यालय उपकरण और कार्यालय फर्नीचर	1.50 लाख रुपए
पुस्तकों और जर्नल	3.00 लाख रुपए
क्षेत्र कार्य (छात्रों के लिए 25 प्रतिशत)	2.50 लाख रुपए
संगोष्ठियां@परिसंवाद@सम्मेलन	3.00 लाख रुपए
प्रकाशन	2.00 लाख रुपए
आकस्मिक संकाय	2.00 लाख रुपए
प्रशासन व्यय	1.00 लाख रुपए
कुल	15.00 लाख रुपए

आवर्ती

एक संकाय का पद (सहायक@व्याख्याता@प्रवक्ता अधिकारी)] को शोध एसोसिएट अथवा प्रोजेक्ट एसोसिएट अथवा@परियोजना अन्वेषक (आरए@पीए@पीएफ) का वेतन तथा अन्य विशेष और शर्तें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मुख्य शोध परियोजना दलीय के समान होंगी A)

सौजन्य क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की विशेषानुसार अनुदान सामान्यतः करना जाएगा:

विश्वविद्यालय स्तर के लिए शैक्षणिक आवर्ती और अधिकतम सहायता प्रावधान की जाएगी

आवर्ती	करोड़ रुपए में		
	श्रेणी-1	श्रेणी-2	श्रेणी-3
भवन (नवीकरण/विस्तार हेतु)	10.00	8.00	5.00
कार्यालय उपस्कर और कार्यालय की फर्नीचर	4.00	4.00	3.00
पुस्तकें और जर्नल	5.00	3.00	2.00
क्षेत्र कार्य (छात्रों के लिए 25 प्रतिशत)	15.00	10.00	4.00
संगोष्ठियां/परिसंवाद/सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ/संकाय परियोजना	10.00	5.00	4.00
अध्यापन संकाय	6.00	4.00	3.00
प्रयोगशाला उपकरण तथा आकस्मिकताएं	5.00	3.00	2.00
प्रकाशन	5.00	3.00	2.00
कुल	60.00	40.00	25.00

आवर्ती अनुदानों के अतिरिक्त, आवर्ती अनुदान निम्नानुसार होगा:

आवर्ती

1. संकाय की संख्या
   एक व्याख्याता
   एक प्रशिक्षित अधिकारी
2. दो शोध एसोसिएट्स अथवा परियोजना एसोसिएट्स अथवा परियोजना अध्येता(आरए/पीए/पीएफ) के लिए वेतन और अन्य विवरण और शर्तें वि0अ0आ0 की मुख्य शोध परियोजना स्कीम के अनुरूप होगी)

वर्ष 2015-16 के दौरान, 48 केन्द्र कार्य कर रहे हैं तथा संपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्षेत्र अध्ययन कार्यालयों के लिए 72.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की सूची नीचे दी गई है

स्थापना का वर्ष	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्र का नाम
1987	आंध्र विश्वविद्यालय	मार्क्स अध्ययन हेतु केन्द्र
2011	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील अध्ययन हेतु केन्द्र
1976	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	नेपाल संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र
2011	चरण सिंह सहित्रा विश्वविद्यालय	इंग्लैंड तथा एशियाई अध्ययन हेतु केन्द्र
1978	कोलकाता विश्वविद्यालय	दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशियाई अध्ययन केन्द्र
2005	कोलकाता विश्वविद्यालय	पाकिस्तान और पश्चिम एशियाई अध्ययन हेतु कार्यालय
2007	कोलकाता विश्वविद्यालय	चीन और पड़ोसी देशों के अध्ययन हेतु केन्द्र
2005	दिल्ली विश्वविद्यालय	अफ्रीकी अध्ययन संबंधी केन्द्र
2002	दिल्ली विश्वविद्यालय	लातीनी अध्ययन संबंधी केन्द्र
1964	दिल्ली विश्वविद्यालय	पूर्व एशिया अध्ययन विभाग (डीईएसए)
2007	दिल्ली विश्वविद्यालय	विकासशील देश संबंधी शोध केन्द्र
1988	गोवा विश्वविद्यालय	पुर्तगाल अफ्रीकी अध्ययन हेतु केन्द्र
2005	हेमवंत आचार्य नार्थ मुजरात विश्वविद्यालय	भारतीय डायस्पोरा एवं सांस्कृतिक अध्ययन हेतु कार्यालय
1996	हैदराबाद विश्वविद्यालय	भारतीय डायस्पोरा संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र

स्थापना की वर्ष	विश्वविद्यालय का नाम	केंद्र का नाम
2005	जेएनयू विश्वविद्यालय, जेएनयू	रणनीतिक तथा क्षेत्रीय अध्ययन हेतु केंद्र
1994	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	संघीय अध्ययन संबंधी केंद्र
2006	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	पाकिस्तान संबंधी अध्ययन कार्यक्रम
2007	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	सार्क एशियाई अध्ययन हेतु केंद्र
2011	जामिया मिलिया इस्लामिया	अफ्रोएशियाई संबंधी अध्ययन हेतु केंद्र
2011	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	इजरायल संबंधी अध्ययन हेतु केंद्र
2005	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	यूरोपीय अध्ययन संबंधी केंद्र
2005	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	ऊर्जा&पेट्रोल, गैस&सहारा संबंधी अध्ययन केंद्र
1978	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन हेतु खाड़ी अध्ययन कार्यक्रम केंद्र
1978	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	रूसी, सार्क एशियाई तथा पूर्वी यूरोपीय अध्ययनों हेतु केंद्र
2005	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	पाकिस्तान संबंधी अध्ययन हेतु केंद्र
2001	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	आंतरिक एशियाई देशों के अध्ययनों हेतु केंद्र
1983	जेएसयू विश्वविद्यालय	सार्क एशिया के संबंध में अध्ययन केंद्र
2002	जेएनयू विश्वविद्यालय	कनाडाई अध्ययन संबंधी केंद्र
1971	मुंबई विश्वविद्यालय	अफ्रीकी अध्ययनों हेतु केंद्र
1971	मुंबई विश्वविद्यालय	यूरेशियाई अध्ययन हेतु केंद्र
1997	मद्रास विश्वविद्यालय	दक्षिण और दक्षिण&पूर्वी एशिया अध्ययन हेतु केंद्र
2005	मणिपुर विश्वविद्यालय	म्यांमार संबंधी अध्ययन हेतु केंद्र
1989	मणिपुर विश्वविद्यालय	मणिपुर संबंधी अध्ययन केंद्र
2002	एमएस विश्वविद्यालय, बड़ौदा	कनाडा अध्ययन संबंधी केंद्र
2011	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	सेमसामयिक द्वीपी अध्ययनों संबंधी केंद्र (आईसीसीएस)
1978	नार्थ बंगाल युनिवर्सिटी	हिमालय संबंधी अध्ययन हेतु केंद्र
1983	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	हिंद महासागर संबंधी अध्ययन हेतु केंद्र
2005	पुडुचेरी विश्वविद्यालय	दक्षिण एशियाई अध्ययन हेतु केंद्र
2011	पुडुचेरी विश्वविद्यालय	यूरोपीय अध्ययन हेतु केंद्र
2014	पुडुचेरी विश्वविद्यालय	सांस्कृतिक अध्ययन हेतु केंद्र
2007	पंजाबी विश्वविद्यालय	दक्षिण पश्चिम एशिया (पाकिस्तान & अफ्रोपाकिस्तान) हेतु केंद्र
2014	पुडुचेरी विश्वविद्यालय	सार्क अध्ययन, तथा पंजाब@पंजाबी डायस्पोरा पर विशेष बल के साथ भारतीय डायस्पोरा में शोध हेतु केंद्र
2011	पुणे विश्वविद्यालय	एशियाई अध्ययन हेतु केंद्र
1963	राजस्थान विश्वविद्यालय	दक्षिण एशियाई अध्ययन हेतु केंद्र
2011	राजस्थान विश्वविद्यालय	यूरोपीय अध्ययन हेतु केंद्र
2002	एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय	कनाडाई अध्ययन संबंधी केंद्र
1976	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	दक्षिणपूर्वी एशियाई तथा प्रशांत अध्ययन हेतु केंद्र
2014	केंद्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय	तिब्बती साहित्य के अध्ययन हेतु केंद्र

8.3 भारतीय युग प्रवर्तक सामाजिक चिंतकों पर विशेष अध्ययन

भारत में अनेक बुद्धिजीवी और समाज सेवी हुए हैं जिन्होंने अपने क्रांतिकारी और उत्कृष्ट विचारों और कार्यों से न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अमिट छाप छोड़ी है। इन्होंने नवीन विचार विकसित किये तथा भारत की सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रवेश की पहचान की है। शिक्षकों और विद्यार्थियों को उनके विचारों और कार्यों और अध्ययन शोध और क्षेत्र आधारित

विस्तार सेवा कार्यक्रमों के मूल्यात्मक क्षेत्रों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। भारतीय युवा प्रवर्तक सामाजिक शिक्षकों पर विशेष अध्ययन योजना (विशेष अध्ययन) को वर्ष 1983 से आरंभ किया गया था तथा यह योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी जारी है।

उद्देश्य तथा मुख्य विशेषताएं

योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकों और विद्यार्थियों को स्नातक शिक्षकों और सामाजिक सेवाओं/सुविधाओं के विस्तार और दृष्टिकोण में अवस्था लाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय/समविद्यालयों/संस्थानों में कार्यरत आयोजित लाने के लिए विशेष अध्ययन हेतु लेखों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

अध्ययन लेखों की राज्यवार, वर्षवार संख्या नीचे तालिका 8.2(ii) में दी गई है

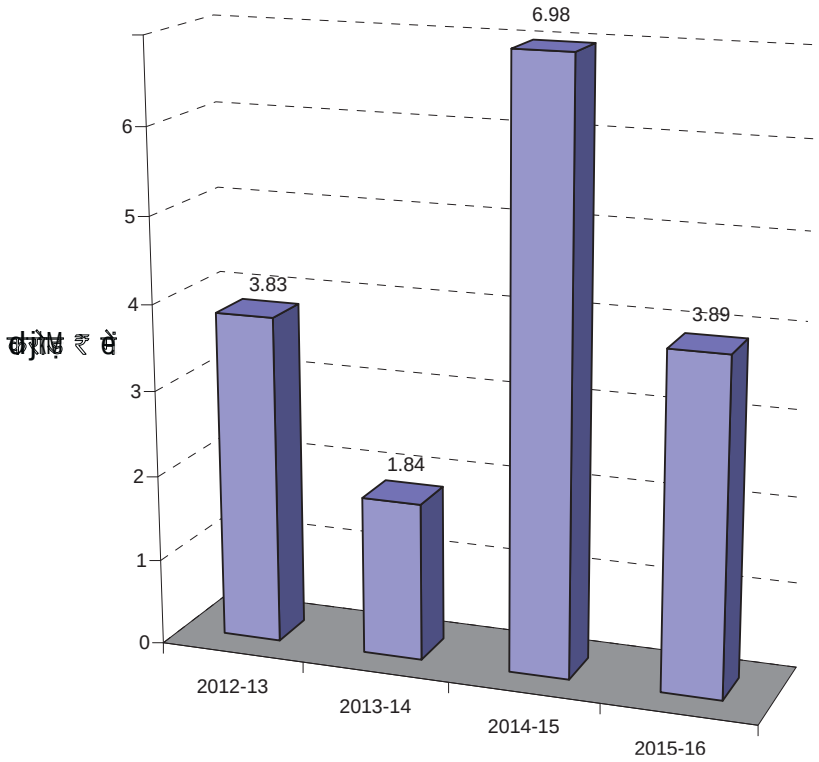
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान की अधिकतम सीमा: आवर्ती अनुदान के रूप में 8,50,000/- तथा अनावर्ती अनुदान के रूप में 3,00,000/- (लेख की स्थापना के समय एकमुश्त)

"भारत के युवा प्रवर्तक सामाजिक शिक्षकों" संबंधी योजना के अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों/समविद्यालयों में 394 अध्ययन लेखों की स्थापना की गई है। तालिका 8.2(ii)

तालिका 8.2(i) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (भारत के युवा प्रवर्तक सामाजिक शिक्षक योजना के तहत) वर्ष वार मुहैया किये गये अनुदान (करोड़ ₹ में) का ब्यौरा

2012&13	3.83 करोड़ ₹
2013&14	1.84 करोड़ ₹
2014&15	6.98 करोड़ ₹
2015&16	3.89 करोड़ ₹
कुल	16.34 करोड़ ₹

चित्र 8.2(i): बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के युवा प्रवर्तक सामाजिक शिक्षकों संबंधी योजना के अंतर्गत वर्ष वार मुहैया किये गये अनुदान (करोड़ ₹ में)



तालिका 8.2(ii) वर्ष 2015&2016 के दौरान अभियान कोमों की रूपरेखा और तालवार जोड़ा संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेष अभियान हेतु कोम (मोहरा के रूपमालिक) सांवालिक विभागों संबंधी ब्योरा)																							
		बैंक	बी अनुसूचित	सार्वजन	बीओएफ० पोस्टमास्टर	खाता विवेचना	चेक	खाता मेनाटेन	ट्रेड बाजार वेब	हेरिटेज साँची अभियान	इंटरनेट बाल वेस्ट्स	प्रेसिडेंशियल	ऐतिहासिक ग्रंथ	बीओ अवेयरनेस	मैसूर पेपर	बीओ चार्जेज बुकेट	मेरिटाइम वस्तुस्थ साँई पर्यटन	बाल वोक्ड बारीकेट	खुशाल मेरा विश्व	के के ईंग्स एंड	खाता विश्लेषण	खुशाल बर्मिंघम	बीओएफ० सिस्टम	खुशाल रेलवे	मेरा अंडमान एंड्रिक	रेलवे रोड	कुल
1	आंध्र प्रदेश	1		4						1				3									1	1	9
2	अरुणाचल प्रदेश																								0
3	असम	4		13		1	1			2	2	2		13										3	42
4	बिहार	1		5		2								5											13
5	छत्तीसगढ़																								0
6	दिल्ली	2						1						1											4
7	गोवा																								0
8	गुजरात			1		1																			2
9	हरियाणा			6			2	2						1											11
10	हिमाचल प्रदेश																								0
11	जम्मू और कश्मीर			1			1																		2
12	झारखंड			1																					1
13	कर्नाटक	1		5		1								4		1									12
14	केरल			2	2		1																		5
15	मध्य प्रदेश			1		2																			3
16	महाराष्ट्र	7		46		11	6			1				31		1	1	1	2			1	1	1	113

विशेष अध्ययन हेतु लिये जाने वाले प्रमुख क्षेत्र (संख्या के अनुसार क्षेत्रवार सामाजिक विज्ञानों संबंधी शोधकार्य)

| क्रम संख्या | राज्य | कुल शोध | बैंक | बीमा अर्थशास्त्र | व्यापार | बैंकिंग विकास | स्वास्थ्य | शिक्षा | कृषि | उद्योग | स्वास्थ्य सेवाएं | विज्ञापन | ग्रामीण बाजार अर्थशास्त्र | शहरी बाजार अर्थशास्त्र | ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार | ग्रामीण विपणन | उपभोक्ता संतुष्टि | ग्रामीण विपणन | बैंक एवं वित्तीय सेवाएं | बीमा उपभोक्ता | बीमा दावों का निपटान | बीमा एवं वित्तीय सेवाएं | ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार | बैंक सेवाओं से ग्राहकों की संतुष्टि | बैंक ऋण | स्वास्थ्य बीमा | स्वास्थ्य सेवाओं से संतुष्टि | स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन | शिक्षा ऋण | शिक्षा का मूल्यांकन | शिक्षा का व्यवसाय | कृषि ऋण | कृषि उत्पादन | कृषि विपणन | कृषि विकास | कृषि का अर्थशास्त्र | उद्योग | उद्योग का अर्थशास्त्र | उद्योग का विकास | उद्योग का विपणन | उद्योग का व्यवसाय | उद्योग का प्रबंधन | उद्योग का मूल्यांकन | उद्योग का उपभोक्ता व्यवहार | उद्योग का बाजार अर्थशास्त्र | उद्योग का ग्रामीण बाजार अर्थशास्त्र | उद्योग का शहरी बाजार अर्थशास्त्र | उद्योग का ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार | उद्योग का शहरी उपभोक्ता व्यवहार | उद्योग का ग्रामीण विपणन | उद्योग का शहरी विपणन | उद्योग का ग्रामीण बैंक | उद्योग का शहरी बैंक | उद्योग का ग्रामीण बीमा | उद्योग का शहरी बीमा | उद्योग का ग्रामीण स्वास्थ्य | उद्योग का शहरी स्वास्थ्य | उद्योग का ग्रामीण शिक्षा | उद्योग का शहरी शिक्षा | उद्योग का ग्रामीण कृषि | उद्योग का शहरी कृषि | उद्योग का ग्रामीण उद्योग | उद्योग का शहरी उद्योग | अन्य |
|---|---|---

8.3 मानवाधिकार शिक्षा (एचआरई)

मानवाधिकार अपने आप में महत्व की है और सुंदर भी है। मानवाधिकार, ज्ञान लिए जाने वाले मानवाणियों के मंत्रों में सुंदर है तथा महत्व की है चूंकि वे लोगों की अपने अधिकारों का सम्मान करने और मानव गरिमा प्राप्त करने के लिए सशक्त तथा सक्षम बनाते हैं। यह अकादमिक जांच का विषय होने के साथ-साथ सरकार के मानदंडों के रूप में मानव जीवन के दैनिक जीवन के अनुभवों का अंग भी है। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1985 में विश्वविद्यालय में मानवाधिकार शिक्षा आरंभ की। तब से, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र की मानवाधिकारों संबंधी चिंताओं तथा मानव विकास को भी संबोधित करने के लिए विभिन्न सहायता सुविधा कार्यक्रम रही है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, मानवाधिकार शिक्षा योजना के तीन घटक थे:

- मानवाधिकार और कर्तव्य
- मानवाधिकार और मूल्य
- मानवाधिकार और मानव विकास

इनमें से प्रत्येक घटक के विभिन्न उद्देश्य हैं:

मानवाधिकार और कर्तव्य

जबकि प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा होता है, अतीतकाल वर्षों में यह बोध व्याप्त थी की जबकि अधिकारों की शिक्षा तो प्रदान की जाती है, कर्तव्यों के सुझाव की पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसी सरकार में जहां शताब्दियों से केवल कर्तव्यों पर ही बल दिया गया, अधिकारों की शिक्षा प्रदान किये जाने से ऐतिहासिक विकृतियों का समाधान किया गया है। अधिकारों के सम्मान की केवल तब ही स्थिति में ही ठीक किया जा सकता है जब संपन्न व्यक्तियों की सरकार में हाशिये पर जीवनयापन करने वाले लोगों के प्रति सबके कर्तव्यों की स्मरण कराया जाये तथा सरकार में हाशिये पर जीवनयापन करने वाले लोगों को अधिकारों की शिक्षा के साथ-साथ सशक्त बनाया जाये। इस स्तरों पर मानवाधिकार की शिक्षा जिस सरकारी, जाति तथा सामुदायिक संबंधों, बहुसंख्यक-अल्पसंख्यकों के बीच विवाद, 'अपनों और पराये' की सरकार तथा सहिष्णुता के बीच संबंध जैसे क्षेत्रों में प्रदान की जानी है। अधिकारों तथा कर्तव्यों के पुनर्बोध के साथ ही साथ प्रकार के संबंधों की मानवीय तथा तात्कालिक बनाया जाना चाहिये।

मानवाधिकार और मूल्य

मानवाधिकार की शिक्षा के तहत मूल्यों की शिक्षा पर भी ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।

इनके एक उद्देश्य में, मूल्यों के प्रति जागरूकता तथा प्रतिबद्धता का विकास किया जाना है जहां व्यक्ति विशेष के स्वयं के हित की सरल तथा व्यापक उद्देश्य हेतु एकजुटता के साथ सामंजस्य स्थापित किया जायेगा।

वैश्विक मूल्यों तथा संस्कृति द्वारा निर्धारित राष्ट्रीयता मूल्यों के संबंध में एक वाद-विवाद होना चाहिये। वैश्विक परंतु विभिन्न विश्व में वैश्विक मूल्यों की खोज, एक अतिरिक्त सहयोग आरंभ कर होगा है।

बहुलवाद, सभी वर्गों के लिए आदर, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, खुला सहिष्णु जनता द्वारा जनसंचारी आदि मूल्य, यह सभी उन्हें सरल से भारतीय परिस्थिति को सरल रहे हैं, इन्हें मजबूत बनाना होगा तथा बढ़ावा देना होगा।

मानवाधिकार तथा मानव विकास

अधिकार केवल सरकार नहीं होते हैं, परंतु सरकार के संसाधनों के आवंटन में सरकारों की भी अधिकार होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विकास कर रही है परंतु इसके साथ-साथ आर्थिक विषमता भी बढ़ रही है। इस बात की सराहना की आवश्यकता है कि विकास संबंधी आवश्यकताओं तथा सरकारी संबंधी चिंताओं पर एक दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। किसी भी स्तर के मौलिक विकास से मानव संतुष्ट नहीं होगा जबतक कि इनसे मानव जीवन की सहायता न किया जाये तथा इनसे ऐसी परिस्थितियां न हो जिनसे मानव क्षमता का पूर्ण रूप से पोषण हो सके। विकास के केन्द्र में मानव है। राष्ट्र पर अधिकारों के संवर्धन तथा प्रगति का दायित्व है और अधिकार-सुरक्षा विकास की मांग करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब इन दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा तो संतुलित मानव विकास होगा। मानवाधिकार की शिक्षा से यह सब घटक संभव होंगे।

योजना की बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान मानवाधिकार की शिक्षा योजना के तहत 171 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रमाणित हुए हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(f) और 12(B) के तहत लाभ लिए गए मंत्रालयों सम्बद्धता-प्राप्त संस्थान जो सामान्य विकास अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं वे योजना के तहत मानवाधिकार की शिक्षा योजना केन्द्र की स्थापना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों की विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है:			
आधारभूत पाठ्यक्रम	पुस्तकें तथा जर्नल्स 100000 ₹ (एकमुश्त अनुदान)	अतिथि@आगत संकाय तथा विशेष की व्यवस्था (जहां कहीं भी लागू हो) सूत्र कीर्ट@ बॉक्स ट्रॉयल) 75000@& (एकमुश्त अनुदान)	अतिथि@आगत संकाय&75000&@#पए (प्रतिवर्ष) (पांच वर्षों के लिए)
प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	पुस्तकें तथा जर्नल्स 150000 ₹ (एकमुश्त अनुदान)	अतिथि@आगत संकाय&150000&@₹ (प्रतिवर्ष) (पांच वर्षों के लिए)	विस्तार क्रियाकलाप और क्षेत्रकार्य के लिए 100000&@ (प्रतिवर्ष) (पांच वर्षों के लिए)
स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम अर्थात् बी.ए. अथवा बी.ए. (ऑनर्स)	पुस्तकें तथा जर्नल्स 200000 ₹ (एकमुश्त अनुदान	अतिथि@आगत संकाय&200000&@₹ (प्रतिवर्ष) (पांच वर्षों के लिए	विस्तार क्रियाकलाप और क्षेत्रकार्य के लिए 150000&@ (प्रतिवर्ष) (पांच वर्षों के लिए)
स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	पुस्तकें तथा जर्नल्स 200000 ₹ (एकमुश्त अनुदान)	अतिथि@आगत संकाय&300000&@₹ (प्रतिवर्ष) (पांच वर्षों के लिए) आगत	विस्तार क्रियाकलाप और क्षेत्रकार्य के लिए 200000&@ (प्रतिवर्ष) (पांच वर्षों के लिए)
स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम (एम.ए@एम.एस.एम.एस.) पाठ्यक्रम	पुस्तकें तथा जर्नल्स 300000 #पए (एकमुश्त अनुदान)	अतिथि@आगत संकाय&400000&@#पए (प्रतिवर्ष) (पांच वर्षों के लिए)	विस्तार क्रियाकलाप और क्षेत्रकार्य के लिए 300000&@ (प्रतिवर्ष) (पांच वर्षों के लिए)

संगोष्ठियों@परिसंवाद@कार्यशालाएं & (परिसंवाद (1@2 दिन): विश्वविद्यालय के लिए 1]50]000@& ` महाविद्यालय के लिए 1]50]000@& `)

& (संगोष्ठि (2@3 दिन): विश्वविद्यालय के लिए 2]00]000@& ` महाविद्यालय के लिए 1]00]000@& `)

& (कार्यशाला (7@10 दिन): विश्वविद्यालय के लिए 2]50]000@& ` महाविद्यालय के लिए 1]50]000@& `)

वर्ष भार्व #पए की अधिकतम सीमा के भीतर एकमुश्त अनुदान की विभिन्न अनुमोद में इन क्रियाकलापों की आवश्यकता के लिए व्यवस्था की जाती है

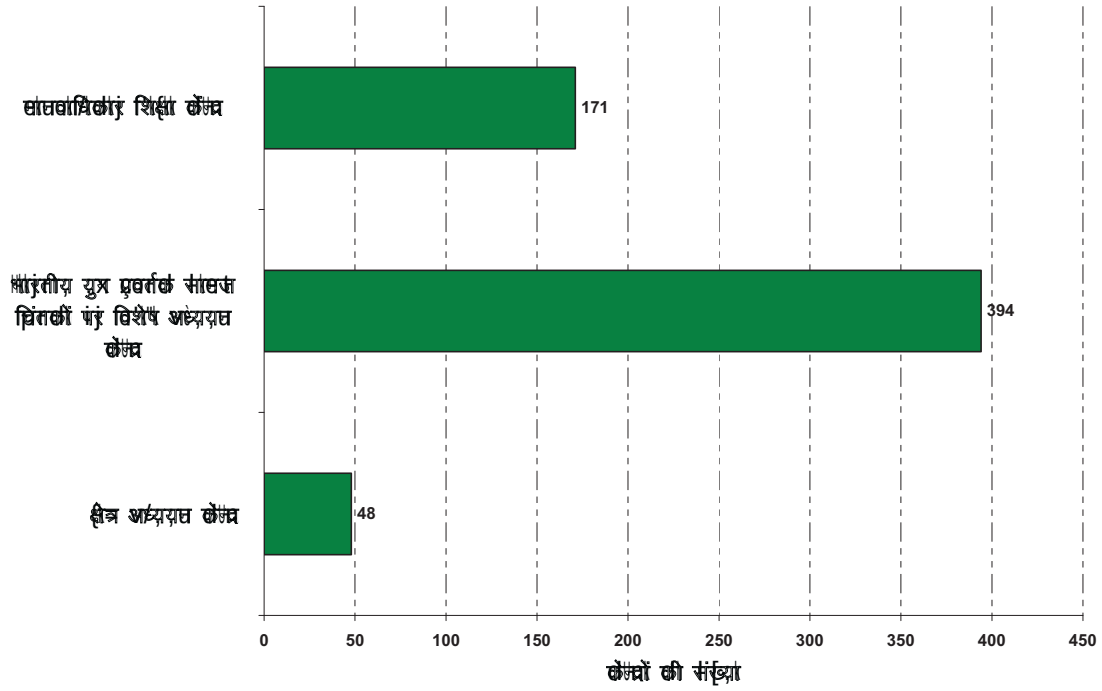
शोध ¦ अधिकतम सीमा का 25 प्रतिशत

शिक्षण ¦ अधिकतम सीमा का 25 प्रतिशत

संगोष्ठियों@कार्यशालाएँ@सम्मेलन आदि आयोजित करने के लिए अधिकतम सीमा का 50 प्रतिशत

बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012&17(2015&16) के दौरान प्रदत्त अनुमान ¾2.88 करोड़ `

वर्ष 2015&16 के दौरान संस्तुत और मूल्य आधारित शिक्षा का विवरण



अध्याय 9

सूचना और संचार प्रौद्योगिकीयों का समेकन

- ई-गवर्नेंस
- स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए ई-विषयवस्तु पाठ्यसामग्री तैयार करना
- उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मैपिंग

9.1 ई-गवर्नेंस

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक विकेंद्रीकृत कार्यालय स्वचालन हेतु विभिन्न ई&शासन एप्लीकेशनों की अंतर्प्रचालनता के उद्देश्य की प्राप्ति करने के एक केंद्रीकृत मंच के संदर्भ में ई&शासन परियोजना के कार्यान्वयन की पहल की है। ई&शासन परियोजना का कार्य वर्ष 2013 में सेंटर फॉर इनफॉर्मेटिक्स मैनेजमेंट (एसआईसी) को सौंपा गया था।

ई&कार्यालय कार्यान्वयन : ई&शासन के भाग के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ई&कार्यालय की भी शुरू किया गया है ताकि फाइलों की प्राप्ति और प्रसंस्करण, बेतन पर्ची का वितरण, ई&भत्ता, व्यक्तिगत जानकारी प्रणाली, कर्मचारियों (सेल प्रबंधन प्रणाली आदि के संबंध में कार्यप्रवाहित परिवेश तैयार किया जा सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना हेतु वेब आधारित एप्लीकेशन एसआईसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सेवानिवृत्त पेंशनर योजना हेतु वेब आधारित ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉरमों का विकास कर लिया है। सफलतापूर्वक विकास पुस्तिका का भी विकास किया गया है जो एप्लीकेशन के बारे में प्रत्येक प्रश्न हेतु प्रासंगिक अनुदेश सम्मिलित करता है जिसे विभिन्न योजनाओं के लिए भी तैयार किया गया है यथा (i) केंद्रीय, राज्य तथा मान विश्वविद्यालयों की महाविद्यालय विकास सहायता योजना तथा (ii) संघटक विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययन के विकास संबंधी योजना (iii) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में मानव संसाधन प्रबंधन (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (अनंतिम वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों हेतु सेवापूर्व अनुशिक्षण (v) महिला कॉलेजों का विस्तार (vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (अनंतिम वर्ग) तथा अल्पसंख्यक छात्रों हेतु सेवाओं में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण कक्षाएं (vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (अनंतिम वर्ग) तथा अल्पसंख्यक छात्रों हेतु सेवा-पूर्व अनुशिक्षण (viii) विशेष शिक्षा हेतु अध्यापकों की तैयारी योजना (ix) विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए समेकित शिक्षा (एपईपीएच) (x) महाविद्यालय में मनोविज्ञान, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां आयोजित करने योजना (xi) व्यक्ति विशेष हेतु यात्रा अनुदान योजना। आवेदनों की एसआईसी सर्वर पर अपलोड किया गया है तथा यूआरएल http://eschemesugc.gov.in के संदर्भ में पहुंचा जा सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न योजनाओं हेतु ऑनलाइन प्रणाली की शुरू किया जाना:

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ई&योजना पोर्टल पर आठ योजनाओं की आयोग के ऑनलाइन पोर्टल http://eschemesugc.gov.in के संदर्भ में उपलब्ध कराया गया है।

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों हेतु सेवाओं में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण कक्षाएं
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों हेतु सेवा-पूर्व अनुशिक्षण
3. विशेष शिक्षा हेतु अध्यापकों की प्रशिक्षित करना (टीईपीएसई)
4. विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों हेतु समेकित शिक्षा (एपईपीएचएच)
5. महाविद्यालयों हेतु संगोष्ठियां/कार्यशालाएं
6. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (अनंतिम वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों हेतु सेवापूर्व अनुशिक्षण
7. विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला छात्रावासों का विस्तार
8. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में मानव संसाधन प्रबंधन/क्षमता

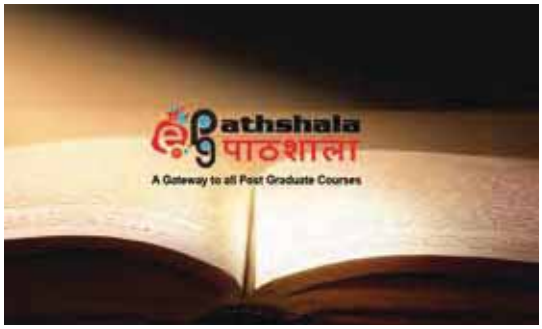
31 योजनाओं का ब्यौरा जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है:

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाएं	वेबसाइट हेतु यूआरएल	ऑनलाइन कार्यान्वयन की तिथि
1	विज्ञान विषय में डॉ0 डी0एस0 कोठारी पोस्ट&डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति	http://ugcdskpdf.unipune.ac.in/	जनवरी, 2008
2	'फैकल्टी रिचार्ज' कार्यक्रम	http://www.ugcfrp.ac.in/	मई, 2011
3.	अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	http://www.ugc.ac.in/manf/	08@06@2011
4.	अनुसूचित जाति@जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ	http://www.ugc.ac.in/rgnf/	29@07@2011
5.	एकल बालिका हेतु इंदिरा गाँधी स्नातकीत्तर छात्रवृत्ति	http://www.ugc.ac.in/sgc/	18@08@2011
6.	अनुसूचित जाति@जनजातियों के लिए पोस्ट&डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	http://www.ugc.ac.in/pdfss/	25@08@2011
7.	पेशेवर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्नातकीत्तर छात्रवृत्तियाँ	www.ugc.ac.in/pgsprof/	25@08@2011
8.	विश्वविद्यालय&कॉलेज शिक्षकों के लिए स्नातकीत्तर सैरिट छात्रवृत्ति	http://www.ugc.ac.in/urh/	08@09@2011
9.	महिला अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट&डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	http://www.ugc.ac.in/pdfw/	11@01@2012
10.	शिक्षकों के लिए शोध अवार्ड	http://www.ugc.ac.in/ra/	01@05@2012
11.	अमेरिका में भारतीय विद्वानों के लिए पोस्ट&डॉक्टोरल इंसत अध्येतावृत्तियां	http://www.ugc.ac.in/pdfindous/	12@05@2012
12.	एमेरिटस अध्येतावृत्तियां	http://www.ugc.ac.in/ef/	31@08@2012
13.	अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में संलिप्त शोध अध्येतावृत्तियां	http://www.ugc.ac.in/ rfet/	25@04@2013
14.	विशेषत छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	http://www.ugc.ac.in/rgnfd/	28@06@2013
15.	चुए गए हुए संस्थानों के लिए "स्टार्ट&अप अनुदान"	http://ugcfrps.ac.in/uohyd/start-up-research-grant/	अप्रैल, 2013
16.	वि0अ0आ0&डी0एस0आर0 संस्थान अध्येतावृत्ति योजना	http://ugcfrps.ac.in/uohyd/the-ugc-bsr-faculty-fellowship/	अप्रैल, 2013
17.	संस्थानों की एकमुश्त शोध अनुदान	http://ugcfrps.ac.in/uohyd/one-time-grant/	अप्रैल, 2013
18.	बृहत् शोध परियोजनाएं	http://www.ugc.ac.in/ pdfnews/7716504 12th-plan-guidelines. pdf(http://www.ugc.ac.in/mrp/)	08@08@2013
19.	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना	http://www.ugc.ac.in/nfobc/	01@06@2014
20.	उत्तर&पूर्वी क्षेत्र हेतु ईशान छात्र छात्रवृत्ति योजना	http://www.ugc.ac.in/pdfnews/9424599 revised- n- .pdf	06@07@2014
21.	विशेष सहायता कार्यक्रम	http://www.ugc.ac.in/pdfnews/5202160 gidelines.pdf	10@10@2014
22.	मानव्य विकास सहायता केन्द्रीय, राज्य और मंस विश्वविद्यालयों हेतु योजनाएं	http://www.eschemesugc.gov.in/download/ .pdf	अक्तूबर, 2014
23.	भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्रों का विकास	http://www.eschemesugc.gov.in/download/ .pdf	अक्तूबर, 2014
24	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@ अन्य पिछड़ा वर्ग (अक्षमता वर्ग) और अल्पसंख्यक शिक्षार्थियों हेतु व्यावसायी अनुशिक्षण की योजना	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	फ़रवरी, 2016
25	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला छात्रावासों का विकास	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	फ़रवरी, 2016
26	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सामान अवसर प्रकोष्ठ@केन्द्र	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	फ़रवरी, 2016
27	अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण कक्षाएं	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	मार्च, 2016
28	अनुसूचित जाति@अनुसूचित जनजाति@अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए सेट अनुशिक्षण	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	मार्च, 2016

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाएं	वेबसाइट हेतु यूआरएल	ऑनलाइन कार्यान्वयन की तिथि
29	विशेष शिक्षा हेतु अध्यापकों की प्रशिक्षण प्रदान करना (टीईपीएसई)	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	लागू 2016
30	विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों हेतु सक्षमता शिक्षा (एसईपीएसएच)	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	लागू 2016
31	महाविद्यालयों हेतु मेसेजस@मोबाइलों@परिसर	http://www.eschemesugc.gov.in/home#no-back-button	लागू 2016

9.2 स्नातकोत्तर विषयों के लिए ई-विषयवस्तु पाठ्यसामग्री तैयार करना

http://epgp.inflibnet.ac.in/



ई&स्नातकोत्तर पाठशाला मूलतः और मुख्य प्रौद्योगिकी के साथ में शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय मिशन (एनएमई&आईसीटी) की सक्षमता शिक्षा संस्थानों में "किसी भी समय किसी भी स्थान पर" पहुंच पर सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित करने हेतु शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में आईसीटी की संभावना का पूर्ण उपयोग हेतु सेवा द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में परिकल्पना की गई है।

वर्ष 2011 के दौरान एमएमईआईसीटी&एचआरडी द्वारा 77 स्नातकोत्तर विषयों में "स्नातकोत्तर विषयों के लिए ई&विषयवस्तु तैयार करने" की परियोजना की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक घोषित एजेंसी के रूप में प्रदान किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परियोजना प्रस्ताव स्वरूप 84 करोड़ रुपये की राशि प्रदान हुई।



ई&पीजी पाठशाला की वेबसाइट (http://epgp.inflibnet.ac.in/)

योजना का उद्देश्य शिक्षकों तथा छात्रों के लाभ हेतु भारतीय विश्वविद्यालय में प्रयुक्त हो रहे स्नातकीय पाठ्यक्रमों हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त ई&विषयवस्तु सम्पन्न कराना है। यह अभियांत्रिकी@प्रौद्योगिकी] विज्ञान तथा उच्च आधारित विषयवस्तुओं] सैद्धांतिक विषयवस्तुओं] क्षेत्रीय विषयवस्तुओं आदि विभिन्न प्रकार की विषयवस्तुओं की पूर्ति करेगा। छात्रों द्वारा अपनी कक्षाओं] शिक्षण तथा स्नातकीय स्तर पढ़ाये जाने वाले विभिन्न विषयों के अनुपूरक के रूप में ई&विषयवस्तु की सराहना किया जा सकता है। ई&विषयवस्तु शिक्षकों हेतु उपयोग की होगा चूंकि वे ई&पीजीशाला पाठ्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय अनुभाग सारोत्र की वेबसाईट पर सम्पन्न उपलब्ध युक्त ई&विषयवस्तु की पेशकश शिक्षण में सुधार कर सकते हैं।

इस ई&पीजी पाठशाला पहल के तहत विकसित की जा रही विषयवस्तु सामाजिक विज्ञान] कला] मानविकी] वैज्ञानिक तथा गणित विज्ञान] भाषा विज्ञान तथा भाषा की सभी विधाओं में अलग&अलग विषयों में उच्च गुणवत्तायुक्त] पाठ्यचर्या आधारित और पुरस्कार प्राप्तकर्ता है। ई&पीजीशाला हेतु अधिकृत पोर्टल उपलब्ध है तथा सुदृढ़ पहुंच हेतु सम्पन्न है तथा इण्टरनेट सर्वर पर होस्ट की गई है साथ ही मोबाइल फोन्स के माध्यम से भी इस तक पहुंचा जा सकता है।

पद्धति



अब तक विकसित की गई ई&विषयवस्तु की स्थिति

विषयवस्तु का योगदान (आंशिक रूप से) देने वाले मुख्य अन्वेषकों की संख्या	67
पत्रों (पाठ्यक्रमों) की संख्या जिसके लिए विषयवस्तु का विकास किया जा रहा है	724
सर्वर पर अपलोड की गई "स्टेटिक" विषयवस्तु	5635
अपलोड किए वीडियो@एनिमेशन वीडियो की संख्या	1957
इसमें शामिल संस्थानों@विश्वविद्यालयों की संख्या	40
अकादमिक विशेषज्ञों की संख्या	3000+

अकादमिक समुदायों द्वारा मिलकर कार्य किया जाना



वर्ष 2015&16 के दौरान परियोजना पर कुल 142]604]580@& #पए की लागत आई।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ई&पीजी पाठशाला कार्यक्रम के तहत विकसित ई&विषयवस्तु की एसओसीएम (वृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम) के माध्यम से पहुंचने के लिए 14]00]00]000@& (चौदह करोड़ #पए) की अतिरिक्त राशि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वीकृत की है ताकि एमओओसी प्लेटफॉर्म (स्वयं जेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एण्ड एस्पायरिंग माईंड्स) के माध्यम से भारतीय शिक्षा की वृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम विश्व को उपलब्ध किया जा सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ए&आईसीटीई, स्वायत्तशासी संस्थान कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय समन्वयक है। एसओसीएम की विकसित तथा कार्यान्वित करने के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विशाखापत्तनम की ई&आईशाला वेबसाईट पर अपलोड किया गया है।

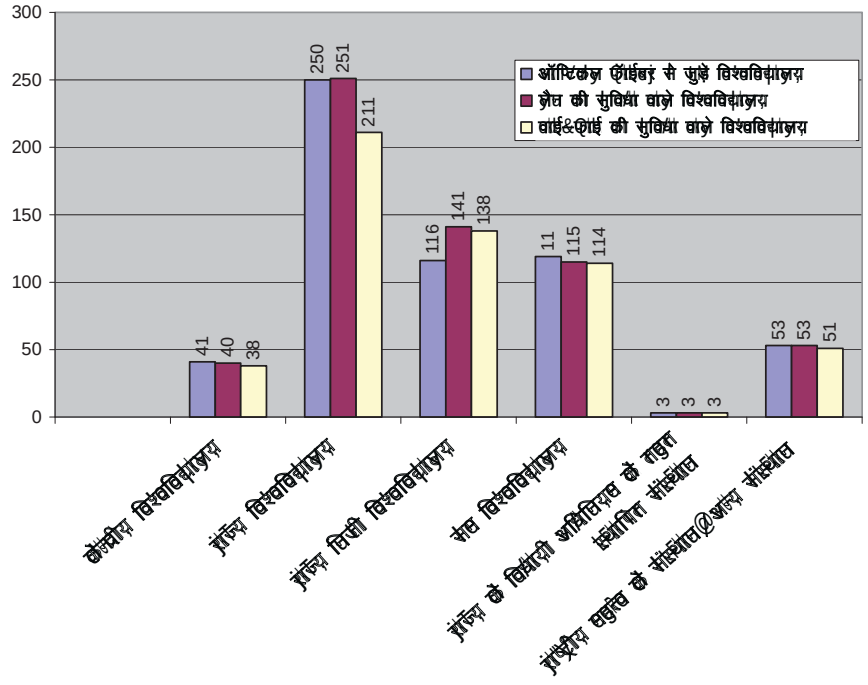
9.3 डिजिटल इंडिया पहल – उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मैपिंग:

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की डिजिटल इंडिया पहल के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने (क) विश्वविद्यालय की डिजिटल प्रोफाइल में जोड़ने (ख) प्रेस की सुविधा वाले विश्वविद्यालयों (ग) वाई&फाई सुविधा वाले विश्वविद्यालयों के मानकों में विश्वविद्यालयों की मैपिंग की है। 654 सार्वजनिक प्रावधान करने वाले विश्वविद्यालयों@संस्थानों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर नीचे विश्लेषण किया गया है:

डिजिटल इंडिया पहल: भारतीय विश्वविद्यालयों की मैपिंग (2015&16)

विश्वविद्यालय का स्वरूप	कुल (2015&16)	विश्वविद्यालयों की संख्या जिनसे प्रतिक्रिया प्राप्त हुई	ऑप्टिकल प्रोफाइल में जुड़े विश्वविद्यालय	प्रेस की सुविधा वाले विश्वविद्यालय	वाई&फाई की सुविधा वाले विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	45	43	41	40	38
राज्य विश्वविद्यालय	322	287	250	251	211
राज्य निजी विश्वविद्यालय	184	146	116	141	138
मान विश्वविद्यालय	129	122	119	115	114
राज्य के विधायी अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान	4	3	3	3	3
राष्ट्रीय महत्व के संस्थान@अन्य संस्थान	64	53	53	53	51
कुल	748	654	582	603	555
प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रतिशत		शत प्रतिशत	89 प्रतिशत	92 प्रतिशत	85 प्रतिशत

चित्र 9.3: वर्ष 2015&16 के दौरान सभी प्रकार करने वाले विश्वविद्यालयों@ संस्थानों की संख्या



9.4 लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आयोग से संदेयों संबंधी के अनुदान के संवितरण हेतु लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की कार्यान्वित किया है। लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) सरकारी खर्च&व्यय के प्रमाणों] लेखांकन और लेखा परीक्षणों के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जो सीधा भुगतान इलैक्ट्रोनिक प्रणालियों का संचालन करती है। यह सरकारी संसाधनों की अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए लेखा महानियंत्रक] वित्त मंत्रालय] भारत सरकार के नियंत्रणाधीन एक विशेष प्रबंधन पोर्टल है तथा सभी प्रासंगिकों एजेन्सियों के इंटरफेस के रूप में कार्य करता है] योजनागत विधियों की प्रबंधन करने हुए बैंकों के और बैंकिंग मार्गदर्शन तथा विधियों के प्रवाह पर कुशलता तथा प्रभावी ढंग से सतर्क रखने के लिए राज्यों के राजकोष के साथ एकीकृत होता है। पीएफएमएस के लाभार्थकर्ताओं की अलग सॉफ्टवेयरों की भुगतान के लिए ऑनलाईन जानकारी प्राप्त होती है। विधि] लाभार्थकर्ता पुष्टिकरण के संबंध में सभी प्रक्रियाओं को कम करने के प्रयास किए गए हैं।

अब यह अनिवार्य है कि प्रायः संस्थान पीएफएमएस पर पंजीकृत होना चाहिए तथा समय द्वारा समर्पित योजना की खोज करना चाहिए जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के लिए योजना कोड संख्या 0875 जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषीकरण एजेन्सी होगी तथा वही खाता संख्या होगा जो आवेदन@संस्थान देते के समय अनुदान प्रदान करने वाले ब्यूरो के साथ साझा किया गया होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्तकर्ता विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की जानकारी प्रदान की है कि वे संबंधित योजना की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वित्तपोषण पोर्टल पर प्रदान किए गए लॉग&इन&आई डी तथा पासवर्ड के साथ पंजीकृत करें। पीएफएमएस आधारित अनुदानों के संवितरण हेतु विधि रूप से संचालन करने के लिए हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र में आने वाले महाविद्यालयों के लिए गए मैसेजिंग पंजीकरण तथा योजना का पंजीकरण कर रहा है जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मुख्यालय विश्वविद्यालयों की सुविधा प्रदान कर रहा है।

- ✓ आज की तिथि के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तीन योजनाओं यथा 0873]0874 तथा 0875 के लिए पीएफएमएस के साथ में योजनागत विधियां प्राप्त कर रहा है तथा पीपीएमएसएमएस के तहत वित्तपोषी करने के लिए सा0भ0वि0आ0 के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।
- ✓ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी ब्यूरो में तीन लॉगिन अधिकारियों तथा सात्विक श्रेणियों की पहचान की है जो पीएफएमएस के साथ में जारी किए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों हेतु विधि संवितरण के लिए कर्मचारियों की पीएफएमएस में अवगत कराएंगे तथा प्रशिक्षित करेंगे। तदनुसार] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विभिन्न ब्यूरो में सीओ तथा डीए की पहचान की जाती है।

अध्याय 10

कौशल विकास पहल

- वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रम
- सामुदायिक महाविद्यालय
- बी0 वोक0 कार्यक्रम
- डीडीयू कौशल केन्द्र

10.1 विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों की शुरूआत

आठवीं योजना वर्ष (1994&95) के दौरान स्नातकपूर्व स्तर पर आरंभ किए गए व्यावसायिक कार्यक्रम की 2003&04 में शिक्षा के लिए वृत्ति सम्बद्धीकरण@वृत्ति सम्बद्धी कार्यक्रम@वृत्ति सम्बद्धी पाठ्यक्रमों की संशोधित योजना के अंतर्गत नया स्वरूप प्रदान किया गया है।

इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन पाठ्यक्रमों की पूरा करने के पश्चात् शिक्षा पूर्ण करने वाले स्नातकों के पास सामान्य तौर पर कार्यस्थल के चुने क्षेत्रों में प्रवेश स्तर रोजगार हेतु और विशेष रूप से स्वरोजगार हेतु ज्ञान] कौशल तथा अभिवृत्ति हो] जिससे विज्ञान सम्बद्धि कार्यक्रम प्रदान करने वाले सम्बद्ध शिक्षण संस्थानों पर से दबाव कम किया जा सके। यह पाठ्यक्रम परंपरागत बी:ए:] बी: कॉम और बी: एससी सम्बद्धि के साथ समानांतर रूप से संचालित होते हैं। ये पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र@डिप्लोमा@सम्बद्ध डिप्लोमा के रूप में प्रदान किए जाते हैं] जिनके लिए छात्र अपनी परंपरागत बी:ए: बी: कॉम और बी:एस:सी: सम्बद्धियों के साथ इन्हें चुन सकते हैं।

जिन पाठ्यक्रमों की पेशकश की जानी है वे अनिवार्यतः के होते हैं। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न विषय चुनने की स्वतंत्रता होगी] जो जरूरी नहीं है कि सभी से संबंधित हो जैसे विज्ञान का कोई छात्र साथ ही साथ इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकता है] और कला के छात्र के पास विज्ञान संकायिता आदि के पाठ्यक्रम की अपनाने का विकल्प है।

अवधि : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुमोदित एच&ऑप पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता सम्पुष्ट करता है:

(क) सामाजिकी और वाणिज्य विषयों में तीन वर्षों हेतु 7 लाख #पए प्रति पाठ्यक्रम की एकमुश्त आवर्तक धनराशि।

(ख) विज्ञान विषय में तीन वर्षों हेतु 10 लाख #पए प्रति पाठ्यक्रम की एकमुश्त आवर्तक धनराशि।

मार्च 09 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निर्णय लिया है कि महाविद्यालयों के मामले में केन्द्रीय सम्पुष्ट पाठ्यक्रमों की योजना की संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा जबकि विश्वविद्यालयों के मामले में इनका कार्यान्वयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मीजोरमी ब्यूरो द्वारा किया जाएगा।

फरवरी] 2013 में 522 महाविद्यालयों@विश्वविद्यालयों को स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता के लिए प्रदान किया गया था। 2015&16 के दौरान 72 महाविद्यालयों@विश्वविद्यालयों की केन्द्रीय सम्पुष्ट पाठ्यक्रमों की योजना के अंतर्गत धनराशि सम्पुष्ट की गई है।

बारहवीं योजना 2012&17 (2015&16) के द्वारा प्रस्तावित किए गए अनुदान

वर्ष 2015&16 के दौरान कुल 7.69 करोड़ #पए के अनुदान का प्रस्ताव किया गया।

10.2 सामुदायिक महाविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक निर्देश पर वर्ष 2013&14 के दौरान प्रायोगिक आधार पर सामुदायिक महाविद्यालयों की योजना की शुरूआत की थी। कुल मिलाकर] सामुदायिक महाविद्यालय समुदाय के अधिमांश्य लोगों की मांग से होगा] स्थानीय स्तर पर कम अवधि और सम्बद्ध प्रमाणपत्र की शिक्षा प्रदान करेगा जिसमें व्यावसायिक कौशल विकास के साथ&साथ परंपरागत पाठ्यक्रम कार्य शामिल होगा जिससे शिक्षार्थियों के पास नौकरी क्षेत्र में जाने अथवा सम्बद्ध शिक्षा के क्षेत्र में जाने के अवसर सम्पुष्ट होंगे। यह एक लचीली और खुली शिक्षा प्रणाली सम्पुष्ट करता है जो समुदाय आधारित जीवनपर्यंत शिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसका समुदाय] सामुदायिक महाविद्यालय और रोजगार बाजार के बीच एक मजबूत संबंध है।

बाद में] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजना के विशेषताओं को संशोधित किया और इसे एक स्वतंत्र योजना के रूप में संचालित किया। यह योजना विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों दोनों के लिए है। तथापि] यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सम्बद्ध विद्यालय मान्यता प्राप्त और ऐसे सीधा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू किया जाएगा।

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:

- व्यवसाय शिक्षा की शिक्षार्थी और समुदाय के संरक्षण बढाना;
- संरक्षण कौशलों की व्यवसाय शिक्षा प्रणाली के साथ एकीकृत करना;
- वर्तमान में व्यवसाय शिक्षा प्राप्त कर रहे] प्रोजेक्ट वास्तव में जितना जल्दी हो सके कार्यबल में प्रवेश करने के इच्छुक छात्रों की कौशल आधारित शिक्षा सम्पन्न करना;
- व्यवसाय माध्यमिक विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले तथा सीधा व्यवसाय शिक्षा प्रणाली में आने न पड़ने के इच्छुक छात्रों की आवश्यक सामान्य शिक्षा के साथ रोजगार प्राप्त करने और प्रमाणित किए जाने योग्य कौशल सम्पन्न करना;
- शिक्षार्थियों की आयु पर ध्यान नहीं देते हुए पूर्वानुभव@कौशलों के मान्यता और प्रमाण हेतु सहायता प्रदान करना;
- व्यक्तिगत विकास और #ि हेतु समुदाय की सामान्य #ि के आवश्यकताओं को प्रदान करे समुदाय आधारित जीवन पर्यन्त शिक्षण हेतु अवसर सम्पन्न करना;
- साथ में व्यवसाय शिक्षा प्राप्त करने के अवसर सम्पन्न करना; और सामान्य@व्यावसायिक शिक्षा के प्रमाण पत्र धारकों की संक्षिप्त आवश्यकता सम्पन्न करना ताकि सभी समुचित एनवीईक्यूएफ के मानकों प्राप्त कर सकें।

लक्ष्य/पात्रता

सामुदायिक महाविद्यालयों की योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 7500 शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है जैसा कि तालिका 10.2(क) में दर्शाया गया है:

तालिका 10.2(क): सामुदायिक महाविद्यालय

सामुदायिक महाविद्यालय				
वर्ष	वर्ष&वार वास्तविक लक्ष्य		संचयी लक्ष्य	
	संस्थान	शिक्षार्थियों की संख्या	संस्थान	शिक्षार्थियों की संख्या
2014&15	100	7500	100	7500
2015&16	100	7500	200	15000
2016&17	100	7500	300	22500
2017&18	100	7500	400	30000
2018&19	100	7500	500	37500

वर्ष 2015&16 के दौरान आवंटित धनराशि तथा जारी किए गए अनुदान की स्थिति की तालिका 10.2(ख) में दिया गया है:

तालिका 10.2(ख)

योजना का नाम	संस्थानों की कुल संख्या	आवंटन (करोड़ ` में)	जारी किया गया अनुदान (करोड़ ` में)
		2015.16	2015.16
सामुदायिक महाविद्यालय ➢ प्रमाणपत्र ➢ डिप्लोमा ➢ व्यवसाय डिप्लोमा	202 (स्व&वित्तपोषित&2)*	106.66 करोड़ (2015&16 के लिए)	33.36 ₹

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम] 1956 की धारा 2(f) और 12(B) के तहत सार्वजनिक वित्त विश्वविद्यालय तथा सहविद्यालय] जो मानद विकास सहायता प्राप्त कर रहे हैंA वे मातृसंस्थागत सहविद्यालय की योजना की कार्यान्वित करने के लिए करने हेतु पात्र हैंA

मातृसंस्थागत सहविद्यालय] विश्वविद्यालय विभाग की अंग नहीं होना चाहिएA यह ग्रामीण तथा क्षेत्रीय विश्वविद्यालय मोडों पर लागू हैA तथापि] यदि इसे विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया जाता है तो इसकी पृथक पहचान होनी चाहिएA शिक्षा की संरचना बनाने तथा 'सहयोग के लिये सर्वोत्तम' कौशल और क्षमता को मूर्तरूप करने के लिये] मातृसंस्थागत सहविद्यालय की प्रशासनिक सहयोग के संबंध में लचीला होना चाहिये वे स्थानीय आवश्यकता के लिये क्षेत्रविशेष की आवश्यकताओं के संबंध में अनुकूल हैंA इस सहविद्यालयों की रूप&रोजगार तथा सक्षमता विकास सहित रोजगार के संबंध में सर्वोत्तम आश्वासन] सर्वोत्तम रूप से तैयार की गई पाठ्यचर्या के साथ स्थानीय क्षेत्र की संस्कृति तथा विरासत] पारंपरिक कला] शिल्प] हस्तशिल्प] संगीत] वास्तु अथवा अन्य कोई ऐसी ही चीजों का हो] की परिरक्षित करना चाहिए तथा बढ़ावा देना चाहिएA

मातृसंस्थागत सहविद्यालय] स्थानीय भागीदारी सहयोग के साथ परामर्श कर अध्ययन बोर्ड के सदस्य सार्वजनिक तथा सहविद्यालय के संबंध में प्रबंधन बोर्ड के सदस्य सार्वजनिक में पाठ्यचर्या विकसित करेगाA तथापि] सहविद्यालय के संबंध में विश्वविद्यालय सौजन्य पंजीयन का पालन कर सकते हैं ऐसा करते हुए संबंधित क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा विकसित राष्ट्रीय वृत्ति सहायकों के अनुरूप पाठ्यचर्या को ढालने के लिए कार्य करना चाहिएA इसमें शिक्षण अर्जन करने वालों की राष्ट्रीय तथा वैश्विक प्रतिशीलता होगीA साथ ही] रोजगार के प्रयोजनार्थ सहयोग द्वारा सक्ष्म लीकार्यता को बढ़ावा मिलेगाA केन्द्रीय सहविद्यालय] एसबीआईयूएफ@एसएमआईयूएफ के साथ पाठ्यक्रम के ढांचे तथा पाठ्यचर्या के डिजाईन को अनुरूप बनाने की दिशा में भी कार्य करेगाA

इस योजना के तहत शिक्षण अर्जन करने वालों के लिये प्रति छात्र प्रतिवर्ष 1000 डॉलर की छात्रवृत्ति की व्यवस्था हैA

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान की अधिकतम सीमा	प्रति पाठ्यक्रम 50.00 लाख रुपए
अवधि	दो वर्ष
क्रयण प्रक्रिया	मातृसंस्थागत सहविद्यालय की सौजन्य सहविद्यालय@विश्वविद्यालय में क्रमशः जाएगाA मातृसंस्थागत सहविद्यालय हेतु सेवादाय संस्थान का क्रयण करते हुए ऐसे सहविद्यालयों@विश्वविद्यालयों की प्राथमिकता दी जाएगी जो स्थानीय सहयोग भागीदार के समीप अवस्थित हैंA किसी स्वायत्त सहविद्यालय की मातृसंस्थागत सहविद्यालय का सेवादाय बनाने में पाठ्यचर्या विनिर्देश] मूल्यांकन तथा अभिशासन आदि के अतिरिक्त लाभ हो सकते हैं और इसलिए] सभी योजना के तहत प्राथमिकता प्रदान की जाएगीA
बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित किए गए अनुदान 2012&17 (2015&16)	71.53 करोड़ रुपए (दिनांक 31.03.2016 तक भुगतान किया गया कुल अनुदान)
बारहवीं पंचवर्षीय योजना दृष्टि] विकास कार्यनीतियों की दर्शाते हुए भावी कार्य योजना का उल्लेख करें	प्रत्येक वर्ष 100 नए मातृसंस्थागत सहविद्यालयों की सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ताकि छात्रों को रोजगार प्राप्त करने की क्षमता से पर्याप्त रूप से संबंधित किया जा सकेA पाठ्यचर्या तैयार करने] शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए सहयोग भागीदार की शामिल किया जा सकता हैA पाठ्यक्रम की पूर्ण करने वाले छात्र सहयोग की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगेA

आयोजित किए गए सेमिनार] विदेशी विशेषज्ञों की यात्रा तथा आयोजित किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम] यदि आयोजित किए गए हों तोA	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संयुक्त रूप से आईसियाई&भारतीय व्यावसायिक शिक्षा शैक्षक प्रशिक्षण (वीईएसटी) परियोजना के साथ वर्ष 2015&16 के लिए आईसियाई सहयोग से इंडियन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री के साथ व्यावसायिक शिक्षा शैक्षक प्रशिक्षण के मास्टर&III का आयोजन कियाA
अन्य देशों @मंत्रालय @अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कार्य	आईसियाई&भारतीय व्यावसायिक शिक्षा शैक्षक प्रशिक्षण (वीईएसटी) परियोजना के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

10.2(क) मॉडल कौशल विकास योजना के तहत विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों की सूची (31.3.2016 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
	आंध्र प्रदेश
1.	आंध्रा लोयोला कॉलेज, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश & 520008
2.	चौधरी एस.डी. सैंट थेरेसिया आर्ट्स कॉलेज फॉर वीमेन, मोटपल्ली पूर्व गोदावरी, एलूरु & 534003, पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश
3.	श्री वेंकटेश्वर कॉलेज (एवनिंग), सैंट्रल जेल रोड, राजामुंद्री 534001, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश
4.	कोनसीमा बी.एड. कॉलेज, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)
5.	गीतापुरम ग्रामीण कॉलेज, अमलापुरम वेंकटेश्वरपुरम हाई स्कूल कोकीलामेडा, ई.गो. जिला, आंध्र प्रदेश&533001
6.	एस.वी.एस. वर्कलवेंट कॉलेज (एस0) चित्तूरु रोड, श्रीकालहस्ती &517644, आंध्र प्रदेश
7.	श्री वेंकटेश्वर ग्रामकृषि वेटेरिनरि कॉलेज, तिरुपति&542268, चित्तूर (जिला), आंध्र प्रदेश
	अरुणाचल प्रदेश
8.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश
	असम
9.	ए.डी.पी. कॉलेज, नागांव हैबोरगांव, आर.जी. रोड, तिरुगांव& 782002, असम
10.	गोहपुर कॉलेज, पी.ओ: गोहपुर जिला गोलाघाट असम&785101
11.	दक्षिण कामरूप कॉलेज, बिजनी, कामरूप&782410, असम
12.	तिरुगांवरोड कॉलेज, तिरुगांवरोड, पी.ओ: & तिरुगांवरोड, तेजपुरगांव, असम & 782410
13.	पैंजरीमुख कॉलेज, पीओ & पैंजरीमुख, सालुनी, गोलाघाट जिला, असम, पिन&785105
14.	नागरूप कॉलेज, पी.ओ: नागापुर, जिला डिब्रूगढ़ (असम) पिन 786623
15.	नार्थ लखीमपुर कॉलेज, (एवनिंग), बिजनीपारी, नार्थ लखीमपुर&787031, असम
16.	रंगा कॉलेज, पीओ रंगा, जिला&नागांव, पिन&782103, असम
17.	रूपाही कॉलेज, एट@पीओ&रूपाही, जिला नागांव, पिन&782125, असम
18.	तिनू कॉलेज, तिनू जिला लखीमपुरी (असम)
*19.	सोनारी कॉमर्शियल महाविद्यालय, नागांव एवं पीओ नागारिका, जिला लखीमपुरी, असम&781310
20.	कॉटन कॉलेज, ए.टी. रोड, गुवाहाटी, पिन 788001 (असम)
21.	आदाबारी कॉलेज, आदाबारी, जिला डोंगाईगांव, असम & 783384
22.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर, असम
23.	डिब्रूगढ़ कॉलेज, पीओ डिब्रूगढ़, जिला तिनसुकिया, असम&786171

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
24.	दिखोमुख कॉलेज, पी.ओ: मोरोमुआ तिताबोर, सिवसागर (असम)&785664
25.	डारंगी अंगिरा अजुली कॉलेज, नागांव, असम
26.	जवाहरनगर सेंचुरु कॉलेज, पी.ओ: डोकी, पी.एस: डोकी, जिला कामरूप&781123 (असम)
27.	गोरेश्वर कॉलेजीय महाविद्यालय, केंदुमुरि, पी.ओ: ब्रह्मशी गांव, जिला गोरेश्वर&785010 (असम)
28.	एम.पी.के. कॉलेज, पी.ओ: आदाबाड़, जिला सुरमीलपुर&787031 (असम)
29.	नाथब्रह्म चौधरी कॉलेज, बरपेटा, असम
30.	पंच कामरूप कॉलेज, बेरेंगाबारी नारंगी, जिला कामरूप, असम 781381
31.	एसबीएसएम कॉलेज, मॉरिगांव, जिला कामरूप, असम
32.	साईंस कॉलेज, पीओ एवं जिला, कोकराझार, असम 783370
33.	सिवसागर कॉमर्स कॉलेज, जिला सिवसागर, पी.ओ: सिवसागर असम&785640
34.	सिवसागर आर्ट्स कॉलेज, सिवसागर टाउन, पी.ओ: सिवसागर, जिला सिवसागर, असम&785640
35.	तेजपुर विश्वविद्यालय, पो.ओ: नापाराम, जिला सोनितपुर, तेजपुर, असम & 784028
	बिहार
36.	अरा कॉलेज, अरा & 803001 (बिहार)
37.	वर्कलवेंट वूमेन्स कॉलेज, अशोकी डाक पीएम, जिला पटना (बिहार) 800002
38.	पी.डी. वूमेन्स कॉलेज, पटना
39.	पंचेर सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर&842001 (बिहार)
40.	राजेन्द्र सिंहा कॉलेज, सिवारी दौलत, सहरसा (बिहार)
41.	रामकृष्ण कॉलेज, मधुबनी (बिहार)
	चंडीगढ़
42.	डीएवी कॉलेज, सेक्टर 10, चंडीगढ़
	छत्तीसगढ़
43.	वर्कलवेंट डी.डी. आर्ट्स कॉलेज, कांकालाडी चौक, छत्तीसगढ़
	दिल्ली
44.	महाराजा अग्रसेन कॉलेज, वसुंधरा एनक्लेव, दिल्ली&110096
	गुजरात
45.	वेदप्रकाश आचार्य नार्थ गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन & 384265 गुजरात
46.	एच.एम. पटेल आर्ट्स कॉलेज, मालेज रोड आनंद, गुजरात & 388001

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
47.	प्रमुख स्वामी साइंस एंड एच.डी. पटेल आर्ट्स कॉलेज, गर्ल विद्यालय, कैम्पस, जिला सेमाणा रेलवे स्टेशन के पीछे, कांसी & 382715, गुजरात
	हरियाणा
48.	आर्य कॉलेज, पानीपत, हरियाणा & 132103
49.	चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिसार&131039 (पानीपत)
50.	गीता विद्यामंदिर, आर्ट्स कॉलेज, हिसार रोड, पानीपत, हरियाणा
51.	गुरु नानक आर्ट्स कॉलेज, मंजपुरा, यमुनानगर
52.	गुरु नानक खालसा कॉलेज, सिविल लाइंस, सिटी सेंटर, रोड, यमुनानगर &135001 (हरियाणा)
53.	गुरु नानक खालसा कॉलेज, रेलवे रोड, करनाल & 132001
54.	कन्या महाविद्यालय, खारकीडा, पानीपत, हरियाणा
55.	केवीए डीएवी महिला कॉलेज, सेक्टर बाइपास 8, मजदूर बाजार, करनाल, हरियाणा & 132001
56.	वाईएसपीए यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेक्टर&6, फरीदाबाद&121006 (हरियाणा)
	हिमाचल प्रदेश
57.	सर्वसेवा कॉलेज, नालागढ़ जिला&सोलन हिमाचल प्रदेश, 174101
58.	श्री गुरु गोविंद सिंह जी सर्वसेवा कॉलेज, पोंटा साहिब (हिमाचल प्रदेश)
	जम्मू और कश्मीर
59.	बाबा गुलाब शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, राजौरी, जम्मू एवं कश्मीर
60.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर & 181143
61.	सर्वसेवा कॉलेज फॉर वूमेन, पारेड ग्राउंड, जम्मू 180001
	झारखंड
62.	ए.एस. कॉलेज, मलसलाइ सतरं, बी. सेवरिं&814112 (झारखंड)
63.	डोरंडा कॉलेज, अशोकनगर कृष्णा सिंह पार्क, डोरंडा, पी.ओ. हिन्दू राँची, झारखंड
64.	के.डी. वूमेन्स कॉलेज, सिदरं सिविल लाईं, हजारीबाग&825301, झारखंड
65.	एस.एस.एल.एच.डी. महिला महाविद्यालय, मूरी मनकुसरं रोड, धनबाद&826001&झारखंड
66.	पोरेटो कॉलेज, सिमडेगा
	कर्नाटक
67.	बीएलडीईए न्यू आर्ट्स महाविद्यालय, सिकीला & 586 130 जिला, बिजापुर (कर्नाटक)
68.	बी.एस.एस महिला महाविद्यालय, डबरल रोड सार्ट, डगलचाराुडी, बंगलुरु#&560 004

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
69.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय कर्नाटक, गुलबर्ग, कर्नाटक
70.	सर्वसेवा रामचारायण झेवारलाल कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड सेवेनसेवेन रेस कोर्स रोड, बंगलूरु & 560001
71.	पीएमएस बंगलोरी आर्ट्स, कॉमर्स एंड एम.के. मुद्दी साइंस कॉलेज, विद्यारिरी, कर्नाटक
72.	कर्नाटकम शिक्षण समिति के.एस.एस. आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कॉलेज एंड पी.जी. सेंटर, विद्यानगर, धारवाड, कर्नाटक&582101&(कर्नाटक)
73.	महारानी साइंस कॉलेज फॉर वूमेन, मैसूर
74.	श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महाराज फिजिकल ग्रेड कॉलेज, जयनगरकोरमंगला, मैसूर & 570012
75.	श्रीमती बी.एम.डी. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस, सेमाणी रोड, बंगलुरु&560001
76.	सेंट जोसेफ इवनिंग कॉलेज #55 ट्रिनिटी रोड, बंगलुरु & 560025
77.	सेंट फिलोमेना कॉलेज (स्वायत्त) पी.बी. बॉक्स 30, बालमट्टागे, मैसूर&570015, कर्नाटक
78.	सेंट्रमाइ कॉलेज, बापू रोड, सिद्धार्थनगर, मैसूर & 570011
	केरल
79.	एजुकेशन कॉलेज, कंजनमेरी, पी.ओ. कीरीदास जिला, केरल
80.	डिशम ब्रूमानंदवेदी सेवेरियल कॉलेज फॉर वूमेन, कीरीदास&686001, केरल
81.	डिशम कुरियन्नादेरी कॉलेज फॉर वूमेन अलवाशिरी पी.ओ. &कीरीदास, केरल &686561
82.	कॉमर्स कॉलेज, वाला, केरल & 680732, त्रिशूर&जिला, केरल
83.	सर्वसेवा कॉलेज, वारियाकॉस, पी.ओ. कीरीदास&686013
84.	सर्वसेवा कॉलेज, अंचीरल (केरल)
85.	हेलरी केरल कॉलेज, सेमुकोवु (केरल)
86.	एसईएस कॉलेज, वारंसवल्ली पी.ओ. तार्थि वाझाकुलम, अलुवा & 683107, केरल
87.	न्यूमेन कॉलेज, थोडुपुझा, थोडुपुझाईस्ट पीओ, इडुक्की जिला, केरल&685585
88.	पंचायत्ति कॉलेज, मुरिकेमरी, इडुक्की जिला, केरल&685604
89.	पोलिकारा सेंट्रल सेवेरियल सर्वसेवा कॉलेज, पेरिंथलमन्ना, पांगीलिकारा&679322, मालापुरम जिला, (केरल)
90.	प्रोविडेंस वूमेन कॉलेज, कालीकट
91.	श्री सीमकोला सर्वसेवा संस्कृत कॉलेज, पारप्पनडी, सेवेनपारप्पनडी पी.ओ. मालापिलाडा जिला, केरल पिन 679306
92.	श्री सी. अच्युतन सेवन सर्वसेवा कॉलेज, कुरुन्नेलूर, त्रिशूर&680014 (केरल)

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
93.	सैंट सेवी कॉलेज, कॉलेज, कुमांडी पी.ओ., मलप्पुरम जिला, केरल&673592
94.	सैंट साईकस कॉलेज, साईमीथिरा, इरिंजालाकुडा, केरल
95.	सैंट टेरेसा कॉलेज (स्वायत्त), पार्क एवेन्यू, एर्णाकुलम&682011, केरल
96.	सैंट थॉमस कॉलेज, पाला, अरुणापुरम&686574
97.	सैंट थॉमस कॉलेज, कॉलेज रोड, थ्रिसूर, केरल & 680001
	मध्य प्रदेश
98.	डा. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश
99.	जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर "कॉम्प्युटिंग सैंटर" विद्या विहार, सिंधी कैंप, ग्वालियर&474011
100.	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट & 485331
101.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, मंत्रलवती विहार, नवलपुरा, जबलपुर&482001, मध्य प्रदेश
102.	शासित कन्या महाविद्यालय, मशकुरा सैयाद, बंगारी रोड, सिवनी&454551, मध्य प्रदेश
	महाराष्ट्र
103.	अहमदनगर कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नं: 21, स्टेशन रोड, अहमदनगर, 414001, एस.एस.
104	अंतिवबाबू मेघमुख महाविद्यालय, पी.ओ.&मंत्रिमंत्रि, तालुक&जारंखेड, जारपुर&441305 एस.एस.
105.	भारतीय जैन संघेटन आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, वाघोली रोड, बालेवाड़ी पेठ, पुणे&412207 (एसएस)
106.	बिरला कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, कल्याण, थाणे (एसएस)
107.	वसंतदादा कमल आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, शिवाजी चमर्, सिवर, शाहू पुरम, इचलकरंजी&416115, जिला कोल्हापुर, तालुक हुपरीकोले, एसएस
108.	धोते बंधु साइंस कॉलेज, कुडवा रोड, जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) & 441614
109.	डॉ0 अम्बेडकर कॉलेज, दीक्षाभूमि, नागपुर
110.	जी एस टोम्पे आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, चांदुर, बाजार, जिला अमरावती, एसएस&444704
111.	पी.डी.ए.वी. आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, सिन्नर्इ रोड, जिला नासिक&423203, महाराष्ट्र
112.	मुं# नागरिक कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, पी.टी.टी. चमर्, मुंबई&400037, एस.एस.
113.	जयसिंगपुर कॉलेज, जयसिंग चमर्&416001, जिला कोल्हापुर
114.	के.टी.एस.पी. मंडल हुतात्मा राजगुरु महाविद्यालय, पुणे&नासिक हाइवे, सिवर, खेड पुलिस स्टेशन
115.	केआरटी आर्ट्स, बीएच कॉमर्स एंड एएस साइंस कॉलेज, नासिक (महाराष्ट्र)

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
116.	मुलुज महापुर शास्त्री कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, 17, सरदार पेठ, नागपुर & 415002 (एसएस)
117.	स्वर्गीय बैरनजाल गुरुजीभाई कांती कन्या महाविद्यालय, अमलनेर कैंप
118.	सधुकरराव गवार आर्ट्स कॉलेज, सूतिकापुर, जिला अकोला (एसएस)
119.	महात्मा गांधी आर्ट्स साइंस एंड ज्वेर एस.पी. कॉमर्स, कॉलेज, वडसा रोड, तालुक अरमोरी, जिला गडचिरोली, महाराष्ट्र&441208
120.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, (एसएस)
121.	नगरपालिका शिक्षण संस्थान आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, सिवर, सोनीबाग, जिलाईओवर ब्रिज, जालना&431203 (एसएस)
122.	एसएमएम आर्ट्स कॉलेज, तीर्थपुरी, जालना&431209 (एसएस)
123.	न्यू आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, सिरि रोड, शेवगांव, तालुक&शेवगांव, जिला&अहमदनगर (एसएस)
124.	तापी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, पोस्ट बॉक्स नं: 80, अलावीचमर्, जलगांव, महाराष्ट्र & 425001
125.	पीडीइए बाबूराव पेठकर कॉलेज, संगवी, पुणे 411027
126.	पद्मश्री विखे पाटिल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, प्रोपी कोंडी&413713, राहाता, अहमदनगर (महाराष्ट्र)
127.	प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, शिवाजीनगर, पुणे&411005
128.	मगरु# गावेज महाराज कॉलेज, कोरम, जिला नगपा, महाराष्ट्र
129.	शरदचंद्र आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, पी&16, एसआईडीसी पूरीडोरी, जिला बारपुर&441122
130.	शिक्षणमहर्षि डॉ0 बापूजी साळुंके महाविद्यालय, मंदारपुर रोड, सिवर&416410
131.	श्री आनंदराव पंडितकर आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, वेलस्पांव, जिला औरंगाबाद&431115, महाराष्ट्र
132.	श्री एस.एम. लोयलका कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)
133.	श्री शिवाजी महाविद्यालय, शिवाजीचमर्, बारशी&413411 जिला सोलापुर (महाराष्ट्र)
134.	श्री वेंकटेश आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, डेलगांव राजा, जिला बुलढाणा (महाराष्ट्र) & 443204
135.	श्रीमती शकुंतलाबाई वडावकर महाविद्यालय, कोरंजा (होड) जिला वाशिम
136.	एसएसपीबी के.के.एम.ए. आर्ट्स, एस.एस.पी.एम. कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, वेसीचमर्, शिरवाडे, जिला नासिक&423101(महाराष्ट्र)

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
137.	विवेकानन्द आर्ट्स, सायन्स, डेम्बीपंसिंग कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, सत्यविजय, औरंगाबाद-431001 (महाराष्ट्र)
138.	विवेकानन्द कॉलेज, 2130, ई, तारावाई पार्क, तालुक कोल्हापुर, कोल्हापुर & 416416
	मणिपुर
139.	चिलसबाम इबोटोम्बा (सी.आई) कॉलेज, विशनपुर जिला, मणिपुर
140.	मूवाइमनपुर कॉलेज, मूवाइमनपुर (मणिपुर)
141.	मणिपुर यूनिवर्सिटी, कांचीपुर-795003
142.	पेटिग्रू कॉलेज, सुगनु, मणिपुर-795142
143.	सैंट जूना महिला महाविद्यालय, कीरनपोट, मणिपुर & 795134
144.	वाईखोम मणि शर्मा कॉलेज, थोबाई ओकरुल, पीओ एवं जिला थोबाल, मणिपुर & 795138
	मिजोरम
145.	पाचुंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज, कॉलेज वेंस, आईजोल, मिजोरम-796001
	नागालैण्ड
146.	दीमापुर सर्वसेवा कॉलेज, ओरिएंटल कालोनी, दीमापुर-797112
147.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, नागवाती विभाग, नागालैण्ड
148.	नागुंग मिशन कॉलेज, ईसेबार्क कालोनी, दीमापुर-797112
149.	सैंट जोसेफ कॉलेज, नागुंग, पीओ बॉक्स-39, कोहिमा (नागालैंड)
	ओडीसा
150.	डी.डी. (स्वायत्त) कॉलेज, केओंझर-758001
151.	फकीर मिशन (स्वायत्त) कॉलेज, बालासोर-756001 (ओडीशा)
152.	सर्वसेवा (स्वायत्त) कॉलेज, धनकौपटना-766001, जिला कोरापुट, ओडीशा
153.	सर्वसेवा (स्वायत्त) कॉलेज, रायरंगपुर-769004 (ओडीशा)
154.	खालीकोटे (स्वायत्त) कॉलेज, ब्रह्मपुर, गंजम-760001
155.	महाराजा पूर्ण चन्द्र कॉलेज, बारीपाडा, मयुरभंज-757003 ओडीशा
156.	वेशनव ला यूनिवर्सिटी कंपाउंड, सेक्टर-13, सीडीए, कटक, ओडीशा
157.	विज्ञान वेद कॉलेज, जेपुर, कोरापुट-764001, ओडीशा
	पुडुचेरी
158.	पुडुचेरी यूनिवर्सिटी कम्युनिटी कॉलेज, कालापेट, पुडुचेरी-605014

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
	पंजाब
159.	डी.डी.के. डी.ए.वी. महिला कॉलेज फ्लाईंग रोड, अमृतसर, पंजाब & 143001
160.	मैट्रिक यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सांसा रोड, भटिंडा-151001, पंजाब
161.	डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स, रड़शंकर-144527
162.	सर्वसेवा सोहिंद्रा कॉलेज पटियाला-147001
163.	सर्वसेवा कॉलेज फॉर गर्ल्स, रायबास, लुधियाना-141001, पंजाब
164.	हुंमायुन महिला महाविद्यालय, महात्मा हुंस राज मार्ग, जालंधर, पंजाब 144001
165.	जैसी डीएवी कॉलेज फार्म्यू, होशियारपुर
166.	कन्या पेहरू महिला महाविद्यालय, एत्रवाड़ा कपूरथला, पंजाब & 144401
167.	नारायणपुर खालसा कॉलेज, जी.टी. रोड, जालंधर, पंजाब & 144001
168.	सांता मुजरी कॉलेज, एतेहगढ़ साहिब, पंजाब & 140406
169.	प्रेम कन्या सार्वजनिक एस.डी. कॉलेज फॉर वूमेन, पेहरू रायल रोड, जालंधर-144001, पंजाब
170.	दोआबा सांता डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स, मसक रोड, बटाला-143505, पंजाब
171.	एस.सी.डी. सर्वसेवा कॉलेज, सिविल लाइंस, लुधियाना-141001
	राजस्थान
172.	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली & 304022
	तेलंगाना
173.	नवाबुरुलाज पेहरू सिल्वी कॉलेज, सर्वसेवा रोड, वेमुलवाडा-505302, करीमनगर (जिला) तेलंगाना
	तमिलनाडु
174.	आर्या वाडर् नायकी अम्मल कॉलेज (स्वायत्त) वीविलीपुत्तूर रोड, सिवकासी पेपर-626124, वीरुधुनगर, तमिलनाडु
175.	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरुर
176.	डेनिश्को मानव श्रोवर्धनम्म विश्व कॉलेज (स्वायत्त) सं: 833, पेरियार ईवीआर सलाई, अरुलानंदम, चेन्नई
177.	नयनार अन्नामलिक कॉलेज फॉर वूमेन (स्वायत्त) पेरीकुलम-625501, थेनी जिला, तमिलनाडु-625601
178.	लेडी डॉक कॉलेज मदुरई 625002 (तमिलनाडु)
179.	सेयोना कॉलेज (स्वायत्त), पैंक बंद रोड, तुंगाबद्रेक्स, चेन्नई-600034
180.	सनातन हिंदुस्थान कॉलेज (स्वायत्त) ईस्ट तांबरम, चेन्नई 600059

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
181.	मदुरई इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंस, 9, अलगर कोवली रोड, मदुरई-625002
182.	मनोमणियम सुंदरनार यूनिवर्सिटी, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु
183.	शेशसम कॉलेज (स्वायत्त), डिंडीगुल रोड, करुमलईपट्टी, तिरुचिरापल्ली-620001, तमिलनाडु
184.	पीएसजीआर कृष्णम्मल महिला महाविद्यालय, पीलमेडु, कोयंबटूर, 641004
185.	सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज (स्वायत्त), तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु
186	श्री पी.ए.पी. वैशाखी कॉलेज फॉर वूमेन (स्वायत्त), मायवरम्पेट
187.	श्री कोलेश्वरी कॉलेज (स्वायत्त), ए. सीतापीपुरम अलीकुलम्स, पोस्ट, सिवकाशी, 626130, विरुधनगर
188.	सिं अमेरिकन कॉलेज, मदुरई, 625002, तमिलनाडु
	उत्तर प्रदेश
189.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
190.	बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, विधा विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
191.	इविंस क्रिश्चियन कॉलेज, मेयर, सुधीरंजन, इलाहाबाद-211003
192.	एम.एम. [illegible] मेमो कॉलेज, 179-बी, अशरफाबाद, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
193.	सेंट एंड्रूस कॉलेज, जिला न्यायालय के पीछे, गोरखपुर-273001, उत्तर प्रदेश
	उत्तराखंड
194.	एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर, श्रीनगर गढ़वाल-249161 (उत्तराखंड)
195.	कुमाऊँ यूनिवर्सिटी, सिरमौरी हॉल्ड, सेवीनाला-263001 (उत्तराखंड)
	पश्चिम बंगाल
196.	आशुतोष महाविद्यालय, 92, श्यामाप्रसाद मुखर्जी रोड, कोलकाता, 700026, पश्चिम बंगाल
197.	उत्तर कॉलेज, पो.ओ. वांतल पश्चिम सिंघिभूम, पश्चिम बंगाल
*198.	सिटी कॉलेज, 102@1, राजा राजबोल्लव सरोवर, कोलकाता-700009 (पश्चिम बंगाल)
199.	डेरोजियो मेमोरियल कॉलेज, राजारहाट रोड, रोडापुर, पॉर्ट 24, परगना, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
200.	सोनामुखी कॉलेज, बांकुरा(ईस्ट), (पश्चिम बंगाल)
201.	सुरेंद्रनाथ रजनीधर महाविद्यालय, पीओ मेदनीपुर, जिला पूर्वी सिंघिभूम, पश्चिम बंगाल, 721425
*202.	सिल्वर [illegible] शेखर कॉलेज, पीओ सिल्वा, जिला पश्चिम सिंघिभूम-721414

*सत्यता की जांच करने के लिए संस्था समिति द्वारा की गई घोषणाओं के संदर्भ में समिति को अवगत किया जाएगा।

10.3 बी0वोक0 उपाधि कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कौशल विकास हेतु एक अन्य महत्वपूर्ण योजना अर्थात व्यावसायिक स्नातक (बी0वोक0) उपाधि कार्यक्रम की शुरू की गई है। माध्यमिक शिक्षा की अर्थव्यवस्था की सामान्य आवश्यकताओं के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि माध्यमिक शिक्षा प्रणाली के स्नातकों के पास रोजगार और व्यवसायिकता हेतु पर्याप्त जानकारी और कौशल हो। कौशल विकास संबंधी संस्थागत समिति की 19 दिसंबर, 2013 की आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में विभिन्न मंत्रालय से कौशल विकास पहलों के समन्वय (एचएमआईए) हेतु एक अधिसूचना जारी की, जो एचसीईआईए की अधिदेशित करती है। इसमें बी0वोक0 पूर्ण करने वाले स्नातक सुनिश्चित रोजगार प्राप्त करें, व्यवसाय और सुनिश्चित क्षेत्र का सृजन करें, मांग की अर्थव्यवस्था की प्रति प्रावध करने में सक्षम होंगे।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- किसी व्यवसाय और संबंध शिक्षा की सुनिश्चित मात्रा से संबंधित कौशलों के युक्तिसंगत शिक्षण की सुनिश्चित करना;
- युवा सुनिश्चित करना कि छात्रों के पास पर्याप्त जानकारी और कौशल हो ताकि वे कार्यस्थल के प्रत्येक विकासी बिंदु पर कार्य तत्पर हों।
- पूर्व-निर्धारित बहु-प्रवेश और बहु-विकास बिंदुओं के संदर्भ में छात्रों की प्रगतिशी पद्धति सुनिश्चित करना।
- स्नातकों की रोजगार क्षीणता को बढ़ाने और सहयोग की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए माध्यमिक शिक्षा की पूर्व स्तर पर एचएमआईए की एकीकृत करना। ऐसे स्नातक स्थानीय तथा देश के सहयोग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए वैश्विक गतिशीलता का लाभ भी उठा सकते हैं।

➢ 10$2 की व्यावसायिक विषयों के साथ सम्बद्ध करने वाले छात्रों की शिक्षा जारी रखने के अवसर प्रदान करना

डी0वोक0 पाठ्यक्रम की विशेषताएं एवं विकास विवरण निम्नवत हैं:&

तालिका 10.3(क)

अवधि	अवधि	सम्बन्धित एन0एस0क्यू0एफ0 स्तर
प्रमाणपत्र	6 माह	4
डिप्लोमा	1 वर्ष	5
उच्च डिप्लोमा	2 वर्ष	6
डी0वोक0 पाठ्यक्रम	3 वर्ष	7

प्रत्येक उपाधि के कोष्ठकों में कौशल/विशेषज्ञता को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, उदाहरण के लिए:

- व्यवसाय स्नातक पाठ्यक्रम (स्वीकार्यणीय ÅषZा प्रबंधन)
- व्यवसाय स्नातक पाठ्यक्रम (विपणन प्रबंधन)
- व्यवसाय स्नातक पाठ्यक्रम (विपणन प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी)
- उच्च डिप्लोमा (वित्त प्रबंधकीय)
- उच्च डिप्लोमा (स्वास्थ्य परिचर्या)
- उच्च डिप्लोमा (आतिथ्य तथा पर्यटन)
- डिप्लोमा (शीत शृंखला प्रौद्योगिकी)
- डिप्लोमा (डीपीओ)
- डिप्लोमा (आभूषण डिजाईनिंग)

संबद्ध संस्थानों की आबंटित तथा जारी किये गये अनुदान की स्थिति निम्नानुसार है:&

तालिका 10.3(ख)

योजना का नाम	कुल	तीन वर्षों के लिए आबंटित अनुदान (करोड़ रुपये में)	जारी किया गया अनुदान (2014&15) (करोड़ रुपये में)
व्यवसाय स्नातक पाठ्यक्रम कार्यान्वित	162	241.06	110.88

व्यवसाय स्नातक पाठ्यक्रम कार्यान्वित की योजना के तहत प्रत्येक वर्ष में 1000 शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

तालिका 10.3(ग)

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य		संचयी लक्ष्य	
	अनुमोदित किये जाने वाले संस्थान	शिक्षार्थियों की संख्या	अनुमोदित किये जाने वाले संस्थान	शिक्षार्थियों की संख्या
2014&15	100	10000	100	10000
2015&16	100	10000	200	20000
2016&17	100	10000	300	30000
2017&18	100	10000	400	40000
2018&19	100	10000	500	50000

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) तथा 12(बी) के तहत मान्यताप्राप्त किए गए सभी विश्वविद्यालय और समविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं उन्हें योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

डी0वोक0 के तहत प्रवेश हेतु अर्हता की शर्त किसी भी विषय में 10$2 अथवा समकक्ष है।

प्रत्येक वर्ष के लिए सुझाए गए छैक्षिकों की निम्नानुसार विस्तारित किया गया है:

तालिका 10.3(घ)

संस्थानों एसएमवीयूएफ स्तर	अवार्ड हेतु संचयी क्रेडिट		संगत्य कोर्सवर्क अवधि	विकास बिंदु@सर्टिफि
	कौशल घटक के क्रेडिट	संगत्य शिक्षा के क्रेडिट		
प्रथम वर्ष	36	24	छह सेमेस्टर	डिप्लोमा
द्वितीय वर्ष	72	40	चार सेमेस्टर	उच्च डिप्लोमा
तृतीय वर्ष	108	72	दो सेमेस्टर	व्यवसाय स्नातक सर्टिफि

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान की अधिकतम सीमा	1.70 करोड़ रुपए
अवधि	तीन वर्ष
प्रदान प्रक्रिया	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक नोटिस जारी करके इच्छुक महाविद्यालयों@विश्वविद्यालयों से विहित प्रारूप में प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। प्रस्तावों की मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संबंधित संस्थान की विशेषज्ञ समिति के साथ आमने वार्ता करने का भी निर्णय ले सकता है, जो योजना के तहत संस्थान की सिफारिश करेगी।
बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए स्वीकृत अनुदान 2012-17 (2015-16)	110.88 करोड़ रुपए (दिनांक 31.03.2016 तक अवधि किया गया कुल अनुदान)
बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के विकास कार्यनीतियों को दर्शाते हुए भावी कार्य योजना को स्पष्ट करें	प्रत्येक वर्ष 100 एवं डी0डी0 सम्बद्ध संस्थानों की सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ताकि छात्रों को रोजगार प्राप्त करने की क्षमता में वर्द्धित रूप से संवर्धित किया जा सके। पाठ्यचर्या तैयार करने, शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए संयोजक मार्गदर्शक की नियुक्ति किया जा सकता है। पाठ्यक्रम को पूर्ण करने वाले छात्र संयोजक की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे।
आयोजित किए गए सेमिनार, विदेशी विशेषज्ञों का दौरा तथा आयोजित किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम, यदि आयोजित किए हों तो।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संयुक्त रूप से आस्ट्रेलियाई&भारतीय व्यावसायिक शिक्षा नेतृत्व प्रशिक्षण (वीईएलटी) परियोजना के साथ वर्ष 2015&16 के लिए आस्ट्रेलियाई सरकार से इंडियन कम्यूनिटी कॉलेज लीडर के साथ व्यावसायिक शिक्षा नेतृत्व प्रशिक्षण के मात्र& का आयोजन किया।
अन्य देशों @संगठन @अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ करार	आस्ट्रेलियाई&भारतीय व्यावसायिक शिक्षा नेतृत्व प्रशिक्षण (वीईएलटी) परियोजना के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

तालिका 10.3(ङ): डी0डी0 सम्बद्ध प्राप्त करने वाले 162 महाविद्यालयों@विश्वविद्यालयों की सूची

क्र0 सं0	संस्थान का नाम
	आंध्र प्रदेश
1.	आंध्रा लोयोला कॉलेज, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश & 520008
2.	चौधरी एस.डी. सैंट थेरेसिया आर्ट्स कॉलेज फॉर वीमेन, भाविवारपूपूर पोस्ट एलूरू & 534003, पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश
3.	विशाखापत्तनम राजा श्रवणसैन कॉलेज, काकीनाडा & 533001, आंध्र प्रदेश
4.	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति & 517502
5.	सैंट फ्रांसिस महिला कॉलेज, स्ट्रीट सं: 6, खैरताबाद, बेगमपेट, हैदराबाद & 500016
	असम
6.	आंधारुंगी कॉलेज, आंधारुंगी, जिला डीमाहाईसांव, असम & 783384
7.	हैबूर कॉलेज, गोहपुर, असम & 784178
8.	चाराईदेव कॉलेज, चाराईदेव, सोरीसांव, असम & 782410
9.	कालीयाबोर कॉलेज, कुवारीतोल, जिला नागांव, असम & 782137
10.	नागिरा कॉलेज, नागा अली नागिरा, सिबसागर, असम & 785640
11.	गौरी कॉलरूम कॉलेज, बैहाटा चारेली, कॉलरूम असम & 781381
12.	तेजपुर विश्वविद्यालय, पो.ओ. नागांयस, जिला सोनितपुर, तेजपुर, असम & 784028
13	असम विश्वविद्यालय, सिलचर
14	डीके कॉलेज सिर्फा, कॉलरूम
15	संजयलाई कॉलेज, सिंस चरैत, असम
16	सोनारी मुवाहाटी कॉलेज, कॉलेज चरैत, मुवाहाटी

क्र0 सं0	संस्थान का नाम
17	रुंगटा कॉलेज मुलाकुद्दी] कोसरूम]अमस
18	एसबीएएम कॉलेज मुलाकुद्दी] कोसरूम] अमस
	बिहार
19	कर्पूरावती स्नातक महाविद्यालय] रामीरंज अररिया] बिहार & 854334
20	केंद्रीय दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय
	छत्तीसगढ़
21	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय] खैरागढ़] जिला राजनांदगांव] छत्तीसगढ़ & 491881
22	पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय] रायपुर
	चण्डीगढ़
23	डीएवी कॉलेज] सेक्टर&10] चण्डीगढ़
	दिल्ली
24	जीजस एण्ड मेरी कॉलेज] ईई दिल्ली
25	कालिंदी कॉलेज] ईस्ट पटेल नगर] दिल्ली
	गुजरात
26	हेमचन्द्र आचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय] पाटन & 384265 गुजरात
27	एल:एम: पटेल आर्ट्स कॉलेज] कालेज रोड आनंद] गुजरात & 388001
28	प्रमुख स्वामी साइंस एंड एल:डी: पटेल आर्ट्स कॉलेज] सर्व विद्यालय] कैम्पस] जिला बैसाणा रेलवे स्टेशन के पीछे] कामी & 382715] गुजरात
29	गोकुलदास कॉमर्स कॉलेज] आदित्यपुर कच्छ] गुजरात & 121004
30	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय
	हरियाणा
31	अग्रवाल कॉलेज] बल्लभगढ़ सिरोंज रोड] (फरीदाबाद) & 121004
32	आर्य कॉलेज] पी:टी: रोड] पानीपत] हरियाणा & 132103
33	केवीए डीएवी महिला कॉलेज] स्टेशन हाइवे 8] नवरंग कालोनी] करनाल] हरियाणा & 132001
34	कन्या महाविद्यालय] खानखोदा] मोतीपत
	जम्मू
35	केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू] सिरूथा नगर] जम्मू & 180012
36	करीरी केंद्रीय विश्वविद्यालय
	झारखण्ड
37	मेहर जोसियर कॉलेज] रांची] डा: कासली दुल्के पथ] (पुरुलिया रोड)] झारखण्ड & 834001
	कर्नाटक
38	ज्योति निवास कॉलेज] कोरमंगल रोड] बंगलुरु & 560095
39	महारानी लक्ष्मी अम्मान्नी महिला महाविद्यालय] बंगलुरु& 560012
40	सायर कॉमर्स कॉलेज] स्वायत्त] 58] पैलेस रोड] बंगलुरु & 560052
41	मेहर जोसेफ कॉलेज (स्वायत्त) जालहाल रोड] बंगलुरु & 560027

क्र0 सं0	संस्थान का नाम
42	तुमकुरु विश्वविद्यालय] साइंस कॉलेज कैम्पस] बी:एच: रोड] तुमकुरु & 572101
43	करीरिक केंद्रीय विश्वविद्यालय] करीरिक
44	बीएएम कॉलेज ऑफ़ वूमेन] बुलपे गॉक रोड] बंगलुरु
45	मेहर एजोसेफ कॉलेज] बत्तीसवतार] कैमुरु] करीरिक
	केरल
46	अल्फोंसा कॉलेज] कीएट्टायम] केरल & 686575
47	कार्मेल कॉलेज] माला] केरल & 680732
48	फारूख कॉलेज] कोझीकोड & 673632
49	कॉरीकोस इम्मानुएल कॉलेज] जिला & कीएट्टायम] केरल & 686502
50	एसईएम कॉलेज] सारमपरंपली पो:ओ: तार्थि वाज्ञाकुलम] अलुवा & 683107] केरल
51	मेहर एलडर्ट कॉलेज] एर्णाकुलम] कोच्चि & 682100
52	मेहर सेरी कॉलेज] कॉलेज रोड] थ्रिसूर & 680020
53	मेहर साईकेज कॉलेज] साईकीथारा] पेरुंथालमा] केरल
54	मेहर थॉमस कॉलेज] माला] अरूणापुरम&686574
55	मेहर थॉमस कॉलेज] कॉलेज रोड] थ्रिसूर] केरल & 680001
56	मेहर ऑगोसियस कॉलेज] एरुमुक्कु] त्रिसूर & 680611
57	मुस्लिमाएसोसल साइंस कॉलेज
58	विशप वुर्डर कॉलेज] त्रिविट्टुपारंपली
59	मेहर बाप्तिस्त कॉलेज] पत्तनमथिट्टा] केरल
60	मेहर थेरेसा कॉलेज] एर्णाकुलम] कोच्चि
	मध्य प्रदेश
61	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय] जबलपुर
	महाराष्ट्र
62	वेदश्रि कॉलेज] औरंगाबाद] रेलवे स्टेशन रोड] औरंगाबाद (महाराष्ट्र)&441614
63	धोते बंधु साइंस कॉलेज] सिरोंचा रोड] जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) & 441614
64	ब्यावोपासक शिक्षण संडल कॉलेज ऑफ़ आर्ट्स] कॉमर्स एंड साइंस] वरुधनी & 431401
65	फ़र्ग्युसन कॉलेज] डेक्कन जिमखाना] पुणे] महाराष्ट्र & 431004
66	एच:आर: कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स एंड इकोनोमिक्स] चर्चगेट] मुंबई& 4400020
67	जयसिंहपुर कॉलेज] कोल्हापुर (महाराष्ट्र) & 416001
68	जी:एस: पटेल आर्ट्स] कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज] सिंदखेड़ा & 441904
69	जीवन विकास महाविद्यालय] थ्रुम्बोलीवेव] महमीज चांदूरबिस्वा] जिला चांदपुर & 431301

क्र0 सं0	संस्थान का नाम
70	कसबा कॉलेज] कोल्हापुर महाराष्ट्र & 416008
71	कसबा पेठ महाविद्यालय] सोलंकुरवाड़ा इस्लामपुर] सतारा रोड] सांगली & 441301
72	प्रवीण कॉलेज एजुकेशन सोसायटी भुसावली जैतिा कॉलेज] जिला पेठ] जलगांव & 425201
73	केआरटी आर्ट्स] बीएच कॉमर्स एंड एएस साइंस कॉलेज] शिवाजी चौक] संगमनेर रोड] नाशिक (महाराष्ट्र) & 422013
74	केवीपी सिनकाद आर्ट्स] कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज] राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के किनारे] एन: पी: नगर] पालोला] जिला जलगांव] महाराष्ट्र & 425111
75	प्रेरक श्री: कमलताई पालसकर महिला महाविद्यालय] चिंतूर रोड] प्लॉट बॉक्स सं: 34] अमरावती & 431401
76	लोकसेवक वेंकटेशराव हिरे आर्ट्स] साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज (महाराष्ट्र) & 400051
77	पी:ई:एस: मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स] साइंस एंड कॉमर्स] शिवाजीनगर महाराष्ट्र & 411053
78	पीडीईए बाबूराव पी जगताप कॉलेज ऑफ आर्ट्स] कॉमर्स एंड साइंस] पाई मोरवी] पुणे & 411027
79	श्री: राजकृष्ण सोनू आर्ट्स] कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज] सेक्टर सं: 28] संगमनगर] प्राधिकरण] अकरुडि] पुणे & 411044] महाराष्ट्र
80	आर:पी: कॉलेज ऑफ आर्ट्स] कॉमर्स एंड साइंस] अणोजित रेलवे स्टेशन पोस्टकीपर] मुंबई & 400086
81	संगमनेर नगरपालिका आर्ट्स] डी:पी: जाधवानी कॉमर्स एंड बी:एस: मोहता साइंस कॉलेज] पुणे नाशिक हाइवे] पुलेगांवी] संगमनेर] अहमदनगर & 414001
82	शंकर सहर्षि प्रेरक बाबूराव सिंधे आर्ट्स कॉलेज डुलंडाचा (महाराष्ट्र) & 443201
83	संत ज्ञानेश्वर आर्ट्स] कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज] पैनगंगाकी जिला] जालना & 431209
84	शंकर ब्रह्म आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज] पी&16] एसआईडीसी बूटीबोरी] जिला नागपुर & 440016
85	मैरी जेवियर कॉलेज] सहायलिका सार्ट] मुंबई & 400001
86	गुलजारीलाल दलुरुभाव कॉलेज] प्लॉट सं: 51] ए:पी: सहकारीनगर&बारामती] जिला पुणे] पिन & 413102
87	पुणे विश्वविद्यालय] शिवाजीनगर] पुणे महाराष्ट्र & 411007
88	विलास नाइट कॉलेज ऑफ आर्ट्स] साइंस एंड कॉमर्स] मुंबई & 400080
89	विवेकानंद कॉलेज] 2130] ई] नारायणी पार्क] तालुक कोरेगांव कोल्हापुर & 416416
90	वीएसवी कॉमर्स] जेएसपी आर्ट्स एंड जेजेपी साइंस कॉलेज] वर्धमाननगर] नागपुर (महाराष्ट्र) & 440001
91	वाशिरे कॉलेज] ए@पी ! सावलाव] सहकारीनगर&पुरंदर] जिला पुणे] पिन 412301] महाराष्ट्र

क्र0 सं0	संस्थान का नाम
92	वाईसीएमओ सोसायटी सावरसाहेब विश्वेश्वर शंकर पाटिल आर्ट्स] कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज] जलगांव (महाराष्ट्र) & 425001
93	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय] वर्धा
94	डिग्री कॉलेज ऑफ फिजीकल एजूकेशन] महाराष्ट्र
95	डॉ0 आबासाहेब पीजी हंबेल महिला महाविद्यालय] जलगांव
96	जयहिंद कॉलेज] ए0 रोड] चर्च गेट] मुंबई
97	कोहिनूर आर्ट्स] कामर्स एण्ड साइंस कॉलेज] कुलाबाब्रिज] मुंबई400040
98	श्री शिवाजी कॉलेज अमरावती] शिवाजीनगर] सोसी रोड] अमरावती
	पणिपुरं
99	प्रेरा पणिपुरं कॉलेज] पणिपुरं & 795001
100	पालिहोल एज: मनोई कॉलेज] पालिहोल] विष्णुपुरं] पणिपुरं & 795134
101	पौराण बीरेंद्रकुमारी कॉलेज] खुमनलाकपल इम्फाल] पणिपुरं & 795144
102	एमः कूलुा महिला महाविद्यालय] कौंसरखोंगेट] पणिपुरं & 795134
103	मॉडर्न इंडियन पणिपुरं कॉलेज] कोलमथोबी] गो:ओ: पॉलेज] इंफाल जिला] पणिपुरं & 795135
104	थौबाल कॉलेज] थौबाल वांगसाताबा] डोकपेरं एवं पुलिस स्टेशन थौबाल] 795138 पणिपुरं
105	पणिपुरं विश्वविद्यालय] इम्फाल
106	श्रीश्री रवीन्द्रनाथ वालिका महाविद्यालय] खुंराई] पूर्वी इम्फाल] पणिपुरं
107	पणिपुरं महाविद्यालय] सिंगईसेई] इम्फाल] पणिपुरं
	सिक्कोरंस
108	सिक्कोरंस विश्वविद्यालय
	सांग्राऊंड
109	सांग्राऊंड विश्वविद्यालय] सांगसाती सिक्कम] एमएएमआरडी] सेवरीफिसा कैम्पस] सेवरीफिसा & 797106 सांग्राऊंड
110	सांग्रेस कॉलेज] कोहिमा] सांग्राऊंड
	पंजाब
111	ए:एमः कॉलेज] मलरकोटला रोड] खन्ना] लुधियाना & 141402] पंजाब
112	एमीजे कॉलेज ऑफ फिशिंग आर्ट्स] सहकारीनगर सार्ट] जालंधर] पंजाब & 144004
113	डी:डी:जे: डी:ए:वी: महिला कॉलेज जालंधर रोड] अमृतसर] पंजाब & 143001

क्र0 सं0	संस्थान का नाम
114	मोआडा कॉलेज, विद्यालय मार्ग, देवी तालाब मंदिर के नजदीक, जालंधर सिटी, जिला जालंधर, पंजाब & 144004
115	गुरु नानक कॉलेज, बुडलाडा, बरनाला, पंजाब&151502
116	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय कॉलेज, पंट्टी, तारण & 143005
117	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय कॉलेज, बटाला, जिला & अमृतसर, पिन 143501
118	हुंसराज महिला महाविद्यालय, महात्मा हुंस राज मार्ग, जालंधर, पंजाब 144001
119	कन्या गुरुकुल महिला महाविद्यालय, एजवाड़ा कपूरथला, पंजाब & 144401
120	खालसा महिला कॉलेज, जी:टी: रोड, दशमेश अकेडमी के नजदीक, डेराबी, गुलाबी बाग, अमृतसर, पंजाब & 143001
121	गुरुगुरु खालसा कॉलेज, जी:टी: रोड, जालंधर, पंजाब & 144001
122	सत्ता गुरुद्वारा कॉलेज, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब & 140406
123	अमर शहीद बाबा अजीत सिंह जुझार सिंह सेकोरियल कॉलेज, डेरा रोपण पंजाब विलेज डेरा तहसील खरकौर साहिब, जिला रोपण, पंजाब & 140112
124	जीएचजी खालसा कॉलेज, मुधियाना
125	गुरुनानी सब्र सोची कॉलेज, मुखासी रोड के नजदीक, मंडियाला, पंजाब
126	शांति देवी आर्य महिला कॉलेज, डीवा बटर, गुरुदासपुर, पंजाब
127	श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज आनंद पुर साहिब, पंजाब
	राजस्थान
128	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली & 304022
129	महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
	तमिलनाडु
130	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाईनगर, अन्नामलाईनगर & 608002
131	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई बटर & 608002 (तमिलनाडु)
132	भारथियार विश्वविद्यालय, कोयंबटूर & 641046, तमिलनाडु
133	सभाम क्रिश्चियन कॉलेज, (स्वायत्त) तांबरम ईस्ट, चेन्नई 600059
134	पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, अविनाशी रोड, सिविल एरोड्रोम पोस्ट, कोयंबटूर, तमिलनाडु & 641014
135	पीएसजीआर कृष्णम्मल महिला महाविद्यालय, पीलामेडु, कोयंबटूर & 641004
136	सेंट जोसेफ महिला महाविद्यालय, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु & 620002
137	अविनाशिलिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस, सेरेबूमलाय रोड, कोयंबटूर, तमिलनाडु & 641043

क्र0 सं0	संस्थान का नाम
138	लोयोला डीएक कॉलेज, मदुरई, तमिलनाडु
139	मिनेरवा एजुकेशनल कॉलेज, मदुरई, तमिलनाडु
140	मेरियार यूनिवर्सिटी, मल्लेश, तमिलनाडु
141	स्टेला मारिस कॉलेज, चिल्लई, चेन्नई, तमिलनाडु
142	विरुद्धे नगर हिन्दू नाडर शानमुगा नाडर महाविद्यालय, तमिलनाडु
	तेलंगाना
143	हिंदी महाविद्यालय, ओयू रोड, हैदराबाद
	त्रिपुरा
144	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला
	उत्तराखंड
145	इंदिरा गांधी नेशनल ट्राईबल यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड
146	कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल, नैनीताल
	उत्तर प्रदेश
147	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश & 202002
148	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ, 226025
149	इलाहिबिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज, मुरलीधरपुर बाग, यूरूसलगढ़ रोड, इलाहाबाद & 211003
150	श्री अग्रसेन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खुजेलाल, नरसायनपुर, वाराणसी & 221001
151	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ & 226007 (उत्तर प्रदेश)
152	मीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज, वाराणसी, उत्तरप्रदेश
153	स्कूल ऑफ सेलेक्सलेंट मोहिम, कोसिसपुर बिरुहा, डालचंद कोशिसपुर, रोमाईरंज, लखनऊ
154	इलाहाबाद विश्वविद्यालय
155	हविंद क्रिश्चियन कॉलेज, सुठीरंज, इलाहाबाद
156	ईश्वर नगर डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय
	पश्चिम बंगाल
157	आशुतोष महाविद्यालय, 92, श्यामाप्रसाद मुखर्जी रोड, कोलकाता & 700026, पश्चिम बंगाल
158	बेलदा कॉलेज, पो:ओ: बेलदा, जिला पश्चिम मिदिनापुर & 721424, पश्चिम बंगाल
159	डेरोजियो मेमोरियल कॉलेज, कल्याणी & 700136, पश्चिम बंगाल
160	महिषादल गर्ल्स महाविद्यालय, राजीवसमंद, डालचंद महिषादल, पूर्वी मिदिनापुर (पश्चिम बंगाल) पिन & 721628
161	राजनगर कॉलेज पूर्वी मिदिनापुर, पश्चिम बंगाल & 721453

10.4 डीडीयू कौशल केन्द्र (दीन दयाल उपाध्याय ज्ञान अर्जन तथा मानव कौशल क्षमता तथा आजीविका केन्द्रों का उन्नयन)

इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(क) स्नातकों की आवश्यकता के लिए विशिष्ट स्तरों पर कुशल जनशक्ति का सृजन करना। इस योजना में न्यूनतम अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से लेकर पूर्ण स्नातकीय तथा उससे आगे के पाठ्यक्रम शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों की विशिष्ट स्तरों से लेकर शीर्ष तथा स्तर तक प्रवेश और विकास करने के आधार के अनुसार उपयुक्त@विशेषज्ञ किया जाएगा। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम एवं विश्वविद्यालय और डीएवीपी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे।

(ख) विशेषज्ञता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्नातकीय स्तर पर पाठ्यक्रम तैयार करना; (i) विशेषीकृत क्षेत्रों में सदोश (ii) कौशल विकास के क्षेत्रों में विशेषज्ञतापरक विश्लेषण, पाठ्यक्रम विश्लेषण और विषय वस्तु; (iii) अध्यापन, कौशल विकास शिक्षा और प्रशिक्षण का आकलन; (iv) कौशल विकास के क्षेत्रों में प्रशिक्षित संकाय और (v) सहभागिता; आदि।

(ग) विशेषीकृत क्षेत्रों में कौशल विकास हेतु एक सर्वश्रेष्ठता केन्द्र बनाने के लिए सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली और सदोश के बीच समन्वय हेतु कार्य।

(घ) अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय स्नातकों और डी0डी0 पाठ्यक्रम की योजना के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहे अन्य ऐसे केन्द्रों, विश्वविद्यालयों और स्नातकों के साथ संपर्क बनाना और कौशल समन्वय शिक्षा के प्रशिक्षण विकास हेतु उनके साथ समन्वय बनाना।

(ङ) स्नातकीय और शीर्ष स्तरों पर कौशल शिक्षा और विकास, सहभागिता, रोजगार प्रवणता, उद्यम कारोबार के क्षेत्रों आदि में संबंधित क्षेत्रों में शोध और विकास करना।

(च) पूर्ण कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करना और परिष्करण विद्यालय के रूप में कार्य करना ताकि कोई विद्यार्थी, जिसे ही वह किसी भी प्रशिक्षण पृष्ठभूमि से आता हो, की आवश्यक कार्य कुशलता (मॉड्यूल आधार, आईसीटी कौशल आदि) के साथ रोजगार हेतु तैयार किया जा सके और ट्रेनी@एचओसी के लिए आवश्यक विशेष कौशल में अंतर की पाटा जा सके।

(छ) संबंधित सेक्टर स्किल कौंसिलों (एस एस सी)@रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीईटी) के साथ सूत्रबद्ध तथा प्रमाणन करना एनएसक्यूएफ के स्तर तथा उसके सहायवर्ती स्तर पर विद्यालय के संबंध में क्रेडिटिशन ऑफ ऑपरेशन्स प्रक्रिया को सम्पन्न करना।

(ज) अन्य सरकारी मंत्रालयों और सदोश मंत्रों के समन्वय में संबंधित क्षेत्रों हेतु उद्यम कारोबार मूल्यवान की रूपरेखा

(झ) विशिष्ट क्षेत्रों में कौशल विकास हेतु पाठ्यक्रम, विषय&वस्तु और शिक्षण सामग्रियों का विकास और संकलन।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ब) के अंतर्गत सहायताप्राप्त और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता विकास सहायता प्राप्त कर रहे और एनएएसी@एनबीए द्वारा प्रत्यायित सभी विश्वविद्यालयों को इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता पर विचार किया जाएगा। निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं:&

- श्रेणी एक : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृत सामुदायिक महाविद्यालय और@अथवा डी:वोक: आयोजित कर रहे संस्थान।
- श्रेणी दो : अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय।
- श्रेणी तीन : एनएएसी@एनबीए द्वारा प्रत्यायित स्व&वित्तपोषित संस्थान, परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सामान्य विकास सहायता प्राप्त करने के लिए अपात्र संस्थान।

संप्रति संस्थानों की आवंटित एवं जारी किए गए अनुदान की स्थिति निम्नवत है:&

तालिका 10.4(क)

योजना का नाम	कुल केंद्र	आवंटित अनुदान (करोड़ रुपए में)	जारी किया गया अनुदान (2015&16) (करोड़ रुपए में)
डीडीयू कौशल	64 (स्व&वित्त पोषित &16)	98.70	98.70

अनुदान की सीमा अवधि	5 करोड़
प्रयास प्रक्रिया	3 वर्ष
	योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक संस्थानों की संलग्नक तथा कौशल विकास के क्षेत्र में संलग्नता तथा संगत रूप से प्रतिबद्धता दर्शानी होगी। संस्थानों के पास केंद्र की स्थापना के लिए पर्याप्त स्थान] संसद आदि होना चाहिए। तथापि] संस्थानों की प्राथमिकता की वरीयता & (क) विश्वविद्यालय तथा स्वायत्त सहविद्यालय ((ख) ऐसे संस्थान की पहले ही सफिलतापूर्वक डी: कोक: कार्यरत्ति तथा सामुदायिक सहविद्यालय चला रहे हों; (ग) एनएएसी ग्रेड तथा सीसीपीए; (घ) ऐसे संस्थान जिनके कौशल विकास] रोजगार आदि के लिए सदोत्र संगत के साथ संबंध हो] आदि; (ङ:) सदोत्र तथा रोजगार के अवसरों का सौजूद होना।
बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012&17 (2015&16) के दौरान प्रदत्त अनुदान	98.70 करोड़ रुपए

10.4 (ख) डीडीयू कौशल केंद्रों के लिए संस्तुत सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों की सूची

क्र0 सं0	संस्थान का नाम
1:	सहात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदोत्र] विश्वविद्यालय] चित्रकूट] सतना] मध्य प्रदेश & 485334
2:	केंद्रीय विश्वविद्यालय] गुजरातगुरु औलस्र] जम्मू एवं केंद्रीय & 190006
3:	सेंट इग्नातियस कॉलेज] डेथेली हिल्स] चालक्कीगे] तिरुवनन्तपुरम & 695015
4:	डी:ए:वी: कॉलेज ऑफ स्त्रेन्स] यमुना नगर] हरियाणा
5:	गुलाब चंदी आजाद आर्ट्स] कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज बारंगी एजुकेशन] जिला अकोला & 444401
6:	डी:वी:के: कॉलेज] डेरंकोलस्र] विशाखापत्तनम&530016
7:	पंचकोई हिंशिचरण कॉलेज] फसूकेडिसा] सैपिरस] डीपीओ&पंचकोई&797103] पीसपुरं] चारागोंड
8:	देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी] आर:एस:पी: सात्र] इंदौर&452001
9:	जेएमएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स] कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज] कैरी रोड] कैमूर & 570025
10:	पराक्रमबाहु एजुकेशनल इंस्टीट्यूट] आगरा 282110] उत्तर प्रदेश
11:	मारथीदेशन यूनिवर्सिटी] तमिलनाडु
12:	मोतापुर कॉलेज] कोलरूप] असम
13:	कीप्पीत यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नालोजी] केरल

क्र0 सं0	संस्थान का नाम
14:	जामिया मिलिया इस्लामिया (केंद्रीय विश्वविद्यालय) मौलाना जामिया नगर] नई दिल्ली & 110025
15:	सीपी पटेल एंड एफिएच शाह कॉमर्स कॉलेज] एसएम पटेल मार्ग] आनंद] गुजरात
16:	श्री रामाकृष्णा विशेष विद्यालय कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस
17:	हिमाचल प्रदेश] केंद्रीय विश्वविद्यालय] कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
18:	डॉ: बाबासाहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी] औरंगाबाद] महाराष्ट्र
19:	रामनारायण रुइया कॉलेज] एमएच रोड] मतुंगा] मुंबई&400019
20:	कन्या सहविद्यालय] चालक्कीगे
21:	वि श्रीनिवास रूरल इंस्टीट्यूट] तमिलनाडु
22:	देशरत्न गोल्ड मेडलिस्ट कॉलेज] लखनऊ] उत्तर प्रदेश&226001
23:	चतरसिंह शिवदेव सिंह सीवान मुखपाल सिंह खालसा कॉलेज] पंटियाला] पंजाब
24:	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय] महेन्द्रगढ़] हरियाणा
25:	सेंट अलोसियस कॉलेज] मैंगलोर] कर्नाटक
26:	लोयोला कॉलेज] वॉशरमेनपेट] चेन्नई & 600034

क्र0 सं0	संस्थान का नाम
27:	खेल संकाय कॉलेज ऑफ़ बेसिक] फ़िरोजपुर सिटी & 152002] पंजाब
28:	रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज] सेक्टर
29:	रामानुजन कॉलेज] कालकाजी] नई दिल्ली
30:	सरस्वती सहिला सहाविद्यालय] बाई&पास रोड] पलवल&121102] हरियाणा
31:	आदर्श कॉलेज] कीर्ट रोड] हजारीबाग] झारखंड&825301
32:	श्री शंकरा कॉलेज] पोस्ट बॉक्स सं: 1] कालाडी&683574] एर्णाकुलम जिला] केरल
33:	आर्ट्स] साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज] शिकारपुर] सहारनपुर
34:	गोस्वामी गणेश पुरी महाराज डिग्री कॉलेज] इंदौरड़
35:	एच:पी: (गर्वमेंट) कॉलेज] शिमला&प्रदेश] सिमला
36:	एस:ई:एस: अहासाहेब सरवारे कॉलेज] कार्वे रोड] जिला पुणे] सहाराष्ट्र
37:	सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय] गणेशखिंड] पुणे

क्र0 सं0	संस्थान का नाम
38:	धनबंजारी कम्युनिटी कॉलेज (सिमलिपाल सरकार)] इंडिया] सिमलिपाल
39:	सहिशाबल राज कॉलेज] सहिशाबल] पूर्वी मिदनापुर] पश्चिम बंगाल&721628
40:	श्री अग्रसेन पी:जी: कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन] केशव विद्यापीठ संमिति जालाहेरी] जयपुर
41:	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय] वाराणसी
42:	तेजस्विनी कॉलेज] पीओ पैलमपोर] जिला सिबसागर] मिल&786103] असम
43:	श्री सविताई विद्यापीठ] श्रीमती चतुरबेन विद्यापीठ साइंस कॉलेज] रोमेशचंद्र रुपेरेल] कलावाड रोड & 360005] राजकोट] गुजरात
44:	महात्मा गांधी कॉलेज] अम्बाला कैंट] हरियाणा & 133001
45:	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय
46:	विवेकानंद कॉलेज] कल्याणपुरी] तमिलनाडु
47:	संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय] वाराणसी
48:	सरदार अजित सिंह सर्वमेंट पीजी कॉलेज] #मपुर] लखनसिंह चमरू] लखनऊ&226001

10.4 (x) इच्छित गणित श्रेणी के लिए डीडीयू कौशल केंद्रों हेतु संलग्न संस्थानों की सूची

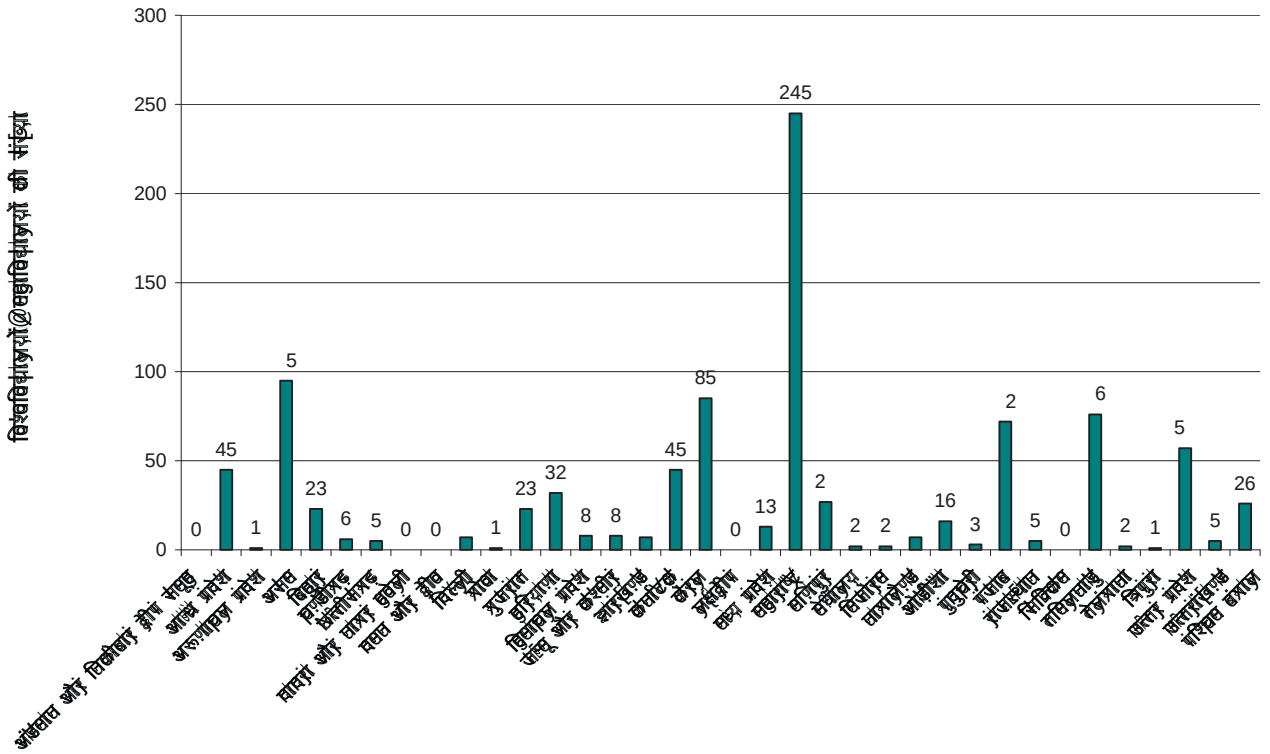
क्र0 सं0	संस्थान का नाम
1:	डॉ0 सी:वी: रमन विश्वविद्यालय] विश्रामपुर] छत्तीसगढ़
2:	आरसीया इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड साइंस] गोमीनाथ रुपेरेल] कलावाड रोड & 360005] राजकोट] गुजरात
3:	एमजीपी विश्वविद्यालय] गुड़गांव&डाबली रोड] हनुमानगेरी] गुड़गांव] हरियाणा
4:	पद्मश्री इंस्टीट्यूट ऑफ़ लेजरसेंट एंड साइंस] #149] पद्मश्री कैम्पस] कीलपॉट्टी] पुलीकेरे (पोस्ट)] केंगेरी] बंगलौर&60] कर्नाटक
5:	स्वामी विवेकानन्द योगा अनुसंधान संस्थान बंगलूरु&560019
6:	अमृत विश्व विद्यापीठम] अमृतपुरी कैम्पस] कल्लाकावा] कीरलम] केरल
7:	राजीव गांधी कॉलेज] शाहपुरा] भोपाल] मध्य प्रदेश
8:	मेहरियान यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड लेजरसेंट] राजापालैयी] ओडीशा

क्र0 सं0	संस्थान का नाम
9:	डॉ: एच:पी:पी: आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज] कीरनूर] तमिलनाडु
10:	एचएचएम कॉलेज ऑफ़ टेक्नोलोजी] मांड्या सेल रोड] एमएचएम कालेज चतुर] मर्वलसपेट्टी पोस्ट] कीरनूर] तमिलनाडु
11:	श्री राजकृष्णा कॉलेज ऑफ़ आर्ट्स एंड साइंस ऑफ़ वूलेल] 395] मेट्टुपालयम रोड] सिरुमुगुंदुर] कीरनूर&641044] तमिलनाडु
12:	श्री पद्मशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय] एंथूर] कांचीपुरम&631561
13:	पी:ओ: विवेकानंद कॉलेज] थूथुकुडी] तमिलनाडु
14:	रघुवंशम सरस्वती महाविद्यालय] सरस्वती विहार] शिकारपुर&202395] बुलंदशहर] उत्तर प्रदेश
15:	श्री पी बाबा इंस्टीट्यूट] मेसारी] भोपा] जिला सधुरा] उत्तर प्रदेश
16:	राजीव गांधी टेक्नोलॉजिकल कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी] एनएच&18] चंद्रावती क्रॉस रोड] चालहरगल&581501] कुरनूल जिला] आंध्र प्रदेश

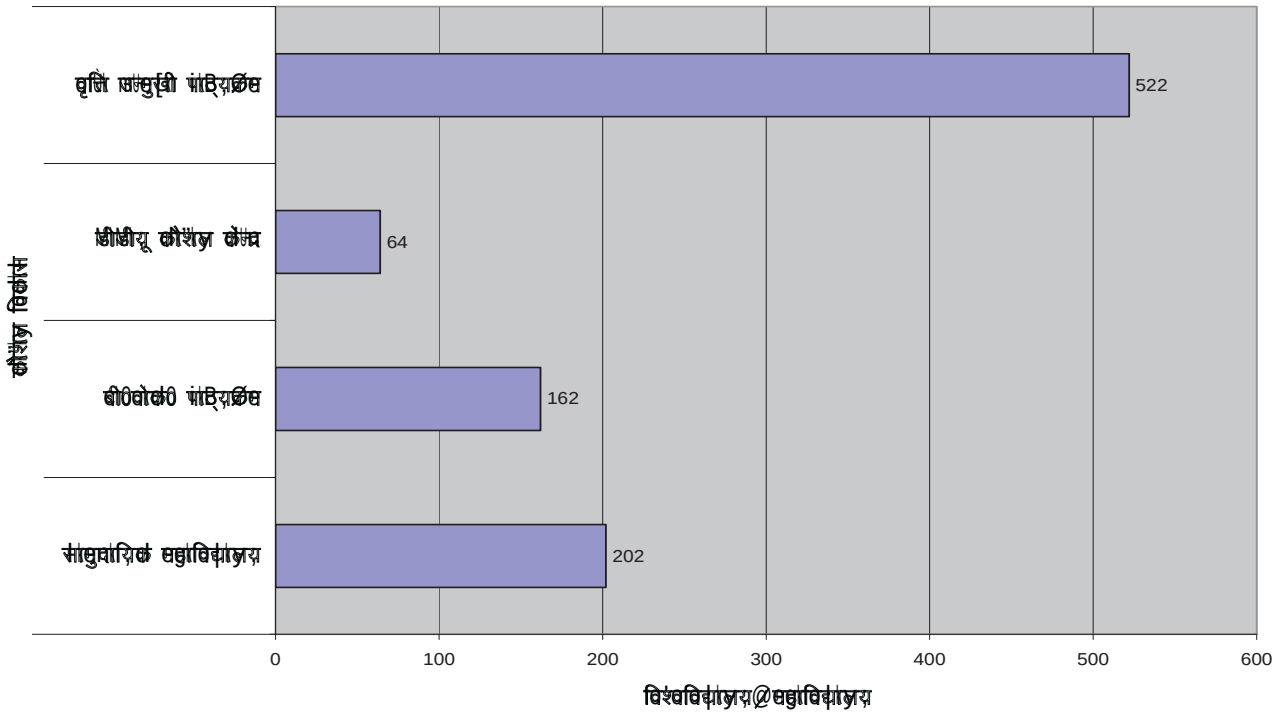
तालिका 10.0 दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों/समविद्यालयों में कौशल विकास केन्द्रों की राज्यवार संख्या

क्र0 सं0	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	सामुदायिक समविद्यालय	डी0डी0यू0 पाठ्यक्रम	डीडीयू कौशल केन्द्र	वृत्ति सुधारी पाठ्यक्रम	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह					0
2	आंध्र प्रदेश	7	5	2	31	45
3	अरूणाचल प्रदेश	1				1
4	असम	27	13	2	53	95
5	बिहार	6	2		15	23
6	चण्डीगढ़	1	1	1	3	6
7	छत्तीसगढ़	1	2	1	1	5
8	दादरा और नागर हवेली					0
9	दमन और द्वीव					0
10	दिल्ली	1	2	2	2	7
11	गोवा				1	1
12	गुजरात	3	5	3	12	23
13	हरियाणा	9	4	5	14	32
14	हिमाचल प्रदेश	2		1	5	8
15	जम्मू और कश्मीर	3	2	1	2	8
16	झारखण्ड	5	1	1		7
17	कर्नाटक	12	8	4	21	45
18	केरल	19	15	3	48	85
19	लक्षद्वीप					0
20	मध्य प्रदेश	5	1	3	4	13
21	महाराष्ट्र	36	37	7	165	245
22	मणिपुर	6	9	2	10	27
23	मेघालय				2	2
24	मिजोरम	1	1			2
25	नागालैण्ड	4	2	1		7
26	ओड़ीशा	8		1	7	16
27	पुडुचेरी	1	1		1	3
28	पंजाब	13	17	3	39	72
29	राजस्थान	1	2	2		5
30	सिक्किम					0
31	तमिलनाडु	15	13	10	38	76
32	तेलंगाना	1	1			2
33	त्रिपुरा		1			1
34	उत्तर प्रदेश	5	10	7	35	57
35	उत्तराखण्ड	2	2	1		5
36	पश्चिम बंगाल	7	5	1	13	26
	कुल	202	162	64	522	950

रेखाचित्र 10.0: वर्ष 2015&16 के दौरान कौशल विकास केन्द्रों (विश्वविद्यालय@सहविद्यालय) (सामुदायिक सहविद्यालय$डी0वी0 पाठ्यक्रम$डीडीयू कौशल केन्द्र$वृत्ति सम्बन्धी पाठ्यक्रम) की राज्य वार संख्या



वर्ष 2015&16 के दौरान कौशल विकास हेतु विश्वविद्यालयों@सहविद्यालयों की संख्या



अध्याय 11

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा

- दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
- छात्र नामांकन

11.1 दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

मुक्त्त शिक्षा मुं&मुंत्र के क्षेत्रों में जुड़े कार्य और ऐसे छात्रों जिनके लिए नियमित आधार पर विश्वविद्यालयों तक पहुंच अभी भी संभव नहीं है, बड़ी संख्या में छात्रों के लिए सामग्रियां प्राप्त करने का एक माध्यम बन गई है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने आदेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 20(1) के अंतर्गत सक्षम शिक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले मुक्त शिक्षा कार्यक्रमों के संबंध में विनियमन, मानकों के अनुरक्षण और सामग्री प्रदान करने संबंधी निर्देश जारी किये। इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ&साथ निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(i) ओडीएल कार्यक्रमों और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सामग्री प्राप्त करने के इच्छुक अनुमति चाहने वाले विश्वविद्यालयों@संस्थानों के संबंध में एक विनियामक के रूप में कार्य करेगा।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानव संसाधन समिति की रिपोर्ट (दिसम्बर, 2011) की सिफारिशों के अनुसरण में मुक्त और मुक्त्त शिक्षण (ओडीएल) कार्यक्रमों में मानकों और मानकों के अनुरक्षण हेतु विनियमों को विकसित करेगा।

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम संबंधी कार्यकरण के विवर्धन हेतु आवश्यक अवसंरचना और मानव शक्ति को सृजित करेगा, और इस उद्देश्य हेतु इग्नू के अलावा से पूर्ववर्ती मुक्त्त शिक्षा परिषद (डीईसी) के कर्मचारियों की सेवाएँ प्राप्त करेगा।

(iv) डीईसी के बंद होने की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ओडीएल कार्यक्रमों के विनियामक के रूप में कार्य करना आरंभ करेगा।

इनके अनुसरण में, इग्नू द्वारा दिनांक 4 मई, 2013 की अधिसूचना द्वारा डीईसी को बंद कर दिया गया, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 31 मई, 2013 के आदेश द्वारा डीईसी के कार्यों को अपने हाथ में ले लिया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना सं: 6&1@2013 दिनांक 10.06.2015 (राजपत्र 25.07.2015 को प्रकाशित) के द्वारा यह अधिसूचित किया है कि&"*संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं मुक्त्त शिक्षण पद्धति के माध्यम से तकनीकी शिक्षा सहित प्रदान किए गए डिग्रियों@प्रमाणपत्रों@प्रमाणपत्र केंद्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन हेतु ही मान्यताप्राप्त हैं बशर्ते, वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो।*"

इससे पूर्व, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं: 44 दिनांक 01.03.1995 से लागू थी। इसके अनुसार, शिक्षा के ओडीएल माध्यम से प्रदान की गई डिग्रियों की मान्यता हेतु मुक्त्त शिक्षा परिषद् (डीईसी) की अनुमति आवश्यक थी।

प्रो0 एस.आर. मानव सेवक की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मुक्त और मुक्त्त शिक्षण के क्षेत्र में मानकों को विनियमित करने और अनुरक्षित करने के लिए ओडीएल के विनियमों के समूचे को अंतिम रूप दिया। दिनांक 29 फरवरी, 2016 की आयोग की 513वीं बैठक में विनियमों के समूचे को आयोग के समक्ष रखा गया। आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और मुक्त्त शिक्षण) विनियम, 2015 के समूचे पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की। ओडीएल विनियमों के समूचे को 30 मार्च, 2016 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुमति के लिए भेजा गया। तथापि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कुछ सुझाव दिए तथा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कुछ आशोधन करने की जरूरत हुए मुद्दों तथा आशोधनों की पूरे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित सम्पाश्विकार ग्राम दूरस्थ शिक्षा समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निर्णय लिया कि जब तक कि यह आदेश विशेषरूप से दिया जाता है तब तक वर्ष 2015&16 के लिए सभी विश्वविद्यालयों@संस्थानों की सम्बद्धता की वैधता को बढ़ाया जाए जिसे वर्ष 2014&15 के दौरान सम्बद्धता प्राप्त थी।

शिक्षा वर्ष 2015&16 के दौरान दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु सम्बद्धताप्राप्त विश्वविद्यालयों@संस्थानों के नाम की सूची नीचे तालिका 11.1(क) में दी गई है।

तालिका 11.1(क): शिक्षा वर्ष 2015&16 के दौरान खुला तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों@संस्थानों के नाम की सूची

क्र0 सं0	राज्य	विश्वविद्यालय@समविद्यालय	विश्वविद्यालय@संस्थान का स्वरूप
1	आंध्र प्रदेश	आंध्रा विश्वविद्यालय]	राज्य विश्वविद्यालय
2	आंध्र प्रदेश	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय] गुंटूर	राज्य विश्वविद्यालय
3	आंध्र प्रदेश	दविड़ियन विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
4	आंध्र प्रदेश	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट (जीआईटीएम)	मान विश्वविद्यालय
5	आंध्र प्रदेश	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
6	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ] तिरुपति	मान विश्वविद्यालय
7	आंध्र प्रदेश	रायलसीमा विश्वविद्यालय] कुरनूल	राज्य विश्वविद्यालय
8	आंध्र प्रदेश	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
9	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
10	असम	असम डॉन बास्को विश्वविद्यालय] असारा] गुवाहाटी	निजी विश्वविद्यालय
11	असम	तेजपुर विश्वविद्यालय	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
12	असम	असम डॉक्टर टॉक्स विश्वविद्यालय	निजी विश्वविद्यालय
13	असम	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
14	असम	कृषकोत्तम बुजीवी राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
15	असम	गुवाहाटी विश्वविद्यालय] गुवाहाटी	राज्य विश्वविद्यालय
16	बिहार	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय] मुजफ्फरपुर	राज्य विश्वविद्यालय
17	बिहार	जय प्रकाश विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
18	बिहार	मगध विश्वविद्यालय] :	राज्य विश्वविद्यालय
19	बिहार	नालन्दा मुक्त विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
20	बिहार	पटना विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
21	बिहार	पूर्णिया नारायण सिंहिया विश्वविद्यालय पटना	राज्य विश्वविद्यालय
22	छत्तीसगढ़	डॉ0 सी.वी. रमन विश्वविद्यालय] कोटा बिलासपुर	निजी विश्वविद्यालय
23	छत्तीसगढ़	पण्डित सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
24	दिल्ली	ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन	निजी विश्वविद्यालय
25	दिल्ली	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
26	दिल्ली	जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय	केन्द्रीय विश्वविद्यालय

क्र0 सं0	राज्य	विश्वविद्यालय@समविद्यालय	विश्वविद्यालय@संस्थान का स्वरूप
27	दिल्ली	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मस विश्वविद्यालय	मस विश्वविद्यालय
28	दिल्ली	येंगी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज	मस विश्वविद्यालय
29	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
30	दिल्ली	इंस्टीट्यूट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट	निजी विश्वविद्यालय
31	दिल्ली	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमली वेलफेयर	मानद्‌ विश्वविद्यालय
32	दिल्ली	पैसिफीक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज	निजी विश्वविद्यालय
33	दिल्ली	जामिया हमदर्द	मस विश्वविद्यालय
34	गुजरात	डॉ: बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
35	गुजरात	भारतीय सहकारिता विकास संस्थान	निजी विश्वविद्यालय
36	हरियाणा	गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	राज्य विश्वविद्यालय
37	हरियाणा	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	राज्य विश्वविद्यालय
38	हरियाणा	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	राज्य विश्वविद्यालय
39	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
40	जम्मू और कश्मीर	जम्मू विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
41	जम्मू और कश्मीर	कश्मीर विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
42	झारखंड	कुवेम्पू विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
43	कर्नाटक	बैंगलोर विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
44	कर्नाटक	स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान	मस विश्वविद्यालय
45	कर्नाटक	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
46	कर्नाटक	तुमकुर विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
47	कर्नाटक	आईएचआईएस विजनेस स्कूल	निजी विश्वविद्यालय
48	कर्नाटक	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी	राज्य विश्वविद्यालय
49	केरल	कन्नूर विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
50	मध्य प्रदेश	एस:पी:मीरा मुक्त विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
51	मध्य प्रदेश	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल	राज्य विश्वविद्यालय
52	मध्य प्रदेश	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
53	मध्य प्रदेश	डॉ: हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
54	मध्य प्रदेश	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	राज्य विश्वविद्यालय
55	मध्य प्रदेश	महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय	निजी विश्वविद्यालय
56	मध्य प्रदेश	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,	राज्य विश्वविद्यालय
57	मध्य प्रदेश	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
58	महाराष्ट्र	डॉ0 जी0 वाई0 पांडिल विश्वविद्यालय	मस विश्वविद्यालय

क्र0 सं0	राज्य	विश्वविद्यालय@महाविद्यालय	विश्वविद्यालय@संस्थान का स्वरूप
59	महाराष्ट्र	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ सेरिकल्चर सैटेलाइट	निजी विश्वविद्यालय
60	महाराष्ट्र	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फ़ॉर पॉपुलेशन साइंसेज	मान विश्वविद्यालय
61	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
62	महाराष्ट्र	एसआईटी स्कूल ऑफ़ डिस्टेंस एजूकेशन	निजी विश्वविद्यालय
63	महाराष्ट्र	तरंगी सोलजी इंस्टीट्यूट ऑफ़ सैटेलाइट स्टडीज	मान विश्वविद्यालय
64	महाराष्ट्र	राष्ट्रसंत गाडगे महाराज मसिति ज्ञान सण्डस, वर्धा	निजी विश्वविद्यालय
65	महाराष्ट्र	शिवाजी विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
66	महाराष्ट्र	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	मान विश्वविद्यालय
67	महाराष्ट्र	सिम्बॉयसिस सेंटर फ़ॉर डिस्टेंस लर्निंग सिम्बॉयसिस संस्थान	निजी विश्वविद्यालय
68	महाराष्ट्र	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज	मान विश्वविद्यालय
69	महाराष्ट्र	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
70	महाराष्ट्र	भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय	मान विश्वविद्यालय
71	महाराष्ट्र	मुंबई विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
72	महाराष्ट्र	वेस्टर्नकेर इंस्टीट्यूट ऑफ़ सेरिकल्चर, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, मुंबई	निजी विश्वविद्यालय
73	मेघालय	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	निजी विश्वविद्यालय
74	मिजोरम	आईसीएफ़एआई आइजॉल	निजी विश्वविद्यालय
75	ओडीशा	एशियन स्कूल ऑफ़ बिजनेस सेवेलाइट, भुवनेश्वर	निजी विश्वविद्यालय
76	ओडीशा	बेरहामपुर विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
77	ओडीशा	संबलपुर विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
78	ओडीशा	उत्कल सोलुशन विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
79	ओडीशा	सत्यभामा विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
80	पुदुचेरी	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
81	पंजाब	आईके0 गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
82	पंजाब	लवली प्रोफ़ेशनल यूनिवर्सिटी	निजी विश्वविद्यालय
83	पंजाब	पंजाब विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
84	राजस्थान	मालवंत विश्वविद्यालय	निजी विश्वविद्यालय
85	राजस्थान	जगन्नाथ विश्वविद्यालय	निजी विश्वविद्यालय
86	राजस्थान	जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	निजी विश्वविद्यालय
87	राजस्थान	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय	निजी विश्वविद्यालय
88	राजस्थान	एनआईएसएम विश्वविद्यालय	निजी विश्वविद्यालय
89	राजस्थान	मुनेश्वर ज्ञान विहार विश्वविद्यालय	निजी विश्वविद्यालय
90	राजस्थान	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय

क्र0 सं0	राज्य	विश्वविद्यालय@महाविद्यालय	विश्वविद्यालय@संस्थान का स्वरूप
91	राजस्थान	जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट	मेम्ड विश्वविद्यालय
92	सिक्किम	आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी	निजी विश्वविद्यालय
93	सिक्किम	विद्यायक विशेष सिक्किम यूनिवर्सिटी	निजी विश्वविद्यालय
94	तमिलनाडु	पेनसुरा आर्ट्स साइंस टैक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च अकादमी	मेम्ड विश्वविद्यालय
95	तमिलनाडु	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
96	तमिलनाडु	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा	मान्यताप्राप्त संस्थान
97	तमिलनाडु	तमिल विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
98	तमिलनाडु	तमोलसनीयस मुथुरंगनार विश्वविद्यालय] तिरूनेलवेली	राज्य विश्वविद्यालय
99	तेलंगाना	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
100	तेलंगाना	तौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
101	तेलंगाना	तेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी	राज्य विश्वविद्यालय
102	तेलंगाना	पोट्टी श्रीरामु तेलगू विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
103	तेलंगाना	द इंग्लिश एण्ड फोरेन लैंग्वेज यूनीवर्सिटी	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
104	तेलंगाना	तेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट	केन्द्र सरकार का संस्थान
105	तेलंगाना	जवाहर लाल तेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय] हैदराबाद	राज्य विश्वविद्यालय
106	तेलंगाना	आईएफसीआई फैकल्टीशेत फॉर हॉयर एजूकेशन हैदराबाद	मेम्ड विश्वविद्यालय
107	तेलंगाना	ओस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद	राज्य विश्वविद्यालय
108	तेलंगाना	हैदराबाद विश्वविद्यालय	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
109	त्रिपुरा	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनॉलिस्ट ऑफ इंडिया	निजी विश्वविद्यालय
110	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
111	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
112	उत्तर प्रदेश	आईएमटी डिटेंस एण्ड ओपन मल्टिमिडिया इंस्टीट्यूट गाजियाबाद	निजी विश्वविद्यालय
113	उत्तर प्रदेश	इंटीग्रल यूनिवर्सिटी	निजी विश्वविद्यालय
114	उत्तर प्रदेश	एसआईएमटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टैक्नोलॉजी] गाजियाबाद	निजी विश्वविद्यालय
115	उत्तर प्रदेश	एसआईएमटी] ग्रेटर नोएडा	निजी विश्वविद्यालय
116	उत्तर प्रदेश	मैस सिमिबोयोसिस इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर	मेम्ड विश्वविद्यालय
117	उत्तर प्रदेश	स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय	मेम्ड विश्वविद्यालय
118	उत्तर प्रदेश	तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय]	निजी विश्वविद्यालय
119	उत्तर प्रदेश	यू.पी. राजर्षी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
120	उत्तर प्रदेश	यशपालबाद एजूकेशनल इंस्टीट्यूट	मेम्ड विश्वविद्यालय
121	उत्तराखण्ड	वेद संस्कृति विश्वविद्यालय	निजी विश्वविद्यालय
122	उत्तराखण्ड	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनांशियल एनॉलिस्ट ऑफ इंडिया (आईसीएफएआई)	निजी विश्वविद्यालय

क्र0 सं0	राज्य	विश्वविद्यालय@महाविद्यालय	विश्वविद्यालय@संस्थान का स्वरूप
123	उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय
124	उत्तराखण्ड	यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज	निजी विश्वविद्यालय
125	पश्चिम बंगाल	नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी	राज्य विश्वविद्यालय
126	पश्चिम बंगाल	यूनिवर्सिटी ऑफ जादवपुर	राज्य विश्वविद्यालय
127	पश्चिम बंगाल	रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय]	राज्य विश्वविद्यालय
128	पश्चिम बंगाल	कल्याणी विश्वविद्यालय]	राज्य विश्वविद्यालय
129	पश्चिम बंगाल	विद्यासागर विश्वविद्यालय]	राज्य विश्वविद्यालय
130	पश्चिम बंगाल	वर्धमान विश्वविद्यालय	राज्य विश्वविद्यालय

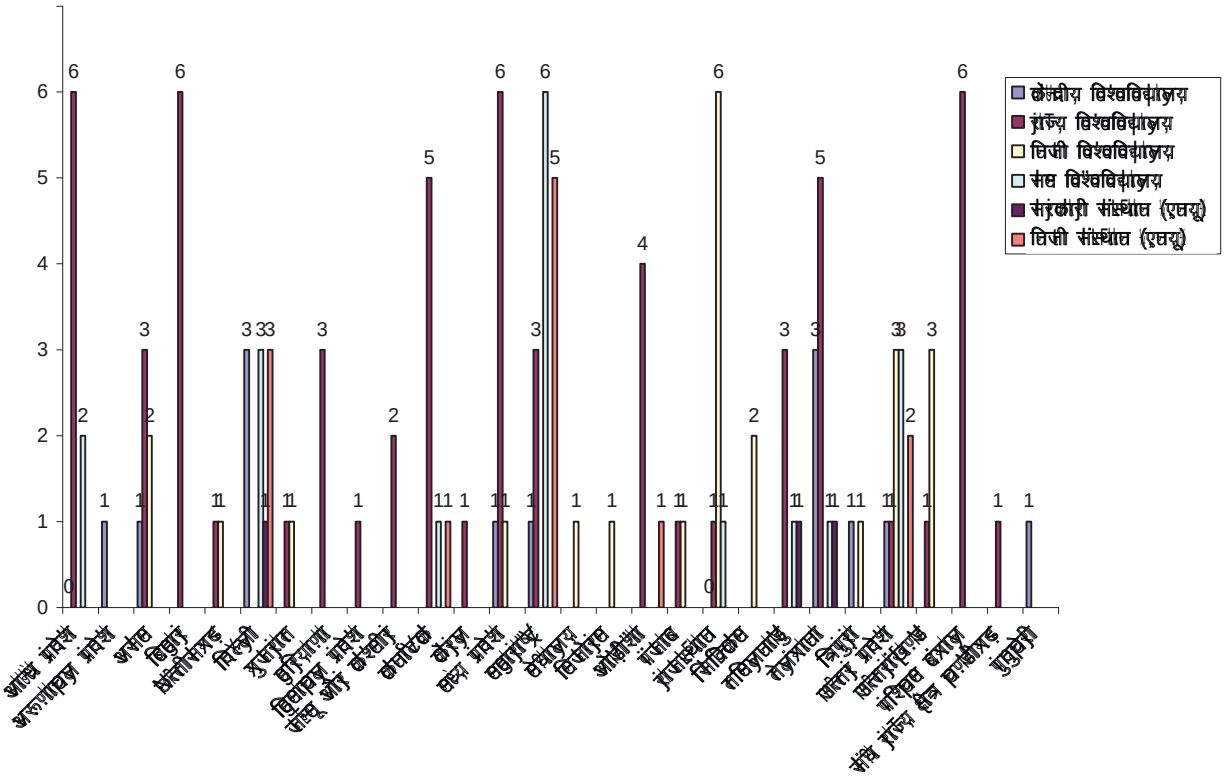
वर्ष 2015&16 के दौरान मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से डिग्रियों की पेशकश करने हेतु मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों के नाम की सूची नीचे तालिका 11.1(ख) में दी गई है।

तालिका 11.1(ख): शिक्षा वर्ष 2015&16 के दौरान मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से डिग्रियों की पेशकश करने हेतु मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों और मानद्वारी संस्थानों/निजी संस्थानों (विश्वविद्यालयों) की राज्यवार संख्या

क्र0 सं0	राज्य का नाम	विश्वविद्यालयों की संख्या				संस्थान (विश्वविद्यालयों)		कुल
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	मान विश्वविद्यालय	मानद्वारी	निजी	
1	आंध्र प्रदेश		6		2			8
2	अरुणाचल प्रदेश	1						1
3	असम	1	3	2				6
4	बिहार		6					6
5	छत्तीसगढ़		1	1				2
6	दिल्ली	3			3	1	3	10
7	गुजरात		1	1				2
8	हरियाणा		3					3
9	हिमाचल प्रदेश		1					1
10	जम्मू और कश्मीर		2					2
11	झारखंड		5		1		1	7
12	केरल		1					1
13	मध्य प्रदेश	1	6	1				8
14	महाराष्ट्र	1	3		6		5	15
15	मेघालय			1				1
16	मिजोरम			1				1
17	ओड़ीशा		4				1	5
18	पंजाब		1	1				2
19	राजस्थान		1	6	1			8

क्र0 सं0	राज्य का नाम	विश्वविद्यालयों की संख्या				संस्थान (विश्वविद्यालयेतर)		कुल
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	मत विश्वविद्यालय	सरकारी	निजी	
20	मिजोरम			2				2
21	नगालैण्ड		3		1	1		5
22	तेलंगाना	3	5		1	1		10
23	त्रिपुरा	1		1				2
24	उत्तर प्रदेश	1	1	3	3		2	10
25	उत्तराखण्ड		1	3				4
26	पश्चिम बंगाल		6					6
27	संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़		1					1
28	पुदुचेरी	1						1
	कुल	13	61	23	18	3	12	130

चित्र 11.1(ख): वर्ष 2015&16 के दौरान सुदूर तथा मुक्त शिक्षा पद्धति के माध्यम से पाठ्यक्रमों की पेशकश करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों/संस्थानों की राज्यवार तथा स्वरूप वार संख्या



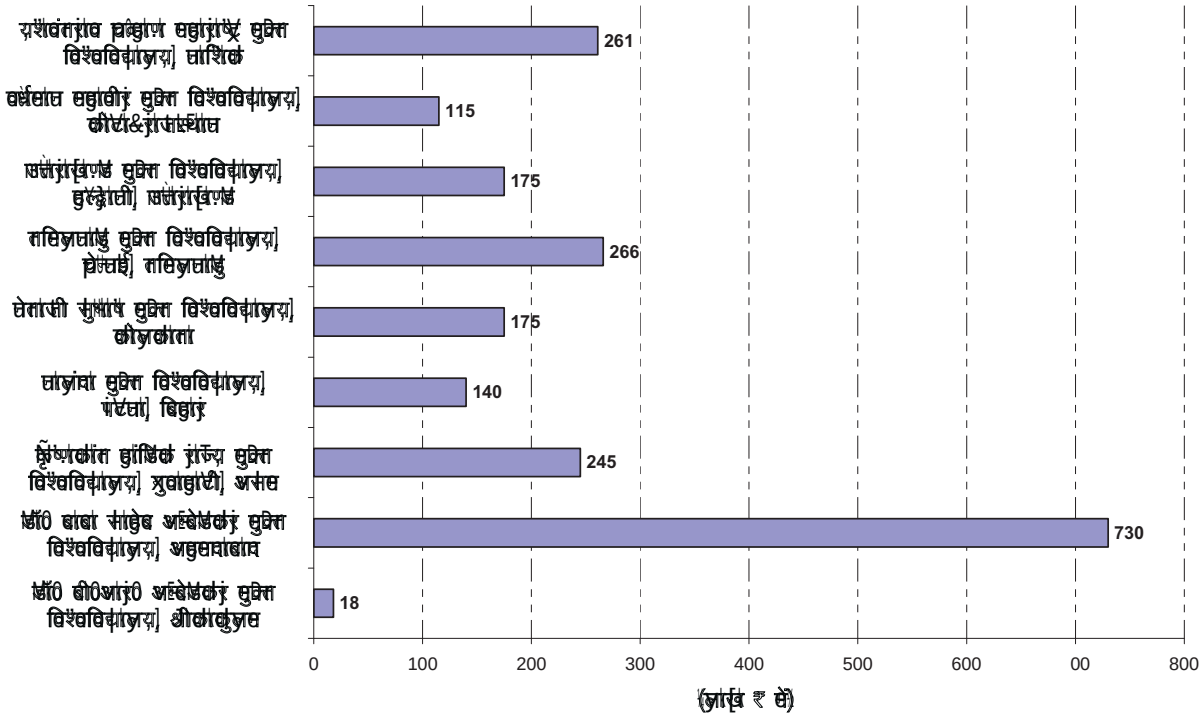
वितरित पद्धति में भी शिक्षा की पेशकश करने वाले दोहरी पद्धति वाले विश्वविद्यालयों राज्य सुदूर विश्वविद्यालयों तथा मुक्त शिक्षा संस्थानों (डीईआई) को विकास अनुदान तथा अविशिष्ट अनुदान सम्बन्धी योजना के तहत निधियों की कमी के कारण राज्य सुदूर विश्वविद्यालयों को केवल विकास अनुदान ही सम्बन्धी योजना के तहत वर्ष 2015&16 के दौरान विकास अनुदान के रूप में राज्य सुदूर विश्वविद्यालयों को 2125.00 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी अविशिष्ट अनुदान किसी भी विश्वविद्यालय/संस्थान को जारी नहीं किया जा सका डीईआई को भी वित्तीय सहायता सम्बन्धी नहीं योजना के तहत कोई सूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राप्त कोई सिफारिश नहीं थी वर्ष 2015&16 के दौरान राज्य सुदूर विश्वविद्यालयों को जारी किए गए विकास अनुदान का ब्यौरा वर्षवार वाला विवरण तालिका 11.1(ग) में दिया गया है

तालिका 11.1(x) वित्त वर्ष 2015&16 के दौरान ग्रामीण मुक्त विश्वविद्यालयों को जारी किए गए विकास अनुदान का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र0 सं0	ग्रामीण मुक्त विश्वविद्यालय का नाम	जारी की गई राशि
1.	डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, सीकाकुलम	18.00
2.	डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अमृतसर/बठिंडा	730.00
3.	कृष्णकांत हांडिक ग्रामीण मुक्त विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम	245.00
4.	नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना, बिहार	140.00
5.	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, कोलकाता	175.00
6.	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु	266.00
7.	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	175.00
8.	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा/राजस्थान	115.00
9.	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नाशिक	261.00
	कुल:	2125.00

चित्र 11.1(x): वर्ष 2015&16 के दौरान ग्रामीण मुक्त विश्वविद्यालयों को जारी किया गया विकास अनुदान (लाख ₹ में)



11.2 छात्र नामांकनः दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमः 2015–16

शिक्षा वर्ष 2015&16 के दौरान, एआईएसएचई पोर्टल (सक्षमता शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण) पर सम्मिलित संस्थानों के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालयों में सभी स्तरों पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में 36.20 लाख (अनंतिम) छात्र नामांकित थे।

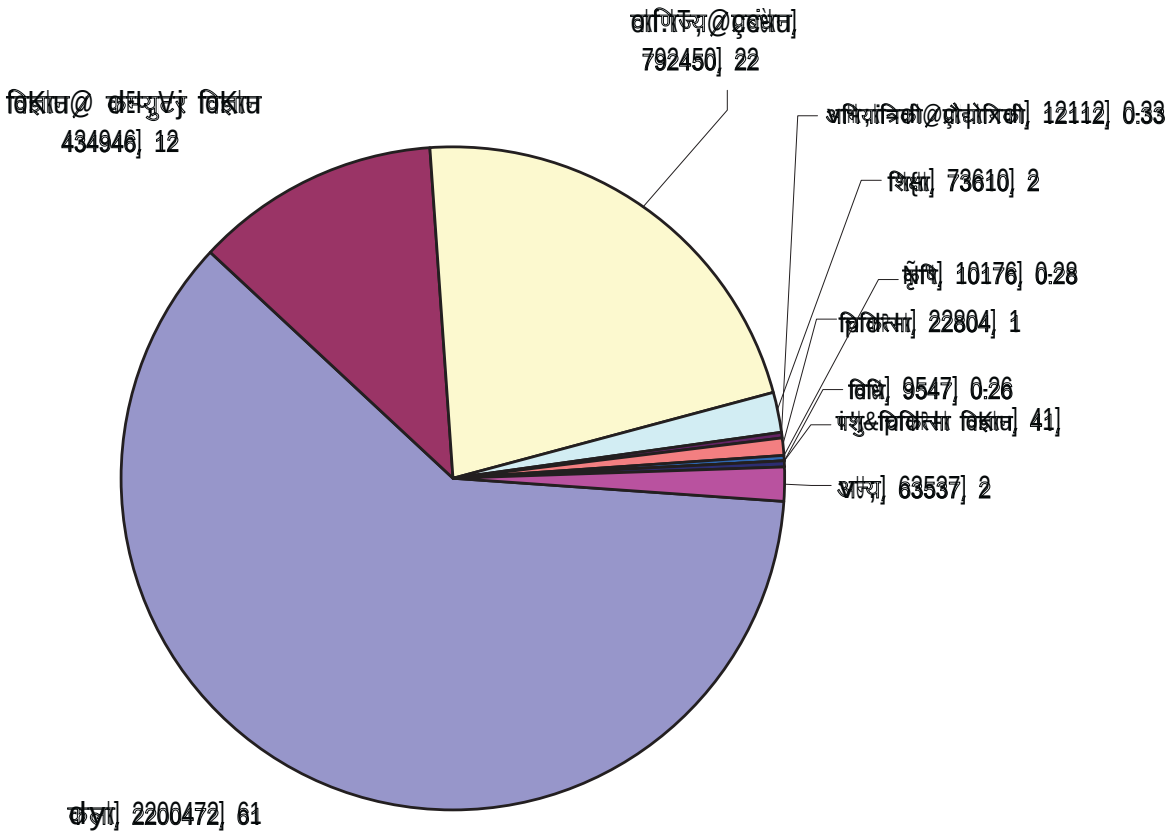
वर्ष 2015&16 के दौरान, भारतीय विश्वविद्यालयों@महाविद्यालयों@संस्थानों में 321.05 लाख छात्र (नियमित पाठ्यक्रमों में 248.85 लाख तथा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में 36.20 लाख छात्र) नामांकित हैं इस प्रकार देश में सक्षमता शिक्षा में नामांकित कुल छात्रों का दूरस्थ शिक्षा का 11.28 प्रतिशत योगदान है।

विभिन्न संकायों तथा स्तरों पर छात्रों का संवितरण तालिका 11.2(क) तथा 11.2(ख) में दिया गया है।

तालिका 11.2(क) वर्ष 2015&16 के दौरान दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में संकायवार छात्र नामांकन

क्र0 सं0	संकाय	छात्र नामांकन			कुल का प्रतिशत
		पुरूष	महिला	कुल	
1	कला	1111146	1089326	2200472	60.79
2	विज्ञान	268473	166473	434946	12.02
3	वाणिज्य@प्रबंधन	464475	327975	792450	21.89
4	शिक्षा	32704	40906	73610	2.03
5	अभियांत्रिकी@प्रौद्योगिकी	7894	4218	12112	0.33
6	विधिसंगत	12653	10151	22804	0.63
7	कृषि	7314	2862	10176	0.28
8	पशु&विधिसंगत विज्ञान	29	12	41	0.00
9	विधि	6490	3057	9547	0.26
10	अन्य	31711	31826	63537	1.76
	कुल	1942889 (53.68%)	1676806 (46.32%)	3619695 (100.00%)	100.00

चित्र 11.2(क) वर्ष 2015&16 के दौरान दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में संकायवार छात्र नामांकन (प्रतिशत)



तालिका 11.2(ख): वर्ष 2015&16 के दौरान मुक्त शिक्षा कार्यक्रम में स्नातक छात्र नामांकन

क्र0 सं0	संकाय	छात्र नामांकन*			कुल का प्रतिशत
		पुरुष	महिला	कुल	
1	पी0एच0डी0	87	49	136	0.004
2	एस0ओ0एल0			0	0.00
3	स्नातकोत्तर	501117	589287	1090404	30.12
4	स्नातक	1333963	1004358	2338321	64.60
5	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	40880	27031	67911	1.88
6	डिप्लोमा	54019	35037	89056	2.46
7	प्रमाणपत्र	12823	21044	33867	0.94
8	संबंधित पाठ्यक्रम			0	0.00
	कुल	1942889	1676806	3619695	100.00

*अनंतिम

चित्र 11.2(ख): वर्ष 2015&16 के दौरान मुक्त शिक्षा कार्यक्रम में स्नातक छात्र नामांकन

